सत्यमेव जयते

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण

नियमावली भाग - 2

Part -2

TNSDA
09872

Manual of THE ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण नियमावली

भाग II

VOLUME—II

प्रत्नकीर्तिमपावृणु

MANUAL OF THE ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

PREFACE

The Archaeological Survey of India, which is a multi-disciplinary organization, carries out *inter alia* archaeological excavations and explorations, structural and chemical preservation, horticultural operations, besides associated modern constructions. For execution of these works all relevant rules and procedures have been prescribed in details in the *Archaeological Works Code* supplemented by Volume I of the *Manual*. Yet, no proper accounting for works is possible without the aid of prescribed forms; and with the release of this compilation a much-felt need is now fulfilled.

Our accounting system so long had been making use of the C. P. W. D. or C. P. W. A. forms; in fact, these are the forms which were prescribed for rendering of works accounts as also for the maintenance of stores/stock accounts and accounting of field works. As these forms were readily available, we, in our Circle and Branch offices had been using them despite their inadequacies since last several decades. However, of late, the supply of these forms has been discontinued by the Forms Stores, Calcutta, leading to many complications for the offices of the Survey. This situation, coupled with the fact that these forms do not exactly suit the type of work that the Survey executes departmentally, gave the idea for introducing a set of standardized forms for use by the Survey.

The task of compilation of these forms, in many cases, adapting the existing ones, was taken up by Shri S. L. Nagar, Administrative Officer in the Survey, who performed this duty, with great devotion and skill.

Evident as it is, the set of standardized forms introduced in this compilation substitutes hereafter the C. P. W. D., C. P. W. A. and other forms, it is hoped that this will go a long way in bringing about uniformity in the maintenance and rendition of account. Our field staff, posted in out-of-the-way places, is sure to find it to be a useful Manual.

In this compilation, the forms have been arranged into four groups : (i) those required for use in the Circle Office, concerned primarily with the structural conservation of monuments and sites; (ii) those required by the field staff; (iii) those required for rendition of monthly accounts to the Pay and Accounts Office; and (iv) miscellaneous forms. These forms have been approved variously by the Controller of Accounts and the Integrated Finance Division of the Union Ministry of Education and Culture, New Delhi, Comptroller and Auditor General of India, the Union Ministry of Law, Justice and Company Affairs and the Director General (Works), C. P. W. D., New Delhi. Our grateful thanks are due to all of them. I wish to express here my appreciation to Shri S. L. Nagar for the good work that he has done in bringing out this valuable Manual in diglot form.

New Delhi,
19th August, 83

(Dr.) (Mrs.) D. MITRA
Director General

प्राक्कथन

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो एक बहु-विषयक संगठन है, अन्य बातों के साथ-साथ पुरातत्वीय उत्खनन, अन्वेषण, संरचनात्मक और रासायनिक परिरक्षण, कृषि उद्यान सम्बन्धी संक्रियाओं के अतिरिक्त इनसे संबंधित आधुनिक निर्माण कार्य करता है। इन कार्यों के संपादन हेतु विस्तारपूर्वक सभी संबंधित नियमावली तथा प्रक्रियाएं नियम पुस्तिका के खंड I द्वारा संपूरित पुरातत्व निर्माण-कार्य-संहिता में निर्धारित की गयी है। परन्तु विहित फार्मों की सहायता के बिना निर्माण कार्यों का यथोचित लेखा-जोखा रखा जाना संभव नहीं है, इसलिए इस संकलन के प्रकाशित होने से एक अत्यधिक वांछनीय आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हो जाती है ।

अब तक हमारी लेखा-जोखा प्रणाली केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा के प्रपत्रों का ही प्रयोग करती रही थी, वास्तव में ये वे प्रपत्र हैं जो निर्माण कार्यों का लेखा रखने--जैसे कि स्टोर्स/स्टाक लेखों के– रख-रखाव और क्षेत्रीय निर्माण कार्यों के लेखा रखने के लिए निर्धारित किये गये थे। क्योंकि ये प्रपत्र आसानी से उपलब्ध थे, हम लोग पिछले कई दशकों से उनकी अपर्याप्तता के बावजूद उन्हें ही अपने मंडल तथा शाखा कार्यालयों में प्रयोग में ला रहे थे। कालांतर में फार्म स्टोर्स, कलकत्ता, द्वारा इसकी आपूर्ति बन्द हो गई, जिसके परिणामस्वरूप सर्वेक्षण के कार्यालयों के लिए अनेक उलझनें पैदा हो गईं। वस्तुत: ये प्रपत्र सर्वेक्षण द्वारा विभागीय तौर पर कराये जाने वाले कार्यों की प्रकृति के साथ यथार्थ रूप से मेल नहीं खाते थे, इसी परिस्थितिवश सर्वेक्षण द्वारा प्रयोगार्थ मानक प्रपत्रों का एक सेट प्रवर्तित कराने का विचार आया ।

सर्वेक्षण में इन फार्मों के संकलन का कार्य और अनेक मामलों में वर्तमान प्रपत्रों के अनुकूलीकरण का कार्य प्रशासन अधिकारी श्री शांति लाल नागर ने अपने हाथ में लिया, जिन्होंने इस कार्यभार को बड़ी तन्मयता और प्रवीणता से सम्पन्न किया ।

जैसा कि स्पष्ट है कि इस संकलन में प्रवर्तित किए गये मानक प्रपत्रों का सेट इसके उपरान्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा के प्रपत्रों तथा अन्य प्रपत्रों का स्थान लेंगे। यह आशा की जाती है कि लेखा के प्रदर्शन और रख-रखाव में एकरूपता लाने की दिशा में ये प्रपत्र उपादेय सिद्ध होंगे। हमारे उन क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए यह नियम पुस्तिका अवश्य ही उपयोगी होगी, जो सुदूर और दुर्गम स्थानों में तैनात हैं ।

इस संकलन में, इन प्रपत्रों को चार समूहों में रखा गया है, (i) वे जो मंडल कार्यालयों में प्रयोग हेतु अपेक्षित हैं और जिनका सम्बन्ध मुख्य रूप से संस्मारकों और स्थलों के संरचनात्मक संरक्षण से हैं, (ii) वे, जो क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए अपेक्षित हैं, (iii) वे, जो भुगतान एवं लेखा कार्यालय को मासिक लेखे प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित हैं, और (iv) विविध प्रपत्र । इन प्रपत्रों के अनुमोदन विविध प्रकार से लेखा नियंत्रक और समेकित वित्त प्रभाग, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, संघीय सरकार, नई दिल्ली; नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय, संघीय सरकार और महानिदेशक (निर्माण), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली ने किया है। इसके लिए हम इन सबके आभारी हैं। मैं, इन शब्दों के साथ इस बहुमूल्य नियम पुस्तिका को द्विभाषिक रूप में प्रकाशित कराने में श्री सर्व शांति लाल नागर ने जो कार्य किया है, उसका सम्मान करती हूं ।

नई दिल्ली
19 अगस्त, 1983

(डा०) (श्रीमती) देबला मित्र
महानिदेशक

पाण्डुलिपी (हिन्दी)	**रवि कुमार गौतम**
पाण्डुलिपी (अंग्रेज़ी)	**महावीर जैन**
अनुवाद (अंग्रेजी-हिन्दी) तथा प्रुफ वाचन	**कृष्णकांत झा**

पुरातत्व निर्माण कार्यसंहिता में विनिर्दिष्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशिष्ट फार्मों की सूची

List of Special Forms of the Archaeological Survey of India specified in the Archaeological Works Code

क्रम संख्या Sl. No.	संबंधित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या महा-निदेशक की फार्म संख्या Relevant CPWD or DG's form No.	विवरण Description	भा० पु० स० फार्म सं० A. S. I.'s form No.	पृष्ठ स० Page No.
	1	2	3	4
		(1) मंडल/शाखा कार्यालय में अपेक्षित फार्म **Forms required in Circle/Branch Office**		
		(क) लेखों का प्रलेखन *(a) Documentation of Accounts*		
1	कें० लो० नि० ले०—1 CPWA—1	निर्माण कार्य की रोकड़ वही Works Cash Book	भा० पु० स० नि०—1 ASIW—1	1
2	कें० लो० नि० वि०—33 CPWD—33	स्वीकृत प्राक्कलनों का रजिस्टर Register of Sanctioned Estimates	भा० पु० स० नि०—2 ASIW—2	6
3	कें० लो० नि० वि०—41 CPWD—41	प्राप्त टेंडरों का रजिस्टर Register of tenders received	भा० पु० स० नि०—3 ASIW—3	6
4	कें० लो० नि० वि०—13 CPWD—13	प्रतिशत दर संविदा का तुलनात्मक विवरण Comparative statement of percentage rates tenders	भा० पु० स० नि०—4 ASIW—4	7
5	कें० लो० नि० वि०—14 CPWD—14	मद दर निविदाओं का तुलनात्मक विवरण Comparative statement of item rate tenders	भा० पु० स० नि०—5 ASIW—5	7
6	कें० लो० नि० वि०—6 CPWD—6	निविदा आमंत्रण सूचना Notice inviting tenders	भा० पु० स० नि०—6 ASIW—6	8
7	कें० लो० नि० ले०—92 CPWA—92	माप पुस्तिका का रजिस्टर Register of Measurement Books	भा० पु० स० नि०—7 ASIW—7	14
8	कें० लो० नि० ले०—92(क) CPWA—92(a)	मानक माप पुस्तिका का रजिस्टर Register of Standard Measurement Books	भा० पु० स० नि०—8 ASIW—8	14
9	कें० लो० नि० ले०—13 CPWA—13	औजारों और संयंत्रों का रजिस्टर Register of Tools and Plants	भा० पु० स० नि०—9 ASIW—9	15
10	कें० लो० नि० ले०—43 CPWA—43	ठेकेदारों का खाता Contractor's ledger	भा० पु० स० नि०—10 ASIW—10	15
11	नव प्रवर्तित Newly introduced	ठेकेदारों द्वारा जमा दी गयी बयानाकी राशि और प्रतिभूति निक्षेप का रजिस्टर Register of earnest money and Security Deposits by Contractors	भा० पु० स० नि०—11 ASIW—11	16
12	कें० लो० नि० ले०—21(क) CPWA—21(A)	अदा मजदूरी का रजिस्टर Register of Unpaid wages	भा० पु० स० नि०—12 ASIW—12	16
13	पु० नि० सं० परि०—XIII AWC-App.-XIII	बिल बही Bill Book	भा० पु० स० नि०—13 ASIW—13	17
14	कें० लो० नि० वि०—II CPWD—II	कार्यादेश बही Work Order Book	भा० पु० स० नि०—14 ASIW—14	18
15	कें० लो० नि० वि० नियमावली खंड—I CPWD Manual Vol. I	ठेकेदारों द्वारा समय बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र Application for extension of time by the contractors	भा० पु० स० नि०—15 ASIW—15	34

	1	2	3	4
16	कें० लो० नि० वि० नियमावली खंड I CPWD Manual, Vol. I	अवमानक निर्माण कार्य के कारण ठेकेदारों को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप Form of letter to Contractor for sub-standard work	मा० पु० स० नि०—16 ASIW—16	38
17	कें० लो० नि० वि०नि० खंड I CPWD Manual, Vol. I	अवमानक निर्माण कार्य की दर को स्वीकार करने के पत्र का प्रारूप Form of letter for acceptance of the rate for sub-standard work.	मा० पु० स० नि०—17 ASIW—17	39
18	कें० लो० नि० ले०—40 CPWA—40	वृहत निर्माण कार्यों का रजिस्टर . . . . Register of Major Works	मा० पु० स० नि०—18 ASIW—18	40
19	कें० लो० नि० ले०—41 CPWA—41	लघु निर्माण कार्यों का रजिस्टर . . . . Register of Minor Works	मा० पु० स० नि०—19 ASIW—19	42
20	पु० नि० सं० परि० XVI AWC-App. XVI	माप पुस्तिका गुम होने पर रिपोर्ट लिखाने का प्रारूप . . Form of reporting loss of Measurement Books	मा० पु० स० नि०—20 ASIW—20	44
21	पु० नि० सं० परि० XXII AWC-App. XXII	मंडल में कराये गये निर्माण कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट . . Annual report for works executed in Circle	मा० पु० स० नि०—21 ASIW—21	46
22	पु० नि० सं० परि० XI AWC-App. XI	वार्षिक संरक्षण कार्यक्रम . . . . Annual Conservation Programme	मा० पु० स० नि०—22 ASIW—22	47
23	पु० नि० सं० परि० X AWC-App. X	निष्प्रयोज्य वस्तुओं का रजिस्टर . . . . . Register of condemned articles	मा० पु० स० नि०—23 ASIW—23	48
24	पु० नि० सं० परि० IV AWC-App. IV	बेकार सामग्री को नीलाम कराने का प्रारूप . . . Form of conducting auction of unserviceable stores etc.	मा० पु० स० नि०—24 ASIW—24	48
25	नव प्रवर्तित Newly introduced	जिन प्राक्कलनों पर अग्रिम राशि की निकासी आवश्यक है उनके विवरणों की तालिका Statement showing the particulars of estimates against which works advances are required to be drawn.	मा० पु० स० नि०—25 ASIW—25	49
26	कें० लो० नि० ले०—59 CPWA—59	विविध संस्वीकृतियों का रजिस्टर . . . Register of Miscellaneous sanctions	मा० पु० स० नि०—26 ASIW—26	49
27	कें० लो० नि० ले०—60 CPWA—60	लेखा आपत्तियों का रजिस्टर . . . . Register of Audit objections	मा० पु० स० नि०—27 ASIW—27	50
28	पु० नि० सं० परि० VI AWC-App. VI	राजकीय आय का रजिस्टर . . . . Register of Revenue	मा० पु० स० नि०—28 ASIW—28	50
29	कें० लो० नि० वि०—7 CPWD—7	मद दर संविदा के लिए करार प्रारूप . . . Agreement forms for item rate contract	मा० पु० स० नि०—29 ASIW—29	51
30	कें० लो० नि० वि०—8 CPWD—8	प्रतिशत दर संविदा के लिए करार पत्र का प्रारूप . . Agreement form for percentage rate contract	मा० पु० स० नि०—30 ASIW—30	178
30	(क) कें० लो० नि० वि०—9 (a) CPWD—9	सामान की पूर्ति के लिए करार पत्र का प्रारूप . . Agreement form for supply of materials	मा० पु० स० नि०—30(क) ASIW—30(a)	309
31	कें० लो० नि० ले०—18 CPWA—18	सर्वेक्षण रिपोर्ट का प्रारूप . . . . Form of Survey Report	मा० पु० स० नि०—31 ASIW—31	340
31	(क) कें० लो० नि० ले०—31 (a) CPWA—31	प्रतिभूत उधार के लिए मांग पत्र . . . . Indent for secured Advances	मा० पु० स० नि०—31(क) ASIW—31(a)	341
		(ख) भुगतान और लेखा कार्यालय को निर्माण कार्यों का मासिक लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में ***(b) For submission of monthly works accounts to Pay and Accounts office***		
32	कें० लो० नि० ले०—83 CPWA—83	भुगतान और लेखा कार्यालय को प्रस्तुत किये जानेवाले लेखों की सूची List of Accounts submitted to Pay and Accounts Office	मा० पु० स० नि०—32 ASIW—32	342

	1	2	3	4
33	के० लो० नि० ले०—77 CPWA—77	अग्रिम और समायोजन का ज्ञापन . . . Memorandum of adjustment and advances	भा० पु० स० नि०—33 ASIW—33	344
34	नव प्रवर्तित Newly introduced	मास के दौरान निकाले गये निर्माण कार्य अग्रिम के ब्यौरों की तालिका Statement of details of works advance drawn during the month	भा० पु० स० नि०—34 ASIW—34	345
35	कें० लो० नि० ले०—64 CPWA—64	निर्माण कार्य व्यय की अनुसूची . . . . . Schedule of Works expenditure	भा० पु० स० नि०—35 ASIW—35	346
36	कें० लो० नि० ले०—33 CPWA—33	निर्माण कार्य का सार क और ख . . . . Works Abstract A & B	भा० पु० स० नि०—36 (i) और (ii) ASIW—36(i) & (ii)	348
37	कें० लो० नि० ले०—61 CPWA—61	डाकेट अनुसूची . . . . . Schedule Docket	भा० पु० स० नि०—37 ASIW—37	356
38	कें० लो० नि० ले०—74 CPWA—74	व्यय का वर्गीकृत सार . . . . . Classified Abstract of Expenditure	भा० पु० स० नि०—38 ASIW—38	357
39	कें० लो० नि० ले०—43 CPWA—43	ठेकेदारों के संयंत्रों से लिया गया सार . . . Extract from contractor's plant	भा० पु० स० नि०—39 ASIW—39	359
40	कें० लो० नि० ले०—14 CPWA—14	औजार और संयंत्र का मासिक लेखा . . . Monthly Accounts of tools and plants	भा० पु० स० नि०—40 ASIW—40	360
41	कें० लो० नि० ले०—44 CPWA—44	ब्यौरेवार समापन रिपोर्ट . . . . Detailed completion report	भा० पु० स० नि०—41 ASIW—41	361
42	कें० लो० नि० ले०—45 CPWA—45	समापन विवरण . . . . . Completion Statement	भा० पु० स० नि०—42 ASIW—42	363
43	के० लो० नि० वि०—34 CPWD—34	स्वीकृत प्राक्कलन का विवरण . . . . Statement of sanctioned estimates	भा० पु० स० नि०—43 ASIW—43	364
44	कें० लो० नि० ले०—65 CPWA—65	निक्षेप कार्य की अनुसूची . . . . . Schedule of Deposit Works	भा० पु० स० नि०—44 ASIW—44	365
		(2) क्षेत्र कर्मचारियों के लिए आवश्यक प्ररूप *Forms required for field staff*		
45	कें० लो० नि० वि०—1 CPWD—1	प्राक्कलनों का प्ररूप . . . . . Form of estimates	भा० पु० स० नि०—45 ASIW—45	368
46	के० लो० नि० वि०—3 CPWD—3	मूल प्राक्कलनों की लागत का सार . . . Abstract of cost of original estimates	भा० पु० स० नि०—46 ASIW—46	369
47	कें० लो० नि० वि०—2 CPWD—2	प्राक्कलन के लिए माप प्ररूप के ब्यौरे . . . Details of Measurement form for estimates	भा० पु० स० नि०—47 ASIW—47	370
48	कें० लो० नि० ले०—2 CPWA—2	अग्रदाय रोकड़ बही . . . . . Imprest Cash Book	भा० पु० स० नि०—48 ASIW—48	371
49	कें० लो० नि० ले०—21 CPWA—21	नामावली . . . . . . Muster Roll	भा० पु० स० नि०—49 ASIW—49	374
50	कें० लो० नि० ले०—22 CPWA—22	नामावली के बिना मजदूरों को दी जानेवाली अदायगी के लिए दस्तीरसीद Hand receipt for making payment to labour without muster roll	भा० पु० स० नि०—50 ASIW—50	378
51	कें० लो० नि० ले०—24 CPWA—24	प्रथम और अन्तिम बिल . . . . First and Final Bill	भा० पु० स० नि०—51 ASIW—51	379
52	कें० लो० नि० ले०—26 CPWA—26	चालू खाता बिल . . . . . Running Account Bill (A)	भा० पु० स० नि०—52 ASIW—52	381

1	2	3	4
53 कें० लो० नि० ले०—27(क) CPWA—27(a)	चालू खाता बिल (ख) Running Account Bill (B)	भा० पु० स० नि०—53 ASIW—53	387
54 कें० लो० नि० ले०—27(ख) CPWA—27(b)	अन्तिम बिल Final Bill	भा० पु० स० नि०—54 ASIW—54	393
55 कें० लो० नि० ले०—23 CPWA—23	माप पुस्तिका Measurement Book	भा० पु० स० नि०—55 ASIW—55	395
56 कें० लो० नि० ले०—23(क) CPWA—23(a)	मानक माप पुस्तिका Standard Measurement Book	भा० पु० स० नि०—56 ASIW—56	396
57	स्थल आदेश पुस्तिका Site Order Book	भा० पु० स० नि०—57 ASIW—57	401
58 कें० लो० नि० ले०—28 CPWA—28	दस्ती रसीद Hand Receipt	भा० पु० स० नि०—58 ASIW—58	402
59 कें० लो० नि० ले०—35 CPWA—35	स्थल पर सामान के लेखे का रजिस्टर Register of material at site Account	भा० पु० स० नि०—59 ASIW—59	404
60 कें० लो० नि० ले०—13 CPWA—13	औजारों और संयंत्रों का रजिस्टर Register of Tools and Plants	भा० पु० स० नि०—60 ASIW—60	405
61 कें० लो० नि० वि०35(क) CPWD—35(a)	ठेकेदारों को जारी किये गये सामान का लेखा Account of material issued to contractors	भा० पु० स० नि०—61 ASIW—61	406
62 कें० लो० नि० वि०—30 CPWD—30	दैनिक मजदूर रिपोर्ट Daily Labour Report	भा० पु० स० नि०—62 ASIW—62	407

(3) सामान्य उपयोग के प्रपत्र
Forms of General Use

1	2	3	4
63 पु० नि० सं० परि. II AWC-App. II	प्रकाशन का स्टाक रजिस्टर Stock register of publications	भा० पु० स० नि०—63 ASIW—63	408
64 पु० नि० सं० परि० VII(क) AWC.App.VII(a)	प्रवेश टिकटों की बिक्री का रजिस्टर Register of sale of admission tickets	भा० पु० स० नि०—64 ASIW—64	409
65 पु० नि० सं० परि० II AWC.App.II	प्रकाशनों की दैनिक बिक्री का रजिस्टर Register of daily sale of publications	भा० पु० स० नि०—65 ASIW—65	410
66 पु० नि० सं० परि. IX AWC.App. IX	पुरावशेषों की अवाप्ति का रजिस्टर Accession Register of Antiquities	भा० पु० स० नि०—66 ASIW—66	411
67 पु० नि० सं० परि० VIII AWC.App. VIII	पुस्तकालय की पुस्तकों की अवाप्ति का रजिस्टर Accession register for Library Books	भा० पु० स० नि०—67 ASIW—67	412
68 कें० लो० नि० वि०—21 CPWD—21	विभागीय विश्राम गृहों के उपयोग के लिए रजिस्टर Register for use of departmental Rest Houses	भा० पु० स० नि०—68 ASIW—68	413
69 नव प्रवर्तित Newly introduced	अनुपभोज्य स्टाक का रजिस्टर Register of Dead-Stock articles	भा० पु० स० नि०—69 ASIW—69	414
70 नव प्रवर्तित Newly introduced	उपभोज्य वस्तुओं का रजिस्टर Register of Consumable articles	भा० पु० स० नि०—70 ASIW—70	415
71 नव प्रवर्ति Newly introduced	प्रयोगशाला में पुरावशेषों के उपचार का रजिस्टर Register of treatment of Antiquities in the laboratory	भा० पु० स० नि०—71 ASIW—71	416
72 नव प्रवर्तित Newly introduced	विश्लेषणों के परिणामों का रजिस्टर Register of Analytical results	भा० पु० स० नि०—72 ASIW—72	417

1		2	3	4
73	नव प्रवर्तित Newly introduced	वस्त्रों की उपचार रिपोर्ट Treatment Report of Textiles	भा० पु० स० नि०—73 ASIW—73	418
74	नव प्रवर्तित Newly introduced	धातु की वस्तुओं की उपचार रिपोर्ट Treatment report of metal objects	भा० पु० स० नि०—74 ASIW—74	420
75	नव प्रवर्तित Newly introduced	विविध वस्तुओं की उपचार रिपोर्ट Treatment report of miscellaneous objects	भा० पु० स० नि०—75 ASIW—75	422
76	नव प्रवर्तित Newly introduced	काष्ठीय वस्तुओं की उपचार रिपोर्ट Treatment report of wooden objects	भा० पु० स० नि०—76 ASIW—76	423
77	नव प्रवर्तित Newly introduced	पेंटों की उपचार रिपोर्ट Treatment report of paintings	भा० पु० स० नि०—77 ASIW—77	425
78	नव प्रवर्तित Newly introduced	प्रस्तरीय वस्तुओं की उपचार रिपोर्ट Treatment report of Stone objects	भा० पु० स० नि०—78 ASIW—78	427
79	नव प्रवर्तित Newly introduced	पलस्तर, गारे, मृण्मूर्ति, ठीकरों और समवर्गी धातुओं की/के उपचार रिपोर्ट Report of Plaster, mortar, Terracotta, Sherds and allied metals	भा० पु० स० नि०—79 ASIW—79	428

निर्माण कार्य रोकड़ बही

WORKS CASH BOOK

रोकड़ बही

[पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता, पैरा 5.2.2–टिप्पण 2, तथा पैरा 14.2.1(क)(ii)]

1. रोकड़ बही के दो पक्ष होते हैं — यथा भुगतान तथा प्राप्तियाँ—रोकड़ बही के प्राप्ति तथा भुगतान पक्षों में संव्यहारों की प्रविष्टियों को अपने-अपने कालमों में अंकित करते समय भुगतान की विधि यथा नकद या चैक द्वारा स्पष्ट तौर पर दर्शायी जाए। रद्द किए गए चैक की राशि को अदायगी पक्ष में या "खजाना" खाने में एक विशिष्ट प्रति लेखित प्रविष्टि के द्वारा ऋण आंकडे के रूप में दिखाया जाना चाहिए। रोकड़ बही में मूल चैक के स्थान पर काटे गए नये चैक की दूसरी प्रविष्टि के सामने प्रति निर्देश दे देना चाहिए। गतावधिक अथवा खोये हुए चैक के स्थान पर काटे गए नये चैक को उसी तारीख की रोकड़ बही में लाल स्याही से दर्ज करना चाहिए किन्तु अदायगी के खाने में नहीं, रोकड़ बही में मूल प्रविष्टि के सामने हर हालत में प्रति-निर्देश दिया जाना चाहिए।

2. प्रत्येक प्रविष्टि संक्षिप्त होनी चाहिए। प्रत्येक मद के वाउचर की तारीख, संख्या और निर्माण कार्य का नाम तथा उसका ऐसा संक्षिप्त वर्णन जो लेन-देन के प्रकार का सही सूचक हो, दर्ज किया जाए। प्रत्येक अलग निर्माण कार्य लेखा शीर्ष या ठेकेदार या अन्य व्यक्ति को डेबिट अथवा क्रेडिट योग्य राशि को अलग-अलग दर्ज किया जाए और मंडल शाखा कार्यालय द्वारा सार पुस्तक या प्रत्येक निर्धारित लेखा अनु-सूचियों में लेखाशीर्ष के अन्तर्गत दर्ज की जाने वाली राशियों को "प्राप्तियों का वर्गीकरण" तथा "प्रभारों का वर्गीकरण" वाले शीर्षकों के खाना 5 तथा 12 के अन्तर्गत प्रविष्टियों के सामने स्पष्टतया दिखाया जाना चाहिए। "रोकड़" के अलावा कोई भी प्राप्ति या अदायगी रोकड़ बही में दर्ज नहीं की जानी चाहिए। परन्तु अदायगी के समय की गई कटौती को रोकड बही में प्राप्ति पक्ष में दर्ज करना चाहिए अगर वह कटौती अदायगी द्वारा डेबिट होने वाले निर्माण कार्य लेखा शीर्ष से भिन्न किसी और निर्माण कार्य या लेखा शीर्ष को क्रेडिट की जानी हो।

CASH BOOK

[Archaeological Works Code, Para 5.2.2.—Note 2 and 14.2.1(a)(ii)]

1. The Cash Book contains two sides i.e. Payments and Receipts, while making entry for transactions on the receipt and payment side of the cash book, the mode of payment i.e. by cash or by cheque should be distinctly shown under the respective column. The amount of a cancelled cheque should be shown by a special write-back entry as a minus figure on the payment side in the relevant column. A counter reference should be given in the cash book, against the original to the second entry of the cheque. The issue of a new cheque in lieu of a time-expired or lost cheque should be entered on the date of issue in red ink in the cash book but not in the column for payment, a counter reference being given in either case against the original entry in the cash book.

2. Every entry must be concise. The date, the number of voucher and the name of the work, and such a brief narration as will indicate unmistakably the nature of the transaction must be entered against each item. The amount debitable or creditable to each seperate work, head of account or contractor or other person should be entered separately and the amounts to be posted by the divisional office into the Abstract Book of Schedules of account under each prescribed head of account should be distinctly brought out opposite the entries in columns 5 and 12 headed "Classification of Receipts" and "Classification of Charges". No receipt or payment other than that of "cash" should be entered in the cash book. A deduction made at the time of payment, creditable to a work or head of account other than that to which the payment itself is debitable, should, however, be entered on the receipt side of the cash book.

3. लेन-देनों को, उनके होते ही और उनके होने के सही क्रम में रोकड़ बही मे तुरन्त दर्ज करना चाहिए । फिर भी यदि संवितरण अधिकारी के दौरे पर जाने से अनुपस्थिति के कारण शिविर में उसके द्वारा काटा गया चेक बाद की तारीख में उसके मुख्यालय में रखी गई रोकड बही में दर्ज किया जाता है तो चेक काटने की वास्तविक तारीख भिन्न के हर के रूप में रोकड़ बही में दर्ज की जानी चाहिए, जिसका अंश वह तारीख होगी जिस तारीख में रोकड बही में लेन-देन का समावेश किया गया हो । जैसा कि संहिता के पैरा................. में निर्दिष्ट है, अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा विविध रोकड़ प्राप्तियों की वसूली और खजाने में सीधे उनकी अदायगी से संबंधित दोहरे लेने देने में भी अधीनस्थ कर्मचारी से खजाने के रसीदी चालान की प्राप्ति पर उच्च संवितरण अधिकारी की रोकड़ बही में समाविष्ट को दर्ज करते समय ऐसी ही प्रक्रिया का पालन करना चाहिए ।

3. Transactions must be entered in the Cash book as soon as they occur and strictly in the order of occurrence. If, however, owing to the absence of the Disbursing Officer on tour, a cheque issued by him, whilst in camp, is entered in the cash book maintained at his headquarter on a subsequent date, the actual date of issue of the cheque should be noted in the cash book as the denominator of a fraction, the numerator of which will be the date on which the transaction is incorporated in the book. A similar procedure should be observed when the double transaction relating to the realisation of miscellaneous cash receipts by a subordinate and their payments directly into treasury is incorporated in the cash book of the superior Disbursing Officer on receipt of a receipted challan of the treasury from the subordinate, as prescribed in paragraph-..................to be filled in of the code.

4. वर्ष की समाप्ति पर अनुदान की पूरी राशि का उपयोग दिखाने के उद्देश्य से चैक काटकर तिजोरी में जमा करना या 31 मार्च के बाद भी रोकड़ बही को चालू रख कर अप्रैल में हुए संवितरणों को मार्च में हुए संवितरण की संज्ञा दे कर उसमें दर्ज करना एक गम्भीर अनियमितता है ।

4. It is a serious irregularity to draw cheques and deposit them in the cash chest at the close of the year for purpose of showing the full amount of grant as utilised or to keep the cash book open after the 31st March and make disbursements in April entering them in the cash book as having been made in March.

5. जहाँ तक सम्भव हो, अदायगियों की पावतियाँ अदायगी करते समय ही इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट किसी एक मुद्रित फार्म पर ले लेना चाहिए । इन पर प्रत्येक महीने के लिए क्रमानुसार अलग अलग श्रेणी में संख्याएं अंकित करनी चाहिए तथा प्रत्येक वाउचर की क्रम संख्या अदायगी लेन-देनों के दर्ज करने के तत्पश्चात् ही रोकड वही में दर्ज कर लेनी चाहिए ।

5. Acknowledgements of payments, should, as far as possible, be taken at the time of payment and on one of the printed forms prescribed for the purpose. They should be numbered consecutively in a separate series for each book as soon as the payment of transaction is entered in it.

6. जब पहली बार अग्रदाय राशि दी जाए तब इसे देने वाले अधिकारी की रोकड बहीं मे "किसको प्रदत्त" खाने मे लाल स्याही से दर्ज किया जाना चाहिए किन्तु इस राशि को वास्तविक अदायगी के रूप मे दर्ज नहीं करना चाहिए । क्योंकि यह मासिक पेशगी देनेवाले संवितरण अधिकारी के सम्बन्ध में शेष का एक अंश मानी जायेगी । फिर भी यदि कोई चेक काटा जाता है तो उस की राशि को रोकड़ बही के दोनो पक्षों में दिखा देना चाहिए, राशि में बाद में हुई वृद्धियों या कमियों को दर्ज कर देना चाहिए, इसी तरह अदायगी पक्ष मे वृद्धियां तथा प्राप्ति पक्ष मे कमियाँ ।

6. When an imprest is first given, the fact should be noted in red ink in the cash book of the Disbursing Officer giving it, in the column "To whom paid", but the amount should not be entered as an actual payment as it will still form a portion of the cash book balance of the Disbursing Officer making the advance. If, however, a cheque is drawn, its amount must be shown on both sides of the cash book. Any subsequent increases or decreases in the amount should be noted, similarly the increase on the payment side and the decreases on the receipt side.

7. अग्रदाय लेखों के लेन देनों को दर्ज करते समय आपूर्ति संवितरण अधिकारी को अपने ही कार्यालय में अग्रदाय लेखे के पृष्ठभाग में बनाए गए सार में प्रत्येक निर्माण कार्य या लेखा शीर्ष के लिए प्रदर्शित जोड़ को ही अपनी रोकड़ बही में दर्ज करना चाहिए ।

7. In posting transactions from imprest accounts the recouping Disbursing Officer should enter in his cash book only the total for each work or head of account as brought out in the abstract, which should be prepared in his own office, on the reverse of the imprest account.

8. सभी अदायगियाँ निर्माण कार्य या सेवा को जिनके प्रति वे की जाती हैं, तुरन्त ही डेबिट की जानी चाहिए । दूरस्थ मजदूरों आदि में संवितरण के लिए अधीनस्थ कर्मचारी को पेशगी दी गई राशि अस्थायी पेशगी के रूप में रोकड़ बही में लाल स्याही से उसी ढंग से दर्ज कर लेनी चाहिए जो प्रथम बार नियमित अग्रदायों के देते समय अपनाया गया हो और जब अधीनस्थ कर्मचारी विधिवत प्रमाणित उपस्थिति नामावली आदि को अदत्त मजदूरी सहित, यदि कोई हो, वापस करें, तब वास्तव में प्रदत्त राशि को तत्सबंधी निर्माण कार्यों और सेवाओं को डेबिट कर देना चाहिए और अदत्त राशि को रोकड़ के शेष में लौटा देना चाहिए । दौरे पर जाते समय जब संवितरण अधिकारी संवितरण के लिए रोकड़ निकालता है तब भी यही प्रक्रिया होनी चाहिए ।

8. All payments must be debited at once to the work or service on account of which they are made. Money advanced to a subordinate for disbursement to labourers, etc., at a distance should be noted in the cash book in red ink as a temporary advance, in the manner followed when regular imprests are first made and when the subordinate returns the duly certified muster rolls, etc., with the unpaid wages, if any, the amounts actually paid should be debited to the works or services concerned, the amount unpaid being returned into the cash balance. A similar procedure should be observed when the Disbursing Officer removes cash from his chest and takes it with him on tour for disbursement.

9. जब किसी सरकारी कर्मचारी को उसके स्थानांतरण पर संवितरण अधिकारी के हस्तस्थ रोकड़ में से पेशगी राशि दी जाती है जिसकी आपूर्ति बिल के बाद में भुनाए जाने से होती है तो पेशगी के रूप में दी गई उस राशि को बाद में अंतिम लेन देन के रूप में दर्ज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अस्थायी पेशगी के रूप में दर्ज करना चाहिए ताकि वह राशि उस रोकड़ शेष का अंश बना रहे जिस के लिए संवितरण अधिकारी उत्तरदायी होता है ।

9. When an advance on transfer is made to a Government servant from the cash in the hands of the Disbursing Officer pending recoupment when the bill is encashed subsequently, the amount thus advanced should not be entered as a final transaction in the cash book but recorded as a temporary advance so that the amount may continue to form part of cash balance for which the disbursing officer is responsible.

10. गतावधिक, रद्द किये गये तथा खोये गए चैकों पर कार्रवाई करने से सम्बन्धित प्रक्रिया केन्द्रीय सरकार का लेखा (प्राप्तियाँ और अदायगियाँ) नियम, 1983 के पैरा 46 में निर्धारित है ।

10. The procedure for dealing with time-expired, cancelled and lost cheques is prescribed in paragraphs 46 of the Central Government Accounts (Receipts and Payments) Rules, 1983.

11. महीने के अन्त में रोकड़ बही में रोकड़ शेष का ब्यौरा इस प्रकार पाद टिप्पणी में देना चाहिए :—

11. The cash balance at the end of the month should be detailed thus in a note at foot of the cash book:—

	रु.	नं०
तिजोरी में रोकड़	7	56
श्री 'अ' के पास अग्रदाय है.........	100	00
श्री............के पास अस्थायी पेशगी	50	00
	157	56

(केवल एक सौ सत्तावन रुपये छप्पन पैसे)

	Rs.	P.
Cash in chest................................	7	56
Imprest with Mr. A.....................	100	00
Temporary Advance with Mr.	50	00
	157	56

(Rupees one hundred fiftyseven and Paise fifty-six only.)

12. रोकडवहियों पर पृष्ट संख्या मशीन से अंकित होनी चाहिए । जहा तक सम्भव हो ; कोई भी पंक्ति खाली नही छोडनी चाहिए, किन्तु उसी पन्ने के दूसरे पृष्ठ पर पूरी तरह लिखें जाने के कारण यदि रोकड़ वही के किसी पृष्ठ पर कोई जगह खाली छोडनी पडती है तो उस खाली जगह को काटने के लिए एक तिरछी रेखा खींच देनी चाहिए ताकि उस पर बाद में कोई प्रविष्टि करना सम्भव न हो सके । जहां तक सम्भव हो, प्रविष्टि में अन्तर्वेशन नहीं करना चाहिए , किन्तु यदि दो रेखाओं के बीच कोई प्रविष्टि या कुछ और परिवर्धन करना या पहले से की गई प्रविष्टियों के बीच अन्तवेशन करना आवश्यक हो जाए तो ऐसे परिवर्धन को सदैव संवितरण अधिकारी से तारीख सहित आद्यक्षर द्वारा साक्ष्यांकित कर देना चहिए ।

12. Cash books should have their pages machine-numbered. As far as possible, no lines should be left blank, but if any space on a page of the cash book has to be left blank owing to the whole of the other page of the same folio being written up completely, a diagonal line should be drawn to cancel the blank space, so that it may not be possible to make any subsequent entries therein. Interpolatic entries should be avoided as far as possible, but when it becomes necessary to make any entries between two ruled lines or to make any addition to, or interpolations between, entries already made, such additions should invariably be attested by the dated initials of the Disbursing Officer.

आ०पु०स०नि०-1
ASIW-1

[पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता का पैरा 5.2.2-टिप्पण 2, तथा 14.2.1(क) (ii) देखिए]
[Referred to in para 5.2.2-Note 2, and 14.2.1(a)(ii) of the Archaeological Works Code]

प्राप्ति पक्ष
RECEIPT SIDE

प्राप्ति की तारीख Date of Receipt	वाउचर या आवर्ती की संख्या No. of Vouchers or Receipt	किससे प्राप्त हुआ From whom received	प्राप्ति की विधि चैक या रोकड़ Mode of Receipt Cheque or Cash	प्राप्त की गयी राशि AMOUNT RECEIVED						जोड़ Total	वर्गीकरण Classification	साक्ष्यांकन Attestation
				विशेष मरम्मत कार्य S.R. Works	वार्षिक रखरखाव तथा अनुरक्षण कार्य A.M. & U.K. Works	मौलिक कार्य Original Works	अन्य प्रभार Other Charges	कार्यालय व्यय Office Expenses	विविध Miscellaneous			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10(a)	11	12

भुगतान पक्ष
PAYMENT SIDE

भुगतान की तारीख Date of payment	वाउचर संख्या No. of vouchers	किसे भुगतान किया गया To whom paid	भुगतान विधि नकद या चैक द्वारा, चैक की संख्या आदि Mode of payment cash or cheque giving cheque No. etc.	भुगतान की गयी राशि AMOUNT PAID						जोड़ Total	वर्गीकरण Classification	साक्ष्यांकन Attestation
				विशेष मरम्मत कार्य S.R. Works	वार्षिक रखरखाव तथा अनुरक्षण कार्य A.M. & U.K. Works	मौलिक कार्य Original Works	अन्य प्रभार Other charges	कार्यालय व्यय Office Expenses	विविध Miscellaneous			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22(a)	23	24

भा० पु० स० नि०-2
ASIW-2

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

[पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता का पैरा 14.2.1(a)(ii) देखिए]
[Referred to in para 14.2.1(d)(ii) of the A. W. Code]

राज्य
State
शाखा
Branch

मंडल/शाखा
Circle/Branch
उप-मंडल
Sub-Circle

प्राक्कलन की स्वीकृति का रजिस्टर
Register of sanctioned estimates

मद संख्या Item No.	निर्माण कार्य का नाम Name of work	प्राक्कलन की राशि Amount of Estimate रु./Rs.	प्राधिकार का संदर्भ Reference to authority			निर्माण कार्य के रजिस्टर के पन्ने तथा समापन प्रतिवेदन या प्रतिवेदन का संदर्भ दें Reference to folio in the register of works and to the completion certificate or report
			प्राधिकार Authority	संख्या No.	तारीख Date	

भा० पु० स० नि०-3
ASIW-3

राज्य
State

मंडल/शाखा
Circle/Branch

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता का पैरा 14.2.1(ग) देखिए)
(Referred to in para 14.2.1(c) of the A. W. Code)

————मंडल/शाखा के लिए प्राप्त निविदाओं का रजिस्टर
Register of tenders received in the...............Circle/Branch

प्राक्कलन की राशि .... रुपये निर्माण कार्य की अनुमानित राशि.................रुपये
Amount of estimate, Rupees ....Probable amount of work, Rupees..........

क्रम संख्या Serial No.	निविदा प्राप्ति की तारीख Date of receipt of tender	निविदादाता का नाम Name of tenderer	दी गई दर का प्रतिशत प्राक्कलन से कम या अधिक है Rate tendered per cent less or more than the estimate	निविदादाता कितने समय में निर्माण कार्य को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है Time in which tenderer proposes to finish the work	बयाने की राशि Earnest money		अभ्युक्तियां Remarks
					जमा की गई राशि Amount deposited	रोकड़ बही की प्रविष्टि या लौटाई गई राशि के संबंध में निविदाता की रसीदी प्राप्ति का संदर्भ Reference to entry in cash book or stamped receipt of the tenderer for the amount returned	
1	2	3	4	5	6	7	

1—112 D. G. Arch Survey (ND)/83

भा० पु० स० नि०-4
ASIW-4

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA
(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता का पैरा 14.2.1(ग) देखिए)
(Referred to in para 14.2.1(c) of A. W. Code)

राज्य
State

शाखा
Branch

मंडल/शाखा
Circle/Branch

उप मंडल
Sub-Circle

प्राप्त प्रतिशत दर या एक मुश्त निविदाओं का तुलनात्मक विवरण
Comparative statement of percentage rate tenders received for

निर्माण कार्य का नाम
Name of work

क्रम संख्या Serial No.	ठेकेदार का नाम Name of Contractor	*मोहर बंद निविदा प्राप्ति की तारीख Date of receipt of sealed tenders*	*ठेके संबंधी कागजात में दर्ज दर कितना प्रतिशत कम या अधिक है Percentage above or below the rate entered in contract documents	अभ्युक्तियां (अनुशंसा आदि के संबंध में या ठेके संबंधी कागजात या निविदा आमंत्रित करने वाली सूचना की शर्तों से यदि ठेकेदार विचलित हो गया हो) Remarks (as to recommendation, etc. or any deviations made by Contractor from the conditions of contract documents or of the notice inviting tenders

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दर्ज की गई निविदाएं खोलने के समय उचित प्रकार से मोहर बंद पाई गई।
Certified that all the tender entered above were, at the time of their opening, found to be properly sealed.

मंडल/शाखा अधिकारी
Circle/Branch Officer

*निविदाएं जैसे ही प्राप्त हों जवाब देह अधिकारी द्वारा भरा जाए।
*To be filled in as tenders are received by the responsible officer.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA
(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता का पैरा 14.2.1(ग) देखिए)
(Referred in to para 14.2.1(c) A. W. Code)

भा० पु० स० नि०-5
ASIW-5

राज्य
State

शाखा
Branch

मंडल/शाखा
Circle/Branch

उप मंडल
Sub-Circle

प्राप्त प्रतिमद दर या एक मुश्त निविदाओं का तुलनात्मक विवरण
Comparative statement of item rate or lump sum tenders received for

क्रम संख्या Serial No.	मदों, निर्माण कार्यों या पूर्तियों का विवरण Description of items, works or supplied	ठेके संबंधी कागजात के अनुसार As per Contract documents				*		*			
		मात्रा Quantity	दर Rate	यूनिट Unit	लागत Cost	दर Rate	लागत Cost	दर Rate	लागत Cost	दर Rate	लागत Cost

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दर्ज की गई निविदाएं खोलने के समय उचित प्रकार से मोहर बंद पाई गई।
Certified that all the tenders entered above were, at the time of their opening, found to be properly sealed.

मंडल/शाखा अधिकारी
Circle/Branch Officer.

*मोहरबंद निविदा की प्राप्ति की तारीख सहित ठेकेदारों के नाम
*Names of Contractors with date of receipt of sealed tender.

भा०पु०स०नि०-6
ASIW-6

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

मंडल/शाखा
Circle/Branch

उप मंडल
Sub-Circle

निविदा आमंत्रण सूचना
NOTICE INVITING TENDERS

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता पैरा 13–1–1 से 13–1–6)
(A. W. Code Para 13.1.1 to 13.1.6)

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से.......... .... के लिए जिसकी अनुमानित लागत ....रुपये है एतद्द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं ।

Tenders are hereby invited on behalf of the President of India for...........Estimated cost of.. ....

2. ठेका सम्बन्धी दस्तावेज, जिनमें ब्यौरेवार/रेखांक, पूर्ण विनिर्देश, विभिन्न वर्गों के लिए किये जाने वाले कार्य की मात्राओं की अनुसूची, और "ठेके की शर्तों" का सेट जिनका उस व्यक्ति द्वारा अनुपालन किया जाता है, जिसकी निविदा स्वीकृत हो जाए और जो निविदा प्ररूप में छपी हुई भी मिल सकेंगी, शामिल है, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों के अतिरिक्त प्रतिदिन 11 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न के बीच मंडल/उप मंडल कार्यालय में देखे जा सकते हैं/क्रय किए जा सकते हैं ।

Contract documents consisting of the detailed plans, complete specifications, the schedule of quantities of the various classes of work to be done, and the set of 'conditions of contract' to be complied with by the person whose tenders may be accepted, which will also be found printed in the form of tenders, can be seen/purchased at the Circle/Sub-Circle Office between the hours of 11 A.M. and 4 P.M. every day, except on Sunday and Public holidays.

2(क) काम के लिए जगह उपलब्ध है/या काम के लिए जगह नीचे विनिर्दिष्ट रूप में उपलब्ध करा दी जाएगी ।

The site for the work is available/or the site for the work shall be made available in parts as specified below.

3. निविदाएं, जो हमेशा मुहरबंद लिफाफे में रखी जानी चाहिए और उन लिफाफों पर कार्य का नाम लिखा जाना चाहिए .... मंडल/उप मंडल/उप के मंडल मंडल/उपमंडल अधिकारी द्वारा तारीख .....19 को.........बजे तक प्राप्त की जाएंगी और उसी दिन .... दर्जे तक उनके द्वारा अपने कार्यालय में खोली जाएगी ।

Tenders, which should always be placed in sealed cover, the name of the work written on the envelopes will be received by the Circle/Sub-Circle Officer...........Circle/Sub-circle upto.........19 and will be opened by him in his office on the same day at...........

4. निविदाएं भा० पु० स० नि० प्ररूप 29/30/30क पर होंगी, जो संबंधित/मंडल/उप-मंडल अधिकारी के कार्यालय से .... रुपये की राशि नकद देकर प्राप्त की जा सकती हैं । कार्य पूरा करने के लिए अनुज्ञात समय कार्य आरम्भ करने के लिखित आदेशों की तारीख के पश्चात् पन्द्रहवें दिन से .... का होगा ।

Tenders are to be on ASIW form No. 29/30/30(a) which can be obtained from the office of Circle/Sub-circle officer concerned on payment of a sum of Rs. .... in cash. The time allowed for carrying out of the work will be..............from the fifteenth day after the date of written orders to commence work.

5. ठेकेदारों को वह दर और रकम, जिसके लिए उन्होंने निविदा दी है, अंकों में और शब्दों में भी लिखनी चाहिए । प्रत्येक मद् के लिए रकम हिसाब लगाकर लिखी जानी चाहिए ।

The contractors should quote in figures as well as in words the rate, and amount tendered by them. The amount for each item should be worked out and the requisite totals given.

6. यदि कोई ठेकेदार अपनी निविदा पर किसी भारतीय भाषा में हस्ताक्षर करे तो भा० पु० स० नि० प्ररूप 7 की दशा में अधिक या कम प्रतिशतता तथा निश्चित रकम और भा०पु०स०नि० प्ररूप 8 की दशा में निविदत्त कुल रकम भी उसी भाषा में लिखी जानी चाहिए । यदि ठेकेदार निरक्षर हो तो निविदन दरें या रकमें किसी गवाह द्वारा सत्यापित होनी चाहिए ।

When a contractor signs a tender in an Indian language, the percentage above or below and the tendered amount in the case of ASIW form No. 7 and the total amount tendered in the case of ASIW form No. 8 and it should also be written in the same language. In the case of illiterate contractors the rates on the amounts rendered should be attested by a witness.

7. निविदाएं खोलन के लिए नियत तारीख से दो दिन पहले निविदा प्ररूप का जारी करना बन्द कर दिया जाएगा ।

Issue of tender form will be stopped two days before the date fixed for the opening of tenders.

8. अग्रिम धन, जो (यदि छूट न मिली हो तो) .... रु० के बराबर होगा, करेंसी नोटों/प्राप्ति अंकित खजाना-चलान/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गारंटी शुदा अनुसूचित बैंकों की मांग पर जमा-रसीद के रूप में प्रत्येक निविदा के साथ अवश्य होना चाहिए और प्रत्येक निविदा मुहरबंद लिफाफे में होगी, जिस पर .... के लिए निविदा लिखा होगा और वह ..... मंडल/उपमंडल के .... अधिकारी को संबोधित होगी ।

Earnest money, amount to Rs. .... (unless exempted) in currency Notes/Receipted Treasury Challan/Deposit Call Receipt of a Scheduled Bank guaranteed by the Reserve Bank of India must accompany each tender and each tender is to be in a sealed cover superscribed 'Tender for......' and addressed to the Circle/Sub-Circle officer.........Circle/Sub-Circle.

9. उस ठेकेदार से, जिसकी निविदा मंजूर होगी, (यदि छूट न मिली हो तो) अपना ठेका उचित रूप से पूरा करने के लिए प्रतिभूति निक्षेप के रूप में निम्नलिखित राशि जमा करने की अपेक्षा की जाएगी, :

(i) एक लाख रुपये तक की लागत के निर्माण कार्यों के लिए अनुमानित लागत का 10 ।

(ii) एक लाख रूपये से अधिक और दो लाख रूपये की लागत के निर्माण कार्यों के लिए पहले एक लाख पर 10% और शेष पर 7½% ।

(iii) दो लाख रुपये से अधिक की लागत के निर्माण कार्यों के लिए पहले एक लाख रूपये हर 10%, दूसरे एक लाख रूपय 7½% और शेष पर 5%, पर शर्त है कि वह एक लाख रूपये से अधिक न होगी ।

The Contractor, whose tender is accepted (unless exempted) will be required to furnish by way of security deposit for the due fulfilment of his contract, such sum as will amount:

(i) For works costing upto Rs. 1 lakh 10% of the estimated cost.

(ii) For works costing Rs. 1 lakh and upto 2 lakhs on 10% on the first Rs. 1 lakh and 7½% the balance.

(iii) For work costing more than Rs. 2 lakhs, 10% of the first Rs. 1 lakhs, 7½% on the next Rs. 1 lakh and 5% on the balance subject to a maximum of Rs. 1 lakh.

10. प्रतिभति निक्षेप का ऊपर उल्लिखित दरों पर ठकेदार के चालू बिलों में से कटौतियां करके, संग्रह किया जाएगा और यदि अग्रिम धन निविदाओं के समय नगद जमा किया गया हो तो वह प्रतिभूति निक्षेप का भाग समझा जाएगा। प्रतिभूति की रकम नकद या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी स्वीकार की जाएगी। अनुसूचित बकों तथा भारतीय स्टेट बक की आवधिक जमा रसीद और गारंटी-बांड भी इसके लिए स्वीकार किए जाएंग परन्तु यह तब, जब भारतीय रिजर्व बैंक से उनकी पुष्टि की सूचना प्राप्त हो जाए।

The security deposit will be collected by deductions from the running bills of the contractor at the rates mentioned above and the earnest money if deposited in cash at the time of tenders, will be treated as a part of the Security Deposit. The Security amount will also be accepted in cash or in the shape of Government Securities. Fixed desposit Receipt and Guarantee Bonds of Scheduled Banks and State Bank of India will also be accepted for this purpose provided confirmatory advise is forthcoming from the Reserve Bank of India.

10A. निविदा की मंजूरी .... मंडल/शाखा/अधीक्षक पुरातत्वविद् की मर्जी पर होगी जो न्यूनतम निविदा मंजूर करने के लिए अपने आप को आवद्ध नहीं करता है और प्राप्त हुई निविदाओं में से कोई एक या सभी, बिना कोई कारण बताए, नामंजूर करने का अधिकार अपने लिए आरक्षित रखता है। सभी निविदाएं जिनमें विहित शर्तों में से कोई पूरी नहीं होती या जो किसी भी रूप स अधूरी हों, नामंजूर की जा सकती है।

The acceptance of a tender will rest with the Supdg. Archaeologist.........Circle/Branch who does not bind himself to accept the lowest tender, and reserves to himself/the authority to reject any or all of the tenders received without the assignment of a reason. All tenders in which any of the prescribed conditions are not fulfilled or are incomplete in any respect are liable to be rejected.

11. निविदाओं के सम्बन्ध में संयाचना करने की सख्त मनाही है और व निविदाएं जो एसे ठकदारों द्वारा भेजी गयी हों, जो संयाचना करते हैं, नामजूर की जा सकगी।

Canvassing in connection with tenders is strictly prohibited and the tenders submitted by the contractors who resort to canvassing will be liable to rejection.

12. सभी दरें निविदा के उचित प्ररूप पर ही कोट की जाएंगी।

All rates shall be quoted on the proper form of the tender alone.

13. कोई मद दर निविदा जिसमें कम या अधिक प्रतिशतता सम्मिलित होगी संक्षेपतः नामंजूर कर दी जाएगी। किन्तु यदि कोई निविदाकार स्वेच्छया किसी नियत अवधि के अंदर संदाय के लिए किसी रिबेट की प्रस्थापना करता है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

An item rate tender containing percentage below/above will be summarily rejected. However, where a tenderer voluntarily offers a rebate for payment within a stipulated period, this may be considered.

14. निविदा मंजूर होने पर ठेकेदार के प्रत्याशित प्रतिनिधि (यों) (का) (के) नाम जो भारसाधक संरक्षक सहायक/उद्यान कृषि सहायक से अनुदेश प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा (होंगे) भारसाधक संरक्षण सहायक/उद्यान कृषि सहायक को सूचित किया (किये) जाए (जाएंगे)।

On acceptance of the tender, the name of the accredited representative(s) of the contractor who would be responsible for taking instructions from the Conservation Assistant/Horticulture Assistant incharge shall be communicated to Conservation Assistant/Horticulture Assistant.

15. इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दरें, अंकों और शब्दों में भी तथा रकम केवल अंकों में इस प्रकार लिखी जानी चाहिए कि उसमें बढ़ाकर कुछ और लिखना सम्भव न हो। कुल रकम अंकों और शब्दों में, दोनों में, लिखी जानी चाहिए। अंकों के मामले में (रु०) शब्द रुपये के अंकों के पहले और "पै०" शब्द दशमलव अंकों के बाद लिखा जाना चाहिए, उदाहरण के लिए "रु० 2.15 पै०" और शब्दों के मामले में "रुपये" शब्द आरम्भ में और "पैसे" शब्द अंत में लिख जाने चाहिए। मात्रा अनुसूची में दर कोट करते समय "मात्र" शब्द रकम के बाद उससे मिलाकर लिखा जाना चाहिए और यह दूसरी पंक्ति में नहीं लिखा जाना चाहिए।

Special care should be taken to write the rates in figures as well as in words, and the amounts in figures only in such a way that interpolation is not possible. The total amount should be written both in figures and in words, in case of figures, the word 'Rs.' should be written before the figure of rupees and words 'P' after the decimal figure e.g. Rs. 2.15 P. and in case of words, the word 'Rupees' should proceed and the word 'Paise' should be written at the end, unless the rate is in whole rupees and followed by the words 'only', it should invariably be upto two decimal places. While quoting the rate in schedule of quantities, the word 'only' should be written closely following the amount and it should not be written in the next line.

16. भारत के राष्ट्रपति न्यूनतम या कोई निविदा स्वीकार करने के लिए अपने आप को आबद्ध नहीं करते हैं और पूरी निविदा या उसका कोई भी भाग स्वीकार करने का अधिकार अपने लिए आरक्षित रखते हैं, और निविदाकार कोट की हुई दर पर उसे करने के लिए आबद्ध होगा।

The President of India does not bind himself to accept the lowest or any tender and reserves to himself the right of accepting the whole or any part of the tender and the tenderer shall be bound to perform the work at the rate quoted.

17. इस ठेके के सम्बन्ध में सामग्री पर बिक्री-कर या अन्य कोई कर ठेकेदार द्वारा देय होगा और इस संबंध में सरकार कोई भी दावा स्वीकार नहीं करेगी।

Sales tax or any other tax on material in respect of this contract shall be payable by the contractor and Govt. will not entertain any claim whatsoever in this respect.

18. ठकेदार को, उसे निविदा कागजपत्रों का विक्रय किए जाने के पूर्व आयकर बेबाकी प्रमाण पत्र पेश करना होगा।

The contractor must produce Income-Tax clearance certificate before the tender papers can be sold to him.

19. ठेकेदार को, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किसी मंडल/शाखा (जो ठेके देने और उसके निष्पादन के लिए उत्तरदायी है) जिनमें ठेकेदार या नजदीकी रिश्तेदार कनिष्ठ लेखा अधिकारी या अधीक्षक पुरातत्वविद् अथवा उपअधीक्षक पुरातत्त्वविद् या उपाधीक्षक पुरातत्त्वविद् अभियंता की श्रेणियों के बीच (जिसमें ये दोनों श्रेणियां भी सम्मिलित है) किसी भी हैसियत से अधिकारी के रूप में नियुक्त है, कार्यों के लिए निविदा देने की अनुज्ञा नहीं होगी। वह उन व्यक्तियों के नाम भी सूचित करेगा जो उसके पास किसी भी हैसियत से काम कर रहे हैं या बाद में उसके द्वारा काम पर लगाए जाएं और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के किसी राजपत्रित अधिकारी के नजदीकी रिश्तेदार है। यदि ठेकेदार इस शर्त का कोई भाग भंग करेगा तो उसका नाम इस विभाग की ठेकेदारों की अनुमोदित सूची में से हटाया जा सकेगा।

The contractor shall not be permitted to tender for works in Circle or Branch of the Archaeological Survey of India (responsible for award and execution of contracts) in which his near relative is posted as Junior Accounts Officer or as an officer in any capacity between the grades of Superintending Archaeologist or Dy. Superintending Archaeologist or Dy. Superintending Archaeological Engineer (both inclusive). He shall also intimate the names of persons who are working with him in any capacity or are subsequently employed by him and who are near relatives to any Gazetted Officer in the Archaeological Survey of India or in the Ministry of Education and Culture. Any breach of this condition by the contractor would render him liable to be removed from the approved list of contractors.

20. ठेकेदार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उन राज-पत्रित अधिकारियों की सूची देगा जो उसके रिश्तेदार हैं ।

The contractor shall give a list of non-gazetted Archaeological Survey of India employees related to him.

21. भारत सरकार के किसी इंजीनियरी विभाग में इंजीनियरी या प्रशासनिक कार्यों में लगे हुए राजपत्रित रैंक के किसी इंजीनियर को या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी को सरकारी नौकरी से सेवा मुक्त होने पर दो साल तक, भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना ठेकेदार की हैसियत से काम करने की इजाजत नहीं है । यदि किसी समय यह पाया जाए कि ठेकेदार या उसका कोई कर्मचारी ऐसा व्यक्ति है जिसने निविदा देने से पहले या ठेकेदार की सेवा में लगने से पहले भारत सरकार से उक्त अनुमति नहीं ली थी, तो वह ठेका रद्द किया जा सकता है ।

No Engineer of Gazetted rank or other Gazetted Officer employed in Engineering or Administrative duties in an Engineering Department of the Government of India is allowed to work as a contractor for a period of two years of the date of his retirement from Government service, without the previous permission of the Government of India. This contract is liable to be cancelled if either the contractor or any of his employees is found at any time to be such a person who had not obtained the permission of the Government of India as aforesaid before submission of the tender or engagement in the contractor's service.

22. कार्यों के लिए निविदा, निविदाओं के खुलने की तारीख से नव्वे दिन की अवधि तक स्वीकृति के लिए खुली रहेगी । यदि कोई निविदाकार उक्त अवधि के पहले अपनी निविदा वापस ले लेता है या निविदा की शर्तों और निबन्धनों में कोई ऐसे संशोधन करता है जो विभाग को स्वीकार्य नहीं है, तो सरकार किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त अग्रिम धन का 10% पूर्णतया समपहृत करने के लिए स्वतंत्र होगी ।

The tender for works shall remain open for acceptance for a period of ninety days from the date of opening of tenders. If any tenderer withdraws his tender before the said period or makes any modifications in the terms and conditions of the tender which are not acceptable to the Department, then the Government shall without prejudice to any other right or remedy, be at liberty to forfeit 10% of the said earnest money absolutely.

23. जिन ठेकेदारों को किन्हीं विशेष मामलों में अग्रिम धन/प्रतिभूति-निक्षेप के संदाय से छूट प्राप्त है उन्हें मुख्य इंजीनियर के उस पक्ष की अनुप्रमाणित प्रति-लिपि निविदा के साथ लगानी चाहिए जिसमें उन्हें अग्रिम धन/अग्रिम धन और प्रतिभूति निक्षेप के संदाय से छूट दी गई है और जब कभी उसकी मूल प्रति मांगी जाए तब पेश करनी चाहिए ।

The contractors exempted from payment of earnest money/security deposit in individual cases should attach with the tender an attested copy of the Director General's letter exempting them from the payment of earnest money/security deposit and should produce the original whenever called upon to do so.

24. कार्य की निविदा में कोई ऐसा ठेकेदार या ऐसे ठेकेदार साथी नहीं होंगे जिसने/जिन्होंने स्वयं उसी काम के लिए निविदा दी हो या जो उसी काम के लिए निविदा दे सकते हों । इस शर्त का पालन न करने पर निविदा देने वाल और निविदा के साक्षी होने वाले ठेकेदारों की निविदाएं संक्षेपतः नामंजूर की जा सकेंगी ।

The tender for the work shall not be witnessed by a contractor or contractors who himself/themselves has/have tendered or who may and has/have tendered for the same work. Failure to observe this condition would render/renders the contractors tendering as well as witnessing the tender liable to summary rejection.

25. संयुक्त कार्य के लिए निविदा में स्वच्छता तथा जल प्रदाय संस्थापनाएं, विद्युत संकर्म और उद्यान कृषि संकर्म शामिल है ।

The tender for the composite work includes the sanitary and water supply installations, Electrical works and Horticulture works.

26. निविदाकार के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह सभी घटकों के लिए निविदा दे और निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें, और काम मिलने के बाद उसे प्रत्येक घटक के लिए सम्बन्धित सक्षम अधिकारी, अर्थात् (निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम के साथ एक करार करना होगा ।

It will be obligatory on the part of the tenderer to tender and sign the tender documents for all the components/parts and that, after the work is awarded, he will have to enter into an agreement for each component with the competent officer concerned viz:—
(Name and designation of the Officer inviting tender).

27. निविदाकार को श्रेणी I (भवन और मार्ग) ठेकेदार होने के बावजूद उन्हें उपयुक्त श्रेणी के उन अभिकरणों से सम्पर्क रखना आवश्यक होगा जो (i) विद्युत (ii) स्वच्छता एवं जलप्रदाय संस्थानों और (iii) उद्यानकृषि कार्यों के लिए निविदा देने योग्य हों ।

The tenderer apart from being a class I (B & R) contractor must associate himself with agencies of the appropriate class which are eligible to tender for (i) Electrical, (ii) Sanitary and water Supply Installations and (iii) Horticulture.

28. ठेकेदार उन कामों की सूची जो उसके हाथ में (चालू हालत में) है निम्नलिखित पर प्ररूप प्रस्तुत करेगा :

The contractor shall submit list of works which are in hand (Progress) in the following form :—

निर्माण कार्य का नाम Name of work	उस मंडल का नाम और विवरण जहां कार्य किया जा रहा है । Name and Particulars of Division where work is being executed.	कार्य की रकम Amount of work	चालू कार्यों की स्थिति Position of works in in progress	अभ्युक्तियां Remarks
1	2	3	4	5

....
....
मंडल अधिकारी/शाखा अधिकारी
————— का हस्ताक्षर
उपमंडल अधिकारी

Circle/Branch Officer
Signature of ————
Sub-Circle Officer

मंडल/Circle
————
उपमंडल/Sub-Circle

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से
for and on behalf of the President of India

आ० पु० स० फि०-7
ASIW-7

माप पुस्तकों का राजस्टर

REGISTER OF MEASUREMENT BOOKS

[पुरातत्व नि० का० संहिता पैरा 14.2.1 (ख) (II) में निर्दिष्ट]

[Referred to in paragraphs 14.2.1 (b) (ii) of A-W. ckde]

मंडल/शाखा
Circle/Branch......................

उप मंडल/शाखा
Sub-Circle/Branch......................

भाग I साधारण माप पस्तकों के लिए
PART I—FOR ORDINARY MEASUREMENT BOOKS

पुस्तक की क्रम संख्या Serial No. of Book	उप मंडल/शाखा / अधीनस्थ का नाम जिसे दी गई* (मंडल / शाखा उप मंडल कार्यालय में उसके उपयोगानुसार इसे संशोधन किया जाए Name of Sub-Circle/Branch / Subordinate to whom issued* (to be corrected according to its use in the Branch/ or Sub-circle office)	निर्गम की तारीख Date of issue	वापसी की तारीख Date of return	वह वर्ष जिसके अंतिम दिन से परीक्षण की अवधि पूरी की जाएगी Year from the last day of which period of preservation is to be completed	अभ्युक्तियां Remarks

आ०पु०स०फि०-8
ASIW-8

भाग II -मानक माप पुस्तकों के लिए
PART II FOR STANDARD MEASUREMENT BOOKS

(Referred to in Para 14.2.1 (b) (iv) of A. W. code)

वर्ण क्रमानुसार क्रम संख्या Serial No. Alphabetical	मंडल/शाखा Sub-circle	निर्माण कार्यों का विवरण / Particulars of works: भवन का नाम Name of building	पृष्ठ Pages	निम्नलिखित उद्देश्य से किसके द्वारा सही प्रमाणित की गई / By whom certified as corrected to from the basis of: वार्षिक मरम्मत अनुमान के के लिए Annual Repairs Estimates — नाम व पदनाम Name and Designation	तारीख Date	ठेकेदारों की अदायगी के लिए तथा विभागीय खर्चों के लिए Payments to contractors and Expenditure incurred departmentally — नाम व पदनाम Name and Designation	तारीख Date	अभ्युक्तियां REMARKS

आ०पू०स०नि०-9
ASIW-9

ओजार और संयंत्र का रजिस्टर
REGISTER OF TOOLS AND PLANTS
उप मंडल का नाम
Name of the Sub-Circle

........................को अन्त होनेवाला वर्ष
FOR THE YEAR ENDING........
मंडल/शाखा................................
Circle/Branch.....................

(पू० नि० का० सं०के पैरा 14.2.1.(ड़)(i) में निर्दिष्ट)
[Referred to in para 14.2.1 (e) (i) of the A.W. code]

मद संख्या Item No.	वस्तु का नाम Name of Article	अग्रेनीत शेष Balance brought forward	मास/वर्ष के दौरान प्राप्तियां Receipts during the month/year	वाउचर सं० और तारीख का हवाला Reference to Voucher No. and date	कुल लागत Total Cost	कुल प्राप्तियां तथा शेष Total Receipts and Balance	मास/वर्ष के दौरान जारी किए गये Issues during the month/year	अंतशेष जो आगे लाया गया Closing balance carried forward	अभ्युक्तियां Remarks (Result of test check by Superior officer)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

आ०पू०स०नि०-10
ASIW-10

ठेकदारों का खाता
CONTRACTOR'S LEDGER

[पू० नि० का० सं० के पैरा 14.22.1., 14.22.3 में निर्दिष्ट और पैरा 14.2.1 देखे]
[Referred to in paragraphs 14.22.1, 14.22.3 and see paragraph 14.2.1 (i) of A.W. Code]

ठेकेदार का नाम
Name of Contractor :—

बिल या वाउचर का ब्योरा Particulars of Bill or Voucher			उचंत शीर्षवार निवल लेन देन Net transactions detailed by suspense Heads			निर्माण कार्य या लेखे का नाम (लाल स्याही से) तथा लेन देन विवरण Name of work or account in red ink and particulars of transactions	सकल लेन देन Gross Transaction		निर्माण कार्य या पूर्तियों का कुल मूल्य Total Value of work or supplies	अभ्युक्तियां Remarks
तारीख Date	संख्या No.	क्रम संख्या यदि चल लेखा बील Serial number if a running account Bill	पेशगी "अदायगियां" ह्रोडेबिट छोड़े क्रेडिट घटायें Advance payments + Debits — Credits	"रक्षित" देशगियां" डबोट जोड़े क्रेडिट घटायें Secured advances + Debits — Credits	"अन्य लेन देन" डबोट जोड़े क्रेडिट घटायें Other transactions + Debits — Credits		डेबिट Debits	क्रेडिट Credits		
1	2	3	4D	5E	6G	7	8H	9F	10A	11

शेष के ब्यौरे
Details of balance

मंडल/शाखा अधिकारी
Circle/Branch Officer

* यह अक्षर प्रत्येक चालू लेखा बिल के विषय में अनुरूपी प्रविष्टियां दर्शाते हैं।
These letters indicate in respect of each Running Account bill with the corresponding entries.

यह फार्म की प्रविष्ट के अनुरुप है ·
This corresponds to entry in form.

जब किसी निर्माण कार्य या लेखे के लिए अनेक ठके हो तो प्रत्येक सबंधित लेन-देनों के लिए करार या निर्माण कार्य आदेश की संख्या और कार्य अलग अलग करना चाहिए।

If there are several contractors in respect of any work or account the transactions relating to each one of them should be distinguished preferably by quoting the number and date of a agreement or work order.

भा. पु. स. नि.-11
ASIW-11

ठेकेदारों को बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप राशि का रजिस्टर
REGISTER OF ERNEST MONEY-SECURITY DEPOSITS BY CONTRACTORS

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता का पैरा 14.2.1 (ग)(iv) देखे)
[Referred to in para 14.2.1 (c)(iv) of A. W. code]

क्रम संख्या S. No.	निविदा आमंत्रित करने वाली नोटीस की संख्या और तारीख No. and date of N. I. T.	निर्माण कार्य का ब्यौरा Particulars of work	फर्म या ठेकेदार का नाम Name of the firm or contractor	बयाना राशि/ प्रतिभूति निक्षेप की राशि Amount of E.M./Security Deposits	उस चालान की संख्या और तारीख जिसके अंतर्गत कालम 5 में निदिष्ट राशि बैंक में जमा की गई Challan No. and date under which the amount in Col. 5 deposited in Bank	सत्यापन Attestation	विमोचित प्रतिभूति निक्षेप या बयाने की राशि Amount of the securtiy deposit or E. M. released	विमोचन आदेश की संख्या और तारीख No. & date of the release order	सत्यापन Attestation
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

भा. पु. स. नि.-12
ASIW-12

अदत्त मजदूरी रजिस्टर
REGISTER OF UNPAID WAGES

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता का [पैरा 14.2.1 (ग) (iii))
[Referred to in paragraph 14.2.1 (e) (iii) of A. W. Code]

निर्माण कार्य का नाम
Name of work................

क्रम संख्या Sl. No.	उपस्थिति नामावली संख्या Muster Roll No.	मजदूर का नाम Name of Labour	पिता या पती का नाम Father's Name or houseband's name	अवधि जिससे राशि संबंधित है Period to which amount relates	देय राशि Amount due रु० पै० Rs. P.	दी गई राशि Amount Paid रु० पै० Rs. P.	उपमंडल अधिकारी के आद्यक्षर Initials of Sr. C.A./C.A./Sr. Hort. Assitt. or Hort Asstt.	रोकड़ वाउचर की संख्या तथा तारीख Cash Voucher No. and Date	अभ्युक्तियाँ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

टिप्पणी : निर्माण कार्य का नाम उससे संबंधित प्रविष्टियों को दर्ज करने से पहले शीर्ष स्थान पर लिख देना चाहिए ।
Note.—The name of work should be mentioned at the top before recording the entries relating that work.

मा० पु० स० नि०-13
ASIW-13

[पु० नि० का० सं० के पैरा नं० 14.2.1 (ख) देखें]
[Referred to in para 14.2.1 (b) of A. W. Code]

..............................मंडल की बिल वही..............................

Bill book of the ——————Division for the year——————

मद की क्रम संख्या S. No. of Item	पाने की तारीख Date of receipt	बिल किस कार्यालय से संबंधित हैं Name of office to which the bill pertains	निर्माण कार्य का नाम Name of work	ठेकेदार का नाम Name of contractor	बिल की राशि Amount of the bill	संदर्भ सं० पृष्ठ (क)(ख) Reference No. page (a)(b)	माप पुस्तिका में पैमाइश लिखने की तारीख Date of record of measurements In M.B.(c)	कार्यपालक सहायक के द्वारा तैयार किए जाने की तारीख (ग) Date of preparation of bill by the executive Assistant	यदि अंतिम बिल हो तो निर्माण कार्य के समापन की तारीख Date of completion of work if final bill	यदि चालू खाता बिल हो तो अंतिम भुगतान की तारीख Date of last payment, if a running acctt. bill	ड भाग में प्राप्त करने वाले लिपिक का हस्ताक्षर Signature of receiving clerk in circle/ Branch	भुगतान की तारीख Date on which payment is made	खजांची के हस्ताक्षर Signature of the cashier	कार्यपालक सहायक को माप-पुस्तिका लौटाये जाने की तारीख Date of return of MB to Executive Asstt.	प्रत्येक वाउचर के संदर्भ में उसकी संख्या और तारीख Ref. in each Vr. No. & Date	प्रधान लिपिक कनिष्ठ लेखा अधिकारी के आद्यक्षर Initial of head-clerk/ JAO	अभ्युक्तियां REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

भा० पु० स० फि०-14

ASIW-14

भारत सरकार
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

कार्य-आदेश
शर्तें

(पु०नि०का०सं०के पैरा 13.8.1 में निर्दिष्ट)

1. भारसाधक अधिकारी निष्पादित कार्य को अपने विवेक के अनुसार स्वीकार या अस्वीकार करेगा।

2. कार्य का भारसाधक अधिकारी या प्राधिकार में उससे ऊंचा कोई अधिकारी किसी समय कार्य-आदेश रद्द कर सकता है और काम रोक सकता है। इसी प्रकार ठेकेदार किसी भी समय कार्य बंद करने के लिए स्वतन्त्र है।

3. कार्य संलग्न विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

4. वहां के सिवाय जहां कि ठेके में अन्यथा उपबन्धित हो, इसमें इसके वर्णित विनिर्देशों, डिजाइनों, आरेखनों और अनुदेशों के अर्थ से संबंधित और कार्य में प्रयुक्त कार्य-कौशल या सामग्री की क्वालिटी के संबंध में या किसी अन्य प्रश्न, दावा, अधिकार, बात या चीज के संबंध में वह चाहे जो भी हो, जो ठेके, डिजाइनों, आरेखनों, विनिर्देशनों, प्राक्कलनों, अनुदेशों, आदेशों या इन शर्तों से किसी प्रकार उद्भूत हुई हो या उससे सम्बद्ध हो, या अन्यथा कार्यों के सम्बन्ध में हो अथवा उनके निष्पादन या निष्पादन में असफलता से सम्बद्ध हो, सभी प्रश्न और विवाद चाहे वे कार्य की प्रगति के दौरान या उसके पूरे हो जाने या परित्याग के पश्चात् उद्भूत हुए हों, विवाद के समय कार्य के भारसाधक महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नियुक्त व्यक्ति के एक मात्र माध्यस्थम को निर्दिष्ट किए जाएंगे। ऐसी नियुक्ति के विरुद्ध यह आक्षेप नहीं होगा कि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ सरकारी सेवक है कि उसे उन बातों के संबंध में, जिनसे उनका सम्बन्ध है, व्यवहार करना पड़ा था और यह कि सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में उसने विवाद या मतभेद वाले विषयों में से सभी पर या किन्हीं पर अपने विचार व्यक्त किए थे। उस मध्यस्थ के, जिसको विवाद मूलतः निर्दिष्ट किया गया है अंतरित होने या अपना पद रिक्त करने पर या किसी कारण-वश कार्य करने में असमर्थ होने पर, ऐसे अंतरण, पद रिक्त करने या कार्य करने में असमर्थ होने के समय महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली ठेके के निबंधनों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा।

GOVERNMENT OF INDIA
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

WORK ORDER
CONDITIONS

[Referred to in para 13.8.1 of A.W. Code]

1. The Officer-in-charge of the work will accept or reject the work executed according to his judgement.

2. This order can be cancelled and the work stopped at any time by the Officer-in-charge of the work, or by any officer superior to him in authority. Similarly, the contractor is at liberty to cease work at any time.

3. The work shall be executed strictly according to the specifications attached.

4. Except where otherwise provided in the contract all questions and disputes relating to the meaning of the specifications, designs, drawings and Instruction hereinbefore mentioned and as to the quality of workmanship or materials used on the work or as to any other question, claim, right, matter or thing whatsoever, in any way arising out of or relating to the contract, designs, drawings, specifications, estimates, instructions, orders or these conditions or otherwise concerning the works, or the execution or failure to execute the same whether arising during the progress of the work or after the completion or abandonment thereof shall be referred to the sole arbitration of the person appointed by the Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi. There will be no objection to any such appointment that the arbitrator so appointed is a Government servant, that he had to deal with the matters to which the contract relates and that in the course of his duties as Government servant he had expressed views on all or any of the matters in dispute of difference. The arbitrator to whom the matter is originally referred being transferred or vacating his office or being unable to act for any reason, the Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi aforesaid at the time of such transfer, vacation of office or inability to act, shall appoint another person to act as arbitrator in accordance with the terms of the contract.

ऐसा व्यक्ति निर्देश के संबंध में उस प्रक्रम से, जिस पर उसके पूर्ववर्ती ने उसे छोड़ा था, आगे कार्यवाही करने के लिए हकदार होगा । इस ठेके का यह भी एक निबंधन है कि महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रशासनिक प्रधान द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सिवाय अन्य किसी व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए और यदि किसी कारण से ऐसा संभव न हो तो विवाद माध्यस्थम् को निर्दिष्ट किया ही नहीं जाएगा ।

Such person shall be entitled to proceed with the reference from the stage at which it was left by his predecessor. It is also a term of this contract that no person other than a person appointed by the Director General, Archaeological Survey of India will act as arbitrator and, if for any reason, that is not possible, the matter is not to be referred to arbitration at all.

यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए माध्यस्थम् अधिनियम 1940 या उसके किसी कानूनी रूपान्तर या पुनराधिनियमित और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, जो तत्समय प्रवृत्त हों, इस खंड के अधीन माध्यस्थम् कार्यवाही पर लागू होंगे ।

Subject as aforesaid the provisions of the Arbitration Act, 1940 or any statutory modification or re-enactment thereof and the rules made thereunder and for the time being in force shall apply to the arbitration proceedings under this clause.

5. सारे निष्पादित कार्य के लिए भुगतान कार्य के भारसाधक अधिकारी द्वारा या उसके आदेश के अन्तर्गत की हुई मापइशों के अनुसार किया जाएगा किसी अनुमान में दी हुई मात्राओं के अनुसार नहीं ।

5. All work executed shall be paid for according to measurements taken by or under the orders of the Officer-in-charge of the work, and not according to the quantity given in say estimate.

ठेकेदार को देय संदाय, यदि वह चाहे तो, सीधे उनको किए जाने के बजाए उसके बैंक को किए जा सकते हैं परन्तु यह तब जबकि ठेकेदार भारसाधक अधिकारी को (1) संदाय प्राप्त करने के लिए बैंक को प्राधिकार प्रदान करने वाले मुख्तारनामे जैसी वैध रूप से मान्य दस्तावेज के रूप में प्राधिकार दे, और (2) उस हिसाब की शुद्धता के बारे में अपनी स्वीकृति दे जिसमें सरकार द्वारा उसको शोध्य राशि बताई गई है या भारसाधक अधिकारी द्वारा हिसाब या दावे के, बैंक को संदाय करके निपटाए जाने से पहले सरकार को प्रस्तुत किए गए बिल या अन्य दावे पर अपने हस्ताक्षर दिखाए । ऐसे बैंक द्वारा दी गई रसीद संदाय के लिए पूर्ण और पर्याप्त उन्मोचन होगी किन्तु, ठेकेदार को, जहां संभव हो, सम्यकतः रसीदयुक्त और उन्मोचित बिल अपने बैंकरों की मार्फत प्रस्तुत करने चाहिए ।

Payments due to the contractor may, if so desired by him, be made to his bank instead of direct to him, provided that the contractor furnishes to the Officer-in-charge of the work (1) authorization in the form of legally valid document such as a power-of-attorney conferring authority on the bank to receive payment, and (2) his own acceptance of the correctness of the account made out as being due to him by Government or his signature on the bill or other claim referred against Government before settlement by the Officer-in-Charge of the account or claim by payment to the bank. While the receipt given by such bank shall constitute a full and sufficient discharge for the payment the contractor should, wherever possible, present his bills duly receipted and discharged through his bankers.

इसमें अंतर्विष्ट कोई बात राष्ट्रपति के संबंध में बैंक के पक्ष में कोई अधिकारी या साम्या सृजित नहीं करेगी।

Nothing herein contained shall operate to create in favour of the bank any rights or equities vis-a-vis the President of India.

6. यदि ठेकेदार या उसके कर्मकार या सेवक किसी ऐसे भवन के, जिसमें वे काम कर रहे हों, किसी भाग को अथवा उस परिसर से, जिस पर कोई कार्य या उसका कोई, भाग निष्पादित किया जा रहा हो, लगे हुए किसी भवन, सड़क, सड़क के मोड़, बाड़, अहाते, पानी के नल, केबल नालियों, विद्युत या टेलीफोन के खंभों या तार

6. If the contractor or his work people or servants shall break, deface, injure or destroy any building, road, road curves, fence, enclosure, water pipes, cables, drains, electric or telephone post or wires, trees, grass or grass land of cultivated ground contiguous to the place where the work is being executed, the

घास या घास के मैदान या जोती गई भूमि को तोड़ेगा विरुपित करेगा नुकसान पहुंचायेगा या नष्ट करेगा तो ठेकेदार उसे अपने खर्च पर ठीक करेगा । उसके इन्कार करने या ठीक न कर पाने पर भारसाधक अधिकारी उसे अन्य कर्मकारों से ठीक करा सकेगा और उसके खर्च की कटौती ऐसी किसी राशि में से जो उस समय या तत्पश्चात किसी समय ठेकेदार को देय हो जाए, करेगा ।

contractor shall make good the same at his own expense, and in the event of his refusing or failing to do so, the damage shall be repaired at his expense by the Officer-in-Charge, who shall deduct the cost from any sums due, or which may become due to the contractor.

7. अठारह वर्ष से कम आयु का कोई श्रमिक कार्य पर नियोजित नहीं किया जाएगा ।

7. No labourer below the age of eighteen years shall be employed on the work·

8. उचित मजदूरी खण्ड (क) ठेकेदार काम पर अपने द्वारा नियोजित श्रमिकों को उचित मजदूरी से कम का संदाय नहीं करेगा । "उचित मजदूरी" से कालानुपाती या भागानुपाती काम के लिए निविदाएं आमंत्रित करते समय अधिसूचित मजदूरी और यदि ऐसी मजदूरी ऐसे अधिसूचित न की गई हो तो उस जिले के, जिसमें यह काम किया गया है, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विहित मजदूरी अभिप्रेत है ।

8. Fair Wage Clause (a) The contractor shall pay not less than fair wage to labourers engaged by him on the work. "Fair wage" means wage whether for time or piece work notified at the time of inviting tenders for the work and where such wages have not been so notified the wages prescribed by the Central Public Works Department for the district in which the work is done.

(ख) ठेकेदार किसी ठेके में तत्प्रतिकूल उपबन्धों के होते हुए, भी, कार्य पर अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित श्रमिकों को, जिनके अंतर्गत ऐसे श्रमिक भी आते हैं जो उक्त कार्य के संबंध में उसके उप-ठेकेदार द्वारा नियोजित किए गए हों, उचित मजदूरी ऐसे दिलवाएगा मानो श्रमिक सीधे उसके द्वारा नियोजित किए गए हों ।

(b) The contractor shall, notwithstanding the provision of any contract to the contrary, cause to be paid a fair wage to labourers indirectly engaged on the work including any labour engaged by his sub-contractors in connection with the said work as if the labourers had been immediately employed by him.

(ग) इस करार में ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले कार्य के निष्पादन के लिए प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: नियोजित सभी श्रमिकों के बारे में मजदूरी के संदाय, मजदूरी की कालावधि, मजदूरी में से कटौतियों को असंदत्त मजदूरियों और अप्राधिकृत कटौतियों की वसूली, मजदूरी वहियों या मजदूरी स्लिपों को बनाए रखने, मजदूरी के मान और नियोजन के अन्य निबन्धनों के प्रकाशन, कालिक विवरणियों के निरीक्षण और प्रस्तुत किए जाने तथा समान प्रकृति के अन्य सभी विषयों के संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा संकलित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ठेकेदार के श्रमिक विनियमों का अनुपालन करेगा या करवाएगा ।

(c) In respect of all labour directly or indirectly employed in the works or the performance of the contractor's part of this agreement, the contractor shall comply with or cause to be complied with the Archaeological Survey of India Contractors' Labour Regulations made by Government from time to time in regard to payment of wages, wage period, deductions from wages, recovery of wages not paid and deductions unauthorisedly made, maintenance of wage register, wage cards, publication of scale of wages and other terms of employment, inspection and submissions of periodical returns and all other matters of a like nature.

(घ) संबंधित मंडल/शाखा अधिकारी को, ठेकेदार को शोध्य धन में से कर्मकारों के फायदे के लिए ठेके की शर्तों की पूर्ति न करने, मजदूरी का संदाय न करने, उसकी या उनकी मजदूरी में से की गई कटौतियों, जो ठेके के उनके निबन्धनों द्वारा न्यायसंगत न हों, या विनियमों का पालन न करने के कारण कर्मकार या कर्मकारों द्वारा उठाई गई

(d) The Circle/Branch Officer concerned shall have the right to deduct, from the moneys due to the contractor, any sum required or estimated to be required for making good the loss suffered by a worker or workers by reasons of non-fulfilment of the conditions of the contract for the benefit of the workers, non-payment of wages or of deductions made

हानि की पूर्ति के लिए अपेक्षित या प्राक्कलित किसी राशि की कटौती करने का अधिकार होगा ।

(च) भारत सरकार के संबंध में, ठेकेदार, अपने उप-ठेकेदारों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के अपने दावे के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पूर्वोक्त विनियमों के अधीन और उनके अनुपालन में किए जाने वाले सभी संदायों के लिए प्राथमिक रूप से दायी होगा ।

(छ) पूर्वोक्त विनियम इस ठेके के भाग रूप समझे जाएंगे और उनका भंग इस ठेके का भंग समझा जाएगा ।

8-अ. इस करार में ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले काम को करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में, ठेकेदार समय-समय पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विरचित सुरक्षा-संहिता के अनुरूप अपने खर्चे पर सुरक्षा के उपबन्ध की व्यवस्था करेगा और वह उनके संबंध में सभी सुविधाओं की व्यवस्था अपने खर्चे पर करेगा । यदि ठेकेदार यथा उपर्युक्त इंतजाम करने और आवश्यक सुविधाओं का उपबन्ध करने में असफल रहेगा तो वह हर व्यतिक्रम के लिए 50 रुपये की शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा और इसके अतिरिक्त भारसाधक इंजीनियर उपर्युक्त इंतजाम करने और इसके अतिरिक्त भारसाधक इंजीनियर उपर्युक्त इंतजाम करने और सुविधाओं का उपबन्ध करने के लिए और इस सम्बन्ध में किए गए खर्चे को ठेकेदार से वसूल करने के लिए स्वतन्त्र होगा ।

सुरिक्षा संहिता—(1) कर्मकारों के लिए, एसे छोटी कालावधि वाले कार्यों को छोड़कर जिनको सीढ़ियों से निरापद रूप से किया जा सकता हो, उन सभी कार्यों के लिए जिनको जमीन से या ठोस निर्माण से निरापद रूप से नहीं किया जा सकता हो, यथोचित पाड़ का उपबन्ध करना चाहिए । जब सीढ़ी उपयोग में लाई जाए तो एक अतिरिक्त श्रमिक सीढ़ी को पकड़ने के लिए नियुक्त किया जाए और यदि सीढ़ी सामग्री ले जाने के लिए भी उपयोग में लाई जाए तो सीढ़ी पर यथोचित पायदानों और हाथ के लिए सहारों की व्यवस्था होगी और सीढ़ी की आनति । पर 1/4 (1 उर्ध्वाधर और 1/4 क्षितिज) के अनुपात से अधिक ढालू न होगी ।

(2) भूमि या फर्श से 3.6 मीटर (12 फुट) से अधिक ऊंचे पाड़ या मंच पर जो उर्ध्वस्थ आधार से झूलता या लटकता हुआ हो, या स्थिर आधार से खड़ा किया गया हो, समुचित रूप से संबद्ध बोल्टयुक्त कसी हुई और अन्यथा मजबूती से बंधी हुई बचाव-रोक होगी जो ऐसे पाड़ या मंच के फर्श या प्लेटफार्म से कम से कम 90 से०मी० (3 फुट) ऊंची होगी और उसके बाहर सिरों पर संपूर्ण

from his or their wages, which are not justified by their terms of the contract or non-observance of the Regulations.

(e) Vis-a-vis the Government of India the contractor shall be primarily liable for all payments to be made under and for the observance of the Regulations aforesaid without prejudice to his right to claim indemnity from his sub-contractors.

(f) The Regulations aforesaid shall be deemed to be a part of this contract and any breach thereof shall be deemed to be a breach of this contract.

8-A. In respect of all labour directly or indirectly employed in the work for the performance of the contractor's part of this agreement the contractor shall at his own expense arrange for the safety provision as per Archaeological Survey of India safety code framed from time to time and shall be at his own expense provide for all facilities in connection therewith. In case the contractor fails to make arrangement and provide necessary facilities as aforesaid he shall be liable to pay a penalty of Rs. 50 for each default and in addition the Engineer-in-charge shall be at liberty to make arrangement and provide facilities as aforesaid and recover the cost incurred in that behalf from the contractor.

Safety Code.—(i) Suitable scaffolds should be provided for workmen for all works that cannot safely be done from the ground, or from solid construction except such short period work as can be done safely from ladders; when a ladder is used an extra Mazdoor shall be engaged for holding the ladder and if the ladder is used for carrying materials as well, suitable footholds and handholds shall be provided on the ladder and the ladder shall be given an inclination not steeper than 1/4 to 1 (1/4 horizontal and 1 vertical).

(ii) Scaffolding or staging more than 3.6 m. (12 Feet) above the ground or floor, swung or suspended from an overhead support or erected with stationary support shall have a guard rail properly attached, bolted, braced and otherwise secured at least 90 cm (3 feet) high above the floor or platform of such scaffolding or staging and extending

लंबाई पर लगी होगी और जिसमें ऐसे द्वार होंगे जो सामग्री के परिदान के लिए आवश्यक हों, ऐसे पाड़ या मंच को ऐसे बांधा जाएगा कि वह भवन या संरचना से झूले नहीं।

(3) कार्य-प्लेटफार्मों, गलियारों और जीनों को ऐसे सन्निर्मित किया जाना चाहिए कि उन पर अनावश्यक असमान रुप से झोल न पड़े और यदि प्लेटफार्म, गलियारा या जीना, भूमि या फर्श स्तर से 3.6 मीटर (12 फुट) से अधिक ऊंचा हो तो उसमें तख्ते पास-पास लगे होने चाहिएं, उसकी पर्याप्त चौड़ाई होनी चाहिए और उसको ऊपर पैरा (2) में यथावर्णित यथोचित रुप से बांधा जाना चाहिए।

(4) भवन या कार्य प्लेटफार्म का हर एक द्वार व्यक्तियों या सामग्री को गिरने से बचाने के लिए यथोचित बाड़े द्वारा या जंगले द्वारा, जिसकी न्यूनतम ऊंचाई 90 स०मी० (3 फुट) होगी, यथोचित रुप से घिरा होना चाहिए।

(5) सभी कार्य प्लेटफार्मों और अन्य कार्य स्थानों तक पहुंचने के लिए निरापद साधनों का उपबन्ध होगा। हर सीढ़ी मजबूती से लगी होनी चाहिए। कोई भी सुवाह्य अकेली सीढ़ी लंबाई में 9 मीटर (30 फुट) से अधिक न होगी जबकि डंडों वाली सीढ़ी में खड़ी रेलों के बीच चौड़ाई, 3 मीटर (10 फुट) तक लंबी सीढ़ी में किसी भी दशा में 29 से०मी० (11½ इंच) से कम न होगी। अधिक लंबी सीढ़ियों में इस चौड़ाई में लम्बाई के हर एक अतिरिक्त 30 से०मी० (1 फुट) के लिए 6 मि० मी० (1/4") की वृद्धि होनी चाहिए। इकसार पौड़ियों के मध्य जगह 30 से०मी० (12 इंच) से अधिक न होगी। वैद्युत उपस्कर से होने वाले खतरे के निवारण के लिए यथायोग्य पूर्वावधानियां रखी जाएंगी। किसी भी कार्यस्थल पर कोई भी सामग्री इस प्रकार नहीं जमा की या रखी जाएगी कि वह किसी व्यक्ति या जनता के लिए खतरा या असुविधा उत्पन्न करे। जनता को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए ठेकेदार सभी आवश्यक बाड़ों और प्रकाश की व्यवस्था करेगा और उक्त पूर्वावधानियों की उपेक्षा के कारण हुई क्षति के लिए किन्हीं व्यक्तियों द्वारा विधि के अधीन लाए गए हर वाद, अनुयोग या अन्य कार्यवाहियों में प्रतिरक्षा के व्ययों का भार उठाने के लिए और ऐसे किन्हीं नुकसानों या खर्चों का संदाय करने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को ऐसे किसी वाद, अनुयोग या कार्यवाही में अधिनिर्णीत किए जाएं या जो, ठेकेदार की सहमति से, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी दावे में समझौता करने के लिए संदत्त किया जाए।

along the entire length of the outside and ends thereof with only such openings as may be necessary for the delivery of materials. Such scaffolding or staging shall be so fastened as to prevent it from swaying from the building or structure.

(iii) Working platform, Gangways and Stairways should be so constructed that they should not sag unduly or unequally and if the height of the platform or the Gangway or the Stairway is more than 3.6 M. (12 feet) above ground level or floor level, they should be closely boarded, should have adequate width and should be suitably fenced, as described in (ii) above.

(iv) Every opening in the floor of a building or in a working platform be provided with suitable means to prevent the fall of persons or materials by providing suitable fencing or railing whose minimum height shall be 90 cm (3'-0").

(v) Safe means of access shall be provided to all working Platforms and other working places. Every ladder shall be securely fixed. No portable single ladder shall be over 9 M. (30 feet) in length while the width between side rails in rung ladder shall in no case be less than 29 cm (11½ Inch) for ladder upto and including 3 M. (10 feet) in length. For longer ladders this width should be increased at atleast 6 mm (¼") for each-additional 30 cm (1 foot) of length. Uniform step spacing shall not exceed 30 cm (12 Inch). Adequate precaution shall be taken to prevent danger from electrical equipment. No material on any of the site of work shall be so stacked or placed as to cause danger or inconvenience to any person or the public. The contractor shall also provide all necessary fencing and lights to protect the public from accident and shall be bound to bear the expenses of defence of every suit, action or other proceedings at law that may be brought by any persons for injury sustained owing to neglect of the above precautions and action or proceeding to any such persons or which may with the consent of the contractor be paid to compromise any claim by any such person.

(6) **उत्खनन और खाई योजना.**— 1.2 मीटर (4 फुट) या अधिक गहरी खाइयों के लिए सभी समयों पर लंबाई के हर एक 30 मीटर (100 फुट) या उसके किसी भाग के लिए कम से कम एक सीढ़ी प्रदाय की जाएगी। सीढ़ी खाई की तली से लेकर भूमि की सतह से कम से कम 90 से०मी० (3 फुट) ऊपर तक होगी। 1.5 मीटर (5 फुट) या अधिक गहरी खाइयों की दीवारें यथोचित ढलान देने के लिए समतल (पक्की) होंगी या उन पर काष्ठ के तख्तों की मजबूत रोक लगी होगी ताकि दीवारों के ढहने का खतरा न रहे। खोदी गई सामग्री खाई के किनारों से 1.5 मीटर (5 फुट) के भीतर या खाई की गहराई के आगे के बराबर दूरी के भीतर, उनमें जो भी अधिक हो, नहीं रखी जाएगी। कटाई शीर्ष से तली तक की जाएगी। किन्हीं भी परिस्थितियों में तलीछेदन या नीचे से कटाई न की जाएगी।

(7) **ढाना.**— ढाने का कोई कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व और कार्य की प्रक्रिया के दौरान भी :

(क) कार्यस्थल के पार्श्वस्थ सभी सड़कें और खुले क्षेत्र या तो बंद कर दिए जाएंगे या उनमें उपयुक्त बचाव की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) ऐसा कोई भी विद्युत केबल या साधित्र जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता हो या आपरेटर द्वारा प्रयुक्त होने वाला केबल या साधित्र विद्युत आवेशित नहीं होगा।

(ग) नियोजित व्यक्तियों को अग्नि या विस्फोट या बाढ़ के खतरे से बचाने के लिये सभी व्यावहारिक कदम उठाये जाएंगे। भवन के किसी भी भाग को मलबे या सामग्री से इतना अतिभारित न किया जाएगा कि वह असुरक्षित हो जाए।

(8) कार्यस्थल पर नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए ऐसे सभी आवश्यक व्यक्तिक सुरक्षा उपस्कर उपलब्ध रखे जाने चाहिएं जो भारसाधक इंजीनियर पर्याप्त समझे और उनको ऐसी हालत में अनुरक्षित रखा जाना चाहिए कि वे तुरन्त उपयोग के लिए उपयुक्त हों, तथा ठेकेदार संबंधित व्यक्तियों द्वारा उनके समुचित उपयोग के सुनिश्चित करने के लिए यथायोग्य कदम उठाएगा।

(क) ऐसफाल्टी सामग्री, सीमेंट और चूने का मसाला मिलाने के लिए नियोजित कर्मकारों को बचाव-जूतें और बचाव-चश्में दिए जाएंगे।

(vi) **Excavation and Trenching.**—All trenches 1.2 M. (4 feet) or more in depth, shall at all times be supplied with at least one ladder for each 30 M. (100 feet) in length or fraction thereof. Ladder shall be extended from bottom of the trench to at least 90 cm (3 feet) above the surface of the ground. The sides of the trenches which are 1·5 M. (5 feet) or more in depth shall be stopped back to give suitable slope, or securely held by timber bracing, so as to avoid the danger of sides to collapse. Excavated materials shall not be placed within 1.5 M. (5 feet) of the edge of the trench or half of the depth of the trench whichever is more. Cutting shall be done from top to bottom. Under no circumstances under mining or under cutting shall be done.

(vii) **Demolition.**—Before any demolition work is commenced and also during the process of the work:—

(a) All roads and open areas adjacent to the work site shall either be closed or suitably protected.

(b) No electric cable or apparatus which is liable to be a source of danger over a cable or apparatus used by the operator shall remain electrically charged.

(c) All practical steps shall be taken to prevent danger to persons employed from risk of fire or explosion or flooding. No floor, roof or part of the building shall be so overloaded with debris or materials as to render it unsafe.

(viii) All necessary personal safety equipment as considered adequate by the Officer-in-Charge should be kept available for the use of the person employed on the site and maintained in a condition suitable for immediate use, and the contractor should take adequate steps to ensure proper use of equipment by those concerned.

(a) Workers employed on mixing asphaltic materials, cement and lime mortars shall be provided with protective footwear and protective goggles.

(ख) सफेदी करने और सीमेंट के बोरों के या ऐसी सामग्री जो आंखों के लिए हानिकर हो, चट्टे लगाने या उनके मिलाने के काम में नियोजित व्यक्तियों को बचाव-चश्मे दिए जाएंगे ।

(ग) झलाई कार्य में नियोजित व्यक्तियों को झलाई-गरों की आंखों की रोशनी के बचाव के लिए काम में आने वाले चश्में दिए जाएंगे ।

(घ) पत्थर तोड़ने वालों के लिए बचाव चश्मों और बचाव-वस्त्रों और पर्याप्त रूप से सुरक्षित दूरी पर बैठने की व्यवस्था होगी ।

(च) जब कर्मकार सीवरों और मैन-होलों में नियोजित किए जाएं जो काम में लाए जा रहे हों, तब ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि मैन-होलों में कर्मकारों के प्रवेश करने के कम से कम एक घंटे पूर्व उनके ढक्कन खोल दिए जाएं और उन्हें संवातित कर दिया जाए तथा ऐसे खोले गए मैन-होलों को, जनता को खतरे से बचाने के लिए यथोचित जंगलों से घेर दिया जाना चाहिए और उन पर चेतावनी सिगनल या बोर्ड लगा दिए जाने चाहिएं ।

(i) सीसा या सीसा उत्पादों को अंतर्विष्ट करने वाला कोई भी पेंट जब तक कि पेस्ट या तयार पट के रूप में न हो, उपयोग में नहीं लाया जाएगा ।

(ii) जब पेंट फुहार द्वारा या ऐसी जगह पर किया जाना हो जिस पर से सीसे का शुष्क रगड़ा या खुरचा गया हो, कर्मकारों के उपयोग के लिए यथोचित मुखपट का प्रदाय किया जाना चाहिए ।

(iii) ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र ठेकेदार द्वारा कर्म-कारों को प्रदत्त किए जाएंगे और कार्य करने वाले पेंटरों के लिए यथायोग्य सुविधाओं का उपलब्ध होना चाहिए कि वे उन वस्त्रों को कार्य बन्द रहने के समय जमा कर सकें ।

(9) जबकि काम किसी ऐसे स्थान के पास किया जाना हो जहां डूबने का जोखिम हो तो सभी आवश्यक उपस्करों का उपबन्ध होना चाहिए और वे उपयोग के लिए तैयार रहने चाहिए और खतरे में पड़े व्यक्ति के तत्पर बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्यवाहियां की जानी चाहिए और कार्य के अनुक्रम में उठाई जा सकने वाली संभाव्य सभी क्षतियों के सत्वर प्राथमिक उपचार के लिए यथायोग्य उपबन्ध किया जाना चाहिए ।

(b) Those engaged in white washing and mixing or stacking of cement bags any material which is injurious to the eyes, shall be provided with protective goggles.

(c) Those engaged in welding works shall be provided with welders protective eye-shields.

(d) Stone breakers shall be provided with protective goggles and protective clothings and seated at sufficiently safe intervals.

(e) When workers are employed in sewers and manholes, which are in use, the contractor shall ensure that the manhole covers are opened and are ventilated at least for an hour before the workers are allowed to get into the manholes, and the manholes so opened shall be cordoned off with suitable railing and provided with wearing signals or boards to prevent accident to the public.

(i) No paint containing lead or lead products shall be used except to the form of paste or readymade paint.

(ii) Suitable face masks should be supplied for use of by the workers when paint is applied in the form of spray or a surface having lead paint dry rubbed and scrapped.

(iii) Overalls shall be supplied by the contractors to the workmen and adequate facilities shall be provided to enable the working painters to store them during the cessation of work.

(ix) When the work is done near any place where there is a risk of drowning all necessary equipments should be provided and kept ready for use and all necessary steps taken for prompt rescue of any person in danger and adequate provision should be made for prompt first aid treatment of all injuries likely to be sustained during the course of the work.

(10) होइस्टिंग मशीन और टैकल, का जिसके अंतर्गत उनकी संलग्नक जकड़ और अवलम्ब आते हैं, उपयोग निम्नलिखित मानक या शर्तों के अनुरूप होगा ।

(1) (क) यह अच्छा यांत्रिक सन्निर्मिति की, सुसामग्री-युक्त और यथायोग्य त्रुटियों से मुक्त होगी और चालू हालत में रखी जाएगी ।

(ख) हर रस्सी, जिसको सामग्रियों को ऊपर उठाने या नीचे लाने/या निलंबन के रूप में उपयोग में लाया जाए, मजबूत क्वालिटी और यथायोग्य दृढ़ता की तथा प्रत्यक्ष त्रुटियों से मुक्त होगी ।

(2) हर क्रेन-चालक या होइस्टिंग साधित्र आपरेटर समुचित रूप से अर्हित होगा और 21 वर्ष से कम आयु वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी होइस्टिंग मशीन का, जिसके अंतर्गत पाड़ विंच आता है, भारसाधक न होगा या आपरेटर को सिगनल न देगा ।

(3) हर होइस्टिंग मशीन और हर चेन रिंग हुक में ऊपर उठाने या नीचे लाने के लिए या निलंबन के साधन स्वरुप उपयुक्त शकल, स्त्रिवेल और पुली ब्लाक का सुरक्षित कार्यकरण वोझ यथायोग्य साधनों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा । ऊपर निर्दिष्ट होइस्टिंग मशीन पर और सभी गियरों पर सुरक्षित कार्यकरण वोझ साफ-साफ चिह्नित होगा । ऐसी होइस्टिंग मशीन की दशा में, जिसका सुरक्षित कार्यकरण वोझ परिवर्तनशील हो, हर एक सुरक्षित कार्यकरण वोझ, उन शर्तों सहित जिनके अधीन वह लागू होता हो, स्पष्ट रूप से उपदर्शित होगा । इस पैरा में ऊपर निर्दिष्ट मशीन या किसी गियर के किसी भी भाग को सुरक्षित कार्यकरण वोझ से अधिक, परीक्षण के प्रयोजन पर के सिवाय, भारित नहीं किया जाएगा ।

(4) विभागीय मशीनों की दशा में सुरक्षित कायकरण वोझ को भारसाधक विद्युत इंजीनियर द्वारा अधिसूचित किया जाएं । जहां तक ठेकेदारों की मशीनों का संवंध है ठेकेदार, जब कभी वह कार्यस्थल पर कोई मशीनरी लाए, मशीन का सुरक्षित कार्यकरण वोझ भारसाधक इंजीनियर को अधिसूचित करेगा और संबंधित विद्युत इंजीनियर से उसका सत्यापन करवाएगा ।

(x) Use of hoisting the machines and tackle including their attachments, anchorage and support shall conform to the following standard or conditions:—

(1) (a) These shall be of good Mechanical construction, sound material and adequate strength and free from patent defect and shall be kept in good repair and in good working order.

(b) Every rope used in hoisting or lowering materials or as a mean of suspension shall be of durable quality and adequate strength, and free from patent defects.

(2) Every crane driver or hoisting appliance operator shall be properly qualified and no person under an age of 21 years should be incharge of any hoisting machine including any scaffold wrench or give signals to the operator.

(3) In the case of every hoisting machine and of every chain ring hook shackle Swival and pulley block used in hoisting or lowering or as means of suspension the safe working load shall be ascertained by adequate means. Every hoisting machine and all gear referred to above shall be plainly marked with the safe working load. In case of a hoisting machine having a variable safe working load, each safe working load of the conditions under which it is applicable shall be clearly indicated. No part of any machine or any gear referred to above in this paragraph shall be loaded beyond the safe working load except for the purpose of testing.

(4) In case of departmental machines, the safe working load shall be notified by the Officer-in-Charge. As regards contractors machines, the contractors shall notify the safe working load of the machine to the Officer-in-Charge whenever he brings any machinery to site of work and get it verified by the Officer concerned.

(11) होइस्टिंग साधित्रों के मोटर, गियरिंग पारेषण, विद्युत वायरिंग और अन्य खतरनाक भागों को निरापद रखने के लिए दक्ष उपबन्ध करना चाहिए। होइस्टिंग साधित्रों में ऐसे साधनों का उपलब्ध होना चाहिए जिससे लदान के अकस्मात नीचे आ जाने की दशा में जोखिम न्यूनतम हो जाए। निलम्बित लदान के किसी भी भाग के अकस्मात विस्थापित हो जाने की दशा में जोखिम को न्यूनतम करने के लिए यथायोग्य पूर्वविधानियाँ बरती जाएं। जबकि कर्मकार ऐसे विद्युत संस्थापन पर नियोजित हों जो पहले से ही ऊर्जित हों, तो उनके लिए आवश्यकतानुसार विसंवाही, चटाइयां, पहनने वाले वस्त्र अर्थात मोजे, बाहें और बूटों का उपबन्ध होना चाहिए। कर्मकारों को अंगूठियां और घड़ियां धारण नहीं करनी चाहिए और चाबियां या अन्य ऐसी सामग्री नहीं ले जानी चाहिए जो विद्युत की सुसंवाहक हों।

(xi) Motors, Gearing, Transmission, Electric wiring and other dangerous parts of hoisting appliances should be provided with efficient safeguards, hoisting appliances should be provided with such means as will reduce to the minimum the risk of accidental descent of the load, adequate precautions should be taken to reduce to the minimum the risk of any part of a suspended load becoming accidentally displaced. When workers employed on electrical installations which are already energised, insulating mats, wearing apparel such as gloves, sleeves and boots as may be necessary should be provided. The workers should not wear any rings, watches and carry keys or other materials which are good conductors of electricity.

(12) सभी पाड़, सीढियां और अन्य सुरक्षा युक्तियों को, जिनको इसमें उल्लिखित या वर्णित किया गया है, सुरक्षित अवस्था में रखा जाना चाहिए और किसी भी पाड़, सीढ़ी या उपस्कर को, जबकि वह उपयोग में हो, परिवर्तित न किया जाएगा या हटाया न जाएगा। कार्यस्थलों पर या उनके निकट यथायोग्य धुलाई सुविधाओं का उपबन्ध होना चाहिए।

(xii) All scaffolds, ladders and other safety devices mentioned or described herein shall be maintained in safe condition and no scaffold, ladder or equipment shall be altered or removed while it is in use. Adequate washing facilities should be provided at or near places of work.

(13) सुरक्षा उपबन्धों को सभी संबंधितों की सूचना के लिए कार्यस्थल के किसी प्रमुख स्थान पर लगे सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करना चाहिए। सुरक्षा संहिता के अनुपालन के लिए ठेकेदार द्वारा उत्तरदायी व्यक्ति का नाम उसमें दिया जाएगा।

(xiii) These safety provisions should be brought to the notice of all concerned by display on a notice board at a prominent place at the workspot. The person responsible for compliance of the safety code shall be named therein by the contractor.

(14) सुरक्षा पूर्वविधानियों से संबंधित नियमों और विनियमों के प्रभावकारी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए इंतजाम विभाग के श्रम अधिकारी, प्रभारी अधिकारी या उनके प्रतिनिधियों के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

(xiv) To ensure effective enforcement of the rules and regulations relating to safety precautions, the arrangements made by the contractor shall be open to inspection by the Labour Officer, Officer-in-Charge, of the department or their representatives.

(15) उक्त खंड (1) से लेकर (14) तक के होते हुए भी उनमें की कोई बात ठेकेदार को भारत गणराज्य में प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम या नियम के प्रवर्तन से छूट नहीं देती।

(xv) Notwithstanding the above clauses from (i) to (xiv) there is nothing in these to exempt the contractor.

8- ब. ठेकेदार हर मास की चौथी और उन्नीसवी तारीख तक भार साधक इंजीनियर को क्रमशः पूर्ववर्ती मास के उत्तरार्ध और चालू मास के पूर्वाध की बावत निम्नलिखित को दर्शाते हुए एक सही विवरण देगा — (1) उनके द्वारा काम पर नियोजित श्रमिकों की संख्या, (2) उनके काम के घंटे, (3) उनको संदत्त मजदूरी, (4) उक्त पखवाड़े के दौरान हुई दुर्घटनाएं जिनमें उन परिस्थितियों को जिनके अधीन वे घटित हुई और उनके द्वारा कारित नुकसान और क्षति की सीमा को दर्शित किया जाएगा और (5) ऐसी स्त्री कर्मकारों की संख्या जिनको खंड 8 ई के अनुसार प्रसूति-प्रसुविधा अनुज्ञात की गई हो और उनको संदत्त रकम । ऐसा न करने पर ठेकेदार सरकार को प्रत्येक व्यतिक्रम या तात्विक रूप से अशुद्ध विवरण के लिए 50 रु० से अनधिक राशि के संदाय का दायी होगा । मंडल या शाखा अधिकारी का, ठेकेदार को शोध्य किसी बिल में से जुर्माने के रूप में उद्ग्रहीत रकम की कटौती की बावत, विनिश्चय अंतिम होगा ।

8-इ. इस करार में ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले काम को करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में ठेकेदार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और उसके ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य संरक्षण और सफाई संबंधी इंतजामों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा विरचित सभी नियमों का पालन करेगा या कराएगा ।

8-ई. ठेकेदार द्वारा नियोजित स्त्री कर्मकारों के लिए प्रसूति प्रसुविधा नियम —छुट्टी के दौरान छुट्टी और वेतन निम्न प्रकार से विनियमित किए जाएंगे :

1. **छुट्टी—**
   - (i) प्रसव की दशा में—8 सप्ताह से अधिक की प्रसूति छुट्टी, इसमें से 4 सप्ताह की छुट्टी प्रसव होने तक, जिसके अन्तर्गत प्रसव दिन भी है और 4 सप्ताह की छुट्टी उस दिन के पश्चात् होगी
   - (ii) गर्भपात की दशा में—गर्भपात की तारीख से 3 सप्ताह तक ।
2. **वेतन—**
   - (i) प्रसव की दशा में—प्रसूति छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन की दर उस तारीख स जिसको उस स्त्री ने इस बात की सूचना दी हो कि प्रसवावस्था में होने की आशा करती है, ठीक पूर्व 3 मास की कालावधि के दौरान के ऐसे दिनों के

8-B. The contractor shall submit by the 4th and 19th every month, to the Officer-in-Charge a true statement showing in respect of the second half of the preceding month and the first half of the current month, respectively—(1) the number of labourers employed by him on the work, (2) their working hours, (3) the wages paid to them, (4) the accidents that occurred during the said fortnight showing the circumstances under which they happened and the extent of damage and injury caused by them and (5) the number of female workers who have been allowed Maternity Benefit according to clause 8d and the amount paid to them failing which the contractor shall be liable to pay to Government a sum not exceeding Rs. 50 for each default or materially incorrect statement. The decision of the Circle or Branch Officer shall be final in deducting from any bill due to the contractor the amount levied as fine.

8-C. In respect of all labour directly or indirectly employed in the works for the performance of the contractors part of this agreement, the contractor shall comply with or cause to be complied with all the rules framed by Government from time to time for the protection of health and sanitary arrangements of workers employed by the Archaeological Survey of India and its contractors.

8-D. Maternity benefit rules for female workers employed by Contractor—Leave and pay during leave shall be regulated as follows:—

1. **Leave—**
   - (i) In case of delivery—Maternity leave not exceeding 8 weeks; 4 weeks from the date of day of delivery and 4 weeks following that day.
   - (ii) In case of miscarriage—Upto 3 weeks from the date of miscarriage.
2. **Pay—**
   - (i) In case of delivery—Leave Pay during maternity leave will be at the rate of the woman's average daily earning calculated on the total wages earned on the days when full time work was

लिए, जिनको उसने पूर्णकालिक कार्य किया हो, कुल उपार्जित मजदूरी पर संगणित औसत दैनिक उपार्जन की दर से या एक रुपया प्रति दिन की दर से इनमें से जो भी अधिक हो, होगी ।

done during a period of three months immediately preceding the date on which she gives notice that she expects to be confined or at the rate of one Rupee a day whichever is greater.

(ii) गर्भपात की दशा में—छुट्टी वेतन की दर ऐसे गर्भपात की तारीख से ठीक पूर्व 3 मास की कालावधि के दौरान के ऐसे दिनों के लिए; जिनको उसने पूर्वकालिक कार्य किया हो, कुल उपार्जित मजदूरी पर संगणित औसत दैनिक उपार्जन की दर से होगी ।

(ii) In case of miscarriage—Leave pay at the rate of average daily earnings calculated on the total wages earned on the days when full time work was done during a period of three months immediately preceding the date of each miscarriage.

3. **प्रसूति-छुट्टी की मंजूरी के लिए शर्त :** कोई प्रसूति छुट्टी प्रसुविधा किसी स्त्री को तब तक अनुज्ञेय न होगी जब तक कि वह उस तारीख से, जिसको वह छुट्टी पर जा रही हो, ठीक पूर्व छह मास से अन्यून की कुल कालावधि के लिए नियोजित न रह चुकी हो ।

3. **Conditions for the Grant of Maternity Leave.**—No maternity leave benefit shall be admissible to a woman unless she has been employed for a total period of not less than 6 months immediately preceding the date on which she proceeds on leave.

8-ए. यदि ठेकेदार कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य-रक्षण एवं सफाई व्यवस्था संबंधी समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ठेकेदारों के श्रमिक- विनियमों और आदर्श नियमों के उपबन्धों में से किसी का व्यतिक्रम या भंग करेगा या उपयुक्त विनियमों या नियमों के उपबन्धों के अधीन कोई ऐसी जानकारी देगा या ऐसा कोई विवरण देगा या फाइल करेगा तात्विक रुप से अशुद्ध हो तो वह/वे किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हर व्यतिक्रम, भंग के लिए या तात्विक रुप से ऐसे अशुद्ध विवरणों के देने, बनाने, प्रस्तुत करने, भरने के लिए सरकार को 50 रुपये से अनधिक की राशि संदत्त करेगा और इस बावत ठेकेदार द्वारा लगातार व्यतिक्रम करने की दशा में शास्ति को बढ़ाकर व्यति-क्रम के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये किया जा सकेगा किन्तु उसकी अधिकतम राशि निविदत्त कार्य की प्राक्कलित लागत की 5 प्रतिशत होगी। भारसाधक अधिकारी का विनिश्चय अंतिम और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

8-E. In the event of the contractor(s) committing a default or breach of any of the provisions of the Archaeological Survey of India Labour Regulations and Model Rules for the protection of health and sanitary arrangements for the workers as amended from time to time or furnishing any information or submitting or filling any statement under the provisions of the above Regulations and Rules which is materially incorrect, he/they shall without prejudice to any other liability pay to the Government a sum not exceeding Rs. 50 for every default, breach or furnishing, making, submitting, filling such materially incorrect statements and in the event of the contractor(s) defaulting continuously in this respect, the penalty may be enhanced to Rs. 50 per day for each day of default subject to a maximum of 5 per cent of the estimated cost of the work put to tender. The decision of the Officer-in-Charge shall be final and binding on the parties.

8—ऊ. ठेकेदार अपने श्रमिकों के लिए अपने खर्चे पर भूमि के यथोचित प्लाट पर, जिसे भारसाधक अधिकारी अनुमोदित करेगा पर्याप्त संख्या में निम्नलिखित विनिर्देशों वाली झोपड़ियों की (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कैम्प कहा गया है) व्यवस्था करेगा/करेंगे ।

8-F. The contractor(s) shall at his/their own cost provide his/their labour with a sufficient number of huts hereinafter referred to as the Camp of the following specifications on a suitable plot of land to be approved by the Officer-in-Charge.

1.(क) प्रत्येक झोपड़ी की ओलती तल पर ऊंचाई 2.10 मीटर (7 फुट) होगी फर्श का क्षेत्रफल श्रमिक के साथ रहने वाले उसके कुटुंब के प्रत्येक सदस्य के लिए 2.7 वर्ग-मीटर (36 वर्ग फुट) के हिसाब से होगा।

(ख) इसके अतिरिक्त ठेकेदार कुटुम्ब के लिए झोपड़ी के बगल में उपयुक्त रसोईघर बनवाएगा जिसका क्षेत्रफल कम से कम 1.8 मीटर × 1.5 मीटर. (6 फुट × 5 फुट) होगा।

(ग) ठेकेदार श्रमिकों के उपयोग के लिए अस्थायी शौचालयों और मूत्रालयों का भी सन्निर्माण कराएगा/कराएंगे जो उनकी कुल संख्या के प्रत्येक सौ के लिए चार से कम न होंगे। स्त्रियों के लिए अलग शौचालय और मूत्रालय होंगे।

(घ) ठेकेदार पर्याप्त संख्या में स्नानगृहों और धुलाई के स्थानों का सन्निर्माण कराएगा/कराएंगे जो कैंप में निवास करने वाले प्रत्येक 25 व्यक्तियों के लिए एक के हिसाब से होंगे। इन स्नानगृहों और धुलाई स्थानों पर यथोचित आड़ होगी।

2.(क) सभी झोपड़ियों की दीवाले कच्ची पक्की ईंटों की होंगी जो गारे या अन्य ऐसी यथोचित सामग्री से जो भारसाधक अधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाए, जोड़ी जाएंगी। कच्ची ईंटों की दशा में दीवालों की दोनों ओर मिट्टी-गोबर का पलस्तर होगा और वह आस-पास की भूमि से कम से कम 15 से०मी० (6 इंच) ऊंचा होगा। छत फूस से या किसी अन्य ऐसी सामग्री से बनाई जाएगी जो भारसाधक अधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाए और ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि जब तक उनमें लोग रहे छतों से पानी न टपकें।

1. (a) The minimum height of each hut at the caves level shall be 2.1 m (7 feet) and the floor area to be provided will be at the rate of 2.7 sqm. (36 sq. ft.) for each member of the workers family staying with the labourer.

(b) The contractor(s) shall in addition construct suitable cooking places having a minimum area of 1.8m × 1.5m (6′ × 5′) adjacent to the hut for each family.

(c) The contractor(s) shall also construct temporary latrines and urinals for the use of the labourers each on the scale of not less than four, per each one hundred of the total strength, separate latrines and urinals being provided for women.

(d) The contractor(s) shall construct sufficient number of bathing and washing places, one unit for every 25 persons residing in the camp. These bathing and washing places shall be suitably screened.

2. (a) All the huts shall have walls of sun-dried or burnt bricks laid in mud mortar or other suitable local materials as may be approved by the Officer-in-charge. In case of sun-dried bricks, the walls should be plastered with mud gobri on both sides. The floor may be Katcha but plaster with mud gobri and shall be at least 15 cms. (6 inches) above the surrounding ground. The roofs shall be laid with thatched or any other materials as may be approved by the Officer-in-charge and the contractor shall ensure that throughout the period of their occupation the roofs remain watertight.

(ख) ठेकेदार प्रत्येक झोपड़ी में उचित संवातन की व्यवस्था करेगा/करेंगे ।

(ग) सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए सभी द्वारों, खिड़कियों, रोशनदानों में उपयुक्त किवाड़ लगे होंगे ।

(घ) झोंपड़ियों की कतारों के बीच कम से कम 7.2 मीटर (8 गज) की खुली जगह रखी जाएगी जो स्थान की उपलब्धता के अनुसार भारसाधक अधिकारी के अनुमोदन से घटाकर 6 मीटर (20 फुट) की जा सकती है। इस प्रकार से निर्माण की इजाजत होगी कि झोंपड़ियों के पिछवाड़े आपस में सटे हों ।

3. **जल प्रदाय**—ठेकेदार श्रमिकों के उपयोग के लिए पर्याप्त जल प्रदाय की व्यवस्था करेगा/करेंगे । पीने के प्रयोजनों के लिए प्रति दिन प्रति व्यक्ति कम से कम 2 गैलन शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद जल तथा स्नान तथा धुलाई के प्रयोजनों के लिए प्रति दिन प्रति व्यक्ति कम से कम 3 गैलन स्वच्छ जल की व्यवस्था होगी । जहां नल द्वारा जल प्रदाय उपलब्ध हो वहां जल प्रदाय स्टैंड पोस्टों (नल खम्भों) पर होगा और जहां प्रदाय कुओं या नदी से हो वहां ऐसी टंकियों की व्यवस्था होगी जो धातु की बनी हो या चिनाई की हो। ठेकेदार विद्यमान जल प्रदाय के मुख्य नलों से, जहां कहीं वे उपलब्ध हों, अपने खर्च पर अपने श्रमिक कैंप को जल प्रदाय के लिए पाइप बिछाने की व्यवस्था करेगा/करेंगे और उसके लिए सभी फीसों और प्रभारों का संदाय करेंगे/करेंगी ।

4. कैंप के लिए चुना गया स्थान जंगल से हटकर ऊंची भूमि पर होगा ।

5. **मल-मूत्र का निपटान**.—ठेकेदार शौचालयों के मल-मूत्र के निपटान के लिए खाइयाँ खोद कर अथवा भस्मीकरण द्वारा ऐसे आवश्यक इंतजाम करेगा/करेंगा जो स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार होंगे । यदि खाइयों का खोदना या भस्मीकरण अनुज्ञात न हो तो ठेकेदार नगरपालिका समिति/प्राधिकारी की मार्फत मल-मूत्र को हटाने का इंतजाम करेगा/करेंगे और उसे नियोजित श्रमिकों की संख्या की बावत जानकारी देगा/देंगे

(b) The contractor(s) shall provide each hut proper ventilation.

(c) All doors, windows and ventilators shall be provided with suitable leaves for security purposes.

(d) There shall be kept an open space of at least 7.2m. (8 yards) between the rows of huts which may be reduced to 6 m. (20 ft.) according to the availability of site with the approval of the Officer-in-charge, back to back construction will be allowed.

3. **Water Supply**.—The contractor(s) shall provide adequate supply of water for the use of labourers. The provision shall not be less than 2 gallons of pure and whole-some water per head per day for drinking purposes and 3 gallons of clean water per head per day for bathing and washing purposes. Where piped water supply is available, supply shall be at stand posts, and where the supply is from wells or river, tanks which may be of metal or masonary, shall be provided. The contractor(s) shall also at his/their own cost make arrangements for laying pipe lines for water supply, to his/their labour camp from the existing pipes wherever available and shall pay fees and all charges therefor.

4. The site selected for the camp shall be high ground, removed from jungle.

5. **Disposal of Excreta**.—The contractor(s) shall make necessary arrangements for the disposal of excreta from the latrines by trenching or incineration which shall be according to the requirements laid down by the Local Health Authorities. If trenching or incineration is not allowed, the contractor(s) shall make arrangements for the removal of the excreta through the Municipal Committee/

जिससे कि ऐसी समिति/प्राधिकार द्वारा मल-मूत्र के हटवाने का इंतजाम किया जा सके । इस बावत सभी प्रभार ठेकेदार द्वारा वहन बनाए जाएंगे और उनका संदाय उसके द्वारा सीधे नगरपालिका/प्राधिकारी को किया जाएगा । शुष्क शौचालयों की दशा में ठेकेदार प्रति आठ कदमों के लिए एक झाड़ूकश की व्यवस्था करेगा ।

6. **जल-निकास**--ठेकेदार गंदे पानी की निकासी के लिए कारगर इंतजाम करेगा/करेंगे ताकि कैंप साफ-सुथरा रहे ।

7. ठेकेदार दुर्घटनाओं से कर्मकारों के बचाव के लिए कैंप क्षेत्र में प्रकाश का पर्याप्त इंतजाम करेगा/करेंगे ।

8. **सफाई**--ठेकेदार स्थानीय लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्राधिकारियों के नियमों के अनुसार श्रमिक कैंपों में मलवहन और सफाई के लिए इंतजाम करेगा/करेंगे ।

9. ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 12 की उपधारा (1) के उपबन्धों के आधार पर सरकार ठेकेदार द्वारा कार्यों का निष्पादन करने के लिए नियोजित कर्मकार को प्रतिकर का संदाय करने के लिए बाध्य है, सरकार इस प्रकार संदत्त प्रतिकर की रकम ठेकेदार से वसूल कर लेगी, और उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार चाहे इस ठेके के अधीन या अन्यथा, प्रतिभूति निक्षेप में से या सरकार द्वारा ठेकेदार को शोध्य किसी राशि में से कटौती करके ऐसी रकम या उसका कोई भाग वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगी । सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन इसके खिलाफ किए गए दावे का प्रतिवाद करने के लिए तब बाध्य होगी जब ठेकेदार ने लिखित प्रार्थना की हो और सरकार को उन सभी खर्चों के लिए जिनके सरकार ऐसे दावे का प्रतिवाद करने के परिणामस्वरूप दायी होगी, पूर्ण प्रतिभूति दे दी हो, अन्यथा नहीं ।

authority and inform it about the number of labourer employed so that arrangements may be made by such Committee/authority for the removal of the excreta. All charges on this account shall be borne by the Contractor and paid direct by him to the Municipality/authority. The contractor shall provide one sweeper for every 8 seats in case of dry system.

6. **Drainage.**—The contractor(s) shall provide efficient arrangements for draining away sullage water so as to keep the camp neat and tidy.

7. The contractor(s) shall make necessary arrangements for keeping the camp area sufficiently lighted to avoid accidents to the workers.

8. **Sanitation.**—The contractor(s) shall make arrangements for conservancy and sanitation in the labour camps according to the rules of the Local Public and Medical Authorities.

9. In every case in which by virtue of the provisions of section 12 sub-section (1) of the Workmens Compensation Act, 1923 Government is obliged to pay compensation to a workman employed by the contractor, in execution of the works, Government will recover from the contractor the amount of the compensation so paid and without prejudice to the rights of the Government under section 12 sub-section (2) of the said Government shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from the security deposit or from any sum due by the Government to the contractor whether under this contract or otherwise, Government shall not be bound to contest any claim made against it under section 12, sub-section (1) of the said Act, except on the written request of the contractor and upon his giving to Government full security for all cases for which Government might become liable in consequence of contesting such claim.

10. (1) जब कभी किसी राशि या धन के संदाय के लिए ठेकेदार के खिलाफ कोई दावा, ठेके से या उसके अधीन उद्भूत होता है, सरकार ठेकेदार के प्रतिभूति-निक्षेप को पूर्णतः या भागतः विनियोजित करके और किन्ही सरकारी वचन-पत्रों आदि को, जो ऐसी संपूर्ण प्रतिभूति या उसके भाग हो, बेचकर ऐसी राशि वसूल करने के लिए हकदार होगी प्रतिभूति के अपर्याप्त होने की दशा में, या किसी ठेकेदार से कोई प्रतिभूति नहीं ली गई हो तो, यथास्थिति, वसूलीय अतिशेष या कुल राशि सरकार के साथ इस या किसी अन्य ठेकेदार को तत्समय शोध्य राशि से या ऐसी राशि से जो तत्पश्चात किसी समय शोध्य हो, काट ली जाएगी, यदि वह रकम वसूलीय रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो तथा ठेकेदार मांग किए जाने पर शोध्य अतिशेष सरकार को संदत्त करेगा ।

(2) सरकार को यह अधिकार होगा कि कार्यों और ठेकेदार को अंतिम बिलों की, जिनके अंतर्गत सभी सम्यक वाउचर, संक्षिप्तियां आदि आती है, अंतिम बिलों के संदाय के पश्चात् संपरीक्षा और तकनीकी परीक्षा करवाए और यदि ऐसी संपरीक्षा या तकनीकी परीक्षा के परिणामस्वरूप यह पाया जाए कि ठेके के अधीन ठेकेदार द्वारा किए गए किसी कार्य या किसी ऐसे कार्य की बाबत जिसके, संबंध में उसने दावा किया है, कि ठेके के अधीन उसके द्वारा कार्य किया गया है; किन्तु जो निष्पादित हुआ नहीं पाया गया है, किसी राशि का अतिसंदाय किया गया है तो, ठेकेदार अतिसंदाय की रकम का प्रतिदाय करने के लिए दायी होगा और सरकार के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह उससे उसकी वसूली उपखण्ड (1) में विहित रीति में या वैध रूप से अनुज्ञेय किसी अन्य रीति में करें, और यदि संपरीक्षा और तकनीकी परीक्षा के फलस्वरूप यह पाया जाए कि ठेके के अधीन ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी

10. (1) Whenever any claim, against the contractor for the payment of a sum of money arises out of or under the contract, Government shall be entitled to recover such sum by appropriating in part or whole the security deposit of the contractor, and so sell any Government promissory notes etc. forming the whole or part of such security. In the event of the security being insufficient or if no security has been taken from the contractor, then the balance or the total sum recoverable as the case may be shall be deducted from any sum then due or which at any time thereafter may become due from the contractor under this or any other contract with Government. Should this sum be not sufficient to cover the full amount recoverable, the contractor shall pay to Government on demand the balance remaining due·

(2) Government shall have the right to cause in audit and be technical examination of the works and the final bill of the contractor including all supporting vouchers, abstracts etc., to make payment of the final bill thereafter and if as a result of such audit and technical examination any sum is found to have been overpaid in respect of any work done by the contractor under the contract on any work claimed by him to have been done by him under the contract and found not to have been executed, the contractor shall be liable to refund the amount of the overpayment and it shall be lawful for Government to recover the same from him in the manner prescribed in sub-clause (1) of this clause or in any other manner legally permissible; and if as a result of audit and technical Examination it is found that the contractor was paid less than what was due to him under the

कार्य की बाबत उसे उससे कम संदाय किया गया है जो ठेके के अधीन उसे शोध्य था, तो ऐसे, न्यून संदाय की रकम सरकार द्वारा ठेकेदार को सम्यक् रुप से संदत्त की जाएगी :

परन्तु सरकार अतिसंदत्त किसी राशि को वसूल करने के लिए हकदार न होगी और न ठेकेदार न्यून संदत्त किसी राशि के संदाय के लिए हकदार होगा यदि ठेके के किसी ऐसे निबंधन के अधीन जो अधीक्षक पुरातत्वविद् द्वारा निर्धारण के पश्चात् कार्य के लिए संदाय अनुज्ञात करता हो, ऐसे संदाय के संबंध में एक पक्ष की ओर से महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली और दूसरी ओर से ठेकेदार के बीच सहमति हो गई है ।

contract in respect of any work executed by him under it, the amount of such underpayment shall be duly paid by Government to the contractor :

PROVIDED that Government shall not be entitled to recover any sum overpaid, nor the contractors shall be entitled to payment of any sum paid short where such payment has been agreed upon between the Circle/ Branch officer on the one hand and the contractor on the other under any term of the contract permitting payment for work after assessment by the Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

कार्य आदेश
WORK ORDER

मूल
ORIGINAL

मण्डल/शाखा
Circle/Branch

उप-मण्डल
Sub-circle

दिनांक
Dated

ठेकेदार
Contractor

नीचे दी हुई अनुसूची में वर्णित कार्य के लिए आदेश जो कि साथ लगी शर्तों और अनुसूची में लिखी हुई दरों के अनुसार सम्पन्न कराया जाएगा ।

Order for work described in the schedule given to be executed as per conditions attached and at the rates in the schedule :—

कार्य की अनुसूची
Schedule of Work

कार्य का विवरण Description of Work	दर प्रति Rate Per	विशेष Remarks

ठेकेदार
Contractor

कार्य का भार-साधक अधिकारी
Officer in charge of work

फार्म सं० भा. पु. स. नि.-15
Form No. ASIW-15

ठेकेदार द्वारा देय समय बढाने के आवेदन पत्र का फार्म
Form of Application for Extension of Time by Contractor

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता पैरा 14.15.5)
(Para 14.15.5 of Archaeological Works Code)

1. ठेकेदार का नाम . . . .
Name of Contractor

2. करार के अनुसार निर्माण कार्य का नाम . . . . .
Name of works as given in the agreement

3. करार संख्या
Agreement No.

4. निविदा में दी गई अनुमानित राशि . . . .
Estimated amount put to tender

5. करार के अनुसार निर्माण कार्य के आरम्भ करने की तारीख . . . .
Date of commencement of work as per agreement.

6. करार के अनुसार कार्य पूरा करने की मियाद । . . . . .
Period allowed for completion of work as per agreement.

7. करार में निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अनुबद्ध तारीख . . . .
Date of completion stipulated in agreement.

8. पहले बढ़ाये गए समय की मियाद . . . . . .
Period for which extension of time has been given previously—

(क) प्रथम समय विस्तार, देखिए मंडल/शाखा अधिकारी का हस्ताक्षर, दिनांक.........
महीना.........दिन.........।
(a) 1st extension vide signature of Circle/Branch Officer dated......
Month...... Days......

(ख) द्वितीय समय विस्तार देखिए, मंडल/शाखा अधिकारी का हस्ताक्षर, दिनांक..........
महीना.........दिन.........।
(b) 2nd extension vide signature of Circle/Branch Officer
Dated......Month...... Days......

(ग) तृतीय समय विस्तार, देखिए, मंडल/शाखा अधिकारी का हस्ताक्षर, दिनांक.........
महीना.........दिन.........।
(c) 3rd extension vide signature of Circle/Branch Officer
Dated......Month......Days......

(घ) चतुर्थ समय विस्तार देखिए, मंडल/शाखा अधिकारी का हस्ताक्षर, दिनांक..........
महीना.........दिन.........। पहले दिये गये कुल समय विस्तार ।
(d) 4th extension vide signature of Circle/Branch Officer
Dated......Month., ... Days......

9. उन कारणों का उल्लेख करें जिनके आधार पर पहले समय विस्तार दिया गया (पहले के आवेदन पत्रों की प्रतिलिपियां संलग्न की जाए) ।
Reasons for which extensions have been previously given (copies of previous applications should be attached)

10. आवेदित समय विस्तार की मियाद । . . . .
Period for which extension is applied for.

11. जिन बाधाओं के कारण आवेदन पत्र दिया गया, उनका विवरण, कब से उत्पन्न हुई और कब तक उनके बने रहने की आशंका है ?
Hindrances on account of which extension is applied for with dates on which such hindrances occurred and the period for which these are likely to last.

12. (क) क्रम संख्या . . . .
(a) Serial No.

(ख) बाधा किस प्रकार की थी . . . .
(b) Nature of hindrance.

(ग) बाधा उत्पन्न होने की तारीख . . . .
(c) Date of occurrence.

(घ) कितने समय तक इसके बने रहने की संभावना है । . . . .
(d) Period for which it is likely to last.

(ङ) बाधा-विशेष के लिए अपेक्षित समय विस्तार की अवधि . . . .
(e) Period for which extension is required for this particular hindrance.

(च) परस्पर व्यापी समय, यदि कोई हो, मद का संदर्भ दें । . .
(f) Overlapping period, if any, with reference to item.

(छ) आवेदित कुल समय का विस्तार . . . . . .
(g) Net extension applied for.

(ज) अभ्युक्तियां, यदि कोई हो । . . . . . .
(h) Remarks, if any.

कुल समय-विस्तार जिसके लिए उपर्लिखित बाधाओं के कारण अब पुनः आवेदन किया गया ....महीना.........दिन......... ।
Total period for which extension is now applied for on account of hindrances mentioned above ....Month......days.

13. अतिरिक्त कार्य के लिए अपेक्षित समय विस्तार . . . . . .
Extension of time required for extra work.

14. अतिरिक्त कार्य का ब्योरा तथा निहित राशि । . . . . .
Details of extra work and the amount involved.

(क) अतिरिक्त कार्य का कुल मूल्य . . . .
(a) Total value of extra work.

(ख) अतिरिक्त कार्य के कारण निविदा में दी गई अनुमानित राशि के आधार पर समय बढ़ाने की अनुपरीक्षक मियाद ।
(b) Proportionate period of extension of time based on estimated amount put to tender on account of extra work.

15. 11 व 12 के लिए अपेक्षित कुल समय का विस्तार अनुमण्डल अधिकारी..........को प्रस्तुत किया जाता है ।
Total extension of time required for S. No. 11 & 12. Submitted to the Sub Circle Officer........................

ठेकेदार के हस्ताक्षर
Signature of Contractor
दिनांक
Doted............

समय बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र—भाग II
Application for Extension of Time—Part II

(उपसहायक पुरातत्व अभियन्ता अथवा वरिष्ठ संरक्षक/संरक्षण सहायक द्वारा भरा जाए)
(To be filled in by the Dy./Asstt. Archaeological Engineer or Senior Conservation Assistant/Conservation Assistant)

1. निर्माण कार्य के लिए वरिष्ठ सहायक/संरक्षण सहायक के यहां ठेकेदार से आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख ।
Date of receipt of application from Contractor for the work by Senior Conservation Assistant/Conservation Assistant.

2. संरक्षण सहायक द्वारा भेजी गई पावती, उनका पत्र संख्या............तारीख......
Acknowledgement issued by Conservation Assistant vide his letter No................dated................

3. वरिष्ठ संरक्षण सहायक/संरक्षण सहायक की इस आशय की सिफारिशें कि ठेकेदार द्वारा किए गये सहीं हैं और कितने समय के लिए विस्तार किया जाना है यदि कोई हो ? यदि बहुत समय बढ़ाने की सिफारिश नही करता है तो अस्वीकृति करने के कारण दिये जाएं ।
Recommendations of Senior Convservation Assistant/Conservation Assistant as to whether the reasons given by the contractor are correct and what extension, if any, is recommended by him. If he does not recommend the extension, reasons for rejection should be given.

वरिष्ठ संरक्षण सहायक/संरक्षण सहायक के हस्ताक्षर
Signature of Senior Conservation Assistant/Conservation Assistant

दिनांक
Date

(मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा भरा जाए)
(To be filled in by the Circle/Branch Officer)

1. मंडल/शाखा कार्यालय में प्राप्त होने की तारीख । . . . .
Date of receipt in the Circle Office.

2. ठेकेदार द्वारा बतायी गयी बाधाओं के संबंध में मंडल/शाखा अधिकारी की अभ्युक्तियां :
Circle/Branch Officer's remarks regarding hindrances mentiond by the Contractor—

   (i) क्रम संख्या . . . .
   Serial No.

   (ii) बाधा की प्रकृति . . . .
   Nature of hindrance.

   (iii) बाधा उपस्थित होने की तारीख . . . .
   Date of occurance.

   (iv) कितने समय तक बने रहने की सम्भावना है । . . . . . .
   Period for which hindrance is likely to last . .

   (v) ठेकेदार द्वारा मांगा गया समय विस्तार
   Extension of time applied for by the contractor. .

परस्पर व्याप्ति यदि कोई हो उन मदों का संदर्भ बतायें जिससे परस्पर व्याप्ति हुई हो।

(vi) Overlapping period, if any giving reference to items which overlap.

वास्तविक अवधि जिसके लिए समय विस्तारण की सिफारिश की गई है।

(vii) Net period for which extension is recommended.

इस आशय की टिप्पणी कि बाधा क्यों आई तथा समय बढ़ाने के लिए की गई सिफारिशों का औचित्य ।

(viii) Remarks as to why the hindrance occurred and justification for extension recommended.

3. मंडल/शाखा अधिकारी की सिफारिशें/निर्माण कार्य की वर्तमान प्रगति बतायी जाए तथा यह कि क्या आवेदित समय विस्तार की अन्तिम तारीख के अन्दर ही कार्य समाप्त होने की संभावना है। यदि समय बढ़ाने की सिफारिश नहीं की गई है तो क्षतिपूर्ति से उगाहने का प्रस्ताव है?

Circle/Branch Officer's recommendations. The present progress of the work should be stated and whether the work is likely to be completed by the date upto which extensions has been applied for, if extension of time is not recommended, what compensation is proposed to be levied.

मंडल/शाखा अधिकारी का दिनांकित हस्ताक्षर
Dated Signature of Circle/Branch Officer

महानिदेशक की अभ्युक्तियां
Remarks by Director General

महानिदेशक
Director General

ASIW-16

अवमानक निर्माण कार्य के लिए दर में अस्थायी कटौती करने के लिए ठेकेदार को अधीक्षक पुरातत्वविद द्वारा लिखे जानेवाले पत्र का नमूना

SPECIMEN OF LETTER BY THE S.A. TO CONTRACTOR FOR PROVISIONAL REDUCTION IN RATE FOR SUB-STANDARD WORK

(पुरा० नि० का० स० के पैरा 14.19.30. परिशिष्ट XX देखें)
(Reference to in para 14.19.30 Appendix XX A.W. Code)

सेवा में
To

मैसर्स ....
M/s. ....

प्रिय महोदय,
Dear Sir(s)

विषय : निर्माण .... करार संख्या ....
Subject : Construction.................... Agreement No. ....

1. भारत के राष्ट्रपति का यह मत है कि उपर्युक्त करार की शर्तों के अनुसार आपने .... के निर्माण कार्य से संबंधित निर्माण कार्य की मदों (इसके साथ संलग्न विवरण में विनिर्दिष्ट) की जिम्मेदारी ली थी जिसका निष्पादन आपने निर्धारित विनिर्देशनों के अनुसार तथा/या कारगर तरीके से नहीं किया है, इसलिए उपरिलिखित करार की शर्तों के अनुसार करार में विनिर्दिष्ट दरों पर भुगतान करने के लिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

The President of India considers that the items of work (specified in the statement appended herewith relating to the work of.................... undertaken by you in terms of the above agreement have not been executed in accordance with the prescribed specifications and/or in a workman like manner and, therefore, cannot be accepted in terms of the above said agreement for payment at the rates specified in the agreement.

2. तथापि, यदि आप निर्माण कार्य की उक्त मदों की अवमानक प्रकृति के अनुकूल घटती दरों पर भुगतान लेने के लिए सहमत हों तो राष्ट्रपति इसे स्वीकार करने के लिए विचार कर सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबद्ध मंडल के प्रभारी अधीक्षक पुरातत्वविद् यह निर्धारित करेंगे कि उक्त मदों के लिए पूर्व संमत दरों में कितनी कटौती करना उपयुक्त होगा। उनका निर्णय अंतिम होगा फिर भी अधीक्षक पुरातत्वविद् के द्वारा ऐसा निर्णय लिये जाने तक निर्माण कार्य की उक्त मदों के लिए हरेक मद के सामने निर्दिष्ट अंतरिम दरों पर अदायगी की जाएगी।

President, however, is willing to consider acceptance of the same should you agree to receive payment at rates suitably reduced taking into consideration the sub-standard nature of the said item of work. The S.A. incharge of the concerned Circle of A.S.I. will determine as to what suitable reduction in the rates should be made from the agreed rates for the said items. His decision shall be final. Pending such decision of the S.A. however, the payment for the said item of work will be made at the provisional rates indicated against each item.

3. यदि आप निर्माण कार्य की उक्त मदों के लिए उपरिलिखित शर्तोंपर अदायगी लेना स्वीकार करें तो कृपया संलग्न फार्म विधिवत भर कर भेजे।

If you agree to the aforesaid conditions for acceptance of payment for the said items of work you may please return the enclosed form duly executed by you.

4. इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह के अन्दर आपसे कोई उत्तर न प्राप्त हुआ तो यह समझा जाएगा कि आपको यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में ठेके की शर्तों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों तथा प्रतिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह प्रस्ताव वापस किया गया मान लिया जाएगा।

If no reply is received from you with three weeks of the date of receipt of this letter it shall be presumed that the offer is not acceptable to you. In the said event the offer shall stand withdrawn without prejudice to the rights, and remedies of the President of India in terms of the contract.

भवदीय,
Yours faithfully

अधीक्षक पुरातत्वविद
Superintending Archaeologist

कृते तथा भारत के राष्ट्रपति की ओरसे
for and on behalf of the President of India

भा० पु० स० नि० 17
ASIW-17

अवमानक निर्माण कार्य के लिए अंतरिम कटौती की दरों को ठेकेदार द्वारा स्वीकार किए जाने वाले पत्र का नमूना
SPECIMEN OF LETTER OF CONTRACTOR'S ACCEPTANCE OF PROVISIONAL REDUCTION OF RATE FOR SUB-STANDARD WORK

(पुरा० नि० का० सं० के पैरा 14.19. 1 देखें)
(Referred to in para 14.19.1. of the A.W. Code)

सेवा में
To
....
....

विषय :.................का निर्माण
Subject :— Construction of ....

संदर्भ : आपका पत्र संख्या ....
Reference :— Your letter No......................

महोदय,
Sir,

मैंने/हमने आपके दिनांक....... के पत्र संख्या .... में दी गई शर्तों को भली प्रकार से पढ़ लिया है और वे शर्तें मुझे/हमें मंजूर है।

I/We have carefully read the terms and conditions offered in your letter number................ dated............and they are acceptable to me/us.

आपके उपर्युक्त पत्र के साथ संलग्न विवरण में विनिर्दिष्ट निर्माण कार्य की मदों के सामने अधीक्षक पुरातत्वविद् द्वारा भुगतान की अंतिम दरों के निर्धारित किये जाने तक मैं/हम आपके विवरण में दिये गए उपलिखित निर्माण कार्य की उक्त मदों में प्रत्येक के सामने दी गई अंतरिम दरों पर भुगतान लेने के लिए सहमत हूं/हैं जो कि अंतिम और आवद्धकारी होगा।

The decision of the Circle/Branch Office for the final rates of payment against, the items of work specified in the statement attached to your above letter, which will be final and binding against each of the said item of work for the above work as mentioned in your statement will be acceptable to me.

भवदीय,
Yours faithfully
ठेकेदार
Contractor(s)

निर्माण कार्य रजिस्टर (क) बड़े निर्माण कार्यों के लिए
REGISTER OF WORKS (A) FOR MAJOR WORKS

[पैरा नं० 2.1 (32) में निर्दिष्ट]

(इस प्रत्र भरने से पूर्व अनुदेशों के लिए पु०नि०का०सं० को पैरा 14.21.1 (क) तथा (ख) देखें)

[Referred to in paragraphs 2.1 (32)]

(See paragraphs 14.21.1 (a)(b) for instructions for filling in the form)

निर्माण कार्य का नाम
Name of work

प्राधिकार—वर्ष का विनियोजन
Authority—Appropriation for the year

पत्रा संख्या
Folio No.

मास इत्यादि MONTHS ETC.	उप-शीर्ष (अ) SUB-HEADS (a) 1		2		3		7500 रु० से कम लागत वाले का उपशीर्ष Sub-heads costing less than Rs.7500 4		सामग्रियां Materials 5	आकस्मिक व्यय Contingencies	मजदूर Labourers	उचंत SUSPENSE पेशगी अदायगियां Advance payments	अन्य लेन-देन Other transactions	कुल लागत Total Cost	मास के लेन-देनपर वरिष्ठ संरक्षण सहायक के तारीख युक्त आद्यक्षर Dated initials of Circle/Branch Officer to transactions of the month
	मात्रा Qnty.	राशि Amount रु० पै० Rs. P.	मात्रा Qnty.	राशि Amount रु० पै० Rs. P.	मात्रा Qnty.	राशि Amount रु० पै० Rs. P.	मात्रा Qnty.	राशि Amount रु० पै० Rs. P.	मात्रा Qnty.	राशि Amount रु० पै० Rs. P.		राशि Amount रु० पै० Rs. Ps.	राशि Amount रु० पै० Rs. Ps.	राशि Amount रु० पै० Rs. Ps.	
अनुमान संख्या Estimate No.															
पिछले वर्ष का व्यय, यदि कोई हो Expenditure of previous year Brought forward (if any)															
अप्रैल April															
जोड़ Total															

मई May	लागत दर Rate of cost	
	जोड़ Total	
जून June	लागत दर Rate of cost	
	जोड Total	
जुलाई July	लागत दर Rate of cost	
	जोड़ Total	
अगस्त August	लागत दर Rate of cost	
	जोड़ Total	
सितंबर September	लागत दर Rate of cost	
कुल लागत दर सहित Total inclusive rate of cost		

ग्रा० पु० स० नि० 19
ASIW-19

निर्माण कार्य रजिस्टर (ख) लघु निर्माण कार्यों के लिए
REGISTER OF WORKS (B) FOR MINOR WORKS

[पुरा० नि० का० सं० का पैरा 14.21.1. (क) और (ख) देखें]

[*See* paragraphs 14.21.1 (a) and (b) of A. W. Code]

कार्य का नाम और प्राधिकार
Name of the work and authority

प्राक्कलन
Estimate

वर्ष का विनियोजन
Appropriation for the year

मास इत्यादि Months etc.		किए गए निर्माण कार्य का कुल मूल्य Total value of work done		उचंत लेखे Suspense accounts		कुल प्रभार Total charges		मास के लेन-देनों पर मंडल अधिकारी के तारीख युक्त आद्यक्षर Dated initials of Circle/ Branch Officer to transactions of the month
1		2		3		4		5
पिछले वर्षों का अद्यतन व्यय (यदि कोई हो) Expenditure of previous years brought forward (if any)		रु० Rs.	पै० P.	रु० Rs.	पै० P.	रु० Rs.	पै० P.	
अप्रैल . . April	. जोड़ Total	.						
मई . . May	. जोड़ Total	.						
जून . . June	. जोड़ Total	.						
जुलाई . . July	. जोड़ Total	.						
अगस्त . . August	. जोड़ Total	. .						
सितंबर . . September	. जोड़ Total	.						
अक्तूबर . October	. जोड़ Total	.						
नवम्बर November	जोड़ Total	.						

1		2	3	4	5
दिसंबर . December	. जोड़ Total	.			
जनवरी . January	. जोड़ Total	.			
फरवरी . . February	. जोड़ Total	.			
मार्च . . March	. जोड़ Total	.			
अनुपूरक लेखे . Supplementary Accounts	. जोड़ Total	.			
	जोड़ Total	.			

अगले वर्ष के रजिस्टर के पृष्ठ - —-पर अग्रेनीत ।

Carried over to page——of next years Register :

टिप्पणी : रायल साइज का प्रयोग करने पर प्रत्येक पेज पर दो निर्माण कार्यों का लेखा रखा जा सकता है ।

NOTE : When printed on Royal size each page contains accounts of two works.

मा०पु०स०नि० 20
ASIW-20

महानिदेशक को मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा गुम हुई माप पुस्तिका की रिपोर्ट दर्ज करने का प्रपत्र

PROFORMA FOR REPORTING LOSS OF MEASUREMENT BOOK BY THE CIRCLE/BRANCH OFFICER TO THE DIRECTOR GENERAL

[पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता पैरा 14.11.2]

(Rule 14.11.2 of Archaeological Works Code)

1. माप पुस्तिका की क्रम संख्या ।
   Serial No. of the Measurement Book.

2. माप पुस्तिका के गुम होने की तारीख ।
   The date on which the M.B. was lost.

3. जिन परिस्थितियों में यह गुम हुई, उनका पूर्ण ब्यौरा ।
   Detailed circumstances leading to its loss.

4. किस अधिकारी के नाम से जारी किया गया था ।
   Name of the officer to whom the M.B. was issued.

5. खोई हुई माप पुस्तिका को खोजने के लिए किये गये प्रयास ।
   Efforts made to trace the lost M.B.

6. जिसके द्वारा अंतिम माप लिखी गई थी ।
   By whom were the last measurements recorded.

7. क्या नियमों के अनुसार अपेक्षित प्रतिशत तक वरिष्ठ अधिकारी ने पैमाईश की जांच की थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

   Whether the measurements were checked upto the required percentage by the Superior Officer as required under rules, and if not, why not.

8. क्या माप पुस्तिकाओं के संचालन पर नजर रखने के लिए कोई रजिस्टर रखा गया है ?

   Is any register maintained to watch the movement of the M.B.

9. क्या माप पुस्तिका में वैसे किसी निर्माण कार्य का ब्यौरा अन्तर्विष्ट है जिसके लिए भुगतान नहीं किया गया है अथवा सभी निर्माण कार्यों को अंतिम रूप दिया जा चुका है ।

   Whether M.B. contained the details of any works for which payment has not been made or all the works have been finalised.

10. क्या माप पुस्तिका संबंधित कोई लेखा परीक्षा आपत्ति अथवा ठेकेदार का विवाद अनिर्णीत पड़ा हुआ है और यदि हां, तो उसका प्रकार, और उसे निपटाने के लिए क्या करना प्रस्तावित है ?

    Whether any audit objection or Contractor's dispute relating to the M.B. is pending and if so, nature thereof, and how is it proposed to settle up.

11. क्या माप पुस्तिका से संबंधित निर्माण कार्य या कार्यों की दुबारा माप लेने की कोई गुंजाइश है, यदि नहीं, तो किस आधार पर संबंधित बिलों के बकाया शेष का अंतिम भुगतान करना प्रस्तावित है ।

Whether the work or works to which the M.B. relates are susceptible to measurement again, if not what are the basis on which it is proposed to make final payment of the relevant bills remaining outstanding.

12. क्या मंडल/शाखा अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि उपलब्ध सहायक अभिलेखों के आधार पर यदि दुबारा माप अंकित की जाएगी तो सरकार को किसी प्रकार का न तो नुकसान उठाना होगा न हानिकारक स्थिति का सामना करना पड़ेगा और न किसी ओर से विवाद ही उपस्थिति होगा, यदि हां, तो उसके कारण बताएं । यदि नहीं तो भविष्य में इस प्रकार होने वाली ऐसी किसी घटना के विरुद्ध एहतियाती तौर पर उठाये जाने वाले कदमों के बारे में सुझाव दें ।

Whether the Circle/Branch Officer is satisfied that by writing such fresh measurement on the basis of the subsidiary records, if available, Government will not be put to any loss or disadvantageous position, and there will be no dispute from any quarter. If so, give reasons, If not, what steps are suggested to safeguard against any such happenings in future.

13. नुकसान के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई के ब्यौरे ।

Details of disciplinary action taken against the persons responsible for the loss.

14. ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के वास्ते किये गये प्रतिकारक उपायों का विवरण ।

Details of remedial measures taken to avoid recurrence of such cases.

15. अन्य अभ्युक्तियां, यदि कोई हों ।

Any other remarks.

मंडल/शाखा अधिकारी
Circle/Branch Office

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
Archaeological Survey of India

मंडल/शाखा
... .Circle /Branch

(स्थान का नाम)
.. ..Station

मा०पु०स०नि० 21
ASIW-21

मंडलों/शाखाओं में निष्पादित निर्माण कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT ON THE WORKS EXECUTED IN CIRCLES/BRANCHES

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता पैरा 14.27.2 में निर्दिष्ट)
(Referred to in para 14.27.2 of A.W. Code)

क्रम संख्या Sl. No	निर्माण कार्य का नाम Name of work	स्वीकृत प्राक्कलनों की राशि Amount of sanctioned estimates	निर्माण कार्य आरंभ करने की तारीख Date of commencement of work	स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार पहले ही व्ययित राशि Amount spent in the past against the sanctioned estimates	अनुमानित राशि Anticipated expenditure	कालम 3 और 6 में अंतर करने के कारण Reasons for variations in columns 3 & 6	किस स्तर तक निर्माण कार्य पहुंच चुका है Stage at which the work has reached	क्या स्वीकृत प्राक्कलन का संशोधन आवश्यक है यदि हां तो कारण बतायें Is the revision of the sanctioned estimate necessary if so, give reasons	संशोधित प्राक्कलनों का विवरण यदि कोई तैयार किया गया हो Particulars of revised estimates if any, prepared	अभ्युक्तियां Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

मा०पु०स०नि० 22
ASIW-22

संरक्षण/आधुनिक निर्माण कार्य का कार्यक्रम दर्शाने वाला प्रपत्र

FORM OF ANNUAL CONSERVATION/MODERN WORKS PROGRAMME

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता का पैरा 9.3.1)
(Para 9.3.1 of Archaeological Works Code)

कार्यालय.................................... का वर्ष ....
के लिए वार्षिक संरक्षण/आधुनिक निर्माण का कार्यक्रम
Annual Conservation/Modern Works Programme of the office..........................
for the year...........

योजना/गैर योजना
Plan/Non Plan

क्रम संख्या Sl.No.	निर्माण कार्य का नाम Name of Work	अवस्थिति Locality	जिला District	राज्य State	संशोधित संरक्षण कार्यक्रम के लिए प्रावधान R.C.P. Provision	अभ्युक्तियां Remarks
1	2	3	4	5	6	7

ध्यान दीजिए : स्मारकों को वर्णानुक्रम और राज्य, जिला और अवस्थिति के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाए।

N. B.: The monuments have to be arranged alphabetically and according to State, District and Locality

वर्ष..............मंडल/शाखा.......(ख)......................................
के लिए संरक्षण/आधुनिक निर्माण कार्य का कार्यक्रम तथा बजट आवंटन का सार

योजना/गैर योजना

Abstract of Conservation/Modern Works programme and Budget allotment for the year........
Circle/Branch
Plan/Non Plan

क्रम संख्या Sl.No.	राज्य State	स्मारकों की संख्या जिन पर ध्यान दिये जाने का प्रस्ताव है No. of Monuments proposed to be attended	संशोधित संरक्षण कार्यक्रम के लिए प्रावधान R.C.P. provision	बजट आवंटन Budget Allotment
1	2	3	4	5

भा०पु०स०नि० 23
ASIW-23

अनुपयोगी वस्तुओं का रजिस्टर प्रपत्र
FORM OF REGISTER OF CONDEMNED ARTICLES

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता का पैरा 8.8.2)
(Rule 8.8.2 of Archaeological Works Code)

क्रम संख्या Sl. No.	वस्तुओं का विवरण Description of Articles	मात्रा अथवा संख्या Quantity or No.	मौलिक खाता मूल्य Original book value	स्टाक/रजिस्टर की पृष्ठ संख्या की संदर्भ Ref. to Page No. of stock Register	नीलामी की तारीख Date of Auction	नीलामी की राशि Amount of Auction	रसीद की संख्या Receipt No.	खजाना के चालान की संख्या और तारीख Try. Challan No. & date	सत्यापन Attestation

भा०पु०स०नि० 24
ASIW-24

बेकार के सामानों आदि को नीलाम कराने का प्रपत्र
FORM FOR CONDUCTING AUCTION OF UNSERVICEABLE STORES ETC.

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता पैरा 4.1.1)
(Rule 4.1.1 of Archaeological Work Code)

बही मूल्य
Book Value

वस्तु का नाम
Name of Article

पिछली नीलामी अथवा स्टाक रजिस्टर की पृष्ठ संख्या का संदर्भ
Reference to previous auction or page No. of Stock register.

क्रम संख्या Sl. No.	बोली दाता का नाम Name of Bidder	पहली बोली 1st Bid	दूसरी बोली 2nd Bid	तीसरी बोली 3rd Bid	चौथी बोली 4th Bid	पांचवी बोली 5th Bid	छठी बोली 6th Bid	7वी बोली 7th Bid	8वी बोली 8th Bid	बोली दाता का हस्ताक्षर Signature of Bidder

नीलाम कार्य संपन्न कराने वाले अधिकारी
Remarks by the officer conducting auction.

मंडल/शाखा अधिकारी की अभ्युक्तियां
Remarks by the Circle/Branch Officer

मा०पु०स०नि० 25
ASIW-25

जिस निर्माण कार्य के लिए अग्रिम राशि निकालना आवश्यक है उसके प्राक्कलन का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण
STATEMENT SHOWING THE PARTICULARS OF ESTIMATES AGAINST WHICH THE WORKS ADVANCE IS REQUIRED

(पु०रा०नि०का०सं० के पैरा 14.5.2 में निर्दिष्ट)
(Referred to in para 14.5.2 of the A.W. Code)

क्रम संख्या Sl. No.	निर्माण कार्य का शीर्षक Title of Works	अनुमोदित संशोधित संरक्षण कार्यक्रम में दर्शायी गई राशि Amount as shown in the approved R.C.P.	अनुमोदित संशोधित संरक्षण कार्यक्रम की मद संख्या Item No. of approved R.C.P.	स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी Sanctioning authority	प्राक्कलन की स्वीकृति के संदर्भ में Reference to sanction of estimate	स्वीकृति प्राक्कलन की राशि Amount of sanctioned estimate	....माह तक कितनी राशि खर्च की गई Expenditure incurred upto the month of —	अपेक्षित राशि Amount now required	अभ्युक्तियां Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

मा०पु०स०नि० 26
ASIW-26

विविध संस्वीकृतियों का रजिस्टर
REGISTER OF MISCELLANEOUS SANCTIONS

(पु० नि० का० सं० के पैरा 9.3.1 में निर्दिष्ट)
(Referred to in paragraph 9.3.1 of the A. W. Code)

मद संख्या Item No.	संख्या, तारीख तथा प्राधिकार No. date and authority	आदेश का सारांश Substance of order	संस्वीकृति की राशि Amount of sanction	कनिष्ठ लेखा अधीक्षक के तारीख युक्त आद्यक्षर Dated initials of Jr. A.O.	समय समय पर प्रत्येक संस्वीकृति की प्रति Note of expenditure incurred Against each sanction			कनिष्ठ लेखा अधिकारी के तारीख युक्त आद्यक्षर Dated initials of Jr. A.O.	अभ्युक्तियां Remarks
					वाउचर की संख्या No. of voucher	मास Month	राशि Amount		
			रु० पै० Rs. P.				रु० पै० Rs. P.		

भा०पु०स०नि० 27
ASIW-27

कनिष्ठ लेखा अधिकारी की आपत्तियों का रजिस्टर
REGISTER OF JUNIOR ACCOUNTS OFFICERS AUDIT OBJECTIONS

(पु० नि० का० सं० के पैरा 5.6.3 (2) में निर्दिष्ट)

[Referred to in paragraph 5.2.2.(2) of A. W. code]

मद संख्या Item No.	† कनिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा आपत्तिगत लेनदेन या आदेश का संक्षिप्त विवरण Brief particulars of the transaction or order placed under objection by Jr. A.O.	आपत्ति का स्वरूप (नियमों और आदेशों का उल्लेख करें) Nature of objection (Rules and orders to be quoted) रु० पै० Rs. P.	आपत्तिगत राशि Amount placed under objection	वरिष्ठ लेखा अधिकारी के उत्तर (आपत्ति को स्वीकार न करने के कारण संहित) Sr. C.A.'s replies (with reason for not admitting the objection) रु० पै० Rs. P.	भुगतान एवं लेखा अधिकारी की अभ्युक्तियां Remarks by the Circle/Branch Officer.

नोट : यह रजिस्टर सिवाय उस समय के जब कि यह पैरा 5.2.2(2) के उपबंधों के अधीन कनिष्ठ लेखा अधिकारी को प्रस्तुत किया गया हो सदैव भुगतान एवं लेखा अधिकारी की स्वयं की अभिरक्षा में ही रहेगा।

NOTE : This Register will remain in the personal custody of Jr. A.O. except when submitted to the Circle/Branch officer under the provisions of paragraph 5-2-2(2)

† अधीनस्थ अधिकारी के ऐसे लेनदेनों और आदेशों से संबंधित आपत्ति को जिसकी संस्वीकृति अथवा समर्थन कनिष्ठ लेखा अधिकारी कर सकता हो, इस रजिस्टर में दर्ज नहीं करना चाहिए।

† Objection relating to transactions and orders of Subordinate Officer which fall within the powers of the D.D.O. to sanction, or confirm, should not be entered in this register.

भा०पु०स०नि० 28
ASIW-28

राजस्व रजिस्टर
REVENUE REGISTER

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता पैरा 4.25)
(Para 4.2.3 of Archaeological Works Code)

क्रम संख्या Sl No.	वस्तु का नाम Name of Article	उगाही की तारीख Date of Collection	निम्नलिखित अवधि में बिक्री से प्राप्ति Sale Proceeds Realised During					बैंक में जमा देने की तारीख का हवाला दें Reference to Deposit in the Bank	सत्यापन Attesattion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

मद दर वाले ठेके के लिए करार प्रपत्र
AGREEMENT FORM FOR ITEM RATE CONTRACT

(संविदा अभिलेख के हिंदी तथा अंग्रेजी पाठों के निर्वचन में यदि किसी प्रकार की भिन्नता दृष्टिगत हो तो अंग्रेजी पाठ का निर्वचन अंतिम और बाध्यकारी होगा।)

(In case of any discrepancy in interpretation between Hindi and English versions of the Contract documents, the interpretation of the English version shall be final and binding).

निर्माण कार्य का नाम
Name of work...

अनुमानित खर्च :—रुपये ....
Estimated Cost:——Rs. ....

बयाना की राशि :—रुपये ....
Earnest Money :— Rs. ....

प्रतिभूति जमा :—रुपये ....
Security Deposit :— Rs. ....

स्वीकृत समय.............................माह ....
Time Allowed ....Month....................................

प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा अभिलेख में ....से...............तक पृष्ठ है।
Certified that this contract document contains pages from serial no. ....to........only.

उप अधीक्षक पुरातत्व इंजीनियर
Dy. Supdtg. Archl. Engineer

मंडल/शाखा अधिकारी
Circle/Branch Officer

विषय सामग्री
CONTENTS

		पृष्ठ
1.	मंडल/शाखा कार्यालय के लिए अनुदेश Instructions for Circle/Branch Offices	55
2.	प्रेस अधिसूचना Press notification.	57
3.	निविदा आमंत्रित करने वाली सूचना Notice Inviting Tenders	58
4.	मद दर निविदा के अनुबंध पत्र तथा निर्माण कार्य के लिए संविदा Agreement for item rate tender and contract for works	64
5.	संविदा खंड/संविदा की शर्तें Contract clauses/conditions of contract	69
6.	अतिरिक्त शर्तें Additional conditions	124
7.	विनिर्देश एवं विशिष्ट शर्तें Specifications and special conditions	129, 137
8.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सुरक्षा संहिता Archaeological Survey of India Safety Code	139
9.	कामगारों की स्वास्थ्य सेवा रक्षा के लिए मानक नियम Model Rules for protection of health of workers	145
10.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण : ठेकेदारों के मजदूरों के विनियम Archaeological Survey of India Contractor's labour regulations	154
11.	परिशिष्ट "क" से "ठ" तक Appendix 'A' to 'L'.	163 to 176
12.	सीमेंट गोदाम का चित्र Sketch of cement godown	177

मंडल/शाखा अधिकारियों के लिए संविदा अभिलेख भरने के संबंध में अनुदेश

निर्माण कार्य का नाम :

मंडल/शाखा अधिकारी अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें :—

1. अनुबंध पत्र के पृष्ठ......एवं.......पर ठेकेदार/ठेकेदारों तथा मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा शेष पृष्ठों पर दोनों अपना अपना आद्यक्षर करेंगे ।

2. पृष्ठ संख्या......के रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाए ।

3. पृष्ठ......पर कार्य स्थल का नाम देते हुए सीमेंट एवं स्टील की दरें जारी की हुई दरों के अनुसार भरी जाएंगी । गोदाम भाड़ा एवं सुपुर्दगी का स्थान "इमारती सामान जारी करने की शर्तों" में भरा जाएगा ।

यदि विभागीय तौर पर कोई अन्य इमारती सामान उन्हें जारी किये जाने का प्रस्ताव हो तो उन्हें भी मंडल/शाखा अधिकारी के आदेश से पृष्ठ........में शामिल किया जाए ।

4. आवर्ती/विशिष्ट किस्म के नमूनों का अनुमोदन निर्माण कार्य कराने से पूर्व ही पृष्ठ संख्या...में दी गई अनुसूची II के अनुसार होना चाहिए ।

5. यदि विभागीय तौर पर अन्य इमारती सामान जारी किये जाने का प्रस्ताव हो तो पृष्ठ......की क्रम संख्या 5 में यथावश्यक शुद्धियां की जाएं ।

6. यथोचित अनुसूची मजदूरी निविदा प्रलेखों के साथ संलग्न नहीं की गई है और न संलग्न की जानी चाहिए ।

7. कार्यस्थल की उपलब्धता से संबंधित शर्त (पृष्ठ ......में) यथोचित ढंग से भरी जाए तथा पृष्ठ....के परा 2 के जो अंश लागू न हों उन्हें काट दिया जाए ।

8. मंडल/शाखा अधिकारी के नवीनतम ज्ञापन के अनुसार जल की पूर्ति से संबंधित शर्तों में यथोचित परिवर्तन किया जा सकता है, चाहे उसकी पूर्ति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जानी हो या नहीं (पृष्ठ.........., खंड..............) ।

INSTRUCTIONS TO CIRCLE/BRANCH OFFICERS FOR FILLING UP OF THE CONTRACT DOCUMENTS

Name of Work :

The Circle/Branch Officer will please attend to the following points before signing Agreement form :—

1. Agreement has to be signed by the Contractor/Contractors and the Circle/Branch Officer on pages—— and —— and the rest of pages are to be initialled by both of them.

2. Blanks may be filled in on pages.........

3. On page —— the rates for cement and steel may be filled in as per the issue rates giving the name of site. The storage charges and the place of delivery may also be filled in the "Conditions for issue of materials".

Any other material if proposed to be issued departmentally may also be included in page —— under orders of Circle/Branch Officer.

4. Approval of sample of repetitive/typical nature of items, prior to execution of work should be as per Annexure-II at page——.

5. Necessary corrections may be made in Serial No. 5 on page —— if other materials are proposed to be issued departmentally.

6. Schedule of fair wages has not been attached and is not to be attached with the tender documents.

7. Conditions regarding availability of site may be suitably filled in (   ) and portions not applicable may be deleted in para 2 of (   ).

8. Conditions regarding supply of water may be suitably altered according to Circle/Branch Officer's latest Memo, whether the same is to be supplied by the Archaeological Survey of India or not (Page   Cl.   )

5—112 D. G. Arch/Survey/ND/83

9. मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा निविदा आमंत्रित की जाने वाली सूचना के अनुमोदन की तारीख के बाद निविदा आमंत्रित करने से पूर्व मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा जारी किये गये सभी अनुदेशों पर विचार किया जाए।

9. Any instructions issued by the Circle/Branch Officer, after the date of approval of this N.I.T. by the Circle/Branch Officer may be attached to them before the call of tenders.

10. खास इलाकों से संबंधित अतिरिक्त विनिर्देशनों के जारी करने से पूर्व उन्हें निविदा आमंत्रित करनेवाली सूचना में शामिल किया जाना चाहिए। ईंट, बालू और मिलावे के विनिर्देशनों के संबंध में मंडल/शाखा अधिकारी पृष्ठ .... का टिप्पण देखें।

10. Any additional specifications particular to the locality may be included in the N.I.T. before issuing the same. Circle/Branch Officer may see note on page—–regarding specifications for brick, sand and aggregate.

11. कार्यस्थल की स्थिति पर आश्रित होकर मंडल/शाखा अधिकारी यह निर्णय करेंगे कि खोदी हुई मिट्टी आवश्यकता से अधिक है या नहीं या उसकी आवश्यकता किसी अन्य सरकारी विभाग या पास के किसी इलाके में होने वाले किसी सरकारी निर्माण कार्य के लिए तो नहीं है और यदि किसी सरकारी निर्माण के लिए उसकी आवश्यकता न हो और उस मिट्टी का कुछ भी विक्रय मूल्य हो तो उस मिट्टी के यथोचित निपटान के लिए ठेकेदार को अपनी इच्छानुसार निपटान करने की इजाजत दी जाए परन्तु उसे ढुलाई भाड़ा आदि के रूप में कुछ भी न दिया जाए तथापि यदि मंडल/शाखा अधिकारी यह समझे की वह रुई के पैदावार के लिए उपयुक्त काली मिट्टी है या अन्य कोई ऐसी मिट्टी है जिसका बाजार मूल्य है तो वह निर्णय ले सकता है कि मिट्टी को कहां इकट्ठा किया जाए और वे अनुबन्ध पत्र में वास्तविक दूरी सहित ढुलाई से संबंधित यथोचित शर्त जोड़ सकते हैं।

11. Circle/Branch Officer may decide depending on site condition whether the excavated earth is surplus to requirement or will be required by any other Government Department or for any Govt. work in the neighbouring locality and in case the same is not required for Govt. works and the soil has got some marketable value, the contractor may be allowed to dispose of the earth at his own but he should not be paid for carriage charges etc. However, in case Circle/Branch Officer feels that the soil is black cotton soil or any such soil, which has market value, he may decide where to dump the soil and may insert a suitable condition in the agreement for carriage with exact distance.

12. संविदा के उपबंध खंड सं० 42 (ii) को ध्यान में रखा जाए और इस संबंध में मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा यथावश्यक अनुदेश जारी किये जाएं।

12. Provision of contract clause No. 42(ii) may be kept in view and the necessary instructions by Circle/Branch Officer may be issued in this regard.

13. निविदाओं की बिक्री, प्राप्ति और उसे खोलने के संबंध में समय और तारीख पृष्ठ.......पर तत्संबंधी रिक्त स्थानों में भरी जाएं।

13. Time and date for sale, receipt and opening of tenders may be filled in the relevant blanks on pages————.

14. यदि कंक्रीट मिश्रक विभाग द्वारा दिया जाना हो तो उसके किराए और सुपुर्दगी के स्थान को संबंधित खंड 34 (क), (पृष्ठ ....) में भरा जाए।

14. The hire charges for concrete mixer and its place of delivery etc. if to be issued by the department, may be filled in the relevant clause 34 (a) (page ——).

15. यदि बिटुमेन या कोई अन्य इमारती सामान विभागीय तौर पर दिया जाना प्रस्तावित हो तो उसे भी शामिल किया जाए।

15. Issue of bitumen or any other material may be included, if it is proposed to be issued departmentally.

संयुक्त विज्ञापन के रूप में जारी किए जाने वाले अनुबंध पत्र से संबंधित प्रेस सूचना के नमूने का प्रारुप

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल/शाखा अधिकारी ....(नाम और पदनाम), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण .... में निर्माण कार्य कराने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सिविल अंग के अनुमोदित एवं योग्य ठेकेदारों एवं कें०लो०नि०न० वि०/से०ई०से०/जो०नि०वि०/रेलवे के अनुमोदित ठेकेदारों की सूची से .... तारीख तक मुहरबंद मद दर/निविदा आमंत्रित करते हैं जो .... को ....खोला जाएगा।

अनुमानित राशि................

....

बयाने की राशि ....रुपये कनारा बैंक या खजाने में चालान के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई गारंटी वाले किसी अनुसूचित बक के रसीदी मांग पत्र के रूप में जमा किये जाने चाहिए और उसकी रसीदी चालान निविदा के साथ भेजी जानी चाहिए।

निर्माण कार्य पूरा करने का समय ....है। उस ठेकेदार की निविदा को संक्षिप्ततः अस्वीकार कर दिया जाएगा जो निर्धारित फार्म में मंडल/शाखा अधिकारी के नाम बयाने की राशि जमा नहीं करेंगे।

शर्तें एवं निविदा प्रपत्र ....रु० (............रुपये) हर प्रति की दर से भुगतान के आधार पर ....कार्यालय के सभी कार्य दिवसों में ....तारीख तक प्राप्त किये जा सकते हैं (जिसकी कीमत ....तारीख तक वापस नहीं की जाएगी)।

नाम और
पदनाम..................
(भारत के राष्ट्रपति के निमित्त और उसकी ओर से)

DRAFT SPECIMEN OF PRESS NOTICE TO BE ISSUED AS A COMPOSITE ADVERTISEMENT

The Circle/Branch Officer, Archaeological Survey of India——————on behalf of the President of India, invites Item Rate/Tender in sealed cover for the work———— from the approved and eligible contractors of civil wing of Archaeological Survey of India approved list of C.P.W.D./MES/PWD Railways, upto ....which will be opened at......

Estimated cost.

Earnest money for Rs. ——————should be deposited in the Canara Bank or through Treasury Challan or in the shape of deposit at call receipt of any Scheduled Bank guaranteed by the Reserve Bank of India and receipted challan sent with the tender.

Time allowed for completion of work is . Tenders of the contractors/who does not deposit earnest money in favour of the Circle/Branch Officer in the prescribed form, will be liable to be summarily rejected.

Conditions and tender forms can be had from this office before on all working days on payment of Rs. (Rs.) each (non refundable) upto)

Name &
Designation
(for and on behalf of the
President of India)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

मंडल/शाखा
Circle/Branch

उप मंडल/शाखा
Sub-Circle/Branch

निविदा आमंत्रण सूचना
NOTICE INVITING TENDERS

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता. पैरा 13.1.1 से 13.1.6 तक.......)
(Archaeological Works Code. Paragraphs 13.1.1 to 13.1.6)

1.(क) भारत के राष्ट्रपति की ओर से.......के निर्माण कार्य के लिए जिसकी अनुमानित लागत...... रुपए है निर्धारित प्रपत्र भा०पु०स०नि०सं० 29, 30 और 30(क)* ......पर एतद्द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

1.(ख) निविदाओं के छपे हुए प्रपत्र जिनमें ब्यौरेवार रेखांक, पूर्ण विनिर्देशन, किए जाने वाले विभिन्न वर्गों की कार्य की मात्राओं की अनुसूची और ठेके की शर्तों का सेट जिसका अनुपालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसकी निविदा स्वीकार हो सकती है, सन्निहित है, रविवार और सरकारी छुट्टियों के अतिरिक्त प्रतिदिन 11.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक मंडल/शाखा कार्यालय/उपमंडल/उपशाखा कार्यालय से......रुपए नगद देकर खरीदे जा सकते हैं।

2. निर्माण कार्य का स्थल उपलब्ध है/या निर्माण कार्य के लिए स्थल निम्नलिखित विनिर्दिष्ट रूप में आंशिक तौर पर उपलब्ध कर दिया जाएगा :—

(स्थल की उपलब्धता की जांच मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा की जाए और तदनुसार शर्त उपबंधित की जाए।)

3. निविदाएं, जो हमेशा वैसे मुहरबंद लिफाफों में रखी जानी चाहिएं जिन पर निर्माण कार्य का नाम लिखा हो, मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा......तारीख......बजे तक प्राप्त की जाएगी और उनके द्वारा कार्यालय में उसी दिन.........बजे खोली जाएगी। (इस संबंध में पृष्ठ सं०.....,पैरा 7 देखें)

4. निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अनुज्ञात समय निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए दिए गए लिखित आदेशों की तारीख के पश्चात् पंद्रहवें दिन से.........तक का होगा।

*जो प्रपत्र लागू न हों, उन्हें काट दीजिए।

1 (a) Tenders in the prescribed form ASIW form No. 29, 30 and 30(a)* are hereby invited on behalf of the President of India for the work of at an estimated cost of Rs.

1 (b) Printed forms of tenders consisting of the detailed plans, complete specifications, the schedule of quantities of the various classes of work to be done, and the set of conditions of contract to be complied with by the person whose tender may be accepted, can be purchased at the Circle/Branch Office/Sub-Circle/Sub-Branch office between the hours of 11 A.M. to 4 P.M. every day except on sunday and public holidays on payment of Rs. —————— in cash.

2. The site for the work is available/or the site for the work shall be made available in parts as specified below :—

(Availability of site is to be verified by the Circle/Branch Officer and conditions provided accordingly.)

3. Tenders, which should always be placed in sealed covers, with the name of the work written on the envelopes will be received by the Circle/Branch Officer, upto ———— and will be opened by him in his office on the same day at————. (Para 7 on page .... may be referred to in this connection.)

4. The time allowed for the carrying out of the work will be ———— from the fifteenth day after the date of written orders to commence work.

*Delete form Nos not applicable.

5. ठेकेदारों को अपने द्वारा दी गई निविदा की दर और रकम को अंकों और शब्दों, दोनों में लिखना चाहिए। हर मद की राशि का परिकलन किया जाना चाहिए और अपेक्षित जोड़ दिया जाना चाहिए।

6. यदि कोई ठेकेदार निविदा पर किसी भारतीय भाषा में हस्ताक्षर करता है तो उस मामले में प्रतिशतता की कमी व वेशी और भा०पु०स०नि० फार्म सं०......के मामले में दी गई निविदा की राशि उसी भारतीय भाषा में लिखी जानी चाहिए। निरक्षर ठेकेदारों के मामले में दी गई निविदा की राशियों का सत्यापन किसी साक्षी से करा लेना चाहिए।

7. निविदा खोलने के लिए निश्चित की गई तारीख से दो घंटे पहले निविदा फार्मों को जारी करना बंद कर दिया जाएगा।

8. बयाने की राशि........रुपए (यदि छूट न दी गई हो) खजाने के रसीदी चालान/किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक (भारतीय बैंक द्वारा गारंटी प्राप्त) में मांग पत्र के रूप में जमा कराने की रसीद निविदा के साथ अवश्य संलग्न की जानी चाहिए। सभी निविदा मुहरबंद लिफाफे में रखी जाएगी तथा उन पर "............के लिए निविदा" लिखा होगा और वह मंडल/शाखा अधिकारी को संबोधित होगा।

9. जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकार हो जाएगी उसे ठेके के विधिवत् संपादन के लिए (यदि छूट न दी गई हो) प्रतिभूति जमा के रूप में ऐसी रकम जमा करनी होगी जो इस प्रकार है :—

(i) 1,00,000 रुपए तक की लागत के निर्माण कार्यों के मामले में निविदा में दी गई कुल अनुमानित लागत के 10% के बराबर;

(ii) 1,00,000 रुपए से अधिक और 2,00,000 रुपए तक की लागत के निर्माण कार्यों के मामले में पहले 1,00,000 रुपए पर 10% और शेष पर $7\frac{1}{2}$% के बराबर, तथा

(iii) 2,00,000 रुपए से अधिक लागत के निर्माण कार्यों के मामले में पहले 1,00,000 रुपए पर 10% दूसरे 1,00,000 रुपए पर $7\frac{1}{2}$% तथा शेष राशि पर 5% के बराबर, बशर्ते कि यह राशि 1,00,000 रुपए से अधिक न हो।

5. The contractors should quote in figures as well as in words the rate, and amount tendered by them. The amount for each item should be worked out and the requisite totals given.

6. When a contractor signs a tender in an Indian Language, the percentage above or below and the tendered amount in the case of ASIW form No.————and the total amount tendered in case the ASIW Form Nos. ————should also be written in the same language. In the case of illiterate contractors the rates of his amounts tendered should be attested by a witness.

7. Issue of tender forms will be stopped two hours before the date fixed for the opening of tenders————.

8. Earnest money, amounting to Rs.———— (unless exempted) in receipted Treasury Challan/Deposit call receipt of a Public Sector Bank (Guaranteed by the Reserve Bank of India) must accompany each tender and each tender is to be in a sealed cover superscribed "Tender for ————" and address to the Circle/Branch Officer.

9. The contractor, whose tender is accepted will be required to furnish (unless exempted) by way of security deposit for the due fulfilment of his contract, such sum as will amount.

(i) in the case of works costing upto Rs. 1,00,000 to 10% of the estimated cost of the work put to tender.

(ii) in the case of works costing more than Rs. 1,00,000 and upto Rs. 2,00,000 to 10% on the first Rs. 1,00,000 and $7\frac{1}{2}$% on the balance and

(iii) in the case of works costing more than Rs. 2,00,000 to 10% on the first Rs. 1,00,000 $7\frac{1}{2}$% on the next Rs. 1,00,000 and 5% on the balance, subject to a maximum of Rs. 1,00,000.

प्रतिभूति जमा उपयुक्त दरों से ठेकेदारों के चालू बिल से काट कर वसूल की जाएगी तथा निविदा के समय बयाने के रूप में जमा किया हुआ धन प्रतिभूति जमा का एक स्वरूप समझा जाएगा। प्रतिभूति की धनराशि नगद या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी स्वीकार की जाएगी। आवधिक जमा की रसीदें तथा अनुसूचित बैंकों तथा भारतीय स्टेट बैंक के गारंटी बांड भी स्वीकार किये जाएंगे बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक से उनकी पुष्टि की सूचना प्राप्त हो जाए।

The security deposit will be collected by the deductions from the running bills of the contractor at the rates mentioned above and the earnest money deposited at the time of tenders will be treated as a part of the security deposit. The Security amount will also be accepted in the shape of Government Securities. Fixed Deposit Receipt and Guarantee Bonds of Scheduled Banks and State Bank of India will also be accepted for the purpose provided confirmatory advice is forthcoming from the Reserve Bank of India.

10. निविदा स्वीकार करना अधीक्षक पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक की इच्छा पर निर्भर है, और वह निम्नतम निविदा स्वीकार करने के लिए वाध्य भी नहीं है। उसे निविदाओं में से किसी एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। सभी निविदाएं जिनमें विहित शर्तें पूरी न होती हों या वे किसी दृष्टि से अपूर्ण हों तो उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है।

10. The discretion of acceptance of a tender, will rest with the Circle/Branch Officer/Director General A.S.I. which does not bind himself to accept the lowest tender, and reserve to himself the authority to reject any or all of the tenders received, without the assignment of a reason. All tenders in which any of the prescribed conditions are not fulfilled or are incomplete in any respect are liable to be rejected.

11. निविदाओं के सिलसिले में पैरवी करने की सख्त मनाही है और यदि निविदा प्रस्तुत करने वाला कोई ठेकेदार अपनी निविदा के वास्ते पैरवी करता हुआ पाया जाएगा तो उसकी निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

11. Canvassing in connection with tenders is strictly prohibited and the tenders submitted by the contractors who resort to canvassing will be liable to rejection.

12. सभी दरें उपरिनिर्दिष्ट उचित निविदा प्रपत्र पर ही दी जाएंगी।

12. All rates shall be quoted on the proper form of the tender as given above.

13. मद दर निविदा जिसमें प्रतिशतता की कमी/बेशी सन्निहित होगी, संक्षिप्ततः अस्वीकार कर दी जाएगी। तथापि यदि निविदाकार स्वयं-निश्चित समय के अंतर्गत भुगतान किए जाने के लिए छूट देना चाहता है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

13. An item rate tender containing percentage below above will be summarily rejected. However, whereas a tenderer voluntarily offers rebate for payment within a stipulated period this may be considered.

14. निविदा स्वीकार कर लिये जाने पर ठेकेदार के उस/उन प्रत्यायित प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों का/के नाम मंडल/शाखा अधिकारी को भेजा जाएगा/भेजे जाएंगे, जो मंडल/शाखा अधिकारी से अनुदेश प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।

14. On acceptance of the tender, the name of the accredited representative(s) of the contractor who would be responsible for taking instructions from the Circle/Branch Officer shall be communicated to the Circle/Branch Officer.

15. इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि दरें अंकों तथा शब्दों दोनों में लिखी जाएं और धनराशि केवल अंकों में इस प्रकार लिखी जाए कि उनमें अन्तर्वेशन की संभावना न रहे। कुल धन अंकों तथा शब्दों दोनों में लिखे जाएं। अंकों में लिखने के मामले में (रुपए) के बाद शब्द रुपये लिखा जाए और पैं० को दशमलव अंकों के बाद लिखा जाए और शब्दों में लिखने के मामले में रुपए

15. Special care should be taken to write the rates in figures as well as in words, and the amounts in figures only, in such a way that interpolation is not possible. The total amount should be written both in figures and in words. In case of figures the word Rs. should be written before the figures of rupees and word 'P' after the decimal figures and in case of

के बाद शब्द रुपए और पैसों के बाद पैसे लिखे जाएं। जब तक कि दरें पूरे रुपयों में न हों और उसके बाद "मात्र" शब्द न लिखा हो, तब तक वे हमेशा दशमलव के दो अंकों तक होनी चाहिए। मात्राओं की अनुसूची में दरों को बताते समय रकम के बाद "मात्र" शब्द अवश्य लिखा जाना चाहिए और इसे दूसरी पंक्ति में नहीं लिखा जाना चाहिए।

16. भारत के राष्ट्रपति न्यूनतम या अन्य निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं और अपने पास पूरी निविदा या उसका कोई भाग स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं और निविदाकार दी हुई दर पर उसे पूरा करने के लिए आबद्ध होगा।

17. इस ठेके के संबंध में इमारती सामग्री पर बिक्री कर या अन्य कर ठेकेदार द्वारा देय होगा और इस संबंध में सरकार किसी प्रकार के वाद को स्वीकार नहीं करेगी।

18. ठेकेदार को उसे निविदा कागजातों को बेचे जाने से पूर्व वित्त मंत्रालय के द्वारा सं० ज्ञापन सं० 67/3डी/69-1 टी०ए०ई० तारीख 2-7-70 के अंतर्गत अधिसूचित संशोधित फार्म पर अपना आय कर शोधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

19. ठेकेदार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मंडल/शाखा (जो ठेके देने और निष्पादित कराने के लिए जिम्मेदार है) जिसमें उसके नजदीकी रिश्तेदार किसी अधिकारी की हैशियत से कार्य कर रहे हों, निर्माण कार्य कराने के लिए निविदा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसे उन व्यक्तियों की सूची बतानी होगी जो उनके साथ किसी भी हैसियत से कार्य कर रहे हों या बाद में उसके द्वारा नौकरी पर रख लिए जाएं और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय के किसी राजपत्रित अधिकारी के नजदीकी रिश्तेदार हैं। यदि कोई ठेकेदार इस शर्त को तोड़ेगा तो उसका नाम इस विभाग की अनुमोदित सूची से हटा दिया जाएगा।

20. ठेकेदार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में अराजपत्रित कर्मचारी के रूप में कार्यरत अपने रिश्तेदारों की सूची देनी होगी।

21. भारत सरकार के किसी इंजीनियरी विभाग में इंजीनियरी या प्रशासनिक कार्यों में लगे हुए राजपत्रित रैंकके किसी इंजीनियर को या अन्य किसी राजपत्रित अधिकारी को सरकारी सेवा से मुक्त होने के दो साल तक उसे भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना ठेकेदार की हैसियत

words the word Rs. proceeds and the word paise should be written at the end. Unless the rate is in whole rupees and followed by the word 'ONLY' it should invariably be upto two decimal placed while quoting the rates in the schedule of quantities the word only should be written closely following the amount and it would not be written in the next line.

16. The President of India does not bind himself to accept the lowest or any tender and reserves to himself the right of accepting the whole or any part of the tender and the tenderer shall be bound to perform the same at the rate quoted.

17. Sales tax or any other tax on material in respect of this contract shall be payable by the contractor and Govt. will not entertain any claim whatsoever in this regard.

18. The contractor must produce income-tax clearance certificate in the revised form as notified under Min. of Finance O.M. No. 67/30/69/ITAE dated 2-7-70 before the tender can be sold to him.

19. The contractor shall not be permitted to tender for works in the Archaeological Survey of India, Circle/Branch Office (Responsible for award and execution of contracts) in which his near relative is posted as an officer in any capacity. He shall also intimate the names of persons who are working with him in any capacity or are subsequently employed by him and who are near relatives to any officer in the Archaeological Survey of India or in the Ministry of Education and Culture. Any breach of this condition by the contractor would render him liable to be removed from the approved list of contractors of this department.

20. The contractor shall give a list of non-gazetted Archaeological Survey of India employees, related to him.

21. No Engineer of Gazetted rank or other Gazetted Officer employed in Engineering or Administrative duties in an Engineering Department of the Govt. of India is allowed to work as a contractor for a period of two years of his retirement from Govt. service, without

से काम करने की आज्ञा नहीं है । यदि किसी समय यह पाया जाए कि ठेकेदार या उसका कोई कर्मचारी ऐसा व्यक्ति है जिसने निविदा देने से पहले या ठेकेदार की सेवा में लगने से पहले भारत सरकार से उपर्युक्त अनुमति नहीं ली थी तो यह ठेका रद्द कर दिया जाएगा ।

the previous permission of the Govt. of India. This contract is liable to be cancelled if either the contractor or any of his employees is found at any time to be such a person who had not obtained the permission of the Govt. of India as aforesaid before submission of the tender or engagement in the contractor's service.

22. निर्माण कार्यों के लिए निविदा, निविदाओं के खुलने की तारीख से........दिन की अवधि तक स्वीकृति के लिए खुली रहेगी । यदि कोई ठेकेदार उक्त अवधि से पहले अपनी निविदा वापस ले लेता है या निविदा की किसी शर्त में कोई ऐसा संशोधन करता है जो विभाग को स्वीकार न हो तो सरकार किसी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त अग्रिम धन से 10% (दस प्रतिशत) की दर से जब्त कर लेने के लिए स्वतंत्र होगी ।

22. The tender for the work shall remain open for acceptance for a period of ———— days from the date of opening the tenders. If any tenderer withdraws his tender before the said period or makes any modifications in the terms and conditions of the tender which are not acceptable to the department, then the Govt. of India shall without prejudice to any other right or remedy, be at liberty to forfeit 10% (ten percent) of the said earnest money.

23. जिन ठेकेदारों को किसी विशेष मामले में अग्रिम धन/प्रतिभूति निक्षेप देने से छूट दी गई हो उन्हें मंडल/शाखा-अधिकारी के उस पत्र की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी चाहिए जिसके अंतर्गत उन्हें अग्रिम धन और प्रतिभूति निक्षेप देने से छूट मिली हो और जब कभी उनसे मूल प्रति मांगी जाए उन्हें पेश करनी चाहिए ।

23. The contractors exempted from payment of earnest money/security deposit in individual cases should attach with the tender an attested copy of the Circle/Branch Officer letter exempting them from the payment of earnest money and security deposit and should produce the original one whenever called upon to do so.

24. कार्य की निविदा में कोई भी ठेकेदार या ऐसा ठेकेदार या ऐसे ठेकेदार साक्षी नहीं होगा/होंगे जिसने/जिन्होंने स्वयं उसके काम के लिए निविदा दी हो या उसी काम के लिए निविदा दे सकते हों । इस शर्त के पालन न किये जाने पर निविदा देने वाले या निविदा के साक्षी होने वाले ठेकेदारों की निविदाएं संक्षिप्ततः नामंजूर कर दी जाएंगी ।

24. The tender for the work shall not be witnessed by a contractor or contractors who himself/themselves has/have tendered or who may and has/have tendered for the same work. Failure to observe this condition will render tenders of the contractors tendering as well as witnessing the tender liable to summary rejection.

25. संयुक्त निर्माण कार्य की निविदा में भवन निर्माण, स्वच्छता, जल प्रदाय एवं जल निकास संस्थापनाएं, विद्युत साज-सामान लगाने के कार्य और उद्यान कृषि कार्य सम्मिलित हैं ।

25. The tender for the composite work includes the building work, sanitary and water supply and drainage installations, Electrical works and Horticultural works.

26. निविदाकार को वर्ग II (भवन तथा मार्ग) के ठेकेदार होने के अतिरिक्त स्वयं समुचित वर्ग के उन अभिकरणों के साथ संपर्क रखना चाहिए जो स्वच्छता, जल प्रदाय एवं जल निकास संबंधी संस्थापनों के लिए निविदा दे सकें ।

26. The tenderer apart from being a class II (B&R) contractor must associate himself with agencies of the appropriate class which are eligible to tender for Sanitary and Water Supply and drainage installations.

27. ठेकेदार निम्नलिखित प्ररूप में अपने हाथ में लिये गये (चालू हालत में) कार्यों की सूची प्रस्तुत करेंगे :—

27. The contractor shall submit list of works in hand (progress) in the following form :—

निर्माण कार्य का नाम	मंडल/शाखा का नाम तथा विवरण जहां निर्माण कार्य किया जा रहा है	निर्माण कार्य की रकम	चालू निर्माण कार्य की स्थिति	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5

Name of work	Name and particulars of Circle/ Branch where work is being executed	Amount of work	Position of works in progress	Remarks
1	2	3	4	5

टिप्पणीः—निविदा आमंत्रण सूचना के हिन्दी और अंग्रेजी पाठों के निर्वचन में यदि किसी प्रकार की भिन्नता दृष्टिगत हो तो अंग्रेजी पाठ का निर्वचन अंतिम और बाध्यकारी होगा।

Note :—In case of any discrepancy between the Hindi and the English version of Notice Inviting Tenders, the English version shall be final and binding.

28. ठेकेदार द्वारा मद दर निविदा में दी गई दरें अंकों और शब्दों में शुद्धतापूर्वक इस प्रकार भरी जाएं ताकि अंकों और शब्दों में लिखी गई दरों में किसी प्रकार की भिन्नता न हो। यदि कोई भिन्नता पाई जाए तो वह दर सही मानी जाएगी जो ठेकेदार द्वारा किए गए कलन के समनुरुप होगी।

28. Rates quoted by the Contractor in item rate tender in figures and words shall be accurately filled in so that there is no discrepancy in the rates written in figures and words. However, if a discrepancy is found, the rates which correspond with the amount worked out by the contractor shall be taken as correct.

29. यदि, ठेकेदार द्वारा किसी मद की राशि का कलन न किया गया हो अथवा उसके द्वारा किया गया कलन अंको या शब्दों में लिखित दर के समनुरुप न हो तो ठेकेदार द्वारा शब्दों में दी गई दर सही मानी जाएगी।

29. If the amount of an item is not worked out by the contractor or it does not correspond with the rate written either in figures or in words then the rate quoted by the contractor in words shall be taken as correct.

30. जहां ठेकेदार द्वारा अंकों और शब्दों में दी गई दर समान होती हैं, किन्तु कलित राशि सही नहीं है, तो ठेकेदार द्वारा कोट की गई दर सही मानी जाएगी, न कि यह राशि।

30. Where the rates quoted by the Contractor in figures and in words tally but the amount is not worked out correctly, the rate quoted by the contractor will be taken as correct and not the amount.

31. ठेकेदार को अप्रेंटिश अधिनियम 1961 के उपबधों और उसके अंतर्गत समय समय पर जारी नियमों और आदेशों का अनुपालन करना होगा। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ होता है, तो उसकी यह असमर्थता संविदा भंग मानी जाएगी और मंडल/शाखा अधिकारी स्वविवेक से उस ठेके को रद्द कर सकता है। ठेकेदार इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लघंन करने के परिणामस्वरुप होने वाली किसी प्रकार की आर्थिक देयता के लिए भी उत्तरदायी होगा।

31. The contractor shall comply with the provisions of the Apprentices Act, 1961, and the rules and orders issued thereunder from time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of the contract and the Circle/Branch Officer may in his discretion cancel the contract. The contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the provisions of the Act.

मंडल/शाखा अधिकारी के हस्ताक्षर
भारत के राष्ट्रपति के निमित्त और उसकी ओर से

Signature of Circle/Branch Officer
for and on behalf of the President of India

भा० पु० स० नि०-29
ASIW-29

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

राज्य
State

मंडल/शाखा
Circle/Branch

शाखा
Branch

उपमंडल
Sub-Circle

कार्यों के लिए मद दर निविदा और संविदा
ITEM RATE TENDER & CONTRACT FOR WORKS

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता, पैरा 13.4.3)
(Archaeological Works Code, Paragraph 13.4.3)

साधारण नियम और निदेश
General Rules and Directions

टिप्पणी : निविदा अभिलेख के हिन्दी तथा अंग्रेजी पाठों के निर्वचन में यदि किसी प्रकार की भिन्नता दृष्टिगत हो तो अंग्रेजी पाठ का निर्वचन अंतिम और बाध्यकारी होगा।

1. ठेकेदार द्वारा निष्पादन के लिए प्रस्तावित सभी कार्यों की सूचना निविदा के लिए आमंत्रण के प्ररूप में दी जाएगी जो सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाएगी और मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी।

2. इस प्ररूप में, दिए जाने वाले कार्य के विवरण के साथ ही निविदाओं को प्रस्तुत करने और उन्हें खोलने की तारीख और कार्य किए जाने के लिए अनुज्ञात समय का तथा निविदा के साथ निक्षिप्त किए जाने वाले अग्रिम धन की रकम का और सफल निविदाकार द्वारा निक्षिप्त किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप की रकम और बिलों में से कटौती किए जाने वाले प्रतिशत, यदि कोई हो, का विवरण होगा। पहचान के प्रयोजन के लिए मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित विनिर्देशों, डिजाइनों और आरेखनों की प्रतियां और कार्य के संबंध में अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज भी मंडल/शाखा अधिकारी के कार्यालय में कार्यालय के समय के दौरान ठेकेदार द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी।

2. यदि निविदा किसी फर्म द्वारा दी जाती है तो वह उस फर्म के हर एक सदस्य द्वारा पृथकतः हस्ताक्षरित की जानी चाहिए या किसी भागीदार की अनुपस्थिति में उसकी ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जानी

Note : IN CASE OF ANY DISCREPANCY BETWEEN THE HINDI AND THE ENGLISH VERSION OF TENDER DOCUMENTS, THE ENGLISH VERSION SHALL BE FINAL & BINDING.

1. All works proposed for execution by contract will be notified in a form of invitation of tender posted in public places and signed by the Circle/Branch Officer.

This form will state the work to be carried out as well as the date for submitting and opening tenders and the time allowed for carrying out the work: also the amount of earnest money to be deposited with the tender, and the amount of the Security Deposit to be deposited by the successful tenderer and the percentage, if any to be deducted from the bills. Copies of the specifications, designs and drawings and any other documents, required in connection with the work signed for the purpose of identification by the Circle/Branch Officer shall also be open for inspection by the contractor at the office of the Circle/Branch Officer during office hours.

2. In the event of the tender being submitted by a firm, it must be signed separately by each member thereof, or in the event of the absence of any partner, it must be signed on

चाहिए जिसके पास उसे ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करने वाला मुख्तारनामा हो, ऐसा मुख्तारनामा निविदा के साथ पेश किया जाएगा और उससे यह प्रकट होना चाहिए कि फर्म भारतीय भागीदार अधिनियम के अधीन सम्यकतः रजिस्ट्रीकृत है ।

his behalf by a person holding a power-of-attorney authorising him to do so, such power of attorny should be produced with the tender, and it must disclose that the firm is duly registered under the Indian Partnership Act.

3. किसी फर्म द्वारा निष्पादित कार्य के बारे में किए गए संदायों की पावतियां भी विभिन्न भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए किन्तु जहां ठेकेदार अपनी निविदा में फर्म के रुप में वर्णित हैं, वहां पावतियां किसी एक भागीदार द्वारा या फर्म के लिए प्रभावी पावतियां देने के प्राधिकार रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फर्म के नाम में हस्ताक्षरित की जानी चाहिए ।

3. Receipt for payment made on account of work, when executed by a firm, must also be signed by the several partners, except where the contractors are described in their tender as a firm, in which case the receipt must be signed in the name of the firm by one of the partners, or by some other person having authority to give effectual receipts for the firm.

4. कोई व्यक्ति, जो निविदा देता है, साधारण मुद्रित प्ररुप को भरेगा जिसमें वह बताएगा कि वह किसी दर पर कार्य की प्रत्येक मद को लेने के लिए रजामन्द है । वे निविदाएं जो निविदा के लिए आमंत्रण के उक्त प्ररुप में विनिर्दिष्ट कार्यों में, या कार्य करने के लिए अनुज्ञात समय में किसी परिवर्तन की प्रस्थापना करें या जिनमें किसी प्रकार की कोई अन्य शर्तें हों, अस्वीकार की जा सकती हैं किसी एक निविदा के अतंर्गत एक से अधिक कार्य नहीं होंगे किन्तु जो ठेकेदार दो या अधिक कार्यों के लिए निविदा देना चाहते हैं, वे हर एक के लिए पृथक निविदा देंगे । लिफाफों के ऊपर निविदाओं से संबंधित कार्य का नाम और उनका संख्यांक लिखा होगा ।

4. Any person who submits a tender shall fill up the usual printed form, stating at what rate he is willing to undertake each items of the work. Tenders which propose any alteration in the work specified in the said form of invitation to tender, or in the time allowed for carrying out the work, or which contains any other conditions of any sort, will be liable to rejection. No single tender shall include more than one work but contractors who wish to tender for two or more works shall submit a separate tender for each work. The tenderer shall have the name and number of the work to which they refer written outside the envelope.

4क. दर (दरें) और/या रकम (रकमें) दशमिक सिक्का प्रणाली में कोट की जानी चाहिए ।

4A. The rate(s) and/or amount(s) must be quoted in decimal coinage.

5. मंडल/शाखा अधिकारी या उसका सम्यक रूप से प्राधिकृत सहायक निविदाओं को किन्हीं ऐसे ठेकेदार की उपस्थिति में खोलेगा जो ठेका लेने का विचार रखते हों और उस समय वहां उपस्थित हों और पृथक पृथक निविदाओं की रकम को उपयुक्त प्ररूप में एक तुलनात्मक विवरण में दर्ज करेगा । किसी निविदा के स्वीकार किए जाने की दशा में उसके साथ भेजे गए अग्रिम धन की पावती ठेकेदार को दे दी जाएगी, जो नियम 1 में उल्लिखित विनिर्देशों और अन्य दस्तावेजों की प्रतियों पर पहचान के प्रयोजन के लिए हस्ताक्षर करेगा । किसी निविदा के अस्वीकार किए जाने की दशा में, ऐसी अस्वीकृत निविदा के साथ भेजा गया अग्रिम धन उसको भेजने वाले ठेकेदार को वापस कर दिया जाएगा ।

5. The Circle/Branch Office or his duly authorised assistant, will open tenders in the presence of any intending contractors who may be present at the time and will enter the amount of the several tenders in a comparative statement in a suitable form. In the event of a tender being accepted, a receipt for the earnest money forwarded therewith shall thereupon be given to the contractor who shall thereupon for the purpose of identification sign copies of the specifications and other documents mentioned in Rule 1. In the event of tender being rejected, the Earnest money appended with such unaccepted tender shall thereupon be returned to the contractor remitting the same.

6. निविदाएं आमंत्रित करने वाले अधिकारी को सभी निविदाओं या उनमें से किन्हीं को अस्वीकार करने

6. The officer inviting tenders shall have the right of rejecting all or any of the tenders,

का अधिकार होगा, और वह निम्नतम निविदा को स्वीकार करने के लिए आवद्ध नहीं होगा ।

7. ठेकेदार द्वारा संदत्त किए गए धन के लिए लेखापाल या लिपिक को पावती मंडल/शाखा अधिकारी को संदाय की अभिस्वीकृति नहीं मानी जाएगी, और ठेकेदार मंडल/शाखा अधिकारी या सम्यक रूप से प्राधिकृत रोकड़ियों या आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पावती अभिप्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

8. जिस कार्य के लिए निविदा दी जाती है उसका ज्ञापन डाकतार विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की अनुसूची और उनकी निर्गम दरें, निविदा प्ररूप जारी करने से पूर्व मंडल/शाखा अधिकारी के कार्यालय में पूरी तौर से भरी जाएगी । यदि निविदा करने का विचार रखने वाले किसी निविदाकार को इस प्रकार भरे एवं पूर्ण किए बिना प्ररूप जारी कर दिया जाए तो वह अपनी निविदा पूरी करने से पूर्व और परिदत्त करने से पूर्व कार्यालय से ऐसा करवा लेने के लिए निवेदन करेगा ।

9. निविदाकारों को निर्माण कार्य के संबंध में दिए गए निविदा प्रलेखों की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अंतर्गत एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा । सफल निविदादाताओं को दिये गये सभी नक्शों को वापस करना होगा ।

घोषणापत्र

मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम निर्माण कार्य से संबधित निविदा प्रलेखों, नक्शों और अन्य अभिलेखों को गुप्त/गोपनीय प्रलेख मानूंगा/मानेंगे और उससे प्राप्त कोई भी जानकारी किसी ऐसे व्यक्तियों को संप्रेषित नहीं करूंगा/करेंगे जिसे संप्रेषित करने के लिए मैं/हम प्राधिकृत नहीं हूं/हैं अथवा उस जानकारी का इस प्रकार प्रयोग नहीं करूंगा/करेंगे जो राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले ।

ठेकेदार

कार्यों के लिए मद दर निविदा

मैं/हम अधोलिखित ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्य को ऐसे ज्ञापन में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर उसमें विनिर्दिष्ट दरों पर और सभी प्रकार से इसके नियम 1 में तथा, ठेके की शर्तों के खण्ड 11 में विनिर्दिष्ट विनिर्देशों, डिजाइनों, आरेखानों और लिखित अनुदेशों के अनुरूप तथा यथा उपबंधित सामग्री से और सभी बातों में इन शर्तों के, जहां तक वे लागू हों, अनुसार भारत के राष्ट्रपति के लिए निष्पादित करने के लिए इसके द्वारा निविदा करता हूं/करते हैं

and will not be bound to accept the lowest tender.

7. The receipt of an accountant or a clerk for any money paid by the contractor will not be considered as an acknowledgement of payment to the Circle/Branch Officer and the contractor shall be responsible for seeing that he procures a receipt signed by the Circle/Branch Officer or a duly authorised cashier or the Drawing and Disbursing Officer.

8. The memorandum of work tendered for, and the schedule of materials to be supplied by the Archaeological Survey of India and their issue rates, shall be filled in and completed in the office of the Circle/Branch Officer before the tender form is issued. If a form is issued to an intending tenderer without having been so filled in and not in complete form, he shall request the office to have this done before he completes and delivers his tender.

9. The tenderers shall sign a declaration under the official Secret Act for maintaining secrecy of the tender documents, drawings or other records connected with the work given to them. The unsuccessful tenderers shall return all the drawings given to them.

DECLARATION

I/We hereby declare that I/We treat the tender documents, drawings and other records connected with the work as secret/confidential documents and shall not communicate information derived therefrom to any person other than a person to whom I/we am/are authorised to communicate the same or use the information in any manner prejudicial to the safety of the State.

CONTRACTOR

Item Rate Tender for Works

I/We hereby tender for the execution for the President of India of the work specified in the underwritten memorandum within time specified in such memorandum at the rates specified therein, and in accordance with and in all respects with the specifications, designs, drawings and instructions in writing referred to in Rule 1 thereof and in Clause 11 of the conditions of contract, and with such materials as are provided for, by and in all respects in accordance with, such conditions so far as **applicable.**

ज्ञापन

(क) सामान्य वर्णन

(ख) प्राक्कलित लागत :

इमारती काम रु०

योग रु०

स्वच्छता संस्थापनाएं, जल-संभरण और रु०

(ग) अग्रिम धन रु०

(घ) प्रतिभूति निक्षेप रु०

(i) 1 लाख रु० तक की लागत के कार्य की दशा में निविदा में दिए गए कार्य की प्राक्कलित लागत का 10 प्रतिशत

(ii) 1 लाख रु० से अधिक और 2 लाख रु० तक की लागत के कार्य की दशा में, प्रथम 1 लाख रु० पर 10 प्रतिशत और शेष पर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत और

(iii) 2 लाख रु० से अधिक की लागत के कार्यों की दशा में, प्रथम 1 लाख रु० पर 10 प्रतिशत, उससे अगले 1 लाख रु० पर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत और शेष पर 5 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रकम केवल 1 लाख रु० होगी ।

प्रतिभूति निक्षेप ठेकेदारों के चालू बिलों में से उपरिवर्णित दरों पर कटौती द्वारा संगृहीत किया जाएगा और अग्रिम धन, यदि निविदा के समय नगद निक्षिप्त किया गया हो तो प्रतिभूति निक्षेप का भाग माना जाएगा ।

प्रतिभूति प्रपत्र

निम्नलिखित रुप में भी प्रतिभूति जमा ली जाएगी :

1. नगद

2. राज्य सरकार के लिए केन्द्रीय सरकार का वचन पत्र तथा स्टाक प्रमाण पत्र ।

MEMORANDUM :

(a) General description

(b) Estimated Cost :

(i) Building work
Rs. ....

TOTAL Rs. ....

(ii) Sanitary installations, water supply & drawing
Rs. ....

(c) Earnest Money
Rs. ....

(d) Security Deposit
Rs. ....

(i) In case of works costing upto Rs. 1 lakh, 10% of the estimated cost of the work put to tender :

(ii) In case of works costing more than Rs. 1 lakh and upto Rs. 2 lakhs, 10% of the first 1 lakh and 7½% on the balance; and

(iii) In case of works costing more than Rs. 2 lakhs, 10% on the first Rs. 1 lakh, 7½% on the next Rs. 1 lakh and 5% on the balance, subject to a maximum of Rs. 1 lakh only.

The security deposit will be collected by deductions from the running bills of the contractor at the rates mentioned above and the earnest money, if deposited in cash at the time of tender, will be treated as part of Security Deposit.

FORMS OF SECURITY

Security Deposit will be taken in the following Manner :—

1. Cash

2. Promissory notes and stock certificates of Central Government for States Government.

3. पोस्ट आफिस का नगद पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, खजाना बचत प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र ।

4. पोस्ट आफिस का बचत बैंक पास बुक ।

5. नगर पलिका ऋण पत्र अथवा पत्तन न्यास बांड ।

6. इस उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा प्राप्तियां ।

(च) प्रारम्भ करने के लिए लिखित आदेश की तारीख के पश्चात् 15 वें दिन से निर्माण कार्य के लिए अनुज्ञात समय......................मास ।

यदि यह निविदा पूर्णतः या भागतः स्वीकार कर ली जाए तो मैं/हम एतद्द्वारा (i) इसमें संलग्न उक्त शर्तों के सभी, निबन्धनों और उपबन्धों तथा निविदा-आमंत्रण की सूचना में अन्तर्विष्ट सभी निबन्धनों और उपबंधों के, वहां तक जहां तक वे लागू हों अनुपालन और पूरा करने और/या उसमें व्यतिक्रम की दशा में उक्त शर्तों में वर्णित धनराशि के भारत के राष्ट्रपति या उनके पदोत्तरवर्ती के पक्ष में समपहृत और संदाय करने का करार करता हूं/करते हैं । ....रु० की राशि खजाना चालान/सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक की मांग पर जमा की रसीद के रु० में अग्रिम धन के तौर पर इसके साथ भजी जा रही है । यदि मैं/हम उपर्युक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहा/रहे तो मैं/हम इस बात के लिए सहमत हूं/सहमत हैं कि उक्त राष्ट्रपति या उनके पदोत्तरवर्ती किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त अग्रिम धन को पूर्ण रुप से समपहृत करने के लिए स्वतंत्र होंगे, अन्यथा उक्त अग्रिम धन उपर्विणित ज्ञापन के खण्ड (घ) के सामने उल्लिखित प्रतिभूति निक्षेप हेतु उसके द्वारा प्रतिधारित रखा जाएगा, (ii) निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट सभी कार्यों को उनमें अन्तर्विष्ट या निर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों पर निष्पादित करने और निविदा दस्तावेज में उद्धृत दरों पर ऐसे परिवर्तनों का, जिनके लिए आदेश किया जाए अधिकतम ————————प्रतिशत तक, और उस सीमा से अधिक परिवर्तनों की दशा में निविदा प्ररुप के खण्ड 12क में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार अवधारित की जाने वाली दरों पर पूरा करने का करार करता हूं/करते हैं ।

हस्ताक्षर

ठेकेदार

तारीख

3. Post Office cash certificates, National Saving Certificates, Treasury Saving Certificates and National Plan Saving Certificates.

4. Post Office Savings Bank Pass Book.

5. Municipal Debentures or Port Trust Bonds.

6. Deposit Receipts of public sector (recognised) bank (approved by Government for the purpose).

(e) Time allowed for the work for the 15th day after the date of written order to commence..............months.

Should this tender be accepted, in whole or in part, I/We hereby agree (i) to abide by and fulfil all the terms and provisions of the said conditions annexed hereto and all the terms and provisions contained in notice inviting tenders so far as applicable and/or in default thereof to forfeit and pay to the President of India or his successors, in Office, the sum of money mentioned in the said conditions. A sum of Rs.——————is hereby forwarded in Cash/Treasury Challan/Deposit at Call Receipt of a public sector Bank (Scheduled Bank guaranted by the Reserve Bank of India) as Earnest Money. If I/We fail to commence the work specified in the above Memorandum, I/We agree that the said President or his successors in office shall, without prejudice to any other right or remedy, by that liberty to forfeit the said Earnest Money absolutely, otherwise the said Earnest Money shall be retained by him towards Security Deposit mentioned against Clause (d) of the above mentioned Memorandum; (ii) to execute all the works referred to in the tender documents upon the terms and conditions contained or referred to therein and to carry out such deviations as may be ordered. Upto a maximum of ——————per cent at the rates quoted in the tender documents and those in excess of that limit at the rates to be determined in accordance with the provision contained in Clause 12A of the tender form.

*Signature
Contractor

Dated the .... day of............

साक्षी
Witness

उपजीविका
Occupation

मैं भारत के राष्ट्रपति की ओर से उपर्युक्त निविदा एतद्द्वारा स्वीकार करता हूं ।
The above tender is hereby accepted by me on behalf of the President of India.

तारीख 19 हस्ताक्षर
Dated the ....day of............19 *Signature

---

निविदा देने से पूर्व ठेकेदार के हस्ताक्षर
Signature of contractor before submission of tender

ठेकेदार के हस्ताक्षर के साक्षी के हस्ताक्षर
Signature of witness of contractor's signature

निविदा स्वीकार करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर ।
*Signature of the officer by whom accepted.

ठेके की शर्तें

परिभाषाएं :

(1) "ठेके" से निविदा और उसकी स्वीकृति तथा भारत के राष्ट्रपति और ठेकेदार के बीच निष्पादित औपचारिक करार की दस्तावेजें और उसके साथ उसमें निर्दिष्ट दस्तावेजें अभिप्रेत हैं जिनके अंतर्गत ये शर्तें, विनिर्देश, डिजाइनों, रेखांकन और मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा समय-समय पर किए गए अनुदेश शामिल हैं, और ये सभी दस्तावेजें एक साथ मिलकर एक ठेका मानी जाएगी और एक दूसरे की पूरक होंगी ।

(2) ठेके के निम्नलिखित पदों के, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें इसके द्वारा क्रमशः दिए गए हैं :

(क) 'कार्य' पद का अर्थ, जब तक कि यह विषय संदर्भ में ऐसे अर्थ के विरुद्ध कोई बात न हो, किए गए ठेके द्वारा या उसके आधार से किए जाने वाला कार्य होगा और माना जाएगा चाहे वे अस्थायी या स्थायी हों, और चाहे वे मूल, परिवर्तित, प्रतिस्थापित या अतिरिक्त हों ।

CONDITIONS OF CONTRACT

Definitions :

(1) The 'Contract' means the documents forming the tender and acceptance thereof and the formal agreement executed between the President of India and the Contractor, together with the documents referred to therein including these conditions, the specifications, designs, drawings, and instructions, issued from time to time by the Circle and Branch Officer and all these documents taken together, shall be deemed to form one contract and shall be complementary to one another.

(2) In the contract the following expressions shall unless the context otherwise requires, have the meanings, hereby respectively assigned to them :

(a) The expression 'Works' or 'Work' shall, unless there be something either in the subject or context repugnant to such construction, be construed and taken to mean the works by or by virtue of the contract contracted to be executed whether temporary or permanent, and whether original, altered, substituted or additional.

(ख) "स्थल" से अभिप्रेत है वह भूमि और/या अन्य स्थान जिस पर, जिसमें या जिसके माध्यम से ठेके के अधीन कार्य निष्पादित किया जाना है या कोई पार्श्वस्थ भूमि, पथ या मार्ग जिसके माध्यम से ठेके के अधीन कार्य निष्पादित किया जाना है या कोई पार्श्वस्थ भूमि, पथ या मार्ग जिसके माध्यम से ठेके के अधीन कार्य निष्पादित किया जाना है या कोई पार्श्वस्थ भूमि, पथ या मार्ग जो ठेके को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए आवंटित या प्रयुक्त किया जाए, जहां भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यह आवश्यक प्रतीत होगा। शब्द "स्थल" के अंतर्गत प्राचीन संस्मारकों का वैसा स्थल भी सम्मिलित होगा जैसा कि प्राचीन संस्मारक, स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 में परिभाषित है ।

(ग) "ठेकेदार" से ऐसा व्यक्ति या फर्म या कम्पनी, चाहे वह नियमित हो या नहीं अभिप्रेत है जो कार्य का भार अपने ऊपर ले और इसके अंतर्गत विधिक वैयक्तिक प्रतिनिधि या ऐसी फर्म या कम्पनी गठित करने वाल व्यक्ति या एसी फर्म या कम्पनी के उत्तराधिकारी और ऐसे व्यक्ति या फर्म या फर्मों या कम्पनी के अनुज्ञात समनुदेशिती भी होंगे ।

(घ) "राष्ट्रपति" से भारत के राष्ट्रपति और उनके पदोत्तरवर्ती अभिप्रेत हैं ।

(ङ) "मंडल/शाखा अधिकारी" से, यथास्थिति अधीक्षक पुरातत्वविद, या मुख्य उद्यान कृषि विशेषज्ञ या मंडल अथवा शाखा का समतुल्य पदाधिकारी अभिप्रेत है जो कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और उसका भारसाधक होगा और जो भारत के राष्ट्रपति की ओर से ठेके पर हस्ताक्षर करेगा ।

(छ) "सरकार" या "भारत सरकार" से भारत के राष्ट्रपति अभिप्रेत हैं ।

(ज) "मंडल/शाखा अधिकारी" पद के अंतर्गत महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी हैं ।

एकवचन का बोध कराने वाले शब्दों के अंतर्गत बहुवचन और बहुवचन के अंतर्गत एकवचन भी हैं ।

सभी के संदर्भ में :

(i) भा० पु० स०/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ।

(b) The 'Site' shall mean the land and/or other places on, into or through which work is to be executed under the contract or any adjacent land, path or street through which work is to be executed under the contract or any adjacent land, path or street through which work is to be executed under the contract or any adjacent land, path or street which may be allotted or used for the purpose of carrying out the contract wherever it is considered necessary by the A.S.I. The term 'Site' may also include the site of an ancient Monuments as defined in the Ancient Monuments & Sites and Remains Act, 1958.

(c) The 'Contractor' shall mean the individual or firm or company, whether incorporated or not, undertaking the works and shall include the legal personal representative or such individual or the persons composing such firm or company, or the successors of such firm or company and the permitted assignees of such individual or firms or company.

(d) The 'President' means the President of India and his successors.

(e) The Circle/Branch Officer means the Superintending Archaeologist or Chief Horticulturist or an officer of the equivalent rank incharge of the respective Circle or Branch who shall be in charge of the work and who shall sign the contract on behalf of the President.

(f) 'Government' or 'Government of India' shall mean the President of India.

(g) The term Circle/Branch Officer include Director General, Archaeological Survey of India, wherever necessary.

While imparting the singular number include the plural number and vice versa.

All reference to :—

(i) A.S.I./Archaeological Survey of India.

(ii) महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ।

(iii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सभी मंडल/शाखा अधिकारी ।

(iv) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय ।

(v) निदेशक (संरक्षण), संयुक्त महानिदेशक, अपर महानिदेशक, और महानिदेशक ।

(vi) भारतीय पुरातत्व सवक्षण के मंडल/शाखा कार्यालय ।

सिवाय

(i)

प्रतिभूति निक्षेप

खण्ड 1—जिस व्यक्ति/जिन व्यक्तियों की, (जिसे/जिन्हे इसमें, इसके पश्चात् "ठेकेदार" कहा गया है) निविदाएं स्वीकार हो जाएं वह/वे ठेके के अधीन किए गए किसी कार्य के लिए उसके/उनके किसी संदाय के लिए जाने के समय सरकार को ऐसी राशि की कटौती करने के लिए अनुज्ञात करेगा/करेंगे जो अग्रिम धन के रूप में पहले ही निक्षिप्त राशि के साथ मिलकर निम्नलिखित के बराबर होगी :

(i) 1,00,000 रुपय तक की लागत वाल कार्यों की दशा में निविदत्त काय की प्राक्कलित लागत का 10%;

(ii) 1,00,000 रुपय से अधिक और 2,00,000 रुपये तक की लागत वाले कार्यों की दशा में प्रथम 1,00,000 रुपय पर 10% और अतिशष पर 7%; तथा

(iii) 2,00,000 रुपये से अधिक लागत वाल कार्यों की दशा में प्रथम 1,00,000 रुपये पर 10%, अगले 1 लाख रुपये पर 7½%, और अतिशेष पर 5% किन्तु, अधिकतम राशि केवल 1,00,000 रुपये होगी ।

(ii) Director General, Archaeological Survey of India.

(iii) Circle/Branch Officer of Archaeological Survey of India.

(iv) Ministry of Education & Culture in various classes shall be taken to mean.

(v) Director (Conservation), Joint Director General, Addl. Director General and Director General.

(vi) Circle/Branch Office of the Archaeological Survey of India.

EXCEPT.

In the following places/clauses where no modification is intended :—

(i) Under the head/exemption from the payment of earnest money.

Security Deposit

CLAUSE 1. The person/persons, whose tender(s) may be accepted (hereinafter called 'the contractor') shall permit Government at the time of making any payment to him for work done under the contract to deduct such sum as along with the sum already deposited will amount :

(i) in the case of works costing upto Rs. 1,00,000 to 10% of the estimated cost of the work put to tender ;

(ii) in the case of works costing more than Rs.1,00,000 and upto Rs 2,00,000 to 10% on the first Rs. 1,00,000 and 7½% on the balance; and

(iii) in the case of works costing more than Rs. 2,00,000 to 10% on the first Rs. 1,00,000, 7½% on the next Rs. 1 lakh and 5% on the balance, subject to a maximum of Rs 1,00,000 only.

6—112 D. G. Arch/Survey/ND/83

यदि प्रतिभूति निक्षेप के भाग के रुप में किसी बैंक की सावधि निक्षेप पावती ठकेदार द्वारा सरकार को दी जाती है और बैंक का समापन हो जाता है या किसी कारण से उक्त सावधि निक्षेप पावती के आधार पर संदाय करने में असमर्थ है, तो उससे हुई हानि ठेकेदार पर पड़ेगी और ठेकेदार कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति मांग पर तत्क्षण सरकार को देगा ।

ऐसी कटौतियां सरकार रा प्रतिभूति निक्षेप के रुप में रखी जाएंगी। परन्तु सवदा यह कि सरकार इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक चालू विल की रकम का 10% प्रथम 1,00,000 तक, $7\frac{1}{2}$% अगल 1,00,000 तक तथा अतिशष पर 5% बशतें कि यह राशि 1,00,000 रुपय से अधिक न हो, तब तक वसूल करने की हकदार होगी जब तक कि प्रतिभूति निक्षप की रकम का अतिशप प्राप्त नहीं कर लिया जाता। इस ठके निबन्धनों के अधीन ठेकेदार द्वारा सदेय सभी प्रतिकर या अन्य धन राशियां उसके प्रतिभति निक्षेप से या उससे होने वाले ब्याज से, या ऐसी राशियों में से जो किसी भी कारण से सरकार द्वारा ठकेदार को देय हों या हो जाएं काटी जा सकेंगी या प्रतिभूति निक्षेप के पर्याप्त भाग के विक्रय द्वारा संदत्त की जा सकेगी, और किन्हीं ऐसी कटौतियों का यथा पूर्वोक्त विक्रय के कारण उसके प्रतिभूति निक्षेप के कम हो जाने की दशा में, ठेकेदार 10 दिन के भीतर नगद या भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में निष्पादित प्रत्याभूति बंध-पत्रों के रुप में या भारतीय स ट वेंक द्वारा या सरकारी क्षेत्र के वैंकों द्वारा निविदत्त सावाध निक्षेप पावती के रुप में (अनुसूचित वैंकों द्वारा प्रस्थापित प्रत्याभूति की दशा में रकम भारतीय रिजर्व वैंक द्वारा विहित वित्तीय सीमा के अंदर होगी) या मंडल/शाखा अधिकारी के पक्ष में पृष्ठांकित सरकारी प्रतिभूतियों के रुप में (यदि 12 मास से अधिक के लिए निक्षिप्त की गई हो) किसी राशि या राशियों को, जो उसकी प्रतिभूति निक्षेप से या उसके किसी भाग से कटौती की गई हों या विक्रय से ली गई हो, पूरी करेगा । प्रतिभूति निक्षेप ऊपर वर्णित दरों पर ठेकेदार के चालू विलों में से संगृहीत किया जाएगा और यदि अग्रिम धन निविदाओं के साथ नगद जमा किया गया हो तो वह प्रतिभूति निक्षप का भाग समझा जाएगा ।

टिप्पणी : 1—प्रतिभूति के रुप में निविदत्त सरकारी कागज पत्रों के उनके बाजार कीमत अथवा उनके अंकित मूल्य से, जो भी कम हो, 5% (पांच प्रतिशत) कम के रुप में लिया जाएगा । सरकारी कागजपत्र की बाजार कीमत मंडल।

In case a fixed deposit receipt of any Bank is furnished by the contractor to the Government as part of the security deposit and the Bank goes into liquidation or for any reason is unable to make payment against the said fixed deposit receipt, the loss caused thereby shall fall on the contractor and the contractor shall forthwith on demand furnish additional security to the Government to make good the deficit.

Such deductions will be held by Government by way of Security Deposit. Provided always that the Govt. for this purpose shall be entitled to recover 10% on the first one lakh, 7½% on next one lakh & 50% on the balance subject to a maximum of Rs. one lack, from the amount of each running bill till the balance of the amount of Security Deposit is realised. All compensation or the other sums of money payable by the contractor under the terms of this contract may be deducted from, or paid by the sale of a sufficient part of his security deposit or from the interest arising therefrom, or from any sums which may be due to or may become due to the contractor by Government or in any account whatsoever and in the event of his Security Deposit being reduced by reason of any such deductions or sale as aforesaid, the conractor shall within 10 days make good in cash or Guarantee Bonds executed in favour of the President of India or fixed deposit receipt tendered by the State Bank of India or by public sector (Scheduled) banks (in case of guarantee offered by scheduled banks, the amount shall be within the financial limits prescribed by the Reserve Bank of India); or Govt. Securities (if deposited for more than 12 months) endorsed in favour of the Circle/Branch Officer, any sum or sums which may have been deducted from, or raised by sale of his security deposit or any part thereof. The security deposit shall be collected from the running bills of the contractor at the rates mentioned above and the Earnest Money if deposited in cash at the time of tenders will be treated as part of the Security Deposit.

NOTE 1—Government papers tendered as Security will be taken at 5% (five per cent) below its market price or at its face value, whichever is less.

शाखा अधिकारी द्वारा ब्याज के संग्रहण के समय अभी निश्चित की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो ब्याज की रकम सरकारी कागज पत्र के मूल्य में कमी की सीमा तक रोक ली जाएगी ।

The market price of Government papers would be ascertained by the Circle/Branch Officer at the time of collection of interest and the amount of interest to the extent of deficiency in value of the Government paper will be withheld if necessary.

टिप्पणी 2—सरकारी प्रतिभूतियों के अतंर्गत विश्वस्तता बंधपत्रों को छोड़कर साधारण वित्तीय नियमों के नियम 274 में वर्णित सभी प्ररुप और प्रतिभूतियां होंगी । ऐसा इस नियम के अधीन प्रतिभूति के प्रत्यक प्ररुप के सामन वर्णित शर्तों के अनुपालन किय जाने के अध्यधीन होगा ।

Note 2—Govt. securities will include all forms of securities mentioned in Rule No. 274 of the G.F. Rules except fidelity bond. This will be subject to the observance of the condition mentioned under the rule against each form of security.

टिप्पणी 3—यदि ठेकेदार सरकार को प्रतिभूति निक्षेप सावधिक जमा रसीद देता है जो दिवालिया हो जाता है या उक्त सावधिक जमा रसीद के विरुद्ध किसी कारण भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो इससे होने वाली क्षति का भार ठकेदार पर पड़गा और वह ठेकेदार सरकार को इस कमी की पूर्ति के रुप में मांग किए जाने पर अतिरिक्त प्रतिभूति देगा ।

Note 3—In case a fixed deposit receipt of any Bank, is furnished by the contractor to the Government as part of the Security deposit and the Bank goes into liquidation or for any reason is unable to make payment against the said fixed deposit receipt, the loss caused thereby shall fall on the contractor and the contractor shall forthwith on demand furnish additional security to the Government to make good the deficit.

विलंब के लिए प्रतिकर

Compensation for delay

खण्ड 2. कार्य पूरा करने के लिए निविदा में दर्ज किया गया अनुज्ञात समय का ठेकेदार द्वारा पूर्णतः अनुपालन किया जाएगा और उसे ठेकेदार की ओर से ठेके का मर्म समझा जाएगा तथा ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने के लिए दिए गए आदेश की तारीख के पश्चात् पन्द्रहवें दिन से उसकी गणना की जाएगी । निर्माण कार्य ठेके की सम्पूर्ण नियत अवधि में सम्यक तत्परता से किया जाएगा और ठकेदार उचित तारीखों के पश्चात् प्रत्येक उस दिन के लिए जब कार्य प्रारम्भ न हुआ हो या पूरा न किया गया हो निविदा में यथादर्शित सम्पूर्ण कार्य के प्राक्कलित खर्च की रकम पर एक प्रतिशत के बराबर रकम या ऐसी रकम, जो अधीक्षक इंजीनियर (जिसका लिखित विनिश्चय अंतिम होगा) विनिश्चय करे, प्रतिकर के रुप में संदत्त करेगा । इसके अतिरिक्त कार्य के निष्पादन के दौरान अच्छी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार ऐसे सभी मामलों में, जिनमें (विशेष कार्यों को छोड़) किसी कार्य के लिए अनुज्ञात समय एक मास से अधिक हो, पूरे कार्य का एक बटा आठ भाग, ठेके के अधीन अनुज्ञात संपूर्ण समय के एक चौथाई भाग के समाप्त होने से पूर्व,

CLAUSE 2. The time allowed for carrying out the work as entered in the tender shall be strictly observed by the contractor and shall be deemed to be of the essence of the contract on the part of the contractor and shall be reckoned from the fifteenth day after the date on which the order to commence the work is issued to the contractor. The work shall throughout the stipulated period of the contract be proceeded with all due diligence and the contractor shall pay as compensation an amount equal to one percent or such smaller amount as the Circle/Branch Officer (whose decision in writing shall be final) may decide on the amount of the estimated cost of the whole work as shown in the tender, for every day that the work remains uncommenced or unfinished after the proper dates. And further to ensure good progress during the execution of the work, the contractor shall be bound in all cases in which the time allowed for any work exceeds, one month (save for special job) to complete one-eighth of the whole of the work before one-fourth of the whole time allowed under the contract has elapsed; three-

कार्य का तीन बटा आठ भाग, आधे भाग के समाप्त होने से पूर्व तथा कार्य का तीन-चौथाई भाग, ऐसे समय के तीन चौथाई भाग के समाप्त होने से पूर्व पूरा करने के लिए आवद्ध होगा। किन्तु, यदि विशेष कार्यों के लिए ठेकेदार ने कोई समय सूची दी है और उसे मंडल/शाखा अधिकारी ने स्वीकार कर लिया है, तो ठेकेदार उक्त समय सूची का अनुपालन करेगा। यदि ठेकेदार इस शर्त का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो यह उस प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान इतना कार्य नहीं किया जाता है जितना नियम है, सम्पूर्ण कार्य को उक्त प्राक्कलित लागत पर एक प्रतिशत के बराबर रकम या ऐसी कम रकम जो मंडल/शाखा अधिकारी (जिसका लिखित विनिश्चय अंतिम होगा) विनिश्चित करे, प्रतिकर के रुप में संदन करेगा। परन्तु सर्वदा यह है कि इस खण्ड के उपबन्धों के अधीन संदत्त की जाने वाली संपूर्ण रकम निविदा में यथादर्शित कार्य की प्राक्कलित लागत पर दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

खण्ड 3—मंडल/शाखा अधिकारी किसी विलब या घटिया कारीगरी के बारे में अन्यथा ठेके के किसी प्रकार भंग किए जाने के बारें में नुकसान के किन्हीं दावों के बारें में ठेकेदार के विरुद्ध अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस ठेके के उपवन्धों में से किसी के अधीन या अन्यथा किन्हीं अधिकारों या उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और चाहे कार्य पूरा करने की तारीख समाप्त हो गई हो या नहीं, लिखित सूचना द्वारा निम्नलिखित दशाओं में से किसी में ठेके को पूरे तौर पर समाप्त कर सकेगा :

(i) यदि ठेकेदार मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा उसे यह लिखित सूचना दिए जाने पर कि किसी त्रुटिपूर्ण कार्य को ठीक किया जाए, पुनः सन्निर्मित किया जाए या बदल दिया जाए या यह कि कार्य अकुशल या अन्यथा अनुचित या कर्मकौशल रहित रीति में किया जा रहा है, ऐसी सूचना दिए जाने के पश्चात् सात दिन की अवधि तक ऐसी सूचनाओं की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है या यदि ठेकेदार कार्य के निष्पादन में इस प्रकार विलंब करता है या उसको निलंबित रखता है कि वह मंडल/शाखा अधिकारी के निर्णयानुसार (जो अंतिम और आवद्धकर होगा) कार्य पूरा किए जाने की तारीख तक कार्य पूरा करने में असमर्थ होगा या वह उस तारीख तक कार्य पूरा करने में असफल रहा है।

(ii) यदि ठेकेदार, जो कम्पनी होने के नाते यह संकल्प पारित करता है या न्यायालय यह आदेश करता

eighth of the work, before one-half of such time has elapsed, and three-fourths of the work, before three-fourths of such time has elapsed. However, for special jobs if a time-schedule has been submitted by the Contractor and the same has been accepted by the Circle/Branch Officer, the contractor shall comply with the said time-schedule. In the event of the contractor failing to comply with this condition, he shall be liable to pay compensation. an amount equal to one per cent or such smaller amount as the Circle/Branch Officer (whose decision in writing shall be final) may decide on the said estimated cost of the whole work for every day that the due quantity of work remains incomplete. Provided always that the entire amount of compensation to be paid under the provisions of this Clause shall not exceed ten per cent on the estimated cost of the work as shown in the tender.

CLAUSE 3. The Circle/Branch Officer may without prejudice to his right against the contractor in respect of any delay or inferior workmanship or otherwise or to any claim for damage in respect of any breaches of the contract and without prejudice to any rights or remedies under any of the provisions of the contract or otherwise and whether the date for completion has or has not elapsed by notice in writing absolutely determine the contract in any of the following cases :—

(i) If the contractor having been given by the Circle/Branch Officer a notice in writing to rectify, reconstruct or replace any defective work or that the work is being performed in any inefficient or otherwise improper or unworkmanlike manner shall omit to comply with the requirements of such notice for a period of seven days thereafter or if the contractor shall delay or suspend the execution of the work so that either in the judgement of the Circle/Branch Officer (which shall be final and binding) he will be unable to secure completion of the work by the date for completion or he has already failed to complete the work by that date.

(ii) If the contractor being a company shall pass a resolution or the court

है कि कम्पनी का परिसमापन किया जाए या यदि किसी लेनदार की ओर से कोई रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त किया जाता है या यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जो न्यायालय या लेनदार को रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त करने के लिए हकदार बनाती है या जो न्यायालय को परिसमापन आदेश करने का हकदार बनाती है ।

(ii) यदि ठेकेदार इस ठेके के निबन्धनों और शर्तों में से किसी को भंग करता है ।

(iv) यदि ठेकेदार इसके खण्ड 21 में उल्लिखित कोई कार्य करता है ।

8. जब ठेकेदार ने पूर्वोक्त दशाओं में से किसी के अधीन अपने को कार्रवाई किए जाने के दायित्वाधीन कर लिया हो तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल/शाखा अधिकारी को ये शक्तियां होंगी कि वह :—

(क) ठेके को पूर्वोक्त रुप से समाप्त या विखण्डित कर दे (जिस समाप्ति या विखण्डन की ठेकेदार को दी गई मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सूचना निश्चायक साक्ष्य होगी) । ऐसी समाप्ति या विखण्डन पर ठेकेदार का प्रतिभूति निक्षेप समपहृत किए जाने के दायित्वाधीन होगा और पूर्णतः सरकार के व्ययनाधीन होगा ।

(ख) ऐसे मजदूर, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संदाय किया जाता है, नियोजित करें और कार्य या कार्य के किसी भाग को पूरा करने के लिए सामग्री प्रदाय करें जिसकी मजदूरी का खर्च और सामग्रियों की कीमत ठेकेदार से विकलित की जाएगी (जिस खर्चे तथा कीमत की मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा प्रमाणित रकम ठेकेदार के विरुद्ध अंतिम और निश्चायक होगी) और सभी प्रकार किए गए कार्य का मूल्य उसी रीति में और उन्हीं दरों पर उसके खाते में जमा किया जाएगा मानों वह कार्य ठेकेदार द्वारा उसके ठेके के निबन्धनों के अधीन किया गया है । किए गए कार्य के मूल्य बाबत खण्ड अधिकारी का प्रमाण-पत्र ठेकेदार के विरुद्ध अंतिम और निश्चायक होगा, परन्तु सर्वदा यह कि उपखण्ड के अधीन कार्रवाई ठेकेदार को

shall make an order that the company shall be wound up or if a receiver or a manager on behalf of a creditor shall be appointed or if circumstances shall arise which entitle the court or creditor to appoint a receiver or a manager or which entitle the court to make a winding up order.

(iii) If the contractor commits breach of any of the terms and conditions of this contract.

(iv) If the contractor commits any acts mentioned in Clause 21 hereof.

8. When the contractor has made himself liable for action under any of the cases aforesaid, the Circle/Branch Officer on behalf of the President of India shall have powers :—

(a) To determine or rescind the contract as aforesaid (of which termination or rescission notice in writing to the contractor under the hand of the Circle/Branch Officer shall be conclusive evidence). Upon such determination or rescission the security deposit of the contractor shall be liable to be forfeited and shall be absolutely at the disposal of Government.

(b) To employ labour paid by the Archaeological Survey of India and to supply materials to carry out the work or any part of the work debiting the contractor with the cost of the labour and the price of the materials (of the amount of which cost and price certified by the Circle/Branch Officer shall be final and conclusive against the contractor) and crediting him with the value of the work done in all respects in the same manner and at the same rates as if it had been carried out by the contractor under the terms of his contract. The certificate of the Circle/Branch Officer as to the value of the work done shall be final and conclusive against the contractor, provided always that action under the sub-clause shall only be taken after giving notice in writ-

लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात् ही की जाएगी। परन्तु वह भी कि यदि विभाग द्वारा उपगत व्यय ठेकेदार को उसकी करार-दरों पर संदेय रकम से हो तो उसका अन्तर ठेकेदार को संदत्त नहीं किया जाएगा।

(ग) ठेकेदार को सूचना देने के पश्चात उसके कार्य की माप करें और उसके कार्य का वह भाग जो अनिष्पादित रह जाए, उससे लेकर दूसरे ठेकेदार को उसे पूरा करने के लिए दे और इस दशा में उस राशि से जो मूल ठेकेदार को संदत्त की गई होती यदि पूरा कार्य उसके द्वारा निष्पादित किया जाता, अधिक उपगत कोई व्यय (जिस अधिक रकम के संबंध में मंडल/शाखा अधिकारी का लिखित प्रमाण पत्र अंतिम और संदत्त किया जाएगा) और यथा-स्थिति, सरकार द्वारा इस ठके के अधीन या किसी भी अन्य लेखे उसको देय किसी धन में से या उसके प्रतिभूति निक्षप से या उसके विक्रय के आगमों से या उसके पर्याप्त भाग से काट लिया जाएगा।

मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा उपरोक्त में से कोई एक या अधिक मार्ग अपनाए जाने की दशा में ठेकेदार ऐसी किसी हानि के लिए प्रतिकर का दावा नहीं करेगा जो उसे कार्य के निष्पादन या ठेके परिपालन के कारण या उसकी पुष्टि से उसके द्वारा किसी सामग्री के खरीद लिए जाने या कोई पेशगी दे दिए जाने के कारण उसे उठानी पड़ी हो और यदि पूर्वोक्त उपबन्धों में से किसी के अधीन वस्तुतः किए गए किसी कार्य के लिए कोई राशि वसूल करने या संदत्त किए जाने का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक कि मंडल/शाखा अधिकारी ने ऐसे कार्य का पालन और उसके बारे में संदेय कीमत लिखित रुप से प्रभावित न कर दी हो और वह केवल ऐसे प्रमाणित की गई कीमत संदत्त किए जाने का ही हकदार होगा।

यदि खंड 3 के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो ठेकेदार प्रतिकर का संदाय करने के दायित्वाधीन रहेगा। ठेकेदार के संयंत्र का कब्जा लेने या उसको हटाए जाने की अपेक्षा करने या उसका विक्रय करने की शक्ति।

खण्ड 4. ऐसी किसी दशा में जिसमें उपरोक्त खण्ड 3 द्वारा मंडल/शाखा अधिकारी को प्रदत्त कोई शक्ति

ing to the contractor. Provided also that if the expenses incurred by the department are less than the amount payable to the contractor at his agreement rates, the difference should not be paid to the contractor.

(c) After giving notice to the contractor to measure up the works of the contractor and to take such part thereof as shall be unexecuted out of his hands and to give it to another contractor to complete in which case any expenses which may be incurred in excess of the sum which would have been paid to the original contractor if the whole work had been executed by him (of the amount of which excess the certificate in writing of the Circle/Branch Officer shall be final and conclusive) shall be borne and paid by the original contractor and may be deducted from any money due to him from Government under this contract or any other account whatsoever or the proceeds of sale thereof/or a sufficient part thereof as the case may be.

In the event of any one or more of the above courses being adopted by the Circle/Branch Officer the contractor shall have no claim to compensation for any loss sustained by him by reason of his having purchased or procured any materials or entered into any engagements or made any advances on this account with a view to the execution of the work or the performance of the contract. And in case action is taken under any of the provisions aforesaid the contractor shall not be entitled to recover or be paid any sum for any work thereto or actually performed under this contract unless and until the Circle/Branch Officer has certified in writing the performance of such work and the value payable in respect thereof and he shall only be entitled to be paid the value so certified.

Contractor to remain liable to pay compensation if action not taken under clause 3. Powers to take possession of or require removal of or sell contractors plant.

CLAUSE 4. In any case in which any of the powers conferred upon the Circle/Branch

प्रयोक्तव्य हो जाए और उसका प्रयोग न किया जाए तो उसका प्रयोग न किया जाना इसको किन्हीं शर्तों का अधित्यजन नहीं होगा और इसके होते हुए भी भविष्य में ठेकेदार द्वारा व्यतिक्रम किए जाने की दशा में ऐसी शक्तियां प्रयोक्तव्य होंगी ठेकेदार का प्रतिकर के लिए दायित्व अप्रभावित रहेगा । यदि मंडल/शाखा अधिकारी पूर्वगामी खण्ड के अधीन अपने में निहित सब शक्तियों या उनमें से किसी को प्रवृत्त करे तो वह, यदि चाहे तो ठेकेदार के या ठेकेदार द्वारा प्राप्त किए गए और कार्य के निष्पादन के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित उन सब या किन्हीं औजारों, सयंत्र, सामान और सामग्री का, जो संकर्म में या पर अथवा उसके स्थल पर हो या उनके किसी भाग का उनके लिए ठेके की दरों पर या यदि वे लागू नहीं हैं तो मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाने वाली चालू बाजार दरों पर, जिनके बारे में उसका प्रमाण-पत्र अंतिम होगा, संदाय करके या खाते में अनुज्ञात करके ठेकेदार की लिखित सूचना देकर कब्जा ले सकेगा (यह पूर्णत: मंडल/शाखा अधिकारी के विवेकानुसार, जो अंतिम होगा) या भाड़े पर प्रयुक्त कर सकेगा (भाड़ा धन की रकम भी अंतिम रुप से मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी) अन्यथा मंडल/शाखा अधिकारी लिखित सूचना द्वारा ठेकेदार को इस संकर्म में उसके लिपिक, फोरमैन या अन्य प्राधिकृत अभिकर्ता को ऐसे औजार, संयत्र, सामान या सामग्री को परिसर से (ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर) हटाने के लिए आदेश दे सकेगा; और यदि ठेकेदार ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहे तो मंडल/शाखा अधिकारी उनको ठेकेदार के खर्चे पर हटवा सकेगा या नीलामी द्वारा या ठेकेदार के लेखे और सभी दृष्टियों से उसके जोखिम पर प्राइवेट विक्रय द्वारा बेच सकेगा और ऐसी किसी हटाए जाने के व्यय के और ऐसी बिक्री के आगम की रकम और व्यय के बारे में मंडल/शाखा अधिकारी का प्रमाण-पत्र ठेकेदार के विरुद्ध अंतिम और निश्चायक होगा ।

समय का बढ़ाया जाना

खण्ड 5. यदि ठेकेदार कार्य को पूरा करने के लिए उसके निष्पादन में अनिवार्य रुप से प्रतिबाधित होने के आधार पर या किसी अन्य आधार पर समय बढ़ाये जाने की इच्छा करता है तो वह उस प्रतिबाधा की, जिसके कारण वह पूर्वोक्त रुप से समय बढ़ाए जाने की इच्छा करता है, तारीख से 30 दिन के भीतर मंडल/शाखा अधिकारी को लिखित आवेदन करेगा, और यदि मंडल/शाखा अधिकारी के कार्य में (जो अंतिम होगी) इसके लिए युक्तियुक्त आधार दर्शित किए गए हों तो वह समय में वृद्धि, यदि, कोई हो

Officer by Clause 3 aforesaid shall have become exercisable and the same shall not be exercised, the non-exercise thereof shall not be exercised, the non-exercise thereof shall not constitute a waiver of any of the conditions hereof and such powers shall notwithstanding be exercisable in the event of the Circle/ Branch Officer puting in force all or any of the powers vested in him under the proceeding clause he may, if he so desires, after giving a notice in writing to the Contractor, take possession of (at the sole discretion of the Circle/Branch Officer which shall be final) or use as on hire (the amount of the hire money) being also in the final determination of the Circle/Branch Officer all or any tools, plant, materials and stores, in or upon the works, or the site thereof, belonging to the contractor or procured by the contractor and intended to be used for the execution of the work or any part thereof, paying or allowing for the same in account at the contract rates, or, in the case of these not being applicable, at current market rates to be certified by the Circle/Branch Officer, whose certificate thereof shall be final, otherwise the Circle/Branch Officer by notice in writing may order the contractor, or his clerk of the works foreman or other authorised agent to remove such tools, plant, materials, or stores from the premises (within a time to be specified in such notice) ; and in the event of the contractor failing to comply with any such requisition, the Circle/Branch Officer may remove them at the Contractor's expense or sell them by auction or private sale on account of the contractor and at his risk in all respects and the certificate of the Circle/Branch Officer as to the expense of any such removal and the amount of the proceeds and expense of any such sale shall be final and conclusive against the contractor.

Extension of time

CLAUSE 5. If the contractor shall desire an extension of time for completion of the work on the grounds of his having been unavoidably hindered in its execution or any other ground, he shall apply in writing to the Circle/Branch Officer within 30 days of the date of hindrance on account of which he desires such extension as aforesaid, and the Circle/Branch Officer shall, if in his opinion (which shall be final) reasonable grounds be shown therefor authorise such extension of

जो उसकी राय में आवश्यक या उचित हो, प्राधिकृत करेगा ।

पूरा होने का प्रमाण-पत्र

खण्ड 6. कार्य के पूरा होने के *दस दिन के भीतर ठेकेदार ऐसे पूरे होने की सूचना मंडल/शाखा अधिकारी को देगा और ऐसी सूचना की प्राप्ति के दस/तीन दिन के भीतर मंडल/शाखा अधिकारी कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि इस कार्य में कोई त्रुटि न हो तो ठेकेदार को पूरा होने का प्रमाण पत्र देगा अन्यथा ऐसी त्रुटियां (क) जो ठेकेदार द्वारा की जानी हैं और/या (ख) जिनके लिए संदाय घटी हुई दरों पर किया जाएगा, उपदर्शित करते हुए कार्य पूरा होने का अनन्तिम प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा, किन्तु जब तक ठेकेदार उस परिसर से जिस पर कार्य निष्पादित किया गया है, सब पाड़, बचा हुआ सामान कूड़ा करकट और सभी झोंपड़ियां, तथा सफाई व्यवस्थाएं, जो ठेकेदार (रों) के कर्मकारों के लिए स्थल पर कार्य के निष्पादन के संबंध में अपेक्षित हों और उसके/उनके द्वारा परिनिर्मित या सन्निर्मित हों, हटा न दे और जब तक सभी काष्ठ की चीजों, दरवाजों, खिड़कियों, दीवारों, फर्शों से और किसी भवन के, जिसमें, जिसपर या जिसके निकट कार्य निष्पादित किया जाना है, या जिसके निष्पादन के प्रयोजन के लिए वह उसके कब्जे में रहा हो, अन्य भागों से गन्दगी साफ न कर दे और जब तक मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा कार्य की मापन कर ली गई हो तब तक कार्य पूरा होने का, अंतिम या अन्य प्रमाण-पत्र न तो जारी किया जाएगा और न कार्य का पूरा हुआ माना जाएगा । यदि ठेकेदार कार्य के पूरा करने के लिए नियत तारीख को या उसके पूर्व यथा पूर्वोक्त पाड़, बचे हुए सामान और कूड़ा-करकट और सभी झोंपड़ियों तथा सफाई व्यवस्था को हटाने के, और गन्दगी साफ करने के संबंध में इस खण्ड की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो मंडल/शाखा अधिकारी ठेकेदार के व्यय पर ऐसे पाड़, बचे हुए सामान और कूड़ा-करकट आदि को हटा सकेगा और जिस प्रकार वह उचित समझे उसका व्ययन कर सकेगा और ऐसी गन्दगी की सफाई कर सकेगा और ठेकेदार का, यथापूर्वोक्त किसी पाड़, बचे हुए सामान के बारे में उसकी बिक्री द्वारा वस्तुतः प्राप्त किसी राशि के सिवाय, कोई दावा नहीं होगा ।

---

*मंडल/शाखा अधिकारी के मुख्यालय पर कार्य की दशा में दस दिन और मंडल/शाखा अधिकारी के मुख्यालय से भिन्न किसी स्थान पर कार्य की दशा में तीस दिन लागू होंगे ।

time if any, as may, in his opinion, be necessary or proper.

Completion Certificate

CLAUSE 6. Within* ten days of the completion of the work, the contractor shall give notice of such completion to the Circle/Branch Officer and within ten days of the receipt of such notice the Circle/Branch Officer shall inspect the work and if there is no defect in the work shall furnish the contractor with a certificate of completion otherwise a provisional certificate of completion indicating defects(s) to be rectified by the Contractor and/or (b) for which payment will be made at reduced rates, shall be issued but no certificate of completion, provisional or otherwise, shall be issued, nor shall the work be considered to be complete until the contractor shall have removed from the premises on which the work shall be executed all scaffolding, surplus materials, rubbish and all huts and sanitary arrangements required for his/their work people on the site in connection with the execution of the work as shall have been erected or constructed by the contractor(s) and cleaned off the dirt from all wood work, doors, windows, walls, floors and or other parts of any building, in, upon, or about which the work is to be executed or of which he may have had possesion for the purpose of the execution thereof, and not untill the work shall have been measured by the Circle/Branch Officer. If the contractor shall fail to camply with the requirements of this clause as to removal of scaffolding, surplus materials and rubbish and all huts and sanitary arrangements as aforesaid and cleaning off dirt on or before the date fixed for the completion of the work, the Circle/Branch Officer may at the expense of the contractor remove such scaffolding, surplus materials and rubbish etc. and dispose of the same as he thinks fit and cleans off such dirt as aforesaid, and the contractor shall have no claim in respect of any such scaffolding or surplus materials as aforesaid except for any sum actually realised by the sale thereof.

---

*Ten days will apply in the case of works at the H/Qrs. of the Circle/Branch Officer & thirty days will apply in the case of works at a station other than the H/Qrs. of the Circle/Branch Officer.

खण्ड 6(क). जब वार्षिक मरम्मत और अनुरक्षण कार्य पूरा हो जाय तब दीवारों, फर्शों, दरवाजों, खिड़कियों आदि पर गिरी हुई सफेदी, रंग रोगन आदि और उसके छींटों को हटाया जाएगा तथा ठेके कार्य की अन्य सभी मदों के वास्तव में समाप्त किए जाने की प्रतीक्षा किये बिना अलग-अलग इन कमरों, क्वार्टरों अथवा परिसरों आदि में, जहां उक्त कार्य किया गया है, कार्य की उन मदों को पूरा करने के साथ फर्श की सफाई की जाएगी। यदि ठेकेदार इस खण्ड की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो मंडल/शाखा अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार के व्यय पर विभाग अथवा अन्य अभिकरण के माध्यम से उस कार्य को करा ले। मंडल/शाखा अधिकारी ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व ठेकेदार को दो दिन की लिखित सूचना देगा।

अंतःकालीन प्रमाण-पत्र पर संदाय पेशगी समझा जाएगा।

खण्ड 7. पांच हजार रुपये अथवा इससे कम की प्राक्कलित लागत वाले किसी कार्य के लिए कोई संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक सम्पूर्ण कार्य पूरा न हो जाए और पूरा होने का प्रमाण-पत्र न दे दिया गया हो। किन्तु पांच हजार रुपयें से अधिक या कम की प्राक्कलित लागत के किसी कार्य की दशा में ठेकेदार उस कार्य के उतने भाग के, जितना उसने मण्डल/शाखा अधिकारी को संतोषप्रद रुप में तब तक निष्पादित कर लिया हो, अनुपात में मासिक संदाय, बिल पेश करने पर प्राप्त करने का हकदार होगा, ऐसी संदेय राशि के बारे में मंडल/शाखा अधिकारी का प्रमाण-पत्र ठेकेदार के विरुद्ध अन्तिम होगा। परन्तु, ऐसे मध्यवर्ती संदाय अंतिम संदाय के प्रति पेशगी के तौर पर संदाय समझा जाएगा न कि वस्तुतः किए गए और पूर्ण हो चुके कार्य के लिए संदाय, और इससे खराब दोषपूर्ण और अपूर्ण या अकुशल कार्य को हटाने और ले जाए जाने की ओर, उसका पुनः सन्निर्माण करने या उसे फिर से स्थापित करने की अपेक्षा करना प्रवरित नहीं होगा और न इस ठेके या उसके किसी भाग के रुप में सम्यक अनुपालन की या किसी दावे के पैदा होने की स्वीकृति समझा जाएगा और न ही यह किसी भी प्रकार से इन शर्तों के अधीन लेखों के अंतिम परिनिर्धारण और समायोजन के बारे में या अन्यथा मंडल/शाखा अधिकारी की शक्तियों या उनमें से किसी को पर्यवसित, समाप्त या प्रभावित करेगा या किसी अन्य रुप में ठेके में फेरफार या उसको प्रभावित करेगा। ठेकेदार द्वारा अंतिम बिल कार्य के पूरा होने के लिए नियत तारीख से या मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा पूरा होने का प्रमाण-पत्र देने की तारीख से एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा और यदि ठेके की ओर अतिरिक्त मदों की रकम 2 लाख रु० तक हो तो बिल प्रस्तुत किए जाने के तीन

CLAUSE 6A. The splashes and droppings from white washing, colour washing, painting etc. on walls, floors, doors windows, etc. shall be removed and the surface cleaned simultaneously with the completion of these items of work in the individual rooms, quarters or premises etc. where the work is done without waiting for the actual completion of all the other items of work in the contract. In case the contractor fails to comply with the requirements of this Clause, the Circle/Branch Officer shall have the right to get this work done at the cost of the Contractor either departmentally or through another agency. Before taking such action, the Circle/Branch Officer shall give two days notice in writing to the Contractor.

Payment on intermediate certificate to be regarded as advance

CLAUSE 7. No payment shall be made for a work estimated to cost rupees five thousand or less till after the whole of the work shall have been completed and certificate of completion given. But in the case of a work estimated to cost more than rupees five thousand or less the contractor shall, on submitting the bill be entitled to receive a monthly payment proportionate to the part thereof then executed to the satisfaction of the Circle/Branch Officer, whose certificate of the sum so payable shall be final and conclusive against the contractor. But all such intermediate payments shall be regarded as payments by way of advance against the final payment only and not as payments for work actually done and completed, and shall not preclude the requiring of bad, unsound and imperfect or unskilled work to be removed and taken away and reconstructed. or re-erected or be considered as an admission of the due performance of the contract, or any part thereof in any respect or the accruing of any claim, nor shall it conclude, determine, or affect in any way of powers of the Circle/Branch Officer under these conditions or any one of them as to the final settlement and adjustment of the accounts or otherwise or in any other way vary or affect the contract. The final bill shall be submitted by the contractor within one month of the date fixed for completion of the work or of the date of the certificate of completion furnished by the Circle/Branch Officer and payment

मास के भीतर और यदि वह दो लाख रु० से अधिक हो तो बिल प्रस्तुत किए जाने के छह मास के भीतर संदाय किया जाएगा। यदि कार्य को किसी मद या किन्हीं मदों के बारे में विवाद हो तो केवल ऐसी मद या मदों के लिए जिनके बारे में विवाद न हो, यथास्थिती, उक्त तीन मास या छह मास की अवधि के भीतर संदाय किया जाएगा। ठेकेदार विवादास्पद मदों के नामंजूर किए जाने से तीस दिन के भीतर उन मदों की एक सूची प्रस्तुत करेगा और यदि वह ऐसा करने में असफल रहेगा तो उसका दावा पूर्णतः अधित्यजित और पूर्णता समाप्त समझा जाएगा।

जहां, आवासीय भवनों के मामले में चालू संदाय करने के लिए मापों के रिकार्ड करने देर होने को संभावना हो, वहां (क) लिंटर स्तर (छजलियों आदि सहित और (ख) हर तल के लिए पटिया स्तर तक निष्पादित निर्माण कार्य (नींव और परिष्करों को मदों को छोड़कर) के लिए ब्योरेवार माप लिए बिना निविदत्त दरों के 75 के हिसाव से मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा चालू खाते में अपने विवेक से मंडल/शाखा अधिकारी के इस हिसाव से उपअधी. पुरा, इंजी./स, अधी. पुरा. इंजी, के इस आशय के प्रमाण-पत्र के आधार पर कि प्रश्नगत तल तक निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है, पेशगी के तौर पर संदाय किया जा सकता है।

इस प्रकार अनुज्ञात पेशगी संदाय का समायोजन अगले चालू बिल से ब्योरेवार माप लेकर किया जाएगा और अंतिम संदाय ब्योरेवार माप के आधार पर ही किया जाएगा।

बिल का प्रतिमास प्रस्तुत किया जाना

खण्ड 8. ठेकेदार प्रत्येक मास में उस तारीख के या उससे पूर्व जो मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा नियत की गई हो, पिछले मास से निष्पादित समस्त कार्य के लिए बिल पेश करेगा और मंडल/शाखा अधिकारी उसे सत्यापित करने के प्रयोजन के लिए उसका अपेक्षित माप लेगा या लेने का उपाय करेगा और दावा जहां तक अनुज्ञेय हो, यथासंभव बिल पेश किए जाने से दस दिन को समाप्ति से पहले समायोजित किया जाएगा। यदि ठेकेदार यथापूर्वोक्त नियत समय के भीतर बिल प्रस्तुत करने में असफल रहेगा तो मंडल/शाखा अधिकारी यथापूर्वोक्त नियत तारीख से सात दिन के भीतर अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उक्त कार्य को ठेकेदार की उपस्थिति में लेने के लिए भेज सकेगा, जिसके हस्ताक्षर मापसूची पर पर्याप्त आधार माने जाएंगे और मंडल/शाखा अधिकारी ऐसी सूची से बिल तैयार कर सकेगा।

shall be made within three months if the amount of the contract plus that of additional items is upto Rs. 2 lakhs and in 6 months if the same exceeds Rs. 2 lakhs of the submission of such bill. If there shall be any dispute about any item or items of the work then the undisputed item or items only shall be paid within the said period of three months or six months as the case may be. The contractor shall submit a list of the disputed items within thirty days from the disallowance thereof and if he fails to do this, his claim shall be deemed to have been fully waived and absolutely extinguished.

Whenever there is likely to be delay in recording measurements for making a running payment in the case of residential buildings, advance payments without detailed measurements for works done (other than foundations & finishing items) upto (a) Lintel level (including sun-shades etc.) & (b) slab level for each floor, worked out at 75% of the tendered rates may be made in running account bills by the Circle/Branch Officer at his discretion on the basis of a certificate from the Dy. S.A.E./A.S.A.E. to the effect that the work has been completed upto the level in question.

The advance payment so allowed shall be adjusted in the subsequent running bill by taking detailed measurements thereof and final payment shall be made only on the basis of detailed measurements.

Bills to be submitted monthly

CLAUSE 8. A bill shall be submitted by the contractor each month on or before the date fixed by the Circle/Branch Officer for all works executed in the previous months, and the Circle/Branch Officer shall take or cause to be taken the requisite measurements for the purpose of having the same verified and the claim, as for as admissible, adjusted as far as possible, before the expiry of ten days from the presentation of the bill. If the contractor does not submit the bill within the time fixed as aforesaid the Circle/Branch Officer may depute within seven days of the date fixed as aforesaid, a subordinate to measure up the said work in the presence of the contractor whose countersignature to the measurement list will be sufficient warrant, and the Circle/Branch Officer may prepare a bill from such list.

विभाग द्वारा अभिलिखित मापों के बारे में आपत्तियां फाईल करने के लिए ठेकेदार को एक सप्ताह का समय दिया जाना।

खण्ड 8(क). किसी कार्य की कोई माप लेने से पहले जैसा कि इसके खण्ड 6, 7 और 8 में निर्दिष्ट किया गया है, मंडल/शाखा अधिकारी या उसके द्वारा भेजा गया अधीनस्थ अधिकारी, ठेकेदार को उचित सूचना देगा। यदि ऐसी सूचना के पश्चात् ठेकेदार माप के समय उपस्थिति होने में असफल रहे या प्रतिहस्ताक्षर करने में असफल रहे या माप की तारीख से एक सप्ताह के भीतर मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा यथा-अपेक्षित रीति में अन्तर अभिलिखित करने में असफल रहे तो ऐसी दशा में यथास्थिति मंडल/शाखा अधिकारी, या इसके द्वारा भेजे गए अधीनस्थ अधिकारी द्वारा ली गई माप अंतिम और ठकेदार पर आबद्धकारी होगी और उसको विवादग्रस्त करने का ठेकेदार को कोई अधिकार नहीं होगा।

बिल मुद्रित प्ररूप में होंगे।

खण्ड 9. ठेकेदार सभी बिल मुद्रित प्ररूप में भेजगा जो आवेदन किए जाने पर मंडल/शाखा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त हो सकेंगे और बिलों में प्रभार संदेय निविदा में विनिर्दिष्ट दरों पर या किसी ऐसे अतिरिक्त कार्य की दशा में जिसके लिए आर्डर इन शर्तों के अनुसरण में दिया गया है और जिनका उल्लेख या जिनके लिए उपबंध निविदा में नहीं किया गया है, इसमें इसके पश्चात् ऐसे कार्य के लिए उपबंधित दरों पर दर्ज किए जाएंगे।

ठेकेदार के बिलों का बैंकों को संदाय।

खण्ड 9(क). ठेकेदार को देय संदाय, यदि वह चाहे तो, सीधे उसको किये जाने की बजाय उसके बैंक को किये जा सकते हैं परन्तु यह तब जबकि ठेकेदार मंडल/शाखा अधिकारी को (1) संदाय प्राप्त करने के लिए बैंक को प्राधिकार प्रदान करने वाले मुख्तारनामें जैसी वैध रुप से अन्य दस्तावेज के रुप में प्राधिकार दे, और (2) उस हिसाब की शुद्धता के बारे में अपनी स्वीकृति दे जिसमें सरकार द्वारा उसकी शोध्य राशि बताई गई है या मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा हिसाब या दावे के बैंक को संदाय करके निपटाए जाने से पहले सरकार को प्रस्तुत किए गए बिल या अन्य दावे पर अपने हस्ताक्षर दिखाए। ऐसे बैंक द्वारा दी गयी रसीद संदाय के लिए पूर्ण और पर्याप्त उन्मोचन होगी किन्तु, ठेकेदार को, जहां संभव हो, सम्यकतः रसीदयुक्त और उन्मोचित बिल अपने बैंकरों की मार्फत प्रस्तुत करने चाहिए।

Contractor to be given a weeks time to file objections to the measurements recorded by Deptt.

CLAUSE 8A. Before taking any measurement of any work as has been referred to in clauses 6,7, and 8 thereof, the Circle/ Branch Officer or a subordinate deputed by him shall give reasonable notice to the contractor. If the contractor fails to attend at the measurements after such notice or fails to countersign or to record the difference within a week from the date of measurement in the manner required by the Circle/Branch Officer then in any such event the measurements taken by the Circle/Branch Officer or by the subordinate deputed by him as the case may be, shall be final and binding on the contractor and the contractor shall have no right to dispute the same.

Bill to be on printed forms

CLAUSE 9. The contractor shall submit all bills on the printed forms to be had on application at the office of the Circle/Branch Officer and the charges in the bills shall always be entered at the rates specified in the tender or in the case of any extra work ordered in pursuance of these conditions and not mentioned or provided for in the tender at the rates hereinafter provided for such work.

Payment of contractor's bill to banks

CLAUSE 9A. Payments due to the contractor may, if so desired by him, be made to his bank instead of direct to him, provided that the contractor furnishes to the Circle/ Branch Officer (1) an authorization in the form of a legally valid document such as a power of attorney conferring authority on the bank to receive payments and (2) his own acceptance of the correctness of the account made out as being due to him by Government or his signature on the bill or other claim preferred against Govt. before settlement by the Circle/Branch Officer of the account or claim by payment to the bank. While the receipts given by such banks shall constitute a full and sufficient discharge for the payment the contractor should wherever possible, present his bills duly receipted and discharged through his bankers.

सरकार द्वारा सामान की पूर्ति किया जाना ।

खण्ड 10. यदि विनिर्देशन अथवा मदों की सूची में प्रभारी इंजीनियर के भंडार से पूर्ति किये जाने वाले विशेष वर्णन के सामान का प्रयोग किया जाना उपबंधित हो अथवा ठेकेदार से इसके साथ संलग्न सामान सूची में यथा-दर्शित उसी विशेष सामान के प्रयोग की अपेक्षा की गयी हो जिसकी पूर्ति प्रभारी इंजोनियर द्वारा की जानी हो तो ठेकेदार उन्हीं समानों को संग्रह करने के लिए प्रतिबद्ध होगा और केवल उस ठेके के प्रयोजन से उससे समयसमय पर वही सामान और सामग्री दी जाएगी जिसके प्रयोग की उसे आवश्यकता होगी और कथित सामान सूची में विनिर्दिष्ट दरों पर इस प्रकार सप्लाई की गई सामग्री और सामान की संपूर्ण मात्रा का मूल्य ठेके के अधीन ठेकेदार को उस समय देय या बाद में देय होने वाली धनराशि से या अन्य किसी धनराशि से या प्रतिभूति निक्षेप के विरुद्ध या उससे या यदि वह प्रतिभूति सरकार के पास रखी हो, इस प्रयोजन से जिसे या जिसके समुचित अंश को इस मामले में बेचा जाना हो तो उसकी विक्रय-प्राप्ति से समायोजत कर लिया जाएगा या काट लिया ज गा । जब तिक कि ठेके के किसी अन्य खंड अथवा · नि० का० संहिता में इसके विरुद्ध अन्य बातें न दी गई हों, तब तक ठेकेदार को इस प्रकार दी गई या उसके द्वारा सरकार की सहायता से जमा की गई सभी सामग्री/सामान सरकार की अनन्य संपत्ति होगी और ठेकेदार उस सामग्री/सामान का न्यासी होगा और कथित सामग्री/सामान को निर्माण कार्य स्थल से किसी अन्य लेखे में हटाया/निपटाया नहीं जाएगा और वह हर वक्त प्रभारी इंजीनियर द्वारा निरीक्षण हेतु खुली होगी । अप्रयुक्त रह जाने वाली ऐसी सभी सामग्री/सामान को प्रभारी इंजीनियर को उसके द्वारा ऐसा चाहने पर यदि उसके द्वारा नोटिस दिया जाए तो उसके द्वारा निर्देशित स्थान पर वापस करना होगा; परन्तु यदि उस सामग्री/सामान को वापस न लेने का निर्णय लिया जाए तो ठेकेदार को ऐसी सामग्री/सामान के लिए जो उसे इस प्रकार दी गई हो और उसके द्वारा प्रयुक्त न की गई हो या ऐसी सामग्री/सामान के किसी प्रकार बर्बाद होने या नुकसान होने के कारण, प्रतिपूर्ति हेतु किसी भी लेखे पर दावा करने का हक नहीं होगा ।

उस सामग्री/सामान के वापस मांगे जाने पर ठेकेदार उस सामग्री/सामान को प्रभारी इंजीनियर द्वारा उस सामग्री/सामान की दशा को ध्यान में रखकर निर्धारित उसकी कीमत के संदाय किये जाने या उसके नाम जमा किये जाने पर सुपुर्द करेगा । यद्यपि ेकेदार को अनुज्ञात कीमत उसको प्रभारित धनराशि से अधिक न होगी, जिसमें भंडार प्रभार यदि कोई हो, शामिल नहीं होगा । प्रभारी इंजीनियर का निर्णय अन्तिम और निश्चायक होगा । उपर्युक्त शर्त के भंग किये जाने पर ठेकेदार लाइसेंस या

Stores supplied by Government

CLAUSE 10. If the specification or schedule of items provides for the use of any special description of materials to be supplied from Engineer-in-charge's stores or if it is required that the contractor shall use certain stores to be provided by the Engineer-in-Charge as shown in the schedule of materials hereto annexed, the Contractor shall be bound to procure and shall be supplied such materials and stores as are from time to time required to be used by him for the purposes of the contract only, and the value of the full quantity of materials and stores so supplied at the rates specified in the said schedule of materials may be set off or deducted from any sums then due, or thereafter to become due to the contractor under the contract, or otherwise or against or from the security deposit, or the proceeds of sale thereof, if the same is held in Govt. Securities, the same of a sufficient portion thereof being in this case sold for the purpose. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other clause of the contract and (or the A.W. Code) all stores/materials so supplied to be the contractor or procured with the assistance of the Govt. shall remain the absolute property of Government and the Contractor shall be the trustee of the store/materials; and the said stores/materials shall not be removed/disposed of from the site of the work in any account and shall be at all time open to inspection by the Engineer-in-Charge. Any such stores/materials remaining unused shall be returned to the Engineer-in-Charge at a place directed by him or by a notice by him shall so require, but in case it is decided not to take back the stores/materials the contractor shall have no claim for compensation on any account of such stores/materials so supplied to him as aforesaid and not used by him or for any wastage or damage to of such stores/materials.

On being required to return the Stores/Materials, the contractor shall hand over the store/materials on being paid or credited such price as the Engineer-in-Charge shall determine, having due regard to the condition of the Stores/materials. The price allowed to the contractor, however, shall not exceed the amount charged to him, excluding the storage charge, if any. The decision of the Circle/Branch Officer shall be final and conclusive. In the event of breach of the aforesaid con-

परमिट की शर्तों के उल्लंघन करने और/अथवा आपराधिक न्यास भंग के लिए स्वयं जिम्मेदार होने के अतिरिक्त सभी होने वाले लाभों अथवा मुनाफों या उन सबों के लिए जो उसे ऐसे भंग के कारण सामान्य रुप से मिलते, सरकार के दायित्वाधीन होगा। बशर्ते कि ठेकेदार को ऐसी किसी या सभी सामग्री और सामान की पूर्ति या आपुर्ति के कारण किसी प्रकार के विलम्ब के लिए प्रतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति के लिए किसी प्रकार का हक नहीं होगा। आगे यह भी कि यदि सरकार उस सामान का प्रदाय कार्य समापन के लिए नियत समय में उसके 50% समय को जोड़कर जो समय आए उसके भीतर यदि कार्य समापन की अवधि 12 महीने से अधिक हो तो नियत समय में छः मास जोड़कर जो समय आए उसके भीतर कर देती है तो ठेकेदार संपूर्ण कार्य कराने के लिए आबद्ध होगा। किन्तु यदि उपर्युक्त अवधि के भीतर सामान के कुछ भाग का संदाय किया जाता है तो ठेकेदार उतना ही कार्य कराने के लिए आबद्ध होगा जितना कि समय में प्रदत्त सामग्री और सामान से करना संभव हो। शेष कार्य को समाप्त करने के लिए ठेकेदार उतना और समय बढवाने के लिए हकदार होगा जितना कि प्रभारी इंजीनियर अवधारित करे जिसका इस संबंध में विनिश्चय अंतिम होगा।

खण्ड 10(क): मंडल/शाखा अधिकारी को परिसर से सभी सामग्रियों को, जो उसकी राय में विनिर्देश के अनुसार नहीं है, हटवाने की पूर्ण शक्तियां होंगी और व्यतिक्रम की दशा में, मंडल/शाखा अधिकारी इसे हटवाने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसा करने में ऐसी सामग्री को होने वाली हानि या नुकसान के लिए उत्तर या लेखा देने का दायी नहीं होगा मंडल/शाखा अधिकारी को उसके स्थान पर अन्य उचित सामग्री दिए जाने की अपेक्षा करने की पूर्व शक्तियां होंगी और व्यतिक्रम की दशा में मंडल/शाखा अधिकारी उनका प्रदाय कराएगा और ऐसे हटाए जाने या प्रतिस्थापन में जो खर्च आएगा वह ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

खण्ड 10(ख): ठेकेदार मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्ररुप में इनडेंचर पर हस्ताक्षर करने पर ऐसी सामग्रियों का 75 प्रतिशत प्राक्कलित मूल्य कार्य के निष्पादन किए जाने के दौरान संदत्त किए जाने का हकदार होगा, जो मंडल/शाखा अधिकारी की राय में अविनश्वर है और ठेके के अनुसार हैं और जो उसके संबंध में उस स्थल पर लाई गई हैं और जो मौसम या अन्य कारणों द्वारा नुकसान से बचाव के लिए पर्याप्त रुप से भंडार में रखी हुई हैं और/या संरक्षित है किन्तु जो अग्रिम

dition, the contractor shall in addition to throwing himself open to account for contravention of the terms of the licences or permit and/or for criminal breach of trust, be liable to Govt. for all advantages or profits resulting or which in the usual course would have resulted to him by reason of such breach. Provided that the Contractor shall in no case be entitled to any compensation or damage on account of any delay in supply or non-supply thereof of all or any such materials and stores. Provided further that the contractor shall be bound to execute the entire work if the materials are supplied by the Govt. within the scheduled time for completion of the work plus 50% thereof/Schedule time plus 6 months if the time of completion of the work exceeds 12 months, but if a part only of the materials has been supplied within the aforesaid period then the contractor shall be bound to do so much of the work as may be possible with the materials and stores supplied in the aforesaid period. For the completion of the rest of work, the contractor shall be entitled to such extension of time as may be determined by the Circle/Branch Officer whose decision in this regard shall be final.

CLAUSE 10A. The Circle/Branch Officer shall have full powers to require the removal from the premises of all materials which in his opinion are not in accordance with the specifications and in case of default the Circle/Branch Officer shall be at liberty to employ other persons to remove the same without being answerable or accountable for any loss or damage that may happen or arise to such materials. The Circle/Branch Officer shall also have full powers to require other proper materials to be substituted thereof and in case of default the Circle/Branch Officer may cause the same to be supplied and all costs of such removal and substitution are to be by the Contractor.

CLAUSE 10B. The contractor on signing an indenture in the form to be specified by the Circle/Branch Officer shall be entitled to be paid during the progress of the execution of the work upto 75% of the estimated value of any materials which are in the opinion of the Circle/Branch Officer non-perishable and are in accordance with the contract and which have been brought on the site in connection therewith and are adequately stored and/or protected against damage by weather or other

धन दिए जाने के समय कार्य में समाविष्ट नहीं की गयी थी। जब वे सामग्रियां जिनकी बाबत इस उपखण्ड के अधीन अग्रिम धन दिया गया है, कार्य में समाविष्ट कर ली गई है तब उस ठेके के किसी खण्ड या खण्डों के अधीन अगले संदाय से ऐसे अग्रिम धन की कटौती कर ली जाएगी।

खण्ड 10(ग): यदि कार्यों की प्रगति के दौरान, कार्य में समाविष्ट किसी सामग्री की (जो उसके खण्ड 10 के अनुसार मंडल/शाखा अधिकारी के भंडार में से प्रदाय की गई सामग्री नहीं है) कीमत में और/या श्रमिकों की मजदूरी में किसी नई विधि या कानूनी नियम या आदेश के प्रवृत्त हो जाने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप (किन्तु विक्रय कर में किसी तबदीली के कारण नहीं) वृद्धि हो जाती है और ऐसी वृद्धि कार्य के लिए निविदा प्राप्त करने के समय विद्यमान कीमत और/या मजदूरी के दस प्रतिशत से अधिक है, और तदुपरि ठेकेदार (कार्य में समाविष्ट) उस सामग्री की बाबत आवश्यक एवं उचित रूप से ऐसी बढ़ी हुई कीमत और/या कार्य के निष्पादन में नियोजित श्रमिक की बाबत ऐसी बढ़ी हुई मजदूरी संदत्त करता है तो ठेके की रकम में तदनुसार परिवर्तन कर दिया जाएगा, परन्तु सदैव यह कि इस प्रकार संदेय कोई वृद्धि मंडल/शाखा अधिकारी की राय में (जिसका विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा) ठेके के निष्पादन में ऐसे विलम्ब के कारण जो ठेकेदार के नियंत्रण के भीतर हो, हुई नहीं मानी जाएगी।

परन्तु, फिर भी यह वृद्धि उक्त कीमत/मजदूरी के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है तो कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी और यदि वह वृद्धि उक्त कीमत/मजदूरी के दस प्रतिशत से अधिक है तो प्रतिपूर्ति 10 प्रतिशत से ऊपर की अतिरिक्त रकम पर ही की जाएगी। परन्तु यह और कि यदि ऐसी वृद्धि ठेके अथवा प्रश्नगत कार्य के पूरा होने की बढ़ी हुई तारीख के बाद प्रवृत्त हुई हो तो कोई ऐसी वृद्धि संदेय नहीं होगी।

यदि कार्य की प्रगति के दौरान, कार्य में समाविष्ट किसी सामग्री की (जो उसके खंड 10 के अनुसार मंडल/शाखा अधिकारी के भंडार से प्रदाय की गई सामग्री नहीं है) कीमत और/या श्रमिकों की मजदूरी किसी नई विधि कानूनी नियम या आदेश के प्रवृत्त हो जाने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप (किन्तु विक्रय कर में तबदीलियों के कारण नहीं) कम हो गई और ऐसी कमी कार्य के लिए निविदा प्राप्त करते समय विद्यमान कीमतों और/या मजदूरियों के दस प्रतिशत से अधिक है तो सरकार कार्य में समाविष्ट सामग्रियों (जो इसमें खंड 10 के अनुसार मंडल/शाखा

causes but which have not at the time of advance been incorporated in the works. When materials on account of which an advance has been made under this sub-clause are incorporated in the work the amount of such advance shall be deducted from the next payment made under any of the clause or cluases of this contract.

CLAUSE 10C. If during the progress of the works, the price of any materials incorporated in the works (not being a material supplied from the Circle/Branch Officer stores in accordance with Clause 10 hereof) and/or wages of labour increases as a direct result of coming into force of any fresh law, or statutory rule or order (but not due to any changes in sales tax) and such increase exceeds ten per cent of the price and/or wages prevailing at the time of receipt of the tender for the work, and the contractor thereupon necessarily and properly pays in respect of that material (incorporated in the works) such increased price and/or in respect of labour engaged on the execution of the work such increased wages, then the amount of the contract shall accordingly be varied, provided always that any increase so payable is not, in the opinion of the Circle/Branch Officer (whose decision shall be final and binding) attributable to delay in the execution of the contract within the control of the contractor.

Provided, however, no reimbursement shall be made if the increase is not more than 10% of the sáid prices/wages, if so, the reimbursement shall be made only on the excess over 10% and provided further that any such increase shall not be payable if such increase has become operative after the contract or extended date of completion of the work in question.

If, during the progress of the works, the price of any material incorporated in the works (not being a material supplied from the Circle/Branch Officer stores in accordance with Clause 10 hereof) and/or wages of labour is decreased as a direct result of the coming force of any fresh law or statutory rules or order (but not due to any changes in sales tax) and such decrease exceeds ten per cent of the prices and/or wages prevailing Government shall in respect of materials incorporated in the works (not being materials

अधिकारी के भंडार से प्रदाय की गई सामग्री नहीं होगी) और/या कार्य के निष्पादन में, ऐसी विधि, कानूनी नियम या आदेश के प्रवृत्त होने की तारीख के पश्चात् से, नियोजित श्रमिकों की बाबत ठेकेदार को शोध्य रकमों में से ऐसी रकम काटने की हकदार होगी जो कार्य के लिए निविदा प्राप्त करने के समय विद्यमान सामग्री की कीमत और/या मजदूरी में से उसके दस प्रतिशत के बराबर घटाकर आए उसके और ऐसी सामग्रियों की कीमत और/या श्रमिकों की मजदूरी के बीच अंतर के बराबर होगी

ठेकेदार इस शर्त के प्रयोजन के लिए ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज रखेगा जो दावाकृत किसी वृद्धि या उपलब्ध कमी की रकम दिखाने के लिए आवश्यक हो और सरकार के सम्यकतः प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा उसका निरीक्षण अनुज्ञात करेगा और इसके अतिरिक्त मंडल/शाखा अधिकारी के अनुरोध पर ऐसे रखा कोई भी दस्तावेज और ऐसी कोई अन्य सूचना ऐसी रीति में सत्यापित रूप में देगा जैसा मंडल/शाखा अधिकारी अपेक्षित करें ।

ठेकेदार किसी ऐसी सामग्री की कीमत और/या श्रमिक मजदूरों में किसी परिवर्तन का ज्ञात हो जाने के युक्तियुक्त समय के भीतर मंडल/शाखा अधिकारी को यह कथित करते हुए नोटिस देगा कि वह और उससे सम्बद्ध समस्त जानकारी जो वह देने की स्थिति में हो, इस शर्त के अनुसरण में दी जा रही है ।

खण्ड 10(घ) ठेकेदार किसी संरचना के जोड़े जाने और कार्य आदि के लिए स्थल उत्खनन के दौरान अभिप्राप्त सभी सामग्रियों को सरकारी सम्पत्ति समझेगा और ऐसी सामग्री मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा जारी किए गए लिखित अनुदेशों के अनुसार सरकार के सर्वोत्तम लाभ के लिए व्ययनित की जाएगी ।

खण्ड 10(च) सीमेंट की वसूली दर में जूट अथवा कागज के बोरों की लागत भी सम्मिलित है । ठेकेदार को, बोरे संग्रह करने वाले अभिकर्ताओं को सीमेंट वाले जूट के कम से कम 90 प्रतिशत बोरे, जो काम लायक हालत में हों, लौटाने होंगे । खाली बोरों की लागत का संदाय बोरा संग्रह करने वाले अभिकर्ताओं द्वारा ठेकेदार को, उन विद्यमान दरों पर, जिन्हें पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय नियत करेगा, किया जाएगा । ठेकेदार बोरा संग्रह करने वाले अभिकर्ताओं का नाम मंडल/शाखा अधिकारी से

supplied from the Circle/Branch Officer stores in accordance with Clause 10 hereof) and/or labour engaged on the execution of the work after the date of coming into force of such law, statutory rule or order be entitled to deduct from the dues of the contractor such amount as shall be equivalent to the differences between the prices of materials and/or wages as prevailed at the time of receipt of tender for the work minus ten per cent thereof and the prices of materials and/or wages of labour on the coming into force of such law, statutory rule or order.

The contractor shall, for the purpose of this condition, keep such books of account and other documents as are necessary to show the amount of any increase claimed or reduction available and shall allow inspection of the same by a duly authorised representative of Government, and further shall, at the request of the Circle/Branch Officer furnish, verified in such a manner as the Circle/Branch Officer may require any documents so kept and such other information as the Circle/Branch Officer may require.

The contractor shall, within a reasonable time of his becoming aware of any alteration in the price of any such material and/or wages of labour, give notice thereof to the Cricle/Branch Officer stating that the same is given pursuant to this condition together with all information relating thereto which he may be in position to supply.

CLAUSE 10D. The contractor shall treat all materials obtained during dismantling of a structure, excavation of the site for a work, etc., as Government's property and such materials shall be disposed of to the best advantage of Govt. according to the instructions in writing issued by the Circle/Branch Officer.

CLAUSE 10E. The recovery rate of cement is inclusive of cost of jute or paper bags. The contractor shall have to return at least 90% of the cement jute bags in serviceable conditions to the bag collecting agents. The payments for the cost of the empty bags will be made to the contractor by the bag collecting agents at the prevailing rates as fixed by the D. G. S. & D. The contractor shall get the name of the bag collecting agents from the

लिखित रूप में प्राप्त करेगा । ठेकेदार को चाहिए कि वह बोरा संग्रह करने वाले प्राधिकृत अभिकर्ताओं से सबूत के रूप में उन बोरों का, जो उसके द्वारा लौटाए जाएं, मुद्रित पत्र शीर्षक वाले कागज पर प्रमाण-पत्र अवश्य पेश करें । ऐसा प्रमाण-पत्र उसे प्रत्येक बिल के संदाय का दावा करते समय पेश करना चाहिए । यदि काम लायक हालत में लौटाए गए बोरों की संख्या जारी किए गए बोरों की संख्या के 90 प्रतिशत से कम हो तो ठेकेदार से न्यूनतम संख्या से कम लौटाए गए बोरों पर प्रति बोरा एक रुपये की दर से प्रतिकर वसूल किया जाएगा ।

टिप्पणी—ठेकेदार को चाहिए कि वह सीमेंट फैक्टरियों के बोरों को इकठ्ठा करने वाले अभिकर्ताओं को 30 दिन के अन्दर बोरियां ले जाने के लिए रजिस्ट्रीकृत डाक से सूचना भेज दे । यदि बोरियां इकठ्ठा करने वाला अभिकर्ता निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं जाता तो ठेकेदार बोरियों का व्ययन करने के लिए स्वतंत्र होगा । यदि बोरे के० लो० नि० वि० के लिए अपेक्षित हों, तो निर्माण कार्य के प्रभारी इंजीनियर को स्वयं बोरो को संग्रह करने की शक्ति होगी और ठेकेदार को, उन्हीं शर्तों पर काम लायक हालत में अपेक्षित संख्या में खाली जूट के बोरे लौटाने होंगे, जो बोरा संग्रह करने वाल अभिकर्ताओं के लिए लागू होती हैं ।

खण्ड 11—ठेकेदार पूरे कार्य का और उसके हर अधिकतम सारवान और अन्यथा दोनों ही के संबंध में हर प्रकार से विनिर्देशों के अनुसार निष्पादन करेगा । ठेकेदार, कार्य की बाबत डिजाइनों, आरेखनों और मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अनुदेशों के अनुसार यथावत् पूर्णतः और निष्ठापूर्वक कार्य करेगा और ठेकेदार को, विनिर्देशों और सभी ऐसे डिजाइनों, आरेखनों और अनुदेशों की जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समय समय पर प्रवृत्त "दिल्ली में कार्यों के लिए विनिर्देश" नामक संग्रह या ठेके में अन्यत्र निर्दिष्ट साधारण विनिर्देशों के बारे में किसी अन्य मुद्रित प्रकाशन में सम्मिलित नहीं है, एक प्रति निःशुल्क दी जाएगी ।

विनिर्देशों और डिजाइनों में परिवर्तन ।

खण्ड 12—मंडल/शाखा अधिकारी को मूल विनिर्देशों, आरेखनों, डिजाइनों और अनुदेशों में कार्य की प्रगति के दौरान उनको आवश्यक प्रतीत होने वाले कोई परिवर्तन लोप, परिवर्धन या उनके प्रतिस्थापन की शक्ति होगी और ठेकेदार उन अनुदेशों के अनुसार कार्य करेगा जो उसे लिखित

Circle/Branch Officer in writing. The contractor must produce the certificate on the printed letter head from the authorised bag collecting agents as proof for the number of bags returned by him. This certificate must be produced by him while claiming payment against each running bill. In case, the number of serviceable bags returned is less than 90% of the bags issued, compensation at the rate of Rs. 1 per bag returned short of the minimum number shall be recovered from the contractor.

Note—The contractor should send registered intimation to the bag collecting agents of the cement factories for collecting the bags, within a period of 30 days. If the bag collecting agents fail to turn up within the stipulated period, the contractor shall be at liberty to dispose of the bags. In case empty cement bags are required by A.S.I. for bonafied use in work, the Circle/Branch Officer of the work shall have power to collect the bags himself and the contractor shall have to return the desired number of empty jute bags in serviceable conditions to him on the same conditions as for bag collecting agents.

CLAUSE 11. The contractor shall execute the whole and every part of the work in the most substantial and workmanlike manner and both as regards materials and otherwise in every respect in strict accordance with the specifications. The contractor shall also conform exactly, fully and faithfully to the designs, drawings and instructions in writing in respect of the work signed to him by the Circle/Branch Officer and the contractor shall be furnished free of charge one copy of such specifications, designs, drawings and instructions as are not included in the C.P.W.D. compilation entitled "Specifications for works at Delhi" 1967 Vol. I and Vol. II with upto date 4 & 5 or any other printed publication on General Specifications referred to elsewhere in the contract.

Alterations in-specifications, and designs.

CLAUSE 12. The Circle/Branch Officer shall have power to make any alterations in, omissions from, additions to or substitutions for, the original specifications, drawings, designs and instructions that may appeal to him to be necessary during the progress of the

रुप में मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा दिए जाएं और हस्ताक्षरित हों और ऐसे परिवर्तन, लोप, परिवर्धन या प्रतिस्थापन से ठेका अविधिमान्य नहीं होगा और कोई परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य जिसे कार्य के भाग के रुप में ठेकेदार को ऊपर विनिर्दिष्ट रीति में करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए, ठेकेदार द्वारा सभी दृष्टियों से उन्हीं शर्तों पर किया जाएगा जिन पर वह मुख्य कार्य करने के लिए सहमत हुआ है। कार्य पूरा करने के लिए समय उसी अनुपात में बढ़ाया जाएगा जो अनुपात परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य और मूल ठेके के कार्य के बीच है और एसे अनुपात के बारे में मंडल/शाखा अधिकारी का प्रमाण-पत्र निश्चायक होगा। इसके अतिरिक्त ठेकेदार को इस प्रकार बढ़ाये गए समय के 25 प्रतिशत तक की अतिरिक्त कालावधि अनुज्ञात की जाएगी। इस खण्ड के अधीन ऐसे अतिरिक्त, परिवर्तित या प्रतिस्थापित कार्य के लिए दरें निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार उनके अपने-अपने क्रम में निकाली जाएगी :

(i) यदि अतिरिक्त, परिवर्तित या प्रतिस्थापित कार्य के लिए दरें कार्य के ठेके में विनिर्दिष्ट है तो ठेकेदार अतिरिक्त, परिवर्तित या प्रतिस्थापित कार्य उन्हीं दरों पर पूरा करेगा जो कार्य के ठेके में विनिर्दिष्ट हैं।

(ii) यदि अतिरिक्त, परिवर्तित या प्रतिस्थापित कार्य के लिए दरें कार्य के ठेके में विनिर्दिष्टतः उपबंधित नहीं हैं तो दरें वैसे ही वर्ग के कार्य के लिए दरों से ली जाएंगी जो कार्य के ठेके में विनिर्दिष्ट हैं।

(iii) यदि परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य में कोई ऐसा कार्य सम्मिलित है जिसके लिए दर कार्य के ठेके में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है और उसके लिए दरें ठेके में वैसे ही कार्य से नहीं ली जा सकती है तो ऐसा कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अद्यतन संशोधित सूची के साथ दर अनुसूचि में प्रविष्ट दरों पर, जिसमें से ऐसी प्रतिशतता जो कुल निविदत्त रकम की निविदत्त समस्त कार्य की प्राक्कलित लागत पर आती है, घटा/जोड़ दी गई हो।

work, and the contractor shall carry out the work in accordance with any instructions which may be given to him in writing signed by the Circle/Branch Officer, and such alterations, omissions, additions, or substitutions shall not invalidate the contract and any altered, additional or substituted work which the contractor may be directed to do in the manner above specified as part of the work shall be carried out by the Contractor on the same conditions in all respects on which he agreed to do the main work. The time for the completion of the work shall be extended in the proportion that the altered, additional or substituted work bears to the original contract work, and the certificate of the Circle/Branch Officer shall be conclusive as to such proportion. Over and above this, a further period to the extent of 25% of such extension shall be allowed to the contractor. The rates for such additional altered or substituted work under this clause shall be worked out in accordance with the following provisions in their respective orders:

(i) If the rates for the additional, altered or substituted work are specified in the contract for the work, the contractor is bound to carry out the additional, altered or substituted work at the same rates as are specified in the contract for the work.

(ii) If the rates for the additional, altered of substituted work are not specifically provided in the contract for the work, the rates will be derived from the rates for a similar class of work as are specified in the contract for the work.

(iii) If the altered, additional or substituted work includes any work for which no rate is specified in the contract for the work and cannot be derived from the similar class of work in the contract then such work shall be carried out at the rates entered in C.P.W.D. Schedule of rates for uptodate correction slips minus/plus the percentage which the total rendered amount bears to the estimated cost of the entire work put to tender.

(iv) यदि परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य के लिए दरें ऊपर उप-खण्ड (i) से (iii) तक में विनिर्दिष्ट रीति से अवधारित नहीं की जा सकती है, तो ऐसे कार्य के लिए दरें ऊपर विनिर्दिष्ट जिले की दर सूची के आधार पर उसमें उस प्रतिशतता को जोड़ या घटाकर निकाली जाएंगी जैसे कि निविदत्त सम्पूर्ण कार्य की प्राक्कलित लागत से है। परन्तु सदैव यह कि यदि किसी कार्य के विशिष्ट भाग या भागों के लिए दर, दर सूची में नहीं है तो ऐसे भाग या भागों के लिए दर मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा उस समय की, जबकि कार्य किया गया, विद्यमान बाजार दरों पर अवधारित की जाएगी।

(v) यदि परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य के लिए दरें ऊपर के उपखण्ड (i) से (iv) तक विनिर्दिष्ट रीति से अवधारित नहीं की जा सकती है तो ठेकेदार कार्य करने के लिए आदेश की प्राप्ति की तारीख से 7 दिन के भीतर ऐसी दर की जैसी कि वह ऐसी कार्य-वर्ग के लिए प्रभारित करना चाहता है, इत्तिला दावाकृत दर या दरों के विश्लेषणों सहित, मंडल/शाखा अधिकारी को देगा और मंडल/शाखा अधिकारी विद्यमान बाजार दरों के आधार पर दर या दरें अवधारित करेगा और ठेकेदार को तदनुसार संदाय करेगा। किन्तु मंडल/शाखा अधिकारी लिखित सूचना द्वारा ऐसे कार्य वर्ग को करने के लिए अपने आदेश को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा और उसे ऐसी रीति से कराने की व्यवस्था कर सकेगा जो वह वांछनीय समझे। किन्तु किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार कार्य को इस दलील के आधार पर स्थगित नहीं करेगा कि इस खण्ड के अंतर्गत के कार्यों की दरें निर्धारित की हुई हैं।

(vi) नीवों से संबंधित मदों के सिवाय, ऊपर के उप-खंड (i) से (v) तक में अन्तर्विष्ट उपबंध, ठेके अथवा ऐसी प्रतिस्थापित मदों पर लागू नहीं होंगे जो निविदा दस्तावेजों में निम्नलिखित निर्बंधनों के अधीन रहते हुए उपरिवर्णित प्रतिशतता (जिसे इसमें इसके नीचे "विचलन परिसीमा" कहा गया है) से अधिक हो जाएं :—

*यहां दरों की वह अनुसूची लिखिए, जो लागू हो।

(iv) If the rates for the altered, additional or substituted work cannot be determined in the manner specified in sub-clauses (i) to (iii) above, then the rates for such work shall be worked out on the basis of the Schedule of Rates of the District specified above minus/plus the percentage which the total tendered amount bears to the estimated cost of the entire work put to tender. Provided always that if the rate for the particular part or parts of the item is not in the Schedule of Rates, the rate for such part or parts will be determined by the Circle/Branch Officer on the basis of the prevailing market rates when the work was done.

(v) If the rates for the altered, additional or substituted work cannot be determined in the manner specified in sub-clauses (i) to (iv) above, then the cantractor shall, within 7 days of the date of receipt of order to carry out the work, inform the Circle/Branch Officer of the rate which it is his intention to charge for such class of work, supported by analysis of the rate or rates claimed, and the Circle/Branch Officer shall determine the rate or rates on the basis of prevailing market rates, and pay the contractor accordingly. However, the Circle/Branch Officer, by notice in writing, will be at liberty to cancel his order to carry out such class of work and arrange to carry it out in such manner as he may consider advisable. But under no circumstances, the contractor shall suspend the work on the plea of non-settlement of rates of items falling under the clause.

(vi) Except in case of items relating to foundations, provisions contained in sub-clauses (i) to (v) above shall not apply to contract or substituted items as individually exceed the percentage set out in the tender documents (referred to herein below as 'deviation limit'), subject to the following restrictions :

*Here mention the name of the schedule of rates applicable.

(क) उपर्युक्त विचलन परिसीमा, आदिष्ट सभी परिवर्धनों और कटौतियों का अंतिम प्रभाव (बीजीय योग) है ।

(ख) किसी भी दशा में परिवर्धन कटौतियां/(गणितीय योग) विचलन परिसीमा के दुगुने से अधिक नहीं होंगी ।

(ग) ठेके में सम्मिलित किसी एकल व्यवसाय की मदों पर आदिष्ट विचलन ठेके में उस व्यवसाय के सम्पूर्ण मूल्य के 50% के बराबर जोड़कर या घटाकर जो आए उससे अथवा विचलन परिसीमा के आधे से जो भी कम हो, अधिक नहीं होंगी ।

(घ) किसी एकल व्यवसाय की ऐसी मदों के परिवर्धनों का मूल्य, जो ठेके में पहले हो सम्मिलित न किया गया हो, विचलन परिसीमा के 10% से अधिक नहीं होगा ।

निम्नलिखित निर्माण कार्य जिसके लिए खंड 12 (vi) लागू होगा, नीव से संबंधित माने जाएंगे :—

(क) मकानों के मामले में कुरसी स्तर या भूमि स्तर से 1.2 मीटर (4 फुट) ऊपर इनमें से जो भी निम्न स्तर हो जिसमें फर्श तथा डी० पी० सी० से ऊपर की मद शामिल नहीं होगी किन्तु फर्श के नीचे का कंक्रीट आधार शामिल है ।

(ख) खंभों के जोड़ों, पुलियों की पुश्ता दीवारों, जलाशयों के पुलों की दीवारों के मामले में फर्श स्तर का तल ।

(ग) उन पुश्ता दीवारों के मामले में जहां फर्श स्तर निर्धारक न हो, वहां औसत भूमि स्तर या तल स्तर से 1.2 मीटर की ऊंचाई तक ।

(घ) सड़कों के मामले में खुदाई और भराई के सभी मद जिसमें नींव के नीचे या भूमि संबंधी कार्य की अभिक्रिया शामिल है ।

(ङ) जल-आपूर्ति की लाइनों के मामले में केवल सीवर लाइनों, भूमिगत जमा जल की निकास नालियाँ और इसके सदृश कार्य, भूमि-स्तर से नीचे के निर्माण कार्य के सभी मद जिसमें पाइप बिछाने, उचित चिनाई कार्य के मदों को शामिल नहीं किया गया है ।

(a) The deviation limit referred to above is the net effect (algebrical sum) of all additions and deductions ordered.

(b) In no case shall the additions/deductions (arithmetical sum) exceed twice the deviation limit.

(c) The deviations ordered on items of any individual trade not already included in the contract shall not exceed plus/minus 5% of the value of that trade in the contract as a whole or half the deviation limit, whichever is less.

(d) The value of additions of items of any individual trade not already included in the contract shall not exceed 10% of the deviation limit.

For the purpose of operation of clause 12(vi) the following works shall be treated as works relating to foundations :—

(a) For buildings, plinth level or 1.2 metres (4'-00") above ground level whichever is lower, excluding items above flooring and D.P.C. but including base concrete below the floors.

(b) For abutments piers, retaining wall of culverts and bridges, walls of water reservoirs the bed of floor level.

(c) For retaining wall where floor level is not determinate 1.2 metres above the average ground level or bed level.

(d) For roads, all items of excavation and filling including treatment of sub-base soling work.

(e) For water supply lines, sewer lines, under ground storm water drains and similar works, all items of work below ground level except items of pipe work, proper masonry work.

(च) खुले में जमा जल निकास नालियों के मामले में निर्माण कार्य के सभी मद जिसमें नालियों का अस्तर शामिल नहीं है ।

टिप्पणी : "एकल व्यवसाय" से अभिप्रेत है वे व्यावसायिक खंड जिनमें करार से उपबद्ध परिमाणों की अनुसूची विभाजित की गई है अथवा एसे किसी विभाजन के न होने पर ऊपर विनिर्दिष्ट के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की दरों की अनुसूची के अलग-अलग उदाहरणार्थ खुदाई और मिट्टी का काम, कंक्रीट, लकड़ी का काम और बढ़ई का काम आदि ।

नीवों मे संबधित मदों के सिवाय ऐसी किसी काम की दरें, जो विचलन परिसीमा से अधिक हैं, खंड 12क में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अवधारित की जाएंगी ।

खण्ड 12 क. नींव कार्य संबंधी उन मदों को छोड़कर जिनको करने की अपेक्षा ऊपर के खण्ड 12 के अधीन ठेकेदार से की गई हो, ठेके की उन मदों या अतिरिक्त मदों के मामल में जो खंड 12 के उपखड (vi) में विहित परिसीमा में वृद्धि करती हैं, ठेकेदार आदेश प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर, विचलन परिसीमा से अधिक परिमाणों के लिए दरों के पुनरीक्षण का दावा उसके समर्थन में उन मदों के बारे में उचित विश्लेषण देते हुए करेगा और वह ऐसा दावा इस बात के होते हुए भी करेगा कि ऐसी मदों के लिए दरें मुख्य कार्य की निविदा में विद्यमान है या खंड 12 के उपखंड (ii) के उपबंधों के अनुसार उनका हिसाब लगाया जा सकता है, तथा मंडल/शाखा अधिकारी प्रचलित बाजार दरों को ध्यान में रखते हुए, उनकी दरों का पुनरीक्षण कर सकेगा और ठेकेदार को ऐसी नियत की गई दरों के अनुसार संदाय किया जाएगा । किन्तु मंडल/शाखा अधिकारी को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह ठेकेदार को लिखित सूचना देकर ऐसे बढ़े हुए कार्य को निष्पादित कराने के अपने आदेश को रद्द कर दे और उसे ऐसी रीति से कराने की व्यवस्था करे जैसी यह उचित समझे। किन्तु किन्हीं भी परिस्थितियों में ठेकेदार इस दलील के आधार पर कार्य को निलंबित नहीं करेगा कि इस खंड के अधीन आने वाली मदों की दरें तय नहीं हुई है ।

पूर्वगामी पैरा के सभी उपबंध विचलन परिसीमा से अधिक परिमाणों के लिए मदों की दरों में कमी को इस बात के होते हुए भी कि ऐसी मदों के लिए दरें मुख्य कार्य की निविदा में विद्यमान हैं या पूर्वगामी खंड 12 के उपखंड

(f) For open storm water drains, all items of work except lining of drains.

Note—"Individual trade" means the trade sections into which a scheduled of quantities annexed to the agreement has been divided in the absence of any such division the individual sections of the Archaeological Survey of India Schedule of Rates specified above, such as, excavation and earthwork, concrete, wood work and joinery etc.

The rates of any such work except the items relating to foundations which is in excess of the deviation limit shall be determined in accordance with the provisions contained in Clause 12A.

CLAUSE 12A. In the case of contract items or additional items which result in creating the limit laid down in Sub-Clause (vi) of Clause XII except the items relating to foundation work, which the contractor is required to do under Clause 12 above, the contractor shall, within 7 days from the receipt of order, claim revision of the rate supported by proper analysis in respect of such items for quantities in excess of the deviation limit, notwithstanding the fact that the rates for such items exist in the tender for the main work or can be derived in accordance with the provisions of sub-clause (ii) of Clause 12, and the Circle/Branch Officer may revise their rates, having regard to the prevailing market rates and the contractor shall be paid in accordance with the rates so fixed. The Circle/Branch Officer shall, however, be at Liberty to cancel his order to carry out such increased quantities of work by giving notice in writing to the contractor and arrange to carry out in such manner as he may consider advisable. But, under no circumstances the contractor shall suspend the work on the plea of non-settlement of rates of items falling under this clause.

All the provisions of the preceding paragraph shall equally apply to the decrease in the rates of items for quantities in excess of the deviation limit, notwithstanding the fact that the rates for such items exist in the tender

(ii) उपबंधों के अनुसार उनका हिसाब लगाया जा सकता है, समान रूप से होंगे और मंडल/शाखा अधिकारी प्रचलित बाजार दरों को ध्यान में रखते हुए ऐसी दरों का परिशोधन कर सकेगा ।

निष्पादित किए जाने वाले कार्य में परिवर्तन या उसके निबंधन के लिए किसी प्रतिकर का न दिया जाना

खण्ड 13. यदि कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी समय भारत के राष्ट्रपति किसी भी कारण से यह अपेक्षा न करें कि निविदा में जो भी कार्य विनिर्दिष्ट है वह सारा का सारा संपन्न किया जाए तो मंडल/शाखा अधिकारी इस बात की सूचना ठेकेदार को देगा जो किसी लाभ या फायदे के, जो उसे सारा का सारा कार्य निष्पादित करने से प्राप्त होता किन्तु जो सम्पूर्ण कार्य को संपन्न न करने के परिणामस्वरूप उसे प्राप्त नहीं हुआ, लेखे में किसी भी प्रतिकर के संदाय के लिए दावेदार नहीं होगा और न मूल विनिर्देशों, आरेखनों, डिजाइनों या अनुदेशों में किए गए किन्हीं ऐसे परिवर्तनों के कारण, जिसमें यथा मूलतः अनुध्यात कार्य में कोई काट-छाँट अन्तर्निहित हो, प्रतिकर के लिए दावेदार होगा ।

परन्तु ठेकेदार को केवल उतनी ही सामग्री की ढुलाई का प्रभार संदत्त किया जाएगा जितनी ठेकेदार द्वारा वस्तुतः और सद्भावपूर्वक कार्य स्थल पर लाई गई हो और जो कार्य अथवा उसके किसी भाग के परित्याग या काट-छाँट के परिणामस्वरूप अधिशेष हो गई हो और ठेकेदार द्वारा वापस ले जाई गई हो। परन्तु फिर भी मंडल/शाखा अधिकारी को ऐसे सभी मामलों में सम्पूर्ण या ऐसी किसी सामग्री को उसकी क्रय कीमत पर अथवा स्थानीय चालू दरों पर इनमें से जो भी कम हो, लेने का विकल्प होगा ।

"सरकारी भंडार से जारी किए गए या ठेकेदार द्वारा सरकारी भंडार में वापस किये गये ऐसे सामान के मामले में मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा उन दरों से ऊंची दर पर उसे उधार नहीं दिया जाएगा जिस पर मूल रुप में उसे दिया गया था । इसके लिए यह विचार किया जाएगा कि ठकेदार के पास होने की अवधि में वह कितना घिसा है और उसका कितना मूल्य ह्रास हो गया है या कितनी क्षति हुई है और इस मामले में मंडल/शाखा अधिकारी का फैसला अंतिम होगा"।

for the main work or can be derived in accordance with the provisions of sub-clause (ii) of the preceding Clause 12, and the Circle/Branch Officer may revise such rates having regard to the prevailing market rates.

No Compensation for alteration in or restriction of work to be carried out

CLAUSE 13. If at any time after the commencement of the work the President of India shall for any reason whatsoever not require the whole work thereof as specified in the tender to be carried out, the Circle/Branch Officer shall give a notice in writing of the fact to the contractor who shall have no claim to any payment of compensation whatsoever on account of any profit or advantage which he might have derived from the execution of the work in full, but which he did not derive in consequence of the full amount of the work not having been carried out, neither shall he have any claim for compensation by reason of any alterations having been made in the original specifications, drawings, designs and instructions which shall involve any curtailment of the work as originally contemplated.

Provided that the contractor shall be paid the charges of the cartage only of merterials actually and bona fide brought to the site of the work by the contractor and rendered surplus as a result of the abandonment or curtailment of the work or any portion thereof and then taken back by the contractor, provided however, the Circle/Branch Officer shall have in all such cases the option of taking over all or any such materials at their purchase price or at local current rates whichever may be less.

In the case of such stores having been issued from Govt. Stores and returned by the Contractor to Govt. Stores, credit shall be given to him by the Circle/Branch Officer at rates not exceeding those at which they were originally issued to him, after taking into consideration and deduction for claims on account of any deterioration or damage while in the custody of the contractor and in this respect the decision of the Circle/Branch Officer shall be final.

खराब काम की दशा में कार्रवाई और संदेय प्रतिकर

खण्ड 14. यदि मंडल/शाखा अधिकारी अथवा उसके अधीनस्थ व्यक्ति को जो काम का प्राधिकृत भार साधक है अथवा मुख्य तकनीकी परीक्षक को ऐसा प्रतीत हो कि, कोई काम दोषयुक्त, अपूर्ण अथवा अकौशलपूर्ण कार्य-कौशल से या किसी घटिया किस्म के सामान का प्रयोग करके किया गया है या यह कि काम के निष्पादन के लिए ठेकेदार द्वारा व्यवस्थित कोई सामग्री अथवा वस्तु दोषयुक्त है या उस सामग्री अथवा वस्तु से घटिया क्वालिटी की है जिसके लिए ठेका हुआ है अथवा अन्यथा ठेके के अनुसार नहीं है, तो ठेकेदार, लिखित रूप में मांग किए जाने पर, जो मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा उस कार्य के समापन के छ मास के भीतर उस कार्य, सामग्री अथवा वस्तु को विनिर्दिष्ट करते हुए की जाए जिसके विरुद्ध शिकायत है, इस बात के होते हुए भी कि वह कार्य पास कर दिया गया हो, प्रमाणित कर दिया गया हो और, ऐसे, विनिर्दिष्ट कार्य का पूर्णतः या भागतः जैसी उससे अपेक्षा की जाए, सुधारेगा या हटाएगा और उसका पुनः सन्निर्माण करेगा अथवा, यथास्थिति ऐसी विनिर्दिष्ट सामग्री या वस्तुओं को हटा देगा और अपने उचित निजी प्रभार और खर्चे पर अन्य उचित और उपयुक्त सामग्री या वस्तुओं की व्यवस्था करेगा और मंडल/शाखा अधिकारी अपनी पूर्वोक्त मांग में भी कालावधि विनिर्दिष्ट करे उसके भीतर यदि ठेकेदार ऐसा करने में असफल रहता है तो, वह निविदा में दी गई प्राक्कलित रकम पर प्रतिदिन, दस दिन से अनधिक प्रत्येक उस दिन के लिए जब ऐसा करने में उसकी असफलता बनी रहे, एक प्रतिशत की दर से प्रतिकर का संदाय करने के दायित्वाधीन होगा तथा ऐसी किसी असफलता की दशा में, मंडल/शाखा अधिकारी उन सामग्री या वस्तुओं को, जिनके विरुद्ध शिकायत की गई, हर प्रकार से ठेकेदार के जोखिम और व्यय पर यथास्थिति सुधार सकेगा या हटा सकेगा और कार्य का पुनः निष्पादन कर सकेगा अथवा उसे हटाकर उसके स्थान पर दूसरी सामग्री या वस्तु लगा सकेगा ।

कार्यों का निरीक्षण के लिए खुला रहना

खण्ड 15. ठेके के अधीन अथवा उसके निष्पादन के अनुक्रम में अथवा उसके अनुसरण में निष्पादित सब कार्य हर समय मंडल/शाखा अधिकारी और उसके अधिकृत अधीनस्थ व्यक्तियों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए खुले रहेंगे तथा ठेकेदार सामान्य कार्य के घंटों के दौरान हर समय तथा अन्य ऐसे सभी समयों पर जिसके बारे में ठेकेदार को यह उचित सूचना दी जा चुकी है कि मंडल/शाखा अधिकारी या उसका अधीनस्थ कार्य को देखने के लिए आने का इरादा रखता है, या तो स्वयं आदेशों और अनुदेशों को प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहेगा अथवा

Action and compensation payable in case of bad work.

CLAUSE 14. If it shall appear to the Circle/Branch Officer or his authorised subordinate in charge of the work or the Chief Technical Examiner that any work has been executed with unsound, imperfect, or unskillful workmanship or with materials of any inferior description, or that any materials or articles provided by him for the execution of the work are unsound or of a quality inferior to that contracted for or otherwise not in accordance with the contract, the contractor shall on demand in writing; which shall be made within six months of the completion of the work from the Circle/Branch Officer specifying the work, materials or articles complained of notwithstanding that the same may have been passed, certified and paid for, forthwith rectify, or remove and reconstruct the work so specified in whole or in part, as the case may require or as the case may be, remove the materials or articles so specified and provide other proper and suitable materials or articles at his own proper charge and cost, and in the event of his failing to do so within a period to be specified by the Circle/Branch Officer in his demand aforesaid, then the contractor shall be liable to pay compensation at the rate of one percent on the estimated amount put to tender for every day not exceeding ten days, while his failure to do so shall continue and in the case of any such failure, the Circle/Branch Officer may rectify or remove and re-execute the work or remove and replace with others, the materials or articles complained of, as the case may be at the risk and expense in all respects of the contractor.

Works to remain open to inspection

CLAUSE 15. All works under or in course of execution or executed in pursuance of the contract shall at all times be open to the inspection and supervision of the Circle/Branch Officer and his authorised subordinates, and the contractor shall at all times during the usual working hours, and at all other times at which reasonable notice of the intention of the Circle/Branch Officer or his authorised subordinate to visit the works shall have been given to the contractor, either himself be present to receive order and instructions, or

उस प्रयोजन के लिए लिखित रूप में सम्यकतः प्रस्थापित किसी जिम्मेदार अभिकर्ता को उपस्थित रखेगा । ठेकेदारों के अभिकर्ताओं को दिए गए आदेशों का उतना ही बल माना जाएगा मानो वे स्वयं ठेकेदार को ही दिए गए थे । काम की प्रगति के दौरान कार्य का निरीक्षण मंडल/शाखा अधिकारी की ओर से मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा भी किया जा सकता है ।

कार्य को ढकने से पूर्व नोटिस का दिया जाना

खण्ड 16—ठेकेदार किसी कार्य को ढकने या अन्यथा उसको ऐसी स्थिति में जिसमें उसकी माप न हो सके, लाने से पूर्व मंडल/शाखा अधिकारी अथवा उसके अधिकृत अधीनस्थ व्यक्ति को, जो उस कार्य का भारसाधक हो, कम से कम सात दिन को लिखित सूचना देगा ताकि उसके इस प्रकार ढके जाने या ऐसी स्थिति में, जिसमें उसकी माप न हो सके, लाए जाने से पूर्व उसकी माप की जा सके और उसकी सही लम्बाई, चौड़ाई आदि नापी जा सकें और ठेकेदार किसी भी कार्य को मंडल/शाखा अधिकारी अथवा उसके उप अधिकृत अधीनस्थ की लिखित सम्मति के बिना, जो उस कार्य का भारसाधक होगा, ढकेगा नहीं अथवा ऐसी स्थिति में नहीं रखेगा कि उसकी माप न हो सके तथा मंडल/शाखा अधिकारी अथवा उसका अधीनस्थ व्यक्ति, जो उस कार्य का भारसाधक हो, सात दिन की उपर्युक्त अवधि के भीतर कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि कोई कार्य बिना ऐसी सूचना दिये अथवा मंडल/शाखा अधिकारी की सम्मति प्राप्त किये ढका जाएगा अथवा ऐसी स्थिति में ले जाया जाएगा कि उसकी माप न हो सके तो वह कार्य ठेकेदार के खर्च पर खोल दिया जाएगा अथवा इसके व्यतिक्रम की दशा में इस प्रकार के कार्य या उस सामग्री के लिए जिसकी मदद से उसे निष्पादित किया गया था, कोई संदाय या मौका नहीं दिया जाएगा ।

प्रमाण-पत्र के पश्चात् विहित अनुरक्षण कालावधि के भीतर किए गए नुकसान और पाई गई अपूर्णता के लिए ठेकेदार का दायी होना ।

खण्ड 17—यदि ठेकेदार या उसके कर्मकार या सेवक किसी ऐसे भवन के, जिसमें वे काम कर रहे हों, किसी भाग को अथवा उस परिसर में जिस पर कोई कार्य या उसका कोई भाग निष्पादित किया जा रहा हो लगे हुए किसी भवन, सड़क, सड़क के मोड़, बाड़, अहाते, पानी के नल, केबिल, नालियों, विद्युत या टेलीफोन के खम्भों या तारों, पेड़ों, घास या घास के मैदान या जोती गई भूमि को तोड़ेगा, विरूपित करेगा, नुकसान पहुंचाएगा या नष्ट करेगा अथवा यदि कार्य में, उसकी प्रगति के दौरान कोई नुकसान किसी भी कारण से हो जाएगा या 6 महीने (40,000 रुपये

have a responsible agent duly accredited in writing, present for that purpose. Orders given to the Contractor's agent shall be considered to have the same force as if they had been given to the contractor himself. The work during its progress can also be inspected by Chief Technical Examiner on behalf of the Circle/Branch Officer.

Notice to be given before work is covered up

CLAUSE 16. The contractor shall give not less than seven days notice in writing to the Circle/Branch Officer or his authorised subordinate in charge of the work before covering up or otherwise placing beyond the reach of measurement any work in order that the same may be measured and correct dimensions thereof be taken before the same is so covered up or placed beyond the reach of measurement and shall not cover up and place beyond the reach of measurement, any work without the comment in writing of the Circle/Branch Officer or his authorised subordinate in charge of the work shall within the aforesaid period of seven days inspect the work and if any work shall be covered up or placed beyond the reach of measurement without such notice having been given or the Circle/Branch Officer's consent being obtained, the same shall be uncovered at the contractor's expense, or in default thereof no payment or allowance shall be made for such work or the materials with which the same was executed.

Contractor liable for damage done and for imperfection noticed within the prescribed maintenance period after the certificate

CLAUSE 17. If the contractor or his working people or servants shall break, deface, injure or destroy any part of building in which they may be working, or any building, road, road curb, fence, enclosure, water pipe, cables, drains, electric or telephone posts or wires, trees, grass or grassland, or cultivated ground contiguous to the premises on which the work or any part of it being executed, or if any damage shall happen to the work while in progress, from any cause whatever or if any defect shrinkage or other faults appear in the

या उससे कम लागत के सड़क कार्य से भिन्न कार्य के लिए 3 महीने) के अंदर कार्य में कोई खराबी, संकुचन या कोई अन्य दोष, मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा उस कार्य के पूरा होने के अंतिम या अन्यथा यथापूर्वोक्त प्रमाण-पत्र दे दिए जाने के पश्चात् प्रकट होते हैं जो त्रुटिपूर्ण या अनुचित सामग्री या कार्यकौशल से पैदा हुए हों तो ठेकेदार, उस निमित्त लिखित रूप में सूचना प्राप्त होने पर उसे अपने खर्चे पर ठीक करेगा अथवा व्यतिक्रम होने पर मंडल/शाखा अधिकारी उसे अन्य कर्मकारों से ठीक करा सकेगा और उसके खर्च को काटौती ऐसी किसी राशि में से जो उस समय या तत्पश्चात् किसी समय ठेकेदार को देय हो जाए या एस्फाल्ट के काम से संबधित भाग के लिए, जो खंड 35 के उप-पैरा (iii) द्वारा शासित होता है, छोड़कर उसके प्रतिभूति निक्षेप में से अथवा उसके या पर्याप्त भाग के विक्रय आगम में से कर सकेगा। ठकेदार का प्रतिभूति निक्षेप उस भाग को छोड़कर जो एस्फाल्ट के काम से संबंधित हैं और जो खंड 35 के उप-पैरा (iii) द्वारा शासित होता है, कार्य पूरा होने के अंतिम या अन्यथा प्रमाण-पत्र के, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, दिए जाने के पश्चात् 6 मास (सड़क कार्य से भिन्न 40,000 रुपये और उससे कम लागत के किसी कार्य की दशा में तीन मास) की समाप्ति से पूर्व अथवा जब तक कि अंतिम बिल तैयार और पास न हो गया हो, लौटाया नहीं जाएगा। परन्तु सड़क कार्य की दशा में यदि मंडल/शाखा अधिकारी की राय में प्रतिभूति निक्षेप का आधा भाग कार्य पूरा होने के उक्त प्रमाण-पत्र के दिए जाने के तीन मास के पश्चात् और बाकी आधा भाग अंतिम बिल के तैयार और पास हो जाने के पश्चात् इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, उसके पश्चात् प्रतिदेय होगा।

ठेकेदार द्वारा सभी संयंत्र, सीढियों, पाड़ों आदि का दाय किया जाना

खण्ड 18—ठेकेदार कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपने व्यय पर सब सामग्रियों (ऐसी विशेष सामग्रियों के, यदि कोई हों, सिवाय जिनका प्रदाय ठेके के अनुसार मंडल/शाखा अधिकारी के भंडारों से किया जा सकता हो) संयंत्र, औजारों, साधित्रों, उपकरणों, सीढ़ियों, डोरियों, टेकल, पाड़ तथा काय के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित या उचित अस्थायी संकर्मों का उपबंध करेगा चाहे वे मूल, परिवर्तित अथवा प्रतिस्थापित हों और चाहे ठेके के भाग रूप विनिर्देशों अथवा अन्य दस्तावेजों में सम्मिलित या इन शर्तों में निर्दिष्ट किए गए हों अथवा नहीं, या जो किसी एसे विषय के बारे में मंडल/शाखा की अपेक्षाओं को पूरा करने या उनका अनुपालन करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, जिनके बारे में वह इन शर्तों के अधीन इस बात

work within six months (3 months in case of any work other than road work costing Rs. 40,000 and below) after a certificate final or otherwise of its completion shall have been given by the Circle/Branch Officer as aforesaid arising out of defective or improper materials or workmanship, the contractor shall upon a receipt of a notice in writing on that behalf, make the same good at his own expense or in default the Circle/Branch Officer may cause the same to be made good by other workmen and deduct the expense from any sums that may be then or at any time thereafter may become due to the, contractor, or from security deposit, except for the portion pertaining to asphaltic work which is governed by sub-para (iii) of Clause 35 of the proceeds of sale thereof or of a sufficient portion thereof. The security deposit of the contractor except the portion pertaining to asphaltic work, which is governed by sub-para (iii) of Clause 35 shall not be refunded before the expiry of six months (three months in the case of any work other than road work costing Rs. 40,000 and below) after the issue of the certificate final or otherwise, of completion of work, or till the final bill has been prepared and passed whichever is later. Provided that in the case of road work if in the opinion of the Circle/Branch Officer, half of the security deposit is sufficient to meet all the liabilities of the contractor under this contract, half of the security deposit will be refundable after three months and the remaining half after six months of the issue of the said certificate of completion or after the final bill has been prepared and passed whichever is later.

Contractor to supply all plants, ladders, scaffoldings, etc.

CLAUSE 18. The contractor shall provide at his own cost all materials (except such special materials, if any, as may in accordance with the contract be supplied from the Circle/Branch Officer's stores), plant, tools, appliances, implements, ladders, cordage, tackle, scaffolding and temporary works requisite or proper for the proper execution of the work, whether original, altered or substituted and whether included in the specification or other documents forming part of the contract or referred to in these conditions or not, or which may be necessary for the purpose of satisfying or complying with the requirements of the

का हकदार है कि उसका समाधान होना चाहिए या जिनकी वह कार्यस्थल तक और वहांसे उनके लाने, ले जाने समेत अपेक्षा करने का हकदार है । ठेकेदार निःशुल्क साधन और सामग्रियों सहित अपेक्षित व्यक्तियों को प्रदाय करेगा जो कार्यों का आरम्भ करने और किसी भी समय और समय-समय पर कार्य अथवा सामग्री की गणना, तोल और माप या परीक्षा करने में सहायता देने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों । उसके ऐसा करने में असफल रहने पर मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा ठेकेदार के व्यय पर उसकी व्यवस्था की जा सकेगी और जो व्यय होगा उसको, ठेके के अधीन ठेकेदार को शोध्य किसी धन से और या उसके प्रतिभूति निक्षेप या उसके पर्याप्त भाग से विक्रय के आगमों से कटौती की जा सकेगी ।

Circle/Branch Officer as to any matter as to which under these conditions he is entitled to be satisfied, or which he is entitled to require together with carriage therefor to and from the site of work. The contractor shall also supply without charge the requisite number of persons with the means and materials, necessary for the purpose of setting out works, and counting, weighing and assisting in the measurement or examination at any time and from time to time of the work or materials. Failing his so doing the same may be provided by the Circle/Branch Officer at the expense of the contractor and the expenses may be deducted, from any money due to the contractor, under the contract and or from his security deposit or the proceeds of sale thereof, or of a sufficient portions **thereof.**

खण्ड 18क--ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 12 की उपधारा (i) के उपबंधों के आधार पर, सरकार ठेकेदार द्वारा कार्यों का निष्पादन करने के लिए नियोजित कर्मकार को प्रतिकर का संदाय करने के लिए बाध्य है । सरकार इस प्रकार संदत्त प्रतिकर की रकम ठेकेदार से वसूल कर लेगी, और उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप धारा (ii) के अधीन सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार चाहे इस ठेके के अधीन या अन्यथा, प्रतिभूति निक्षेप में से या सरकार द्वारा ठेकेदार को शोध्य किसी राशि में से कटौती करके ऐसी रकम या उसका कोई भाग वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगी । सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (i) के अधीन इसके खिलाफ किए गए किसी दावे का प्रतिवाद करने के लिए तभी बाध्य होगी, जब ठेकेदार ने लिखित प्रार्थना की हो और सरकार को उन सभी खर्चों के लिए, जिनके लिए सरकार ऐसे दावे का प्रतिवाद करने के परिणामस्वरूप दायी होगी, पूर्ण प्रतिभूति दे दी हो, अन्यथा नहीं ।

CLAUSE 18A. In every case in which by virtue of the provisions of section 12, sub-section (i) of the Workmen's Compensation Act, 1923, Government is obliged to pay compensation to a workman employed by the contractor, in execution of the works, Government will recover from the contractor the amount of the compensation so paid; and, without prejudice to the rights of the Government under Section 12, Sub-section (ii) of the said Act, Government shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from the security deposit or from any sum due by Government to the contractor whether under this contract or otherwise. Government shall not be bound to contest any claim made against it under Section 12, Sub-Section (i) of the said Act, except on the written request of the contractor and upon his giving to Government full security for all costs for which Government might become liable in consequence of contesting such claim.

खण्ड 18ख—उन सभी मामलों में जिनमें ठेका मजदूर (नियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा ठेका मजदूर (नियमन तथा उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के उपबन्धों के कारण यदि सरकार के निष्पादित कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा लगाए गए मजदूरों को मजदूरी की कोई भी राशि अदा करने की या उक्त अधिनियम और खण्ड 19एच के अन्तर्गत नियम, या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ठेका श्रम विनियम के अंतर्गत या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ठेकेदारों द्वारा लगाये गये मजदूरों के लिए स्वास्थ्य की सुरक्षा या स्वच्छता संबंधी प्रबन्धों के लिए सरकार द्वारा समय समय पर बनाये गये नियमों के अंतर्गत उपलब्ध की जाने वाली कल्याण तथा स्वास्थ्य संबंधी

CLAUSE 18B. In every case in which by virtue of the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, Government is obliged to pay any amounts of wages to a workman employed by the Contractor in execution of the works, or to incur any expenditure in providing welfare and health amenities required to be provided under the above said Act and the Rules, under Clause 19H or under the Archaeological Survey of India Contractors' Labour Regulations, or under the Rules framed by Government from time to time for the

सुविधाएं देने में किसी प्रकार के किए गए व्यय के लिए, सरकार द्वारा इस प्रकार अदा की गई मजदूरी की राशि को या इस प्रकार व्यय की गई राशि को ठेकेदार से वसूल करेगी तथा ठेका श्रम (नियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 20 की उप-धारा (2) तथा धारा 21 की उप-धारा (4) के अधीन सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ें बिना सरकार को यह अधिकार होगा कि वे ऐसी राशि या इसके किसी भाग, को धरोहर राशि में से या ठेकेदार द्वारा सरकार को देय किसी भी राशि में से, चाहे वह इस इकरारनामें के अन्तर्गत आती हो या किसी अन्य प्रकार से हो, काट ले। सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) तथा धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन किये गये किसी दावे के विरुद्ध लड़ने को वाध्य नहीं होगी सिवाय ठेकेदार के लिखित रूप में अनुरोध करने पर तथा वह सरकार को समस्त खर्चे के लिए पूर्ण जमानत देगा जिसके लिए सरकार ऐसे दावों के विरुद्ध लड़ने में उत्त दायी होती ।

श्रमिक

खण्ड 19—निर्माण कार्य आरम्भ होने से पूर्व ठेकेदार, ठेका श्रम (नियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा ठेका श्रम (नियमन तथा उत्सादन) केन्द्रीय नियमन, 1971 के अधीन वैध लाइसेंस प्राप्त करेगा तथा निर्माण कार्य के समाप्त होने तक वैध लाइसेंस अपने पास रखे रहेगा ।

इस आवश्यकता को पूरा न करने की दशा में निर्माण कार्य का निष्पादन न होने से उत्पन्न इस ठेके के दण्ड विषयक उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

खण्ड 19अ—18 वर्ष से कम आयु का कोई श्रमिक कार्य पर नियोजित नहीं किया जाएगा ।

खण्ड 19आ—मजदूरी का भुगतान :

उचित मजदूरी खण्ड

(क) ठेकेदार उसके द्वारा या तो सीधे या उप-ठेकेदार द्वारा, लगाए गए मजदूरों को मजदूरी सही मजदूरी से कम अदा नहीं करेगा जैसा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ठेका मजदूर नियमावली या ठेका श्रम (नियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 और ठेका श्रम (नियमन तथा उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के उपबंधों में परिभाषित किए गए हैं, इनमें जो भी लागू हों ।

protection of health and sanitary arrangements for workers employed by Archaeological Survey of India Contractors, Government will recover from the contractor the amount of wages so paid or the amount of expenditure so incurred; and without prejudice to the rights of the Government under Section 20, Sub-Section (2) and Section 21, Sub-Section (4) of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, Government shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from the security deposit or from any sum due by Government to the contractor whether under this agreement or otherwise, Government shall not be bound to contract any claim made against it under Section 20, Sub-Section (1) and Section 21, Sub-Section (4) of the said Act, except on the written request of the Contractor and he will render the Government full security for all costs for which Government might become liable in contesting such claim.

Labour

CLAUSE 19. The Contractor shall obtain a valid licence under the Contract Labour (R & A) Act, 1970 and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971 before the commencement of the work, and continue to have a valid licence until the completion of the work.

Any failure to fulfil this requirement shall attract the penal provisions of this contract arising out of the resultant non-execution of the work.

CLAUSE 19A. No Labourer below the age of eighteen years shall be employed on the work.

CLAUSE 19B. Payment of wages :

Fair Wage Clause

(a) The contractor shall pay to labour employed by him either directly or through subcontractors, wages not less than fair wages as defined in the Archaeological Survey of India Contractors' Labour Regulations or as per the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, wherever applicable.

(ख) ठेकेदार, ठेके के विपरीत कोई उपबन्ध होने के बावजूद निर्माण कार्य पर सीधे नहीं लगाये गये श्रमिकों को जिनमें वे श्रमिक भी शामिल होंगे जो उक्त कार्य के संबंध में उसके उप-ठेकेदार द्वारा लगाए गए हों सही मजदूरी अदा किए जाने की व्यवस्था करेगा, मानो कि मजदूर उसी के द्वारा तुरंत लगाए गए थे ।

(ग) इस इकरारनामे के ठेकेदार के भाग के निष्पादन के लिए निर्माण कार्यों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में लगाये गये समस्त मजदूरी की अदायगी, मजदूरी की अवधि, मजदूरी से कटौती, अदा नहीं की गई मजदूरी की वसूली तथा अनधिकृत रूप से की गई कटौतियां, मजदूरी पुस्तिका या मजदूरी की पर्चियों का अनुरक्षण, मजदूरों के वेतनमान तथा नौकरी की अन्य शर्तों का प्रकाशन, आवधिक विवरणों का निरीक्षण आदि प्रस्तुत करना तथा इस प्रकार के अन्य मामलों के संबंध में, या जहां ठेका श्रमि (नियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 और ठेका श्रमि (नियमन तथा उत्सादन) केन्द्रीय अधिनियम, 1971 द्वारा लागू हों वहां उनमें की हुई व्यवस्थाओं के अनुसार सरकार द्वारा समय समय पर बनाए गये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ठेका मजदूर नियमावली के पालन कराने की व्यवस्था करेगा ।

(घ) संबंधित मंडल अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को देय राशि में से, कोई भी राशि काट सकता है जो मजदूरों के लाभार्थ ठेके की शर्तों के अनुपालन में मजदूरियां अदा नहीं करने या उसकी अथवा उनकी मजदूरियों से ऐसी कटौतियां करने से जो उनको ठेके की शर्तों से न्यायसंगत नहीं हों या विनियमों के अनुपालन न करने के कारण, मजदूर अथवा मजदूरों द्वारा उठायी गयी क्षति को पूरा करने के लिए, अपेक्षित हों अथवा जिसके अपेक्षित होने का अनुमान लगाया गया हो ।

(च) ठेकेदार, मजदूरी की अदायगी अधिनियम, 1936; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 ; कर्मचारी देनदारी अधिनियम, 1938 ; श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 ; औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; प्रसूती लाभ अधिनियम, 1961 तथा ठेका श्रमि (नियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 अथवा उनके संशोधनों अथवा उनसे संबंधित अन्य कानून तथा समय समय पर उनके अंतर्गत बने नियमों के उपबंधों का पालन करेगा ।

(छ) ठेकेदार, उपर्युक्त कानूनों तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ठेकेदार श्रमिक नियमों के पालनार्थ तथा उनके अंतर्गत की जाने वाली अदायगियों के लिए अपने उप-ठेकेदारों से क्षतिपूर्ति लेने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार की क्षतिपूर्ति करेगा ।

(b) The contractor shall, notwithstanding the provisions of any contract to the contrary, cause to be paid fair wage to labour indirectly engaged on the work, including any labour engaged by his sub-contractors in connection with the said work, as if the labour had been immediately employed by him.

(c) In respect of all labour directly or indirectly employed in the works for performance of the contractor's part of this agreement, the contractor shall comply with or cause to be compiled with the Archaeological Survey of Indian Contractors' Labour Regulations made by Government from time to time in regard to payment of wages, wage period, deductions from wages, recovery of wages not paid and deductions unauthorizedly made, maintenance of wage books or wage slips, publication of scale of wages and other terms of employment, inspection and submission of periodical returns and all other matters of the like nature or as per the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, wherever applicable.

(d) The Circle/Branch Officer concerned shall have the right to deduct from the moneys due to the Contractor any sum required or estimated to be required for making good the loss suffered by a worker or workers by reasons of non-fulfilment of the conditions of the Contract for the benefit of the works, non-payment of wages or of deductions made from his or their wages which are not justified by their terms of the contract or non-observance of the Regulations.

(e) The contractor shall comply with the provisions of the Payment of Wages Act, 1936; Minimum Wages Act, 1948; Employment Liability Act, 1938; Workmen's Compensation Act, 1923; Industrial Disputes Act, 1947; Maternity Benefits Act, 1961 and the Contractors' Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 or the modifications thereof or any other laws relating thereto and the rules made thereunder from time to time.

(f) The contractor shall indemnify Government against payments to be made under and for the observance of the Laws aforesaid and the Archaeological Survey of Indian Contractors' Labour Regulations without prejudice to his right to claim indemnity from his sub-contractors.

(ज) उपर्युक्त नियम इस संविदा का एक भाग समझे जाएंगे तथा उनका कोई भी उल्लंघन इस संविदा का उल्लंघन समझा जाएगा ।

(g) The regulations aforesaid shall be deemed to be a part of this contract and any breach thereof shall be deemed to be a breach of this contract.

खण्ड 19इ. इस करार में ठेकेदार द्वारा किये जाने वाले काम को करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में, ठेकेदार समय-समय पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विरचित सुरक्षा संहिता के अनुरूप अपने खर्चे पर सुरक्षा के उपबंध की व्यवस्था करेगा और वह उनके संबंध में सभी सुविधाओं की व्यवस्था अपने खर्च पर करेगा । यदि ठेकेदार यथा उपर्युक्त इंतजाम करने और आवश्यक सुविधाओं का उपबंध करने में असफल रहेगा तो वह हर व्यतिक्रम के लिए 50 रुपये शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा और इसके अतिरिक्त मंडल/शाखा अधिकारी उपर्युक्त इंतजाम करने और सुविधाओं का उपबंध करने के लिए इस संबंध में किए गए खर्चे को ठेकेदार से वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

CLAUSE 19C. In respect of labour directly or indirectly employed in the work for the performance of the contractors' part of this agreement, the contractor shall at his own expense arrange for the safety provisions as per Archaeological Survey of India Safety Code framed from time to time and shall at his own expense provide for all facilities in connection therewith. In case the contractor fails to make arrangement and provide necessary facilities as aforesaid he shall be liable to pay a penalty of Rs. 50 for each default and in addition the Circle/Branch Officer shall be at liberty to make arrangement and provide facilities as aforesaid and recover the costs incurred in that behalf from the contractor.

खण्ड 19ई. ठेकेदार हर मास की चौथी और उन्नीसवीं तारीख तक मंडल/शाखा अधिकारी को क्रमशः पूर्ववर्ती मास के उत्तरार्ध और चालू मास के पूर्वार्ध की बाबत निम्नलिखित को दर्शाते हुए एक सही विवरण देगा :—

(1) उसके द्वारा काम पर नियोजित श्रमिकों की संख्या,

(2) उनके काम के घंटे,

(3) उनको संदत्त मजदूरी,

(4) उक्त पक्ष के दौरान हुई दुर्घटनाएं जिनमें उन परिस्थितियों को जिनके अधीन वे घटित हुई और उनके द्वारा कारित नुकसान और क्षति की सीमा को दर्शित किया जाएगा, और

(5) ऐसी स्त्री कर्मकारों की संख्या जिनको खण्ड 19ऊ के अनुसार प्रसूति-प्रसुविधा अनुज्ञात की गई हो और उनकी संदत्त रकम ।

ऐसा न करने पर ठेकेदार सरकार को प्रत्येक व्यतिक्रम या तात्विक रूप से अशुद्ध विवरण के लिए 50 रु० से अनधिक राशि के संदाय का दायी होगा । मंडल अधिकारी का, ठेकेदार को शोध्य किसी बिल में से जुर्माने के रूप में उद्ग्रहीत रकम की कटौती करने की बाबत, विनिश्चय अंतिम होगा ।

CLAUSE 19D. The contractor shall submit, by the 4th and 19th of every month, to the Circle/Branch Officer a true statement showing in respect of the second half of the preceding month and the first half of the current month respectively :—

(1) The number of labourers employed by him on the work,

(2) their working hours,

(3) the wages paid to them,

(4) the accidents that occured during the said fortnight showing the circumstances under which they happened and the extent of damage and injury caused by them, and

(5) the number of female workers who have been allowed Maternity Benefit according to Clause 19F and the amount paid to them.

Failing which the contractor shall be liable to pay to Government a sum not exceeding Rs. 50 for each default or materially incorrect statement. The decision of the Circle/Branch Officer shall be final in deducting from any bill due to the contractor the amount levied as fine.

खण्ड 19उ. इस करार में ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले काम को करने के लिए प्रत्यक्षत: नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में, ठेकेदार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और उसके ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य संरक्षण और सफाई संबंधी इंतजामों के लिए समय समय पर सरकार द्वारा विरचित सभी नियमों का पालन करेगा या कराएगा ।

खण्ड 19ऊ. छुट्टी के दौरान छुट्टी और वेतन निम्न प्रकार से विनियमित किए जाएंगे :

1. छुट्टी :

(i) प्रसव की दशा में--8 सप्ताह से अनधिक की प्रसूति छुट्टी जिसमें 4 सप्ताह की छुट्टी प्रसव होने तक, जिसके अंतर्गत प्रसव दिन भी है, और 4 सप्ताह की छुट्टी उस दिन के पश्चात् होगी,

(ii) गर्भपात की दशा में--गर्भपात की तारीख से 3 सप्ताह तक ।

2. वेतन :

ठेकेदारों द्वारा नियोजित स्त्री कर्मकारों के लिए प्रसूति प्रसुविधा नियम

(i) प्रसव की दशा में—प्रसूति छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन की दर उस तारीख से, जिसको उस स्त्री ने इस बात की सूचना दी हो कि वह प्रसवावस्था में होने की आशा करती है, ठीक पूर्व 3 मास की, कालावधि के दौरान ऐसे दिनों के लिए जिनको उसने पूर्णकालिक कार्य किया हो, कुल उपार्जित मजदूरी पर संगणित औसत दैनिक उपार्जन की दर से या एक रुपए प्रति दिन की दर से उनमें से जो भी अधिक हो, होगी ।

(ii) गर्भपात की दशा में—छुट्टी वेतन की दर ऐसे गर्भपात की तारीख से ठीक पूर्व 3 मास की कालावधि के दौरान के ऐसे दिनों के लिए जिसमें उसने पूर्णकालिक कार्य किया हो, कुल उपार्जित मजदूरी पर संगणित औसत दैनिक उपार्जन की दर से होगी ।

3. प्रसूति-छुट्टी की मंजूरी के लिए शर्तें :

कोई प्रसूति छुट्टी प्रसुविधा किसी स्त्री को तब तक अनुज्ञेय न होगी जब तक कि वह उस तारीख से, जिसको यह छुट्टी पर जा रही हो, ठीक पूर्व छः मास से अन्यून की कुल कालावधि के लिए नियोजित न रह चुकी हो ।

CLAUSE 19E. In respect of all labour directly or indirectly employed in the works for the performance of the Contractors' part of this agreement, the contractor shall comply with or cause to be complied with all the rules framed by Government from time to time for protection of health and sanitary arrangements for workers employed by the Archaeologicol Survey of India and its contractors.

CLAUSE 19F. Leave and pay during leave shall be regulated as follows :

1. **Leave :**

(i) in the case of delivery—maternity leave not exceeding 8 weeks, 4 weeks upto and including the day of delivery and 4 weeks following that day,

(ii) in the case of miscarriage—upto 3 weeks from the date of miscarriage.

2. **Pay :**

Maternity benefit rules for female workers employed by contractors.

(i) in the case of delivery—leave pay during maternity leave will be at the rate of the women's average daily earnings, calculated on the total wages earned on the days when full time work was done during a period of 3 months immediately preceding the date on which she gives notice that she expects to be confined or at the rate of Rupee one only a day whichever is greater.

(ii) in the case of miscarriage—leave pay at the rate of average daily earning calculated on the total wages earned on the days when full time work was done during a period of 3 months immediately preceding the date of such miscarriage.

3. **Conditions for the grant of Maternity Leave :**

No maternity leave benefit shall be admissible to a woman unless she has been employed for a total period of not less than 6 months immediately preceding the date on which she proceeds on leave.

4. ठेकेदार, प्रसूति प्रसुविधा का एक रजिस्टर नीचे दिखाए गए विहित प्ररूप में रखेगा और वह रजिस्टर कार्य के स्थान पर रखा जाएगा ।

4. The contractor shall maintain a register of Maternity Benefit in the Prescribed Form as shown below and the same shall be kept at the place of work.

प्रसूति प्रसुविधाओं का रजिस्टर (ठेके की शर्तों का खण्ड 19-ऊ)

REGISTER OF MATERNITY BENEFITS (Clause 19F of the Conditions of Contract)

ठेकेदार (ठेकेदारों) का नाम और पता . . .

Name and address of the contractor(s).........

कार्य का नाम और स्थिति . . . . .

Name and Location of the work...............

कर्मचारी का नाम Name of the employee	पिता/पति का नाम Father's/husband's name	नियोजन का स्वरूप Nature of employment	वास्तविक नियुक्ति की अवधि Period of actual appointment	तारीख जिसको गर्भावस्था की सूचना दी गई Date on which notice of confinement given	प्रसव/गर्भपात की तारीख Date of delivery/miscarriage	तारीख जिससे प्रसूति छुट्टी प्रारंभ हुई और समाप्त हुई Date on which maternity commenced and ended				कर्मचारी को संदत्त छुट्टी वेतन Leave pay paid to the employee				टिप्पणियाँ Remarks
						प्रसव की दशा में In case of delivery		गर्भपात की दशा में In case of miscarriage		प्रसव की दशा में In case of delivery		गर्भपात की दशा में In case of miscarriage		
						प्रारंभ हुई Commenced	समाप्त हुई Ended	प्रारंभ हुई Commenced	समाप्त हुई Ended	छुट्टी वेतन की दर Rate of Leave pay	संदत्त रकम Amount paid	छुट्टी वेतन दर Rate of leave pay	संदत्त रकम Amount paid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संकर्मों में ठेकेदारों के श्रमिकों को अनुज्ञेय प्रसुति प्रसूविधा के बारे में रजिस्टर का नमूना प्ररूप ।

Specimen form of the Register, regarding Maternity Benefit admissible to the contractor's Labour in Archaeological Survey of India.

कार्य का नाम....................................... ......ठेकेदार का नाम ....

Name of the work...Name of the Contractor.. ....

1. स्त्री का नाम और उसके पति का नाम . . . .
1. Name of the woman and her husband's name . . . . . .

2. पदनाम . . . .
2. Designation . . . .

3. नियुक्ति की तारीख . . . .
3. Date of appointment . . . .

4. मास और वर्ष सहित वह तारीख जिसको उसे नियोजित किया गया . . .
4. Date with months and years in which she is employed . . .

5. सेवामुक्त/पदच्युत किए जाने की तारीख, यदि कोई हो . . . .
5. Date of discharge/dismissed, if any . . . .

6. गर्भधारण की बाबत प्रमाण-पत्र पेश किए जाने की तारीख . . . .
6. Date of production of certificates in respect of pregnancy . .

7. वह तारीख जिसको स्त्री प्रत्याशित प्रसव के बारे में इत्तिला देती है . . .
7. Date on which the woman informs about the expected delivery. . .

8. प्रसव/गर्भपात/मृत्यु होने की तारीख . . . .
8. Date of delivery/miscarriage/death . . . .

9. प्र१३/गर्भपात संबंधी प्रमाण-पत्र पेश किए जाने की तारीख
9. Date of production of certificate in respect of delivery/miscarriage

10. प्रत्याशित प्रसव से पूर्व संदत्त प्रसूति/मृत्यु प्रसुविधा की रकम, और उसकी तारीख
10. Date with the amount of maternity/death benefit paid in advance of expected delivery

11. प्रसूतिप्र सुविधा के पश्चात्वर्ती संदाय की रकम और उसकी तारीख
11. Date with amount of subsequent payment of maternity benefit

12. स्त्री की मृत्यु के बाद उसकी प्रसूति प्रसुविधा का संदाय करने के लिए उस स्त्री द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति का नाम।
12. Name of the person nominated by the woman who receives the payment of the maternity benefit after her death

13. यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु की तारीख उस व्यक्ति का नाम जिसे प्रसूति प्रसुविधा की रकम संदत्त की गई, संदाय की तारीख और मास।
13. If the woman dies, the date of her death, the name of the person to whom maternity benefit amount was paid, the month thereof and the date of payment

14. रजिस्टर की प्रविष्टियों को अधिप्रमाणित करते हुए ठेकेदार के हस्ताक्षर
14. Signature of the contractor authenticating entries in the register

15. निरीक्षक आफिसर के उपयोग के लिए टिप्पणी स्तम्भ
15. Remarks column for the use of Inspecting Officer.

खण्ड 19ए—यदि ठेकेदार कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य-रक्षण एवं सफाई व्यवस्था संबंधी, समय समय पर यथा संशोधित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ठेकेदारों के श्रमिक विनियमों और आदर्श नियमों के उपबंधों में से किसी का व्यतिक्रम या भंग करेगा या उपयुक्त विनियमों या नियमों के उपबंधों के अधीन कोई ऐसी जानकारी देगा या ऐसा कोई विवरण देगा या फाइल करेगा जो तात्विक रूप से अशुद्ध हो तो वह/वे किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हर व्यतिक्रम, भंग के लिए या तात्विक रूप से ऐसे अशुद्ध विवरणों के देने, बनाने, प्रस्तुत करने, फाइल करने के लिए सरकार को 50 रुपये से अनधिक की राशि संदत्त करेगा और इस बाबत ठेकेदार द्वारा लगातार व्यतिक्रम, करने की दशा में शास्ति को बढ़ाकर व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए किया जा सकेगा किन्तु उसकी अधिकतम राशि निविदन कार्य की प्राक्कलित लागत का 5 प्रतिशत होगी। मंडल/शाखा अधिकारी का विनिश्चय अंतिम और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

यदि मंडल/शाखा अधिकारी को यह प्रतीत हो कि ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा नियोजित कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य रक्षा और सफाई संबंधी व्यवस्था के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ठेकेदार श्रम नियंत्रण के उपबंधों और आदर्श नियमों तथा ठेका मजदूरी (नियंत्रण तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा ठेका मजदूरी (नियंत्रण तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1971 के उपबंधों का (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) ठेकेदार उचित

CLAUSE 19G. In the event of the Contractor(s) committing a default or breach of any of the provisions of the Archaeological Survey of India, Contractors' Labour Regulations and Model Rules for the protection of health and sanitary arrangements for the workers as amended from time to time or furnishing any information or submitting or filing any statement under the provisions of the above Regulations and Rules which is materially incorrect, he/they shall without prejudice to any other liability, pay to the Government a sum not exceeding Rs. 50 for every default, breach or furnishing, making, submitting, filing such materially incorrect statements and in the event of the contractor(s) defaulting continuously in this respect, the penalty may be enhanced to Rs. 50 per day for each day of default subject to a maximum of 5% of the estimated cost of the work put to tender. The decision of the Circle/Branch Officer shall be final and binding on the parties.

Should it appear to the Circle/Branch Officer that the contractor(s) is/are not properly observing and complying with the provisions of the Archaeological Survey of India contractors' Labour Regulations and Model Rules and the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970 and the Contract Labour Regulations and Model Rules and the protection of health and sanitary arrangements

रा से अनुपालन और अनुवर्तन नहीं कर रहा/रहे हैं, तो मंडल/शाखा अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह ठेकेदार (ठेकेदारों) को लिखित सूचना देकर उससे/उनसे अपेक्षा करें कि उक्त नियमों का अनुपालन किया जाए और उसमें विहित सुख सुविधाएं सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले उचित समय के भीतर कर्मकारों को दी जाएं । यदि ठेकेदार सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त नियमों का अनुवर्तन और अनुपालन करने में और पूर्वोक्त कर्मकारों को सुख सुविधाएं देने में असफल रहेगा तो मंडल/शाखा अधिकारी को, ठेकेदार (ठेकेदारों) के व्यय पर, इसमें इसके पूर्व वर्णित सुख सुविधाओं की व्यवस्था करने की शक्ति होगी । ठेकेदार कार्य के निष्पादन के संबंध में कार्य-स्थल पर अपने कर्मकारों के लिए अपेक्षित आवश्यक झोंपड़ियों का परिनिर्माण और सफाई व्यवस्था का इंतजाम अपने खर्च पर और अनुमोदित मानकों के अनुरूप करेगा और उन्हें बनाए रखेगा तथा यदि अनुमोदित मानकों के अनुसार उनका परिनिर्माण अथवा सन्निर्माण नहीं कराया गया तो मंडल/शाखा अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह ठेकेदार (ठेकेदारों) को लिखित सूचना देकर यह अपेक्षा करे कि अनुमोदित मानकों के अनुसार ऐसी झोंपड़ियों और सफाई संबंधी व्यवस्थाओं का पुनः प्रतिरूपण और/या पुनर्निर्माण कराया जाए और यदि ठेकेदार सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुमोदित मानकों के अनुसार ऐसी झोंपड़ियों और सफाई संबंधी व्यवस्थाओं का पुनः प्रतिरूपण अथवा पुनर्निर्माण करने में असफल रहेगा/रहेंगे तो मंडल/शाखा अधिकारी को ठेकेदार (ठेकेदारों) के व्यय पर अनुमोदित मानकों के अनुसार ऐसी झोंपड़ियों और सफाई संबंधी व्यवस्थाओं का पुनः प्रतिरूपण अथवा पुनर्निर्माण कराने की शक्ति होगी ।

खण्ड 19ऐ—ठेकेदार अपने श्रमिकों के लिए अपने खर्च पर, भूमि के यथोचित प्लाट पर, जिसे मंडल/शाखा अधिकारी अनुमोदित करेगा, पर्याप्त संख्या में निम्नलिखित विनिर्देशों वाली झोंपड़ियों की (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कैम्प कहा गया है) व्यवस्था करेगा/करेंगे ।

1. (क) प्रत्येक झोंपड़ियों को औलती पर न्यूनतम ऊंचाई 2.10 मीटर (7 फुट) होगी और फर्श का क्षेत्रफल श्रमिक के साथ रहने वाले उसके कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य के लिए 2.7 वर्ग मीटर (36 वर्ग फुट) के हिसाब से होगा ।

(ख) इसके अतिरिक्त ठेकेदार प्रत्येक कुटुम्ब के लिए झोंपड़ी के बगल में उपयुक्त रसोईघर बनाएगा जिसका क्षेत्रफल कम से कम 1.80 मीटर × 1.50 मीटर (6 फुट × 5 फुट) होगा ।

for work people employed by the contractor(s) (hereinafter referred as "the said Rules") the Circle/Branch Officer shall have power to give notice in writing to the contractor(s) requiring that the said Rules be complied with and the amenities prescribed therein be provided to the work-people within a reasonable time to be specified in the notice. If the contractor(s) shall fail within the period specified in the notice to comply with and/observe the said Rules and to provide the amenities to the work-people as aforesaid, the Circle/Branch Officer shall have the power to provide the amenities hereinbefore mentioned at the cost of the contractor(s). The contractor(s) shall erect, make and maintain at his/their own expense and to accordingly approved standards, all necessary huts and sanitary arrangements required for his/their work-people on the site in connection with the execution of the works, and if the same shall not have been erected or constructed, according to approved standards, the Circle/Branch Officer shall have power to give notice in writing to the contractor(s) requiring that the said huts and sanitary arrangements be remodelled and or reconstructed according to approved standards, and if the contractor(s) shall fail to remodel or reconstruct such huts and sanitary arrangements according to approved standards within the period specified in the notice, the Circle/Branch Officer shall have the power to remodel or reconstruct such huts and sanitary arrangements according to approved standards at the cost of the contractor(s).

CLAUSE 19H. The contractor(s) shall at his/their own cost provide his/their labour with a sufficient number of huts (hereinafter referred to as the camp) of the following specifications on a suitable plot of land to be approved by the Circle/Branch Officer.

1(a) The minimum height of each hut at the equal level shall be 2.10 m (7 ft.) and the floor area to be provided will be at the rate of 2.7 sq. m. (36 sq. ft.) for each member of the worker's family staying with the labourer.

(b) The contractor(s) shall in addition construct suitable cooking places having a minimum area of 1.80 m. × 1.50 m. (6′ × 5′) adjacent to the hut for each family.

(ग) ठेकेदार श्रमिकों के उपयोग के लिए अस्थायी शौचालयों और मूत्रालयों का भी सन्निर्माण कराएगा/कराएंगे जो उनकी कुल संख्या के प्रत्येक सौ के लिए चार से कम न होंगे । स्त्रियों के लिए अलग शौचालय और मूत्रालय होंगे ।

(घ) ठेकेदार पर्याप्त संख्या में स्नानगृहों और धुलाई के स्थानों का सन्निर्माण कराएगा/कराएंगे जो कैम्प में निवास करने वाले प्रत्येक 25 व्यक्तियों के लिए एक के हिसाब से होंगे । इन स्नानगृहों और धुलाई स्थानों पर यथोचित आड़ होगी ।

(2) (क) सभी झोंपड़ियों की दीवारें धूप में सुखाई गई ईंटों की होंगी जो गारे या अन्य ऐसी यथोचित सामग्री से, जो मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाए, जोड़ी जाएंगी । धूप में सुखाई गई ईंटों की दशा में दीवारों के दोनों ओर मिट्टी गोबर का पलस्तर किया जाएगा । फर्श कच्चा हो सकता है किन्तु उस पर मिट्टी गोबर का पलस्तर होगा और वह आसपास की भूमि से छत फूस से या किसी अन्य ऐसी सामग्री से बनाई जाएगी जो मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाए और ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि जब तक उनमें लोग रहें, छतों से पानी न टपके ।

(ख) ठेकेदार प्रत्येक झोपड़ी में उचित संवातन की व्यवस्था करेगा/करेंगे ।

(ग) सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए सभी द्वारों, खिड़कियों, रोशनदानों में उपयुक्त किवाड़ें लगी होंगी ।

(घ) झोंपड़ियों की कतारों के बीच कम से कम 7.2 मीटर (8 गज) की खुली जगह रखी जाएगी जो स्थान की उपलब्धता के अनुसार मंडल/शाखा अधिकारी के अनुमोदन से घटाकर 6 मीटर (20 फुट) की जा सकती है । इस प्रकार से निर्माण की इजाजत होगी कि झोंपड़ियों के पिछवाड़े आपस में सटे हों ।

3. जल प्रदाय—ठेकेदार श्रमिकों के उपयोग के लिए पर्याप्त जल प्रदाय की व्यवस्था करेगा/करेंगे । पीने के प्रयोजन के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कम से कम 2 गैलन शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद जल तथा स्नान तथा धुलाई के प्रयोजन के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कम से कम 3 गैलन स्वच्छ जल की व्यवस्था होगी जो धातु की बनी हों या चिनाई की हों । ठेकेदार विद्यमान जल प्रदाय के मुख्य पाइप से जहां कहीं वे उपलब्ध है, अपने खर्च पर अपने श्रमिक कैम्प को जल के प्रदाय के लिए पाइप बिछाने की व्यवस्था करेगा/करेंगे और उसके लिए सभी फीसों और प्रभारों का संदाय करेगा/करेंगे ।

(c) The contractor(s) shall also construct temporary latrines and urinals for the use of the labourers each on the scale of not less than four per each one hundred of the total strength, separate latrines and urinals being provided for women.

(d) The contractor(s) shall construct sufficient number of bathing and washing places, one unit for every 25 persons residing in the camp. These bathing and washing places shall be suitably screened.

(2) (a) All the huts shall have walls of sun-dried or burnt-bricks laid in mud mortar or other suitable local materials as may be approved by the Circle/Branch Officer. In case of sun-dried bricks, the walls should be plastered with mud gobri on both sides. The floor may be katcha but plastered with mud gobri and shall be at least 15 cm. (6″) above the surrounding ground. The roofs shall be laid with thatched or any other materials as may be approved by the Circle/Branch Officer and the contractor shall ensure that throughout the period of their occupation the roofs remain water-tight.

(b) The contractor(s) shall provide each hut with proper ventilation.

(c) All doors, windows, and ventilators shall be provided with suitable leaves for security purposes.

(d) There shall be kept an open space of at least 7.2 m. (8 yards) between the rows of huts which may be reduced to 6 m. (20 ft.) according to the availability of site with the approval of the Circle/Branch Officer. Back to back construction will be allowed.

3. Water Supply—The contractor(s) shall provide adequate supply of water for the use of labourers. The provisions shall not be less than 2 gallons of pure and whole-some water per head per day for drinking purposes and 3 gallons of clean water per head per day for bathing and washing purposes. Where piped water supply is available, supply shall be at stand posts and where the supply is from wells or river, tanks which may be of metal or masonry, shall be provided. The contractor(s) shall also at his/their own cost make arrangements for laying pipe lines for water supply to his/their labour camp from the existing mains wherever available, and shall pay all fees and charges therefor.

4. कैम्प के लिए चुना गया स्थान जंगल से हटकर ऊंची भूमि पर होगा ।

5. मल मूत्र का व्ययन—ठेकेदार शौचालयों के मल मूत्र के व्ययन के लिए खाइयां खोद कर अथवा भस्मीकरण द्वारा एसे आवश्यक इतजाम करेगा/करेंगे जो स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार होंगे । यदि खाइयों को खोदना या भस्मीकरण अनुज्ञात न हो तो ठेकेदार नगरपालिका समिति/प्राधिकारी के मार्फत मल-मूत्र को हटवाने का इंतजाम करेगा/करेंगे और उसे नियोजित श्रमिकों की संख्या की बावत जानकारी देगा/देंगे जिससे कि ऐसी समिति/प्राधिकारी द्वारा मल-मूत्र के हटवाने का इंतजाम किया जा सके । इस बावत सभी प्रभार ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे और उनका संदाय उसके द्वारा सीधे नगरपालिका/प्राधिकारी को किया जाएगा । शुष्क शौचालयों की दशा में ठेकेदार प्रति आठ कदमचों के लिए एक झाड़ूकश की व्यवस्था करेगा ।

6. जल निकास—ठेकेदार गंदे पानी की निकासी के लिए कारगर इंतजाम करेगा ताकि कैंम्प साफ-सुथरा रहे ।

7. ठेकेदार दुर्घटनाओं से कर्मकारों के बचाव के लिए कैम्प क्षेत्र में प्रकाश का पर्याप्त इंतजाम करेगा/करेंगे ।

8. सफाई—ठेकेदार स्थानीय लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्राधिकारियों के नियमों के अनुसार श्रमिक कैम्पों में मलवहन और सफाई के लिए इंतजाम करेगा/करेंगे ।

खण्ड 19ज—मंडल/शाखा अधिकारी ठेकेदार से उसके द्वारा काम पर नियोजित ऐसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को, जो अक्षम हों अथवा अवचार करते हों, पदच्युत करने या कार्य स्थल से हटाने की अपेक्षा कर सकेगा और ठेकेदार ऐसी अपेक्षाओं का तुरन्त अनुपालन करेगा ।

खण्ड 19ञ—ठेकेदार का दायित्व यह देखना है कि निर्माण काल में निर्माणाधीन भवन में किसी ने अप्राधिकृत तौर पर कब्जा तो नहीं कर रखा है और उसे संपूर्ण भवन को खाली कराकर मंडल/शाखा अधिकारी को सौंपना होगा । यदि भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका हो और किसी के द्वारा अवैधानिक तौर पर दखल कर लिया गया हो तो इस स्थिति में मंडल/शाखा अधिकारी इस प्रकार के भवन/भवनों को स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है और इस प्रकार स्वीकार करने में हुए विलम्ब को निर्माण कार्य का विलम्ब माना जाएगा और ऐसे विलम्ब के लिए

4. The site selected for the camp shall be high ground, removed from jungle.

5. Disposal of Excreta—The contractor(s) shall make necessary arrangements for the disposal of excreta from the latrines by trenching or incineration which shall be according to the requirements laid down by the local Health Authorities. If trenching or incineration is not allowed, the contractor(s) shall make arrangements for the removal of the excreta through the Municipal Committee/authority and inform it about the number of labourers employed so that arrangements may be made by such Committee/authority for the removal of the excreta. All charges on this account shall be borne by the contractor and paid direct by him to the Municipality/authority. The contractor shall provide one sweeper for every 8 seats in case of dry system.

6. Drainage—The contractor(s) shall provide efficient arrangements for draining away sullage water so as to keep the camp neat and tidy.

7. The Contractor(s) shall make necessary arrangements for keeping the camp area sufficiently lighted to avoid accidents to the workers.

8. Sanitation—The contractor(s) shall make arrangements for conservancy and sanitation in the labour camps according to the rules of the Local Public Health and Medical Authorities.

CLAUSE 19I. The Circle/Branch Officer may require the contractor to dismiss or remove from the site of the work any person or persons in the contractors' employment upon the work who may be incompetent or misconduct himself and the contractor shall forthwith comply with such requirements

CLAUSE 19J. It shall be the responsibility of the contractor to see that the building under construction is not occupied by anybody unauthorisedly during construction and to hand over to the Circle/Branch Officer vacant possession of complete building. If such building though completed is occupied illegally, then the Circle/Branch Officer will have the option to refuse to accept the said building/buildings in that position and delay in acceptance on this account will be treated as delay in completion and for such delays levy

अधीक्षक पुरातत्वविद् निविदा में दी गई अनुमानित लागत 5% तक कर लगा सकता है जिसका निर्णय औचित्य एवं मात्रा की दृष्टि से अन्तिम होगा ।

upto 5% of the estimated cost put to tender may be imposed by the Circle/Branch Officer whose decision shall be final both with regard to the justification and quantum.

तथापि, पुरातत्वविद् इंजीनियर ठेकेदार को भवन के निर्माण से या सौंपे जाने से पूर्व या किसी भी समय नोटिस जारी करके ठेकेदार को अवैधानिक दखल-कब्जे से उसे खाली कराने के लिए कह सकते हैं ।

However, the Circle/Branch Officer may require the contractor through a notice to remove the illegal occupation any time on or before construction and delivery.

खण्ड 20—ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; ठेका मजदूरी (नियंत्रण तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियम तथा ठेका मजदूरी को प्रभावित करने वाले श्रमिक कानून जिन्हें समय-समय पर लागू किया जा सकता है, का पालन करेगा ।

CLAUSE 20. The contractor shall comply with all the provisions of the Minimum Wages Act, 1948; Contract Labour (Regulation and Abolition) Act; 1970, and rules framed thereunder and other labour laws affecting contract labour that may be brought into force from time to time.

कार्यों का उप-पट्टे पर न दिया जाना ।

Work not to be sublet.

उप-पट्टे पर देने, रिश्वत देने के कारण या यदि ठेकेदार दिवालिया हो जाता है तो ठेके को विखण्डित और प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत किया जा सकेगा ।

Contract may be rescinded and security deposit forfeited for subleting, bribing, or if contractor becomes insolvent.

खण्ड 21—यह ठेका मंडल/शाखा अधिकारी के लिखित अनुमोदन के बिना समनदेशित नहीं किया जाएगा अथवा उप-पट्टे पर नहीं दिया जाएगा तथा ठेकेदार अपने ठेके को समनुदेशित करेगा या उप-पट्टे पर देगा या ऐसा करने का प्रयत्न करेगा अथवा दिवालिया हो जाएगा या, दिवाला विषयक कार्यवाहियां प्रारम्भ करेगा अथवा अपने लेनदारों से कोई प्रशमन करेगा या ऐसा करने का प्रयत्न करेगा अथवा यदि ठेकेदार या उसका कोई सेवक या अभिकर्ता किसी लोक आफिसर या सरकार के नियोजन में व्यक्ति को किसी भी रूप से उसके पद अथवा नियोजन के संबंध में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई रिश्वत, उपदान, दान, उधार, परिलब्धि, इनाम या धनीय अथवा अन्यथा फायदा पहुंचाएगा या देने का वायदा करेगा या प्रस्थापना करेगा अथवा यदि ऐसा आफिसर या व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः ठेके के हितवद्ध होगा तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल/शाखा अधिकारी को खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट कोई भी कार्यवाही, जिसे वह सरकार के हित में सर्वोच्च रूप से उपयुक्त समझे, करने की शक्ति होगी और यदि इनमें से कोई भी कार्यवाही की जाती है तो उसके उक्त खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट परिणाम होंगे ।

CLAUSE 21. The contract shall not be assigned or sublet without the written approval of the Circle/Branch Officer. And if the contractor shall assign or sublet his contract, or attempt to do so, or become insolvent or commence any insolvency proceedings or make any composition with his creditors or attempt to do so, or if any bribe gratuity, gift, loan, perquisite, reward or advantage pecuniary or otherwise, shall either directly or indirectly, be given promised or offered by the contractor, or any of his servants or agent to any public officer or person in the employ of Government in any way relating to his office or employment, or if any such officer or person shall become in any way directly or indirectly interested in the contract, the Circle/Branch Officer on behalf of the President of India shall have power to adopt any of the courses specified in Clause 3 as he may deem best suited to the interest of Government and in the event of any of these courses being adopted the consequence specified in the said Clause 3 and shall ensue.

प्रतिकर के तौर पर संदेय राशियों का वास्तविक हानि के प्रतिनिदेश के बिना उचित प्रतिकर के रूप में समझा जाना ।

Sum payable by way of compensation to be considered as reasonable compensation without reference to actual loss.

खण्ड 22—इन शर्तों में से किसी के अधीन प्रतिकर के तौर पर संदेय सब राशियां वास्तविक रूप से हुई हानि या नुकसान के प्रतिनिर्देश के बिना, और चाहे कोई नुकसान हुआ हो अथवा नहीं, सरकार के उपयोग में लाए जाने के लिए उचित प्रतिकर समझी जाएंगी ।

फर्म के गठन में परिवर्तन

खण्ड 23—यदि ठेकेदार कोई भागीदारी फर्म है तो फर्म के गठन में कोई भी परिवर्तन करने के पूर्व मंडल/शाखा अधिकारी का लिखित पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा । यदि ठेकेदार कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कारबारी समुत्थानक हो तो इसी प्रकार से, ठेकेदार के किसी ऐसे भागीदारी करार के करने से पूर्व यथापूर्वोक्त अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा जिसके अधीन भागीदारी फर्म को उस कार्य के करने का अधिकार होगा जिसके करने का भार ठेकेदार ने एतद्द्वारा अपने ऊपर लिया हो । यदि यथापूर्वोक्त पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है तो ठेका इसके खण्ड 21 के उल्लंघन में समनुदेशित किया गया समझा जाएगा और उस पर वही कार्रवाई की जा सकेगी और उसके वही परिणाम होंगे जो उक्त खण्ड 21 में उपबंधित हैं ।

कार्यों का मंडल/शाखा अधिकारी के निदेशाधीन किया जाना ।

खण्ड 24—ठेके के अधीन किया जाने वाला सब कार्य हर प्रकार से मंडल/शाखा अधिकारी के निदेशाधीन और उसके अनुमोदन के अधीन रहते हुए निष्पादित किया जाएगा और उस मंडल/शाखा अधिकारी को यह निदेश करने का हक होगा कि वे कार्य किस स्थान या किन स्थानों पर और किस प्रकार से आरम्भ किये जाने और समय-समय पर चलाये जाने हैं ।

माध्यस्थम द्वारा विवादों का निपटारा

खण्ड 25—वहां के सिवाय जहां कि ठेके में अन्यथा उपबंधित हो, इसमें इसके पूर्व वर्णित विनिर्देशों, डिजाइनों, आरेखनों और अनुदेशों के अर्थ से संबंधित और कार्य में प्रयुक्त काय-कौशल या सामग्री की क्वालिटी के संबंध में या किसी अन्य प्रश्न, दावा, अधिकार, बात या चीज के संबंध में, वह चाहे जो भी हो, जो ठेके, डिजाइनों, आरेखनों, विनिर्देशों, प्राक्कलनों, अनुदेशों या इन शर्तों से किसी प्रकार उद्भूत हुई हो या उससे सम्बद्ध हो, या अन्यथा कार्यों के संबंध में हो अथवा उनके निष्पादन या निष्पादन में असफलता से संयुक्त हो, सभी प्रश्न और विवाद चाहे वे कार्य की प्रगति के दौरान या उसके पूरे हो जाने या परित्याग के पश्चात् उद्भूत हुए हों, विवाद के समय कार्य

CLAUSE 22. All sums payable by way of compensation under any of these conditions shall be considered as reasonable compensation to be applied to the use of Government without reference to the actual loss or damage sustained and whether or not any damage shall have been sustained.

Changes in Constitution of firm

CLAUSE 23. Where the contractor is a partnership firm, the previous approval in writing of the Circle/Branch Officer shall be obtained before any change is made in the constitution of the firm. Where the contractor is an individual or a Hindu undivided family business concern such approval as aforesaid shall likewise be obtained before the Contractor enters into any partnership agreement whereunder the partnership firm would have the right to carry out the work hereby undertaken by the Contractor. If previous approval as aforesaid is not obtained, the contract shall be deemed to have been assigned in contravention to Clause 21 hereof and the same action may be taken, and the same consequences shall ensure as provided in the said Clause 21.

Works to be under direction of Circle/Branch Officer

CLAUSE 24. All works to be executed under the contract shall be executed under the direction and subject to the approval in all respects of the Circle/Branch Officer who shall be entitled to direct at what point or points and in what manner they are to be commenced and from time to time carried on.

Settlement of disputes by Arbitrations

CLAUSE 25. Except where otherwise provided in the contract all questions and disputes relating to the meaning of the specifications, designs, drawings and instructions hereinbefore mentioned and as to the quality of workmanship or materials used on the work or as to any other question, claim, right matter or thing whatsoever, in any way arising out of or relating to the contract, designs, drawings, specifications, estimates, instructions, orders or these conditions or otherwise concerning the works, or the execution or failure to execute the same whether arising during the progress of the work or after the

के भारसाधक मुख्य इंजीनियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा या यदि कोई मुख्य इंजीनियर न हों तो ऐसी नियुक्ति के समय उक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रशासनिक प्रधान द्वारा नियुक्त व्यक्ति के एकमात्र माध्यस्थम् को निर्दिष्ट किए जाएंगे । ऐसी नियुक्ति के विरुद्ध यह आक्षेप नहीं होगा कि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ सरकारी सेवक है, कि उसे इन बातों के संबंध में, जिनसे ठेका संबद्ध है, व्यवहार करना पड़ा था और यह कि सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में उसने विवाद या मतभेद वाले विषयों में से सभी पर या किन्हीं पर अपने विचार व्यक्त किए थे । उस मध्यस्थ के, जिसको विवाद मूलतः निर्दिष्ट किया गया है, अंतरित होने या अपना पद रिक्त करने पर या किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ होने पर, ऐसे अंतरण, पद रिक्त करने या कार्य करने में असमर्थ होने के समय यथापूर्वोक्त मुख्य इंजीनियर या प्रशासनिक प्रधान ठेके के निवंधनों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा । ऐसा व्यक्ति निर्देश के संबंध में उस प्रक्रम, से जिस पर उसके पूर्ववर्ती ने उसे छोड़ा था, आगे कार्यवाही करने के लिए हकदार होगा । इस ठेके का यह भी एक निबंधन है कि यथापूर्वोक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मुख्य इंजीनियर या प्रशासनिक प्रधान द्वारा नियुक्त व्यक्ति से भिन्न अन्य किसी व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए और यदि किसी कारण से ऐसा संभव न हो तो विवाद माध्यस्थम् को निर्दिष्ट किया ही नहीं जाएगा । ऐसी सब दशाओं में जिनमें प्रश्नगत दावे की रकम 50,000 रु० (पचास हजार रुपए) और उससे अधिक हो, मध्यस्थ अपने पंचाट का कारण देगा ।

यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 या उसके किसी कानूनी उपांतर या पुनराधिनियमित और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध जो तत्समय प्रवृत्त हों, इस खण्ड के अधीन माध्यस्थम् कार्यवाही को लागू होंगे ।

इस ठेके का एक निबंधन यह है कि माध्यस्थम् की याचना करने वाला पक्षकार इस खण्ड के अधीन माध्यस्थम् को निर्दिष्ट किए जाने वाले विवाद या विवादों के साथ प्रत्येक ऐसे विवाद की बाबत दावा की गई रकम या रकमों को भी विनिर्दिष्ट करेगा ।

इस ठेके का यह भी एक निबंधन है कि यदि ठेकेदार सरकार से ये सूचना मिलने के, कि बिल संदाय के लिए तैयार है, 90 दिन के भीतर लिखित रूप से किसी दावे (दावों) की बाबत माध्यस्थम् की कोई मांग नहीं करता/

completion or abandonment thereof shall be referred to the sole arbitration of the person appointed by the Director General, Archaeological Survey of India, in charge of the work at the time of dispute or if there be no Director General, the administrative head of the said Archaeological Survey of India at the time of such appointment. It will be no objection to any such appointment that the arbitrator so appointed is a Government servant, that he had to deal with the matters to which the contract relates and that in the course of his duties as Government Servant he had expressed views on all or any of the matters in dispute or difference. The arbitration to whom the matter is originally referred being transferred or vacating his office or being unable to act for any reason, such Director-General or administrative head as aforesaid at the time of such transfer, vacation of office or inability to act, shall appoint another person to act as arbitrator in accordance with the terms of the contract. Such person shall be entitled to proceed with the reference from the stage at which it was left by his predecessor. It is also a term of this contract that no person other than a person appointed by such Director General or Administrative head of the Archaeological Survey of India, as aforesaid should act as arbitrator and if for any reason, that is not possible, the matter is not to be referred to arbitration at all. In all cases where the amount of the claim in dispute is Rs. 50,000 (Rupees fifty thousand) and above, the arbitrator shall give reasons for the award.

Subject as aforesaid the provisions of the Arbitration Act, 1940, or any statutory modifications or re-enactment thereof and the rules made thereunder and for the time being in force shall apply to the arbitration proceedings under this clause.

It is also a term of the contract that the party involving arbitration shall specify the dispute or disputes to be referred to arbitration under this clause together with the amount or amounts claimed in respect of each such dispute.

It is also a term of the contract that if the Contractor(s) do/does not make any demand for arbitration in respect of any claim(s) in writing within 90 days of receiving the intimation from the Govt. that the bill is ready for

करते हैं तो ठेकेदार (ठेकेदारों) का दावा अधित्यक्त और पूर्ण रूप से वर्जित माना जाएगा, और सरकार ठेके के अधीन उन दावों की बावत सब दायित्वों से उन्मोचित और निर्मुक्त हो जाएगी ।

मध्यस्थ पक्षकारों की सम्मति से, पंचाट देने या प्रकाशित करने के समय को समय समय पर बढ़ा सकेगा/सकेंगे ।

पेटेन्ट अधिकार

खण्ड 26—ठेकेदार पेटेन्ट या डिजाइन या किन्हीं अधिकथित पेटेन्ट या डिजाइन अधिकारों के उल्लंघन या उपयोग से सम्बद्ध किसी कार्रवाई, दावा या कार्यवाही के विरुद्ध भारत के राष्ट्रपति की क्षतिपूर्ति करेगा और ऐसे किन्हीं स्वामित्वों का संदाय करेगा जो संविदा में सम्मिलित किसी वस्तु या उसके भाग की बावत सन्देय हों । यथापूर्वोक्त विषयों में से किसी की बावत सरकार के अधीन किए गए किन्हीं दावों या उसके खिलाफ किए गए किसी कार्रवाई की दशा में ठेकेदार को उसकी तुरन्त अधिसूचना दी जाएगी और ठेकेदार, अपने खर्च पर, कोई विवाद तय करने या उससे उत्पन्न होने वाली मुकदमेबाजी का संचालन करने के लिए स्वतंत्र होगा । परन्तु ठेकेदार भारत के राष्ट्रपति को क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी नहीं होगा, यदि पेटेन्ट या डिजाइन अथवा अभिकथित पेटेन्ट या डिजाइन अधिकार का अतिलंघन मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा इस निमित्त पारित किसी आदेश का सीधा परिणाम है ।

प्राक्कलनों में एकमुश्त राशियां

खण्ड 27—जब कि उस प्राक्कलन के अंतर्गत, जिस पर निविदा की जाती है, कार्य के भागों की बावत एकमुश्त राशियां हों तब ठेकेदार अन्तर्वलित कार्य या प्रश्नगत कार्य के भाग की मदों की बावत उन्हीं दरों पर संदाय के लिए हकदार होगा, जो ऐसी मदों के लिए इस ठेके के अधीन संदेय हों, और यदि प्रश्नगत, कार्य का भाग मंडल/शाखा अधिकारी की राय में माप के योग्य न हो तो मंडल/शाखा अधिकारी प्राक्कलन में दर्ज एकमुश्त रकम स्वविवेक पर संदाय कर सकेगा और मंडल/शाखा अधिकारी का माणपत्र ठेकेदार के विरुद्ध इस खण्ड के उपबंधों के अधीन उसे संदेय किसी राशि या राशियों की बावत अंतिम और निश्चायक होगा ।

payment, the claim of the contractor(s) will be deemed to have been waived and absolutely cleared and the Govt. shall be discharged and released of all liabilities under the contract in respect of these claims.

The arbitrator(s) may from time to time with consent of the parties enlarge the time, for making and publishing the award.

Patent Rights

CLAUSE 26. The contractor shall fully indemnify the President of India against any action, claim or proceedings relating to infringement or use of any patent or design or any alleged patent or design rights and shall pay any royalities which may be payable in respect of any article or part thereof included in the contract. In the event of any claims made under or action brought against Government in respect of any such matters as aforesaid the contractor shall be immediately notified thereof and the contractor shall be at liberty, at his own expense, to settle any dispute or to conduct any litigations that may arise therefrom. Provided that the contractor shall not be liable to indemnify the President of India if the infringement of the patent or design or any alleged patent or design right is the direct result of an order passed by the Circle/Branch Officer in this behalf.

Lump sum in estimates

CLAUSE 27. When the estimate on which a tender is made included lump sums in respect of parts of the work the contractor shall be entitled to payment in respect of the items of work involved or the part of the work in question at the same rates, as are payable under this contract for such items, or if the part of the work in question is not, in the opinion of the Circle/Branch Officer capable of measurement, the Circle/Branch Officer may at his discretion pay the lump sum amount entered in the estimate, and the certificate in writing of the Circle/Branch Officer shall be final to any sum or sums payable to him under the provisions of the clause.

वहां कार्रवाई, जहां कोई विनिर्देश न हों।

खण्ड 28—किसी ऐसे कार्य-वर्ग की दशा में, जिसके लिए नियम 1 में यथावर्णित के अनुसार कोई ऐसा विनिर्देश न हो, तो एकसा कार्य जिला विनिर्देश के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा और यदि कोई जिला विनिर्देश न हो तो ऐसी दशा में कार्य सब बातों में मंडल/शाखा अधिकारी के अनुदेशों और अपेक्षाओं के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा मद दर निविदा में अंकों और शब्दों में कोट की गई दरें शुद्धतापूर्वक भरी जाएंगी ताकि अंकों और शब्दों में लिखित दरों में कोई व्यतिक्रम न हो। तथापि, यदि कोई व्यतिक्रम पाया जाए तो ठेकेदार द्वारा संगणित राशि से मिलती जुलती दरें सही मानी जाएंगी।

खण्ड 29—यदि ठेकेदार द्वारा किसी मद की राशि संगणित न हो अथवा यह अंकों या शब्दों में लिखित दर से मिलती जुलती न हो तो ठेकेदार द्वारा शब्दों में कोट की गई दर सही मानी जाएगी।

खण्ड 29— (i) **दावा की गई धनराशि को रोक रखना और उसका पुनर्ग्रहणाधिकार**

ठेकेदार के विरुद्ध ठेके से उद्भूत या ठेके के अधीन किसी प्रकार की धनराशि अदा करने के लिए जब कभी कोई दावा/दावे उपस्थित हो/हों तो मंडल/शाखा अधिकारी या सरकार को ठेकेदार द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा संपूर्ण या उसके एक अंश को रोककर रखने और उसे ग्रहण करने का अधिकार होगा और उपयुक्त प्रयोजन से मंडल/शाखा अधिकारी या सरकार को किसी प्रकार की जमा प्रतिभूति राशि को ऐसे यथास्थिति लंबित दावों के निर्णय या अधिनिर्णय प्राप्त होने तक रोक रखने और उसे पुनर्ग्रहण करने का हक होगा। यदि प्रतिभूति दावे की राशि से कम हो या यदि ठेकेदार से प्रतिभूति निक्षेप न लिया गया हो तो मंडल/शाखा अधिकारी या सरकार को उस देय किसी राशि या राशियों को या उसके बाद उसी ठेके के अंतर्गत या उसी मंडल/शाखा अधिकारी या सरकार या किसी अन्य ठेके प्राप्त करने वाले व्यक्ति मार्फत मंडल/शाखा अधिकारी के अधीन देय किसी राशि या राशियों को उपयुक्त दावे की राशि या राशियों की सीमा तक ऐसे लंबित किसी दावे पर निर्णय या अधिनिर्णय प्राप्त होने तक रोक रखने और उसे पुनर्ग्रहण करने का अधिकार होगा।

Action where no specifications are mentioned.

CLAUSE 28. In the case of any class of work for which there is no such specification as in mentioned in Rule 21, such work shall be carried out in accordance with the distinct specification in the end of these being no distinct specification then in such case the work shall be carried out in all respect in accordance with the instructions and requirements of the Circle/Branch Officer. Rates quoted by the contractor in item rate tender in figures and words shall be accurately filled in so that there is no discrepancy in the rates written in figures and words. However, if a discrepancy is found the rate which correspond with the amount worked out by the contractor shall be taken as correct.

CLAUSE 29. If the amount of an item is not worked out by the contractor or it does not correspond with the rate written either in figures or in words then the rate quoted by the contractor in words shall be taken as correct.

CLAUSE 29(i). Withholding and having a lien in respect of sums claimed.

Whenever any claim or claims for payment of a sum of money arise out of or under the contract against the contractor, the Circle/Branch Officer or the Government shall be entitled to withhold and also have a lien to retain such sums in whole or in part from the security, if any deposited by the Contractor and for the purpose aforesaid, the Circle/Branch Office or the Government shall be entitled to withhold the security deposit, if any, furnished as the case may be and also have a lien over the same pending finalisation or adjudication of any such claim. In the event of the security being insufficient to cover the claimed amount or amounts or if no security has been taken from the contractor, the Circle/Branch Officer or the Government shall be entitled to withhold and have a lien to retain to the extent of such claimed amount or amounts referred to above, from any sum or sums found payable or which at any time thereafter may become payable to the contractor under the same contract or any other, contract with the Circle/Branch Officer or the Government or any contracting person through the Circle/Branch Officer pending finalisation of adjudication of any such claim.

यह संविदा की मानी हुई शर्त है कि मंडल/शाखा अधिकारी या सरकार द्वारा ऊपर कहे अनुसार पुनर्ग्रहणाधिकार के अधीन रोकी या रखी गई धनराशि (यां) उसी प्रकार मंडल/शाखा अधिकारी या सरकार द्वारा रोकी या रखी रहेगी जब तक कि संविदा से या उसके अधीन दावा उपस्थित न हो जो यथास्थिति मध्यस्थ (यदि संविदा माध्यस्थम् खंड के अनुसार शासित होती हो) या सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित न हो जाए और यह कि ठेकेदार को ब्याज या क्षतिपूर्ति या जो कुछ हो या अन्य रूप से इस प्रकार उपरिकथित पुनर्ग्रहणाधिकार के अधीन रोकने या रखने और जो ठेकेदार को सम्यक् रूप से सूचित की गई है, के ऐवज में कोई दावा नहीं करेगा। इस खंड के प्रयोजन से जहां ठेकेदार साझेदार फर्म या लिमिटेड कम्पनी हो वहां मंडल/शाखा अधिकारी या सरकार को किसी भी साझेदार/लिमिटेड कम्पनी, जैसी स्थिति हो, को उसकी व्यक्तिगत हैसियत से या अन्यथा देय ऐसी दावे की राशि(यों) को पूर्णतः या अंशतः पुनर्ग्रहणाधिकार के अधीन रोक कर रखने का अधिकार होगा।

It is an agreed term of the contract that the sum or sums of money so withheld or retained under the lien referred to above, by the Circle/Branch Officer or Government will be kept withheld or retained as such by the Circle/Branch Officer or Government against the claim arising out of or under the contract as is determined by the Arbitrator (if the contract is governed by the arbitration clause) or by the competent court, as the case may be and that the contractor will have no claim for interest or damages whatsoever or on any account in respect of such withholding or retention under the lien referred to above and duly notified as such to the contractor. For the purpose of this clause, where the contractor is a partnership firm or a limited company, the Circle/Branch Officer or the Government shall be entitled to withhold and also have a lien to retain towards such claimed amount or amounts in whole or in part from any sum found payable to any partner/limited company as the case may be, whether in his individual capacity or otherwise.

खण्ड 29क—अन्य ठेकों के संबंध में पुनर्ग्रहणाधिकार

संविदा के अधीन ठेकेदार द्वारा मंडल/शाखा अधिकारी या सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ की गई किसी अन्य संविदा से या उसके अधीन मिलने वाली धनराशि के भुगतान के संबंध में मंडल/शाखा अधिकारी या सरकार या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी दावे के विरुद्ध ठेकेदार का बकाया और उसे देय कोई भी धनराशि (जिसमें उसे वापस की जाने वाली प्रतिभूति जमा शामिल है) मंडल/शाखा अधिकारी या सरकार या मंडल/शाखा अधिकारी के माध्यम से संविदा करने वाले अन्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा पुनर्ग्रहणाधिकार के रूप में रोकी या रोक कर रखी जा सकती है।

Clause 29A. **Lien in respect of claim in other contracts.**

Any sum of money due and payable to the contractor (including the security deposit returnable to him) under the contract may be withheld or retained by way of lien by the Circle/Branch Officer or the Government or any other contracting person or persons through Circle/Branch Officer against any claim of the Circle/Branch Officer or Government or such other person or persons in respect of payment of a sum of money arising out of or under any other contract made by the contractor with the Circle/Branch Officer of the Govt. or with such other person or persons.

यह संविदा की एक मान्य शर्त है कि मंडल/शाखा अधिकारी या भारत सरकार द्वारा इस खंड के अधीन रोकी या रोककर रखी धनराशि मंडल/शाखा अधिकारी या सरकार द्वारा तब तक रोकी या रोक कर रखी जाएगी जब तक कि उसी ठेके या किसी अन्य ठेके के अंतर्गत उसका दावा या तो परस्पर तय न हो जाए या सक्षम न्यायालय द्वारा, जैसी स्थिति हो, निर्धारित न हो जाए और यह कि ठेकेदार इस लेखे में या किसी अन्य आधार पर जो भी कुछ हो ब्याज

It is an agreed term of the contract that the sum of money withheld or retained under this clause by the Circle/Branch Officer or the Government will be kept withheld or retained as such by the Circle/Branch Officer or the Govt. or till his claim arising out of the same contract or any other contract is either mutually settled or determined by the Arbitration or by the competent court, as the case may be and that the contractor shall have no claim for interest or damages whatsoever on this account

या क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करेगा जो इस खंड के अधीन रोकी या रोक कर रखी धनराशि से संबंधित हो और इस आशय की सूचना ठेकेदार को दी गई हो ।

कोयला खनन या नियंत्रित क्षेत्र श्रमिकों के नियोजन के विरुद्ध प्रतिबंध

खण्ड 30—ठेकेदार किसी भी प्रवर्ग के अधीन आने वाले कोयला खनन या नियंत्रित क्षेत्र श्रमिकों को कार्य पर या उसके संसर्ग में नियोजित नहीं करेगा या नियंत्रित क्षेत्र की 32 किलोमीटर (20 मील) की त्रिज्या के भीतर के क्षेत्र से श्रमिकों की भर्ती नहीं करेगा । उपर्युक्त के अधीन रहते हुए ठेकेदार केवल आयातित श्रमिकों या ऐसे क्षेत्रों से, जिससे आयात अनुज्ञात है, ठेकेदार द्वारा आयातित श्रमिकों को आयातित करेगा ।

जहां आयातित श्रमिकों के लिए मजदूरी राज्य या प्रादेशिक श्रम समितियों द्वारा नियत कर दी गई है, वहां ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को अधिकतम मजदूरी से अधिक संदत्त नहीं की जाएगी ।

ठेकेदार किसी ऐसे श्रमिक को तुरन्त हटाएगा, जिसका कोयला खनन या नियंत्रित क्षेत्र श्रमिक होना मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा इंगित किया जाए । यदि ठेकेदार ऐसा करने में असफल रहेगा तो वह प्रतिदिन प्रति श्रमिक 10 रुपए की दर से संगणित राशि सरकार को संदत्त करने के लिए दायी होगा । कोयला खनन या नियंत्रित क्षेत्र श्रमिकों की संख्या और उन दिनों की संख्या के विषय में जब उन्होंने कार्य किया हो, मंडल/शाखा अधिकारी का प्रमाण पत्र अंतिम और इस ठेके के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

यह घोषित किया जाता है की और पक्षकारों के बीच इस संबंध में सहमति है कि इस खंड का पूर्वोक्त अनुबंध ऐसा है, जिसमें भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 74 के अपवाद के अर्थ के भीतर जनता हितबद्ध है ।

स्पष्टीकरण—"नियंत्रित क्षेत्र" से निम्नलिखित क्षेत्र अभिप्रेत है :—

बिहार

मानभूम, हजारीबाग जिले, संथाल-परगना का जामताड़ा प्रमंडल ।

पश्चिम बंगाल

बांकुरा, बीरभूम, बर्दवान जिले ।

or on any other ground in respect of any sum of money withheld or retained under this clause and duly notified as such to the contractor.

Prohibition against the employment of coal mining or controlled area labour.

CLAUSE 30. The contractor shall not employ coal mining or controlled area labour falling under any category whatsoever on or in connection with the work or recruit labour from area within a radius of 32 km (20 miles) controlled area. Subject as above the Contractor shall employ imported labour only i.e. labour imported by contractors from area, from which import is permitted.

Where ceiling price for imported labour has been fixed by State or Regional Labour Committees not more than that ceiling price shall be paid to the labour by the Contractor.

The contractor shall immediately remove any labour who may be pointed out by the Circle/Branch Officer as being a coal mining or controlled area labour. Failure to do so shall render the contract liable to pay the Government a sum calculated at the rate of Rs. 10 per day per labourer. The certificate of the Circle/Branch Officer about the number of coal mining or controlled area labour and the number of days for which they worked shall be final and binding upon all parties to this contract.

It is declared and agreed between the parties that the aforesaid stipulation in this clause is one in which the public are interested within the meaning of the exception of Section 74 of Indian Contract Act, 1872.

Explanation—"Controlled Area" means the following areas :—

Bihar

District of Manbhum, Hazaribagh, Jamtara Sub-Division of Santal Parganas.

West Bengal

Districts of Bankura, Birbhum, Burdwan.

मध्य प्रदेश

बिलासपुर जिला।

कोई अन्य क्षेत्र, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके अनुमोदन से "नियंत्रित क्षेत्र" घोषित किया जाए। ठेकेदार अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के उपबंधों और उसके अधीन समय समय पर जारी नियमों और आदेशों का अनुपालन करेगा। यदि ऐसा करने में वह असफल रहे तो उसकी यह असफलता संविदा भंग मानी जाएगी और मंडल/शाखा अधिकारी स्वविवेक से ठेके को रद्द कर सकता है। ठेकेदार उस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के कारण उत्पन्न किसी धन संबंधी देयता के लिए भी दायी होगा।

बिना फिल्टर किए हुए जल के प्रदाय के संबंध में शर्त

खण्ड–31 ठेकेदार कार्य के लिए अपेक्षित बिना फिल्टर किए हुए जल के लिए अपना निजी इंतजाम करेगा/करेंगे और उसके लिए कुछ अतिरिक्त संदाय नहीं किया जाएगा। ऐसा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगा :—

(i) ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल, निर्माण प्रयोजनों के लिए, मंडल/शाखा अधिकारी के समाधानप्रद रूप में, ठीक होगा।

(ii) **यदि मंडल/शाखा** अधिकारी की राय में ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा जल को प्राप्ति के लिए किया गया इंतजाम संतोषप्रद न हो तो मंडल/शाखा अधिकारी जल के प्रदाय के लिए ठेकेदार (ठेकेदारों) के जोखिम और व्यय पर अनुकल्पी इंतजाम करेगा।

खण्ड 32. (i) जहा पाइप द्वारा जल प्रदाय का कोई इंतजाम नहीं है और ठेकेदार सरकार द्वारा बनाए गए कूपों या हैंडपम्पों से जल लेता है, वहां उसके लिए ठेकेदार से कोई प्रभार वसूल नहीं किए जाएंगे। किन्तु ठेकेदार दिन के ऐसे घंटों में ही पानी लेगा कि उससे उसके सामान्य उपयोग में कोई विघटन न पड़े, जिसके लिए हैंडपम्प और कुएं आशयित हैं, वह अपने उपयोग से उद्भूत होने वाले सभी नुकसानों और अप्रसामान्य मरम्मतों के लिए भी उत्तरदायी होगा, जिसकी लागत उससे वसूल की जा सकेगी। मंडल/शाखा अधिकारी इसके लिए ठेकेदार से वसूल की जा सकने वाली लागत अवधारित करने के लिए अंतिम प्राधिकारी होगा।

Madhya Pradesh

District of Bilaspur.

Any other area which may be declared 'Controlled Area' by or with the approval of the Central Government. The Contractor shall comply with the provisions of the apprentices Act, 1961, and the rules and orders issued thereunder from time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of the contract and the Circle/Branch Officer may in his discretion cancel the contract. The contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the provisions of the Act.

Condition relating to the supply of unfiltered water.

CLAUSE 31. The contractor(s) shall make his/their own arrangements for unfiltered water required for the work and nothing extra will be paid for the same. This will be subject to the following conditions :—

(i) That the water used by the Contractor(s) shall be fit for construction purposes, to the satisfaction of the Circle/Branch Officer.

(ii) The Circle/Branch Officer shall make alternative arrangements for supply of water at the risk and cost of contractor(s) if the arrangements made by the contractor(s) for procurement of water are in the opinion of the Circle/Branch Officer, unsatisfactory.

CLAUSE 32. (i) Where there is no piped water supply arrangement and the water is taken by the contractor from the wells or hand pumps constructed by the Government no charge shall be recovered from the contractor on that account. The contractor shall, however, draw water at such hours of the day that it not interfere with the normal use for which the hand pump and wells are intended. He will also be responsible for all damage and abnormal repairs arising out of his use, the cost of which shall be recoverable from him. The Circle/Branch Officer shall be the final authority to determine the cost recoverable for the contractor on this account.

(ii) ठेकेदार को मंडल/शाखा अधिकारी से लिखित अनुज्ञा प्राप्त कर लेने पर ही उसे निर्माण हेतु जल लेने के लिए सरकारी भूमि पर अस्थायी कुओं का निर्माण करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। ठेकेदार से इसके लिए कोई प्रभार वसूल नही किए जाएंगे किन्तु ठेकेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि, वह दुर्घटनाएं न होने देने के लिए और पार्श्वस्थ भवनों, सडकों और सेवा लाइनों को नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करें। वह कुओं के बनवाने और तत्पश्चात् उनके अनुरक्षण के कारण हुई दुर्घटनाओं या नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा और कार्य के पूर्ण हो जाने पर कुओं को तोड़ने के पश्चात भूमि को मूल दशा में वापस ले जाएगा।

अधिशेष सामग्री का लौटाया जाना

खण्ड 33—इस ठेके के किसी या सभी खण्डों में अन्तर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी जहां ठेके के निष्पादन के लिए सामग्री सरकार की सहायता से, चाहे वह सरकारी स्टाकों से जारी किए गए आदेशों, अनुज्ञापत्रों या अनुज्ञप्तियों के अधीन क्रय करने से हो, प्राप्त की जाए, वहां ठेकेदार उक्त सामग्री को किफायत से और एकमात्र ठेके के प्रयोजन के लिए ही धारण करेगा और सरकार की अनुज्ञा के बिना उसका निपटान नहीं करेगा और मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा यदि अपेक्षा की जाए तो ऐसी सभी अधिशेष या काम में न आने आ सकने वाली सामग्री को, जो ठेका पूरा होने के पश्चात् या उसके पर्यवसान पर, वह चाहे किसी भी कारणवश हो, उसके पास बच रहे, उसकी ऐसी कीमत जो मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा ऐसी सामग्री की दशा को ध्यान में रखते हुए अवधारित की जाए, संदत्त कर दिए जाने या उसके खाते में जमा कर दिए जाने पर, लौटा देगा। किन्तु ठेकेदार को अनुज्ञात कीमत उससे प्रभारित रकम से, भण्डारकरण के प्रभारों को छोड़कर, यदि कोई हों, अधिक न होगी। मंडल/शाखा अधिकारी का विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा। यदि पूर्वोक्त शर्त को भंग किया जाएगा तो ठेकेदार अनुज्ञप्तियों या अनुज्ञा पत्रों के निबन्धनों के उल्लंघन और/या आपराधिक न्यास भंग के लिए की जाने वाली कार्यवाही के लिए दायी तो होगा किन्तु इसके अलावा वह, सरकार को उस सभी धन, फायदे य लाभ देने के लिए भी दायित्वाधीन होगा जो ऐसे भंग के कारण उसे प्राप्त हुए हों या सामान्य अनुक्रम में प्राप्त होते।

(ii) The contractor shall be allowed to construct temporary wells in Government land for taking water for construction purposes only after he has got permission of the Circle/Branch Officer in writing. No charges shall be recovered from the contractor on this account, but the contractor shall be required to provide necessary safety arrangements to avoid any accidents or damage to adjacent buildings, roads and service lines. He shall be responsible for any accidents or damage caused due to construction and subsequent maintenance of the wells and shall restore the ground to its original condition after the wells are dismantled on completion of the work.

Return of surplus material

CLAUSE 33. Notwithstanding anything contained to the contrary in any or all of the clauses of this contract, where any materials for the execution of the contract are procured with the assistance of Government either by issue from Government stocks or purchase made under orders or permits or licences issued by Government the Contractor shall hold the said materials economically and solely for the purpose of the contract and not dispose them of without the permission of the Government and return, if required by the Circle/Branch Officer, all surplus or unserviceable materials that may be left with him after the completion of the contract or at its termination for any reason whatsoever on being paid or credited with such price as the Circle/Branch Officer shall determine having due regard to the condition of the materials. The price allowed to the contractor however shall not exceed theceed the amount charged to him excluding the element of storage charges if any. The decision of the Circle/Branch Officer shall be final and conclusive. In the event of branch of the aforesaid condition the contractor shall in addition to throwing himself open to action for contravention of the terms of the licences or permit and/or for criminal breach of trust, be liable to Government for all moneys, advantages or profits resulting or which in the usual course would have resulted to him by reasons of such breach.

संयत्र और मशिनरी का भाड़ा

खण्ड 34—(क) कार्य के लिए अपेक्षित निम्नलिखित संयंत्र और मशीनें ठेकेदार को नीचे दी हुई शर्तो पर भाड़े पर जारी की जाएंगी :—

क्रम संख्या	विवरण	प्रतिदिन के लिए प्रभारित भाड़ा
(i)		
(ii)		

(ख) प्रदाय करते समय संयंत्र और मशीनरी..... स्थित विभागीय उपस्कर शेड में ही सौंपी जाएगी और यहीं पर उसे वापस लिया जाएगा और ठेकेदार शेड से कार्य स्थल तक उनका लाने और वहाँ से वापस ले जाने का व्यय वहन करेगा। ठेकेदार संयंत्र और मशीनों को उसी दशा में जिसमें वे उसे सुपुर्द की गई थी, लौटाने के लिए जिम्मेदार होगा और वह उक्त संयंत्र और मशीनरी को, कार्य स्थल पर अथवा अन्यत्र प्रचालन के समय या अन्यथा या अभिवहन के दौरान, कारित सभी नुकसान के लिए, जिसमें उसके पुर्जों का नुकसान या हानि भी सम्मिलित है, और वह उस कार्य के, जिसके लिए वे दी गई थीं, पूर्ण हो जाने के तुरन्त पश्चात् उन्हें वापस करने में उसकी (ठेकेदारों की) असफलता के कारण हुई सभी हानियों के लिए उत्तरदायी होगा। ठेकेदार के दायित्व और इस संबंध में उसकी सीमा को अवधारित करने के लिए मंडल/शाखा अधिकारी एकमात्र निर्णायक होगा और उसका विनिश्चय अंतिम और ठेकेदार पर आवद्धकर होगा।

(ग) यथा उपरि अनुबद्ध संयंत्र और मशीनरी जैसे ही और जब उपलब्ध होंगी और यदि ठेकेदार द्वारा अपेक्षा की जाएगी तब वे दे दी जाएगी। रोलरों की जब भी अपेक्षा हो, उन्हें विभाग से प्राप्त कर लेना चाहिए। ठेकेदार अपने कार्य के प्रोग्राम की व्यवस्था संयंत्र और मशीनरी की उपलब्धता के अनुसार करेगा और विभाग द्वारा प्रदाय में हुई किसी देरी के कारण उसका (ठेकेदार का) कोई दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(घ) भाड़ा प्रभार संयंत्र और मशीनरी के सुपुर्द किए जाने की तारीख से, जिसमें वह तारीख भी शामिल होगी उसके लौटाए जाने की तारीख तक, जिसमें वह तारीख भी शामिल होगी, विहित दरों पर वसूल किया जाएगा चाहे वह किसी भारी टूट-फूट को छोड़कर किसी कारण से कार्य न कर रही हो। ठेकेदार किसी संयंत्र और मशीनरी के इतना खराब हो जाने पर कि उनको भारी मरम्मत की आवश्यकता हो, मंडल/शाखा अधिकारी को तुरन्त लिखित रूप में सूचना देगा। इस संबंध में किसी विवाद की दशा में, अधीक्षक इंजीनियर का विनिश्चय अंतिम होगा।

Hire of Plant and Machinery.

CLAUSE 34. (a) the following plant and machinery required for the work will be issued to the contractor on hire on conditions given below :—

S. No.	Description	Hire charges per day
(i)		
(ii)		

(b) Plant and machinery when supplied shall be made over and taken back at the departmental equipment shed at..............and the contractor shall bear the cost of their carriage from the shed to the site of work and back. The contractor shall be responsible to return the plant and machinery in the condition in which it was handed over to him, and he shall be responsible for all damage caused to the said plant and machinery at the site of work or elsewhere in operation or otherwise or during transit including damage to or loss of part and for all losses due to his failure to return the same soon after the completion of the work for which it was issued. The Circle/Branch Officer shall be the sole judge to determine the liability of the contractor and its extent in this regard and his decision shall be final and binding on the contractor.

(c) The plant and machinery as stipulated above will be issued as and when available and if required by the contractor. Rollers when required should be obtained from the department. The contractor shall arrange his programme of work according to the availability of the plant and machinery and no claim, whatsoever, will be entertained from him for any delay in supply by the Department.

(d) The hire charges shall be recovered at the prescribed rates from and inclusive of the date of the plant or machinery is made over upto the inclusive of the date of its return even though the same may not have been working for any cause except for major breakdown. The contractor shall immediately intimate in writing to the Circle/Branch Officer when any plant or machinery gets out of order requiring major repairs. In case of any dispute in this regard, the decision of the Circle/Branch Officer shall be final.

(च) ऊपर दर्शाए गए भाड़े प्रभार 8 घंटे के (जिसमें एक घंटा बीच में लंच के लिए सम्मिलित है) प्रत्येक दिन या उसके भाग के लिए है, वाष्पचालित सड़क रोलर की दशा में 8 घंटे की कालावधि के अंतर्गत वह समय भी होगा, जो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व बायलर में वाष्पदाब बनाने के लिए और कार्य समाप्त होने पर बायलर में वाष्पदबाव कम करने के लिए सहायक होगा ।

(छ) भाड़ा प्रभारों के अंतर्गत यथा अपेक्षित चालक स्टाफ की सेवाएं और स्नेहक तेल और सफाई के प्रयोजनों के लिए सामान का तथा जब वाष्पचालित सड़क रोलर में आग जलाने के लिए जब पत्थर का कोल दिया जाए तो 1.25 क्विंटल से अनधिक ऐसा पत्थर का कोयला भी शामिल होगा । ठेकेदार जो संयंत्र और मशीनरी की हिफाजत और सुरक्षा के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा संयंत्र और मशीनरी को चलाने के लिए अनुमोदित प्रकार के शक्ति इंधन, जलाने की लकड़ी, मिट्टी के तेल आदि की तथा संयंत्र मशीनरी की हानि या नुकसान से बचाव करने के लिए पूर्णकालिक चौकीदार की भी व्यवस्था करेगा; संयंत्र और मशीनरी का प्रदाय किए जाने पर या उसके पूर्व ठेकेदार संयंत्र और मशीनरी को परिवहन के दौरान या कार्यस्थल पर होने वाली हानि या नुकसान के विरुद्ध विभाग की क्षतिपूर्ण करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर करेगा ।

(ज) सामान्यतः कोई भी संयंत्र और मशीनरी एक दिन में 8 घंटे से, जिसमें मध्याह्न भोजन के लिए एक घंटे का समय भी शामिल है, अधिक काम नहीं करेगी, किन्तु अति आवश्यक कार्य की दशा में, मंडल/शाखा अधिकारी अपने विवेक से संयंत्र और मशीनरी को दिन में 8 घंटे की सामान्य कालावधि से अधिक चलाने की इजाजत दे सकेगा । उस दशा में ठेकेदार द्वारा वहन किया जाने वाला अतिकाल का प्रतिघंटा भाड़ा प्रभार सामान्य रूप से आनुपातिक प्रति घंटा प्रभार (दैनिक प्रभार का आठवां भाग) से 50 प्रतिशत अधिक होगा किन्तु किसी विशिष्ट दिन का ऐसा प्रभार कम से कम उतना होगा जो आधे दिन का प्रसामान्य प्रभार होता है । अतिकाल का भाड़ा प्रभार निकालने के लिए आधा घंटा और उससे ऊपर की अवधि को एक घंटे के रूप में प्रभारित किया जाएगा और आधे घंटे से कम समय की उपेक्षा कर दी जाएगी ।

(झ) ठेकेदार संयंत्र और मशीनरी को हर दसवें दिन नियतकालिक सफाई और/या धुलाई के लिए छोड़ देगा जिसमें लगभग तीन से चार घंटे तक का या अधिक समय लग सकेगा वह एक श्रमिक और जल की भी व्यवस्था करेगा जिसकी वाष्पचालित रोलरों को धोने के लिए अपेक्षा हो इस बात का विचार किये बिना कि सफाई/धुलाई करने में

(e) The hire charges shown above are for each day of 8 hours (inclusive of the one hour lunch break) or part thereof. In case of steam road roller, the period of 8 hours will be inclusive of time required to make up the boiler pressure before start of work and to lower the boiler pressure at the close of work.

(f) Hire charges will include service of operating staff as required and also supply of lubricating oil and stores for cleaning purposes and steam coal not exceeding 1.25 quintals to light up the steam road roller when issued. Power fuel of approved type, firewood, kerosene oil etc. for running the plant and machinery and also the full time chowkidar for guarding the plant and machinery against any loss or damage shall be arranged by the contractor who shall be fully responsible for the safeguard and security of plant and machinery. The contractor shall sign an undertaking on or before the supply of plant and machinery either during transit or at site of work.

(g) Ordinarily, no plant and machinery shall work for more than 8 hours a day inclusive of one hour lunch break. In case of an urgent work however, the Circle/Branch Officer may, at his discretion, allow the plant and machinery to be worked for more than normal period of 8 hours a day. In that case the hourly hire charges for overtime to be borne by the contractor shall be 50% more than the normal proportionate hourly charges (1/8th of the daily charges) subject to a minimum of half day's normal charges on any particular day. For working out hire charges for over time a period of half an hour and above will be charged as one hour and a period of less than half an hour will be ignored.

(h) The contractor shall release the plant and machinery every 10th day for periodical servicing and/or wash out which may take about three to four hours or more. He shall also provide for a labour and water that may be required for wash out of steam rollers. Hire charges for full day shall be recovered from contractor for the day of servicing/wash out

कितना समय लगा है, ठेकेदार से सफाई/धुलाई करने वाले दिन के लिए पूरे दिन का भाड़ा प्रभार वसूल किया जाएगा।

(ट) ठेकेदार को जो संयंत्र और मशीनरी एक बार जारी कर दी जाएगी उन्हें वह अपनी ओर से श्रमिक और सामग्री आदि की व्यवस्था में कमी होने के कारण वापस नहीं करेगा। उन्हें तभी वापस किया जाएगा जब कि या तो उनमें भारी मरम्मत की आवश्यकता हो अथवा जब मंडल/शाखा अधिकारी की राय में वह कार्य या उसका वह भाग, जिसके लिए उन्हें जारी किया गया था, पूरा हो चुका हो।

(ठ) ठेकेदार को प्रदाय किये गये प्रत्येक संयंत्र और मशीनरी के दैनिक कार्य के समय का अभिलेख रखने के लिए विभाग द्वारा लाग बुक रखी जाएगी और वह रोजाना ठेकेदार या उसके प्राधिकृत अभिकर्त्ता द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी। यदि ठेकेदार यह आपत्ति करता है कि उसकी प्रविष्टियां सही नहीं है और/या लाग बुक पर हस्ताक्षर करने में असफल रहता है तो मंडल/शाखा अधिकारी का विनिश्चय अंतिम और उस पर आबद्धकर होगा। सड़क रोलरों के भाड़े प्रभार के मद में वसूली उतने न्यूनतम दिनों के लिए की जाएगी जो इस धारणा के आधार पर निकलते हों कि एक रोलर प्रतिदिन कितनी भूमि सुदृढ़ कर सकता है या उतनी अधिकतम सामग्री या आपृष्ठन क्षेत्र की कुटाई कर सकता है। जो संलग्न विवरण में प्रत्येक के सामने लिखी है (संलग्न विवरण देखिए)।

(ड) कंक्रीट मिश्रक की दशा में ठेकेदार प्रतिदिन या प्रत्येक अवसर पर या प्रतिदिन कार्य की समाप्ति पर हापर को साफ कराने और उस ड्रम को धुलवाने की व्यवस्था करेगा।

(1) यदि ठेकेदार स्वतः भूमि सुदृढ़ीकरण के लिए रोलरों को काम पर लगाता है, तो इस मामले में भी लाग-बुक उसी प्रकार भरी जाएगी जिस प्रकार विभागीय रोलरों के संबंध में किया जाता है, खास-2 मदों की अधिकतम मात्रा जो प्रत्येक रोलर दिवस में सुदृढ़ीकरण किया जाता है, खंड 34 (ठ) के संलग्न विवरण के अनुसार ही होगी। रोलर के कम उपयोग के कारण कम रोलर दिवस के लिए वसूली निर्धारित दरों पर की जाएगी।

कंक्रीट मिश्रक का किराये पर प्रदाय किया जाना

यदि सरकार ठेकेदार द्वारा ऐसी अपेक्षा किए जाने पर मसाला और कंक्रीट मिलाने के लिए कंक्रीट मिश्रक मशीन का प्रदाय करती है यदि वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भंडार में उपलब्ध हो तो ठेकेदार उसे भंडार से कार्यस्थल

irrespective of the period employed in servicing/wash out.

(i) The Plant and machinery once issued to a contractor shall not be returned by him on account of lack of arrangements of labour and materials, etc. On his part, the same will be returned only when they require major repairs or when in the opinion of the Circle/Branch Officer the work or a portion of work for which the same was issued is completed.

(j) Log book for recording the hours of daily work for each of the plant and machinery supplied to contractor will be maintained by the Department and will be attested by the contractor or his authorised agent daily. In case the contractor contests the correctness of the entries and/or fails to sign the Log Book the decision of the Circle/Branch Officer shall be final and binding on him. Hire charges will be calculated according to the entires in the Log Book and will be binding on the contractor. Recovery on account of hire charges for road rollers shall be made for the minimum number of days worked out on the assumption that a roller can consolidate per day and maximum quantity of materials or area surfacing as noted against each in the annexed statement (see attached annexure).

(k) In the case of concrete mixers, the contractor shall arrange to get the hopper cleaned and the drum washed at the close of the work each day or each occasion.

(l) In the case of rollers for consolidation are employed by the Contractor himself, log book for such rollers shall be maintained in the same manner as is done in the case of department rollers, maximum quantity of any items to be consolidated for each roller, day shall be also the same as in the Annexure to Clause 24(j). For less use of roller recovery for the less roller days shall be made at the stipulated rates.

Supply of concrete mixer on hire

1. Mechanical concrete mixers for mixing the mortar and concrete will be supplied by the Govt., if any available and if so required by the contractor at Archaeological Survey of India Stores, then the Contractors shall bear

तक ले जाने और वापस लाने का उसका गाड़ी भाड़ा खर्च करेगा ।

(2) मिश्रक मिश्रक-शैड पर ही सौंपा जाएगा और वहीं वापस लिया जाएगा और उसका किराया प्रभार. . . . . .रु० प्रतिदिन के हिसाब से मिश्रक को सौंपे जाने की तारीख से इसके वापस किये जाने की तारीख तक का वसूल किया जाएगा, चाहे इसका उपयोग किया जाए या नहीं, सिवाय उस कालावधि के जब भारी खराबी के कारण वह का पड़ा हो तो उसका ऊंचा प्रभार नहीं लिया जाएगा । एक पूरे दिन या उससे अधिक समय तक मशीन का अवरुद्ध रहना भारी अवरोध माना जाएगा । मंडल/शाखा अधिकारी का अवरोध की कालावधि के संबंध में प्रमाणपत्र ठेकेदार पर आबद्धकारी होगा ।

(3) ठेकेदार कंक्रीट मिश्रक की चौकसी व पहरेदारी के लिए एक पूर्णकालिक चौकीदार को काम पर लगायेगा और उसकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा ।

(4) ठेकेदार, जब उसे सड़क रोलर किराये पर दिया जाए तब उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए चौकीदार की नियुक्ति करेगा और वे विभाग को मशीन की किसी प्रकार की क्षति के विरुद्ध चाहे वह परिवहन के दौरान या कार्य स्थल पर हुई हो उन्मोचित करते हुए एक करार पर हस्ताक्षर करेंगा ।

एसफाल्टी सामग्री के उपयोग के संबंध में शर्तें

खण्ड 35. (i) ठेकेदार उपयोग किये जाने वाले टार या बिटुमेन का प्रदाय करने वाली फर्म द्वारा कार्य के पर्यवेक्षण के लिए इंतजाम करने के लिए स्वयं को वचनबद्ध करता है ।

(ii) ठेकेदार डामर लगाने की प्रक्रिया के प्रारम्भ से पूर्व मानक सूत्र के अनुसार कार्य के लिए अपेक्षित टार या बिटुमेन की कुल मात्रा संगृहीत करेगा और उसे मंडल/शाखा अधिकारी को आडमानित करेगा । यदि पूरा हो जाने पर विनिर्देशों की प्राधिकृत तबदीलियों और कार्य प्रभाग के त्याग से भिन्न अन्य कारणों के लिए वास्तविक निष्पादन में सामग्री के कम उपयोग के कारण कोई बिटूमेन या टार बिना काम में आए बच रहता है, तो मंडल/ शाखा अधिकारी द्वारा यथा अवधारित प्रयुक्त सामग्री की लागत के समतुल्य तत्सम कटौती की जाएगी और सामग्री ठेकेदारों को वापस लौटा दी जाएगी । यद्यपि सामग्री सरकार को आडमानित की जाती है, तथापि ठेकेदार सभी जोखिमों से उनकी उचित रखवाली, सुरक्षित अभिरक्षा और संरक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है । सामग्री मंडल/शाखा अधिकारी की लिखित सम्मत्ति के बिना कार्यस्थल से नहीं हटाई जाएगी ।

the cost of its cartage from the store to the site of work and back.

(2) The mixer shall be made over and taken back at the mixer shed and hire charges shall be recovered at Rs. ——— per day from the date of mixer is made over to the date of its return irrespective of its being put into use or not except for the major break down, during which period higher charges shall not be recovered. The break down for a period of full day or more shall be considered as major breakdown. The certificate of the Circle/Branch Officer for the period of breakdown shall be final binding on the contractor.

(3) The contractor shall have to engage a full time chowkidar for watch and ward of the concrete mixer and shall be responsible for the safety.

(4) The chowkidar for safe-guarding the road-roller shall be employed by the contractor when these are hired out to him they shall sign an agreement indemnifying the department against any loss or damage caused to the machine either during transit or at the site of work.

Conditions relating to use of asphaltic materials.

CLAUSE 35. (i) The contractor undertakes to make arrangements for the supervision of the work by the firm supplying the tar or bitumen used.

(ii) The contractor shall collect the total quantity of tar or bitumen required for the work as per standard formula, before the process of painting is started and shall hypothecate it to the Circle/Branch Officer. If any bitumen or tar remains unused on completion of the work on account of lesser use of materials in actual execution for reasons other than authorised changes of specification and abandonment of portion of work, a corresponding deduction equivalent to the cost of unused materials as determined by the Circle/Branch Officer shall be made and the material returned to the contractors. Although the materials are hypothecated to Government the Contractor undertakes the responsibility for their proper watch, safe custody and protection against all risks. The materials shall not be removed from site of work without the consent of the Circle/Branch Officer in writing.

(iii) ठेकेदार कार्य पूरा हो जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर पता चलने वाली त्रुटियों को ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा और ऐस्फाल्टी कार्य से संबंधित प्रतिभूति निक्षेप के प्रभाग को इस कालावधि के अवसान के पश्चात् प्रतिदाय कर दिया जाएगा ।

(iii) The contractor shall be responsible for rectifying defects noticed within a year from the date of completion of the work and the portion of the security deposit relating to asphaltic work shall be refunded after the expiry of this period.

खण्ड 36. ठेकेदार इस कार्य के निष्पादन के दौरान निम्नलिखित तकनीकी कर्मचारीवृन्द को नियोजित करेगा:—

1. जब निष्पादित किये जाने वाले कार्य की लागत 5 लाख रुपये से अधिक हो—एक स्नातक इंजीनियर ।

2. जब निष्पादित किये जाने वाले कार्य का लागत 2 लाख रुपये से अधिक किन्तु 5 लाख रुपये से कम हो एक अर्हित डिप्लोमाधारक (ओवरसियर) ।

जब कभी मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाए तब तकनीकी स्टाफ को अनुदेश लेने के लिए कार्यस्थल पर उपलब्ध होना चाहिए ।

यदि ठेकेदार यथापूर्वोक्त तकनीकी स्टाफ का नियोजन करने में असफल रहता है तो वह स्नातक इंजीनियरों की बाबत व्यतिक्रम के लिए प्रति मास 2000 रु० (केवल दो हजार रुपये) और डिप्लोमाधारक (ओवरसियर) की बाबत व्यतिक्रम के लिए प्रति मास 1000 रु० (केवल एक हजार रुपये) से अनधिक यथोचित राशि का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(i) यदि एक इंजीनियर या ओवरसियर एक से अधिक निर्माण कार्यों की निगरानी करता है, तो यह तब तक आपत्तिजनक नहीं होगा, बशर्ते कि उसके अधीन निर्माण कार्यों का कुल मूल्य इंजीनियर के मामले में 20 लाख रुपये और ओवरसियर के मामले में 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा ।

(ii) यदि ठेकेदार या साझेदार फर्म/कम्पनी के मामले में, स्वयं इंजीनियर/ओवरसियर हो तो उसके लिए निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण के लिए अन्य इंजीनियर या ओवरसियर नियोजित करना आवश्यक नही होगा, जब तक कि ठेकेदार/साझेदार वैसा ही कार्य करता हो, जैसा कि नियोजित इंजीनियर/ओवरसियर द्वारा किया जाता ।

(iii) सेवानिवृत्त इंजीनियर/सहायक इंजीनियर जो डिप्लोमाधारक होगा, को उक्त खंड के लागू होने के लिए स्नातक इंजीनियर के बराबर समझा जाएगा ।

(iv) तकनीकी कर्मचारियों के नियोजन का निविदत्त लागत के साथ सामंजस्य रखा जाना चाहिए ।

CLAUSE 36. The contractor shall employ the following technical staff during the execution of this work :—

1. One Graduate Engineer when the cost of work to be executed is more than Rs. 5 lakhs.

2. One qualified Diploma Holder (Overseer) when the cost of work to be executed is more than Rs. 2 lakhs but less than Rs. 5 lakhs.

The technical staff should be available at site, whenever, required by Circle/Branch Officer to take instructions.

In case the contractor fails to employ the technical staff as aforesaid, he shall be liable to pay a reasonable amount not exceeding Rs. 2,000 for each month of default in the case of graduate Engineers and Rs. 1,000 for each month of default in the case of Diploma Holder (Overseer).

(i) There shall be no objection if an Engineer or Overseer looks after more than one work provided the total value of works under him does not exceed Rs. 20 lakhs in the case of an Engineer and Rs. 10 lakhs in the case of an Overseer.

(ii) It is not necessary for a contractor or partner in case of firm/company who is himself an Engineer/Overseer to employ another Engineer/Overseer for the supervision of the works, so long as the contractor/partner does work similar to what have been done by an employed Engineer/Overseer.

(iii) A retired Engineer/Assistant Engineer who are holding diplomas may be treated at par with Graduate Engineer for the operation of the above clause.

(iv) The employment of technical staff may be correlated to the tendered cost.

खण्ड 37. यदि समीचीन समझा जाए तो संपूर्ण कार्य दो या अधिक ठेकेदारों में बांटा जा सकेगा या भागत: न कि पूर्णत: प्रतिगृहीत किया जा सकेगा ।

CLAUSE 37. The whole work may be split up between two or more contractors .or accepted in part and not in entirety, if considered expedient.

खण्ड 38. (i) इस ठेके की बाबत सामग्री पर विक्रय कर या कोई अन्य कर ठकेदार द्वारा संदेय होगा और सरकार इस संबंध में कोई भी दावा ग्रहण नहीं करेगी ।

CLAUSE 38. (i) Sales tax or any other tax on materials in respect of this contract shall be payable by contractor and Government shall not entertain any claim whatsoever in this respect.

(ii) यदि किसी अवधि में, स प्रकार की अधिसूचना या आदेश के अनुसरण में या उसके अधीन कोई स्वामित्व उपकर, फीस या इसी प्रकार की कोई रकम संकर्मों के ठकेदार द्वारा प्रयक्त किसी सामग्री के बारे में राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों को भारत सरकार द्वारा संदेय हो जाती है और किसी समय ठेकेदार द्वारा संदेह नहीं होती है तो ऐसी दशा में भारत सरकार केलि यह विधियुक्त होगा और उसको यह अधिकार होगा या वह इस बात के लिए हकदार होगी कि वह यथापूर्वोक्त परिस्थितियों में संदत्त रकम ठेकेदार को देय राशि में से वसूल कर ले ।

(ii) If pursuant to or under any law such notification or order any royalty, cess, fee or the like becomes payable by the Government of India and does not at any time become payable by the contractor to the State Govts./ Local Authorities in respect of any material used by the contractor on the works there, in such a case, it shall be lawful to the Govt. of India and it will have the right and be entitled to recover the amount paid in the circumstances as aforesaid from dues of the contractor.

खण्ड 39. इस ठेके के अधीन अधिकारों या उपचारों में से किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार मर जाता है तो मंडल/अफिसर को राष्ट्रपति की ओर से यह विकल्प होगा कि वह ठेकेदार को प्रतिकर दिए बिना ठेके को पर्यवसित कर दे ।

CLAUSE 39. Without prejudice to any of the rights or remedies under this contract, if the contractor dies, the Circle/Branch Officer on behalf of the President shall have the opinion of terminating the contract wtihout compensation to the contractor.

खण्ड 40. ठेकेदार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परिमंडल में, (ठेके दिए जाने और उनके निष्पादन के लिए उत्तरदायी जिसमें उसका निकट नातेदार मंडल लेखापाल या अधीक्षक इंजीनियर और सहायक इंजीनियर (दोनों को सम्मिलित करते हुए) की श्रेणियों के बीच किसी हैसियत में तो अफसर है, कार्यों के लिए निविदा करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । यह ऐसे व्यक्तियों के नाम भी प्रज्ञापित करेगा जो उसके साथ किसी हैसियत में काम कर रहे हैं या उसके द्वारा तत्पश्चात् नियोजित किए जाते हैं और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में (या शिक्षा और सांस्कृतिक मंत्रालय के) किसी राजपत्रित आफिसर के निकट नातेदार है । ठेकेदार द्वारा इस शर्त का कोई भंग उसे इस विभाग के ठेकेदार को अनमोदित सूची से हटाए जाने के लिए दायी बनाएगा ।

CLAUSE 40. The contractor shall not be permitted to tender for works in a Circle in the Archaeological Survey of India (responsible for award and execution of contracts) in which his near relative is posted as Junior Accounts Officer or as an officer in any capacity between the grades of the Dy-Superintending Archaeological Engineer and Assistant Superintending Archaeological Engineer (both inclusive). He shall also intimate the names of persons who are working with him in any capacity or are subsequently employed by him and who are near relatives to any gazetted officer in the Archaeological Survey of India (or in the Ministry of Education and Culture). Any breach of this condition by the contractor would render him liable to be removed from the approved list of contractors of this Department.

टिप्पण:—"निकट नातेदार" पद से पत्नी, पति, माता-पिता ओर पितामह-पितामही, संतति और पौत्र-पौत्रियां, भाई और बहनें चाचा-चाची और चचेरे, ममेरे भाई तथा उनके तत्संबंधी ससुराली नातेदार अभिप्रेत हैं ।

Note :—By the terms "near relative" is meant wife, husband, parents and grand parents, children and grand-children, brothers and sisters, uncle aunts, and cousins and their corresponding in-laws.

9—112 D. G. Arch/Survey/ND/83

खण्ड 41. भारत सरकार के इंजीनियरी विभाग में इंजीनियर या प्रशासनिक कर्तव्यों में नियोजित राजपत्रित रैंक का कोई इंजीनियर या अन्य राजपत्रित आफिसर भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अपनी निवृत्ति से दो वर्ष की कालावधि तक ठेकेदार के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं है। यह ठेका रद्द किया जा सकता है यदि किसी समय यह पाया जाए कि ठेकेदार या उसका कोई कर्मचारी ऐसा व्यक्ति है जिसने, यथास्थिति निविदा या ठेकेदार की सेवा में लगने से पूर्व भारत सरकार से यथापूर्वोक्त अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं कर ली थी ।

CLAUSE 41. No Engineer of gazetted rank or other gazetted officer employed in engineering or administrative duties in an Engineering Department of the Government of India is allowed to work as a contractor for a period of two years of his retirement from Government service without the previous permission of Government of India. This contract is liable to be cancelled if either the contractor or any of his employees is found at any time to be such a person who had not obtained the permission of Government of India as aforesaid, before submission of the tender or engagement in the contractors' service as the case may be.

खण्ड 42. (1) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की केवल अपेक्षित मात्रा ही ली जाए। कोई ऐसी सामग्री, जो ठेके के पूरा होने या उसके पर्यवसान के समय अप्रयुक्त बची रहे और पूर्णतः अच्छी दशा में हो, मंडल/शाखा अधिकारी को, यदि वह अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा ऐसा अपेक्षित करे, ऐसे स्थान पर, जो वह निर्दिष्ट करे, वापस लौटा दी जाएगी। प्रत्येक ऐसी सामग्री के लिए मुजरा विद्यमान बाजार-दर पर दिया जाएगा जो उससे प्रभारित ऐसी रकम से अनधिक होगा जिसमें से उसे सामग्री दिए जाने के समय उद्गृहीत भंडारकरण प्रभार को अपवर्जित कर दी गई हो। ठेकेदार अधिशेष सामग्री को उन भंडारों से ओर को, जहां से यह दी गई थी, वापस लौटाने के लिए धुलाई ओर आनुषंगिक प्रभारों के लिए हकदार भी नहीं होगा ।

CLAUSE 42. (i) The contractor shall see that only the required quantities of materials are got issued. Any such material remaining unused and in perfectly good condition at the time of completion or determination of the contract shall be returned to the Circle/Branch Officer at a place where directed by him, if by a notice in writing under his hand, he shall so require. Credit for such material will be given at the prevailing market rate not exceeding the amount charged from him, excluding the element of storage charges levied at the time of issue of materials to him. The contractor shall not be entitled to cartage and incidental charges for returning the surplus materials from and to the stores wherefrom they were issued.

(ii) कार्य समापन के पश्चात कार्य में उपयोग में लायी जाने वाली सीमेंट की अनुगणित मात्रा के०लो०नि०वि० द्वारा प्रकाशित दिल्ली दर अनुसूची 1977 या स्थानीय लो० नि० वि० की दर अनुसूची यथास्थिति में उपलब्धित विभिन्न कार्य मदों में उपयोग में लायी जाने वाली सीमेंट की मात्रा को दर्शित करने वाले वितरण के आधार पर संगणित की जाएगी। यदि ऐसी मद का निष्पादन किया जाता है जिसके लिए उपर्युक्त विवरणों में सीमेंट की खपत के लिए मानक सूत्र उपलब्ध नहीं है तो यह संबद्ध मंडल के उप अधीक्षक परातत्वविद् इंजीनियर द्वारा अधिकथित मानक सूत्रों के आधार पर संगणित की जाएगी। सीमेंट की इस अनुगणित मात्रा पर ऐसे कार्यों के लिए जिनकी यथा निविदत्त प्राक्कलित लागत 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है, 5% धन/ऋण तक और ऐसे कार्यों के लिए जिनकी यथा निविदत्त प्राक्कलित लागत 2 लाख रु० से अधिक किन्तु 5 लाख रु० तक है, 4% धन/ऋण तक और ऐसे कार्यों के लिए जिनकी यथा निविदत्त प्राक्कलित लागत 5 लाख रु० से

(ii) After the completion of the work theoretical quantity of cement to be used in the work shall be calculated on the basis of statement showing quantity of cement to be used in different items of work provided in Delhi Schedule of Rates '77 printed by C.P.W.D. or local P.W.D. Schedule of rates, as the case may be. In case any item is executed for which standard constants for the consumption of cement are not available in the above mentioned statement, the same shall be calculated on the basis of standard formulae to be laid down by the Deputy SAE of the Circle concerned. Over this theoretical quantity of cement shall be allowed a variation upto 5% plus/minus for works the estimated cost of which as put to tender is not more than Rs. 2 lakhs; upto 4% plus/minus for works the estimated cost of which put to tender is more than Rs. 2 lakhs but upto Rs. 5 lakhs and upto 3% plus/minus for works the estimated

अधिक है, 3% धन/ऋण तक फेरफार अनुज्ञात किया जाएगा । ठेकेदार को वस्तुत: दी गई सीमेंट की मात्रा और प्राधिकृत फेरफारों को सम्मिलित करते हुए अनुगणित मात्रा का अन्तर, यदि वह ठेकेदार द्वारा वापस नहीं कर दिया गया है जो सामग्रियों की वापसी के संबंध में ठेके को शासित करने वाली सुसंगत शर्तों के उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भंडारकरण प्रभारों को सम्मिलित करते हुए निर्गम दर के दुगने के हिसाब से वसूल किया जाएगा । यह पाए जाने की दशा में उपयोग में लाई गई सीमेंट की मात्रा इससे पूर्व उपबंधित (ऊपर अनुबद्ध ऋणात्मक फेरफारों को अनुज्ञात करके) अभिनिश्चित मात्रा से कम है, इस प्रकार अप्रयुक्त सीमेंट की मात्रा की लागत अनुबद्ध निर्गम दर के, जिसमें भंडारकरण प्रभार और कार्य स्थल तक ढुलाई सम्मिलित है, आधार पर ठेकेदार से वसूल की जाएगी ।

(iii) पूर्वगामी उपखण्ड के उपबन्ध इस्पात प्रबलन या संरचनात्मक इस्पात की दशा में, इस बात को छोड़कर कि इस्पात की अनुगणित मात्रा प्राधिकृत लेपेजा, घन टुकड़ों में काटने के कारण 5% छीजन को सम्मिलित करते हुए ऐसी मात्रा के रूप में समझी जाएगी जैसी कि डिजाइन के अनुसार है या मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत है, लागू होंगे । इस अनुगणित मात्रा पर, धन 5% और ऋण 4% छीजन के अधिक या कम होने के कारण फेरफार के रूप में अनुज्ञात किए जाएंगे ।

(iv) कार्य समापन के बाद कार्य में उपयोग में लायी जाने वाली अनुगणित बिटुमेन की मात्रा दिल्ली दर अनुसूची में उपबन्धित विभिन्न कार्य मदों के उपयोग में लायी जाने वाली बिटुमेन की मात्राओं को दर्शित करने वाले कें लो० नि० वि० के विवरण के आधार पर संगणित की जाएगी अथवा उन करारों के मामले में जो दिल्ली दर अनुसूची की प्रयुक्ति उपबंधित या प्राधिकृत नहीं करते हैं, कार्य में उपयोग में लायी जाने वाली बिटुमेन की अनुगणित मात्रा संबद्ध मंडल के अधीक्षक इंजीनियर द्वारा अधिकथित मानक सूत्रों के आधार पर संगणित की जाएगी और उक्त अनुगणित बिटुमेन की मात्रा पर $2\frac{1}{2}$% तक धन (अधिक) के फेरफार अनुज्ञात किये जाएंगे ।

जहां करार में बिटुमेन की मुफ्त सप्लाई का उपबंध करते हैं, वहां ठेकेदार को वास्तव में जारी बिटुमेन की मात्रा और उपर्युक्त प्राधिकृत घट बढ़ सहित अनुगणित मात्रा के अन्तर का मूल्य या कीमत यदि ठेकेदार द्वारा वापस नहीं किया जाता है तो सामग्री की वापसी के बारे में ठेकेदार को शासित करने वाली संबंधित शर्तों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले जारी करने की दर की दुगनी दर से वसूल किया जाएगा । इसके पता चलने पर कि ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त

cost of which put to tender is above Rs. 5 lakhs. The difference in the quantity of cement actually issued to the contractor and the theoretical quantity including authorised variations, if not returned by the contractor shall be recovered at twice the issue rate without prejudice to the provisions of the relevant conditions regarding return of materials governing the contract. In the event of it being discovered that the quantity of cement used is less than the quantity ascertained as hereinbefore provided (allowing variations on the minus side as stipulated above), the cost of tht quantity of cement not so used shall be recovered from the contractor on the basis of stipulated issue rate and cartage to site.

(iii) The provisions of the foregoing subclause shall apply in the case of steel reinforcement or structural steel sections, except that the theoretical quantity of steel shall be taken as the quantity required as per design or as authorised by the Circle/Branch Officer, including authorised lappages, plus 5% wastage due to cutting into pieces. Over this theoretical quantity, plus 5% minus 4% shall be allowed as variation due to wastage being more or less.

(iv) After the completion of the work, the theoretical quantity of bitumen to be used on works shall be calculated on the basis of C.P.W.D.'s statement showing quantities of bitumen to be used in different items of work provided in the Delhi Schedule of Rates or in respect of agreements which do not provide for or authorise application of Delhi Schedule Rates the theoretical quantity of bitumen to be used in works shall be calculated on the basis of standard formulae as laid down by S.E. of the concerned circle and over the said theoretical quantity of bitumen, a variation upto plus (excess) $2\frac{1}{2}$% shall be allowed.

The agreements which provide for free supply of bitumen the value or price of the difference in the quantity of bitumen actually issued to the contractor and the theoretical quantity including the above mentioned authorised variation, if not returned by the contractor shall be recovered at twice the issue rate without prejudice to the relevant conditions in the agreements regarding return of materials governing the contract. In the event of it being discovered that the quantity of bitumen used

बिटुमेन की मात्रा पूर्वोक्त रीति से परिकलित मात्रा से कम है तो प्रयुक्त बिटुमेन की कम मात्रा के लिए कोई वसूली नहीं की जाएगी।

जहां करार नियत दर पर बिटुमेन की सप्लाई करने का उपबंध करते हैं, वहां ठेकेदार को वास्तव में जारी बिटुमेन की मात्रा और उपर्युक्त प्राधिकृत घटबढ़ सहित अनुगणित मात्रा के अन्तर का मूल्य या कीमत यदि ठेकेदार वापस नहीं करता है तो सामग्री की वापसी के बारे में ठेके को शासित करने वाली संबंधित शर्तों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले जारी करने की दर की दुगुनी दर से वसूल किया जाएगा। इसके पता चलने पर कि ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त बिटुमेन की मात्रा उपर्युक्त रीति से परिकलित मात्रा (निम्न ओर की घटबढ़ रहित) से कम है तो इस प्रकार अप्रयुक्त बिटुमेन की मात्रा ठेकेदार से निर्धारित निर्गम दर में स्थल तक की ढुलाई भाड़ा को जोड़कर जो आये, उसके आधार पर वसूल की जाएगी।

(v) ऊपर किए गए उपबंध, विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य न करने के लिए ठेके की शर्तों के अधीन ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के सरकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

संघर्षों या युद्ध जैसी संक्रियों के परिणामस्वरूप कार्यों को क्षति पहुंचने से संबंधित खण्ड।

खण्ड 43. जब तक कार्य, मंडल/शाखा अधिकारी को परिदत्त नहीं कर दिया जाता और उससे प्रभाव का प्रमाण-पत्र प्ररिज्ञत नहीं कर लिया जाता तब तक कार्य (चाहे पूर्णतः निर्मित हो अथवा नहीं) और उससे संबंधित सब सामग्री, मशीनें, औजार और संयंत्र, पाड़, अस्थायी भवन और अन्य वस्तुएं, ठेकेदार के जोखिम पर रहेंगी। कार्य या उसमें लगाने के लिए स्थल पर उचित रूप से लाई गई किसी सामग्री को संघर्षों, प्राकृतिक संकटों या युद्ध जैसी संक्रियाओं के परिणामस्वरूप क्षति होने अथवा उसके नष्ट होने की दशा में ठेकेदार मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा लिखित आदेश दिए जाने पर कार्यस्थल से मलबे को हटाए और क्षतिग्रस्त कार्य से उद्धारित और काम में आने लायक सारी सामग्री इकठ्ठी करेगा और उसका उचित रूप से ढेर लगाएगा अथवा उसे भंडार में ले जाएगा तथा मलबे को कार्यस्थल से साफ करने के काम में आने लायक सामग्री का ढेर लगाने या उसे हटाने के कार्य के लिए और मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा आदिष्ट समस्त कार्य को फिर से पूरा करने के लिए इस करार के उपबंध के अनुसार ठेके की दरों पर संदाय किया जाएगा और इस प्रकार का संदाय क्षतिग्रस्त या नष्ट होने के पूर्व

by the contractor is less than the quantity calculated in the manner aforesaid, there shall be no recovery for less use of bitumen.

The agreements which provide for supply of bitumen at a fixed rate, the value or price of the difference in the quantity of bitumen actually issued to the contractor and the theoretical quantity including the above mentioned authorised variation, if not returned by the contractor shall be recovered at twice the issue rate of bitumen without prejudice to the relevant conditions in the agreements regarding return of materials governing the contract. In the event of it being discovered that the quantity of bitumen used by the contractor is less than the quantity calculated in the manner aforesaid (no variation on the lower side) quantity of bitumen not so used shall be recovered from the contractor on the basis of stipulated issue rate plus cartage thereof upto site.

(v) The provisions made above are without prejudice to the right of the Government to take action against the contractor under the conditions of the contract for not doing the work according to the prescribed specification.

Clause pertaining to damage to works in consequence of hostilities or warlike operations.

CLAUSE 43. The work (whether fully constructed or not) and all materials, machines, tools and plants, scaffolding, temporary buildings and other things connected therewith shall be at the risk of the contractor until the work has been delivered to the Circle/Branch Officer and a certificate from him to that effect obtained. In the event of the work or any materials properly brought to the site for incorporation in the work being damaged or destroyed in consequence of hostilities, natural calamities or warlike operation, the contractor shall when ordered (in writing) by the Circle/Branch Officer remove any debris from the site, collect and properly stack or remove in store all serviceable materials salvaged from the damaged work and shall be paid at the contract rates in accordance with the provision of this agreement for the work of clearing the site of debris, stacking or removal of serviceable material and for construction of all works ordered by the Circle/Branch Officer, such payments being in addition to

मूलतः निष्पादित किए गए किन्तु संदाय न किए हुए कार्य के मूल्य तक, क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगा। क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए ऐसे कार्यों की दशा में जिनकी माप न हो चुकी हो और जिनके लिए संदाय न किया गया हो, क्षतिपूर्ति का निर्धारण 5000 रु० तक संबंधित उप अधीक्षक इंजीनियर या मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा ऐसे प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा, और उससे अधिक रकम के लिए संबंधित मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार को कार्य में हुए नुकसान, उसके नष्ट हो जाने और सामग्रियों के प्रतिस्थापन के लिए संदाय, इस करार के उपबंधों के अनुसार निविदत्त दरों के विश्लेषण पर आधारित दरों पर किया जाएगा। सामग्री की क्वालिटी और मात्रा और जिस प्रयोजन से उसे संगृहीत किया गया था उसके बारे में मंडल/शाखा अधिकारी का प्रमाण-पत्र अंतिम और इस ठेके के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

compensation upto the value of the work, originally executed before being damaged or destroyed and not paid for. In case of works damaged or destroyed but not already measured and paid for, the compensation shall be assessed by the Dy. S.A.E. or any other officer so authorized by the Circle/Branch Officer upto Rs. 5,000 and by the Circle/Branch Officer concerned for a higher amount. The contractor shall be paid for the damage/destruction suffered and for the restoring the material at the rate based on analysis of rates rendered for in accordance with the provision of the agreement. The certificate of the Circle/Branch Officer regarding the quality and quantity of materials and the purpose for which they were collected shall be final and binding on all the parties to this contract.

परन्तु सर्वदा यह कि संघर्षों या युद्ध जैसी संक्रियाओं के परिणामस्वरूप किसी हानि के लिए कोई भी क्षतिपूर्ति (क) तब तक संदेय नहीं होगी जब तक कि ठेकेदार ने हवाई हमले के विरुद्ध ऐसे सभी पूर्वोपाय न किए हों, जो हवाई हमला सुरक्षा अधिकारी या मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाते हों, और (ख) किसी ऐसी सामग्री आदि के लिए, जो कार्य स्थल पर नहीं है या किसी ऐसे औजार, संयंत्र, मशीनरी, पाड़, अस्थायी भवन और अन्य वस्तुओं के लिए, जो उस कार्य के लिए आशयित नहीं है, संदेय नहीं होगी।

Provided always that no compensation shall be payable for any loss in consequences of hostilities or war-like operations (a) unless the contractor had taken all such precautions against air raid as are deemed necessary by the A.R.P. Officers or the Circle/Branch Officer (b) for any materials etc. not on the site of the work or for any tools, plant, machinery, scaffolding, temporary building and other things not intended for the work.

ठेकेदार द्वारा यथापूर्वोक्त पुनर्निर्माण किए जाने की दशा में, उसे उसको पूरा करने के लिए उतना और समय दिया जाएगा जितना मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा उचित समझा जाए।

In the event of the contractor having to carry out reconstructions as aforesaid, he shall be allowed such extension of time for its completion as in considered reasonable by the Circle/Branch Officer.

खण्ड 44. ठेकेदार अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 और समय समय पर उसके अधीन जारी किए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों का अनुपालन करेगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहेगा तो उसकी असफलता ठेके का भंग होगी ओर मंडल/शाखा अधिकारी अपने विवेकाधिकार से ठेका रद्द कर सकेगा। ठेकेदार इस अधिनियम के उपबन्धों के अपने द्वारा किसी अतिक्रमण के कारण उद्भूत किन्हीं धनीय दायित्वों के लिए भी जिम्मेदार होगा।

CLAUSE 44. The contractor shall comply with the provisions of the Apprentice Act, 1961 and the rules and orders issued thereunder from time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of the contract and the Circle/Branch Officer may, in his discretion, cancel the contract. The contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the provisions of the Act.

निष्पादित किए जाने के लिए संविदाकृत कार्य के लिए ठेके की शर्तों के खण्ड 10 के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रदत्त सामग्री की लगभग मात्रा तथा उन दरों को, जिन पर वे प्रभारित की जाने वाली है, दर्शित करने वाली अनुसूची।

Schedule showing approximate quantity of materials to be supplied by the Archaeological Survey of India under Clause 10 of the Conditions of Contract for work Contracted to be executed and the rates at which they are to be charged for.

विवरण	दरें, जो सामग्री के लिए ठेकेदार पर प्रभारित की जाएगी			परिदान का स्थान
	एकक	रुपये	पैसे	

टिप्पणी : निविदा देने वाले व्यक्ति या फर्म को यह देखना चाहिए कि उपर्युक्त अनुसूची में दरें प्ररुप के दिए जाने पर, निविदा के प्रस्तुत किए जाने से पूर्व मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा भी भर दी गई हैं ।

खण्ड 45. ठेकेदार रायल्टी निक्षेप करेगा और स्थानीय प्राधिकारी से लाल बजरी, पत्थर, कंकड़ आदि की सप्लाई के लिए परमिट प्राप्त करेगा ।

खण्ड 46. जब तक कि ठेकेदार श्रम अधिकारी से क्लीअरेंस प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त कर लेगा उसे प्रतिभूति निक्षेप वापस नहीं किया जाएगा ।

अतिरिक्त शर्तें

खण्ड 47

(1) सामान की सूची में लिखे अनुसार ठेकेदार को वितरण स्थल पर ही माल दिया जाएगा अगर किसी अन्य स्थल पर सामग्री वितरित की जाएगी तो गाड़ी भाड़े के कारण होने वाला अन्तर तदनुसार समायोजित किया जाएगा। सामग्री का वितरण होते ही ठेकेदार अपने खर्चे पर उसे कार्य स्थल पर ले जाएगा । समय समय-पर लागू केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के गोदामों से संबंधित नियमों के अनुसार कार्य समय के दौरान सामान प्रदान किया जाएगा ।

(2) विकल्पत: सीमेंट की सप्लाई बोरियों के बिना सिलोसाइट में कार्यस्थल पर ही की जाएगी । ठेकेदार सिलोसाइट के परिचालन के लिए मजदर की व्यवस्था करेगा और इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा । वह प्रसामान्य टूट-फूट के अतिरिक्त सिलोसाइट को पहुंचाई गयी किसी भी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति संदाय करने का दायी होगा । वह सिलोसाइट को कार्य स्थल पर लाये जाने के दिन से लेकर कार्यस्थल से सिलोसाइट के हटाये जाने के दिन तक एक रुपये प्रतिदिन की दर से सिलोसाइट का किराया प्रभार संदाय करेगा ।

(3) सिलोसाइट में सप्लाई किए गये सीमेंट की निर्गम दर वहां के०लो०नि०वि० के गोदाम में बोरी के बिना सीमेंट सप्लाई करने के लिए निर्धारित भंडार प्रभार सहित 2.45 रुपये और 4.60 रुपये प्रतिटन या स्थानीय प्राधिकारियों रा विहित दरों में से जो सरकार के लिए

Particulars	Rate at which the material will be charged to the contractor			Place of delivery
	Unit	Rs.	P.	

Note :—The person or firm submitting the tender should see that the rates in the above schedule are filled up by the Circle/Branch Officer on the issue of the form prior to the submission of the tender.

CLAUSE 45. The contractor shall deposit royalty and obtain necessary permit for the supply of the red Bajri, Stone, Kankar, etc. from local authorities.

CLAUSE 46. Security deposit will not be refunded till clearance certificate from Labour Officer is obtained by the contractor.

ADDITIONAL CONDITIONS

CLAUSE 47—

(1) The materials will be issued to the contractor at the place of delivery as mentioned in the Schedule of materials. If these are delivered at any other site the difference due to carriage will be adjusted accordingly. The contractor shall have to cart at his cost the materials to the site of work as soon as these are issued. The materials will be issued between the working hours and as per rules of the C.P.W.D. godowns from time to time.

(2) Alternatively the cement will be supplied without bags in silosite at the site of work. The contractor shall arrange his labour for operating the silosite and will be responsible for its safe custody. He shall be liable to pay the compensation for any damage done to the silosite over and above normal wear and tear. He shall pay the hire charges of silosite at the rate of Re. one per day from the day the silosite is brought on the site of work to the day silosite is removed from the site.

(3) The issue rate of the cement supplied in the silosite will be Rs. 2.45 and Rs. 4.60 per tonne, or the rates prescribed by the local authorities whichever is more beneficial to the Government more than the issue rate including storage charges stipulated for the supply of cement in non returnable bags at the C.P.

अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक होगी; अधिक होगी जब कि ए० सी० सी० थोक सप्लाई डिपो ओखला से स्थल की दूरी क्रमशः 7 मील और 14 मील होगी।

W.D. godowns there, when the distance of the site from the A.C.C. bulk supply depot at Okhla is upto 7 miles and 14 miles respectively.

(4) सामान की ढुलाई संग्रहण तथा सुरक्षा होने पर होने वाले आनुषंगिक व्यय की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

(4) The contractor shall bear all incidental charges for cartage, storage and safe custody of materials.

(5) गोदाम में उपलब्ध लम्बाई के हो नर्म इस्पाती सरिये (एम०एस० राड) प्रदान किये जाएंगे। इस संबंध में किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

(5) M.S. Bars will be issued in lengths as available in the stores. No claim on this account shall be entertained.

(6) सूर्य, वर्षा, सीलन, आग, चोरी आदि से होनेवाली क्षति से सामान को बचाने के लिए ठेकेदार इनके संग्रहण हेतु एक गोदाम बनवाएगा। आवश्यक पहारा व निगरानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उसी की होगी।

(6) The contractor shall construct suitable godown in the site of work for storing the materials safe against damage due to sun, rain, dampness, fire, theft etc. He shall also employ necessary watch and ward establishment for the purpose.

(7) सीमेंट की बोरियां अलग गोदामों में रखी जाएगी इन गोदामों की छतें तथा दीवारें ऋतुसह होंगी। प्रत्येक गोदाम में एक एक दरवाजा होगा और प्रत्यक दरवाजे पर दो-दो ताले लगाए जाएंगे। एक ताले की चाबियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रभारी अधिकारी के पास रहेगी तथा दूसरे ताले की चाबियां कार्य स्थल पर नियुक्त ठेकेदार के अधिकृत एजेंट के पास रहेगी ताकि गोदाम से दोनों पक्षों के सामने प्रतिदिन की आवश्यकतानुसार सीमेंट निकाला जाए।

(7) Cement bags shall be stored in separate godowns with pucca floor and weatherproof roofs and walls. Each godown shall be provided with a single door with two locks. The keys of one lock shall remain with the Archaeological Survey of India Officer-in-Charge of work and that the other lock with the authorised agent of the contractor at the site of work so that the cement is removed from the godown according to the daily requirement with the knowledge of both the parties.

(8) अच्छी तरह से पक्की की हुई जमीन पर बिछी, सूखी ईटों की दोहरी परत वाले तथा भूतल से कम से कम एक फुट पर बने फर्श पर सीमेंट की बोरियों का ढेर लगाया जाएगा। प्रत्यक ढेर में दो पंक्तियां होंगी और एक के ऊपर एक दस बोरियां होंगी। प्रत्येक ढेर के आस-पास 2′–0″ खाली स्थान होगा। पृष्ठ.........पर दिये रेखाचित्र के अनुरूप प्रत्येक पंक्तियों में बोरियों को एक दूसरे के साथ जोडकर क्षितिज रूप में रखा जाएगा।

(8) The cement bags shall be stacked on proper floors consisting of two layers of dry bricks laid on well consolidated earth at a level at least one foot above ground level. These stacks shall be in rows of 2 and 10 high with a minimum of 2′—0″ clear space around. The bags should be placed horizontally continuous in each line as shown in the accompanying sketch on page No.————————.

(9) निम्नलिखित प्रपत्र में सीमेंट की प्राप्ति तथा विवरण का प्रतिदिन का लेखा रखने की जिम्मेदारी प्रभारी

(9) The day to day receipts and issue accounts of cement shall be maintained by the

की होगी और ठेकेदार अथवा उनका अधिकृत एजेंट प्रतिदिन इस पर हस्ताक्षर करेगा :—

सिमेंट रजिस्टर का प्रपत्र

प्राप्ति की तारीख	प्राप्ति से संबधित न्यौरा		वितरण की तारीख	वितरण का ब्यौरा			कूल वितरण
	प्राप्ति की मात्रा	वधमान योग		वितरण की मात्रा	जिस कार्य के लिए वितरण किया गया	दिवस अवसान पर लौटाई गई मात्रा	
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रतिदिन का शेष	ठेकेदार के हस्ताक्षर	टिप्पणी आद्यक्षर	सहायक इंजीनियर के हस्ताक्षर	सहायक इंजीनियर/कार्यकारी इंजीनियर द्वारा समय समय पर की गई जांच
9	10	11	12	13

(10) ठेकेदार को चाहिए कि वह निविदा देने से पूर्व निर्माण एवं अध्ययन हेतु विनिर्देश तथा शर्तें निश्चित करने के लिए स्थल को अच्छी प्रकार से देखभाल के प्रभारी इंजीनियर द्वारा बनाए गए कार्यक्रम के अनुसार कार्य किया जाएगा ।

(11) ठेकेदार को सौंपा गया कार्य करते समय अगर उसके हाथों किसी वर्तमान निर्माण को क्षति पहुंचती है तो उसको अपने खर्चे पर ही वह ठीक करवायेगा ।

(12) ठेकेदार सभी कार्यों को कार्य निष्पादन के दौरान उसे आवंटित सम्पूर्ण कार्य को समाप्त करने तक अच्छी दशा में रखगा ।

(13) कार्य समाप्ति की नियत तिथि से पहले पाड़ बांधने आदि का रद्दी सामान स्थल से पूर्णतया साफ करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।

incharge and signed daily by the contractor or his authorised agent, in the following proforma :—

PROFORMA FOR THE CEMENT REGISTER

Date of Receipt	Particulars of Receipt		Date of issue	Particulars of Issue			Total Iss-ues
	Quantity received	Progressive total		Qnty. insued.	Item of work for which issued	Qnty. returned at the end of the day	
1	2	3	4	5	6	7	8

Daily balance	Contractors initial	Remarks initials	A. E.'s. Initials	A. E./EE periodical check.
9	10	11	12	13

(10) The contractor must get acquainted with the proposed site for the works and study specification and conditions carefully before tendering. The work shall be executed as per programme drawn by the Circle/Branch Officer.

(11) Any damage done by the contractor to any existing work during the course of execution of the work tendered.

(12) The contractor shall maintain in good condition all works during execution till completion of entire work allotted to him.

(13) He shall cause the site to be cleared thoroughly or rubbish scaffolding materials etc. before the stipulated date of completion of the work.

(14) हर तरह की दुर्घटना से बचने के उपाय ठेकेदार करेगा। इसके लिए वह दिन रात के लिए आवश्यक सतर्कता पट, गति सीमा पट, लाल झंडे, लाल रोशनी आदि लगवाएगा और अवरोध की व्यवस्था करेगा। उसके द्वारा की गई उपेक्षा के कारण हुई क्षति और दुर्घटना की जिम्मेदारी उसी की होगी। निर्माण कार्य करते समय यातायात में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़नी चाहिए।

(14) The contractor shall take all precautions to avoid all accidents by exhibiting necessary caution boards day and night, speed limit boards, red flags, red lights and providing barriers. He shall be responsible for all damages and accidents caused due to negligence of his part. No hinderence shall be caused to traffic during the execution of work.

(15) ठेकेदार को विभाग के कार्यक्रम के अनुसार कार्य करना होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

(15) The contractor will have to work as per programme of the department. No claim withsoever will be entertained on this account.

(16) हर दृष्टि से स्थानीय निगम या निकायों की उपविधियों का पालन करते हुए कार्य किया जाएगा।

(16) The work shall be carried out in a manner complying in all respect with the requirement of relevant bye laws of the Local Corporation/Bodies.

(17) निर्माण-कार्य से संबंधित मदों पर संबद्ध उपशीर्षों के अंतर्गत दिये गये विनिर्देशों का पालन किया जाएगा।

(17) For items pertaining to the building work the specifications detailed under relevant sub-heads for building work shall be followed.

(18) ढुलाई, संग्रहण, कटाई, अपव्यय आदि तथा हर प्रकार के अन्य प्रासंगिक व्यय का भार पूर्णतया ठेकेदार उठायेगा और इसके लिए उसे कोई अतिरिक्त राशि प्रदान नहीं की जाएगी।

(18) All incidental charges of any kind whatsoever including cartage, storage, cutting and wastage etc. shall be borne exclusively by the Contractor and nothing extra shall be paid to him on this account.

(19) गोदाम से कार्य स्थल पर सामान ले जाने के खर्च का भार ठेकेदार उठाएगा। इस संबंध में किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

(19) Cartage of materials from the store to the site of the work shall be borne by the contractor and no claim on this account will be entertained.

(20) सरकारी गोदाम अथवा अन्य कहीं से सामान की प्राप्ति के समय स्थल पर प्रयोग से पहले, सामान की जांच अनुभागीय निर्माण प्रभारी अधिकारी करेगा।

(20) All materials obtained from Government Stores or otherwise shall be got checked by the Officer-in-charge of the works on receipt of the same at site before use.

(21) प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह में ठेकेदार विभाग द्वारा दिये गये सामान, कार्य में प्रयुक्त सामान तथा शेष बचे सामान (अगर कोई हो) का सही लेखा तैयार करके प्रस्तुत करेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे और सामान नहीं दिया जाएगा और इस कारण से निर्माण कार्य के संपन्न होने में हुए विलम्ब की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

(21) The contractor shall maintain and render proper account of all materials issued to him by the department, consumed by him on the work, balance if any, in the first week of every month. If he fails to do so, no further quantity of materials shall be issued to him and he shall be wholly responsible if any delay occur in the completion of the work on this account.

(22) निर्माण कार्य के दौरान वर्षा अथवा अन्य किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण हुई क्षति के लिए ठेकेदार को अदायगी नहीं की जाएगी इस संबंध में किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

(23) नक्शे अथवा प्रभारी इंजिनियर के विनिर्देशों के बिल्कुल अनुरूप, इमारत में आवश्यकतानुसार पाड़ लगाने और आवश्यक पृष्ठ प्रक्षेपण, कटाई, दन्तुरण 'किंगरी' रद्दे, तारों के लिए सुराख, निशान लगाने तथा खड़ी ईंट की व्यवस्था पर हुई लागत, ठेकेदार को ईंट की चिनाई के लिए दी जाने वाली दर में सम्मिलित होगी।

(24) निर्माण में प्रयोग होने वाला केन्द्रण तथा किवाड़ बन्दी का विस्तृत नक्शा प्रदान करने की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। कार्य प्रारंभ करने से पहले इस नक्शे पर लिखित रूप में मंडलशाखा अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। परन्तु कार्य के दौरान प्रयुक्त केन्द्रण तथा किवाड़ बन्दी की मजबूती और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

(25) इमारत को हुई किसी प्रकार की क्षति को इंजीनियर तीन दिन की नोटीस देकर ठेकेदार से ठीक करवाएगा। ऐसा न किये जाने पर ठेकेदार की जोखिम पर यह काम करवाया जाएगा। इस संबंध में मंडल/शाखा अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(26) यह सारा कार्य इमारत में काम कर रही अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग से किया जाएगा। अन्य निर्माण कार्यों की वजह से थोड़ी देर के लिए रुक जाने पर ठेकेदार को चाहिए कि निविदा देने से पहले वह स्थल-स्थिति के बारे में भली भांति जानकारी प्राप्त कर लें।

(27) कार्य की भिन्न-भिन्न मदों की दर एक ही होगी चाहे उंचाई कितनी ही हो और आवश्यकतानुसार उंचे पाड़ लगाने आदि के लिए अतिरिक्त अदायगी नहीं की जाएगी।

(28) दीवारों में सुराख करने, टांगनी (सस्पेंडर) और ढांचा लगाने के लिए प्रयुक्त प्रचलित कंक्रीट सीमेंट (आर० सी० सी०) के घटकों और इमारत की मूल सतह की मरम्मत करने के लिए अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी।

(29) चूने का गारा तैयार करने के लिए मशीनी गारे की मिलों का प्रबंध करना ठेकेदार के लिए आवश्यक होगा। जब तक, किन्हीं विशेष अवसरों पर मंडल/शाखा अधिकारी

(22) No payment will be made to the contractor for damage caused by rains or other natural calamities during the execution of the works and no such claim on this account will be entertained.

(23) The contractor's rate for brick work shall include cost of all scaffolding during and providing necessary setback projection, cutting, toothing, string course, holes for cables, marking and brick on edge wherever required in the building in strict conformity with drawing or as directed by the Circle/Branch Officer.

(24) The contractor shall be fully responsible for the supply of detailed design of centring and shuttering to be used in construction which shall be got approved from the Circle/Branch Officer in writing before execution of work. However, the contractor shall be fully responsible for the soundness and safety of centring and shuttering used for works during execution.

(25) Any damage caused to the building shall be got rectified by the contractor(s) within three days of notice by the Circle/Branch Officer failing which the same shall be got done at the risk of the contractor(s). Decision of the Circle/Branch Officer shall be final.

(26) The entire work shall be carried out in close coordination with all other agencies working in the building. The contractor(s) shall not be entitled for any compensation on account of temporary stoppage of work due to other construction activities. Before tendering the contractor(s) should acquaint himself with site conditions.

(27) The rate for different items of work shall be for all heights and nothing extra on account of any special type of the high scaffolding etc. as required shall be payable.

(28) Nothing extra shall be paid for making holes in walls/R.C.C. members etc. for fixing suspenders and frame work, and making good to restore the original surface of the building.

(29) It shall be incumbent on the contractor to arrange for mechanical mortar mill(s) for preparation of lime mortar, unless otherwise permitted by the Circle/Branch Officer

अन्यथा अनुमति न दे दें । केवल ऐसी मिलों के प्रयोग से ही चूने का गारा तैयार किया जाएगा ।

(30) जल का परीक्षण आर० सी० सी० कार्यों में उसकी यथोचितता की दृष्टि से किया जाएगा और इस मद में कुछ भी अलग से संदाय नहीं किया जाएगा ।

(31) परीक्षण प्रभार और नमूनों का खर्च, जो प्रभारी इंजीनियर द्वारा अनुमोदित होगा, जिसमें नमूने को ले जाने और लाने का ढुलाई भाड़ा शामिल होगा, ठेकेदार द्वारा किया जाएगा । इस मद में कुछ भी अलग से संदाय नहीं किया जाएगा ।

(32) स्थानीय/कार्यों नगर निगम के हाल के निर्देशों के अनुसार ठेकेदार कार्य स्थल पर मजदूरों के लिए झोपड़ियां नहीं बनाएगा । ठेकेदार से मजदूरों के लिए टेंटों वाले आवास या सी० जी० आई०/एस्बेस्टोस शीट की छप्पर वाली टेबुलर ट्रस संरचनाओं की व्यवस्था करने की अपेक्षा की जाती है । इस मद में कुछ भी अलग से संदाय नहीं किया जाएगा ।

खण्ड 48. विनिर्देशन

सामान्य: निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के विनिर्देशनों के अनुरूप कराये जाएंगे, देखिए अद्यतन शुद्धि पत्रों सहित खंड I 1977 तथा खंड II 1977 । यदि निर्माण कार्य की किसी खास मद के विनिर्देशन के प्रावधान तथा "मात्राओं की अनुसूची" में दी गई मदों के ब्यौरे में कोई अन्तर मालूम हो तो परवर्ती पक्ष को माना जाएगा, यद्यपि उपर्युक्त विनिर्देशनों के निम्नांकित संशोधन एवं तथोक्त अतिरिक्त विनिर्देशन लागू होंगे । जिन मदों के लिए विनिर्देशन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विनिदशनों में नहीं मिलेंग सामान्यतया वे भारतीय मानक संस्थान की तत्संबंधी संहिता में उस मद के संबंध में उल्लिखित विनिर्देशन के अनुरूप होंगे तथा वे ही लागू होंगे ।

1.1 पत्थरों के सभी संग्रह कड़े पत्थरों के होंगे जो अनुमोदित खदान..............से प्राप्त किय गये होंगे ।

1.2 निम्नलिखित स्त्रोतों से बालू प्राप्त की जाएगी तथा वे निम्नलिखित विनिर्देशनों के अनुरूप होंगे ..... (मंडल/शाखा अधिकारी मोटे तथा बढ़िया बालू के विनिर्देशन स्थानीय शर्तों के अनुसार तैयार करेंगे) ।

(क) बढ़िया बालू ....से

(ख) मोटी बालू ....से

on specific occasions, preparation of lime mortar, shall be allowed only by use of such mill(s).

(30) The water shall be tested with regard to its suitability for use in R.C.C. works and nothing extra shall be paid on this account.

(31) All testing charges and the cost of samples, approved by Circle/Branch Officer, will be borne by the contractor including to and fro cost of carriage of the sample. Nothing will be paid extra on this account.

(32) As per recent direction of Local/ Municipal Bodies the huts for labours are not to be erected at the site of works by the contractor. The contractors are required to provide tabular truss structures with C.G.I./ Asbestos sheet roofing or tented accommodation for the labour. Nothing extra shall be paid on this account.

CLAUSE 48. SPECIFICATIONS

General : The work shall in general conform to the Central PWD specifications for works at Delhi vide Vol. I 1977 and Vol. II 1977 with correction slips upto date. Should there be any difference in the provision of the specifications for individual items of work and the description of the items as given in the "Schedule of Quantities" the latter shall prevail. The following general modifications to the above specifications and some additional specifications shall however apply. Items for which no specifications are available in the C.P.W.D. specifications (shall in general conforms to be specifications) as laid down by the I.S.I. for the item shall be applicable.

1.1 All stone aggregate shall be of hard stone to be obtained from approved quarries at ————.

1.2 Sand shall be obtained from sources mentioned below and shall conform to the following specifications. ———— (Circle/ Branch Officer should draw up the specifications as per local conditions for both course and fine sand).

(a) Fine sand from————.

(b) Course sand from————.

1.3 विशिष्ट मद के लिए विनिर्दिष्ट इंटें पकी हुई होनी चाहिए जो अनुमोदित भट्टे.............से लाई गई हों। इंटों के ब्यौरेवार विनिर्देशन मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर तैयार किये जाएंगे। एफ०पी०एस०/मीटर प्रणाली की यूनिटों में इंटों के आकार का उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.4 पकी हुई ऐसी सभी इंटें अस्वीकार कर दी जाएंगी जिनकी सम्मिलित क्षमता 70 कि० ग्रा० प्रति वर्ग सें० मी० से कम हो अथवा 24 घंटे तक पानी में डुबा कर रखने पर पानी सोखने के कारण जिनका वजन सूखी इंटों के वजन की तुलना में 20% से अधिक बढ़ जाए।

1.5 "मात्राओं की अनुसूची" की विशिष्ट मदों में उल्लिखित विभिन्न इमारती सामानों के समानार्थी सामानों का अनुमोदन निर्माण कार्य में प्रयोग करने से पूर्व मंडल/शाखा अधिकारी से लिखित रूप में कराया जाएगा।

1.6. सिवाय उन मदों के जिनका उल्लेख खास तौर पर हुआ हो, विभिन्न मदों की दरें ऊंचाई, गहराई, लम्बाई और चौड़ाई के अनुसार होगा।

1.7. ठेकेदार निर्माण कार्य के सुचारू रुप से संपादन के लिए उन सभी प्रकार के कार्यों के लिए यथावश्यक मंडल/शाखा अधिकारी की इच्छा के अनुरूप पानी को पंप द्वारा बाहर निकालने अथवा छोड़ने की समुचित व्यवस्था करेगा, जिनके संबंध में अव मृदा जलस्तर से नीचे नींव डालने, कंक्रीट बिछाने, पलस्तर करने, तह लगवाने, जलसह कार्य करने, इंट बिछाने आर० सी०सी० कार्य करने, स्तंभों की नींव डालने, स्तंभ तथा पुश्ता दीवार बनाने या अन्य किसी कार्य से है और जिसका दायित्व विभाग पर न होगा।

अव मृदा जलस्तर से नीचे किये जाने वाले किसी कार्य के संबंध में पंप से पानी निकालने या छोड़ने के लिए ठेकेदार की मात्राओं की अनुसूची में दी गई मदों से ऊंची अतिरिक्त कोई राशि नहीं दी जाएगी।

1.8. सभी दरवाजे, खिड़कियां तथा रोशनदान वास्तुविद् के ब्यौरेवार नक्शे के अनुसार होंगे।

1.9. सफाई से संबंधित सभी निर्माण कार्य स्थानीय नगरपालिका के उपनियमों की व्यवस्थाओं के अनुसार ही कराये जाएंगे तथा इसके लिए कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्य संपादन के दौरान इन उपनियमों का उल्लंघन करने के लिए केवल ठेकेदार को ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

1.3 Bricks shall be burnt bricks as specified for individual items obtained from approved kilns at————Detailed specifications for bricks should be given by Circle/Branch Officer on the basis of local conditions. Size of bricks in FPS/metric units should be mentioned.

1.4. All burnt bricks with compressive strength less than 70 kg. per sq. cm. or which absorb more water than 20% their dry weigh after 24 hours of immersion in water shall be rejected.

1.5 The equivalents for the various materials mentioned in individual items of the Schedule of Quantities, shall be got approved by the Circle/Branch Officer in writing before using them in works.

1.6 The rates for various items shall be for all heights, depths, lengths and widths except where specifically mentioned in the item.

1.7 The contractor shall make adequate arrangements for pumping and building out water for smooth execution of the work to the satisfaction of Circle/Branch Officer, as and when required, for all operations connected with execution of foundations, plain concrete, plasterig laying, water proofiing treatment, brick work, R.C.C. works in column footings, columns and retaining walls and for any other work below subsoil water level without any liability of the department.

Nothing extra over and above the rates quoted by the contractor in the schedule of quantities shall be paid for pumping out water for any work under sub soil water level.

1.8 All doors, windows, ventilators shall be according to Architects detailed drawing.

1.9 The work of services will have to be carried out to suit the provisions of local municipal bye-laws and nothing extra will be paid on that account. The contractor will solely be responsible for any infringement of bye-laws during execution.

2.1. निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले सभी इमारती सामानों के नमूने निर्माण कार्य से संबंधित मंडल/शाखा अधिकारी के पास यथोचित समय के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाएंगे तथा उनसे लिखित रूप में अनुमोदित करा लिये जाएंगे ।

2.1 Samples of all materials used in the work shall be submitted well in time and got approved in writing from Circle/Branch Officer of the work.

2.2 पिण्ड (काइल) के रूप में दिये गये समान केवल निकालने या उसे सीधा करने (रीइनफोर्समेंट) के लिए अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा ।

2.2 Nothing extra shall be paid for straightening the reinforcement issued as coil.

2.3 भराई के लिए विनिर्देशन ।

2.3 Specification for refilling.

(i) फर्श के नीचे की नीवों तथा कुर्सी तक की खाइयों की भराई 20 से० मी० से अधिक की परत में नहीं की जाए तथा हर परत को वर्तमान सतही स्तर तक लकड़ी या लोहे की थापी से पीट पीट कर ठोस बनाया जाए ।

(i) Filling in trenches of foundations and in plinth under floors should be done in layer to exceeding 20 cm. and each layer should be consolidated with wooden and steel rammer upto the existing ground level.

किये जाने वाले निर्माण कार्य का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाएगा कि इन शर्तों का पूरा-पूरा अनुपालन हो तथा ये शर्तें निर्माण कार्य की सामान्य प्रगति में बाधा पहुंचाए बिना पूरी हो । अन्य शब्दों में इसके लिए संविदा की किसी अन्य शर्त को स्वीकार नहीं किया जाएगा । इस अपेक्षा को सन्निहित किये जाने के कारण किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा चाहे इसमें समय बढ़ाने का दावा ही क्यों न शामिल हो ।

The work shall be so arranged to be carried out that these requirements are observed and fulfilled without any determent to the general Progress of Work. In other words, this will not be allowed to have any of the terms and conditions of the contract. No claims of any kind whatsoever including the claim of extension of time will be entertained due to the incorporation of this requirement.

2.4 सभी लोहे के दरवाजे, खिड़कियां तथा रोशनदान संरचनात्मक नक्शों के अनुसार होंगे तथा निविदा दाता द्वारा दी गई दरों में सभी अंगभूत भागों का मूल्य भी शामिल होगा, देखिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के विनिर्देशन के खंड I 1967 के पैरा 10.9 और 5 मिश्रित लोहे की खिड़कियों के मामले में जड़ी हुई और खुलने वाली खिड़कियों की दरें क्रमशः उन मिश्रित खिड़कियों के अनुसार लागू होंगी जो जैसी बन्द होती है या खुलती है तथा इन्हें जोड़ने वाले अवयव यथा बिचली छड़ों और सरदलों के लिए अलग से कुछ भी भुगतान नहीं किया जाएगा । मिश्रित खिड़कियों की खुली जगह की माप उसी प्रकार की जाएगी जैसा कि खुलने वाले शटर की खाली जगह की माप की जाती है ।

2.4 All steel doors, windows and ventilators shall be according to the architectural drawings and the rate quoted by the tenderer shall include the cost of all component parts vide para 10.9.5, of the Central P.W.D. specification for works at Delhi Vol. I 1977. In case of composite steel windows, the rates for fixed windows and openable windows shall be applicable to the fixed and openable areas in the composite windows respectively and nothing extra shall be payable for coupling Section such as mullions and trancom. The openable area in composite windows shall be measured as the clear opening of openable shutters.

2.5 ठेकेदार जलसह संबंधी कार्य के लिए उप शीर्ष की (मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा भरी जाए) मदों की प्रतिभूति देगा जिसकी पूर्ति किसी विशिष्टता प्राप्त मानक फर्म से करायी जाएगी ।

2.5 The contractor shall give guarantee for item of sub-head (to be filled by Circle/Branch Officer) for water proofiing treatment which has got to be done only from specialised standard firm.

(1) ठेकेदार स्थानीय नगर निगम अथवा संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित स्वच्छता तथा जल संभरण संस्थापना कार्य के लिए लाइसेंस प्राप्त नलसाजों को नियोजित करेगा और इस संबंध में दिल्ली नगर निगम सभी अपेक्षाओं को पूरा करेगा ।

(2) एच० सी० आई० पाइप तथा फिटिंग स्थानीय विनिर्माताओं की होगी तथा सामान्यतः वे भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुरूप होंगी ।

(3) जब तक कि मात्राओं की अनुसूची में अन्यथा उपबंधित न हो, ठेकेदार द्वारा दी गई दरें सर्वसमावेशी होंगी और इमारत की सभी ऊंचाइयों तथा गहराइयों के संबंध में लागू होंगी । इस संबंध में ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान भी नहीं किया जाएगा ।

(4) हर बार, किसी भी काय के निष्पादन से पहले, संरचनात्मक तथा स्थापत्य संबंधी आरेखनों में समुचित सामंजस्य होगा । वास्तुविद की सभी अपेक्षाओं को पूर्णतः पूरा किया जाएगा विशेषकर उन कार्यों में जहां विशेष उल्लेख किया गया हो । इसके साथ-साथ परिष्करण कार्यों के लिए "वास्तुविद के आरेखन", "वास्तुविद के डिजाइन", "वास्तुविद का अनुमोदन" आदि भी आवश्यक होंगे तथा नमूने कार्य आरंभ करने से पहले पूर्व अनुमोदन के लिए तैयार किए जाएंगे ।

(5) ठेकेदार सारे निष्पादित निर्माण को तब तक अच्छी स्थिति में रखेगा जब तक कि उसे आबंटित संपूर्ण कार्य पूरा नहीं हो पाता ।

(6) ठेकेदार विभिन्न भागों में काय को यथासंभव साथ-साथ आगे बढ़ाएगा ताकि कम से कम तोड़फोड तथा मरम्मत करनी पड़े । संपूर्ण निर्माण कार्य संतोषप्रद परिष्कृत स्थिति में सौंपा जाएगा ।

(7) मंडल/शाखा अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ठेकेदार को सारे इमारती सामान तथा फिटिंग के पर्याप्त नमूने पहले से पेश करने होंगे । बाद में, कार्य के वास्तविक निष्पादन में प्रयुक्त सामान तथा फिटिंग, अनुमोदित नमूनों की क्वालिटी से मेल खानी चाहिए । अंतर होने की दशा में प्रयुक्त सामान तथा फिटिंग अस्वीकार किए जा सकेंगे ।

(1) The contractor shall employ licensed plumbers for sanitary and water supply installations work and shall satisfy, all the requirements of the Municipal Corporation in respect of the same.

(2) H.C.I. Pipe and fittings mav be local manufacturer and shall generally conform to the relevant Indian standard specifications.

(3) Unless otherwise provided in the Schedule of quantities the rates tendered by the contractor shall be all inclusive and shall apply to all heights and depths of the building and nothing extra shall be payable to him on this account.

(4) The structural and architectural drawings shall be all times, be properly correlated before executing any work, Architect's requirements shall be fully satisfied specially in those items where specification mention is made. "Architect's drawings", "Architect's design", "Architect Approval" etc. in addition for finishing items, samples shall be prepared for prior approval before starting the work.

(5) The contractor shall maintain in good condition all work executed till the completion of entire work allotted to him.

(6) The contractor shall progress on the different parts simultaneously as far as possible as that minimum breakage and repairs are involved. The entire work shall be handed over in satisfactory finished state.

(7) The contractor shall be required to produce samples of all building materials and fittings sufficiently in advance to obtain approval of the Circle/Branch Officer. Subsequently, the material and fittings used in the actual execution of the work shall strictly conform to the quality of samples approved. In case of variation the materials and fittings used shall be liable to rejection.

(8) ठेकेदार द्वारा लाई गई ईंटों का वर्गीकरण उस परमिट (यदि परमिट प्रणाली है) पर बताए गए वर्गीकरण का विचार किए बिना, जिसके अंतर्गत ठेकेदार ने सामान प्राप्त किया हो ऊपर संदर्भित कें० लो० नि० वि० के मुद्रित विनिर्देशों के सर्वथा अनुरुप होगा। ठेकेदार आपूर्ति विभाग द्वारा उसे जारी किए गए परमिट के आधार पर ईंटों की क्वालिटी के संबंध में कोई दावा नहीं कर सकेगा।

(9) यदि विद्युत कनेक्शन अपेक्षित हो तो ठेकेदार स्वयं उसे प्राप्त करने का प्रबंध करेगा तथा आवश्यक भुगतान सीधे संबंधित विभाग को करेगा। जल संभरण के संबंध में संविदा के खंड 31 से 32 तक का हवाला दिया जाए।

(10) कंक्रीट और प्रबलित कंक्रीट कार्य की दशा में ठेकेदार को अपनी ही लागत पर संपीटन प्रबलन परीक्षण करने होंगे। वह क्यूब तैयार करने में, उसकी सुरक्षित अभिरक्षा में उचित संसाधन में तथा उसे प्रयोगशाला तक (जहां परीक्षण किया जाना है) ले जाने में पूरी सहायता करेगा। क्यूब परीक्षण मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी भी प्रयोगशाला में किया जा सकता है।

(11) ठेकेदार से अपेक्षा की जाती है कि वह तराजू, अंशाकित सिलेंडर, मानक चूल्हे, क्लंप कोन आदि जैसे उपकरण स्थल पर उपलब्ध कराएगा ताकि मंडल/शाखा कार्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण कर सके कि कंक्रीट की क्वालिटी विहित विनिर्देशों के समनुरुप हैं।

(12) रिसन से बचने के लिए फर्श में लगाए गए पाइपों के जोड़ो तथा फ्लोर ट्रेपों के चारों ओर 1:2:4 (1 भाग सीमेंट : 2 भाग मोटी रेत : 4 भाग दिल्ली क्वार्टजाइट की 3/4" तथा कम मोटी रोड़ी) के अनुपात का सघट कंक्रीट का मिश्रण लगाया जाएगा।

(13) दरवाजों, खिड़कियों, रोशनदानों में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी किसी अनुमोदित भट्टे पर सिझाई जाएगी और इसका संतोषप्रद प्रमाण पत्र मंडल/शाखा अधिकारी की मांग पर ठेकेदार द्वारा किया जाना चाहिए।

(8) The classification of bricks brought by the contractor shall strictly conform to the printed C.P.W.D. specifications referred to above irrespective of the classifications shown on the permit (if there is a permit system) under which the contractor might have obtained the materials. The contractor shall have no claim as to the quality of bricks on the basis of permits issued to him by the supply department.

(9) The contractor shall make his own arrangements for obtaining electric connections, if required and make necessary payments directly to the department concerned. Regarding supply of water, reference may be made to clauses 31 to 32 of the contract.

(10) In case of concrete and reinforced concrete work the contractor shall be required to make arrangement for carrying out compression strength tests at his own cost. He shall render all assistance for the preparation of cubes, safe custody of the same, proper curing and carriage upto the laboratory where the test is to be performed. The cube tests can be performed at any laboratory approved by the Circle/Branch Officer.

(11) The contractor shall be required to provide applicance at site, such as weighing scale, graduated cylinder, standard stoves, clump cones etc., in order to enable the Circle/Branch Officer to conduct filed tests to ensure that the quality of concrete is consistent with the prescribed specifications.

(12) The floor trape and joints of pipes embedded in floor shall be surrounded by well compacted concrete 1 : 2 : 4 mix (1 cement : 2 coarse sand : 4 D.Q. Stone ballast 3/4" and down gauge) to prevent any future leakage.

(13) All the timber to be used for Doors, windows and ventilators shall be kiln seasoned at an approved kiln, satisfaction proof of which should be produced by the contractor on demand by the Circle/Branch Officer.

(14) फ्लश डोर : फ्लश डोरों की क्वालिटी, मात्राओं की अनुसूची में कार्य मद के विवरण को दृष्टि में रखते हुए, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राज्य लोक निर्माण विभाग अथवा अन्य संबंधित राज्यों के विनिर्देशों तथा दिल्ली में कार्यों के लिए विनिर्देश, 1967 के अनरुप होंगी। कें० लो० नि० वि० के निर्माण कार्यों में प्रयोग के लिए अनुमोदित फ्लश डोर शटर ही लगाए जाएंगे।

(14) Flush Doors : The quality of the flush doors shall be as per Central P.W.D. Specifications for works at Delhi 1977 according to the description of item of work in the schedule of quantities. Flush door shutters approved for use on C.P.W.D. works will be provided.

(15) दिल्ली/नई दिल्ली में होने वाले निर्माण कार्यों के लिए यदि भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913/कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित सरकारी कम्पनी हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय जंगपुरा नई दिल्ली म या किसी अन्य स्थान पर हो, ठेके से संबंधित सारा लकड़ी का काम उन निबंधनों तथा शर्तों पर करने के लिए तैयार और रजामंद है जो प्रतियोगी है और किसी अन्य पृथक-पृथक फर्मों अथवा कंपनियों द्वारा इस प्रयोजन से कोट किए गए निबंधनों तथा शर्तों की अपेक्षा अथवा मुकाबले कम अनुकूल नहीं हैं तो उस दशा में संविदा से संबंधित सारा लकड़ी का उक्त कार्य ठेकेदार द्वारा हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड की एजेंसी के माध्यम से [निष्पादित किया जाएगा और इस प्रयोजन से ठेकेदार, भारत [सरकार तथा उसके बीच निष्पादित किया जाएगा] और इस प्रयोजन से ठेकेदार, भारत सरकार तथा उसके बीच निष्पादित संविदा की तारीख से सात दिन के अंदर अथवा ठकेदार द्वारा अवधि बढ़ाने के लिए की गई प्रार्थना पर भारत सरकार द्वारा बढ़ाई गई अवधि के अंदर, उक्त हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड के साथ एक करार करे।

(15) If the Hindustan Housing Factory Ltd., a Govt. company incorporated under the Indian Companies Act, 1913/ the Companies Act, 1956 having its registered office at Jangpura, New Delhi or at any place is ready and willing to do any execute all wood work relating to or in connection with the contract on terms and conditions which are comparative and not less favourable to the contractors than or as compared to the terms and conditions quoted for the purpose by any other individual firms or company, then all the said wood work relating to or in connection with the contract shall be done and executed by the contractor through the agency of Hindustan Housing Factory Ltd., and for the purpose, the contractor shall enter into an agreement in writing with the said Hindustan Housing Factory Ltd., within seven days from the date of the contract executed between the Government of India and the contractor or within such expended periods as the Government of India may agree to on a request made in that behalf by the contractor.

(16) अनावृत्त चिनाई के काम में गहरी ढलवां तथा आयताकार संधियां होंगी जिनका परिष्करण सीमेंट के मसाले से किया जाएगा। अनावृत्त चिनाई में ईंट विशेष रुप से चुनी जाएंगी और समान माप, आकार तथा रंग की होंगी। ये ईंटे, संधियों की समान चौड़ाई और मोटाई वाले अनुप्रस्थ स्तरों में लगाई जाएंगी। मसाला "एल" और "टी" आकार की ओर अपेक्षित मोटाई तथा ऊंचाई वाली पट्टियां रखने के बाद बिछाया जाएगा। ये पट्टियां चिनाई की अनुप्रस्थ तथा खड़ी संधियों में से पार्श्व से तथा लंबमान रुप से हटा दी जाएगी ताकि ईंट की सतह तथा कोरों से मसाला अपेक्षित अपरिष्कृत गहराई तक हटाया जा सके और पीछे गहरी ढलवां संधियां रह जाएं इस प्रकार की संधियों पर की गई टीपकारी की सफाई भी इसी ढंग से तुरंत कर दी जाएगी। ताकि सतह पर फालतू मसाला न

(16) Exposed brick work : Shall have been deep struck, rectangular joints finished with cement mortar. The bricks in exposed brick work shall be specially picked and of uniform size, shape and colour. These shall be laid in proper horizontal courses of colour. These shall be laid in proper horizontal courses of uniform width and thickness of joints. The mortar shall be laid after keeping and L-shaped or T-Shaped wooden edge of required thickness and depth. Those edges shall be moved laterally and longitudinally in the horizontal and vertical joints of the masonary so as to clear all the mortar from the face and edges of the bricks upto required uniform depth, leaving deep struck joints, pointing done on such joints shall also be cleaned immediately in the

लगा रह जाए । और ईंटों तथा संधियों की कोरें समान गहराई तथा चौड़ाई वाली बनें । चिनाई में अनुप्रस्थ संधियों के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा तथा टीपकारी के लिए बताई गई दर में ये सभी क्रियाएं सम्मिलित होंगी ।

same way, so that no mortar strucks to the faces and edges of bricks and joints are uniformly deep and wide. Nothing extra shall be paid for horizontal joints in the brick work and the tendered rate of pointing work shall be inclusive of all such operations.

(17) विभिन्न तलों पर काम के लिए भुगतान : विभिन्न तल स्तरों से ऊपर आर० सी० सी० कार्य चिनाई कंक्रीट के कार्य तथा पत्थर की चिनाई के कार्य संबंधी मदों के लिए अतिरिक्त भुगतान इन कायमदों के लिए बताई गई दरों पर किया जाएगा । इन दरों के परिचालन के लिए तल-स्तर उस तल में मुख्य संरचनात्मक आर०सी० सी० पट्टियों का सबसे ऊपरी भाग माना जाएगा अर्थात् यह स्तर मुख्य कमरे में आर० सी० सी० पट्टियों का सबसे ऊपरी भाग होगा न कि शौचालय के दबे हुए अथवा अवनत फर्श की पट्टियों का सबसे ऊपरी भाग ।

(17) Payments for work in different floors :—Extra payment for items of R.C.C. work, brick work, concrete work and stone masonary above different floors levels shall be made at rates provided for these items. For operations of these rates the floor level shall be considered as the top of main structural R.C.C. slab in that floor viz. top of R.C.C. slab in main room and not the top of any sunk of depressed floor slab for lavatory slabs.

(18) मुलायम इस्पात के मामले में यदि इनका प्रबन्ध ठेकेदार द्वारा आर० सी० सी० कार्य में सुदृढ़ीकरण हेतु किया जाता है तो निम्नलिखित शर्तें और विनिर्देशन लागू होंगे ।

(18) The following additional conditions and specifications shall apply to the mild steel if arranged by the contractor for reinforcement in R.C.C. work.

भारतीय मानक 432–1966 की दरें या श्रेणी I के लिए यथा संशोधित छड़ें तब तक इस्तेमाल की जाएंगी जब तक कि अन्यथा इनका विनिर्देशन न किया जाए । यदि श्रेणी I के लोह उपलब्ध न हों तो मंडल/शाखा अधिकारी विशेष परिस्थिति में श्रेणी II के लोह के इस्तेमाल की अनुमति देंगे जिस मामले में 10 % अधिक लोहे का इस्तेमाल होगा और जिसके लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाएगा ।

The bars conforming of I.S. 432-1966 or as revised for grade I steel shall be used unless otherwise specified. If Grade I steel is not available, the Circle/Branch Officer may in special case permit the use of Grade II steel in which case 10% more steel shall be used for which no extra payment shall be made.

सभी परिष्कृत छड़ विनिर्देशन के मुताबिक परिमाप और वजन को ध्यान में रखते हुए रोल की जाएंगी । वे ठोस होंगी तथा चूने में चटकेपन, चपटे तल परतदार बनने तथा खंडे एवं दांतेदार और अपूर्ण नोक के दोष न हों तथा ये कर्मशाला जसी परिष्कृत की गयी हों श्रेणी I तथा श्रेणी II के लोहे का रासायनिक संघटन भारतीय मानक 226-1962 और भारतीय मानक 1977–1962 की इस्पाती परिभाषा एस० टी० 44–0 की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा ।

All finished bars shall be clearly rolled to dimensions and weights specified. They shall be sound and free from cracks surface floors, laminations and rough, jagged and imperfect edges and all other defects and shall be finished in a workman like manner. The Chemical composition of Grade I and Grade II steel will, however, conform to the requirement of IS 226-1962 and of steel designation ST-44-0 of IS-1977-1982.

ठेकेदार से अपेक्षा की जाती है कि वह स्थल पर लाये श्रेणी I के समर्थन में जांच प्रमाण पत्र पेश करें और जब भी 20 टन या इससे अधिक लोहे की छड़ें आवश्यक हैं तब मंडल/शाखा अधिकारी को यह अधिकार होगा कि

The contractor shall be required to produce a test certificate in support of the Grade I steel brought to site and wherever 20 tonnes or more steel bars are required, the Circle/Branch Officer shall be at liberty to inspect and

वह ढालने के विश्लेषण को दर्शाने वाले लोहा उत्पादक के प्रमाण पत्र की जांच और परीक्षा पूर्तिकर्ता के स्थल पर ही कर सकेगा और ठेकेदार को चाहिए कि वह ऐसी जांच के लिए जब भी कहीं जाए तुरंत व्यवस्था करे । मंडल/शाखा अधिकारी हर दस बंडल या उसके किसी अंश में से दो नमूनों की दरों के नमूने का चयन करेगा । एक नमूने की विधिवत्/टैग करके और उस पर संख्या लिखकर मंडल/शाखा अधिकारी अपने पास रखेगा तथा उसकी अनुवर्ती नमूना के० लो०नि०वि० की प्रयोगशाला या अन्य किसी सरकारी परीक्षणशाला में भेजा जाएगा । लोहे की कीमत तथा अन्य आनुषंगिक प्रभारों यथा परीक्षणशाला तथा ले जाने और संभालने के खर्च का भार ठेकेदार को वहन करना पड़ेगा यदि ऐसा कोई परीक्षण किया जाता है तो इसका भार विभाग को वहन करना पड़ेगा ।

लोहे के नमूनों का निम्न प्रकार से परीक्षण किया जाएगा :

(I) अंतिम तनन वल

(क) श्रेणी I के लोहे 42 कि०ग्रा०/वर्गमि०मी० के लिए

(ख) श्रेणी II के लोहे के लिए — 2 श्रेणी/के लोहे के लिए उपरिविनिर्दिष्ट से 10% कम भी हो सकता है ।

(II) प्रसरण की न्यूनतम प्रतिशतता :

(क) 20मि०मी०से कम की छड़ों के लिए 22

(ख) 10 मि०मी० से या उससे अधिक की छडों के लिए । 23

(III) कोल्स वैंड परीक्षण :

मानक नमूने के टुकड़े खंडित नहीं होने चाहिए जब उसे दुगुना करते वक्त दाब जरिए या हथौड़े के लगातार आघातों से तब तक पीटा जाए जब तक कि उस टुकड़े के दोनों पार्श्व समानान्तर न हो जाए । इसी प्रकार, छड़ों के मामले में इसकी मोटाई करीब 1 इंच (व्यास 25 मि०मी०) अन्दरुनी त्रिज्या छड़ों के व्यास या उसकी मोटाई से डेढ़ गुने से अधिक न हो और यदि इसकी मोटाई का भीतरी व्यास 1 इंच (25 मि०मी०) हो तो इसके नमूने की अंदरुनी त्रिज्या छड़ के व्यास या मोटाई से अधिक न हो ।

verify the steel makers certificate or cast analysis at the premises of supplier and the contractor shall arrange for such inspection immediately when asked for. The Circle/Branch Officer shall select two samples from every ten bundles or part thereof. One sample shall be duly tagged numbered and kept with Circle/Branch Officer and corresponding sample shall be sent to C.P.W.D. laboratory for any other Govt. Test House. The cost of steel and other incidental charges such as handling and carriage to the testing laboratory etc. shall be borne by the contractor, testing if any shall be brone by the Department.

The samples of steel shall withstand the following tests :—

(i) Ultimate cematte strength :

(a) For Grade Steel:— 42 Kg/mm²

(b) For Grade II Steel:— May be 10% less than thet specified above for Grade II Steel.

(ii) Minimum percentage elongations :—

(a) For bars under 20 mm

(b) For bars 10 mm and above 22 23

(iii) Cols Bend Test :—

The standard test piece shall stand without fracture being double over either by Pressure or any steady blows from hammer until the two sides of the piece are parallel. Further in the case of bars, about 1″ (25 mm.) in diameter and thickness, the internal radius is not greater than 1½ times the diameter or thickness of bars and in case 1″ (25 mm) or under diameter of thickness the internal radius or bend is not greater than diameter or thickness or bar.

खंड 50. टार स्टील के इस्तेमाल के संबंध में विशिष्ट शर्तें

यदि ठेकेदार मान्यता प्राप्त उत्पादकों से टार स्टील का प्रबंध कर लेता है तो टार स्टील अद्यतन यथा संशोधित भारतीय मानक 1786–1966 के अनुरूप होंगे । ठेकेदार को उत्पादकों से उन छड़ों के समर्थन में प्रमाण पत्र पेश करना होगा जो यथास्थिति भारतीय मानक 1786, अद्यतन यथा संशोधित के अनुरूप होंगी । ठेकेदार द्वारा स्थल पर लाये गये इमारती सामान को वास्तव में इस्तेमाल करने से पूर्व विभाग द्वारा चुनिन्देनमूने के अनुसार ठेकेदार इन छड़ों का परीक्षण करायेगा और परीक्षण के नमूना खंड मुफ्त दिये जाएंगे । यह परीक्षण के० लो०नि०वि० की प्रयोगशाला द्वारा या कें०लो०नि० वि० की प्रयोगशाला असमर्थता की स्थिति में अन्य मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराया जाएगा और कें०लो०नि०वि० की प्रयोगशाला के बाहर परीक्षण कराने से उस पर होने वाले व्यय का भार ठेकेदार उठायेगा ।

खंड 51. पुरातत्वीय स्थलों/संस्मारकों पर निर्माण-कार्य के निष्पादन के संबंध में शर्तें

(1) जिस/जिन ठेकेदार/ठेकेदारों को कार्य दिया जाए वह/वे यह सुनिश्चित करेगा/करेंगे कि किसी मूर्ति सुरक्षित संस्मारक या सुरक्षित संस्मारक के किसी भाग को कार्य निष्पादन के दौरान कार्य के निष्पादन कर्ता द्वारा नियोजित मजदूरों द्वारा या सामान के परिवहन के कारण न तो नष्ट किया जाए न उसे चोट पहुंचे ।

(2) यदि कार्य निष्पादन के दौरान किसी संस्मारक को चोट पहुंचने या नुकसान होने की संभावना या पूर्वाभास हो तो यह तथ्य मंडल/शाखा अधिकारी के ध्यान में लाया जाए और संबद्ध मंडल/शाखा अधिकारी से लिखित अनुज्ञा प्राप्त होने तक कार्य का निष्पादन न किया जाए ।

(3) आगे ठेकेदार इस बात को ध्यान में रखेगा कि सुरक्षित संस्मारकों पर कार्य निष्पादन के दौरान प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958, पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के आनुषंगिक उपबंधों का उनके कर्मचारियों, कार्मिकों, उनके सहयोगियों, मित्रों या परिचितों द्वारा

CLAUSE 50. SPECIAL CONDITIONS REGARDING USE OF TOR STEEL

In case the tor steel is arranged by the Contractor from recognised manufacturers, the tor steel shall conform to I.S. 1786-1966 as amended upto date. The contractor shall produce certificates from the manufacturers in support of bars being in confirmity with IS 1786 amended upto date. Tests on each bars shall be carried out by contractor in advance of its actual materials brought by contractor at site and test pieces shall be supplied free of cost. Testing shall be got done in C.P.W.D. Lab. or any other recognised Lab. in the case of inability of C.P.W.D. Lab. and cost of such testing outside the C.P.W.D. Lab. shall be borne by the contractor.

CLAUSE 51. SPECIAL CONDITION CONCERNING THE EXECUTION OF WORKS AT ARCHAEOLOGICAL SITES/ MONUMENTS

(1) The contractor/contractors to whom the work is awarded shall ensure that no edifice, protected monument or any part of protected monument is destroyed or injured during the execution of work or the transport of material or by the labour employed by the Contractor/Contractors for the execution of work.

(2) In case any injury or damage to a monument during the execution of work is anticipated or foreseen the facts should be brought to the notice of Circle/Branch Officer and the work should not be executed till the permission in writing is received from the Circle/Branch Officer concerned.

(3) The contractor will further ensure that during the execution of the works at the protected monuments, the relative provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, and the antiquities and Art Treasure Act, 1972, are not infringed or violated by their staff, labourers

किसी भी प्रकार उल्लंघन या भंग नहीं किया जाता है। इसका उल्लंघन किये जाने से इन अधिनियमों के उन आनुषंगिक उपबंधों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उक्त अधिनियमों का उल्लंघन यदि गंभीर प्रकृति का है तो मंडल/शाखा अधिकारी संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के अतिरिक्त स्वविवेक शक्ति से ठेके को रद्द कर सकता है। मंडल/शाखा अधिकारी का इस संबंध में अधिनिर्णय अन्तिम और आबद्धकारी होगा।

(4) जिन स्थलों/संस्मारकों पर प्रवेश शुल्क सर्वेक्षण द्वारा लिया जाता है, वहां ठेकेदार के मजदूरों, कर्मचारियों और उनका जो कार्य से संबद्ध हैं, का प्रवेश संदर्शन काल तक और कार्य के लिए वस्तुतः वांछित कर्मचारियों की संख्या तक सीमित होगा। इस प्रयोजन से ठेकेदार या उसका एजेंट उस स्थल/संस्मारक के कार्यकारी प्रभारी सहायक को कर्मकारों की सूची देगा जहां ऐसे कार्यों का संपादन किया जा रहा है।

(5) निर्माण कार्य की समाप्ति के बाद सुरक्षित क्षेत्र/संस्मारक में प्रवेश हेतु ठेकेदार, उसके मजदूर अथवा कर्मचारीगण दावा नहीं करेंगे।

their associates, friends or acquaintances in any way. Violation of this will render the concerned persons liable to panel action as per provisions of these Acts, and if the violations of the above acts are of serious in nature, the Circle/Branch Officer, besides the penal action against the concerned individuals, will at his discretion, rescind the contract. The decision of the Circle/Branch Officer in this regard will be final and binding.

(4) The Sites/Monuments where the entry fee is charged by the Survey, the entry of the contractor's labourers, employees and those associated with work will be restricted only to visiting hours, and the number of workers actually needed for the work. For this purpose the contractor or his agent will have to furnish a list of workers to the Executive Assistant in charge of the Site/Monument, where such works are executed.

(5) The Contractor, his labourers, or employees, will not claim free access to the protected area/monument after the work is completed.

ठेकेदार का हस्ताक्षर
Signature of Contractor

मंडल/शाखा अधिकारी का हस्ताक्षर
Signature of Circle/Branch Officer.

सुरक्षा संहिता :

(i) कर्मकारों के लिए ऐसे छोटी कालावधि वाले कार्यों को छोड़कर जिनको सीढ़ियों से निरापद रुप से किया जा सकता हो, उन सभी कार्यों के लिए, जिनको जमीन से या ठोस निर्माण से निरापद रुप से नहीं किया जा सकता हो, यथोचित पाड़ का उपलब्ध करना चाहिए। जब सीढ़ी उपयोग में लाई जाए तो एक अतिरिक्त श्रमिक सीढ़ी को पकड़ने के लिए नियुक्त किया जाएगा और यदि सीढ़ी सामग्री ले जाने के लिए भी उपयोग में लाई जाए तो सीढ़ी पर यथोचित पायदानों और हाथ के लिए सहारों की व्यवस्था होगी और सीढ़ी की आनति 1 पर 1/4 के अनुपात (1/4 क्षैतिज और 1 ऊर्ध्वाधर) से अधिक ढालू न होगी।

(ii) भूमि या फर्श से 3.6 मीटर (12 फुट) से अधिक उंची पाड़ या मंच जो ऊर्ध्वस्थ आधार से झूलता हुआ या लटकता हुआ हो, या स्थिर आधार से खड़ा किया गया हो, समुचित रुप से संबद्ध, बोल्ट युक्त, कसी हुई और अन्यथा मजबूती से बंधी हुई बचाव रोक होगी जो ऐसे पाड़ या मंच के फर्श या प्लेटफार्म से कम से कम 90 सें०मी० (3 फुट) ऊंची होगी और उसके बाहर और सिरों पर संपूर्ण लम्बाई पर लगी होगी और जिसमें ऐसे द्वार होंगे जो सामग्री के परिचालन के लिए आवश्यक हों। ऐसे पाड़ या मंच को ऐसे बांधा जाएगा कि वह भवन या संरचना से झूले नहीं।

(iii) कार्य प्लेटफार्मों, गलियारों और जीनों को ऐसे संनिर्मित किया जाना चाहिए कि उन पर अनावश्यक या असमान रुप से झोल न पड़े और यदि प्लेटफार्म, गलियारा या जीना भूमि या फर्श स्तर से 3.6 मीटर (12 फुट) से अधिक ऊंचा हो तो उसमें तखते पास पास लगे होने चाहिए, उसकी पर्याप्त चौड़ाई होनी चाहिए और उसको, ऊपर पैरा (ii) में वर्णित यथोचित रुप से कस कर बांधा जाना चाहिए।

(iv) भवन की फर्श पर या कार्य प्लेटफार्म के हर द्वार को व्यक्तियों या सामग्रीको गिरने से बचाने के लिए यथोचित बाड़े द्वारा या जंगले द्वारा जिसकी न्यूनतम ऊंचाई 90 सें० मी० (3 फुट) होगी, यथोचित रुप से घिरा होना चाहिए।

SAFETY CODE :

(i) Suitable scaffolds should be provided for workmen for all works that cannot safely be done from the ground, or from solid construction except such short period work as can be done safely from ladders. When a ladder is used an extra mazdoor shall be engaged for holding the ladder and if the ladder is used for carrying materials as well, suitable footholds and handholds shall be provided on the ladder and the ladder shall be given an inclination not steeper than ¼ to 1 (¼ horizontal and 1 vertical).

(ii) Scaffolding or staging more than 3.6 m. (12 feet) above the ground or floor, swung or suspended from an overhead support or erected with a stationery support shall have a guard rail properly attached or bolted, braced and otherwise scared at least 90 cm. (3 feet) high above the floor or platform of such scaffolding or staging and extending along the entire length of the outside and ends thereof with only such opening as may be necessary for the delivery of materials. Such scaffolding or staging shall be so fastened as to prevent it from swaying from the building or structure.

(iii) Working platform, gangways, and stairways should be so constructed that they should not sag unduly or unequally, and if the height of the platform or the gangway or the stairway is more than 3.6 m. (12 feet) above ground level or floor level, they should be closely boarded, should have adequate width and should be suitably fastened as described in (ii) above.

(iv) Every opening in the floor of a building or in a working platform should be provided with suitable means to prevent the fall of persons or materials by providing suitable fencing or railing whose minimum height shall be 90 cm. (3 feet).

(v) सभी कार्य प्लेटफार्मों और अन्य कार्य-स्थलों तक पहुंचने के लिए निरापद साधनों का उपबंध होगा। हर सीढ़ी मजबूती से लगी होनी चाहिए। कोई भी सुवाह्य से अकेली सीढ़ी लंबाई में 9 मीटर (30 फुट) से अधिक न होगी जबकि पाडों वाली सीढ़ी में खड़ी रेलों के बीच चौड़ाई 3 मीटर (10 फुट) तक लंबी सीढ़ी में किसी भी दशा में 29 सें०मी० ($11\frac{1}{2}$") से कम न होगी। अधिक लंबी सीढ़ियों में इस चौड़ाई में लंबाई के हर एक अतिरिक्त 30 सें०मी० (1 फुट) के 1/4" की वृद्धि होनी चाहिए। इकसार पाड़ियों के मध्य जगह 30 सें०मी० (12 इंच) से अधिक न होगा। विद्युत उपस्कर से होने वाले खतरे के निवारण के लिए यथायोग्य पूर्वविधानियां रखी जाएंगी। किसी भी कार्यस्थल पर कोई भी सामग्री इस प्रकार नहीं जमा की या रखी जाएगी कि वह किसी व्यक्ति या जनता के लिए खतरा या असुविधा उत्पन्न करे। जनता को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए ठेकेदार से सभी आवश्यक बाड़ों और प्रकाश की व्यवस्था करेगा और उक्त पूर्वविधानियों की उपेक्षा के कारण हुई क्षति के लिए किन्हीं व्यक्तियों द्वारा विधि के अधीन लगाए गए हर वाद, अनुयोग या अन्य कार्यवाहियों में प्रतिरक्षा के व्ययों का भार उठाने के लिए और ऐसी किसी नुकसानी या खर्चों का संदाय करने के लिए आवद्ध होगा जो ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को ऐसे किसी वाद, अनुयोग या कार्यवाही में अधिनिर्णीत किए जाएं या जो ठेकेदार की सहमति से ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे किसी दावे में समझौता करने के लिए संदत्त किया जाए।

(vi) उत्खनन और खाई खोदना 1.2 मीटर (चार फुट) या अधिक गहरी सभी खाईयों के लिए सभी समयों पर लम्बाई के हर एक 30 मीटर (100 फुट) या उसके किसी भाग के लिए कम से कम एक सीढ़ी प्रदाय की जाएगी। सीढ़ी खाई की तली से लेकर भूमि की सतह से कम 90 सें० मी० (3 फुट) ऊपर तक की होगी। 1.5 मीटर (5 फुट) या अधिक गहरी खाईयोंकी दीवारों यथोचित ढलान के लिए समतल (पक्की) होंगी या उन पर काष्ठ के तख्तों की मजबूत रोक लगी होंगी ताकि दीवारों के ढलने का खतरा न रहे। खोदी गई सामग्री खाई के किनारों से 1.5 मीटर (5 फुट) के भीतर या खाई की गहराई के आधे के बराबर दूरी के भीतर उनमें जो भी अधिक हो नहीं रखी जाएगी। कटाई शीर्ष से तली तक की जाएगी। किन्हीं भी परिस्थितियों में तलोच्छेदन या कम कटाई न की जाएगी।

(vii) ढाना-ढाने का कोई कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व और कार्य की क्रिया के दौरान भी :

(क) कार्यस्थल की पार्श्वस्थ सभी सड़के और खुले क्षेत्र या तो बंद कर दिए जाएं या उनमें बचाव की उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

(v) Safe means of access shall be provided to all working platforms and other working places. Every ladder shall be securely fixed. No portable single ladder shall be over 9 m. (30 feet) in length while the width between side rails in rung ladder shall in no case be less than 29 cm. ($11\frac{1}{2}$") for ladder upto and including 3 m. (10 feet) in length. For longer ladders this width should be increased at least 1/4" for each additional 30 cm. (1 foot) of length. Uniform step spacing shall not exceed 30 cm. (12"). Adequate precautions shall be taken to prevent danger from electrical equipment. No materials on any of the sites of work shall be so stacked or placed as they cause danger or inconvenience to any person or the public. The contractor shall provide all necessary fencing and lights to protect the public from accident, and shall be bound to bear the expenses of defence of every suit, action or other proceedings at law that may be brought by any person for injury sustained owing to neglect of the above precautions and to pay any damages and cost which may be awarded in any such suit, action or proceedings to any such person or which may, with the consent of the contractor, be paid to compromise any claim by any such person.

(vi) Excavation and Trenching—All trenches, 1.2 m. (4 feet) or more in depth, shall at all times be supplied with at least one ladder for each 30 m. (100 feet) in length or fraction thereof. Ladder shall be extended from bottom of the trench to at least 90 cm. (3 feet) above the surface of the ground. The side of the trenches which are 1.5 m. (5 feet) or more in depth shall be stepped back to give suitable slope or securely held by timber bracing, so as to avoid the danger or sides to collapse. The excavated materials shall not be placed within 1.5 m. (5 feet) of the edges of the trench or half of the depth of the trench whichever is more. Cutting shall be done from top to bottom. Under no circumstances undermining or undercutting shall be done.

(vii) Demolition—Before any demolition work is commenced and also during the progress of the work :—

(a) All roads and open areas adjacent to the work site shall either be closed or suitably protected.

(ख) ऐसा कोई भी विद्युत केबिल या साधित्र जिसमें खतरा उत्पन्न हो सकता हो या आपरेटर द्वारा प्रयुक्त होने वाला केबिल या साधित्र विद्युत आवेशित नहीं होगा ।

(ग) नियोजित व्यक्तियों को अग्नि या विस्फोट या बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए सभी व्यावहारिक कदम उठाए जाएंगे । भवन के किसी भी फर्श, छत या भाग को मलबे या सामग्री से इतना अतिभारित न किया जाएगा कि वह असुरक्षित हो जाए ।

(viii) कार्यस्थल पर नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए ऐसे सभी आवश्यक वैयक्तिक सुरक्षा उपस्कर उपलब्ध रखे जाने चाहिए जो मंडल/शाखा अधिकारी पर्याप्त समझे और उनको ऐसी हालत में अनुरक्षित रखा जाना चाहिए कि वे तुरंत उपयोग के लिए उपयुक्त हों तथा ठेकेदार संबंधित व्यक्तियों द्वारा उनके समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए यथायोग्य कदम उठाएगा :—

(क) ऐस्फाल्टिक सामग्री, सीमेंट और चूने का मसाला मिलाने के लिए नियोजित कर्मकारों को बचाव जूते और बचाव चश्मे दिए जाएंगे ।

(ख) झलाई कार्य में नियोजित व्यक्तियों को झलाईगरों की आंखों को रोशनी से बचाव के लिए काम में आने वाले ढक्कनें दिए जाएंगे ।

(ग) सफेदी करने और सीमेंट के बोरों को या ऐसी सामग्री को, जो आंखों के लिए हानिकर हो, मिलाने के लिए या उनके ढेर लगाने के काम में नियोजित व्यक्तियों को बचाव चश्मे दिए जाएंगे ।

(घ) पत्थर तोड़ने वालों के लिए बचाव चश्में और बचाव-वस्त्रों और पर्याप्त रूप से सुरक्षित दूरी पर बैठने की व्यवस्था होगी ।

(च) जब कर्मकार ऐसी मल-नालियों और मैन होलों में नियोजित किये जाएं, जो काम में लाए जा रहे हों, तब ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि मैन होलों में कर्मकारों के प्रवेश करने के कम से कम एक घंटे पूर्व उनके ढक्कन खोल दिए जाएं और उन्हें संवातित कर दिया जाए तथा ऐसे खोले गये मैन होलों को जनता को खतरे से बचाने के लिए यथोचित जंगलों से घेर दिया जाना चाहिए और उन पर सिगनल या बोर्ड लगा दिए जाने चाहिए ।

(छ) ठेकेदार 18 वर्ष से कम आयु वाले पुरुषों और स्त्रियों को ऐसे उत्पादों द्वारा रंगने के कार्य पर जिनमें किसी भी रूप में सीसा अंतर्विष्ट

(b) No electric cable or apparatus which is liable to be a source of danger over a cable or apparatus used by the operator shall remain electrically charged.

(c) All practical steps shall be taken to prevent danger to persons employed from risk of fire or explosion or flooding. No floor, roof or other part of the building shall be so over-loaded with debris or materials as to render it unsafed.

(viii) All necessary personal safety equipment as considered adequate by the Circle/Branch Officer should be kept available for the use of the person employed on the site and maintained in a condition suitable for immediate use, and the contractor should take adequate steps to ensure proper use of equipment by those concerned :—

(a) Workers employed on mixing asphalitic materials, cement and lime mortars shall be provided with protective footwear and protective goggles.

(b) Those engaged in welding works shall be provided with welder's protective eye shield lids.

(c) Those engaged in white washing and mixing or stacking of cement bags or any material which is injurious to the eyes shall be provided with protective goggles.

(d) Stone breakers shall be provided with protective goggles and protective clothing and seated at sufficiently safe intervals.

(e) When workers are employed in sewers and manholes, which are in use, the contractors shall ensure that the manhole covers are engaged and are ventilated at least for an hour the Manholes, and the manholes so opened shall be cordoned off with suitable railing and provided with warning signals or boards to prevent accident to the public.

(f) The contractor shall not employ men below the age of 18 years and women on the work of painting with products containing lead in any form. Where-

हो, नियोजित नहीं करेगा। जहां कहीं 18 वर्ष से कम की आयु वाले व्यक्ति सीसों द्वारा रंगने के कार्य पर नियोजित किए जाएं वहां निम्नलिखित पूर्वविधानियां रखी जाएंगी :—

(i) सीसा या सीसा उत्पादों को अंतर्विष्ट करने वाला कोई भी पेंट जब तक कि वह पेस्ट या तैयार पेंट के रूप में न हो, उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

(ii) जब पेंट फुहार से या ऐसी जगह पर किया जाना हो जिस पर से सीसे का पेंट शुष्क रगड़ा या खुरचा गया हो, कर्मकारों के उपयोग के लिए यथोचित मुखपट का प्रदाय किया जाना चाहिए।

(iii) ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र ठेकेदार द्वारा कर्मकारों को प्रदत्त किए जाएंगे और कार्य करने वाले पेंटरों के लिए ऐसी यथायोग्य सुविधाओं का उपबंध होना चाहिए कि वे उन वस्त्रों को कार्य बंद रहने के समय धो सकें।

I (क) सफेद सीसे, सीसे के सल्फेट या ऐसे पदार्थ का उपयोग जिसमें रंग द्रव्य होते हैं, सिवाय चिप्पी लगाने के या पेंट के रूप में करने के, जिसके लिए यह तैयार किया जाता है, रंगाई कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।

(ख) पेंट का स्प्रे के रूप में प्रयोग किये जाने से उत्पन्न खतरे से बचाव का यथासंभव उपाय अवश्य किया जाना चाहिए।

(ग) सूखी घिसाई और छटाई के चलते बने धूल से उत्पन्न खतरे से बचाव का यथासंभव उपाय अवश्य किया जाना चाहिए।

II (क) कामगार पेंटरों को कार्यकाल में या काम खतम करने के बाद धुलाई सफाई की समुचित सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

(ख) कामगार पेंटरों को अपने संपूर्ण कार्यकाल के दौरान समावेश वस्त्र अवश्य पहना होना चाहिए।

(ग) कार्य करने के दौरान खोलकर रखे गये वस्त्रों के पेंट पदार्थों से गंदा होने से बचाव की समचित व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए।

III (क) सीसे के विषाक्तिकरण और संदिग्ध शीशे के विषाक्तिकरण के मामलों की घोषणा की जाएगी और तत्पश्चात् भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा जांच की जाएगी।

ever men above the age of 18 are employed on the work at lead paintings, the following precautions should be taken :—

(i) No paint containing lead or lead products shall be used except in the form of paste or ready made paint.

(ii) Suitable face masks should be supplied for use by the workers when paint is applied in the form of spray or a surface having lead paint dry rubbed and scraped.

(iii) Overalls shall be supplied by the contractor to the workmen and adequate facilities shall be provided to enable the working painters to wash during the cessation and work.

I(a) White lead, sulphate of lead or product containing these pigment, shall not be used in painting operation except in the form of paste or of paint ready for use.

(b) Measures shall be taken, whenever practicable to prevent danger arising out from the application of a paint in the form of spray.

(c) Measures shall be taken, whenever practicable to prevent danger arising out of dust caused by dry rubbing down and scrapping.

II(a) Adequate facilities shall be provided to enable working painters to wash during and on cessation of work.

(b) Overalls shall be worn by working painters during the whole of the working period.

(c) Suitable arrangements shall be made to prevent putting off clothing during working hours being soiled by painting materials.

III(a) Cases of lead poisoning, and a suspected lead poisoning shall be notified and subsequently verified by a Medical man appointed by the competent authority of Archaeological Survey of India.

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जब आवश्यक समझेगा, अपने कामगारों की स्वास्थ्य परीक्षा करायेगा ।

IV. पेंट के कार्य व्यापार के संबंध में विशेष स्वास्थ्य पूर्वोपाय संबंधी अनुदेश कामगार पेंटरों को वितरित किये जाएंगे ।

(ix) जब कार्य उस स्थान के नजदीक किया जा रहा हो, जहां बहने का जोखिम हो, वहां सभी आवश्यक उपस्करों का उपबंध होना चाहिए और उपयोग के लिए तैयार रखना चाहिए और खतरे में पड़े व्यक्ति के सत्वर बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्यवाहियां की जानी चाहिए और कार्य के अनुक्रम में उठाई जा सकने वाली संभावित सभी क्षतियों के सत्वर प्राथमिक उपचार के लिए यथायोग्य प्रबंध किया जाना चाहिए ।

(x) होइस्टिंग मशीन और टैकल मशीन जिसके अंतर्गत उनकी संलग्नक जकड़ और अवलंब भी आते हैं, का उपयोग निम्नलिखित मानक या शर्तों के अनुरूप होगा ।

1. (क) यह अच्छी यांत्रिक सन्निर्मिति सुसामग्री युक्त और यथायोग्य दृढ़तापूर्ण और प्रत्यक्ष त्रुटियों से मुक्त होंगी और अच्छी तरह मरम्मत की हुई तथा चालू हालत में रखी जाएगी ।

(ख) हर रस्सी, जिसको सामग्रीयों को ऊपर उठाने या नीचे लाने या निलम्बन के रूप में उपयोग में लाया जाए, मजबूत क्वालिटी और यथायोग्य दृढ़तापूर्ण तथा प्रत्यक्ष त्रुटियों से मुक्त होगी ।

2. हर क्रेन चालक या होइस्टिंग साधित्र आपरेटर समुचित रूप से अर्हित होगा और 21 वर्ष से कम आयु वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी होइस्टिंग मशीन का, जिसके अंतर्गत पाड़ विंच आता है, भारसाधक न होगा या आपरेटर को सिग्नल न देगा ।

3. हर होइस्टिंग मशीन और हर चेन रिंग हुक में ऊपर उठाने या नीचे लाने के लिए या निलम्बन के साधन स्वरूप उपयुक्त शैकल स्विवेल और पुली ब्लाक के सुरक्षित कार्यकरण बोझ को यथायोग्य साधनों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा । ऊपर निर्दिष्ट होइस्टिंग मशीन पर और सभी गियरों पर सुरक्षित कार्यकारण बोझ साफ-साफ चिह्नित होगा । ऐसी होइस्टिंग मशीन की दशा में, उसका सुरक्षित कार्यकरण बोझ, उन शर्तों सहित, जिनके अधीन वह लागू होता हो, स्पष्ट रूप से उपदर्शित होगा । इस पैरा में ऊपर निर्दिष्ट मशीन या किसी गियर के किसी भी भाग को सुरक्षित कार्यकरण बोझ से, अधिक परीक्षण के प्रयोजन पर के सिवाय भारित नहीं किया जाएगा ।

(b) The Archaeological Survey of India may require, when necessary, a medical examination of workers.

IV. The instructions with regard to special hygenic precautions to be taken in the painting trade shall be distributed to working painters.

(ix) When the work is done near any place where there is risk of drowning, all necessary equipments should be provided and kept ready for use and all necessary steps taken for prompt rescue of any person in danger and adequate provision should be made for prompt first aid treatment of all injuries likely to be sustained during the course of the work.

(x) Use of hoisting machines and tackle including their attachments, anchorage and supports shall conform to the following standards or conditions.

1. (a) These shall be of good mechanical construction, sound material and adequate strength and free from patent defect and shall be kept in good repair and in good working order.

(b) Every rope used in hoisting or lowering materials or as a means of suspension shall be of durable quality and adequate strength and free from patent defects.

2. Every crane driver or hoisting appliance operator shall be properly qualified and no person under the age of 21 years should be in charge of any hoisting machine including any scaffolding winch or giving signals to operator.

3. In case of every hoisting machine and of every chain ring hook, shackle swivel and pulley block used in hoisting or as means of suspension the safe working load shall be ascertained by adequate means. Every hoisting machine and all gear referred to above shall be plainly marked with the safe working load. In case of hoisting machine a variable safe working load and the conditions under which it is applicable shall be clearly indicated. No part of any machine or any gear referred to above in this paragraph shall be loaded beyond the safe working load except for the purpose of testing.

4. विभागीय मशीनों की दशा में सुरक्षित कार्यकरण बोझ को प्रभारी विद्युत इंजीनियर द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। जहां तक के ठेकेदारों की मशीनों का संबंध है, ठेकेदार जब कभी वह कार्यस्थल पर कोई मशीनरी लाए, मशीन के सुरक्षित कार्यकरण बोझ को मंडल/शाखा अधिकारी को अधिसूचित करेगा और संबद्ध विद्युत इंजीनियर से उसका सत्यापन करवाएगा।

(xi) होइस्टिग साधित्रों के मोटर, गियरिंग, पारेषण, विद्युत वायरिंग और अन्य खतरनाक भागों को निरापद रखने के लिए दक्ष उपबंध करना चाहिए। होइस्टिग साधित्रों में ऐसे साधनों का उपबंध होना चाहिए। जिससे लदान के अकस्मात नीचे आ जाने की दशा में जोखिम न्यूनतम हो जाए। निलंबित लदान के किसी भी भाग के अकस्मात विस्थापित हो जाने की दशा में जोखिम को न्यूनतम करने के लिए यथायोग्य पूर्वविधानियां बरती जाएं। जब कि कर्मकार ऐसे विद्युत संस्थापन पर नियोजित हों जो पहले से ही अर्जित हो तो उनके लिए आवश्यकता अनुसार विसंवाही चटाइयां, पहनने वाले वस्त्र अर्थात् मोजे, बाहें और बूटों का उपबंध होना चाहिए। कर्मकारों को अंगूठियां और घड़ियां धारण नहीं करनी चाहिए और चाबियां या अन्य ऐसी सामग्री नहीं ले जानी चाहिए जो विद्युत की सुसंवाहक हों।

(xii) सभी पाड़, सीढ़ियां और अन्य सुरक्षा युक्तियों को, जिनको इसमें उल्लिखित या वर्णित किया गया है, सुरक्षित अवस्था में रखा जाना चाहिए और किसी भी पाड़, सीढ़ी या उपस्कर को, जब कि वह उपयोग में हो, परिवर्तित न किया जाएगा या हटाया न जाएगा। कार्यस्थलों पर या उनके निकट यथायोग्य धुलाई सुख सुविधाओं का उपबंध होना चाहिए।

(xiii) सुरक्षा उपबंधों को सभी संबंधितों की सूचना के लिए कार्यस्थल के किसी प्रमुख स्थान पर लगे सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना चाहिए। सुरक्षा संहिता के अनुपालन के लिए ठेकेदार द्वारा उत्तरदायी व्यक्ति का नाम उसमें दिया जाएगा।

(xiv) सुरक्षा पूर्वविधानियों से संबंधित नियमों और विनियमों के प्रभावकारी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए इंतजाम विभाग के श्रम अधिकारी, मंडल/शाखा अधिकारी या उनके प्रतिनिधियों के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

(xv) उक्त खण्ड (i) से लेकर (xiv) तक के होते हुए भी उनमें की कोई बात ठेकेदार को भारत गणराज्य में प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम या नियम के प्रवर्तन से छूट नहीं देता।

4. In case of departmental machines, the safe working load shall be notified by the Electrical Engineer in-charge. As regards contractors' machine the contractors shall notify the safe working load of the machine to the Circle/Branch Officer whenever he brings any machinery to site of work and get it verified by the Electrical Engineer concerned.

(xi) Motors, gearing transmission, electric wiring and other dangerous parts of hoisting appliances should be provided with efficient safeguards. Hoisting appliances should be provided with such means as it will reduce to the minimum the risk of accidental descent of the load. Adequate precautions should be taken to reduce to the minimum the risk of any part of a unspended load becoming accidentally displaced. When workers are employed on electric installations which are already energised, insulating mats, wearing apparel, such as gloves, sleeves and boots as may be necessary should be provided. The workers should not wear rings and watches and carry keys or other materials which are the good conductors of electricity.

(xii) All scaffolds, ladders and other safety devices mentioned or described herein shall be maintained in safe condition and no scaffold, ladder or equipment shall be altered or removed while it is in use. Adequate washing facilities should be provided at or near places of work.

(xiii) These safety provisions should be brought to the notice of all concerned by display on a notice board at a prominent place at work spot. The person responsible for compliance of the safety code shall be named therein by the contractor.

(xiv) To ensure effective enforcement of the rules and regulations relating to safety precautions the arrangements made by the Contractor shall be open to inspection by the Labour Officer, Circle/Branch Officer of the department or their representatives.

(xv) Notwithstanding the above clauses from (i) to (xiv) there is nothing in these to exempt the contractor from the operations of any other Act or Rules in force in the Republic of India.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या उसके ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मकारों को स्वास्थ्य रक्षा और सफाई व्यवस्थाओं के लिए आदर्श नियम

MODEL RULES FOR THE PROTECTION OF HEALTH AND SANITARY ARRANGEMENTS FOR WORKERS EMPLOYED ON ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA OR ITS CONTRACTORS

1. लागू होना :

ये नियम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रणाधीन सभी भवनों और निर्माण कार्यों पर लागू होंगे जिनमें ठेकेदार द्वारा चल रहे कार्यों दिवसों में किसी भी दिन सामान्यतया 20 या इससे अधिक मजदूर नियोजित किये गये हों अथवा करने का प्रस्ताव हो।

2. परिभाषा :

कार्यस्थल का तात्पर्य उस स्थान से है जहां पर निर्माण कार्य के लिए ठेके पर चल रहे कार्य दिवसों में किसी भी दिन 20 या इससे अधिक मजदूर नियोजित हों अथवा करने का प्रस्ताव हो।

3. प्राथमिक उपचार सुविधाएं :

(1) प्रत्येक कार्यस्थल में कार्य दिवसों में सुगमता से पहुंचने योग्य किसी स्थान पर प्राथमिक उपचार के बक्स रखे जाएंगे जो सामान्यतया नियोजित 150 ठेके के मजदूरों अथवा उनके किसी भाग के लिए कम से कम एक बक्से से कम न हो।

(2) प्राथमिक उपचार बक्से पर स्पष्ट रूप से सफेद आधार के ऊपर रेडक्रास का निशान होना चाहिए जिसमें निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिएं, जैसे :

(क) ऐसे कार्यस्थलों पर जहां पर नियोजित ठेके के मजदूरों की संख्या 50 से अधिक नहीं है।

प्रत्येक प्राथमिक उपचार बक्से में निम्नलिखित उपकरण होंगे—

(i) 6 छोटी विसंक्रमित पट्टियां।

(ii) 3 मध्यम आकार की विसंक्रमित पट्टियां।

(iii) 3 बड़े आकार की विसंक्रमित पट्टियां।

(iv) 3 बड़े आकार की जलने पर लगाने की विसंक्रमित पट्टियां।

(v) 1 (30 मि० ली०) की बोतल जिसमें आयोडिन का 2 प्रतिशत अल्कोहल के साथ घुला हुआ घोल हो।

1. Application :

These rules shall apply to all buildings and construction works in charge of Archaeological Survey of India in which twenty or more workers are ordinarily employed or are proposed to be employed on any day during the period during which the contract work is in progress.

2. Definition :

Work place means a place where twenty or more workers are ordinarily employed or are proposed to be employed in connection with construction work on any day during the period during which the contract work is in progress.

3. First-aid Facilities :

(1) At every work place these shall be provided and maintained, so as to be easily accessible during working hours. First-aid boxes at the rate of not less than one box for 150 contract labour or part thereof ordinarily employed, shall be provided.

(2) The first-aid box shall be distinctly marked with a red cross on white ground and shall contain the following equipment, namely :—

(a) For work places in which the number of contract labour employed does not exceed 50.

Each First-aid box shall contain the following equipments :—

(i) 6 small sterilised dressings.

(ii) 3 medium size sterilised dressings.

(iii) 3 large size sterilised dressings.

(iv) 3 large size sterilised burn dressings.

(v) 1 (30 ml.) bottle containing a two percent alcoholic solution of iodine.

(vi) 1 (30 मि०ली०) की बोतल जिसमें साल्वोलेटाइल का घोल हो तथा उसके ऊपर मात्रा तथा औषधि सेवन की विधि लिखी हो ।

(vii) सर्पदंश की एक छुरी ।

(viii) पोटाशियम परमेंगनेट क्रिस्टल की (30 ग्राम) एक बोतल ।

(ix) एक कैंची ।

(x) महानिदेशक, फैक्टरी परामर्श सेवा तथा श्रम संस्थान, भारत सरकार द्वारा जारी प्राथमिक उपचार के संबंध में एक पर्चा ।

(xi) एक शीशी जिसमें एस्पिरिन की 100 टिकियां (प्रत्येक 5 ग्राम) हों ।

(xii) जले पर लगाने के लिए मरहम ।

(xiii) शल्यकर्म के लिए उपयुक्त कृमिनाशक घोल की एक शीशी ।

(ख) ऐसे कार्यस्थलों पर जहां ठेके के मजदूरों की संख्या 50 से अधिक हो ।

प्रत्येक प्राथमिक उपचार बक्से में निम्नलिखित उपकरण होंगे :—

(i) 12 छोटी विसंक्रमित पट्टियां ।

(ii) 6 मध्यम आकार की विसंक्रमित पट्टियां ।

(iii) 6 बड़े आकार की विसंक्रमित पट्टियां ।

(iv) 6 बड़े आकार की विसंक्रमित जले पर लगाने की पट्टियां ।

(v) विसंक्रमित रुई के 6 (15 ग्रम) पैकेट ।

(vi) आयोडीन की 2 प्रतिशत अल्कोहल घोल की 1 शीशी (60 मि०ली०) ।

(vii) साल्वालेटाइल की एक शीशी (60 मि० ली०) जिसके लेबल पर मात्रा और सेवन विधि लिखी हो ।

(viii) चिपकाने वाला प्लास्टर का एक रोल ।

(ix) सर्पदंश की एक छुरी ।

(x) पोटाशियम परमेंगनेट क्रिस्टल की 1 शीशी (30 ग्राम) ।

(xi) एक कैंची ।

(xii) महानिदेशक, फैक्टरी परामर्श सेवा तथा श्रम संस्थान, भारत सरकार द्वारा जारी प्राथमिक उपचार का एक पर्चा ।

(vi) 1 (30 ml.) bottle containing salvolatile having the dose and mode of administration indicated on the label.

(vii) 1 snake-bite lancet.

(viii) 1 (30 gms.) bottle of potassium permanganate crystals.

(ix) 1 pair of scissors.

(x) 1 copy of the First-aid leaf-let issued by the Director General Factory Advice Service and Labour Institutes, Government of India.

(xi) 1 bottle containing 100 tablets (each of 5 grams) of aspirin.

(xii) Ointment for burns.

(xiii) A bottle of suitable surgical antiseptic solution.

(b) For work places in which the number of contract labour exceed 50.

Each first-aid box shall contain the following equipments :—

(i) 12 small sterilised dressings.

(ii) 6 medium size sterilised dressings.

(iii) 6 large size sterilised dressings.

(iv) 6 large size sterilised burn dressings.

(v) 6 (15 gms.) packets sterilised cotton wool.

(vi) 1 (60 ml.) bottle containing a two percent alcoholic solution iodine.

(vii) A (60 ml.) bottle containing salvolatile having the dose and mode of administration indicated on the label.

(viii) 1 roll of adhesive plaster.

(ix) 1 snake-bite lancet.

(x) 1 (30 gms.) bottle of potassium permanganate crystals.

(xi) 1 pair of scissors.

(xii) 1 copy of the First-aid leaf-let issued by the Director General, Factory advice service and Labour Institutes, Government of India.

(xiii) एक शीशी जिसमें एस्पिरिन की 100 टिकियां (प्रत्येक 5 ग्राम) हों ।

(xiv) जले पर लगाने का मरहम ।

(xv) शल्य कर्म के लिए उपयुक्त कृमिनाशक घोल की एक शीशी ।

(3) उपकरणों को पुनः भरने की, जब कभी आवश्यकता हो, उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए ।

(4) प्राथमिक उपचार बक्से में सिवाय निर्धारित वस्तुओं के अन्य कुछ भी नहीं रखा जाएगा ।

(5) प्राथमिक उपचार का बक्सा किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास रखा जाएगा जो कि कार्यस्थल पर कार्य के समय के दौरान हमेशा हाजिर रहेगा ।

(6) जिस कार्यस्थल पर नियोजित ठेके के मजदूरों की संख्या 150 से अधिक होगी वहां पर प्राथमिक उपचार के बक्से का प्रभारी व्यक्ति प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित व्यक्ति होगा ।

(7) ऐसे कार्यस्थलों पर जहां नियोजित ठेके के मजदूरों की संख्या 500 या इससे अधिक हो तथा अस्पताल कार्यस्थल के नजदीक नहीं हो, तो एक प्रशिक्षित कंपाउण्डर की देखरेख में एक प्राथमिक उपचार केन्द्र खोला जाएगा । कंपाउण्डर ड्यूटी पर रहेगा तथा जब मजदूर काम पर होंगे तो उसकी सेवाएं हर समय उपलब्ध रहेंगी ।

(8) यदि कार्यस्थल किसी शहर या कस्बे में नहीं है, तो घायल व्यक्तियों अथवा अकस्मात बीमार पड़े व्यक्तियों को समीपवर्ती अस्पताल में ले जाने के लिए उपयुक्त परिवहन व्यवस्था तुरंत उपलब्ध रहेगी ।

4. **पेय जल :**

(क) प्रत्येक कार्यस्थल में मजदूरों द्वारा सुगमता से पहुंचने योग्य उपयुक्त स्थानों पर पीने योग्य ठण्डे पानी की पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था की जाएगी और उसे बनाये रखा जाएगा ।

(ख) जहां पेय जल किसी अंतर्विरामी सार्वजनिक जल व्यवस्था से प्राप्त किया जाता है वहां प्रत्येक कार्यस्थल पर संचय की व्यवस्था की जाएगी जहां ऐसे पेय जल का संग्रह किया जाएगा ।

(ग) संचयन की प्रत्येक जल व्यवस्था किसी शौचालय नाली या प्रदूषण के अन्य स्त्रोत से 50 फुट से कम दूर नहीं होगी । जहां जल किसी ऐसे विद्यमान कुंए से लिया जाना हो जो शौचालय, नाली या प्रदूषण के किसी अन्य स्त्रोत के काफी निकट हो तो ऐसी स्थिति में कुंए से पानी

(xiii) A bottle containing 100 tablets (each of 5 grams) of aspirin.

(xiv) Ointment for burns.

(xv) A bottle of suitable surgical antiseptic solution.

(3) Adequate arrangements shall be made for immediate recoupment of the equipment when necessary.

(4) Nothing except the prescribed contents shall be kept in the First-aid box.

(5) The first-aid box shall be kept in charge of a responsible person who shall always be readily available during the working hours at the place of work.

(6) A person in charge of the First-aid box shall be a person trained in First-aid treatment, in work places where the number of contract labour employed is 150 or more.

(7) In work places where the number of contract labour employed is 500 or more and hospital facilities are not available within easy distance of the works, First-aid posts shall be established and run by a trained compounder. The compounder shall be on duty and shall be available at all hours when the workers are at work.

(8) Where work places are situated in places which are not towns or cities, a suitable motor transport shall be kept readily available to convey injured person or persons suddenly taken ill to the nearest hospital.

4. **Drinking Water :**

(a) In every work place, there shall be provided and maintained at suitable places, easily accessible to labour, a sufficient supply of cold water fit for drinking.

(b) Where drinking water is obtained from an intermittent public water supply, each work place shall be provided with storage where such drinking water shall be stored.

(c) Every water supply of storage shall be at a distance of not less than 50 feet from any latrine, drain or other source of pollution. Where water has to be drawn from an existing well which is within such proximity of

के लिए जल निकालने से पूर्व उसका उचित रूप से क्लोरीकरण किया जाएगा। ऐसे सभी कूप पूर्णतः ढके हुए होंगे और उनमें धूल और जल-रोधी छत द्वार की व्यवस्था की जाएगी।

latrine, drain or any other sources of pollution, the well shall be properly chlorinated before water is drawn from it for drinking. All such wells shall be entirely closed in and be provided with a trap-door which shall be dust and water proof.

(घ) प्रत्येक ढके कुएं में एक विश्वसनीय पम्प फिट किया जाएगा। छत द्वार को ताला लगाकर रखा जाएगा और केवल सफाई या निरीक्षण करने के लिए दो मास में कम से कम एक बार खोला जाएगा।

(d) A reliable pump shall be fitted to each covered well, the trap-door shall be kept locked and opened only for cleaning or inspection which shall be done at least once a month.

5. कपड़े धोने की सुविधाएं :

(i) प्रत्येक कार्यस्थल पर कपड़े धोने की सुविधा का प्रबंध किया जाएगा तथा उसे वहां नियोजित ठेके के मजदूरों के प्रयोग के लिए बनाए रखा जाएगा।

(ii) स्त्री और पुरुष मजदूरों के प्रयोग के लिए उपयुक्त पर्दे की अलग-अलग और पर्याप्त व्यवस्था होगी।

(iii) ऐसी सुविधाएं आसानी से सुलभ होंगी और इन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से साफ सुथरा रखा जायेगा।

5. Washing Facilities :

(i) In every work place adequate and suitable facilities for washing shall be provided and maintained for the use of contract labour employed therein.

(ii) Separate and adequate screening facilities shall be provided for the use of male and female workers.

(iii) Such facilities shall be conveniently accessible and shall be kept in clean and hygienic condition.

6. शौचालय तथा मूत्रालय :

(i) प्रत्येक कार्यस्थल पर निम्नलिखित मानदंड के आधार पर शौचालयों की व्यवस्था की जाएगी, उदाहरणार्थ :

(क) जहां पर महिलाएं नियोजित की गई हैं वहां पर प्रति 25 महिलाओं के लिए कम से कम एक शौचालय हों।

(ख) जहां पुरुष नियोजित हैं वहां प्रति 25 पुरुषों के लिए कम से कम एक शौचालय हों।

बशर्ते कि जहां पर पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या 100 से अधिक है वहां 100 की संख्या तक प्रत्येक 25 पुरुषों अथवा महिलाओं के लिए एक शौचालय, तत्पश्चात् प्रत्येक 50 की संख्या के लिए एक शौचालय हो।

(ii) प्रत्येक शौचालय ढका हुआ होना चाहिए तथा उनका इस प्रकार व्यवधान हो कि निजी गोपनीयता सुरक्षित रहे तथा शौचालय में दरवाजे तथा चटखनियों की उचित व्यवस्था हो।

(iii) शौचालय का निर्माण : भीतरी दीवारें चिनाई या किसी उपयुक्त तापरोधी अनवशोषी पदार्थ द्वारा निर्मित की जाएंगी तथा उनमें वर्ष में कम से कम एक बार भीतर और बाहर सीमेंट की पुताई की जाएगी। ये शौचालय "बोरहोल" तरीके के शौचालयों के मानक से घटिया नहीं होंगे।

6. Latrines and Urinals :

(i) Latrines shall be provided in every work place on the following scale, namely :—

(a) Where females are employed there shall be at least one latrine for every 25 females.

(b) Where males are employed, there shall be at least one latrine for every 25 males.

Provided that where the number of males or females exceeds 100, it shall be sufficient if there is one latrine for 25 males or females, as the case may be, upto the first 100, and one for every 50 thereafter.

(ii) Every latrine shall be under cover and partitioned off as to secure privacy, and shall have a proper door and fastenings.

(iii) Construction of latrines : The inside walls shall be constructed of masonary or some suitable heat resisting non-absorbent materials and shall be cement washed inside and outside at least once a year. Latrines shall not be of a standard lower than bore-hole system.

(iv) (क) जहां पर महिलाएं व पुरुष काम पर लगाए जाएं, वहां पर अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में शौचालय तथा मूत्रालयों में "केवल पुरुषों के लिए" अथवा "केवल महिलाओं के लिए" जैसी भी स्थिति हो, लिखा हुआ इस प्रकार का एक नोटिस बोर्ड लगाया जाए।

(ख) इस नोटिस बोर्ड में पुरुष या महिला का जैसी भी स्थिति हो, एक चित्र भी बना हो।

(v) एक ही अवसर पर नियोजित 50 पुरुषों तथा 50 महिलाओं के लिए कम से कम एक-एक मूत्रालय होगा। बशर्ते कि जहां पर पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या 500 से अधिक हो, वहां पर 500 तक प्रत्येक 50 पुरुषों अथवा महिलाओं के लिए एक पेशाबघर तथा शेष प्रत्येक 100 के लिए एक पेशाबघर होना पर्याप्त होगा।

(vi) (क) शौचालयों तथा मूत्रालयों में उपयुक्त प्रकाश की व्यवस्था होगी तथा इनको हर समय साफ-सुथरी हालत में रखा जाएगा।

(ख) जो शौचालय तथा मूत्रालय भूमिगत नालियों से जुड़े नहीं होंगे उनके संबंध में लोग स्वास्थ्य प्राधिकरणों की अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगा।

(vii) पानी टूटी द्वारा सप्लाई किया जाएगा अथवा पानी ऐसे स्थान पर होगा जो शौचालय तथा पेशाबघर के नजदीक ही होगा।

(viii) **मल-मूत्र का निपटान** : जब तक स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा अन्यथा प्रबन्ध न किया जाए, कार्यस्थल पर भस्मीकरण द्वारा मल-मूत्र के उचित निपटान का प्रबन्ध उचित भस्मक के द्वारा किया जाए। इसके विकल्प के रूप में मल-मूत्र का निपटान इस प्रयोजन के लिए तैयार किये गये पक्के टैंक के तल पर विष्ठा की एक परत रखकर और उसे रद्दी या कूड़े 15 से० मी० परत से ढकने के उपरांत उसके ऊपर एक पखवाड़े तक मिट्टी की परत बिछाकर (जबकि वह खाद में परिवर्तित हो जाएगा) किया जा सकेगा।

(ix) कार्यस्थल पर नियोजित ठेकेदार के कर्मकारों तथा काम पर लगाये गये आदमियों के संबंध में सफाई कार्य तथा विष्ठा के उचित रूप से निपटान के संबंध में मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन ठेकेदार अपने ही खर्चे पर करेगा। ठेकेदार की ओर से नगरपालिका अथवा केन्टोनमेंट प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किये गये इस प्रकार के कार्य के लिए उनके द्वारा लगाये गये प्रभारों के भुगतान का उत्तरदायित्व ठेकेदार पर रहेगा।

(iv) (a) Where workers of both sexes are employed there shall be displayed outside each block of latrine and urinal, a notice in the language understood by the majority of the workers "For Men only" or "For Women only" as the case may be.

(b) the notice shall also bear the figures of a man or of a woman, as the case may be.

(v) There shall be at least one urinal for male workers upto 50 and one for female workers upto fifty employed at a time. Provided that where the number of male or female workmen, as the case may be, exceeds 500, it shall be sufficient if there is one urinal for every 50 males or females upto the first 500 and one for every 100 or part thereof, thereafter.

(vi) (a) The latrines and urinals shall be adequately lighted and shall be maintained in a clean and sanitary condition at all times.

(b) Latrines and urinals other than those connected with a flush sewerage system shall comply with the requirements of the public Health Authorities.

(vii) Water shall be provided by means of a tap or otherwise so as to be conveniently accessible in or near the latrines and urinals.

(viii) **Disposal of excreta :** Unless otherwise arranged for by the local sanitary authority, arrangements for proper disposal of excreta by incinoration at the work place shall be made by means of a suitable incinerator. Alternatively excreta may be disposed of by putting a layer of night soil at the bottom of a pucca tank prepared for the purpose and covering it with a 15 cm. layer of waste or refuse and then covering it with a layer of earth for a fortnight (when it will turn into manure).

(ix) The Contractor shall, at his own expense, carry out all instructions issued to him by the Circle/Branch Officer to effect proper disposal of soil and other conservancy work in respect of the contractor's workmen or employees on the site. The contractor shall be responsible for payment of any charges which may be levied by Municipal or Cantonment Authority for execution of such work on his behalf.

7. विश्राम के लिए आश्रम स्थल की व्यवस्था :

प्रत्येक कार्यस्थल पर पुरुष तथा महिला श्रमिकों के विश्राम के लिए निःशुल्क चार उपयुक्त शैड़ों का प्रबंध होगा। दो पुरुषों के लिए तथा दो महिलाओं के लिए अलग-अलग। इन आश्रय स्थलों की फर्श से छत के निम्नतम भाग की ऊंचाई 3 मीटर से कम नहीं होगी, ये स्थान प्रति व्यक्ति 0.6 वर्ग मीटर के हिसाब से बनाए जाएंगे और इन्हें साफ सुथरा रखा जाएगा।

इस प्रयोजन के लिए निर्माणाधीन भवन का एक भाग तथा अन्य वैकल्पिक स्थान का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि मंडल/शाखा अधिकारी इस बात से संतुष्ट हों और इसके लिए अनुमति दें।

8. शिशु कक्ष :

(क) प्रत्येक कार्यस्थल पर जहां पर सामान्यतः 20 या इससे अधिक महिला श्रमिक कार्यरत हैं जहां पर उनके 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त आकार के दो कमरों की व्यवस्था की जाएगी। एक कमरा बच्चों के खेलने के लिए होगा तथा दूसरा कमरा उनके सोने के लिए, ये कमरे मानक के आधार पर बनाए जाएंगे जो निम्नलिखित से कम स्तर के नहीं होंगे :

(i) घास फूस की छत।
(ii) मिट्टी की दीवारें तथा फर्श।
(iii) मिट्टी के फर्श पर तख्ते बिछे हों और चटाई ढकी हों।

(ख) कमरों में उपयुक्त प्रकाश तथा रोशनदान की व्यवस्था होगी। इन स्थानों को साफ रखने के लिए मेहतरों का भी प्रबंध होना चाहिए।

(ग) ठेकेदार खेल के कमरे में उचित संख्या में खिलौने तथा सोने के कमरे में उपयुक्त चारपाई बिस्तर का प्रबन्ध करेगा।

(घ) ठेकेदार शिशुकक्ष में बच्चों की देखरेख के लिए 50 महिला श्रमिकों की संख्या तक, के लिए एक दाई रखेगा तथा 50 से अधिक संख्या पर 2 दाई रखेगा।

(ङ) शिशुकक्ष के लिए निर्धारित कमरों में केवल बच्चे, उनके रखवाले तथा उनकी माताएं ही आ जा सकेंगी।

9. कैन्टीन :

(1) ऐसे कार्यस्थलों में, जहां पर नियुक्त ठेके के श्रमिकों की छः मास तक रहने की संभावना हो तथा जहां पर ठेके

7. Provision of Shelter during rest :

At every place there shall be provided free of cost, four suitable sheds, two for males and the other two for rest separately for the use of men and women labour. The height of each shelter shall not be less than 3 meters from the flour level to the lowest part of the roof. These shall be kept clean and the space provided shall be on the basis of 0.6 Sq.m. per head.

Provided that the Circle/Branch Officer may permit, subject to his satisfaction, a portion of the building under construction or other alternative accommodation to be used for the purpose.

8. Creches :

(a) At every work place, at which 20 or more women workers are ordinarily employed, there shall be provided two rooms of reasonable dimensions for the use of their children under the age of six years. One room shall be used as a play room for the children and the other as their bed-room. The rooms shall be constructed on a standard not lower than the following :—

(i) thatched roof.
(ii) mud floor and walls.
(iii) planks spread over the mud floor and covered with matting.

(b) The rooms shall be provided with suitable and sufficient openings for light and ventilation. There shall be adequate provision of sweepers to keep the places clean.

(c) The contractor shall supply adequate number of toys and games in the play room and sufficient number of cots and beddings in the bed-room.

(d) The contractor shall provide one Dai to look after the children in the creche when the number of women workers does not exceed 50 and two Dais when the number of women workers exceed 50.

(e) The use of the rooms earmarked as creches shall be restricted to children, their attendants and mothers of the children.

9. Canteens :

(1) In every work place where the work regarding the employment of contract labour

के श्रमिकों की संख्या सामान्यतया 100 या इससे अधिक हो, वहां पर ऐसे श्रमिकों के लिए ठेकेदार एक उपयुक्त कैन्टीन की व्यवस्था करेगा ।

is likely to continue for six months and wherein contract labour numbering one hundred or more are ordinarily employed, an adequate canteen shall be provided by the contractor for the use of such contract labour.

(2) इस कैन्टीन को ठेकेदार भली भांति चलाएगा ।

(2) The canteen shall be maintained by the Contractor in an efficient manner.

(3) इस कैन्टीन में कम से कम एक खाना खाने का हाल, रसोईघर, स्टोर, पैंट्री तथा बर्तनों को साफ करने और कर्मकारों के हाथ धोने आदि के लिए अलग अलग स्थान होंगे ।

(3) The canteen shall consist of at least a dining hall, kitchen, storeroom, pantry and washing places separately for workers and utensils.

(4) जब कभी कोई व्यक्ति कैन्टीन में आए तो इसमें उपयुक्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए ।

(4) The canteen shall be sufficiently lighted at all times when any person has access to it.

(5) इसका फर्श चिकना हो तथा दुर्भेद्य सामग्री से निर्मित होना चाहिए तथा कम से कम एक वर्ष में अन्दर की दीवारों की चूना अथवा रंग से पुताई होनी चाहिए ।

(5) The floor shall be made of smooth and impervious material and inside walls shall be lime-washed or colour washed at least once in each year.

परन्तु रसोईघर की भीतरी दीवारों पर हर चार महीने में एक बार चूने से पुताई की जाएगी ।

Provided that the inside walls of the kitchen shall be lime-washed every four months.

(6) कैन्टीन के स्थान को साफ सुथरी हालत में रखा जाएगा ।

(6) The precincts of the canteen shall be maintained in a clean and sanitary condition.

(7) गन्दे पानी को ढकी हुई नाली के द्वारा बाहर बहाया जाएगा तथा इसे एक स्थान पर एकत्र नहीं होने दिया जाएगा जिससे गन्दगी हो ।

(7) Waste water shall be carried away in suitable covered drains and shall not be allowed to accumulate so as to cause a nuisance.

(8) कूड़ा करकट को एकत्र करने तथा उसको उठाने के लिए उचित प्रबन्ध होगा ।

(8) Suitable arrangements shall be made for the collection and disposal of garbages.

(9) खाना खाने के हाल में एक समय में ठेके के श्रमिकों की कुल संख्या के 30 प्रतिशत आदमियों के बैठने का स्थान होना चाहिए ।

(9) The dining hall shall accommodate at a time 30 per cent of the contract labour working at a time.

(10) खाना खाने के हाल में, जिसमें सर्विस काउन्टर तथा फर्नीचर को छोड़कर जिसमें मेज, कुर्सी शामिल नहीं है, प्रत्येक भोजन खाने वाले के लिए उप-नियम 9 में निर्धारित के अनुसार एक वर्ग मीटर से कम स्थान नहीं होना चाहिए ।

(10) The floor area of the dining hall, excluding the area occupied by the service counter and any furniture except tables and chairs shall not be less than one square meter per diner to be accommodated as prescribed in Sub-rule 9.

(11) (i) खाना खाने के हाल में तथा सर्विस काउन्टर को महिला श्रमिकों के अनुपात के अनुसार विभाजित कर महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाय ।

(11)(i) A portion of the dining hall, and service counter shall be partitioned off and reserved for women workers, in proportion to their number.

(ii) महिलाओं के लिए नहाने, कपड़े धोने का स्थान अलग होना चाहिए तथा उनकी गोपनीयता के बचाव के लिए ओट होनी चाहिए ।

(ii) Washing places for women shall be separate and screened to secure privacy.

(12) उप-नियम 9 में जैसा निर्दिष्ट है खाना खाने वालों के लिए मेज, कुर्सी, स्टूल अथवा बैंच उपयुक्त संख्या में विद्यमान रहने चाहिए ।

(12) Sufficient tables, stools, chairs or benches shall be available for the number of diners to be accommodated as prescribed in sub-rule 9.

(13) (क) (i) कैंटीन को सुचारु रूप से चलाने के लिए उपयुक्त मात्रा में वर्तन, क्रौकरी, फर्नीचर तथा उसके आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ii) फर्नीचर, वर्तन तथा अन्य उपकरण साफ होने चाहिए तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हों।

(ख) (i) कैंटीन में काम करने वालों को साफ कपड़े दिए जाएं तथा उन कपड़ों को साफ रखा जाए।

(ii) सर्विस काउन्टर यदि कोई हो तो उसके ऊपर का भाग साफ सुथरा तथा अभेद्य सामग्री का बना हो।

(iii) वर्तनों तथा उपकरणों को धोने के लिए गर्म पानी के पर्याप्त प्रदाय के साथ अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

(14) कैंटीन में दिया जाने वाला खाना तथा अन्य वस्तुएं ठेके के मजदूरों की सामान्य पसन्द के अनुसार होंगी।

(15) भोजन की वस्तुओं, खाद्य पदार्थों, तथा अन्य वस्तुओं की कीमत जो कि कैंटीन में परोसी या रखी जाए, "लाभ हानि रहित" आधार पर रखी जाए तथा उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कैंटीन में प्रदर्शित किया जाए।

(16) कैंटीन में रखे खाद्य पदार्थों का तथा अन्य पदार्थों का मूल्य निर्धारण करते समय निम्नलिखित मदों को खर्चे की मद न समझी जाए, जैसे कि :

(क) भूमि तथा भवन का किराया;

(ख) भवन का तथा कैंटीन में रखे गये उपकरणों का ह्रास तथा अनुरक्षण प्रभार;

(ग) उपकरणों जिसमें फर्नीचर, क्रोकरी, चम्मच तथा वर्तन शामिल हैं, खरीद, मरम्मत तथा बदलाव की कीमत;

(घ) पानी के प्रभार तथा प्रकाश और हवा के लिए खर्च किए गए प्रभार;

(ङ) कैंटीन के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने और उनका अनुरक्षण करने में खर्च की गई राशि तथा उसका ब्याज।

(17) कैंटीन से संबंधित लेखे की लेखा परीक्षा प्रत्येक 12 महीने में एक बार पंजीकृत लेखाकार तथा लेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी।

(13) (a) (i) There shall be provided and maintained sufficient utensils, crockery, furniture and any other equipment necessary for the efficient running of the canteen.

(ii) The furniture, utensils and other equipment shall be maintained in a clean and hygeinic condition.

(b) (i) Suitable clean clothes for the employees serving in the canteen shall be provided and maintained.

(ii) A service counter, if provided, shall have top of smooth and impervious material.

(iii) Suitable facilities including an adequate supply of hot water shall be provided for the cleaning of utensils and equipment.

(14) The food stuffs and other items to be served in the canteen shall be in conformity with the normal habits of the contract labour.

(15) The charges for food stuffs, beverages and any other items served in the canteen shall be based on 'No profit, No Loss' and shall be conspicuously displayed in the canteen.

(16) In arriving at the price of food stuffs, and other articles served in the canteen, the following items shall be taken into consideration as expenditure; namely :—

(a) The rent of land and building;

(b) The depreciation and maintenance charges for the building and equipment provided for the canteen;

(c) The cost of purchase, repairs and replacement of equipments including furniture, crockery, cutlery and utensils;

(d) The water charges and other charges incurred for lighting and ventilation;

(e) The interest and amounts spent on the provision and maintenance and equipment provided for in the canteen.

(17) The accounts pertaining to the canteen shall be audited once every 12 months by registered accountants and auditors.

10. मलेरिया उन्मूलन के पूर्वोपाय :

मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा मलेरिया उन्मूलन के बारे में दी गई हिदायतों के अनुसरण के साथ साथ ठेकेदार अपने ही खर्च पर ऐसे गड्ढों को भी भरेगा जिन्हें उसने खुदवाया हो ।

11. उपर्युक्त नियमों को निविदा तथा निविदा आमंत्रण सूचना में शामिल किया जाएगा तथा वह ठेके का एक अंग-भूत माना जाएगा ।

12. **संशोधन :**

सरकार समय समय पर इन नियमों में परिवर्धन अथवा संशोधन कर सकती है तथा इन नियमों के प्रशासन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से उपयुक्त निर्देशन जारी कर सकती है ।

10. **Anti-Malarial Precautions.**— The contractor shall at his own expense, conform to all anti-malarial instructions given to him by the Circle/Branch Officer including the filling up of any borrow pits which may have been dug by him.

11. The above rules shall be incorporated in the contracts and in notices inviting tenders and shall form an integral part of the contracts.

12. Amendments .—Government may, from time to time, add to or amend these rules and issue such directions as it may consider necessary for the purpose of removing any difficulty which may arise in the administration thereof.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ठेका श्रमि विनियम
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA CONTRACT LABOUR REGULATIONS

1. संक्षिप्त नाम :

ये विनियम "भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ठेका श्रम विनियम" हैं ।

2. (i) परिभाषाएं :

"कर्मकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा या उसके ठेकेदार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी उप-ठेकेदार द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ज्ञान या बिना ज्ञान के किराया या इनाम पर किसी कुशल, अर्द्ध कुशल या अकुशल श्रमिक, पर्यवेक्षक, तकनीकी या लिपकीय कार्य करने के लिए नियोजित किया गया हो, चाहे नौकरी की शर्तें लिखित हों या अंत-निहित लेकिन इसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल नहीं होगा :

(क) जो मुख्यतया प्रबन्धकीय या प्रशासनिक कार्यों पर लगाया गया हो; या

(ख) वह जिसे पर्यवेक्षक के कार्य पर लगाया गया हो और जो 500 रुपये प्रति मास से अधिक मजदूरी ले रहा हो या मुख्यतया प्रबंधकीय प्रकार का कार्य या तो कार्यालय में ड्यूटी के प्रकार के कारण या उसे दी गई शक्तियों के कारण करता हो;

(ग) जो बाहर का कर्मकार हो, अर्थात् वह व्यक्ति जिसे मुख्य नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से किसी प्रकार की वस्तुएं या सामग्री बनाने के लिए, साफ करने के लिए, धोने के लिए, बदलने के लिए, पालिश करने के लिए, मरम्मत करने के लिए या मुख्य नियोक्ता के व्यापार के उद्देश्य से बिक्री के लिए अन्यथा संशोधन करने के लिए दी गई हो और संशोधन की प्रक्रिया या तो बाहर के कर्मकार के घर में या किसी और स्थान पर की जानी हो जो परिसर मुख्य नियोक्ता के नियंत्रण और प्रबन्ध में न हो ।

(ii) "उचित मजदूरी" से वह मजदूरी अभिप्रेत है, जो कालानुपाती काम के अथवा मात्रानुपाति काम के लिए हो जो समय समय पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत निश्चित या अधिसूचित की गई हो ।

1. Short Title:

These regulations may be called the "Archaeological Survey of India Contract Labour Regulations".

2(i) Definitions :

"Workman" means any person employed by the Archaeological Survey of India or its Contractor directly or indirectly through a sub-contractor, with or without the knowledge of the Archaeological Survey of India, to do any technical or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment are expressed or implied but does not include any person :—

(a) Who is employed mainly in a managerial or administrative capacity; or

(b) Who, being employed in a Supervisory capacity draws wages exceeding five hundred rupees per mensuem or exercise either by the nature of the duties attached to the office or by reason of powers vested to him, functions mainly of managerial nature ;

(c) Who is an out worker, that is to say, a person to whom any articles of materials are given out by or on behalf of the principal employer to be made up, cleaned, washed, altered, ornamentals finished, repaired, adopted or otherwise processed for sale for the purposes of the trade or business of the principal employer and the process is to be carried out either in the home of the out worker or in some other premises, not being premises under the Control and Management of the Principal employer.

(ii) "FAIR WAGES" means wages which were for time or place of work fixed and notified under the provisions of the Minimum Wages Act from time to time,

(iii) "ठेकेदार" में वैसा प्रत्येक व्यक्ति शामिल होगा जो ठेके के मजदूरों द्वारा वस्तुओं या उत्पादन की वस्तुओं के प्रदाय के अतिरिक्त विनिश्चित परिणाम प्रस्तुत करने का कार्य हाथ में ले या जो किसी कार्य के लिए मजदूर सप्लाई करे तथा इसमें उप-ठेकेदार शामिल है ।

(iv) "मजदूरी" का वही अर्थ होगा जो मजदूरी संदाय अधिनियम में परिभाषित हो ।

2(क) प्रसामान्यत: किसी वयस्क कर्मचारी के काम का समय दिन में 9 घंटे और बच्चे के लिए 4 1/2 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए, कार्य दिवस की व्यवस्था इस प्रकार से की जाएगी कि विश्राम का मध्यावकाश, यदि कोई हो, मिला कर उसका विस्तार किसी भी दिन 12 घंटे से अधिक न हो । कर्मकारों को संदेय अतिकाल का रजिस्टर परिशिष्ट 'एल' में दिये प्ररूप में रखेगा ।

2(ख) यदि किसी वयस्क कर्मकार से किसी दिन 9 घंटे या किसी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम कराया जाए तो उसे कार्य के अतिरिक्त समय के लिए मजदूरी की साधारण दर की दुगुनी दर से "अतिकाल" संदत्त किया जाएगा । बच्चे से अतिरिक्त समय में काम नहीं कराया जाएगा ।

2(ग) (i) प्रत्येक कर्मकार को इस बात का विचार किए बिना कि वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा शासित होता है, अथवा नहीं, समय समय पर यथासंशोधित न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियमावली, 1960 के उपबंधों के अनुसार सामान्यत: रविवार को साप्ताहिक छुट्टी दी जाएगी ।

(ii) जहां न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में साप्ताहिक विश्राम के दिन की वेतन मजदूरी शामिल नहीं है वहां कर्मकार पिछले दिन को देय मजदूरी की दर पर विश्राम दिवस की मजदूरी का पात्र होगा बशर्ते उसने उसी ठेकेदार के अधीन निरन्तर 6 दिन से कम की अवधि तक कार्य न किया हो ।

(iii) जहां प्रभारी इंजीनियर द्वारा ठेकेदार को किसी कर्मकार से सामान्य अवकाश वाले दिन कार्य करवाने की अनुमति दी जाती है तो वह उसको सामान्य साप्ताहिक अवकाश के फौरन पांच दिन पूर्व अथवा पश्चात् के किसी भी दिन को सारे दिन का प्रतिपूर्ति अवकाश देगा । ऐसे कर्मकार को सामान्य साप्ताहिक अवकाश के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए समयोपरि दर पर भुगतान करेगा ।

(iii) "CONTRACTORS" shall include every person who undertakes to produce a given result other than a mere supply of goods or articles of manufacture through contract Labour or who supplied contract labour for any work and includes a sub-contractor.

(iv) "WAGES" shall have the same meaning as defined in the payment of wages Act.

2(a) Normally working hours of an adult employee should not exceed 9 hours a day and in case of a child 4½ hours a day. The working day shall be so arranged that inclusive of interval for rest, if any, it shall not spread over more than 12 hours on any day. A register of overtime payable to workers shall be maintained in the form at Appendix.

2(b) When an adult worker is made to work for more than 9 hours on any day or for more than 48 hours in any week he shall be paid overtime for the extra hours put in by him at double the ordinary rate of wages. Children shall not be made to work extra hours.

2(c) (i) Every worker shall be given a weekly holiday normally on a Sunday, in accordance with the provisions of the Minimum Wages (Central) Rules 1960 as amended from time to time, irrespective of whether such worker is governed by the Minimum Wages Act or not.

(ii) Where the Minimum wages prescribed by the Government under the Minimum Wages Act are not inclusive of the wages for the weekly day of rest, the worker shall be entitled to rest day wages at the rate applicable to the next preceding day, provided he has worked under the same contractor for a continuous period of not less than 6 days.

(iii) Where a contractor is permitted by the Circle/Branch Officer to allow a worker to work on a normal weekly holiday, he shall grant a substituted holiday to him for the whole day on one of the five days immediately before or after the normal weekly holiday and pay wages to such worker for the work performed on the normal weekly holiday at over-time rate.

3. मजदूरी आदि के संबंध में नोटिस लगाना :

ठेकेदार अपने ठेके का काम प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यस्थल के सहज द्रष्टव्य स्थानों पर अंग्रेजी में और अधिकांश कर्मकारों द्वारा बोली जाने वाली स्थानीय भारतीय भाषा में स्वच्छ और सुवाच्य अक्षरों में ऐसा नोटिस लगाएगा तथा लगाता रहेगा और सही-सही लगाता रहेगा जिनमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निश्चित मजदूरी की न्यूनतम दरें दी जा रही है। वास्तविक मजदूरी ऐसी अर्जित की जाने वाली मजदूरों के कार्य के घंटे, मजदूरी की अवधि, मजदूरी भुगतान की तिथियां तथा परिशिष्ट "क" के अनुसार अन्य संबंधित सूचनाओं का उल्लेख होगा।

4. मजदूरी का भुगतान :

(i) ठेकेदार ऐसी मजदूरी कालावधियां, जिनके बारे में मजदूरी देय होगी, नियत करेगा।

(ii) किसी भी मजदूरी की कालावधि एक मास से अधिक नहीं होगी।

(iii) ऐसी स्थापनाओं के ठेके पर नियोजित अथवा ठेकेदार द्वारा नियोजित प्रत्येक कर्मकार को जहां ऐसे कर्मकारों की संख्या 1000 से कम है मजदूरी संदाय की मजदूरी कालावधि की समाप्ति के अंतिम दिन के पश्चात् मजदूरी 7वें दिन से पूर्व तथा अन्य मामलों में 10वें दिन की समाप्ति से पूर्व की जाएगी।

(iv) जब ठेकेदार द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी कर्मकार का नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा, तो उसके द्वारा अर्जित मजदूरी की अदायगी उसके नियोजन के समाप्त होने के दूसरे दिन की समाप्ति से पूर्व ही कर दिया जाएगा।

(v) मजदूरी की सारी अदायगी काम के दिन कार्यस्थल पर तथा कार्यावधि में और पूर्व अधिसूचित तिथि पर की जाएगी और यदि कार्य मजदूरी अवधि की समाप्ति से पूर्व पूर्ण हो जाता है, अंतिम अदायगी काम के अंतिम दिन के पश्चात् 48 घंटों में की जाएगी।

(vi) प्रत्येक कर्मकार को देय मजदूरी का भुगतान उसको सीधे अथवा इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए अन्य व्यक्ति को किया जाएगा।

(vii) सभी मजदूरी का भुगतान प्रचलित सिक्कों अथवा नोटों या दोनों में किया जाएगा।

(viii) मजदूरी का भुगतान किसी प्रकार की कटौती के बिना किया जाएगा सिवाय उनके जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में सामान्य अथवा विशेष आदेशों में निर्दिष्ट की गई हों अथवा जो मजदूरी सदाय अधिनियम म ग्राह्य है।

3. **Display of Notice regarding Wages, etc. :**

The contractor shall before he commences his work on contract, display and correctly maintain and continue to display and correctly maintain in a clean and legible condition in conspicuous places of work, notices in English and in the local Indian languages spoken by the majority of the workers, giving the minimum rates of wages fixed under the Minimum Wages Act, the actual wages being paid, the hours of work for which such wages are earned, wage periods, dates of payment of wages and other relevant information as per Appendix 'A'.

4. **Payment of Wages :**

(i) The contractor shall fix wages periods in respect of which wages shall be payable.

(ii) No wage period shall exceed one month.

(iii) The wages of every person employed as contract labour in an establishment or by a contractor where less than one thousand, such persons are employed shall be paid before the expiry of the seventh day and in other cases before the expiry of tenth day after the last day of the wage period in respect of which the wages are payable.

(iv) Where the employment of a worker is terminated by or on behalf of the contractor the wages earned by him shall be paid before the expiry of the second working day from the date of which his employment is terminated.

(v) All payments of wages shall be made on a working day at the work premises and during the working time and on a date notified in advance and in case the work is completed before the expiry of the wage period, final payment shall be made within 48 hours of the last working day.

(vi) Wages due to a worker shall be paid to him direct or to other person authorised by him in this behalf.

(vii) All wages shall be paid in current coin or currency or in both.

(viii) Wages shall be paid without any deductions of any kind except those specified by the Central Government by general or special order in this behalf or permissible under the Payment of Wages Act 1956.

(ix) मजदूरी अवधि तथा मजदूरी वितरण का स्थान और समय की सूचना कार्यस्थल पर प्रदर्शित की जाएगी तथा ठेकेदार उसकी एक प्रति मंडल/शाखा अधिकारी की प्राप्ति की स्वीकृति के अधीन भेजेगा ।

(x) ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह मंडल/शाखा अधिकारी अथवा मंडल/शाखा अधिकारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसका ठेकेदार द्वारा कर्मकारों को मजदूरी भुगतान के स्थान तथा समय पर उपस्थित रहना अपेक्षित हो, की उपस्थिति में भुगतान करना सुनिश्चित करे ।

(xi) ठेकेदार, मंडल/शाखा अधिकारी अथवा मंडल/शाखा अधिकारी के किसी अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि से जो भी हो, उसके हस्ताक्षरों सहित "मजदूरी रजिस्टर" अथवा "मजदूरी तथा मस्टर रोल" में, जो भी हो, उसके हस्ताक्षरों सहित "मजदूरी रजिस्टर" अथवा "मजदूरी तथा मस्टर रोल", जो भी हो, ये प्रविष्टियों के अंत में प्रमाण पत्र निम्नलिखित रूप में लेगा :

"यह प्रमाणित किया जाता है कि स्तम्भ नं०...... ....में दिखाई गई राशि का भुगतान संबंधित कर्मकारों को दिनांक.........को.........पर मेरी उपस्थिति में किया गया है ।"

5. जुर्माने तथा कटौतियां जो मजदूरी से की जा सकेंगी :

(i) निम्नलिखित को छोड़कर कर्मकार की मजदूरी किसी प्रकार की कटौती किये बिना ही उसको अदा की जाएगी :—

(क) जुर्माने ।

(ख) काम से अर्थात् उस स्थान या स्थानों से जहां उसके नियोजन की शर्तों द्वारा उससे कार्य करने की अपेक्षा की गई है अन्य स्थिति में रहने के लिए कटौती की राशि उसको अनुपस्थिति की अवधि के अनुपात में होगी ।

(ग) नियोजित व्यक्ति को स्पष्ट रूप से अभिरक्षा के लिए सौंपे गये माल को हुए नुकसान या हानि या धन की हानि या कोई अन्य कटौती, जिसके लिए उससे हिसाब देने की अपेक्षा की जाती है, जहां इस प्रकार का नुकसान या हानि प्रत्यक्षतः उसके द्वारा उपेक्षा या व्यतिक्रम करने के फलस्वरूप मानी गई हो ।

(घ) अग्रिम धन की वसूली के लिए या मजदूरी के अधिक अदायगी का समायोजन करने के लिए कटौती, दिये गये अग्रिम धन को रजिस्टर में इन्दराज किया जाएगा ।

(ix) A notice showing the wages period and the place and time to disbursement of wages shall be displayed at the place of work and a copy sent by the contractor to the Circle/Branch Officer under acknowledgement.

(x) It shall be the duty of the contractor to ensure the disbursement of wages in the presence of the Circle/Branch Officer or any other authorised representative of the Circle/Branch Officer who will be required to be present at the place and time of disbursement of wages by the contractor to workmen.

(xi) The contractor shall obtain from the Circle/Branch Officer or any other authorised representative of the Circle/Branch Officer as the case may be, a certificate under its signature at the end of the entries in the "Register of Wages" or the "Wage-Cum-Muster Roll" as the case may be in the following form :

"Certified that the amount shown in column No............ has been paid to the workman concerned in my presence on... .... at ...."

5. **Fines and Deductions which may be made from Wages :**

(i) The wages of a worker shall be paid to him without any deductions of any kind except the following :—

(a) **Fines.**

(b) Deductions for absence from duty, i.e. from the place or the places where by the terms of his employment he is required to work. The amount of deduction shall be in proportion to the period for damage to or loss of goods.

(c) Deductions for damage to or loss of goods expressly entrusted to the employed persons for custody, or for loss of money or any other deductions which he is required to account, when such damage or loss is directly attributable to his neglect or default.

(d) Deductions for recovery of advances or for adjustment of over-payment of wages; advances granted shall be entered in a register.

(ङ) कोई अन्य कटौती जिसे समय समय पर केन्द्रीय सरकार करने की अनुज्ञा दे ।

(ii) किसी कर्मकार पर उसकी ओर से ऐसे कृत्यों और भूलों की बावत किए गए जुर्माने को छोड़कर जो मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो, कोई जुर्माना नहीं दिया जाएगा :

टिप्पणी—कृत्यों तथा भूलों, जिनके लिए जुर्माना किया जा सकता है, की अनुमोदित सूची परिशिष्ट–ट में दी गई है ।

(iii) कर्मकार पर तब तक कोई जुर्माना नहीं किया जाएगा और न उसकी मजदूरी में से नुकसान या हानि के लिए कोई कटौती ही की जाएगी जब तक कि उसे ऐसे जुर्माने या कटौतियों के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दिया जाए ।

(iv) किसी कर्मकार पर किसी एक मजदूरी के समय में दिए गए जुर्माने की कुल रकम उस मजदूरी की कालावधि की बावत उसको देय मजदूरी में एक रुपये पर तीन पैसे से अधिक नहीं होगी ।

(v) किसी कर्मकार पर किया गया कोई जुर्माना उससे किश्तों में, या जुर्माना किए जाने की तारीख से 60 दिन के भीतर बीतने के बाद वसूल नहीं किया जाएगा ।

(vi) प्रत्येक जुर्माना उस दिन अधिरोपित किया गया समझा जाएगा, जिस दिन वह कृत्य या भूल की गई हो जिस के निमित्त जुर्माना किया गया है ।

6. श्रम संबंधी अभिलेख :

(i) ठेकेदार, ठेके के काम पर "नियोजित व्यक्तियों का रजिस्टर" ठेका श्रम (नियमन तथा उत्सादन नियमावली, 1971) (परिशिष्ट "ख") के प्रपत्र 13 में रखेगा ।

(ii) ठेकेदार उस द्वारा ठेके के काम पर नियोजित सभी कर्मकारों के संबंध में ठेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उत्सादन) नियम 1971 के प्रपत्र 16 (परिशिष्ट "ग") में मस्टर रोल रजिस्टर रखेगा ।

(iii) ठेकेदार उस द्वारा ठेके के काम पर नियोजित सभी कर्मकारों के संबंध में ठेका श्रम (नियमन तथा उत्पादन) नियम 1971 (परिशिष्ट "घ") के प्रपत्र 17 में एक मजदूरी रजिस्टर रखेगा ।

(e) Any other deduction which the Central Government may from time to time allow.

(ii) No fines should be imposed on any worker save in respect of such acts and omissions on his part as have been approved of by the Chief Labour Commissioner.

NOTE.—An approved list of Acts and omissions for which fines can be imposed is enclosed at Appendix-I.

(iii) No fine shall be imposed on a worker and no deduction for damage or loss shall be made from his wages until the worker has been given an opportunity of showing causes against such fines or deductions.

(iv) The total amount of fine which may be imposed in any one wage period on a worker shall not exceed an amount equal to three paise in a rupee of the total wages, payable to him in respect of that wage period.

(v) No fine imposed on any worker shall be recovered from him by instalment, or after the expiry of sixty days from the date on which it was imposed.

(vi) Every fine shall be deemed to have been imposed on the day of the act or omission in respect of which it was imposed.

6. **Labour Records :**

(i) The contractor shall maintain a "Register of Persons employed" on work on contract in form XIII of the CL (R&A) Central Rules 1971 (Appendix B).

(ii) The contractor shall maintain a "Muster Roll" register in respect of all workmen employed by him on the work under contract in form XVI of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix C).

(iii) The contractor shall maintain a "Wage Register" in respect of all workmen employed by him on the work under contract in form XVII of the CL. (R&A) Rules 1971 (Appendix D).

(iv) दुर्घटनाओं का रजिस्टर--ठेकेदार ऐसे प्रपत्र में जो कार्यस्थल पर सुविधाजनक हो दुर्घटनाओं का एक रजिस्टर रखेगा जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित बातें होंगी :

(क) उन श्रमिकों के पूरे ब्यौरे जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हों।

(ख) मजदूरी की दर।

(ग) लिंग।

(घ) आयु।

(ङ) दुर्घटना की प्रकृति और उसका कारण।

(छ) दुर्घटना का समय और तारीख।

(ज) अस्पताल में दाखिल होने की तारीख और समय।

(झ) अस्पताल छोड़ने की तारीख।

(ट) उपचार की अवधि और उसका परिणाम।

(ठ) चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमोदित सामर्थ्य की हानि और निःशक्तता की प्रतिशतता।

(ड) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन दिये जाने वाला अपेक्षित दावा।

(ढ) क्षतिपूर्ति की अदायगी की तारीख।

(त) संदत्त रकम और उस व्यक्ति का ब्यौरा जिसे वह रकम संदत्त की गई।

(थ) प्राधिकारी, जिसके द्वारा प्रतिकर निर्धारित किया गया।

(द) टिप्पणियां।

(v) जुर्माने का रजिस्टर--ठेका, श्रम (नियमन तथा उत्सादन) नियम 1971 के प्ररूप 12 में "जुर्माने का एक रजिस्टर" रखेगा (परिशिष्ट-झ)।

ठेकेदार कृत्यों तथा भूलों जिनके लिए जुर्माना किया जा सकता है, की अनुमोदित सूची कार्यस्थल के सहज द्रष्टव्य स्थान पर अच्छी हालत में प्रदर्शित करेगा। (परिशिष्ट ट)

(vi) कटौतियों का रजिस्टर—ठेका श्रम (नियमन तथा उत्सादन) नियम 1971 के प्ररूप 20 (परिशिष्ट-ठ) में "नुकसान तथा हानियों के लिए कटौतियों का एक रजिस्टर" रखेगा।

(vii) अग्रिम रजिस्टर—ठेका श्रम (नियमन तथा उन्मूलन) नियम 1971 के प्ररूप 22 (परिशिष्ट-ड) में एक "अग्रिम रजिस्टर" रखेगा।

(iv) Register of accidents—The contractor shall maintain a register of accidents in such form as may be made convenient at the work place but the same shall include the following particulars :—

(a) Full particulars of the Labourers who met with accident.

(b) Rate of Wages.

(c) Sex.

(d) Age.

(e) Nature of accident and cause of accident.

(f) Time and date of accident.

(g) Date and time when admitted in Hospital.

(h) Date of Discharge from the Hospital.

(i) Period of treatment and result of treatment.

(j) Percentage of loss of earning capacity and disability as assessed by Medical Officer.

(k) Claim required to be paid under Workmen's Compensation Act.

(l) Date of payment of compensation.

(m) Amount paid with details, of the person to whom the same was paid.

(n) Authority by whom the compensation was assessed.

(o) Remarks.

(v) Register of Fines—The contractor shall maintain a "Register of Fines" in the form XII of the CL(R&A) Rules 1971 (Appendix-H).

The contractor shall display in a good condition and in a conspicious place of work and the approved list of Acts and Omissions for which fines can be imposed (Appendix-I).

(vi) Register of deductions—The contractor shall maintain a "Register of deductions from damage or loss" in form XX of the CL(R&A) Rules 1971 (Appendix-J).

(vii) Register of Advances—The contractor shall maintain a "Register of Advances" in form XXII of CL(R&A) Rules 1971 (Appendix-K).

7. उपस्थिति कार्ड तथा मजदूरी पर्ची :

(i) ठेकेदार उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक कर्मकार को परिशिष्ट "च" पर दिये गये नमूना प्ररुप के अनुसार एक उपस्थिति कार्ड तथा मजदूरी पर्ची देगा ।

(ii) यह कार्ड प्रत्येक मजदूरी कालावधि के लिए बाध्य होगा ।

(iii) ठेकेदार कार्ड पर प्रत्येक कर्मकार की प्रतिदिन दो बार कार्य आरंभ कर ने तथा विश्राम मध्यांतर के पश्चात् उपस्थिति लगाएगा ।

(iv) यह कार्ड से संबंधित मजदूरी कालावधि के दौरान कर्मकार के कब्जे में रहेगा ।

(v) ठेकेदार संबंधित मजदूरी कालावधि की मजदूरी देने से पूर्व कार्ड के पीछे की मजदूरी पर्ची के भाग को पूर्ण करेगा ।

(vi) ठेकेदार मजदूरी देते समय मजदूरी पर्ची पर कर्मकार के हस्ताक्षर लेगा अथवा अंगूठे का निशान लगाएगा तथा कार्ड को स्वयं अपने पास रखेगा ।

8. नियोजन कार्ड :

ठेकेदार प्रत्येक कर्मकार को उसके नियोजन किए जाने के तीन दिन के अंदर, ठेका श्रम नियोजन तथा उत्सादन केन्द्रीय नियम, 1971 के प्ररुप 14 में (परिशिष्ट "छ") एक नियोजन कार्ड देगा ।

9. सेवा प्रमाणपत्र :

किसी भी कारण से नियोजन के समाप्त होने पर, ठेकेदार उस कर्मकार को, जिसकी सेवाएं समाप्त की गई हैं, ठेका श्रम (नियमन तथा उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के प्ररुप 15 में (परिशिष्ट "ज") एक सेवा प्रमाणपत्र देगा ।

10. श्रम अभिलेखों को सुरक्षित रखना :

विनियमन सं० 6 तथा 7 के अधीन रखे जाने वाले अपेक्षित सभी अभिलेखों को उनमें की गई अंतिम प्रविष्टि की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए मूल रुप में सुरक्षित रखा जाएगा तथा ये मंडल/शाखा अधिकारी, श्रम अधिकारी अथवा निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किए गए अन्य अधिकारियों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध किए जाएंगे ।

7. Attendance Card-cum-wage slip :

(i) The contractor shall issue an attendance Card-Cum-Wage slip to each workman employed by him in the form at (Appendix-E) (a) & (b).

(ii) The card shall be valid for each wage period.

(iii) The contractor shall mark the attendance of each workman on the card twice each day once at the commencement of the day and again after the rest interval, before he actually starts work.

(iv) The card shall remain in possession of the worker during the wage period under reference.

(v) The contractor shall complete the wage slip portion on the reverse of the card at least a day prior to the disbursement of wages in respect of the wage period under reference.

(vi) The contractor shall obtain the signature or thumb impression of the worker on the wage slip at the time of disbursement of wages and retain the card with himself.

8. Employment Card :

The contractor shall issue an Employment Card in form XIV of the CL(R&A) Central Rules, 1971 to each worker within three days of the employment of the worker (Appendix-F).

9. Service Certificate

On termination of employment for any reason whatsoever the contractor shall issue to the workman whose services have been terminated, a service certificate in form XV of the CL (R&A) Central Rules 1971 (Appendix-G).

10. Preservation of Labour Records :

All records required to be maintained under Regulations Nos. 6 and 7 shall be preserved in original for a period of three years from the date of last entries made in them and shall be made available for inspection by the Circle/Branch Officer, Labour Officer or any other officers authorised by the Ministry of Education and Culture in this behalf.

11. श्रम अधिकारियों को अन्वेषण या जांच करने संबंधी शक्तियां :

श्रम अधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को यह शक्ति होगी कि वह उचित मजदूरी खण्डों और विनियमों के उपबंधों का सम्यक और उचित अनुपालन अभिनिश्चित करने और प्रवर्तित कराने की दृष्टि से जांच करे। वह ठेकेदार या उप-ठेकेदार द्वारा ऐसे उपलब्धों के बारे में हुई व्यतिक्रम संबंधी शिकायत का अन्वेषण करेगा।

12. श्रम अधिकारी की रिपोर्ट :

श्रम अधिकारी या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति अपने अन्वेषण या जांच के परिणाम की एक रिपोर्ट संबंधित मंडल/शाखा अधिकारी को भेजेगा जिसमें वह व्यतिक्रम की जाने वाली सीमा, यदि कोई हो, उपदर्शित करेगा और साथ ही एक टिप्पण भी देगा कि ठेकेदार के बील में से आवश्यक कटौतियां कर ली जाएं और संबंधित श्रमिकों को मजदूरी और अन्य देय रकमों का भुगतान कर दिया जाए। इन विनियमों के खंड 12 के अधीन ठेकेदार द्वारा अपील किए जाने की दशा में ऐसी अपील कर मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा निर्णय दे देने के बाद कार्यपालक इंजीनियर श्रमिकों को वास्तविक रूप से भुगतान करेगा।

(क) मंडल/शाखा अधिकारी संबंधित श्रमिकों को श्रम अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, से रिपोर्ट के प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर भुगतान की व्यवस्था करेगा।

13. श्रम अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील :

श्रम अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विनिश्चय और सिफारिशों से कथित कोई व्यक्ति ऐसे निर्णय के विरुद्ध विनिश्चय की तारीख से 30 दिन के भीतर संबंधित मंडल/शाखा अधिकारी की अपील कर सकेगा और उसके साथ ही अपनी अपील की एक प्रति संबंधित मंडल/शाखा अधिकारी को भेजेगा किन्तु ऐसी अपील के अधीन, अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

14. वकील के मार्फत अभ्यावेदन के बारे में निषेध :

(i) इन कर्मकार विनियमनों के अधीन किसी अन्वेषण या जांच में निम्नलिखित द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार होगा :

(क) किसी ऐसे पंजीकृत व्यवसाय संघ का अधिकारी जिसका वह सदस्य है।

11. Power of Labour Officers to make Investigations or Enquiry :

The Labour Officer or any other person authorised by Central Government on their behalf shall have power to make enquiries with a view to ascertaining and enforcing due and proper observance of the Fair Wage Clauses and the Provisions of Regulations. He shall investigate into any complaint regarding the default made by the contractor or sub-contractor in regard to such provision.

12. Report of Labour Officer :

The Labour Officer or other persons authorised as aforesaid shall submit a report of result of his investigation or enquiry to the Circle/Branch Officer concerned indicating the extent, if any, to which the default has been committed with a note that necessary deductions from the Contractor's bill be made and the wages and other dues be paid to the labourers concerned. In case an appeal is made by the contractor under Clause 12 of these regulations actual payment to labourers will be made by he Circle/Branch Officer after the Director General has given the decision on such appeal.

(a) The Circle/Branch Officer shall arrange payments to the labour concerned within 45 days from the receipt of the report from the labour officer.

13. Appeal against the decision of Labour Officer :

Any person aggrieved by the decision and recommendations of the Labour Officer or other person so authorised may appeal against such decision within 30 days from the date of decision, forwarding simultaneously a copy of his appeal to the Circle/Branch Officer concerned but subject to such appeal, the decision of the officer shall be final and binding upon the contractor.

14. Prohibition regarding Representation through Lawyer :

(i) A workman shall be entitled to be represented in any investigation or enquiry under these regulations by :—

(a) An Officer of a registered trade union of which he is a member.

(ख) व्यवसाय संघों के ऐसे परिसंघ का अधिकारी, जिससे खंड (क) में निर्दिष्ट व्यवसाय संघ संबद्ध है ।

(ग) जहां संयोजक नियोजक, किसी पंजीकृत व्यवसाय संघ का सदस्य नहीं, वहां जिस उद्योग में कर्मकार नियोजित हैं, उससे संबंधित व्यवसाय के किसी अधिकारी द्वारा अथवा किसी अन्य कर्मकार द्वारा ।

(ii) नियोजक इन विनियमों के अधीन किसी अन्वेषण या जांच में निम्नलिखित द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार होगा :

(क) नियोजकों के किसी ऐसे संघ का कोई अधिकारी, जिसका वह सदस्य हो ।

(ख) नियोजकों के संघों के किसी ऐसे परिसंघ का कोई अधिकारी जिससे खण्ड (क) में निर्दिष्ट संघ संबद्ध है ।

(ग) जहां नियोजक, नियोजकों के किसी संघ का सदस्य नहीं है वहां जिस उद्योग में नियोजक लगा हुआ है, उससे संबंधित नियोजक के संवर्ग के किसी अधिकारी द्वारा या उस उद्योग में लगे किसी अन्य नियोजक द्वारा ।

(iii) इन विनियमों के अधीन किसी अन्वेषण या जांच में कोई भी पक्षकार किसी विधिक व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए हकदार नहीं होगा ।

15. **बहियों और स्लिपों का निरीक्षण :**

ठेकेदार अपने किसी भी कर्मकार से संबंधित सभी निर्धारित श्रम विलेखों को अपने किसी भी कर्मकार को या उसके अभिकर्ता या श्रम अधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनी ओर से प्राधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति को सम्यक् सूचना प्राप्त होने पर किसी सुविधाजनक समय और स्थान पर निरीक्षण हेतु अनुज्ञात करेगा ।

16. **विवरणियों को प्रस्तुत करना :**

ठेकेदार समय समय पर यथानिर्दिष्ट सामयिकी विवरणियां प्रस्तुत करेगा ।

17. **संशोधन :**

केन्द्रीय सरकार समय समय पर विनियमों को परिवर्धन या संशोधन कर सकेगी और उन विनियमों के लागू होने, निवर्चन या प्रभावी होने के बारे में किसी प्रश्न पर संबंधित मंडल/शाखा अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(b) An officer of a federation of trade unions referred to in clause (a) in affiliated.

(c) Where the employer is not a member of any registered trade union, by an officer of a registered trade union connected with, or by any other workman employed in the industry in which the worker is employed.

(ii) An employer shall be entitled to be represented in any investigation or enquiry under these regulations by :—

(a) An officer of an association of employers of which he is a member.

(b) An officer of a federation of association of employers to which association referred to in clause (a) is affiliated.

(c) Where the employer is not a member of any association of employers, by an officer of association of employer, connected with or by any other employer, engaged in the industry in which the employer is engaged.

(iii) No party shall be entitled to be represented by a legal practitioner in any investigation or enquiry under these regulations.

15. **Inspection of Books and Slips :**

The contractor shall allow inspection of all the prescribed labour records to any of his workers or to his agent at a convenient time and place after due notice is received or to the Labour Officer or any other person, authorised by the Central Government on his behalf.

16. **Submission of Returns :**

The contractor shall submit periodical returns as may be specified from time to time.

17. **Amendments :**

The Central Government may, from time to time, add to or amend the regulations and on any question as to the application, interpretation or effect of those regulations the decision of the Circle/Branch Officer concerned in that behalf shall be final.

परिशिष्ट "क"
APPENDIX "A"

श्रम बोर्ड
LABOUR BOARD

1. कार्य का नाम
Name of Work . . . .

2. ठेकेदार का नाम
Name of Contractor . . . .

3. ठेकेदार का पता
Address of Contractor . . . .

4. मंडल/शाखा अधिकारी का नाम व पता
Name and Address of Circle/Branch Officer . . . .

5. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के श्रम अधिकारी का पता
Name of Archl. Survey of India Labour Officer . . . .

6. श्रम कार्यान्वयन अधिकारी का नाम
Name of Labour Enforcement Officer . ...

7. श्रम कार्यान्वयन अधिकारी का पता
Address of Labour Enforcement Officer . ...

दिनांक
Date ....

क्र०सं० S. No.	श्रेणी Category	निम्नतम निर्धारित मजदूरी Minimum Wage fixed	भुगतान की गई वास्तविक मजदूरी Actual wage paid	वर्तमान संख्या Number present	अभ्युक्तियां Remarks

साप्ताहिक छुट्टी
Weekly Holiday . . . .

मजदूरी की अवधि
Wage period . . . .

मजदूरी के भुगतान की तारीख
Date of Payment of Wages . . . .

काम के घंटे
Working hours . . . .

आराम का मध्यांतर
Rest interval . . . .

परिशिष्ठ "ख"

APPENDIX "B"

ठेकेदार द्वारा लगाए गए मजदूरों का रजिस्टर

REGISTER OF WORKMEN EMPLOYED BY CONTRACTOR

1. ठेकेदार का नाम व पता
   Name and address of contractor . . ..

2. कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है
   Name and address of establishment in/under which contract is carried on . ...

3. कार्य का स्वरुप व स्थान
   Nature and location of work . . . .

4. मुख्य नियोक्ता का नाम व पता
   Name and address of Principal Employer . ...

क्र० सं० Sl. No.	मजदूर का नाम व पता Name and address of workman	आयु तथा लिंग Age and sex	पिता/पति का नाम Father's/ Husband's name	कार्य का स्वरुप/पद का नाम Nature of Employment/ designation	मजदूर का गृह पता (गांव व तहसील, तालुक और जिला) Permanent home address of the workman (village and Tahsil, Taluka and District)	स्थानीय पता Local address	नौकरी प्रारंभ होने की तारीख Date of Commencement of employment	मजदूर के हस्ताक्षर या अंगूठ का निशान Signature or thumb impression of the workman	नौकरी से बरखास्त करने की तारीख Date of termination of employment	बरखास्त करने के कारण Reasons for termination	अभ्युक्ति Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

परिशिष्ट "ग"
APPENDIX "C"

मस्टर रोल
MUSTER ROLL

1. ठेकेदार का नाम व पता
Name and address of contractor . . ..

2. कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है
Name and address of establishment in/under which contract is carried on . . ..

3. कार्य का स्वरुप व स्थान
Nature and location of work . . ..

4. मुख्य नियोक्ता का नाम व पता
Name and address of principal Employer ....

5. महीने/पक्ष के लिए
For the month of/fortnight . . . .

क्रम सं० Sl. No.	मजदूर का नाम Name of Workman	पिता/पति का नाम Father's / Husband's name	लिंग Sex	दिनांक Date					अभ्युक्तियाँ Remarks
				1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5					6

परिशिष्ट "घ"
APPENDIX "D"

मजदूरी का रजिस्टर
REGISTER OF WAGES

1. ठेकेदार का नाम व पता
Name and address of contractor................

2. कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है
Name and address of establishment under which contract is carried on...........

3. कार्य का स्वरुप व स्थान
Nature and location of work...................

4. मुख्य नियोक्ता का नाम व पता
Name and address of principal Employer.....................

5. मजदूरी की अवधि : मासिक/पाक्षिक
Wage periods : Monthly/Fortnightly

क्रम सं०	मजदूर का नाम	मजदूरी के रजिस्टर में क्रम संख्या	किए गए कार्य का स्वरुप	कितने दिन कार्य किया	किए गए कार्य के एकक	मजदूरी के दर/पीस रेट	की गयी मजदूरी की रकम					कमी की, कोई हो, वसूली (स्वरुप लिखें)	मरम्मत की शुद्ध राशि	मजदूर के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान	ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
							मूल मजदूरी	महंगाई भत्ता	समयोपरि भत्ता	अन्य नकद भुगतान	जोड़				
Sl No.	Name of work-man	Serial No. in the register of work-man	Nature of work done	No. of days worked	Units rate of work done	Daily rate of wages/ piece rate	Basic wages	Dear-ness allo-wance	Over-time	Other cash-pay-ments (nature of pay-ment to be indi-cated)	Total	Deduc-tions if any (indi-cate nature)	Net amount paid	Signa-ture/ Thumb Impres-sion of workman	Initials of Contrac-tor or his repre-sentative
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

परिशिष्ट "ङ" (अ)
APPENDIX "E" (A)

सामने तरफ/Obverse

मजदूरी कार्ड
WAGE CARD

1. मजदूरी कार्य संख्या
Wage card No. ....

2. जारी करने की तारीख
Date of Issue ....

3. ठेकेदार का नाम और पता
Name and address of contractor ....

4. पद
Designation..........................

5. कार्य का नाम व स्थान
Name of Work with location....................

6. मास/पक्ष
Month/Fortnight.....................

7. कर्मकार का नाम
Name of Workman...........................

8. मजदूरी की दर
Rate of wages.........................

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
प्रातः Morning																																दर Rate
सायं Evening																																रकम Amount
आद्याक्षर Initials																																

से अपनी मजदूरी के ... रुपए प्राप्त किए
Received from.......................the sum of Rs. ....on account of my wages.

यह मजदूरी कार्ड जारी होने की तारीख से एक मास के लिए वैध है।
The Wage card is valid for one month from the date of issue.

हस्ताक्षर
Signature

12—112 D. G. Arch/Survey/ND/83

परिशिष्ट "ङ" (ब)
APPENDIX "E" (b)

पिछली तरफ/Reverse

मजदूरी कार्ड
WAGE SLIP

ठेकेदार का नाम और पता
Name and address of contractor....................

मजदूर का नाम तथा उसके पिता/पति का नाम
Name and father's/Husband's..............
name of workman.

कार्य का स्वरुप तथा स्थान का नाम
Nature and location of work......................

सप्ताह/पक्ष/मास के लिए
For the week/Fortnight/..................
month ending

1. कितने दिन कार्य किया
No. of days worked . . . .

2. किए गए कार्य के एककों की संख्या (पीस रेट मजदूरों के बारे में)
No. of units worked (in case of piece rate workers) . ...

3. दैनिक मजदूरी की दर/पीस रेट
Rate of daily wages/piece rate . . . .

4. समयोपरि मजदूरी की रकम
Amount of overtime wages . . . .

5. दी जाने वाली कुल रकम
Gross wages payable . . . .

6. वसूलियां, यदि कोई हों
Deductions, if any . . . .

7. दी गई मजदूरी की शुद्ध रकम
Net amount of wages paid . . . .

....
ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Initials of the Contractor or his representative.

परिशिष्ट "च"
APPENDIX 'F'

रोजगार कार्ड
EMPLOYMENT CARD

1. ठेकेदार का नाम व पता
Name and address of contractor . . ..

2. कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है
Name and address of establishment in/ under which contract is carried on . . ..

3. मुख्य नियोक्ता का नाम व पता
Name and address of Principal Employer ....

4. कार्य का नाम व स्थान
Name of work and location of work. . ...

 1. मजदूर का नाम
 Name of the workman . . . .

 2. लगाए गए मजदूरों के रजिस्टर में क्रम संख्या
 Sl. No. in the register of workman employed . . . .

 3. रोजगार का प्रकार/पद
 Nature of employment/designation . ...

 4. मजदूरी की दर (पीस वर्क के बारे में एकक के ब्यौरे सहित)
 Wage rate (with particulars of unit in case of piece work) . . . .

 5. मजदूरी की अवधि
 Wage period . . . .

 6. रोजगार की अवधि
 Tenure of employment . . . .

टिप्पणी
Remarks ....

....
ठेकेदार के हस्ताक्षर
Signature of contractor

परिशिष्ट "छ"
APPENDIX "G"

सेवा प्रमाण-पत्र
SERVICE CERTIFICATE

1. ठेकेदार का नाम व पता
Name and address of contractor..................

2. कार्यालय का नाम और पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है
Name and address of establishment in/under which contract is carried on ....

3. कार्य का स्वरुप और स्थान
Nature and location of work . . ..

4. कार्य का स्वरूप व पता
Name and a ddress of workman . ...

5. आयु तथा जन्म तिथि
Age and date of birth . . . .

6. पहचान चिन्ह
Identification Marks . . . .

7. पिता/पति का नाम
Father's/Husband's name. . . ..

क्रम सं० Sl. No.	रोजगार की कुल अवधि Total period for which employed		किए गए कार्य का स्वरूप Nature of work done	मजदूरी दर (पीस वर्क के मामले में एकक के ब्यौरे सहित) Rate of wages (with particulars of unit in case of piece work)	टिप्पणी Remarks
	से From	तक To			
1	2	3	4	5	6

परिशिष्ट "ग"

APPENDIX "H"

जुर्मानों का रजिस्टर
REGISTER OF FINES

1. ठेकेदार का नाम तथा पता
Name and address of contractor ....

2. निर्माण कार्य का स्वरूप तथा कार्यस्थान
Nature and location of work..........................

3. जिस स्थापना के अधीन ठेका लिया गया उसका नाम तथा पता
Name and address of establishment in/under which contract is carried on ....

4. मुख्यनियोक्ता का नाम तथा पता
Name and address of Principal Employer ....

क्रम सं॰ Sl. No.	कर्मकार का नाम Name of Workman	पिता/पति का नाम Father's/ Husband's name	पदनाम/नौकरी का स्वरूप Designation/ nature of employment	वह कार्य/भूल जिसके लिए जुर्माना लगाया गया Act/Omission for which fine imposed	अपराध की तिथि Date of offence	क्या कर्मकार ने इस जुर्माने के विरुद्ध कोई कारण बताया है Whether workman showed cause against fine	उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में कर्मचारी की व्याख्या सुनी गई Name of person in whose presence employee's explanation was heard	मजदूरी की अवधि तथा देय मजदूरी Wage periods and wage payable	लगाए गए जुर्माने की राशि Amount of fine imposed	जुर्माना किस तिथि को समाप्त हुआ Date on which fine realised	टिप्पणी Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

परिशिष्ट "झ"
APPENDIX 'I'

ऐसे कार्यों तथा लोपों की सूची जिसके लिए जुर्माने किए जा सकते हैं।

LIST OF OMISSIONS AND COMMISSION FOR WHICH FINES CAN BE IMPOSED

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ठेका श्रम विनियमों के नियम 8 (घ) के अनुसार निम्नलिखित कार्यों और लोपों को कार्यस्थल पर अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा दोनों में अच्छी प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा।

1. जान बूझकर अकेले या अन्य के साथ मिल कर अवज्ञा या उल्लंघन ।

2. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्य या संपत्ति के अतिरिक्त, ठेकों के संबंध में चोरी, धोकेबाजी, बेईमानी करना।

3. घूस या अन्य गैरकानूनी परितोषण लेना या देना।

4. नित्य देर से काम पर आना।

5. शराब पी कर लड़ना, उपद्रवी या बेढंगा या अन्य मनस्क व्यवहार।

6. नित्य लापरवाही।

7. उस क्षेत्र के आस-पास बीड़ी सिगरेट पीना जहां आग पकड़ने वाली या अन्य सामग्री रखी हो।

8. नित्य अनुशासहीनता।

9. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ठेकेदार के चालू कार्य में अथवा संपत्ति को क्षति पहुंचाना।

10. ड्यूटी पर सोना।

11. कामचोरी वा कार्य को धीरे करना।

12. नाम, आयु, पिता के नाम आदि के बारे मे गलत सूचना देना।

13. नियोक्ता द्वारा दिये गये मजदूरी कार्ड को नित्य खो देना।

14. मालिक की उत्पादक संपत्ति का अनधिकृत उपयोग या कार्यस्थल पर अनधिकृत वस्तुएं बनाना।

15. कुशल कामगरों द्वारा निर्माण तथा अनुरक्षण में अकुशल कारीगरी दिखाना जिसे विभाग स्वीकार नहीं करता और जिसके संशोधन के लिए ठेकेदार को बाध्य किया जाता है।

In accordance with rule 8(d) of the Archaeological Survey of India Contract Labour Regulations to be displayed prominently at the site of work in both English and local Languages, the following are defined as act of omission and commission for which fines can be worked :—

1. Wilful insubordination or disobedience, whether alone or in combination with other.

2. Theft, fraud or dishonesty in connection with the contracts besides a business or property of Archaeological Survey of India.

3. Taking or giving bribes or any illegal gratifications.

4. Habitual late attendance.

5. Drunkenness, fighting, riotous or disorderly or indifferent behaviour.

6. Habitual negligence.

7. Smoking near or around the area where combustible or other materials are locked.

8. Habitual indiscipline.

9. Causing damage to work in the progress or the property of the Archaeological Survey of India or the contractor.

10. Sleeping on duty.

11. Malingering or showing down work.

12. Giving of false information regarding name, age, father's name, etc.

13. Habitual loss of wage cards supplied by the employers.

14. Unauthorised use of employer's property of manufacture or making of unauthorised articles at the work place.

15. Bad workmanship in construction and maintenance by skilled workers which is not approved by the Deptt. and for which the contractors are compelled to undertake rectifications.

16. गलत शिकायते लगाना या भ्रामक विवरण देना ।

17. स्थापनाओं के परिसर के भीतर कोई व्यापार चलाना ।

18. कर्मचारियों का अनधिकृत व्यापार करना ।

19. स्थापना के परिसर के भीतर किसी प्रकार का धन एकत्र करना या उसके लिए प्रचार करना जब तक कि मालिक द्वारा अधिकार न दिया गया हो ।

20. मालिकों की पूर्व अनुमति के बिना परिसर के भीतर बैठकें बुलाना ।

21. परिसर के भीतर कार्य समय के दौरान किसी कामगार या कर्मचारी को डराना या धमकाना ।

16. Making false complaints and/or misleading statement.

17. Engaging on trade within the premises of the establishments.

18. Any unauthorised indulgence of business affairs of the employees.

19. Collection or canvassing for the collection of any money within the premises of an establishment unless authorised by the employer.

20. Holding meeting inside the premises without previous sanction of the employers.

21. Threatening or intimidating any workman or employee during the working hours within the premises.

परिशिष्ट "ज"
APPENDIX 'J'

क्षति/हानि के लिए कटौती का रजिस्टर
REGISTER OF DEDUCTIONS FOR DAMAGE OR LOSS

1. ठेकेदार का नाम तथा पता
Name and address of contractor...

2. उस स्थापना का नाम तथा पता जिसके अधीन ठेके का कार्य किया जा रहा है
Name and address of establishment in/under which contract is carried on..................

3. निर्माण कार्य का स्वरूप तथा कार्यस्थल
Nature and location of work..

4. मुख्य नियोक्ता का नाम तथा पता
Name and address of Principal Employer...

क्रम सं०	कर्मकार का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम/कार्य का स्वरूप	क्षति अथवा हानि का ब्यौरा	क्षति अथवा हानि की तिथि	क्या कर्मकार ने इस कटौती के विरुद्ध कारण बताया है	व्यक्ति का नाम जिसके समक्ष कर्मचारी की व्याख्या सुनी गई	लगाई गई कटौती की राशि	किश्तों की सं०	वसूली की तिथि Date of Recovery		टिप्पणी
										पहली किश्त	अंतिम किश्त	
Sl. No.	Name of workman	Father's/ Husband's Name	Designations/ Nature of employment	Particulars of damage or loss	Date of damage or loss	Whether workman showed cause against deductions	Name of person in whose presence employees explanation was heard	Amount of deduction imposed	No. of Instalments	First instalment	Last Instalment	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

परिशिष्ट "ट"
APPENDIX 'K'

अग्रिम का रजिस्टर
REGISTER OF ADVANCES

1. ठेकेदार का नाम तथा पता
Name and address of contractor ....

2. उस स्थापना का नाम तथा पता जिसके अधीन ठेका लिया गया
Name and address of establishment in/under which contract is carried on..................

3. कार्य का स्वरूप तथा कार्यस्थल
Nature and location of work ....

4. मुख्य नियोक्ता का नाम तथा पता
Name and address of Principal Employer ....

क्रम सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम तथा नौकरी का स्वरूप	मजदूरी की अवधि तथा देय मजदूरी राशि	दिए गए अग्रिम की तिथि तथा राशि	वह प्रयोजन जिनके लिए अग्रिम दिया गया	किश्तों की संख्या जिनके द्वारा अग्रिम लौटाया गया राशि	लौटाई गई प्रत्येक किश्त की तिथि तथा राशि	वह तिथि जब की अंतिम किश्त लौटाई गई	टिप्पणी
Sl. No.	Name	Father's Husband's name	Designation and nature of employment	Wage period and wage payable	Date & amount of advance given	Purpose(s) for which advance made	No. of instalment by which advance to be repaid	Date & amount of each instalment repaid	Date on which last instalment was repaid	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

परिशिष्ट "ठ"
APPENDIX 'L'

समयोपरि रजिस्टर
REGISTER OF OVERTIME

1. ठेकेदार का नाम व पता
Name and address of contractor . . ..

2. स्थापना का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है
Name and address of establishment in/under which contract is carried on...................

3. कार्य का स्वरूप तथा कार्यस्थल
Nature and location of work . . ..

4. मुख्य नियोक्ता का नाम तथा पता
Name and address of Principal Employer ....

क्रम संख्या Sl. No.	कर्मकार का नाम Name of workman	पिता/पति का नाम Father's/ Husband's Name	लिंग Sex	पदनाम तथा नोकरी का स्वरूप Designation/ nature of employ-ment	जिन तारीख को समयोपरि का कार्य किया Date on which overtime worked	कुल समयोपरी कार्य अथवा (पीस रेट के मामले में उत्पादन) Total overtime worked or production in case of piece rated	मजदूरी की सामान्य दर Normal rates of wages	समयोपरी मजदूरी की दर Overtime rate of wages	कमाई Overtime earnings	जिस पर समयोपरि मजदूरी दी गई Rate on which overtime wages paid	टिप्पणी Re-marks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

TYPE DESIGN OF 30 TONNES CEMENT GODOWN AT SITE OF WORK

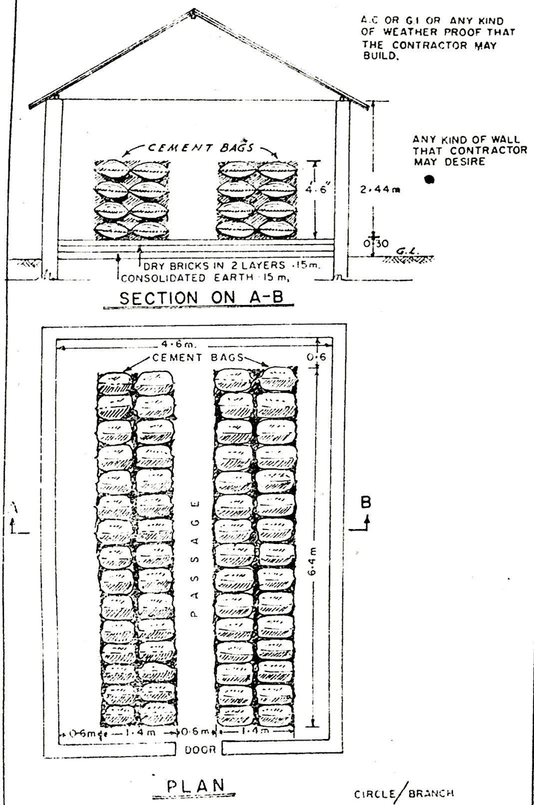

CIRCLE/BRANCH OFFICER

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

प्रतिशत दर संविदा/दर संविदा कीमतों के लिए करार पत्र

AGREEMENT FORM FOR PERCENTAGE RATE CONTRACT

(संविदा अभिलेख के हिन्दी तथा अंग्रेजी पाठों के निर्वचन में यदि किसी प्रकार की भिन्नता दृष्टिगत हो तो अंग्रेजी पाठ का निर्वचन अंतिम और बाध्यकारी होगा।)

(In case of any discrepancy in interpretation between Hindi and English versions of the Contract documents, the interpretation of the English version shall be final and binding).

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

करार पत्र-30
AGREEMENT FORM 30.

1. निर्माण कार्य का नाम
NAME OF WORK ....

2. अनुमानित खर्च—रुपये ....
ESTIMATED COST Rs.

3. बयाना की राशि—रुपये ....
EARNEST MONEY Rs.

4. प्रतिभूति जमा—रुपये
SECURITY DEPOSIT Rs. ....

5. स्वीकृत समय .... माह ....
TIME ALLOWED MONTHS

प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा अभिलेख में ....
से ...... तक पृष्ठ हैं ।
Certified that this contract document contains pages from serial No.........to........only.

उप अधीक्षक पुरातत्व इंजीनियर
Dy. SUPDTG. ARCHL ENGINEER

मंडल/शाखा अधिकारी
CIRCLE/BRANCH OFFICER

विषय-सामग्री

CONTENTS

1. मंडल/शाखा कार्यालय के लिए अनुदेश पृष्ठ
2. प्रेस अधिसूचना
3. निविदा आमंत्रित करने वाली सूचना
4. प्रतिशत दर निविदा के अनुबंध पत्र तथा निर्माण कार्य हेतु संविदा
5. संविदा खंड/संविदा की शर्तें
6. अतिरिक्त शर्तें
7. विनिर्देश एंव विशिष्ट शर्तें
8. पुरातत्वीय स्थलों पर किये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए विशेष शर्तें
9. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सुरक्षा संहिता
10. कामगारों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए मानक नियम
11. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण : ठेकेदारों के मजदूरों के विनियम
12. परिशिष्ठ "क" से "ठ" तक
13. सीमेंट गोदाम का चित्र

1. Instructions for Circle/Branch Office
2. Press notification
3. Notice Inviting Tenders
4. Agreement for percentage rate tender and contract for works
5. Contract clauses/conditions of contract
6. Additional conditions
7. Specifications and special conditions
8. Special conditions for work at archaeogical sites.
9. Archaeological Survey of India Safety Code
10. Model Rules for protection of health of workers.
11. Archaeological Survey of India : Contractor's labour regulations.
12. Appendix 'A' to 'L'
13. Sketch of cement godown.

मंडल/शाखा अधिकारियों के लिए संविदा पत्र भरने के संबंध में अनुदेश

निर्माण-कार्य का नाम :

मंडल/शाखा अधिकारी अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगें:—

1. अनुबंध पत्र के पृष्ठों पर ठेकेदार/ठेकेदारों तथा मंडल/शाखा अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे तथा शेष पृष्ठों पर दोनों अपना-अपना आद्यक्षर करेंगे ।

2. पृष्ठ सं० के रिक्त स्थानों को भरा जाएं ।

3. पृष्ठ पर कार्य स्थल का नाम देते हुए सीमेंट एवं स्टील की दरें जारी की हुई दरों के अनुसार भरी जाएंगी। गोदाम भाड़ा एवं सुपुर्दगी का स्थान इमारती सामान जारी करने की शर्तों को (पृष्ठ) में भरा जाएगा यदि विभागीय तौर पर उन्हें कोई अन्य इमारती सामान उन्हें जारी किये जाने का प्रस्ताव हो तो उन्हें मंडल/शाखा अधिकारी के आदेश से पृष्ठ में शामिल किया जाए ।

4. आवर्ती/विशिष्ट किस्म के नमूनों का अनुमोदन पृष्ठ संख्या में दीगई अनुसूची 1 के अनुसार निर्माण कार्य कराने से पूर्व ही होना चाहिए ।

5. यदि विभागीय तौर पर अन्य इमारती सामान जारी किये जानेका प्रस्ताव हो तो पृष्ठ की क्रम संख्या 5 में यथावश्यक शुद्धियां की जाएं ।

6. यथोचित मजदूरी अनुसूची निविदा प्रलेखों के साथ संलग्न नहीं की गई हैं और न संलग्न को जानी चाहिए ।

7. कार्यस्थल की उपलब्धता के संबंधी शर्तें (पृष्ठ) यथोचित ढंग से भरी जाएं तथा पृष्ठ के पैरा 2 में जो अंश लागू न हो उन्हें काट दिया जाए ।

8. मंडल/शाखा अधिकारी के नवीनतम ज्ञापन के अनुसार जल की पूर्ति से संबंधित शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है चाहे उसकी पूर्ति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जानी हो या नहीं (पष्ठ खंड 31)

9. मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा निविदा आमंत्रित की जाने वाली इस सूचना के अनुमोदन की तारीख के बाद निविदा आमंत्रित करने से पूर्व मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा जारी किये गये सभी अनुदेशों पर विचार किया जाए ।

INSTRUCTIONS TO CIRCLE/BRANCH OFFICER FOR FILLING UP OF THE CONTRACT DOCUMENTS

Name of work :—

The Circle/Branch Officer will please attend to the following points before signing Agreement form :—

1. Agreement has to be signed by the Contractor/Contractors and the Circle/Branch Officer on pages, and the rest of pages are to be initialled by both of them.

2. Blanks may be filled in on pages.

3. On page the rates for cement and steel may be filled in as per the issue rates giving the name of site. The storage charges and the place of delivery may also be filled in the "Conditions for issue of materials". Any other material if proposed to be issued departmentally may also be included in pages under order of Circle/Branch Officer.

4. Approval of sample of repetitive/typical nature of items, prior to execution of work should be as per Annexure-1 at page .

5. Necessary corrections may be made in Serial No. 5 on page if other materials are proposed to be issued departmentally.

6. Schedule of fair wages has not been attached and is not to be attached with the tender documents.

7. Conditions regarding availability of site may be suitably filled in (page) and portions not applicable may be deleted in para 2 of

8. Conditions regarding supply of water may be suitably altered according to Circle/Branch Officer's latest Memo, whether the same is to be supplied by the Archaeological Survey of India or not, (Clause 31).

9. Any instructions issued by the Circle/Branch Officer, after the date of approval of this N.I.T. by the Circle/Branch Officer may be attended to before the call of tenders.

10. स्थान इलाकों से संबंधित अतिरिक्त विनिर्देशों के जारी करने से पूर्व उन्हें निविद आमंत्रित करनेवाली सूचना में शामिल किया जाना चाहिए ।

11. कार्यस्थल की शर्तों पर आश्रित होकर मंडल/शाखा अधिकारी यह निर्णय करेंगे कि खोदी हुई मिट्टी आवश्यकता से अधिक है या नहीं या उसकी आवश्यकता किसी अन्य सरकारी विभाग या पास के किसी इलाके में होने वाले किसी सरकारी निर्माण कार्य के लिए तो न होगी और यदि किसी सरकारी निर्माण कार्य के लिए उसकी आवश्यकता न हो और यदि उस मिट्टी का कुछ भी विक्रय मूल्य हो तो उस मिट्टी के यथोचित निपटान के लिए ठेकेदार को अपनी इच्छानुसार निपटान करने की इजाजत दी जाए परन्तु उसे ढुलाई भाडा आदि के रूप में कुछ भी न दिया जाय। तथापि यदि मंडल/शाखा अधिकारी यह समझें कि वह रुई की पैदावार के लिए उपयुक्त काली मिट्टी है, या अन्य कोई ऐसी मिट्टी है जिसका बाजार मुल्य हो तो वे यह निर्णय ले सकते है कि मिट्टी कहां इकट्टा किया जाए और वे अनुबन्ध पत्र में वास्तविक दूरी सहित ढुलाई से संबंधित यथोचित शर्त जोड सकते है ।

12. संविदा के उपबंध खंड सं० 42 (ii) को ध्यान में रखा जाए और इस संबंध में मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा यथावश्यक अनुदेश जारी जाएं ।

13. निविदाओं की बिक्री, प्राप्ति और उसे खोलने के संबंध में समय और तारीख पृष्ठ और में तत्संबंधी रिक्त स्थानों में भरे जाएं ।

14. यदि विभाग द्वारा कंक्रीट मिश्रक या कोई अन्य मशीन, टी एंड पी दिया जाना हो तो उसके किराये और सुपुर्दगी के स्थान को तत्संबंधि (खंड (पृष्ठ) में भरा जाए ।

15. यदि विभागी तौर पर बिटुमैन जारी किया जाना प्रस्तावित हो तो उसे भी शामिल कि जाए ।

10. Any additional specifications particular to the locality may be included in the N.I.T. before issuing the same.

11. Circle/Branch Officer may decide depending on site condition whether the excavated earth is surplus to requirement or will be required by any other Government Department or any Govt. work in the neighbouring locality and in case the same is not required for Govt. works and the soil, has got some marketable value, the contractor may be allowed to dispose of the earth at his own cost and he should not be paid for carriage charges etc. However, in case Circle/Branch Officer feels that the soil is black cotton soil or any such soil, which has market value, he may decide where to dump the soil and may insert a suitable condition in the agreement for carriage with exact distance.

12. Provision of contract clause No. 42(ii) may be kept in view and the necessary instructions by Circle/Branch Officer may be issued in this regard.

13. Time and date for sale, receipt and opening of tenders may be filled in the relevant blanks on page

14. The hire charges for concrete mixer or any other machinery, T & P, and its place of delivery etc. if to be issued by the department, may be filled in the relevant clause at page .

15. Issue of bitumen may be included, if it is proposed to be issued departmentally.

संयुक्त विज्ञापन के रूप में जारी किये गये निर्माण कार्य से संबंधित प्रेस सूचना की प्रति

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता के पैरा 13.1.1 के संदर्भ में)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से———————मंडल/शाखा अधिकारी (नाम और पदनाम), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,——————————में निर्माण कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुमोदित एवं पंजीकृत ठेकेदारों एवं के०लो०नि० वि०/सै० ई० से०/लो०नि० वि०/रेलवे के अनुमोदित ठेकेदारों की सूची से तारीख————तक मुहरबंद प्रतिशत दर/निविदा आमंत्रित करते है, जो——————को खोला जाएगा।

अनुमानित राशि——————————————

बयाने की राशि——————————————

रुपये भारतीय स्टेट बैंक या केनरा बैंक में खजाना चालान के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक की गारंटी-शुदा किसी अनुसूचित बैंक के रसीदी मांग पत्र के रूप में जमा की जानी चाहिए और उसकी रसीदी चालान निविदा के साथ भेजी जानी चाहिए। निर्माण कार्य पूरा करने का समय है। उस ठेकेदार की निविदा को संक्षिप्ततः अस्वीकार कर दिया जाएगा जो निर्धारित फार्म में मंडल/शाखा अधिकारी के नाम बयाने की राशि जमा नहीं करेंगे।

शर्तें एवं निविदा प्रपत्र ——————रु०——— (——————रुपये) हर प्रति की दर से भुगतान के आधार पर——————इस——————कार्यालय से सभी कार्य दिवसों में——————————तारीख तक प्राप्त किये जा सकते है (जिसकी कीमत———रुपये है, ——————तारीख तक वापस नहीं की जाएगी)।

नाम और पदनाम

(भारत के राष्ट्रपति के निमित्त और उसकी ओर से)

COPY OF PRESS NOTICE CONCERNING THE WORK ISSUED AS A COMPOSITE ADVERTISEMENT

(Reference to in para 13.1.1 of the A.W. Code)

The Circle/Branch Officer (name and designation to be given here), Archaeological Survey of India——————on behalf of the President of India, invites percentage rate/ Tender in sealed cover for the work—————from the approved and registered contractors of Archaeological Survey of India as well as from the contractor in the list of C.P.W.D./ MES/PWD/Railways up to,—————which will be opened at————.

Estimated Cost——————————

Earnest money for——————————

should be deposited in the State Bank of India or Canara Bank through Treasury Challan or in the shape of deposit at call receipt of any scheduled bank guaranteed by the Reserve Bank of India and receipted challan sent with the tender. Time allowed for completion of work is—————— Tenders of the contractors who do not deposit money in favour of the Circle/Branch Officer in the prescribed form, will be liable to be summarily rejected.

Conditions and tender forms can be had from this office before—————— on all working days on payment of Rs.———— (Rupees——————————) each (non-refundable) upto——————.

Name & Designation :—

(for & on behalf of the President of India)

13—112 D. G. Arch/Survey/ND/83

मंडल/शाखा CIRCLE/BRANCH	भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA	उप मंडल/शाखा SUB-CIRCLE/BRANCH

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

निविदा आमंत्रण सूचना की प्रति

COPY OF NOTICE INVITING TENDERS

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता, पैरा 13.1.1 से 13.1.6)

(Archaeological Works Code, Paragraphs 13.1.1 to 13.1.6)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से............के निर्माण कार्य के लिए जिसकी अनुमानित लागत.....है निर्धारित प्रपत्र भा०पु०स०वि०सं०...........पर एतद्द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं ।

1. निविदाओं के छपे हुए प्रपत्र जिनमें ब्यौरेवार रेखांक पूर्ण विनिर्देशन , किये जाने वाले विभिन्न वर्गों के निर्माण कार्यों की मात्राओं की अनुसूची, ठेके की शर्तों का सेट, जिसका अनुपालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसकी निविदा स्वीकार हो जाए , सन्निहित है, रविवार और सरकारी छुट्टियों के अतिरिक्त प्रतिदिन 11 बजे पूर्वाह्न तक मंडल/शाखा कार्यालय उन मंडल/उप शाखा कार्यालय से............रुपये नकद देकर खरीदे जा सकते है ।

2. निर्माण कार्य का स्थल उपलब्ध है । यह निर्माण कार्य के लिए स्थल निम्नलिखित विनिर्दिष्ट रूप में आंशिक तौर पर उपलब्ध कर दिया जाएगा :———

(उपर्युक्त दो में से एक को, जैसी स्थिति हो, मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा काट दिया जाए)

निर्माण कार्य स्थल की जांच मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा की जाएगी और तदनुसार शर्तें लगाई जाएंगी ।

3. निविदाए, जो हमेशा उसे मुहरबंद लिफाफों में रखी जानी चाहिए जिन पर निर्माण कार्य का नाम लिखा जाना चाहिए मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा.......तारीख तक प्राप्त की जाएगी और उनके द्वारा उनके कार्यालय में उसी दिन........बजे खोली जाएंगी ।

Tenders in the prescribed form ASIW No. —————— are hereby invited on behalf of the President of India for —————— at an estimated cost of Rs. ——————

1. Printed forms of tenders consisting of the detailed plans, complete specifications, the schedule of quantities of the various classes of work to be done, and the set of conditions of contract to be complied with by the person whose tender may be accepted, can be purchased at the Circle/Branch Office/Sub-Circle/Sub-Branch Office between the hours of 11 A.M. to 4 P.M. every day except on Sunday and public holidays on payment of Rs. —————— in cash.

2. The site for the work is available/or the site for the work shall be made available in parts as specified below :—

(one of the two above, may be deleted by the Circle/Branch Officer as the case may be).

Availability of site is to be verified by the Circle/Branch Officer and conditions provided accordingly.

3. Tenders, which should always be placed in sealed covers, with the name of the work written on the envelopes will be received by the Circle/Branch Officer, upto —————— —————— and will be opened by him in his office on the same day at ——————

4. निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अनुज्ञात समय कार्य आरंभ करने के लिखित आदेश की तारीख के, पश्चात पन्द्रहवें दिन से--------तक का होगा ।

4. The time allowed for the carrying out of the work will be —————— from the fifteenth day after the date of written orders to commence work.

5. ठेकेदारों को दी गई निविदा की दर और रकम को अंकों और शब्दों दोनों में लिखा जाना चाहिए । हर मद की राशि का परिकलन किया जाना चाहिए और अपेक्षित जोड़ दिया जाना चाहिए ।

5. The contractors should quote in figures as well as in words the rate, and amount tendered by them. The amount for each item should be worked out and the requisite totals given.

6. यदि कोई ठेकेदार निविदा पर किसी भारतीय भाषा में हस्ताक्षर करते हैं तो उस मामले में प्रतिशतता की कमी व बेशी और दी गई निविदा की राशि तथा भा०पु०स०वि० फार्म सं० 30 के मामले में दी गई निविदा की कुल राशि उसी भारतीय भाषा में लिखी जानी चाहिए । निरक्षर ठेकेदारों के मामले में दी गई निविदा की दरों या राशियों का सत्यापन किसी साक्षी से करा लेना चाहिए ।

6. When contractor signs a tender in an Indian Language, the percentage above or below and the amount tendered in the case of ASIW Form 30, should also be written in the same language. In the case of illiterate contractors the rates or the amounts tendered should be attested by a witness.

7. निविदा खोलने के लिए निश्चित की गई तारीख से दो दिन पहले अर्थात् ——————————को निविदा फार्मों का जारी करना बंद कर दिया जाएगा ।

7. Issue of tender form will be stopped two days before the date fixed for the opening of tenders i.e.——————.

8. बयाने की राशि————————रुपये (यदि छूट न दी गई हो) खजाने की रसीदी चालान/भारतीय बैंक द्वारा गारंटी प्राप्त किसी भी अनुसूचित बैंक के मांग पत्र के रूप में जमा कराने की रसीद निविदा के साथ अवश्य संलग्न की जानी चाहिए और सभी निविदाएं मुहरबंद लिफाफों में रखी जाएंगी तथा उनपर "के लिए निविदा" लिखा होगा और वह मंडल/शाखा अधिकारी को संबोधित होगा ।

8. Earnest money, amounting to Rs. ——————— (unless exempted) in receipted Treasury challan/Deposit call receipt of a scheduled bank guaranteed by the Reserve Bank of India must accompany each tender and each tender is to be kept in a sealed cover superscribed "tender for ——————" and addressed to the Circle/Branch Officer.

9. जिस ठेकेदार की निविदा (यदि छूट न दी गई हो) स्वीकार हो जाएगी उसे ठेके के विधिवत् संपादन के लिए प्रतिभूति जमा के रूप में एसी रकम जमा करनी होगी जो इस प्रकार है :——

(i) 1,00,000 रुपये तक की लागत के निर्माण कार्य के मामले में निविदा में दी गई कुल अनुमानित लागत के 10% के बराबर,

(ii) 1,00,000 रुपये से अधिक और 2,00,000 रुपये तक की लागत के मामले में पहले 1,00,000 रुपये तक 10% और शेष पर 7½% बराबर, तथा

(iii) 2,00,000 रुपये से अधिक लागत के निर्माण कार्य के मामले में पहले 1,00,000 रुपये तक 10%, दूसरे 1,00,000 रुपये तक 7½% तथा शेष आदि पर 5% के बराबर बशर्ते कि यह राशि 1,00,000 रुपये से अधिक न हो ।

9. The contractor, whose tender is accepted (unless exempted) will be required to furnish by way of security deposit for the due fulfilment of his contract, such sum as well amount :—

(i) In the case of words costing upto Rs. 1,00,000 to 10% of the estimated cost of the work put to tender,

(ii) In the case of works costing more than Rs. 1,00,000 and upto Rs. 2,00,000 to 10% on the first Rs. 1,00,000 and 7½% on the balance, and

(iii) In the case of works costing more than Rs. 2,00,000 to 10% on the first Rs. 1,00,000, 7½% on the next Rs. 1,00,000 and 5% on the balance, subject to a maximum of Rs. 1,00,000.

प्रतिभूति जमा उपयुक्त दरों से ठेकेदार के चालू बिल से काट कर वसूल की जाएगी तथा निविदा के समय लगाने के रूप में जमा किया हुवा धन प्रतिभूति जमा का एक रूप समझा जाएगा । प्रतिभूति की धन राशि नकद या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी स्वीकार की जाएगी आवधिक जमा की रसीदे तथा अनुसूचित बैंकों तथा भारतीय स्टेट बैंक के गारंटी बांड भी स्वीकार किये जाएंगे बशर्तें कि भारतीय रिजर्व बैंक से उनकी पुष्टि की सूचना प्राप्त हो जाए ।

The Security deposit will be collected by deductions from the running bills of the contractor at the rates mentioned above and the earnest money deposited at the time of tenders will be treated as a part of the security deposit. The Security amount will also be accepted in cash or in the shape of Government securities. Fixed Deposit Receipts and Guarantee Bonds of Scheduled Banks and State Bank of India will also be accepted for this purpose, provided confirmatory advice is forthcoming from the Reserve Bank of India.

10. निविदा स्वीकार करना अधीक्षक पुरातत्वविद/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक की इच्छा पर निर्भर है, और वह निम्नतम निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है । उसे निविदाओं में से किसी एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का प्राधिकार प्राप्त है ।

10. The acceptance of a tender, will rest with the Superintending Archaeologist/Director General, Archaeological Survey of India who does not bind himself to accept the lowest tender, and reserve to himself the authority to reject any or all of the tenders received, without the assignment of a reason.

ऐसी निविदाएं जिनमें विहित शर्तें पूरी न हों या वे किसी दृष्टि से अपूर्ण हों तो उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है ।

All tenders in which any of the prescribed conditions are not fulfilled or incomplete in any respect are liable to be rejected.

11. निविदाओं के सिलसिले में कर पैरवी ने की सख्त मनाही है और यदि निविदा प्रस्तुत करने वाला कोई ठेकेदार अपनी निविदा के वास्ते पैरवी करता हुआ पाया जाएगा तो उसकी निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी ।

11. Canvassing in connection with tenders is strictly prohibited and the tenders submitted by the contractors who resort to canvassing will be liable to rejection.

12. सभी दरें उचित निविदा प्रपत्र पर ही दी जाएंगी ।

12. All rates shall be quoted on the proper form of the tender alone.

13. मद दर निविदा जिसमें कम/वेशी प्रतिशतता सम्मिलित होगी, संक्षिप्ततः अस्वीकार कर दी जाएगी । तथापि यदि निविदाकार स्वयं निश्चित समय के अन्तर्गत भुगतान किये जाने के लिए छूट देना चाहता है, तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

13. An item rate tender containing percentage below/above will be summarily rejected. However, where a tenderer voluntarily offers rebate for payment within a stipulated period may be considered.

14. निविदा स्वीकार कर लिये जाने पर ठेकेदार द्वारा उस/उन, प्रत्यायित प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों का / के नाम मंडल/शाखा अधिकारी को भेजा जाएगा/भेजे जाएंगें जो मंडल/शाखा अधिकारी से अनुदेश प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

14. On acceptance of the tender, the name of the accredited representative(s) of the contractor who would be responsible for taking instructions from the Circle/Branch Officer shall be communicated to the Circle/Branch Officer, by the contractor.

15. इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए की दरें अंक तथा शब्दों दोनों में लिखी जाएं और धनराशि केवल अंकों में इस प्रकार लिखी जाएगीं कि उनके अन्तर्वेशन की संभावना न रहे। कुल धन अंकों तथा शब्दों दोनों में लिखें जाएं। अंकों के मामले में अंकों से पहले "रु०" शब्द लिखा जाए और पै० को दशमलवत् अंकों के बाद लिखा जाए । जब तक कि दरें पूरें रुपयों में न हों और उसके बाद "मात्र" शब्द न लिखा हो तब तक वो हमेशा दशमलवत् के दो अंकों तक ही

15. Special care should be taken to write the rates in figures as well as in words, and the amounts in figures only, in such a way that interpolation is not possible. The total amount should be written both in figures and in words. In case of figures the word 'Rs.' should be written before the figures and Rupees and letter 'P', after the decimal figure, and in case of words the word Rupees precede

होनी चाहिए। मात्राओं की अनुसूची में दरों को बताते समय रकम के ठीक बाद "मात्र" शब्द लिखा जाना चाहिए और इसे दूसरी पंक्ति में नहीं लिखा जाना चाहिए।

and the word 'paise' should be written at the end. Unless the rate is in whole rupees and followed by the word 'only' it should invariably be upto two decimal places. While quoting the rates in the Schedule of quantities, the word 'only' should be written closely following the amount and it would not be written in the next line.

16. भारत के राष्ट्रपति न्यूनतम या अन्य निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और अपने पास पूरी निविदा या उसका कोई भाग स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते है और निविदाकार अपनी दी हुई दर पर उसे करने के लिए आबद्ध होगा।

16. The President of India does not bind himself to accept the lowest or any tender and reserve to himself the right of accepting the whole or any part of the tender and the tenderer shall be bound to perform the same at the rate quoted.

17. इस ठेके के संबंध में इमारती सामग्री पर बिक्री कर या अन्य कर ठेकेदार द्वारा देय होगा और इस संबंध में सरकार किसी प्रकार के वाद को स्वीकार नहीं करेगी।

17. Sales tax or any other tax on material in respect of this contract shall be payable by the contractor and Govt. will not entertain any claim whatsoever in this respect.

18. ठेकेदार को उसे निविदा कागजातों को बेचे जाने के पूर्व वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 67/3डी/69-1-टी० ए०-2 तारीख 2-7-70 के अन्तर्गत अधिसूचित संशोधित फार्म पर अपना आयकर शोधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

18. The contractor must produce income-tax clearance certificate in the revised form as notified under Min. of Finance O.M. No. 67/3D/69-1-TA-2, dated 2-7-70 before the tender can be sold to him.

19. ठेकेदार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस मंडल/शाखा (जो ठेके देने और निष्पादित कराने के लिए जिम्मेदार है) जिसमें उसके नजदीकी रिश्तेदार कनिष्ठ लेखा अधिकारी अथवा अधीक्षक पुरातत्व इंजीनियर और, सहायक अधीक्षक पुरातत्व इंजीनियर के मध्य (जिसमें दोनों श्रेणियां सम्मिलित है) के किसी अधिकारी की हैसियत से कार्य कर रहे हों, निर्माण कार्य कराने के लिए निविदा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी उसे उन व्यक्तियों की सूची बतानी होगी जो उनके साथ किसी भी हैसियत से कार्य कर रहे हों या बाद में उसके द्वारा नौकरी पर रख लिये जाए और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय के किसी राजपत्रित अधिकारी के नजदीकी रिश्तेदार है। यदि कोई ठेकेदार इस शर्त को तोड़ेगा तो उसका नाम इस विभाग की अनुमोदित सूची से हटा दिया जाएगा।

19. The contractor shall not be permitted to tender for works in the Circle/Branches of Archaeological Survey of India (Responsible for award and execution of contracts), in which his near relative is posted as Jr. Accounts Officer or as an officer in any capacity between the grades of Superintending Archaeological Engineer and Assistant Archaeological Engineer (both inclusive). He shall also intimate the names of the persons who are working with him in any capacity or are subsequently employed by him and who are near relatives to any gazetted officer in the Archaeological Survey of India or in the Min. of Education & Culture. Any breach of this condition by the contractor would render him liable to be removed from the approved list of contractors of this department.

टिप्पण :- "निकट नातेदार" पद से पत्नी, पति, माता पिता और पितामह-पितामही, संतति और पौत्र-पौत्रियां, भाई और बहने, चाचा-चाची और चचेरे, ममेरे भाई तथा उनके तत्संबंधी ससुराली नातेदार अभिप्रेत है।

Note.—By the term 'near relative' is meant wife, husband, parents, children and grand-children, brothers and sisters, uncles, aunts and cousins, and their corresponding in-laws.

20. ठेकेदार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में अराजपत्रित कर्मचारी के रूप में कार्यरत अपने रिश्तेदारों की सूची देनी होगी।

20. The contractor shall give a list of non-gazetted Archaeological Survey of India employees related to him.

21. भारत सरकार के किसी इंजीनियरी विभाग में इंजीनियरी या प्रशासनिक कार्यों में लगे हुए राजपत्रित ओहदे के किसी भी इंजीनियर को या अन्य किसी राजपत्रित अधिकारी को सरकारी सेवा से सेवामुक्त होने की तारीख से दो साल बाद तक भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ठेकेदार की हैसियत से काम करने की आज्ञा नहीं है। यदि किसी समय यह पाया जाए कि ठेकेदार या उसका कोई कर्मचारी ऐसा व्यक्ति है जिसने निविदा देने से पहले या ठेकेदार की सेवा में लगने से पहले भारत सरकार से उपर्युक्त प्रकार की अनुमति नहीं ली थी तो वह ठेका रद्द कर दिया जाएगा।

21. No Engineer of Gazetted rank or other Gazetted Officer employed in Engineering or Administrative duties in an Engineering Department of the Govt. of India is allowed to work as a contractor for a period of two years of his date of retirement from Govt. Service, without the previous permission of the Govt. of India. This contract is liable to be cancelled if either the contractor or any of his employees is found at any time to be such a person who had not obtained the permission of the Govt. of India as aforesaid before submission of the tender or engagement in the contractor's service.

22. निर्माण कार्यों की निविदाएँ, निविदाओं के खुलने की तारीख से————————दिन की अवधि तक स्वीकृति के लिए खुली रहेंगी। यदि कोई ठेकेदार उक्त अवधि से पहले अपनी निविदा वापस ले लेता है जो विभाग को स्वीकार्य नहीं है तो सरकार किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त अग्रिम धन से 10% (दस प्रतिशत) की दर से जब्त कर लेने के लिए स्वतंत्र होगी।

22. The tender for the work shall remain open for acceptance for a period of ———— days from the date of opening the tenders. If any tenderer withdraws his tender before the said period or makes any modifications in the terms and conditions of the tender which are not acceptable to the Department, then the Govt. shall without prejudice to any other right or remedy, be at liberty to forfeit 10% (ten percent) of the said earnest money.

23. जिन ठेकेदारों को किसी विशेष मामले में अग्रिम धन प्रतिभूति निक्षेप देने से छूट दी गई हो उन्हें मंडल/शाखा अधिकारी के उस पत्र की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी चाहिए जिसके अन्तर्गत उन्हें अग्रिम धन और प्रतिभूति निक्षेप देने से छूट मिली हो और जब कभी उनसे मूल प्रति मांगी जाए उन्हें पेश करनी चाहिए।

23. The contractors exempted from payment of earnest money/security deposit in cases should attach with the tender an attested copy of the Circle/Branch Officer letter exempting them from the payment of earnest money and security deposit and should produce the original whenever called upon to do so.

24. कार्य की निविदा में कोई भी ऐसा या ऐसे ठेकेदार साक्षी नहीं होगा/होंगे जिसने स्वयं उसी काम के लिए निविदा दी हो या जो उसी काम के लिए निविदा दे सकते हों। इस शर्त के पालन न किये जाने पर निविदा देने वाले या निविदा के साक्षी होने वाले ठेकेदारों की निविदाएं संक्षिप्ततः नामंजूर कर दी जाएंगी।

24. The tender for the work shall not be witnessed by a contractor or contractors who himself/themselves has/have tendered or who may have tendered for the same work. Failure to observe this condition would render the tenders of the contractors tendering as well as witnessing the tender liable to summary rejection.

25. संयुक्त निर्माण कार्य की निविदा में भवन निर्माण, स्वच्छता प्रदाय एवं जल निकास संस्थापनाएं विद्युत साज-समान लगाने के कार्य और उद्यान कृषि कार्य सम्मिलित हैं।

25. The tender for the composite work includes the building work, sanitary, water supply and drainage installations, Electrical works and Horticulture work.

26. निविदाकार को वर्ग II (भवन तथा मार्ग) के ठेकेदार होने के अतिरिक्त स्वयं समुचित वर्ग के उन अभिकरणों के साथ संपर्क रखना चाहिए जो स्वच्छता, जल प्रदाय एवं जल निकास संबंधी संस्थापना के लिए निविदा दे सकें।

26. The tenderer apart from being a class II (B&R) contractor must associate himself with the agencies of the appropriate class which are eligible to tender for Sanitary, Water Supply and drainage installations.

27. ठेकेदार निम्नलिखित प्ररूप में अपने हाथ में लिए गये (चालू हालत में) कार्यों की सूची प्रस्तुत करेंगे ।

निर्माण कार्य का नाम	मंडल/शाखा का नाम तथा विवरण जहां निर्माण कार्य किया जा रहा है	निर्माण कार्य की रकम	चालू निर्माण कार्य की रकम	अभि-युक्तियां
1	2	3	4	5

28. मद दर निविदा में ठेकेदारों को अंकों और शब्दों में दी गई दरों को शुद्ध-शुद्ध भरना चाहिए ताकि अंकों और शब्दों में लिखी दरों में अन्तर न आए । तथापि, यदि अन्तर दिखाई पड़े तो ठेकेदार द्वारा कलित राशि से मिलती-जुलती दर को शुद्ध माना जाएगा ।

29. यदि ठेकेदार ने किसी एक मद की राशि का कलन न किया हो अथवा वह राशि अंकों अथवा शब्दों में लिखी दर के अनुरूप न हो तो ठेकेदार द्वारा शब्दों में दी गई दर को शुद्ध माना जाएगा ।

30. यदि ठेकेदार द्वारा अंकों और शब्दों में दी गई दरें आपस में मिलती हैं किन्तु कलन शुद्धतापूर्वक न किया गया हो, तो ठेकेदार द्वारा दी गई दर ठीक मानी जाएगी न कि उसकी राशि ।

31. ठेकेदार को अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के उपबन्धों और उसके अधीन समय-समय पर जारी नियमों और आदेशों का अनुपालन करना होगा, यदि वह ऐसा करने में असमर्थ होगा तो उसकी यह असमर्थता संविदा भंग मानी जाएगी और मंडल शाखा अधिकारी स्वविवेक से संविदा रद्द कर सकते है । इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के उल्लंघन के फलस्वरूप उत्पन्न धन-संबंधी देयताओं के लिए ठेकेदार ही उत्तरदायी होगा ।

टिप्पणी.—निविदा आमंत्रण सूचना के हिन्दी और अंग्रेजी पाठ के निर्वचन में यदि किसी प्रकार की भिन्नता हो तो अंग्रेजी पाठ का निर्वचन अन्तिम और आवद्धकारी होगा ।

मंडल/शाखा अधिकारी के हस्ताक्षर

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उस की ओर से

27. The contractor shall submit list of works in hand (Progress) in the following form :—

Name of work	Name and particulars of Circle/ Branch where work is being executed	Amount of work	Position of work in progress	Remarks
1	2	3	4	5

28. Rates quoted by the contractor in item rate tender in figures and words shall be accurately filled in so that there is no discrepancy in the rates written in figures and words. However, if a discrepancy is found, the rates which correspond with the amount worked out by the contractor shall be taken as correct.

29. If the amount of an item is not worked out by the contractor or it does not correspond with the rate written either in figures or in words then the rate quoted by the contractor in words shall be taken as correct.

30. Where the rates quoted by the contractor in figures and in words tally but the amount is not worked out correctly the rate quoted by the contractor will be taken as correct and not the amount.

31. The contractor shall comply with the provisions of the Apprentices Act, 1961, and the rules and orders, issued thereunder from time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of the contract and the Circle/Branch Officer may in his discretion cancel the contract. The contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the provisions of the Act.

NOTE.—In case of any discrepancy between the Hindi and English version of Notice Inviting Tenders, the English version shall be final and binding.

Signature of Circle/Branch Officer

for and on behalf of the President of India

राज्य
State

शाखा
Branch

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

मंडल/शाखा
Circle/Branch

निर्माण कार्य के लिए प्रतिशत दर निविदा एवं संविदा
Percentage Rate Tender & Contract for works

उप-मंडल
Sub-Circle

(पुरातत्व निर्माण संहिता–पै०सं० 13.4.3)
(A. W. Code—Para 13.4.3)

सामान्य नियम एवं निदेश
GENERAL RULES AND DIRECTIONS

टिप्पणी.—निविदा दस्तावेज के हिंदी एवं अंग्रेजी भाषान्तर में यदि किसी प्रकार की भिन्नता हो तो अंग्रेजी पाठ अंतिम एवं आबद्धकारी होगा ।

1. ठेकेदार द्वारा कराये जाने के लिए प्रस्तावित सभी निर्माण कार्यों की सूचना निविदा आमंत्रण के प्ररूप में की जाएगी और उसे सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाई जाएगी और इस पर मंडल/शाखा अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे ।

इस प्ररूप में किये जाने वाले निर्माण कार्य के विवरण के अतिरिक्त निविदा देने और खोलने की तारीख, कार्य को पूरा करने के लिए अनुज्ञात समय, निविदा के साथ जमा किये जाने वाले अग्रिम धन की राशि और सफल निविदा-दाता द्वारा जमा कराये जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप की राशि तथा सफल निविदादाता के बिलों से काटे जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिशत, यदि कोई हो का विवरण होगा । विनिर्देशनों, डिजाइनों एवं आरेखन तथा मात्राओं की अनुसूची की प्रतियां और विभिन्न प्रकार के कार्यों की मात्राओं और उनकी दरों की अनुसूची तथा कार्य के संबंध में अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज भी मंडल/शाखा अधिकारी के कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान ठेकेदार द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी ।

2. यदि निविदा किसी फर्म द्वारा दी जाती है तो वह उस फर्म के हर एक भागीदार द्वारा पृथकतः हस्ताक्षरित की जानी चाहिए या किसी भागीदार की अनुपस्थिति में उसकी ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की

Note.—In case any discripancy between the Hindi & English version of tender documents, the English Version shall be final and binding.

1. All works proposed for execution will be notified in a form of invitation to tender, posted in public places, and signed by the Circle/Branch Officer.

This form will state the work to be carried out as well as the date for submitting and opening tenders and the time allowed for carrying out the work; and the amount of earnest money to be deposited with the tender and the amount of the Security deposit to be deposited by the successful tenderer and the percentage if any at which the Security deposit shall be deducted from the bills of the successful tenderer. Copies of the specifications, designs and drawing and schedule of quantities and of rates of the various descriptions of work and any other documents required in connection with the work signed for the purpose of identification by the Circle/Branch Officer shall also be open for inspection by the contractor at the office of the Circle/Branch Officer during office hours.

2. In the event of the tender being submitted by a firm it must be signed separately by each partner/member thereof or in the event of the absence of any partner it must be signed

जानी चाहिए जिसके पास उसे ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करनेवाला मुख्तारनामा हो। ऐसा मुख्तारनामा निविदा के साथ पेश किया जाएगा और उससे यह प्रकट होना चाहिए कि फर्म भारतीय भागीदारी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ।

on his behalf by a person hoding a power-of-attorney authorising him to do so. Such power-of-attorney has to be produced with the tender and it must disclose that the firm is duly registered under the Indian Partnership Act.

3. किसी फर्म द्वारा निष्पादित कार्य के बारे में किए गए संदायों की पावतियां भी विभिन्न भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए किंतु जहाँ ठेकेदार अपनी निविदा में फर्म के रूप में वर्णित है, वहां पावतियां किसी एक भागीदार द्वारा या फर्म के लिए प्रभावी पावतियां देने के प्राधिकार रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फर्म के नाम में हस्ताक्षरित की जानी चाहिए।

3. Receipts for payments made on account of work when executed by a firm must also be signed by the several partners except where the contracts are described in their tender as a firm in which case the receipts must be signed in the name of the firm by one of the partners or by some other person having authority to give effectual receipts for the firm.

4. कोई व्यक्ति जो निविदा देता है साधारण मुद्रित प्ररूप को भरेगा जिसमें वह बताएगा कि वह नियम 1 में विनिर्दिष्ट प्राक्कलित दरों से कितने प्रतिशत अधिक या कम पर कार्य को लेने के लिए रज़ामंद है। सभी प्राक्कलित दरों/अनुसूचित दरों से अधिक या कम प्रतिशतता की केवल एक दर कथित की जाएगी। ये निविदाएं, जो निविदा के लिए आमंत्रण के उक्त प्ररूप में विनिर्दिष्ट कार्य में, या कार्य करने के लिए अनुज्ञात समय में किसी परिवर्तन की प्रस्थापना कर या जिनमें किसी प्रकार की अन्य शर्तें हों अस्वीकार की जा सकती है। किसी एक निविदा के अंतर्गत एक से अधिक कार्य नहीं होंगे किंतु जो ठेकेदार दो या अधिक कार्यों के लिए निविदा देना चाहते हैं, वे हर एक के लिए पृथक् निविदा देंगे। लिफाफे के ऊपर निविदाओं से संबंधित कार्य का नाम और उनका संख्यांक लिखा होगा।

4. Any person who submits a tender shall fill up the usual printed form stating at how much percent. above or below the estimated rates specified in Rule 1 he is willing to undertake the work. Only one rate of percentage more or less at the estimated rates/scheduled rates shall be named. Tenders which propose any alteration in the work specified in the said form of invitation to tender or in the time allowed for carrying out the work or which contain any other conditions of any sort will be liable to rejection. No single tender shall include more than one work but contractors who wish to tender for two or more works shall submit a separate tenders for each work. Tenders shall have the name and number of the work to which they refer written outside the envelope.

4-(क). दरें (दरों) और/या रकम (रकम) दाशमिक सिक्का प्रणाली में दी जानी चाहिए।

4-A. The rate(s) and/or amount(s) must be quoted in decimal coinage.

5. मंडल/शाखा अधिकारी या उसका सम्यक रूप से प्राधिकृत सहायक निविदाओं को किन्हीं ऐसे ठेकेदारों की उपस्थिति में खोलेगा जो ठेका लेने का विचार रखते हों और उस समय वह उपस्थित हों और पृथक-पृथक निविदाओं की रकम को उपयुक्त प्ररूप में एक तुलनात्मक विवरण में दर्ज करेगा। किसी निविदा के स्वीकार किए जाने की दशा में उसके साथ भेजे गए अग्रिम धन की पावती ठेकेदार को दे दी जाएगी जो नियम में उल्लिखित विनिर्देशों और अन्य दस्तावेजों की प्रतियों पर पहचान के प्रयोजन के लिए हस्ताक्षर करेगा। किसी निविदा के अस्वीकार किए जाने की दशा में, ऐसी अस्वीकृत निविदा के साथ भेजा गया अग्रिम धन उसको भेजने वाले ठेकेदार को वापस कर दिया जाएगा।

5. The Circle/Branch Officer or his duly authorised officer will open tenders in the presence of any intending contractors who may be present at the time and will enter the amount of the several tenders in a Comparative Statement in a suitable form. In the event of a tender being accepted a receipt for the earnest money forwarded therewith shall thereupon be given to the contractor who shall thereupon for the purpose of identifications sign copies of the specifications and other documents mentioned in Rule 1. In the event of a tender being rejected the earnest money appended with such unaccepted tender shall thereupon be returned to the contractor remitting the same.

6. निविदाएं आमंत्रित करने वाले अधिकारी को सभी निविदाओं या उनमें से किन्हीं को अस्वीकार करने का अधिकार होगा, और वह निम्नतम निविदा को स्वीकार करने के लिए आबद्ध नहीं होगा।

7. ठेकेदार द्वारा संदत्त किए गए धन के लिए लेखापाल या लिपिक की पावती मंडल/शाखा अधिकारी को संदाय की अभिस्वीकृति नहीं मानी जाएगी, और ठेकेदार मंडल/शाखा अधिकारी या सम्यक रूप से प्राधिकृत आदान तथा संवितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पावती अभिप्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा।

8. जिस कार्य के लिए निविदा दी जाती है उसका ज्ञापन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की अनुसूची और उनकी निर्गम दरें, निविदा प्ररूप जारी करने से पूर्व मंडल/शाखा अधिकारी के कार्यालय में पूरी तौर से भरी जाएं यदि निविदा करने का विचार रखने वाले किसी निविदाकार को इस प्रकार भरे एवं पूर्ण किए बिना प्ररूप जारी कर दिया जाए तो वह अपनी निविदा पूरी करने और परिदत्त करने से पूर्व कार्यालय से ऐसा करवा लेने के लिए निवेदन करेगा।

9. निविदादाताओं को, निर्माण कार्य के संबंध में प्रदत्त निविदा प्रलेखों, नक्शों अथवा अन्य अभिलेखों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित घोषणा देनी होगी। असफल निविदाताओं को उन्हें दिये गये सभी नक्शे वापस करने होंगे।

घोषणा-पत्र

मैं/हम एतद्‌द्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम निर्माण कार्य से संबंधित निविदा-प्रलेखों, नक्शों और अन्य अभिलेखों को गुप्त/गोपनीय प्रलेख समझूंगा/समझेंगे और मैं/हम उनके प्राप्त सूचना किसी ऐसे व्यक्ति को संप्रेषित नहीं करूंगा/करेंगे जिसे संप्रेषित करने के लिए मैं/हम प्राधिकृत नहीं हूं/हैं अथवा उस सूचना का प्रयोग इस प्रकार नहीं करूंगा/करेंगे जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल होगा।

ठेकेदार

कार्यों के लिए प्रतिशत दर निविदा

अंकों और शब्दों में

मैं/हम अधोलिखित ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्य को ऐसे ज्ञापन में विनिर्दिष्ट समय के अंदर..............रु० अंकों एवं शब्दों में (..................रुपये)

6. The Officer inviting tenders shall have the right of rejecting all or any of the tenders and will not be bound to accept the lowest tender.

7. The receipt of a Head Clerk, UDC or a clerk for any money paid by the contractor will not be considered as an acknowledgement of payment to the Circle/Branch Officer and the contractor shall be responsible for seeing that he procures a receipt signed by the Circle/Branch Officer or a duly authorised D.D.O.

8. The memorandum of work tendered for and the scheduled of materials to be supplied by the Archaeological Survey of India and their issue rates shall be filled in and completed in the office of the Circle/Branch Officer before the tender form is issued. If a form is issued to an intending tenderer without having been so filled in and not in complete form he shall request the office to have this done before he completes and delivers his tender.

9. The tenderers shall sign a declaration under the Official Secret Act for maintaining secrecy of the tender documents, drawings or other records connected with the work given to them. The unsuccessful tenderers shall return all the drawings given to them.

DECLARATION

I/We hereby declare that I/We shall treat the tender documents, drawings and other records connected with the work as secret/confidential documents and shall not communicate information/derived therefrom to any person other than a person to whom I/We am/are authorised to communicate the same or use the inforamtion in any manner prejudicial to the safety of the state.

CONTRACTOR

Percentage/Rate tender for works

In figures as well as in words.

I/We hereby tender for the execution for the President of India of the work specified in the underwritten memorandum within the time specified in such memorandum at an amount of *Rs............ (Rupees...........)

की रकम पर अर्थात् नियम 1 में वर्णित अनुसूची में दर्ज दरों से..................... प्रतिशत कम/अधिक पर और सभी प्रकार से इसके नियम 1 में तथा ठेके की शर्तों के खंड 11 में विनिर्दिष्ट विनिर्देशों, डिजाइनों आरेखनों और लिखित अनुदेशों के अनुरूप तथा यथा-उपबंधित सामग्री से और सभी बातों में इन शर्तों के, जहां तक वे लागू हों, अनुसार भारत के राष्ट्रपति के लिए निष्पादित करने के लिए इसके द्वारा निविदा करता हूँ/करते हैं। मैं/हम एतद्द्वारा करार करता हूँ/करते हैं कि ऊपर वर्णित प्रतिशत पर किए गए कार्य के बिलों की कुल रकम में से काट ली जाए या उसमें जोड़ दी जाए।

i.e............ per cent, below/above the rates entered in the Schedule mentioned in Rule 1 and in accordance in all respects with the specifications, designs, drawings and instructions in writing referred to in Rule 1 hereof and in clause 11 of the conditions of contract and with such materials as are provided for and in all other respects in accordance with such conditions so far as applicable. I/We hereby agree to the percentage mentioned above being deducted from/added to the gross amount of the bills for work done.

ज्ञापन

	रु०
(क) साधारण वर्णन . .	....
(ख) प्राक्कलित लागत . .	....
(i) ईमारती काम . .	......
(ii) स्वच्छता संस्थापनाएं, जल-संभरण और जल निकास	......
योग .	
(ग) अग्रिम धन . .	......
(घ) प्रतिभूति निक्षेप . .	......

(i) 1 लाख रुपये तक की लागत के कार्य की दशा में, निविदा किए गए कार्य की प्राक्कलित लागत का 10 प्रतिशत,

(ii) 1 लाख रुपये से अधिक और 2 लाख रु० तक की लागत की दशा में प्रथम 1 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत और शेष पर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत, और

(iii) 2 लाख रुपये से अधिक की लागतवाले कार्य की दशा में प्रथम 1 लाख रुपये पर, 10% दूसरे 1 लाख रुपये पर $7\frac{1}{2}$% और अतिशेष पर 5% तक किंतु अधिकतम 1 लाख रुपये तक होगी।

प्रतिभूति निक्षेप ठेकेदारों के चालू बिलों में से उपरि-वर्णित दरों से काट कर जमा किया जाएगा और निविदा के समय यदि अग्रिम धन नगद रुप में जमा किया गया हो तो इसे प्रतिभूति निक्षेप का एक भाग माना जाएगा। प्रतिभूति निक्षेप निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया जाएगा :—

(1) नगद

(2) बचत पत्र और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के स्टाक प्रमाण पत्र।

Memorandum

	Rs.
(a) General description	
(b) Estimated cost—	
(i) Building work	
(ii) Sanitary installations, water supply & drainage	
Total	
(c) Earnest Money	
(d) Security Deposit—	

(i) In the case of works costing upto Rs. 1 lakh 10% of the estimated cost of the work put to tender;

(ii) In case of works costing more than Rs. 1 lakh, and upto Rs. 2 lakhs 10% on the first 1 lakh and 7½% on the balance;

(iii) In the case of works costing more than 2 lakhs, 10% on the first Rs. 1 lakh, 7½% on the next Rs. 1 lakh and 5% on the balance, subject to a maximum of Rs. 1 lakh only.

The Security Deposit will be collected by deductions from the running bills of the contractor at the rates mentioned above and the earnest money if deposited in cash at the time of tender will be treated as part of Security Deposit. The Security deposit will also be accepted in :—

(1) Cash

(2) Promissary notes and stock certificates of Central Government or State Governments.

(3) पोस्ट आफिस के नकद प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, खजाना बचत प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाण पत्र।

(4) पोस्ट आफिस के बचत बैंक के पास बुक।

(5) नगद ऋण पत्र या पत्तन प्रबंध के बांड।

(6) इस उद्देश्य से सरकार द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त बैंकों की जमा रसीद।

(च) प्रारंभ करने के लिए दिये गये लिखित आदेश की तारीख के पश्चात् 15 वें दिन से कार्य के लिए स्वीकृत समय....................मास।

यदि यह निविदा पूर्णतः या अंशतः स्वीकार कर ली जाए तो मैं/हम द्वारा (i) इसमें संलग्न उक्त शर्तों एवं उपबंधों तथा निविदा आमंत्रण सूचना में अंतर्विष्ट उपबंधों के, वहां तक जहां तक लागू हों, के अनुपालन और पूरा करने में और उसके व्यतिक्रम की दशा में उक्त शर्तों में वर्णित धनराशि को भारत के राष्ट्रपति या उसके पदोत्तरवर्ती के पक्ष में जब्त करने और भुगतान करने का करार करता हूं/करते हैं।................ रुपये की राशि नकद/खजाना चालान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गारंटीशुदा अनुसूचित बैंक की मांग पर जमा की रसीद के रूप में अग्रिम धन के तौर पर इसके साथ भेजी जा रही है। यदि मैं/हम उपर्युक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट निर्माण कार्य प्रारंभ करने में असफल रहूं/रहे तो मैं/हम इस बात के लिए सहमत हूं/सहमत है कि उक्त राष्ट्रपति या पदोत्तरवर्ती, किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त अग्रिम धन को पूर्ण रूप से समपहृत करने के लिए स्वतंत्र होंगे, अन्यथा उक्त अग्रिम धन उपरिवर्णित ज्ञापन के खंड (घ) के सामने उल्लिखित प्रतिभूति निक्षेप हेतु उसके द्वारा प्रतिधारित रखा जाएगा, (ii) निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट सभी कार्यों को उनमें अंतर्विष्ट या निर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों पर निष्पादित करने और निविदा दस्तावेज में उद्धृत दरों पर ऐसे परिवर्तनों का, जिनके लिए आदेश किया जाए अधिकतम ....प्रतिशत तक, और उस सीमा से अधिक परिवर्तनों की दशा में निविदा-प्ररूप के उस खंड 12-क में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अवधारित की जाने वाली दरों पर पूरा करने का करार करता हूँ/करते हैं

अग्रिम धन के संदाय से छूट

मैं/हम भारत के राष्ट्रपति को अग्रिम धन के बदले में प्रतिभूति पहले ही दे चुका हूं/चुके हैं और महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली के प्रमुख इंजीनियर के पास अलग-अलग मामलों में 5,000 रु०/7,500 रुपये/

(3) Post office cash certificates, National Saving Certificates, Treasury Saving Certificates and National Plan Saving certificates.

(4) Post office Savings Bank Pass Book.

(5) Municipal Debentures or Port Trust Bonds.

(6) Deposit receipts of recognised banks approved by Govt. for the purpose.

(e) Time allowed for the work from the 15th day after the date of written order to commence...........month(s)

Should this tender be accepted in whole or in part I/We hereby agree (i) to abide by and fulfil all the terms and provision of the said conditions annexed hereto and all the terms and provisions contained in notice inviting tenders so far as applicable and/or in default thereof to forfeit and pay to the President of India or his successors in office the sum of money mentioned in the said conditions. A sum of Rs. .... is hereby forwarded in Cash/Treasury Challan Deposit at call receipt of a Scheduled Bank guaranteed by the Reserve Bank of India as earnest Money. If I/We fail to commence the work specified in the above Memorandum I/We agree that the said President or his successors in office shall without prejudice to any other right or remedy be at liberty to forefeit the said Earnest Money absolutely, otherwise the said earnest money shall be retained by him towards Security Deposit mentioned against Clause (d) of the above mentioned Memorandum; (ii) to execute all the works referred to in the tender documents upon the terms and conditions contained or referred to therein and to carry out such deviations as may be ordered upto a maximum of........... per cent. at the rates quoted in the tender documents and those in excess of that limit at the rates to be determined in accordance with the provisions contained in Clause 12A of the tender form.

Exemption from the Payment of Earnest Money

I/We have already furnished security to the President of India in lieu of earnest money and have deposited with Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi a lump sum security of Rs. 5000/-, Rs. 7,500/-,

10,000रु०/20,000 रु० की एक मुश्त प्रतिभूति अग्रिम धन के रूप में निक्षिप्त कर चुका हूं/चुके हैं। अतः मैं/हम कार्य की उपयुक्त निविदा की बाबत अग्रिम धन निक्षिप्त करने की आवश्यकता के संबंध में, मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित बंधपत्र संख्या ....तारीख.......19..........के निबंधनों के अनुसार छूट का दावा करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम अलग अलग मामलों में मेरे/हमारे चालू बिलों में से कटौती की जाने वाली प्रतिभूति रकम के बदले में भारत के राष्ट्रपति को 3 लाख रुपये की एक मुश्त प्रतिभूति पहले ही दे चुका हूं/चुके हैं और उस रकम को महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली के प्रमुख इंजीनियर के पास निक्षिप्त कर चुका हूँ/चुके हैं, अतः मैं/हम कार्य की उपयुक्त निविदा की बाबत अग्रिम धन निक्षिप्त करने की आवश्यकता के संबंध में, मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित बंध-पत्र संख्या .... तारीख ....19...... के निबंधनों के अनुसार छूट का दावा करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम इस बात के लिए सहमत हूं/हैं कि यदि मैं/हम उपयुक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्य को प्रारंभ करने में असफल रहूं/रहें तो निविदा आमंत्रण के प्ररूप में उल्लिखित अग्रिम धन की रकम के बराबर रकम भारत के राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से समपहृत हो जाएगी और भारत के राष्ट्रपति के विकल्प पर निक्षेप में से, वहां तक जहां तक बंध-पत्र के निबंधनों के अनुसार उनका विस्तार हो, और कम पड़ने की दशा में मुझे/हमें देय किसी अन्य धनराशि में से या अन्यथा वसूल की जा सकेगी।

तारीख......दिन.....19 *हस्ताक्षर

†साक्षी

पता

पेशा

मैं भारत के राष्ट्रपति की ओर से.........रुपये की उपर्युक्त निविदा को जो........(अनुसूची) ....पर आधारित............. रुपये की अनुमानित लागत से........../अधिक/ नीचे हैं, इसके द्वारा स्वीकार करता हूं।

तारीख......दिन......19 ‡हस्ताक्षर

---

*निविदा देने से पहले ठेकेदार का हस्ताक्षर।

†ठेकेदार के हस्ताक्षर के साक्षी का हस्ताक्षर।

‡निविदा स्वीकार करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर।

Rs. 10,000/-, Rs. 20,000/- as earnest money in individual cases and I/We therefore claim exemption in terms of the bond executed by me/us and bearing no. .... dated the .... day of ...19... against the necessity of depositing earnest money in respect of the above tender for work.

I/We have already furnished to the President of India a lump sum security of Rs. 3 lakhs in lieu of the security amount to be deducted from my/our running bills in individual cases and have deposited that amount with the Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi and I/We therefore claim exemption in terms of the bond executed by me/us and being No. .... dated the .... day of .... 19... against the necessity of depositing security money in respect of the above tender for work.

I/We agree that should I/We fail to commence the work specified in the above memorandum an amount equal to the amount of the earnest money mentioned in the form of invitation of tender shall be absolutely forfeited to the President of India and the same may at the option of the President of India be recovered out of the deposit in so far as the same may extend in terms of the said Bond and in the event of deficiency out of any other moneys due to me/us or otherwise.

dated the...........day of...........19 *Signature

†Witness:

Address:

Occupation:

The above tender for a sum of Rs....................... (Rupees)....................which.................... %above/ below the estimate cost of Rs....................based on ....(Schedule)..........................is hereby accepted by me (Designation of officer).................... on behalf of the President of India.

Dated the ....day of.........19 ‡Signature......

---

*Signature of contactor before submission of tender.

†Signature of withness of contractor's signature.

‡Signature of the officer by whom accepted.

ठेके की शर्तें

परिभाषाएं

(1) "ठेके" से निविदा और उसकी स्वीकृति तथा भारत के राष्ट्रपति और ठेकेदार के बीच निष्पादित औपचारिक करार की दस्तावेजें और उसके साथ उसमें निर्दिष्ट दस्तावेज अभिप्रेत है जिनके अंतर्गत ये शर्तें विनिर्देश, डिजाइनों, रेखांकन और मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदेश भी हैं, और ये सभी दस्तावेजें एक साथ मिलकर एक ठेका मानी जाएंगी और एक दूसरे की पूरक होंगी।

(2) ठेके में निम्नलिखित पदों के, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वे अर्थ होंगे जो उनमें इसके द्वारा क्रमशः दिए गए हैं :

(क) "निर्माण कार्य" या "कार्य" पद का अर्थ, जब तक कि विषय या संदर्भ में ऐसे अर्थ के विरुद्ध कोई बात न हो, किए गए ठेके द्वारा या उसके आधार से किए जाने वाला कार्य होगा और माना जाएगा चाहे वे अस्थायी या स्थायी हों, और चाहे वे मूल, परिवर्तित, प्रतिस्थापित या अतिरिक्त हों।

(ख) "स्थल" से अभिप्रेत है वह भूमि और/या अन्य स्थान जिस पर, जिसमें या जिसके माध्यम से ठेके के अधीन कार्य निष्पादित किया जाना है या कोई पार्श्वस्थ भूमि, पथ या मार्ग जिसके माध्यम से ठेके के अधीन कार्य निष्पादित किया जाना है या कोई पार्श्वस्थ भूमि, पथ या मार्ग जो ठेके को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए आवंटित या प्रयुक्त किया जाए। जहाँ भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यह आवश्यक समझा जाए, पद "स्थल" में प्राचीन संस्मारक के "स्थल" सम्मिलित होगा। जैसे स्थल की परिभाषा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 में दी गई है।

(ग) "ठेकेदार" से ऐसा व्यक्ति या फर्म या कंपनी, चाहे वह निर्गमति हो या नहीं अभिप्रेत है जो कार्य का भार अपने ऊपर ले और इसके अंतर्गत विधिक वैयक्तिक प्रतिनिधि या ऐसी फर्म या कंपनी गठित करने वाले व्यक्ति या ऐसी फर्म या कंपनी के उत्तराधिकारी और ऐसे व्यक्ति या फर्म या फर्मों या कंपनी के अनुज्ञात समनुदेशिती भी होंगे।

CONDITIONS OF CONTRACT

Definitions

(1) The 'Contract' means the documents forming the tender and acceptance thereof and the formal agreement executed between the President of India and the Contractor together with the documents referred to therein including the conditions, the specifications, designs, drawings and instructions issued from time to time by the Circle/Branch Officer and all these documents taken together shall be deemed to form one contract and shall be complementary to one another.

(2) In the contract the following expression shall unless where the context otherwise requires, have the meanings hereby respectively assigned to them.

(a) The expression 'Works' or 'Work' shall unless there be something either in the subject or context repugnant to such construction be construed and taken to mean the works by or by virtue of the contract contracted, to be executed whether temporary or permanent and whether original, altered, substituted or additional.

(b) The 'Site' shall mean the land and/or other place or, into or through which work is to be executed under the contract or any adjacent land, path or street through which work is to be executed under contract or any adjacent land, path or street which may be allotted or used for the purpose of carrying out the contract wherever it is considered necessary by the A.S.I. the term site may also include the site of an ancient monument as defined in A.M.&A.S. & Remains Act 1958.

(c) The 'Contractor' shall mean the individual or firm or company whether incorporated or not undertaking the works and shall include the legal personal representatives or such individuals or the persons composing such firm or company or the successors of such firm or company and the permitted assignees of such individual or firm or company.

(घ) "राष्ट्रपति" से भारत के राष्ट्रपति और उनके पदोन्नरवर्ती अभिप्रेत है।

(च) मंडल/शाखा अधिकारी से, यथास्थिति अधीक्षक पुरातत्वविद् या उसके समकक्ष स्तर का मंडल या शाखा का प्रभारी अधिकारी अभिप्रेत है जो कार्य का प्रभारी होगा और जो भारत के राष्ट्रपति की ओर से ठेके पर हस्ताक्षर करेगा।

(छ) "सरकार" या "भारत सरकार" से भारत के राष्ट्रपति अभिप्रेत है।

(ज) महानिदेशक में अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक और निदेशक (संरक्षण) सम्मिलित है।

एकवचन का बोध कराने वाले शब्दों के अंतर्गत बहुवचन और बहुवचन के अंतर्गत एकवचन निहित है।

अग्रिम धन

खण्ड 1. जिस व्यक्ति/जिन व्यक्तियों की, (जिसे/जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "ठेकेदार" कहा गया है) निविदाएं स्वीकार हो जाएं वह/वे ठेके के अधीन किए गए किसी कार्य के लिए उसके/उनके किसी संदाय के किए जाने के समय सरकार को ऐसी राशि की कटौती करने के लिए अनुज्ञात करेगा/करेंगे जो अग्रिम धन के रूप में पहले ही निक्षिप्त राशि के साथ मिलकर निम्नलिखित के बराबर होगी :—

(i) 1,00,000 रुपये तक की लागत वाले कार्य की दशा में, निविदत्त कार्य की प्राक्कलित लागत का 10 प्रतिशत,

(ii) 1,00,000 रुपये से अधिक और 2,00,000 रुपये तक की लागत वाले की दशा में प्रथम 1,00,000 रुपये पर 10 प्रतिशत और अतिशेष पर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत, तथा

(iii) 2,00,000 रुपये से अधिक की लागत वाले कार्य की दशा में प्रथम 1,00,000 रुपये पर 10 प्रतिशत, दूसरे 1,00,000 रुपये पर $7\frac{1}{2}$/और अतिशेष पर 5 प्रतिशत तक किन्तु अधिकतम 1,00,000 रुपये तक होगी।

सिवाय उस दशा के जिसमें कि वह/वे अलग-अलग मामलों में प्रतिभूति निक्षेप के संदाय से छूट प्राप्त है/या उसने/उन्होंने ऊपर वर्णित दर पर प्रतिभूति की रकम नगद या सरकारी प्रतिभूतियों या सावधि निक्षेप पावतियों या किसी अनुसूचित बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के प्रत्याभूत बंधपत्रों के रूप में निक्षिप्त कर दी है। यदि प्रतिभूति

(d) The 'President' means the President of India and his successors.

(e) The Circle/Branch Officer means the Superintending Archaeologist or an officer of the equivalent or higher rank incharge of a Circle or a Branch as the case may be, who shall be in charge of the work and who shall sign the contract on behalf of the President.

(f) 'Government' or 'Government of India' shall mean the President of India.

(g) The term Director General includes, Additional Director General, Joint Director General and Director (Conservation).

Words imparting the singular number include the plural number and vice versa.

Security Deposit

CLAUSE 1. The person/persons whose tender(s) may be accepted (hereinafter called the 'contractor') shall permit Government at the time of making any payment to him for work done under the contract to deduct such sum as along with the sum already deposited as earnest money will amount to :—

(i) in the case of works costing upto Rs. 1,00,000/- to 10% of the estimated cost of the work put to tender;

(ii) in the case of works costing more than Rs. 1,00,000 and upto Rs. 2,00,000 to 10% of the first. Rs. 1,00,000 and $7\frac{1}{2}$% on the balance, and

(iii) in the case of works costing more than Rupees 2,00,000 to 10% on the first Rs. 1,00,000, $7\frac{1}{2}$% on the next Rs. 1,00,000 and 5% on the balance, subject to a maximum of Rs. 1,00,000 only.

Unless he is/they are exempted from payment of Security Deposit in individual cases or has/have deposited the amount of Security at the rate mentioned above in cash or in the form of Govt. Securities or Fixed Deposit Receipt or Guarantee Bonds of any Scheduled Bank or the State Bank of India. In case a

निक्षेप के भाग के रूप में किसी बैंक की सावधि निक्षेप पावती ठकेदार द्वारा सरकार को दी जाती है और बैंक का परिसमापन हो जाता है या किसी कारण से वह उक्त सावधि निक्षेप पावती के आधार पर संदाय करने में असमर्थ है, तो उससे हुई हानि ठकेदार पर पड़ेगी और ठेकेदार उस कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति मांग किये जाने पर तत्क्षण सरकार को देगा ।

ऐसी कटौतियां सरकार द्वारा प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखी जाएगी । परन्तु सर्वदा यह कि सरकार इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक चालू बिल की रकम का 10 % (दस प्रतिशत) तब तक वसूल करने की हकदार होगी जब तक कि तिभूति निक्षेप की रकम का अतिशेष प्राप्त नहीं कर लिया जाता । इस के ठेके निबन्धनों के अधीन ठेकेदार द्वारा संदेय सभी प्रतिकर या अन्य धन-राशियां उसके प्रतिभूति निक्षेप से या उससे होने वाले ब्याज से, या ऐसी राशियों से जो किसी भी कारण से सरकार द्वारा ठकेदार को देय हों या हो जाएं का ी जा सकेंगी या प्रतिभूति निक्षेप के पर्याप्त भाग के विक्रय द्वारा संदत्त की जा सकेगी, और किन्हीं ऐसी कटौतियों या यथापूर्वोचित विक्रय के कारण उसके तिभूति निक्षेप के कम हो जाने की दशा में, ठेकेदार 10 दिन के भीतर नकद या भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में निष्पादित प्रत्याभूति बंध-पत्रों के रूप में या भारतीय स्टेट बैंक द्वारा या अनुसूचित बैंकों द्वारा निविदत्त सावधि निक्षेप पावती के रूप में (अनुसूचित बैंकों द्वारा प्रस्थापित प्रत्याभूति की दशा में रकम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित वित्तीय सीमा के अन्दर होंगी) या मंडल शाखा अधिकारी के पक्ष में पृष्ठांकित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में (यदि 12 मास से अधिक के लिए निक्षिप्त की गई हों), किसी राशि या राशियों को, जो उसकी प्रतिभूति निक्षप से या उसके किसी भाग से कटौती की गई हो या विक्रय से ली गई हों, पूरी करेगा । प्रतिभूति निक्षेप ऊपर वर्णित दरों पर ठेकेदार के चालू बिलों में से संगृहीत किया जाएगा और यदि अग्रिम धन निविदाओं के साथ नगद जमा किया गया हो तो वह प्रतिभूति निक्षेप का भाग समझा जाएगा ।

टिप्पणी 1.—प्रतिभूति के रुप में निविदत्त सरकारी कागज-पत्रों को उनकी बाजार कीमत अथवा उनके मूल्य से, जो भी कम हो, 5% (पांच प्रतिशत) कम के रूप में लिया जाएगा। सरकारी कागज-पत्र की बाजार कीमत मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा ब्याज के संग्रहण के समय अभिनिश्चित की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो ब्याज की रकम सरकारी कागजपत्र के मूल्य में कमी की सीमा तक रोक ली जाएगी ।

fixed deposit receipt of any bank is furnished by the contractor to the Government as part of the security deposit and the Bank goes into liquidation or for any reason is unable to make payment against the said fixed deposit receipt the loss caused there by shall fall on the contractor and the contractor shall forthwith on demand furnish additional security to the Government to make good the deficit.

Such deductions will be held by Government by way of Security Deposit. Provided always that the Govt. for this purpose shall be entitled to recover 10% of the amount of each running bill till the balance of the amount of Security Deposit is realised. All compensation or the other sums of money payable by the contractor under the terms of this contract may be deducted from, or paid by the sale of a sufficient part of his security deposit from the interest arising there from, or from any sums which may be due to or may become due to the contractor from the Government or any account whatsoever and in the event of his Security Deposit being reduced by reason of any such deductions or sale as aforesaid, the contractor shall within 10 days make good in cash or Guarantee Bonds in favour of the President of India executed or fixed deposit receipt tendered by the State Bank of India or by scheduled banks (in case of guarantee offered by Scheduled banks, the amount shall be within the financial limits prescribed by the Reserve Bank of India); or Govt. Securities (if deposited for more than 12 months) endorsed in favour of the Circle/Branch Officer, any sum or sums which may have been deducted from, or raised by sale of his security deposit shall be collected from the running bills of the contractor at the rates mentioned above and the Earnest Money if deposited in cash at the time of tenders will be treated as part of the Security Deposit.

NOTE 1.—Government papers tendered as a security will be taken at 5% (five per cent) below its market price or at its face value, whichever is less. The market price of Government papers should be ascertained by the Circle/Branch Officer at the time of collection of interest and the amount of interest to the extent of deficiency in value of the Government paper will be withheld if necessary.

टिप्पणी 2.—सरकारी प्रतिभूतियों के अंतर्गत विश्वस्तता बन्ध-पत्रों को छोड़कर साधारण वित्तीय नियमों के नियम 274 में वर्णित सभी प्रकार की प्रतिभूतियां होंगी । यह इस नियम के अधीन निर्दिष्ट प्रतिभूति के प्रत्येक प्रकार के सामने वर्णित शर्तों के अनुपालन किये जाने के अध्यधीन होगा ।

NOTE 2.—Government securities will include all forms of securities mentioned in Rule No. 274 of the G. F. Rules, except fidelity bond. This will be subject to the observance of the conditions mentioned under the rules against each form of security.

टिप्पणी 3.—यदि प्रतिभूति निक्षेप के भाग के रूप में किसी बैंक की सावधि निक्षेप पावती ठेकेदार द्वारा सरकार को दी जाती है और बैंक का परि-समापन हो जाता है या किसी कारण से वह उक्त सावधि निक्षेप पावती के आधार पर संदाय करने में असमर्थ होता है, तो उससे हुई हानि ठेकेदार पर पड़ेगी और ठेकेदार उस कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति मांग पर तत्क्षण सरकार को देगा ।

NOTE 3.—In case a fixed deposit receipt of any Bank, is furnished by the contractor to the Government as part of the security deposit and the Bank goes into liquidation or for any reason is unable to make payment against the said fixed deposit receipt, the loss caused thereby shall fall on the contractor and the contractor shall forthwith on demand furnish additional security to the Government to make good the deficit.

खण्ड 2.—कार्य पूरा करने के लिए निविदा में दर्ज किया गया अनुज्ञात समय का ठेकेदार द्वारा पूर्णतः अनुपालन किया जाएगा और उसे ठेकेदार की ओर से ठेके का मर्म समझा जाएगा तथा ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने के लिए दिये गये आदेश की तारीख के पश्चात् पन्द्रहवें दिन से उसकी गणना की जाएगी । कार्य ठेके की सम्पूर्ण नियत अवधि में सम्यक् तत्परता से किया जाएगा और ठेकेदार उचित तारीखों के पश्चात् प्रत्येक उस दिन के लिए जब कार्य प्रारम्भ न हुआ हो या पूरा न किया गया हो निविदा में यथादर्शित सम्पूर्ण कार्य के प्राक्कलित खर्च की रकम पर एक प्रतिशत के बराबर रकम या ऐसी रकम, जो मंडल/शाखा अधिकारी या समकक्ष अधिकारी (जिसका लिखित विनिश्चय अंतिम होगा) विनिश्चित करे, प्रतिकर के रूप में संदत्त करेगा । इसके अतिरिक्त, कार्य के निष्पादन के दौरान अच्छी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार ऐसे सभी मामलों में, जिनमें (विशेष कार्यों को छोड़) किसी कार्य के लिए अनुज्ञात समय एक मास से अधिक हो, पूरे कार्य का एक-बटा-आठ भाग ठेके के अधीन अनुज्ञात संपूर्ण समय के एक चौथाई भाग के समाप्त होने से पूर्व, कार्य का तीन-बटा-आठ भाग, आधे भाग के समाप्त होने से पूर्व तथा कार्य का तीन-चौथाई भाग, ऐसे समय के तीन-चौथाई भाग के समाप्त होने से पूर्व पूरा करने के लिए आबद्ध होगा । किन्तु यदि विशेष कार्यों के लिए ठेकेदार ने कोई समय सूची दी है और उसे मंडल/शाखा अधिकारी

CLAUSE 2.—The time allowed for carrying out the work as entered in the tender shall be strictly observed by the contractor and shall be deemed to be of the essence of the contract on the part of the contractor and shall be reconed from the fifteenth day after the date on which the order to commence the work is issued to the contractor. The work shall throughout the stipulated period of the contract be proceeded with all due diligence and the contractor shall pay as compensation an amount equal to one per cent, or such smaller amount as the Circle/Branch office or an officer of an equal rank, (whose decision in writing shall be final) may decide on the amount of the estimated cost of the whole work as shown in the tender, for every day that the work remains uncommenced or unfinished after the proper dates. And further to ensure good progress during the execution of the work, the contractor shall be bound in all cases in which the time allowed for any work exceeds, one month (save for special jobs) to complete one-eighth of the whole of the work before one fourth of the whole time allowed under the contract has elapsed; three-eighths of the work, before one-half of such time has elapsed, and three-fourths of the work before three-fourths of such time has elapsed. However for special jobs if a time-scheduled has been submitted by the contractor and the same has been accepted by the Circle/Branch

ने स्वीकार कर लिया है तो ठेकेदार उक्त समय सूची का अनुपालन करेगा । यदि ठेकेदार इस शर्त का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह उस प्रत्येक दिन के लिए उसके दौरान इतना कार्य नहीं किया जाता है, जितना नियम है सम्पूर्ण कार्य की उक्त प्राक्कलित लागत पर एक प्रतिशत के बराबर रकम या ऐसी कम रकम जो मंडल/शाखा अधिकारी या समकक्ष अधिकारी (जिसका लिखित विनिश्चय अंतिम होगा) विनिश्चत करे प्रतिकर के रूप में संदत्त करेगा । परन्तु सर्वदा यह है कि इस खण्ड के उपबन्धों के अधीन संदत्त की जाने वाली संपूर्ण रकम निविदा में यथादर्शित कार्य की प्राक्कलित लागत पर दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

Officer, the contractor shall comply with the said time schedule. In the event of the contractor failing to comply with this condition, he shall be liable to pay as compensation an amount equal to one per cent or such smaller amount as the Circle/Branch Officer or an officer of an equal rank (whose decision in writing shall be final) may decide on the said estimated cost of the whole work for every day that the due quantity of work remains incomplete. Provided always that the entire amount of compensation to be paid under the Provisions of this Clause shall not exceed ten per cent, on the estimatd cost of the work as shown in the tender.

खण्ड 3.— किसी विलंब या घटिया कारीगरी के बारे में या अन्यथा ठेके के किसी प्रकार भंग किए जाने के बारे में नुकसान के किन्हीं दावों के बारे में ठेकेदार के विरुद्ध अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस ठेके के उपबन्धों में से किसी के अधीन या अन्यथा अधिकारों या उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और यदि कार्य पूरा करने की तारीख समाप्त हो गई हो या नही लिखित सूचना द्वारा निम्नलिखित दशाओं में से किसी में ठेके को पूरे तौर पर समाप्त कर सकेगा :

(i) यदि ठेकेदार मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा उसे यह लिखित सूचना दिये जाने पर कि किसी त्रुटिपूर्ण कार्य को ठीक किया जाए पुनः सन्निर्मित किया जाए या बदल दिया जाए या यह कि कार्य अकुशल या अन्यथा अनुचित या कर्मकौशल रहित रीति से किया जा रहा है, ऐसी सूचना दिए जाने के पश्चात सात दिन की अवधि तक ऐसी सूचनाओं की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है या यदि ठेकेदार कार्य के निष्पादन में इस प्रकार विलंब करता है या उसको निलंबित रखता है कि वह मंडल/शाखा अधिकारी के निर्णयानुसार (जो अंतिम और आबद्धकारी होगा) कार्य पूरा किए जाने की तारीख तक कार्य पूरा करने में असमर्थ होगा या वह उस तारीख तक कार्य पूरा करने में पहले ही असफल रहा है ।

(ii) यदि ठेकेदार, जो कम्पनी हो, यह संकल्प पारित करता है या न्यायालय यह आदेश करता है कि कम्पनी का परिसमापन किया जाए या यदि किसी लेनदार की ओर से कोई रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त किया जाता है या यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जो न्यायालय या लेनदार को रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त

CLAUSE 3.—The Circle/Branch Officer may without prejudice to his right against the contractor in respect of any delay or inferior workmanship or otherwise or to any claims for damages in respect of any breaches of the contract and without prejudice to any rights or remedies under any of the provisions of this contract or otherwise and whether the date for completion has or has not elapsed by notice in writing absolutely determine the contract in any of the following cases :

(i) if the contractor having been given by the Circle/Branch Officer a notice in writing to rectify, reconstruct or replace any defective work or that the work is being performed in any inefficient or otherwise improper or unworkmanlike manner shall omit to comply with the requirements of such notice for a period of seven days thereafter or if the contractor shall delay or suspend the execution of the work so that either in the judgement of the Circle/Branch Officer (which shall be final and binding) he will be unable to secure completion of the work by the date for completion or he has already failed to complete the work by that date.

(ii) If the contractor being a company shall pass a resolution or the Court shall make an order that the Company shall be wound up or if a receiver or a manager on behalf of a creditor shall be appointed or if circumstances shall arise which entitle the court or creditor to appoint a receiver or a manager or

करने के लिए हकदार बनाती है या जो न्यायालय को परिसमापन आदेश करने का हकदार बनाती है।

(iii) यदि ठेकेदार इस ठेके के निबन्धनों और शर्तों में से किसी को भंग करता है।

(iv) यदि ठेकेदार इसके खण्ड 21 में उल्लिखित कोई कार्य करता है।

जब ठेकेदार ने पूर्वोक्त दशाओं में से किसी के अधीन आने को कार्रवाई किए जाने के दायित्वाधीन कर लिया हो तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल/शाखा अधिकारी को यह शक्तियां होंगी कि वह : —

(क) ठेके को पूर्वोक्त रूप से समाप्त या विखण्डित कर दे (जिस समाप्ति या विखण्डन की ठेकेदार को मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सूचना निश्चायक साक्ष्य होगी)। ऐसी समाप्ति या विखण्डन पर ठेकेदार का प्रतिभूति निक्षेप समपहृत किए जाने के दायित्वाधीन होगा और पूर्णतः सरकार के व्ययनाधीन होगा।

(ख) ऐसे मजदूर, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संदाय किया जाता है, नियोजित करें और कार्य या कार्य के किसी भाग को पूरा करने के लिए सामग्री प्रदाय करें जिसकी मजदूरी का खर्च और सामग्रियों की कीमत ठेकेदार से विकलित की जाएगी (जिस खर्च तथा कीमत की मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा प्रमाणित रकम ठेकेदार के विरुद्ध अंतिम और निश्चायक होगी) और सभी प्रकार किए गए कार्य का मूल्य उसी रीति में और उन्हीं दरों पर उसके खाते में जमा किया जाएगा मानों वह कार्य ठेकेदार द्वारा उसके ठेके के निबन्धनों के अधीन किया गया है। किए गए कार्य के मूल्य की बाबत मंडल/शाखा अधिकारी का प्रमाण-पत्र ठेकेदार के विरुद्ध अंतिम और निश्चायक होगा, परन्तु सर्वदा यह कि उप-खण्ड के अधीन कार्रवाई ठेकेदार को लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात् ही की जाएगी। परन्तु यह भी कि यदि विभाग द्वारा उपगत व्यय ठेकेदार को उसकी करार दरों पर संदेय रकम से कम हो तो उसका अन्तर ठेकेदार को संदत्त नहीं किया जाएगा।

which entitle the court to make a winding up order.

(iii) If the contractor commits breach of any of the terms and conditions of his contract.

(iv) If the contractor commits any act mentioned in Clause 21 hereof.

When the contractor has made himself liable for action under any of the cases aforesaid, the Circle/Branch Officer on behalf of the President of India shall have powers :—

(a) To determine or rescind the contract as aforesaid (of which termination or rescission notice in writing to the contractor under the hand of the Circle/Branch Officer shall be conclusive evidence). Upon such determination or rescission the security deposit of the contractor shall be liable to be forefeited and shall be absolutely at the disposal of Government.

(b) To employ labour paid by the Archaeological Survey of India and to supply materials to carry out the works or any part of the work debiting the contractor with the cost of the labour and the price of the materials (of the amount of which cost and price certified by the Circle/Branch Officer shall be final and conclusive against the contractor) and crediting him with the value of the work done in all respects in the same manner and at the same rates as if it has been carried out by the contractor under the terms of his contract. The certificate of the Circle/Branch Officer as to the value of the work done shall be final and conclusive against the contractor, provided always that action under the sub-clause shall only be taken after giving notice in writing to the contractor. Provided also that if the expenses incurred by the department are less than the amount payable to the contractor at his agreement rates, the difference should not be paid to the contractor.

(ग) ठेकेदार को सूचना देने के पश्चात् उसके कार्य की माप करें और उसके कार्य का वह भाग जो अनिष्पादित रह जाए, उससे लेकर दूसरे ठेकेदार को उसे पूरा करने के लिए दे और इस दशा में उस राशि से, जो मूल ठेकेदार को संदत्त की गई हो तो यदि पूरा कार्य उसके द्वारा निष्पादित किया जाता, अधिक उपगत कोई व्यय (जिस अधिक रकम के संबंध में मंडल/शाखा अधिकारी लिखित प्रमाण-पत्र अंतिम और निश्चायक होगा मूल ठेकेदार द्वारा उठाया और संदत्त किया जाएगा और यथा स्थिति, सरकार द्वारा इस ठेके के अधीन या किसी भी अन्य लेखे में उसको देय किसी धन में से या उसके प्रतिभूति निक्षेप से या उसके विक्रय के आगमों से या उसके पर्याप्त भाग से काट लिया जाएगा ।

(c) After giving notice to the contractor to measure up the work of the contractor and to take such part thereof as shall be unexecuted out of his hands and to give it to another contractor to complete in which case any expenses which may be incurred in excess of the sum which would have been paid to the original contractor if the whole work had been executed by him (of the amount of which excess) the certificate in writing of the Circle/Branch Officer shall be final and conclusive) shall be borne and paid by the original contractor and may be deducted from any money due to him by Govt. under this contract or on any other account whatsoever or from his security deposit on the proceeds of sales thereof or a sufficient part as the case may be.

मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा उपरोक्त में से कोई एक या अधिक मार्ग अपनाए जाने की दशा में ठेकेदार ऐसी किसी हानि के लिए प्रतिकर का दावा नहीं करेगा जो उसे कार्य के निष्पादन या ठेके के परिपालन के कारण या उसकी दृष्टि से उसके द्वारा किसी सामग्री के खरीद लिए जाने या कोई पेशगी दे दिए जाने के कारण उसे उठानी पड़ी हो और यदि पूर्वोक्त उपबन्धों में से किसी के अधीन कार्यवाही की जाती है तो ठेकेदार इस ठेके के अधीन वस्तुतः किए गए किसी कार्य के लिए कोई राशि वसूल करने या संदत्त किए जाने का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक कि मंडल/शाखा अधिकारी ने ऐसे कार्य का पालन और उसके बारे में संदेय कीमत लिखित रूप से प्रमाणित कर दी हो और वह केवल ऐसी प्रमाणित की गई कीमत के लिए संदत्त किए जाने का ही हकदार होगा ।

In the event of any one or more of the above courses being adopted by the Circle/Branch Officer the contractor shall have no claim to compensation for any loss sustained by him by reason of his having purchased or procured any materials or entered into any engagement or made any advances on account or with a view to the execution of the work or the performance of the contract. And in case action is taken under any of the provisions aforesaid, the contractor shall not be entitled to recover or be paid any sum for any work thereto or actually performed under this contract unless and until the Circle/Branch Officer has certified in writing the performance of such work and the value payable in respect thereof and he shall only be entitled to be paid the value so certified.

यदि खण्ड 3 के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो ठेकेदार प्रतिकर का संदाय करने के दायित्वाधीन रहेगा । ठेकेदार के संयंत्र का कब्जा लेने या उसको हटाए जाने की अपेक्षा करने या उसका विक्रय करने की शक्ति ।

Contractor to remain liable to pay compensation if action not taken under clause 3. Powers to take possession of or require removal of or sell contractor's plant.

खण्ड 4.—ऐसी किसी दशा मे जिसमें इसके खण्ड 3 द्वारा मण्डल/शाखा अधिकारी को प्रदत्त कोई शक्ति प्रयोक्तव्य हो जाए और उसका प्रयोग न किया जाए तो उसका प्रयोग न किया जाना इसकी किन्हीं शर्त का अधित्यजन नहीं होगा और इसके होते हुए भी भविष्य में ठेकेदार द्वारा व्यतिक्रम किए जाने की दशा मे ऐसी शक्तियां प्रयोक्तव्य होंगी और ठेकेदार का प्रतिकर के लिए

CLAUSE 4.—In any case in which any of the powers conferred upon the Circle/Branch Officer by clause 3 thereof, shall have become exercisable and the same shall not be exercised, the nonexercise thereof shall not constitute a waiver of any of the conditions hereof and such powers shall notwithstanding be exercisable in the event of any future

दायित्व अप्रभावित रहेगा। यदि मंडल/शाखा अधिकारी पूर्वगामी खण्ड के अधीन अपने में निहित सब शक्तियों या उनमें से किसी को प्रवृत्त करे तो वह, यदि चाहे तो ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा प्राप्त किये गए और कार्य के निष्पादन के लिए प्रयुक्त किये जाने के लिए आशयित उन सब या किन्हीं औजारों, संयंत्र, सामान और सामग्री का, जो संकर्म में या पर अथवा उसके स्थल पर हो या उनके किसी भाग का उनके लिए ठेके की दरों पर या यदि वे लागू नहीं है तो मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाने वाली चालू बाजार दरों पर, जिनके बारे में उसका प्रमाण-पत्र अंतिम होगा संदाय करके या खाते में अनुज्ञात करके ठेकेदार को लिखित सूचना देकर कब्जा ले सकेगा या (पूर्णतः मंडल/शाखा अधिकारी के विवेकानुसार, जो अंतिम होगा) भाड़े पर प्रयुक्त कर सकेगा (भाड़ा धन की रकम भी अंतिम रुप से मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा) निर्धारित की जाएगी अन्यथा मंडल/शाखा अधिकारी लिखित सूचना द्वारा ठेकेदार को या संकर्म में उसके लिपिक को, फोरमैन को या अन्य प्राधिकृत अभिकर्ता को ऐसे औजार, संयंत्र, सामान या सामग्री को परिसर से (ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भितर) हटाने के लिए आदेश दे सकेगा, और यदि ठेकेदार ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहे तो मंडल/शाखा अधिकारी उनको ठेकेदार के खर्च पर हटवा सकेगा या नीलाम द्वारा या ठेकेदार के लेखे और सभी दृष्टियों से उसके जोखिम पर प्राइवेट विक्रय द्वारा बेच सकेगा और ऐसे किसी हटाए जाने के व्यय के और ऐसी विक्री के आगम की रकम और व्यय के बारे में मंडल/शाखा अधिकारी का प्रमाण-पत्र ठेकेदार के विरुद्ध अंतिम और निश्चायक होगा।

case of default by the contractor and the liability of the contractor for compensation shall remain unaffected. In the event of the Circle/Branch Officer putting in force all or any of the powers vested in him under the proceeding clause he may, if he so desires after giving a notice in writing to the contractor, take possession of or (at the sole discretion of the Circle/Branch Officer which shall be final) use as on hire (the amount of the hire money being also in the final determination of the Circle/Branch Officer) all or any tools, plant, materials and stores, in or upon the works, or the site thereof, belonging to the contractor, or procured by the contractor and intended to be used for the execution of the work or any part thereof, paying or allowing for the same in account at the contract rates, or, in the case of these not being applicable at current market rates to be certified by the Circle/Branch Officer, whose cerificate thereof shall be final, otherwise the Circle/Branch Officer by notice in writing may order the contractor or his clerk of the works, foreman or other authorised agent to remove such tools, plant, materials, or stores from the premises (within a time to be specified in such notice); and in the event of the contractor failing to comply wih any such requisition, the Circle/Branch Officer may remove them at the conractor's expense or sell them by auction or private sale on account of the contractor and at his risk in all respects and the certificate of the Circle/Branch Officer as to the expense of any such removal and the amount of the proceeds and expense of any such sale shall be final and conclusive against the contractor.

समय का बढ़ाया जाना।

खण्ड 5. — यदि ठेकेदार कार्य को पूरा करने के लिए निष्पादन में अनिवार्य रुप से प्रतिबंधित होने के आधार पर या किसी अन्य आधार पर समय बढ़ायें जाने की इच्छा करता है तो वह उस प्रतिबाधा की, जिसके कारण वह पूर्वोक्त रुप से समय बढाए जाने की इच्छा करता है, तारीख से 30 दिन के भीतर मंडल/शाखा अधिकारी को लिखित आवेदन करेगा, और यदि मंडल/शाखा अधिकारी की राय में (जो अंतिम होगी) इसके लिए युक्तायुक्त आधार दर्शित किए गए हों तो वह समय में वृद्धि यदि कोई हो, जो उसकी राय में आवश्यक या उचित हो, प्राधिकृत करेगा।

Extension of time.

CLAUSE 5.—If the contractor shall desire an extension of time for completion of time for completion of work on the grounds of his having been unavoidably hindered in its execution or an any other ground, he shall apply in writing to the Circle/Branch Officer within 30 days of the date of hindrance on account of which he desires such extension as aforesaid, and the Circle/Branch Officer shall, if in his opinion (which shall be final) reasonable grounds be shown therefor, authorise such extension of time if any, as may, in his opinion, be necessary or proper.

पूरा होने का प्रमाण पत्र ।

खण्ड 6.—कार्य के पूरा होने के दस दिन के भीतर ठेकेदार ऐसे पूरे होने की सूचना मंडल/शाखा अधिकारी को देगा और ऐसी सूचना की प्राप्ति के *दस/तीस दिन के भीतर मंडल/शाखा अधिकारी कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि कार्य में कोई त्रुटि न हो तो ठेकेदार को पूरा होने का प्रमाण-पत्र देगा अन्यथा ऐसी त्रुटियां (क) जो ठेकेदार द्वारा ठीक की जानी है और/या (ख) जिनके लिए संदाय घटी हुई दरों पर किया जाएगा, उपदर्शित करते हुए कार्य पूरा होने का अनन्तिम प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा, किन्तु जब तक ठेकेदार उस परिसर से जिस पर कार्य निष्पादित किया गया है, सब पड़ा/बचा हुआ सामान, कूड़ा-करकट और सभी झोपड़ियां तथा सफाई व्यवस्थाएं, जो ठेकेदार (रों) के कर्मकारों के लिए स्थल पर कार्य के निष्पादन के संबंध में अपेक्षित हों और उसके/उनके द्वारा परिनिर्मित या सन्निर्मित हों, हटा न दे और जब तक सभी काष्ठ की चीज़ों, दरवाजों, खिड़कियों, दीवारों, फर्शों से और किसी भवन के, जिसमें, जिसपर या जिसके निकट कार्य निष्पादित किया जाना है, या जिसके निष्पादन के प्रयोजन के लिए वह उसके कब्जे में रहा हो, अन्य भागों से गन्दगी साफ न कर दे और जब तक मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा कार्य की माप न कर ली गई हो तब तक पूरा होने का, अनन्तिम या अन्य प्रमाणपत्र न तो जारी किया जाएगा और न कार्य ही पूरा हुआ माना जाएगा । यदि ठेकेदार कार्य के पूरा करने के लिए नियत तारीख को या उससे पूर्व यथापूर्वोक्त पड़ा, बचे हुए सामान और कूड़ा-करकट और सभी झोपड़ियों तथा सफाई व्यवस्था हटाने के को और गन्दगी साफ करने के संबंध में इन खण्डों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो मंडल/शाखा अधिकारी ठेकेदार के व्यय पर ऐसे पाड़, बचे हुए सामान और कूड़ा-करकट आदि को हटा सकेगा और जिस प्रकार वह उचित समझे उसका व्ययन कर सकेगा और ऐसी गन्दगी की सफाई कर सकेगा और ठेकेदार का यथापूर्वोक्त किसी पाड़, बचे हुए सामान के बारे में उसकी बिक्री द्वारा वस्तुतः प्राप्त किसी राशि के सिवाय कोई दावा नहीं होगा ।

Completion Certificate.

CLAUSE 6.—Within ten days of the completion of the work, the contractor shall give notice of such completion to the Circle/ Branch Officer and within *ten/thirty days of the receipt of such notice the Circle/ Branch Officer shall inspect the work, and if there is no defect in the work shall furnish the contractor with a certificate of completion otherwise a provisional certificate of completion indicating defects (a) to be rectified by the contractor and/or (b) for which payment will be made at reduced rates, shall be issued but no certificate of completion provisional or other wise, shall be issued nor shall the work be considered to be complete until the contractor shall have removed from the premises on which the work shall be executed all scaffolding, surplus materials, rubbish and all huts and sanitary arrangements required for his/ their work people on the site in connection with the execution of the work as shall have been erected or constructed by the contractor(s) and cleaned off the dirt from all wood work, doors, windows, walls, floors or other parts of any building, in upon, or about which the work is to be executed or which he may have had possession for the purpose of the execution thereof, and not until the work shall have been measured by the Circle/Branch Officer. If the contractor shall fail to comply with the requirements of this Clause as to removal of scaffolding, surplus materials and rubbish and all huts and sanitary arrangements as aforesaid and cleaning off dirt on or before the date fixed for the completion of the work, the Circle/Branch Officer may at the expense of the contractor remove such scaffolding, surplus materials and rubbish, etc. and dispose of the same as he thinks fit and clean off such dirt as aforesaid; and the contractor shall have no claim in respect of any such scaffolding or surplus materials as aforesaid except for any sum actually realised by the sale thereof.

खण्ड 6 (क)—दीवारों, फर्शों, दरवाजों, खिड़कियों आदि पर गिरी हुई सफेदी, रंग, रोगन आदि और उसके छींटो को हटाया जाएगा तथा ठेके के कार्य की अन्य सभी मदों के वास्तव में समाप्त किये जाने की प्रतिक्षा किए बिना

CLAUSE 6A.—The splashes and droppings from white washing, colour washing, painting, etc., on walls, floors, doors, windows, etc. shall be removed and the surface cleaned

*मंडल/शाखा अधिकारी के मुख्यालय पर कार्य की दशा में दस दिन और मंडल/शाखा अधिकारी के मुख्यालय से भिन्न किसी स्थान पर कार्य की दशा में तीस दिन लागू होगा ।

*Ten days will apply in the case of Works at the Headquarters of the Circle/Branch officer and thirty days will apply in the case of works at a station other than the Headquarters of Circle/Branch Officer.

अलग-अलग इन कमरों, क्वार्टरों अथवा परिसरों आदि में जहां उक्त कार्य किया गया है, कार्य की इन मदों को पूरा करने के साथ-साथ फर्श की सफाई की जाएगी । यदि ठेकेदार इन खण्डों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो मंडल/शाखा अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार के व्यय पर विभाग अथवा अन्य अभिकरण के माध्यम से उस कार्य को करा ले, मंडल/शाखा अधिकारी ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व ठेकेदार को दो दिन की **लिखित सूचना** देगा ।

अन्तःकालीन प्रमाणपत्र पर संदाय पेशगी समझा जाएगा ।

खण्ड 7.—पांच हजार रुपए अथवा इससे कम की प्राक्कलित लागत वाले किसी कार्य के लिए कोई संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक सम्पूर्ण कार्य पूरा न हो जाए और पूरा होने का प्रमाण पत्र न दे दिया हो । किन्तु पांच हजार रुपए से अधिक की प्राक्कलित लागत के किसी कार्य की दशा में ठकेदार उस कार्य के उतने भाग के, जितना उसमें मंडल/शाखा अधिकार को समाधानप्रद रूप में तब तक निष्पादित कर लिया हो, अनुपात में मासिक संदाय बिल पेश करने पर प्राप्त करने का हकदार होगा, एसी संदेय राशि के बारे में मंडल/शाखा अधिकारी का प्रमाण-पत्र ठेकेदार के विरुद्ध अंतिम संदाय के प्रति पेशगी के तौर पर संदाय समझा जाएगा न कि वस्तुतः किए गए और पूर्ण हो चुके कार्य के लिए संदाय, और इससे खराब, दोषपूर्ण और अपूर्ण या अकुशल कार्य को हटाने और ले जाने की और उसका पुनः सन्निर्माण करने या उसे फिर से स्थापित करने की अपेक्षा करना प्रचारित नहीं होगा और न इसे ठके या उसके किसी भाग के किसी रूप में सम्यक अनुपालन की या किसी दावे के पदा होने की स्वीकृति समझा जाएगा और नही यह किसी भी प्रकार से इन शर्तों के अधीन लेखों के अंतिम परिनिर्धारण और समायोजन के बारे में या अन्यथा मंडल/शाखा अधिकारी की शक्तियों या उनमें से किसी को पर्यवसित समाप्त या प्रभावित करेगा या किसी अन्य रूप से ठके में फरफार या उसको प्रभावित करेगा । ठेकेदार द्वारा अंतिम बिल कार्य के पूरा होने के लिए नियत तारीख से या मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा पूरा होने का प्रमाण-पत्र देने की तारीख से एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा और यदि ठेके की ओर अतिरिक्त मदों की रकम 2 लाख रुपए तक हो तो बिल प्रस्तुत किये जाने के तीन मास के भीतर और यदि वह दो लाख रुपए से अधिक हो तो बिल प्रस्तुत किये जाने के छः मास के भीतर भुगतान किया जाएगा । यदि कार्य को किसी मद या किन्हीं मदों के बारे में विवाद हो तो केवल ऐसी मद या मदों के लिए जिनके बारे में विवाद न हो, यथास्थिति उक्त

simultaneously with the completion of these items of work in the individual rooms, quarters or premises etc. where the work is done without waiting for the actual completion of all the other items of work in the contract. In case the contractor fails to comply with the requirements of this Clause, the Circle/Branch Officer shall have the right to get this work done at the cost of the contractor either departmentally or through another agency. Before taking such action, the Circle/Branch Officer shall give ten days notice **in writing** to the contractor.

Payment on intermediate certificate to be regarded as advances.

CLAUSE 7.—No payment shall be made for a work estimated to cost rupees five thousand or less till after the whole of the work shall have been completed and certificate of completion given. But in the case of a work estimated to cost more than rupees five thousand the contractor shall, on submitting the bill be entitled to receive a monthly payment proportionate to the part thereof then executed to the satisfaction of the Circle/Branch Officer, whose certificate of the sum so payable shall be final and conclusive against the contractor. But all such intermediate payments shall be regarded as payments by way of advance against the final payment only and not as payments for work actually done and completed, and shall not preclude the requiring or bad· unsound and imperfect or unskilled work to be removed and taken away and reconstructed, or re-erected or be considered as an admission of the due performance of the contract, or any part thereof in any respect or the accruing of any claim, nor shall it conclude, determine, or affect in any way the powers of the Circle/Branch Officer under these conditions or any of them as to the final settlement and adjustment of the accounts or otherwise or in any other way vary or affect the contract. The final bill shall be submitted by the contractor within one month or the date fixed for completion of the work or of the date of the certificate of completion furnished by the Circle/Branch Officer and payment shall be made within three months if the amount of the contract plus that of the additional items is upto Rs. 2 lakhs and in 6 months if the same exceeds Rs. 2 lakhs of the submission of such bill. If there shall be

तीन मास या छह मास की अवधि के भीतर अदा कर दी जाएगी। यदि कार्य की किसी मद या किन्हीं मदों के बारे में विवाद हो तो केवल ऐसी मद या मदों के लिए जिनके बारे में विवाद न हो तो यथास्थिति उक्त तीन मास या छह मास के अवधि के भीतर भुगतान किया जाएगा। ठेकेदार विवादास्पद मदों के नामंजूर किये जाने के तीस दिन के भीतर उन मदों की एक सूची प्रस्तुत करेगा और वह ऐसा करने में असफल रहेगा तो उसका दावा पूर्णत: व्ययित और पूर्णत: समाप्त समझा जाएगा।

जब कभी आवासीय भवनों के मामले में चालू खाते में भुगतान देने के लिए ब्यौरेवार माप रिकार्ड करने में देर होने की संभावना हो, तो मंडल/शाखा अधिकारी अपनी विवेकशक्ति से सहायक अधीक्षक पुरातत्व इंजीनियर या अन्य समकक्ष या उच्च स्तर के अधिकारी के इस प्रमाण पत्र पर कि यह निर्माण कार्य यथोक्त स्तर तक पूरा हो गया है, किये गये निर्माण कार्य (नींव और परिष्करण मद के अतिरिक्त) (क) लिंटल स्तर तक (छज्जे आदि सहित) और (ख) प्रत्येक तल के स्लैब स्तर तक के लिए बिना ब्यौरेवार माप के लिये दी गई निविदा दर के 75% के हिसाब से चालू खाता बिलों में अग्रिम भुगतान कर सकते हैं।

इस प्रकार स्वीकृत अग्रिम भुगतान का समायोजन उनका ब्यौरेवार परिवर्ती चालू बिलों में कर लिया जाएगा। अंतिम भुगतान केवल ब्यौरेवार माप के आधार पर ही किया जाएगा।

बिल का प्रति मास प्रस्तुत किया जाना

खण्ड 8.— ठेकेदार प्रत्येक मास में उस तारीख को या उससे पूर्व, जो मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा नियत की गई हो, पिछले मास में किये गये समस्त निर्माण कार्यों के लिए बिल प्रस्तुत करेगा और मंडल/शाखा अधिकारी उसे प्रस्थापित करने के उद्देश्य से उसकी अपेक्षित माप लेगा या माप लेने के लिए किसी को कहेगा, और दावा जहां तक अनुज्ञेय हो बिल प्रस्तुत किये जाने से दस दिन समाप्त होने के पहले समयोजित किया जाएगा। यदि ठेकेदार यथापूर्वोक्त नियत समय के भीतर बिल प्रस्तुत करने में असफल रहता तो मंडल/शाखा अधिकारी यथा-पूर्वोक्त नियत तारीख से दस दिन के भीतर अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उक्त कार्य की माप ठेकेदार की उपस्थिति में लेने के लिए भेज सकेगा, जिसके हस्ताक्षर माप-सूची पर पर्याप्त आधार माने जाएंगे और मंडल/शाखा अधिकारी ऐसी सूची से बिल तैयार कर सकेगा।

any dispute about any item or items of the work then the undisputed item or items only shall be paid within the said period of three months or six months as the case may be. The contractor shall submit a lists of the disputed items within thirty days from the disallowance thereof and if he fails to do this his claim shall be deemed to have been fully waived and absolutely extinguished.

Whenever there is likely to be delay in recording the detailed measurements for making running payment in case of residential buildings, advance payments without detailed measurements for works done (other than foundation and finishing items) upto (a) lintal level (including sun shades etc.) and (b) slab level for each floor worked out at 75% of the tendered rate may be made in the running account bills by the Circle/Branch Officer at his discretion on the basis of certificate from the Asstt. Superintending Archaeological Engineer or any other officer of equivalent or higher rank, to the effect that the work has been completed upto the level in question.

The advance payments so allowed, shall be adjusted in the subsequent running bill by taking detailed measurements thereof. Final payment shall be made only on the basis of the detailed measurements.

Bills to be submitted monthly

CLAUSE 8.—A bill shall be submitted by the contractor each month on or before the date fixed by the Circle/Branch Officer for all works executed in the previous months, and the Circle/Branch Officer shall take or cause to be taken the requisite measurement for the purpose of having the same verified and the claim as far as admissible, adjusted as far as possible, before the expiry of ten days from the presentation of the bill. If the contractor does not submit the bill within the time fixed as aforesaid the Circle/Branch Officer may depute within seven days of the date fixed as aforesaid, a subordinate to measure up the said work in the presence of the contractor whose countersignature to the measurement list will be sufficient warrant; and the Circle/Branch Officer may prepare a bill from such list.

विभाग द्वारा अभिलिखित मापों के बारे में आपत्तियों फाइल करने के लिए ठेकेदार को एक सप्ताह का समय दिया जाना ।

खण्ड 8-क.— किसी कार्य की कोई माप लेने से पहले जैसा कि इसके खण्ड 6.7 और 8 में निर्दिष्ट किया गया है मंडल शाखा अधिकारी या उसके द्वारा भेजा गया अधीनस्थ अधिकारी ठेकेदार को उचित सूचना देगा । यदि ऐसी सूचना के पश्चात ठेकेदार माप के समय उपस्थित होने में असफल रहे या प्रतिहस्ताक्षर करने में असफल रहे या माप की तारीख से एक सप्ताह के भीतर मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा यथा-अपेक्षित रीति से अन्तर सूचित करने में असफल रहे, तो ऐसी किसी स्थिति में मंडल/शाखा अधिकारी या उसके द्वारा भेजे गए अधीनस्थ अधिकारी द्वारा ली गई माप अंतिम और ठेकेदार पर आवद्धकर होगी और उसको विवादग्रस्त करने का ठेकेदार को कोई अधिकार नही होगा ।

बिल मुद्रित प्ररूप में होंगे

खण्ड 9.—ठेकेदार सभी बिल मुद्रित प्ररूपों में भेजेगा जो आवेदन किए जाने पर मंडल/शाखा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त हो सकेंगे और बिलों मे प्रभार संदेय निविदा में विनिर्दिष्ट दरों पर या किसी ऐसे अतिरिक्त कार्य की दशा में जिसके लिए आर्डर इन शर्तों के अनुसरण में दिया गया है और जिनका उल्लेख या जिनके लिए उपबंध निविदा में नहीं किया गया है इसमें इसके पश्चात् ऐसे काय के लिए उपबंधित दरों पर दर्ज किए जाएंगे ।

ठेकेदार के बिलों का बैंकों को संदाय

खण्ड 9-क.—ठेकेदार को देय संदाय, यदि वह चाहे तो सीधे उसको किए जाने की बजाय उसके बक को किये जा सकते है परन्तु यह तब जब कि ठेकेदार मंडल/शाखा अधिकारी को (1) संदाय प्राप्त करने के लिए बैंक को प्राधिकार प्रदान करने वाले मुख्तारनामे जैसी वैधानिक दृष्टि से मान्य दस्तावेज के रूप में प्राधिकार दे और (2) उस हिसाब की शुद्धता के बारे में अपनी स्वीकृति दे जिस में सरकार द्वारा उसको शोध्य राशि बताई गई है या मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा हिसाब या दावे के बैंक को संदाय करके निपटाए जाने से पहले सरकार को प्रस्तुत किए गए बिल या अन्य दावे पर अपने हस्ताक्षर दिखाए । ऐसे बैंक द्वारा दी गई रसीद संदाय के लिए पूर्ण और पर्याप्त उन्मोचन होगी किन्तु ठेकेदार को, जहां संभव हो, सम्यकतः रसीदयुक्त और उन्मोचित बिल अपने बैंकरों की मार्फत प्रस्तुत करने चाहिए ।

Contractor to be given a weeks time to file objections recorded by Department.

CLAUSE 8-A.—Before taking any measurement of any work as has been referred to in Clauses 6, 7 and 8 thereof, the Circle/Branch Officer or the subordinate deputed by him shall give reasonable notice to the contractor. If the Contractor fails to attend at the measurements after such notice or fails to contersign or to record the difference within a week from the date of measurement in the manner required by the Circle/Branch Officer then in any such event the measurements taken by the Circle/Branch Officer or by the subordinate deputed by him as the case may be, shall be final and binding on the contractor who shall have no right to dispute the same.

Bills to be in printed forms

CLAUSE 9.—The contractor shall submit all bills on the printed forms to be had on application at the office of the Circle/Branch Officer and the charge in the bills shall always be entered at the rates specified in the tender or in the case of any extra work ordered in pursuance of these conditions and not mentioned or provided for in the tender at the rates hereinafter provided for such work.

Payment of Contractor's bills to banks

CLAUSE 9-A.—Payments due to the contractor may if so desired by him be made to his bank instead of direct to him provided that the contractor furnishes to the Circle/Branch Officer (1) an authorization in the form of a legally valid document such as a power of attorney conferring authority on the bank to receive payments and (2) his own acceptance of the correctness of the accounts made out as being due to him by Government or his signature on the bills or other claim preferred against Govt. before settlement by the Circle/Branch Officer of the account or claim by payment to the bank. While the receipt given by such banks shall constitute a full and sufficient discharge for the payment the contractor should wherever possible present his bills duly receipted and discharged through his bankers.

इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात राष्ट्रपति के संबंध में बैंक के पक्ष में कोई अधिकार या साम्या सूचित नहीं करेगी ।

Nothing herein contained shall operate to create in favour of the bank any rights or equities *vis-a-vis* the President.

खण्ड 10.—सरकार द्वारा पूर्ति किये गये सामान.—यदि विनिर्देश या मद सूची में प्रभारी इंजीनियर के भंडार से पूर्ति किये जाने वाले विशेष विवरण वाले सामान का प्रयोग करना उपबंधित हो या उसमें यह अपेक्षित हो कि ठेकेदार इसके साथ संलग्न सामग्री सूची में यथादर्शित विशेष सामान का ही प्रयोग करेगा जिसकी पूर्ति प्रभारी इंजीनियर द्वारा की जाएगी तो ठेकेदार इसके प्रबंध के लिए आबद्ध होगा और उस ठेके के प्रयोजन से उसके द्वारा प्रयोग के लिए समय-समय पर अपेक्षित सामग्री और सामान की पूर्ति की जाएगी और उक्त सामग्री-सूची में विनिर्दिष्ट दरों पर पूर्ति की गई ऐसी सामग्री और सामान की पूर्ण मात्रा के मूल्य का मुजरा कर लिया जाएगा या बाद में ठेके के अधीन ठेकेदार को देय किसी भी राशि से या अन्यथा या प्रतिभूति निक्षेप में से या उसके विरुद्ध या यदि वह सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखा हुआ हो तो उसके या उसके पर्याप्त भाग के, यदि इस प्रयोजन से उसका विक्रय किया जाए तो उसके विक्रय आगम से काट लिया जाएगा ठेके और/अथवा पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता के अन्य किसी खंड में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के बावजूद ठेकेदार को दिये गये या सरकार की सहायता से उपलब्ध कराये गये ऐसे सामान/सामग्री सरकार की पूर्ण सम्पत्ति होगी और वह ठेकेदार उस सामान/सामग्री का न्यासी होगा, और उक्त सामान/सामग्री किसी लेखे पर कार्य स्थल से हटाया/निपटाया नहीं जाएगा और प्रभारी इंजीनियर द्वारा निरीक्षण हेतु सर्वदा खुला रहेगा। ऐसे शेष अप्रयुक्त सामान/सामग्री प्रभारी इंजीनियर द्वारा अपेक्षा करने पर स्वहस्तलिखित नोटिस द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर वापस किया जाना चाहिए, किन्तु ठेकेदार ऐसी सामग्री की वापसी करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक कि सामान/सामग्री की ऐसी वापसी सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से की गयी हो और उपर्युक्त के अनुसार ठेकेदार को ऐसे सप्लाई किये गये सामान/सामग्री के लिए किसी प्रकार का दावा करने का हक नहीं होगा और उसके द्वारा प्रयुक्त न हुआ हो अथवा ऐसे सामान/सामग्री बर्बाद हो गये हों, या उसे क्षति पहुंची हो ।

CLAUSE 10.—Stores Supplied by Government.—If the specification or schedule of items provides for the use of any special description of materials to be supplied from Engineer-in-Charge's stores or if it is required that the contractor shall use certain stores to be provided by the Engineer-in-Charge as shown in the schedule of materials hereto annexed, the contractor shall be bound to procure and shall be supplied such materials and stores as are from time to time required to be used by him for the purposes of the contract only, and the value of the full quantity of materials and stores so supplied at the rates specified in the said schedule of materials may be set off or deducted from any sums then due, or thereafter to become due to the contractor under the contract, or otherwise or against or from the security deposit, or the proceeds of sale thereof, if the same is held in Govt. Securities, the same or a sufficient portion thereof being in this case sold for the purpose. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other clause of the contract and (or the A. W. Code) all stores/materials so supplied to the contractor or procured with the assistance of the Govt. shall remain the absolute property of Government and the contractor shall be the trustee of the stores/materials; and the said stores/materials shall not be removed/disposed of from the site of the work on any account and shall be at all times open to inspection by the Engineer-in-Charge of works. Any such stores/materials remaining unused shall be returned to the Engineer-in-Charge at a place directed by him if by a notice in writing under his hand he shall so require, but the contractor shall not be entitled to return any such materials; such return of materials/stores takes place with the previous approval of the competent authority and shall have no claim for compensation on any account of such stores/materials so supplied to him as aforesaid and not used by him or for any wastage in or damage to in such stores/materials.

ठेकेदार प्रभारी इंजीनियर द्वारा सामग्री/सामान को वापस करने की मांग किये जाने पर उस सामग्री/सामान की दशा पर उचित ध्यान देते हुए निर्धारित कीमत

On being required to return the stores/materials, the contractor, shall hand over the stores/materials on being paid or credited

को अदा करने या नामे जमा करने पर वह सामग्री/सामान सुपुर्द करेगा । तथापि ठेकेदार की अनुज्ञात कीमत गोदाम प्रभार यदि कोई हो, के अलावा उससे ली गई राशि से अधिक नहीं होगी । प्रभारी इंजिनियर का निर्णय अन्तिम और निश्चायक होगा । उपर्युक्त शर्त के भंग किये जाने पर लाइसेंसों या परमिट के निबंधनों के उल्लंघन और/अथवा आपराधिक न्यास भंग के लिए उत्तरदायी होने के अतिरिक्त ऐसे भंग के परिणामस्वरूप उसे सामान्य तौर पर मिलने वाले सभी लाभों या मुनाफों के लिए वह सरकार के दायित्वाधीन होगा । परंतु यह कि ठेकेदार किसी भी स्थिति में ऐसे सभी या किसी सामान और सामग्री की पूर्ति या आपूर्ति में विलंब होने के कारण किसी प्रतिपूर्ति या हानि का हकदार नहीं होगा । परंतु यह भी कि यदि सरकार उस सामान के पूर्ति कार्य की समाप्ति उसके लिए नियत समय उसके 50% समय को जोड़कर जो समय आये, उसके भीतर यदि कार्य समापन का समय 12 मास से अधिक हो तो नियत समय में 6 मास जोड़कर जो समय आये उसके भीतर कर देती है तो ठेकेदार संपूर्ण कार्य के निष्पादन के लिए आबद्ध होगा किन्तु यदि उक्त कालावधि के भीतर सामान के कुछ भाग की पूर्ति की गई हो तो ठेकेदार उतना ही कार्य कराने के लिए आबद्ध होगा, जितना उक्त कालावधि में प्रदत्त सामान और सामग्री से कराना संभव होगा । शेष काम को पूरा करने के लिए ठेकेदार उतना और समय बढ़वाने का हकदार होगा जितना मंडल/शाखा अधिकारी निर्णय करेंगे, जिनका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा ।

खण्ड 10-क.— मंडल/शाखा अधिकारी को परिसर से सभी सामग्रियों को, जो उसकी राय में विनिर्देश के अनुसार नहीं है, हटवाने की पूर्ण शक्तियां होंगी और व्यतिक्रम की दशा में, मंडल/शाखा अधिकारी उसे हटवाने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसा करने में ऐसी सामग्री को होने वाली हानि या नुकसान के लिए उत्तर या लेखा देने का दायी नहीं होगा । मंडल/शाखा अधिकारी को उसके स्थान पर उचित सामग्री जाने की अपेक्षा करने की पूर्ण शक्तियां होंगी और व्यतिक्रम की दशा में मंडल/शाखा अधिकारी उनका प्रदाय कराएगा और ऐसे हटाए जाने या प्रतिस्थापन में जो खर्च आएगा वह ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा ।

खण्ड 10-ख.—मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्ररूप में इन्डेचर पर हस्ताक्षर करने पर ऐसी सामग्रियों का 75 प्रतिशत प्राक्कलित मूल्य कार्य

such price as the Engineer-in-Charge shall determine, having due regard to the condition of the stores/materials. The price allowed to the contractor, however, shall not exceed the amount charged to him, excluding the storage charge, if any. The decision of the Engineer-in-Charge shall be final and conclusive. In the event of breach of the aforesaid condition, the contractor shall in addition to throwing himself open to account for contravention of the terms of the licences or permit and /or for criminal breach of trust, be liable to Govt. for all advantages or profits resulting or which in the usual course would have resulted to him by reason of such breach. Provided that the contractor shall in no case be entitled to any compensation or damages on account of any delay in supply or non-supply thereof all or any such materials and stores. Provided further that the contractor shall be bound to execute the entire work if the materials are supplied by the Govt. within the scheduled time for completion of the *work plus* 50% *thereof/scheduled time plus 6 months* if the time of completion of the work exceeds 12 months but if a part only of the materials has been supplied within the aforesaid period than the contractor shall be bound to do so such of the work as may be possible with the materials and stores supplied in the aforesaid period. For the completion in the rest of work, the contractor shall be entitled of such extension of time as may be determined by the Circle/Branch Officer whose decision in this regard shall be final.

CLAUSE 10-A.—The Circle/Branch Officer shall have full powers to require the removal from the premises of all materials which in his opinion are not in accordance with the specifications and in case of default the Circle/Branch Officer is to be at liberty to employ other persons to remove the same without being answerable or accountable for any loss or damage that may happen or arise to such materials. The Circle/Branch Officer shall also have full powers to require other proper materials to be substituted thereof and in case of default the Circle/Branch Officer may cause the same to be supplied and all costs which may have to be incurred to attend such removal and substitution are to be borne by the contractor.

CLAUSE 10-B.—The contractor on signing an indenture in the form to be specified by the Circle/Branch Officer shall be entitled

के निष्पादित किए जाने के दौरान संदत्त किए जाने का हकदार होगा, जो मंडल/शाखा अधिकारी की राय में अविनश्वर है और ठेके के अनुसार है और जो उसके संबंध में उस स्थल पर लाई गई है और जो मौसम या अन्य कारणों द्वारा नुकसान से बचाव के लिए पर्याप्त रूप से भण्डार में रखी हुई है और या संरक्षित है किन्तु जो, अग्रिम धन दिये जाने के समय कार्य में समाविष्ट नहीं की गई थी। जब वे सामग्रियां जिनकी बाबत इस उपखण्ड के अधीन अग्रिम धन दिया गया है, कार्य में समाविष्ट कर ली गई है तब उस ठेके के किसी खण्ड या खण्डों के अधीन अलग से ऐसे अग्रिम धन की कटौती कर ली जाएगी।

to be paid during the progress of the execution of the work upto 75% of the estimated value of any materials which are in the opinion of the Circle/Branch Officer non-perishable and are in accordance with the contract and which have been brought on the site in connection therewith and are adequately stored and or protected against damage by weather or other causes but which have not at the time of advance been incorporated in the works. When materials on account of which an advance has been made under this sub-clause are incorporated in the work the amount of such advance shall be deducted from the next payment made under any of the clause or clauses of this contract.

खण्ड 10 ग.— यदि कार्यों की प्रगति के दौरान, कार्य में समाविष्ट किसी सामग्री की (जो उसके खण्ड 10 के अनुसार मंडल/शाखा अधिकारी के भण्डार में से प्रदाय की गई सामग्री नहीं है) कीमत में और/या श्रमिकों की मजदूरी में किसी नई विधि या कानूनी नियम या आदेश के प्रवृत्त होने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप (किन्तु विक्रय कर में किसी तबदीली के कारण नहीं) वृद्धि हो जाती है और ऐसी वृद्धि कार्य के लिए निविदा प्राप्त करने के समय विद्यमान कीमत और/या मजदूरी के दस प्रतिशत से अधिक है, और तदुपरि ठेकेदार (कार्य में समाविष्ट) उस सामग्री की बाबत आवश्यक एवं उचित रूप से ऐसी बढ़ी हुई कीमत और/या कार्य के निष्पादन में नियोजित श्रमिकों की बाबत ऐसी बढ़ी हुई मजदूरी संदत्त करता है तो ठेके की रकम में तदनुसार परिवर्तन कर दिया जाएगा, परन्तु सदैव यह कि इस प्रकार संदेय कोई वृद्धि मंडल/शाखा अधिकारी की राय में (जिसका विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा) ठेके के निष्पादन में ऐसे विलम्ब के कारण जो ठेकेदार के नियन्त्रण के भीतर हो, हुई मानी जाएगी।

CLAUSE 10-C.—If during the progress of the works the price of any materials incorporated in the works (not being a material supplied from the Circle/Branch Officer's stores in accordance with Clause to hereof) and/or wages of labour increases as a direct result of the coming into force of any fresh law or statutory rule or order (but not due to any changes in sales tax) and such increase exceeds ten per cent, of the price and/or wages prevailing at the time of receipt of the tender for the work and the contractor thereupon necessarily and properly pays in respect of that material (incorporated in the works) such increased price and/or in respect of labour engaged on the execution of the work such increased wages then the amount of the contract shall accordingly be varied provided always that any increase so payable is not, in the opinion of the Circle/Branch Officer (whose decision shall be final and binding) attributable to delay in the execution of the contract within the control of the contractor.

परन्तु, फिर भी यह वृद्धि उक्त कीमत/मजदूरी के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है तो कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी और यदि वह वृद्धि उक्त कीमत/मजदूरी के दस प्रतिशत से अधिक है तो क्षतिपूर्ति 10 प्रतिशत से ऊपर की अतिरिक्त रकम पर ही की जाएगी। परन्तु यह और कि यदि ऐसी वृद्धि ठेके अथवा प्रश्नगत कार्य के पूरा होने की बढ़ी हुई तारीख के बाद प्रवृत्त हुई हो तो कोई ऐसी वृद्धि संदेय नहीं होगी।

Provided, however, no reimbursement shall be made if the increase is not more than 10% of the said prices/wages and if so the reimbursement shall be made only on the excess over 10% and provided further that any such increase shall not be payable if such increase has become operative after the contract or extended date of completion of the work in question.

यदि कार्य की प्रगति के दौरान, कार्य में समाविष्ट किसी सामग्री की (जो उसके खण्ड 10 के अनुसार मंडल/शाखा अधिकारी के भण्डार से प्रदाय की गई सामग्री नहीं है) कीमत और/या श्रमिकों की मजदूरी किसी नई विधि कानूनी नियम या आदेश के प्रवृत्त हो जाने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप

If during the progress of the works the price of any material incorporated in the works (not being a material supplied from the Circle/Branch Officer or incharge of stores in accordance with Clause 10 thereof)

(किन्तु विक्रय कर में तबदीलियों के कारण नहीं) कम हो गई है और ऐसी कमी कार्य के लिए निविदा प्राप्त करने के समय विद्यमान कीमतों और/या मजदूरियों के दस प्रतिशत से अधिक है तो सरकार कार्य में समाविष्ट सामग्रियों (जो इसमें खण्ड 10 के अनुसार मंडल/शाखा अधिकारी के भण्डार से प्रदाय की गई सामग्री नहीं होगी) और/या कार्य के निष्पादन में, ऐसी विधि, कानूनी नियम या आदेश के प्रवृत्त होने की तारीख के पश्चात् से, नियोजित श्रमिकों की बाबत ठेकेदार को शोध्य रकमों में से ऐसी रकम काटने की हकदार होगी जो कार्य के लिए निविदा प्राप्त करने के समय विद्यमान सामग्री की कीमत और/या मजदूरी में से उसके दस प्रतिशत के बराबर घटाकर उसके और ऐसी विधि, कानूनी नियम या आदेश के प्रवृत्त हो जाने पर सामग्रियों की कीमत और/या श्रमिकों की मजदूरी के बीच अंतर के बराबर होगी ।

direct result of the coming into force of any fresh law or statutory order (but not due to any change in sales tax) and such decrease reduced to ten percent of the price and/or wages of labour engaged on the execution of the work after the date of coming into force of such law, statutory rule or order, the government shall be entitled to deduct from the dues of the contractor such amount as shall be equivalent to the difference between the prices of materials and/or wages as they prevailed at the time of receipt of tender for the work minus ten per cent, thereof and the prices of materials and/or wages of labour on the coming into force of such law, statutory rule or order.

ठेकेदार इस शर्त के प्रयोजन के लिए ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज रखेगा जो दावाकृत किसी वृद्धि या उपलब्ध कमी की रकम दिखाने के लिए आवश्यक हो और सरकार के सम्यकतः प्राधिकृत अभिकर्त्ता द्वारा उसका निरीक्षण अनुज्ञात करेगा और इसके अतिरिक्त मंडल/शाखा अधिकारी के निवेदन पर इस प्रकार रखे गये कोई दस्तावेज और ऐसी जानकारी जैसी मंडल/शाखा अधिकारी अपेक्षित करें ऐसी रीति में सत्यापित रुप में देगा जैसा मंडल/शाखा अधिकारी अपेक्षित करें ।

The contractor shall for the purpose of this conditions keep such books of account and other documents as are necessary to show the amount of any increase claimed or reduction available and shall allow inspection of the same by a duly authorised representative of Government and further shall at the request of the Circle/Branch Officer furnish and have verified in such a manner as the Circle/Branch Officer may require, any documents so kept and such other information as the Circle/Branch Officer may require.

ठेकेदार किसी ऐसी सामग्री की कीमत और/या श्रमिकों की मजदूरी में परिवर्तन होने की जानकारी मिलने पर प्रतिनियुक्त समय के भीतर मंडल/शाखा अधिकारी को यह बताते हुए नोटिस देगा कि यथोक्त बातें और उससे संबद्ध समस्त जानकारी जो वह देने की स्थिति में होता इस शर्त के अनुसरण में दी जा रही है ।

The contractor shall within a reasonable time of his becoming aware of any alteration in the price of any such material and/or wages of labour give notice thereof to the Circle/Branch Officer stating that the same is given pursuant to this condition together with all information relating thereto which he may be in a position to supply.

खण्ड 10-घ.—ठेकेदार किसी संरचना को तोड़ने, निर्माण कार्य आदि के लिए स्थल की खुदाई के दौरान प्राप्त सभी संपत्तियों को सरकारी संपत्ति समझेगा और ऐसी सामग्री का निपटान मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार सरकार के सर्वोत्तम लाभ के लिए किया जाएगा । ठेकेदार द्वारा नींव आदि की खुदाई के दौरान या निर्माण कार्य की खुदाई के दौरान, यदि किसी प्राचीन संरचना या पुरावशेषों का पता चलता है या उसकी प्राप्ति होती है तो वह निर्माण कार्य तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि वे मंडल/शाखा अधिकारी या उसके प्रतिनिधि उस स्थल का निरीक्षण न कर लें जिसे ठेकेदार या निर्माण कार्य के प्रभारी अधिकारी ऐसी प्राप्ति की सूचना तुरंत देंगे ।

CLAUSE 10D.—The contractor shall treat all materials obtained during dismantling of structure, excavation of the site for a work etc. as Government's property and such materials shall be disposed of to the best advantage of Govt. according to the instructions in writing issued by the Circle/Branch Officer. During the time of excavation of foundations etc. or otherwise during the excavation of work by the contractor, if any ancient structure or antiquities are unearthed or discovered, the work shall be suspended till such time the site is inspected by the Circle/Branch Officer or his representative to whom such a discovery shall be notified forthwith by the contractor or the officer-in-charge of the work,

खण्ड 10 च.—सीमेंट की वसूली दर में जूट अथवा कागज की बोरियों की कीमत सम्मिलित होगी। ठेकेदार को सीमेंट की बोरी संग्रह करने वाले एजेंटों को काम के लायक हालत वाली जूट वाली सीमेंट की बोरियों में से कम से कम 90 प्रतिशत बोरियां लौटानी होंगी। ठेकेदारों को खाली बोरियों की कीमत का भुगतान, बोरी संग्रह करने वाले एजेंटों द्वारा विद्यमान दरों पर जिन्हें पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय नियत करेंगे, किया जायेगा। ठेकेदार बोरी संग्रह करने वाले एजेंट के नामों की सूची मंडल/शाखा अधिकारी से लिखित रूप में प्राप्त करेगा। ठेकेदार को चाहिए कि वह बोरी संग्रह करने वाले प्राधिकृत एजटों से बोरी लौटाए जाने के सबूत के रूप में उन बोरियों की संख्या लिखा उनके छपे हुए पत्र शीर्ष पर प्रमाण-पत्र अवश्य पेश करें। इस प्रकार का प्रमाणपत्र हरेक चालू बिल पर भुगतान का दावा करते वक्त पेश किया जाना चाहिए। यदि काम के लायक बोरियों की संख्या उन्ह जारी की गई बोरियों के 90% से कम होगी तो ठेकेदार से न्यूनतम संख्या से कम लौटाई गई बोरियों पर एक रुपया प्रति बोरी की दर से हर्जाना वसूल किया जाएगा।

यदि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निर्माण कार्य में वस्तुत: उपयोग के लिए खाली सीमेंट की बोरियों की अपेक्षा करें तो निर्माण कार्य के प्रभारी मंडल/शाखा अधिकारी को स्वयं बोरियां संग्रह करने की शक्ति होगी और ठेकेदार अच्छी हालत में खाली जूट की बोरियां अपेक्षित संख्या में उसे उन्हीं शर्तों पर वापस करेगा जिन पर बोरियां जमा करने वाले एजटों को दी जाती है।

टिप्पणी : ठेकेदार को चाहिए कि वह सीमेंट फैक्टरियों की बोरी इकट्ठा करने वाले एजेंट को 30 दिन के अन्दर बोरियों को ले जाने के लिए रजिस्ट्री डाक से सूचना भेजे। यदि बोरिया इकट्ठी करने वाला एजेंट निर्धारित समय के भीतर नहीं आता या जहां ऐसे एजेंट कार्य न कर रहे हों या उपलब्ध न हों तो ठेकेदार बोरियों के निपटान के लिए स्वतन्त्र होगा।

विनिर्देशनों, नक्शों-आदेशों आदि के अनुसार कार्य का निष्पादन किया जाना।

खण्ड 11.—ठेकेदार पूरे कार्य को और उसके हर अधिकतम सारवान और कार्य कौशलयपूर्ण रीती से तथा सामग्री और अन्यथा दोनों ही के संबंध में हर प्रकार से विनिर्देशों के अनुसार निष्पादन करेगा। ठेकेदार कार्य की बाबत डिझाइनों आरेखनों और मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अनुदेशों के अनुसार यथावत पूर्णत: और निष्ठापूर्वक कार्य करेगा और ठेकेदार को, विनिर्देशों और सभी ऐसे डिजाइनों, आरेखनों और अनुदेशों को जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के समय समय पर

CLAUSE 10-E.—The recovery rate of cement is inclusive of cost of jute or paper bags. The contractor shall have to return at least 90% of the cement jute bags in serviceable conditions to the bag collecting agents. The payments for the cost of empty bags will be made to the contractor by the bag collecting agents at the prevailing rates as fixed by the D.G.S.&.D. The contractor shall get the name of the bag collecting agents from the Circle/Branch Officer in writing. The contractor must produce the certificate on the printed letter head from the authorised bag collecting agents as proof for the number of bags returned by him. The certificate must be produced by him while claiming payment against each running bill. In case the number of serviceable bags returned is less than 90% of the bags issued compensation at the rate of Re. 1 per bag returned short of the minimum number shall be recovered from the contractor.

In case empty cement bags are required by Archaeological Survey of India for bona fide use in work, the Circle/Branch Officer in-charge of the work shall have power to collect the bags himself and the contractor shall have to return the desired number of empty jute bags in serviceable condition to him on the same conditions as for bag collecting agents.

NOTE :—The contractor should send registered invitation to the bag collecting agent, of the cement factories for collecting the bags within a period of 30 days. If the bags collection agents fail to turn up within the stipulated period or where no such agents operate or are available, the contractor shall be at liberty, to dispose of the bags.

Work to be executed in accordance with specifications, drawings, orders, etc.

CLAUSE 11.—The contractor shall execute the whole and every part of the work in the most substantial and workmanlike manner and both as regards material and otherwise in every respect in strict accordance with the specifications. The contractor shall also conform exactly fully and faithfully to the designs, drawings and instructions in writing in respect of the work signed by the Circle/Branch Officer and the contractor shall be furnished free of charge one copy of such

प्रवृत्त अद्यतन शुद्धि पत्रों सहित "दिल्ली में कार्यों के लिए विनिर्देश" नामक संग्रह या ठेके में अन्यत्र निर्दिष्ट साधारण विनिर्देशों के बारे में किसी अन्य मुद्रित प्रकाशन में सम्मिलित नहीं है, एक प्रति निःशुल्क दी जाएगी ।

specifications, designs, drawings and instructions as are not included in the Central Public Works Department compilation entitled "Specifications for works at Delhi" with upto date corrections, slips in force from time to time or any other printed publications on General Specifications referred to elsewhere in the contract.

विनिर्देशों और डिजाइनों में परिवर्तन

खण्ड 12.—मंडल/शाखा अधिकारी को मूल विनिर्देशों, आरेखनों, डिजाइनों और अनुदेशों में कार्य की प्रगति के दौरान उसको आवश्यक प्रतीत होने वाले कोई परिवर्तन, लोप, परिवर्धन या उनके प्रतिस्थापन की शक्ति होगी और ठेकेदार उन अनुदेशों के अनुसार कार्य करेगा जो उसे लिखित रूप में मंडल शाखा / अधिकारी द्वारा दिये गये और हस्ताक्षरित हों और ऐसे परिवर्तन, लोप, परिवर्धन या प्रतिस्थापना से ठेका अवधि मान्य नहीं होगा और कोई परिवर्तित अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य जिसे कार्य के भाग के रूप में ठेकेदार को ऊपर विनिर्दिष्ट रीति में करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए ठेकेदार द्वारा सभी दृष्टियों से उन्हीं शर्तों पर किया जाएगा जिन पर वह मुख्य कार्य करने के लिए सहमत हुआ है। कार्य पूरा करने के लिए समय उसी अनुपात में बढ़ाया जाएगा जो अनुपात परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य और मूल ठेके के कार्य के बीच है और ऐसे अनुपात के बारे में मंडल/शाखा अधिकारी का प्रमाण-पत्र निश्चायक होगा इसके अतिरिक्त ठेकेदार को इस प्रकार बढ़ाए गए समय के 25 प्रतिशत तक की अतिरिक्त कालावधि अनुज्ञात की जाएगी। इस खण्ड के अधीन ऐसे अतिरिक्त, परिवर्तित या प्रतिस्थापित कार्य के लिए दरें निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार उनके अपने अपने क्रम में निकाली जाएगी ;

(i) यदि अतिरिक्त, परिवर्तित या प्रतिस्थापित कार्य के लिए दरें कार्य के ठेके में विनिर्दिष्ट है तो ठेकेदार अतिरिक्त, परिवर्तित या प्रतिस्थापित कार्य उन्ही दरों पर पूरा करेगा जो कार्य के ठेके में विनिर्दिष्ट है ।

(ii) यदि अतिरिक्त, परिवर्तित या प्रतिस्थापित कार्य के लिए दरें कार्य के ठेके में विनिर्दिष्टत: उपबंधित नहीं है तो दरें वैसे ही वर्ग के कार्य के लिए दरों में से ली जाएगी जो कार्य के ठेके में विनिर्दिष्ट है ।

Alterations in specification and designs.

CLAUSE 12.—The Circle/Branch Officer shall have power to make any alterations in omissions from, additions to, or substitutions for, the original specifications, drawings, designs and instructions that may appear to him to be necessary during the progress of the work and the contractor shall carry out the work in accordance with any instructions which may be given to him in writing signed by the Circle/Branch Officer, and such alterations, omissions, additions or substitutions shall not invalidate the contract and any altered additional or substituted work which the contractor may be directed to do in the manner above specified as part of the work shall be carried out by the contractor on the same conditions in all respects on which he agreed to do the main work. The time for the completion of the work shall be extended in the proportion that the altered, additional or substituted work bears to the original contract work and the certificate of the Circle/Branch Officer shall be conclusive as to such proportion. Over and above this, a further period to the extent of 25 percent of such extension shall be allowed to the contractor. The rates for such additional altered or substituted work under this clause shall be worked out in accordance with the following provisions in their respective order ;

(i) If the rates for the additional, altered or substituted work are specified on the contract for the work, the contractor is bound to carry out the additional, altered or substituted work at the same rates as are specified in the contract for the work.

(ii) If the rates for the additional, altered or substituted work are not specifically provided in the contractor for the work, the rates will be derived from the rates for a similar class of work as are specified in the contract for the work.

(iii) यदि परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य में कोई ऐसा कार्य सम्मिलित है जिसके लिए दर कार्य के ठेके में विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं और उसके लिए दरें ठेके में वैसे ही कार्य से नहीं ली जा सकती है तो ऐसा कार्य*————————
————————————

[*यहां दरों की वह अनुसूची लिखिए जो लागू हो।]

में प्रविष्ट दरों पर जिसमें से ऐसी प्रतिशतता जो कुल निविदत्त रकम की निविदत्त समस्त कार्य की प्राक्कलित लागत पर आती है, घटा/जोड़ दी गई हो।

(iv) यदि परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य के लिए दरें ऊपर उप-खण्ड (i) से (iii) तक में विनिर्दिष्ट रीति में अवधारित नहीं की जा सकती है तो ऐसे कार्य के लिए दर ऊपर विनिर्दिष्ट जिले की दर सूची के आधार पर उसमें उस प्रतिशतता को जोड़ या घटाकर निकाली जाएंगी जो कि निविदत्त कुल रकम को निविदत्त सम्पूर्ण कार्य की प्राक्कलित लागत से है। परन्तु सदैव यह कि यदि किसी कार्य के विशिष्ट भाग या भागों के लिए दर, दर सूची में नहीं है तो ऐसे भाग या भागों के लिए दर मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा उस समय की, जब कि कार्य किया गया विद्यमान बाजार दरों पर अवधारित की जाएगी।

(v) यदि परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य के लिए दरें ऊपर के उप-खण्ड (i) से (iv) तक विनिर्दिष्ट रीति से अवधारित नहीं की जा सकती है तो ठेकेदार कार्य करने के लिए आदेश की प्राप्ति की तारीख से 7 दिन के भीतर ऐसी दर की जैसी कि वह ऐसे कार्य-वर्ग के लिए प्रमाणित करना चाहता है इत्तिला, दावाकृत दर या दरों के विश्लेषणों के सहित, मंडल/शाखा अधिकारी को देगा और मंडल/शाखा अधिकारी विद्यमान बाजार दरों के आधार पर दर या दरें अवधारित करेगा और ठेकेदार को तदनुसार संदाय करेगा। किन्तु मंडल/शाखा अधिकारी लिखित सूचना द्वारा ऐसे कार्य-वर्ग को करने के लिए अपने आदेश को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा और उसे ऐसी रीति में कराने की व्यवस्था कर

(iii) If the altered, additional or substituted work includes any work for which no rate is specified in the contract for the work and cannot be derived from the similar class of work in the contract, then such work shall be carried out at the rates entered in*......................................
....

[*Add here the schedule of rates applicable.]

minus/plus percentage which the total tendered amount bears to the estimated cost of the entire work put to tender.

(iv) If the rates for the altered, additional or substituted work cannot be determined in the manner specified in sub-clauses (i) to (iii) above, then the rates for such work shall be worked out on the basis of the Schedule of rates of the District, specified above minus/plus the percentage which the total tendered amount bears to the estimated cost of the entire work put to tender. Provided always that if the rate for a particular part or parts of the item is not in the Schedule of Rates, the rate for such part or parts will be determined by the Circle/Branch Officer on the basis of the prevailing market rates when the work was done.

(v) If the rates for the altered additional or substituted work cannot be determined in the manner specified in sub-clauses (i) to (iv) above, then the contractor shall within 7 days of the date of receipt of order to carry out the work, inform the Circle/Branch Officer of the rate which it is his intention to charge for such class of work, supported by analysis of the rate or rates claimed, and the Circle/Branch Officer shall determine the rate or rates on the basis of prevailing market rates, and pay the contractor accordingly. However, the Circle/Branch Officer, by notice in writing, will be at liberty to cancel his order to carry out such class of work and arrange to carry it out in such manner as he may consider advisable. But under no circumstances, the

सकेगा जो वह वांछनीय समझे । किन्तु किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार कार्य को इस दलील के आधार पर स्थगित नहीं करेगा कि इस खण्ड के अंतर्गत कार्यों की द॰ निर्धारित की हुई हैं ।

(vi) नींवों से संबंधित मद्दों के सिवाय, ऊपर के उप-खण्ड (1) से (v) तक में अन्तर्विष्ट उपबंध ठेके अथवा ऐसे प्रतिस्थापित मद्दों को लागू नहीं होंगे जो निविदा दस्तावेजों में निम्नलिखित निबन्धनों के अधीन रहते हुए "उपर्वणित प्रतिशतता" (जिसे इसमें इसके नीचे "विचलन परिसीमा" कहा गया है) से अधिक हो जाएं :—

(क) उपर्युक्त विचलन परिसीमा, आदिष्ट सभी परिवर्धनों और कटोतियों का अंतिम प्रभाव (बीजीय योग) है ।

(ख) किसी भी दशा में परिवर्धन/कटौतियां (गणितीय योग) विचलन परिसीमा के दुगने से अधिक नहीं होगा ।

(ग) ठेके में सम्मिलित किसी एकल व्यवसाय को मद्दों पर आदिष्ट विचलन ठेके में उस व्यवसाय के सम्पूर्ण मूल्य के 50% के बराबर जोड़कर या घटाकर जो आए उनसे अथवा विचलन परिसीमा के आधे से इनमें जो भी कम हो, अधिक नहीं होंगे ।

(घ) किसी एकल व्यवसाय की ऐसे मद्दों के परिवर्धनों का मूल्य, जो ठेके में पहले ही सम्मिलित न किया गया हो, विचलन परिसीमा के 10% से अधिक नहीं होगा ।

इस प्रयोजन के खंड 12 (vi) तक लागू होंगे । निम्नलिखित निर्माण कार्य नींव से संबंधित निर्माण कार्य माने जाएंगे :—

(i) भवनों की चहार दीवारी के मामले में कुर्सी स्तर या भूमि तल से 1.2 मीटर ऊपर तक इनमें जो भी निम्नतर होगा, इसमें फर्शीकरण और डी॰ पी॰ सी॰ की मदें भी शामिल हैं किन्तु, इसमें फर्श के नीचे का कंक्रीट आधार भी शामिल होगा ।

(ii) पायों के अन्त्याधारों, पुलियों की पुश्ता दीवारों और जलाशयों के पुलों की दीवारों के मामलों में फर्श स्तर के तल ।

contractor, shall suspend the work on the plea of non-settlement of rates of items falling under this clause.

(vi) Except in case of items relating to foundations, provisions contained in sub-clauses (i) to (v) above shall not apply to contract or substituted items as individually exceed the percentage set out in the tender documents (referred to herein below as 'deviation limit'), subject to the following restrictions :—

(a) The deviation limit referred to above is the net effect (algebraical sum) of all additions and deductions ordered.

(b) In no case shall the additions/deductions (arithmetical sum) exceed twice the deviations limit.

(c) The deviations ordered on items of any individual trade included in the contract shall not exceed plus/minus 50% of the value of that trade in the contract as a whole or half the deviation limit, whichever is less.

(d) The value or additions of items of any individual trade not already included in the contract shall not exceed 10% of the deviation limit.

For the purpose of operation of Clause 12(vi), the following works shall be treated as works relating to foundations :—

(i) For building compound walls plinth level or 1.2 metres (ft) above ground level whichever is lower including item of flooring and D.P.C. but including base concrete below the floors.

(ii) For abutment piers, retaining walls of culverts and bridge walls of water reservoirs, the bed of floor level.

(iii) पुश्ता दीवारों के मामले में जहां फर्श स्तर निर्धारित नहीं है वहां औसत भूमि तक या तल स्तर तक ।

(iv) सड़कों के मामले में खुदाई और भराई की सभी मदें जिसमें उप आधार और मिट्टी का कार्य शामिल है ।

(v) जल पूर्ति के नलों, सीवर नलों, भूमिगत जमा पानी निकालने की नालियों और ऐसे ही कार्य के मामले में भूमि तल से नीचे के निर्माण कार्य की सभी मदें जिसमें जल बिछाने और यथोचित चिनाई कार्य शामिल नहीं है ।

(vi) भूतल पर जमा जल निकास की नालियों के मामले में निर्माण कार्य की सभी मदें जिसमें नालियां बिछाने का कार्य शामिल नहीं है।

टिप्पण.—"एकल व्यवसाय" से अभिप्रेत है व्यावसायिक खण्ड जिनमें करार से उपाबद्ध परिणामों की अनुसूची विभाजित की गई है अथवा ऐसे किसी विभाजन के न होने पर ऊपर विनिर्दिष्ट केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की दरों की अनुसूची के अलग अलग खण्ड उदाहरणार्थ खोदाई और मिट्टी का काम, कंक्रीट, लकड़ी का कंक्रीट, लकड़ी का काम और बढ़ई का काम आदि ।

नींव से संबंधित मदों को छोड़कर उन सभी निर्माण कार्यों की दरें जिनकी दरें व्यतिक्रम सीमा से अधिक होंगी, खंड 12 क में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार निर्धारित की जाएंगी ।

खण्ड 12-क.—नींव कार्य संबंधी उन मद्दों को छोड़कर, जिनको करने की अपेक्षा ऊपर की खण्ड 12 के अधीन ठेकेदार से की गई हो, ठेके की या प्रतिस्थापित ऐसी मद्दों की दशा में, जो ठेके में नियत परिसीमा से अधिक हों और ऐसा आधिक्य विचलन परिसीमा से भी अधिक हो, ठेकेदार आदेश प्राप्त होने से 7 दिन के भीतर विचलन परिसीमा से अधिक परिमाणों के लिए दरों के पुनरीक्षण का दावा उसके समर्थन में उन मद्दों के बारे में उचित विश्लेषण देते हुए करेगा और वह ऐसा दावा इस बात के होते हुए भी करेगा कि ऐसी मद्दों के लिए दरें मुख्य कार्य की निविदा में विद्यमान है या खण्ड 12 के उप-खंड (ii) के उपबन्धों के अनुसार उनका हिसाब लगाया जा सकता है तथा मंडल/शाखा अधिकारी प्रचलित बाजार दरों को ध्यान में रखते

(iii) For retaining walls where floor level is not determinate 1.5 m above the average ground level or bed level.

(iv) For road, all items of excavations and filling including treatment of sub base and soling work.

(v) For water supply lines, sewer lines, underground storm water drains and similar works, all items of work below ground level except item of pipe work and proper masonry work

(vi) For open storm water drains, all items of work except lining of drains.

NOTE :—"Individual trade" means the trade sections into which a schedule of quantities annexed to the agreement has been divided for, in the absence of any such division the individual sections of the C.P.W.D. Schedule of rates specified above, such as, excavation and earthwork concrete, wood work and joinery etc.

The rates of any such work except the items relating to foundations which is in excess of the deviation limit shall be determined in accordance with the provisions contained in Clause 12 A.

CLAUSE 12-A.—In the case of contract substituted items or additional items, which result exceeding the limits laid down in sub-clause (vi) of clause 12, except the items relating to foundation work, which the contractor is required to do under clause 12 above, the contractor shall, within 7 days from the receipt of order, claim revision of the rate supported by proper analysis in respect of such items for quantitites in excess of the deviation limit, notwithstanding the fact that the rates for such items exist in the tender the main work or can be derived in accordance with the provision of sub-clause (ii) of Clause 12, and the Circle/Branch Officer may revise their rates, having regard to the prevailing market rates and the contractor shall be paid in accordance with the rates so fixed.

हुए, उनकी दरों का पुनरीक्षण कर सकेगा और ठेकेदार को ऐसी नियत की गई दरों के अनुसार संदाय किया जाएगा किन्तु मंडल/शाखा अधिकारी को इस बात की स्वतन्त्रता होगी कि वह ठेकेदार को लिखित सूचना देकर ऐसे बढ़े हुए कार्य को निष्पादित कराने के अपने आदेश को रद्द कर दें और उसे ऐसी रीति से कराने की व्यवस्था करे जैसी वह उचित समझे । किन्तु किन्हीं भी परिस्थितियों में ठेकेदार इस दलील के आधार पर कार्य को निलम्बित नहीं करेगा कि इस खण्ड के अधीन आने वाली मदों की दरें तय नहीं हुई हैं ।

The Circle/Branch Officer shall, however, be at liberty to cancel his order to carry out such increased quantities of work by giving notice in writing to the contractor and arrange to carry it out in such manner as he may consider advisable. But, under no circumstances the contractor shall suspend the work on the plea of non-settlement of rates of items falling under this Clause.

पूर्वगामी पैरा के सभी उपबंध विचलन परिसीमा से अधिक परिणामों के लिए मदों की दरों में कमी को इस बात के होते हुए भी कि ऐसी मदों के लिए दरें मुख्य कार्य की निविदा में विद्यमान है या पूर्वगामी खण्ड 12 के उप-खण्ड (ii) के उपबंधों के अनुसार उन का हिसाब लगाया जा सकता है, समान रूप से लागू होंगे और मंडल/शाखा अधिकारी प्रचलित बाजार दरों को ध्यान में रखते हुएऐसी दरों का पुनरीक्षण कर सकेगा ।

All the provisions of the preceding paragraph shall equally apply to the decrease in the rates of items for quantities in excess of the deviation limit, notwithstanding the fact that the rates for such items exist in the tender for the main work or can be derived in accordance with the provisions of sub-clause (ii) of the preceding Clause 12, and the Circle/Branch Officer may revise such rates having regard to the prevailing market rates.

निष्पादित किए जाने वाले कार्य में परिवर्तन या उसके निबंधन के लिए किसी प्रतिकर का दिया न जाना।

No compensation for an alteration in or restriction of work to be carried out.

खण्ड 13.—यदि कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी समय भारत के राष्ट्रपति किसी भी कारण से यह अपेक्षा न करें कि निविदा में जो कार्य विनिर्दिष्ट है वह सारा का सारा सम्पन्न किया जाए तो मंडल/शाखा अधिकारी इस बात की सूचना ठेकेदार को देगा जो किसी लाभ या फायदे के, जो सम्पूर्ण कार्य को सम्पन्न न करने के परिणामस्वरूप उसे प्राप्त नहीं हुआ, लेखे के किसी भी प्रतिकर के संदाय के लिए दावेदार नहीं होगा और न मूल विनिर्देशों, आरेखनों, डिजाइनों या अनुदेशों में किए गए किन्हीं ऐसे परिवर्तनों के कारण, जिसमें तथा मूलतः अनुध्यात कार्य में कोई काट-छांट अन्तर्वलित हो, प्रतिकर के लिए दावेदार होगा ।

CLAUSE 13.—If at any time after the commencement of the work the President of India shall for any reason whatsoever not require the whole work thereof as specified in the tender to be carried out the Circle/Branch Officer shall give a notice in writing to the effect to the contractor who shall have no claim to any payment of compensation whatsoever on account of any profit or advantage which he might have derived from the execution of the work in full, but which he did not derive in consequence of the full amount of the work not having been carried out, neither shall he have any claim for compensation by reason of any alterations having been made in the original specifications, drawings, designs and instructions which shall involve any curtailment of the work as originally contemplated.

परन्तु ठेकेदार को केवल उतनी ही सामग्री की ढुलाई का प्रभार संदत्त किया जाएगा जितनी ठेकेदार द्वारा वस्तुतः सद्भावपूर्वक, कार्यस्थल पर लाई गई हो और जो कार्य अथवा उसके किसी भाग के परित्याग या काट-छांट के परिणामस्वरूप अधिशेष हो गई हो और ठेकेदार द्वारा वापस ले जाई गई हो । परन्तु फिर भी, मंडल/शाखा अधिकारी को ऐसे सभी मामलों में सम्पूर्ण या ऐसे किसी सामग्री को उसकी क्रय कीमत पर अथवा

Provided that the contractor shall be paid the charges on the cartage only of materials actually and bonafide brought to the site of the work by the contractor and rendered surplus as a result of the abandonment or curtailment of the work or any portion thereof and then taken back by the contractor, provided however, that the Circle/Branch Officer shall have in all such cases the option of taking over

स्थानीय चालू दरों पर इनमें से जो भी कम हो, ले लेने का विकल्प होगा। यदि ऐसा सामान सरकारी भंडारों से जारी किया गया हो और ठेकेदार द्वारा सरकारी भंडार में वापस कर दिया गया हो तो मंडल/शाखा अधिकारी उसे उस दर पर उधार देंगे जो उसे मूलतः जारी की गई दर से अधिक नहीं होगी इसके लिए उसे यह बात ध्यान में रखनी होगी कि ठेकेदार की अभिरक्षा में रहते हुए उस सामान में कितना ह्रास हुआ है अथवा कितनी क्षति हुई है और इस संबंध में मंडल/शाखा अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

खराब काम की दशा में कार्रवाई और संदेय प्रतिकर।

खण्ड 14.—यदि मंडल/शाखा अधिकारी अथवा उसके अधीनस्थ व्यक्ति को जो काम का भारसाधक हो अथवा मुख्यतः तकनीकी परीक्षक को प्रतीत हो कि कोई काम दोषयुक्त, अपूर्ण अथवा अकौशलपूर्ण कार्य कौशल से या किसी घटिया किस्म के सामान का प्रयोग करके किया गया है या यह कि काम के निष्पादन के लिए ठेकेदार द्वारा व्यवस्थित कोई सामग्री अथवा वस्तु दोषयुक्त है या उस सामग्री अथवा वस्तु से घटिया क्वालिटी की है जिसके लिए ठेका हुआ है अथवा अन्यथा ठेके के अनुसार नहीं है, तो ठेकेदार, लिखित रूप में मांग किए जाने पर, जो मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा उस काय सामग्री अथवा वस्तु को विनिर्दिष्ट करते हुए की जाए जिसके विरुद्ध शिकायत है, इस वात के होते हुए भी कि वह कार्य पास कर दिया गया हो, प्रमाणित कर दिया गया हो और उसके लिए संदाय कर दिया गया हो, ऐसे विनिर्दिष्ट कार्य का तुरंत पूर्णतः या भागतः जैसी उससे अपेक्षा की जाए, सुधारेगा या हटाएगा और उसका पुनः सन्निर्माण करेगा अथवा, यथास्थिति ऐसी विनिर्दिष्ट सामग्री या वस्तु को हटा देगा और अपने उचित निजी प्रभार और खर्च पर अन्य उचित और उपयुक्त सामग्री या वस्तुओं की व्यवस्था करेगा और मंडल/शाखा अधिकारी अपनी पूर्वोक्त मांग में जो कालावधि विनिर्दिष्ट करें उसके भीतर यदि ठेकेदार ऐसा करने में असफल रहता है तो, वह निविदा में दी गई प्राक्कलित रकम पर प्रतिदिन, दस दिन से अनधिक, प्रत्येक उस दिन के लिए जब ऐसा करने में उसकी असफलता बनी रहे एक प्रतिशत की दर से प्रतिकर का संदाय करने के दायित्वाधीन होगा तथा ऐसी किसी असफलता की दशा में मंडल/शाखा अधिकारी सामग्री या वस्तुओं को, जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है हर प्रकार से ठेकेदार के जोखिम और व्यय पर यथा-स्थिति, सुधार सकेगा या हटा सकेगा और कार्य का पुनः निष्पादन कर सकेगा अथवा उसे हटाकर उसके स्थान पर दूसरी सामग्री या वस्तु लगा सकेगा।

all or part of such materials at their purchase price or at local current rates whichever may be less. In case of such stores having been issued from Government Stores and returned by Contractors to Government Stores, credit shall be given to him by the Circle/Branch Officer at the rates not exceeding those at which they were originally issued to him, after taking into consideration the reduction for claims on account of any deterioration or damage while in custody of the contractor and in this respect the decision of the Circle/Branch Officer shall be final.

Action and compensation payable in case of bad work

CLAUSE 14.—If it shall appear to the Circle/Branch Officer or his authorised subordinate incharge of the work or by the Chief Technical Examiner, that any work has been executed with unsound, inperfect, or unskillfull workmanship or with materials of any inferior description, or that any materials or articles provided by him for the execution of the work are unsound or of a quality inferior to that contracted for or otherwise not in accordance with the contract, the contractor shall on demand in writing which shall be made within six months of the completion of the work from the Circle/Branch Officer specifying the work, materials or articles complained of notwithstanding that the same may have been passed, certified and paid for, forthwith rectify, or remove and reconstruct the work so specified in whole or in part, as the case may require or as the case may be, remove the materials or articles so specified and provide other proper and suitable materials or articles at his own charge and cost, and in the event of his failing to do so within a period to be specified by the Circle/Branch Officer in his demand aforesaid, then the contractor shall be liable to pay compensation at the rate of one per cent on the estimated amount put to tender for every day not exceeding ten days, while his failure to do so shall continue and in the case of any such failure, the Circle/Branch Officer may rectify or remove and re-execute the work or remove and replace with others. The materials or articles complained at or as the case may be at the risk and expenses in all respects of the contractor.

कार्यों का निरीक्षण के लिए खुला रहना ।

खण्ड 15.—ठेके के अधीन अथवा उसके निष्पादन के अनुक्रम में अथवा उसके अनुसरण में निष्पादित सब कार्य हर समय मंडल/शाखा अधिकारी और उसके अधिकृत अधीनस्थ व्यक्तियों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए खुले रहेंगे तथा ठेकेदार सामान्य कार्य के घंटों के दौरान हर समय तथा अन्य ऐसे सभी समयों पर जिसके बारे में ठेकेदार को यह उचित सूचना दी जा चुकी है कि मंडल/शाखा अधिकारी या उसका अधीनस्थ कार्य को देखने के लिए आने का इरादा रखता है, या तो स्वयं आदेशों और अनुदेशों को प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहेगा अथवा वह उस प्रयोजन के लिए लिखित रूप में सम्यकतः प्रत्यायित किसी जिम्मेदार अभिकर्ता को उपस्थित रखेगा । ठेकेदार के अभिकर्ताओं को दिए गए आदेशों का उतना ही बल माना जाएगा मानों वे स्वयं ठेकेदार को ही दिए गए थे । काम की प्रगति के दौरान कार्य का निरीक्षण मंडल/शाखा अधिकारी की ओर से मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा भी किया जा सकता है ।

Works to be open to inspection.

CLAUSE 15.—All works under or in course of execution or executed in pursuance of the contract shall at all times be open to the inspection and supervision of the Circle/Branch Officer and his authorised subordinates, and the contractor shall at times during the usual working hours, and at all other times at which reasonable notice of the intention of the Circle/Branch Officer or his subordinate to visit the works shall have been given to the contractor, either himself be present to receive order and instructions, or have a responsible agent duly accredited in writing present for that purpose. Orders given to the contractor's agent shall be considered to have the same force as if they had been given to the contractor himself. The work during its progress can also be inspected by the Chief Technical Examiner on behalf of the Circle/Branch Officer.

कार्य को ढकने से पूर्व नोटिस का दिया जाना ।

खण्ड 16.—ठेकेदार किसी कार्य को ढकने या अन्यथा उसको ऐसी स्थिति में जिसमें उसकी माप न हो सके लाने से पूर्व मंडल/शाखा अधिकारी अथवा उसके अधीनस्थ व्यक्ति को, जो उस कार्य का भारसाधक हो, कम से कम, सात दिन की लिखित सूचना देगा ताकि उसके इस प्रकार ढके जाने या ऐसी स्थिति में, जिसमें उसकी माप न हो सके, लाए जाने से पूर्व उस की माप की जा सके और उसकी सही लम्बाई, चौड़ाई नापी जा सके और ठेकेदार किसी भी कार्य को मंडल/शाखा अधिकारी अथवा उसके उस अधीनस्थ व्यक्ति को लिखित सम्मति के बिना जो उस कार्य का भारसाधक हो, ढकेगा नहीं अथवा ऐसी स्थिति में नहीं रखेगा कि उसकी माप न हो सके तथा मंडल/शाखा अधिकारी अथवा उसका अधीनस्थ व्यक्ति, जो उस कार्य का भारसाधक हो, सात दिन की उपर्युक्त अवधि के भीतर कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि कोई कार्य बिना ऐसी सूचना दिये अथवा मंडल/शाखा अधिकारी की सम्मति प्राप्त किये बिना ढका जाएगा अथवा ऐसी स्थिति में ले आया जाएगा कि उसकी माप न हो सके तो यह कार्य ठेकेदार के खर्चे पर खोल दिया जाएगा अथवा उसके व्यतिक्रम की दशा में इस इस प्रकार के कार्य या उस सामग्री के लिए जिसकी मदद से उसे निष्पादित किया गया था का कोई संदाय या मोक्ष नहीं दिया जाएगा।

Notice to be given before work is covered up.

CLAUSE 16.—The contractor shall give not less than seven days notice in writing to the Circle/Branch Officer or his authorised subordinate in charge of the work before covering up or otherwise placing beyond the reach of measurement any work in order that the same may be measured and correct dimensions thereof be taken before the same is so covered up or placed beyond the reach of masurement and shall not cover up and place beyond the reach of measurement, and work without the consent in writing of the Circle/Branch Officer or his authorised subordinate incharge of the work shall within the aforesaid period of seven days inspect the work, and if any work shall be covered up or placed beyond the reach of measurement without such notice having been given or the Circle/Branch Officer's consent being obtained in the same, shall be uncovered at the contractor's expense, or in default thereof no payment or allowance shall be made for such work or the materials with which the same was executed.

प्रमाण पत्र के पश्चात् विहित अनुरक्षण कालावधि के भीतर किए गए नुकसान और पाई गई अपूर्णता के लिए ।

खण्ड 17.—यदि ठेकेदार या उसके कर्मकार या सेवक किसी ऐसे भवन के, जिसमें वे काम कर रहे हों, किसी भाग को अथवा उस परिसर में जिस पर कोई कार्य या उसका कोई भाग निष्पादित किया जा रहा हो लगे हुए किसी भवन, सड़क के मोड़, बाड़ अहाते, पानी के नल, केबिल, नालियों, विद्युत या टेलीफोन के खम्भों या तारों, पेड़ों, घास या घास के मैदान या जोती गई भूमि को तोड़ेगा विरूपित करेगा, नुकसान पहुंचाएगा या नष्ट करेगा अथवा यदि कार्य में, उसकी प्रगति के दौरान कोई नुकसान किसी भी कारण से हो जाएगा या 6 महीने (40,000 रुपये या उससे कम लागत के सड़क कार्य से भिन्न कार्य के लिए 3 महीने) के अंदर कार्य में कोई खराबी, संकुचन या कोई अन्य दोष, मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा उस कार्य के पूरा होने के अंतिम या अन्यथा प्रमाण पत्र के यथापूर्वोक्त दे दिए जाने के पश्चात् प्रकट होते हैं जो त्रुटिपूर्ण या अनुचित सामग्री या कार्य-कौशल से पैदा हुए हों तो ठेकेदार, उस निमित्त लिखित रूप से सूचना प्राप्त होने पर उसे अपने खर्चे पर ठीक करेगा अथवा व्यतिक्रम होने पर मंडल/शाखा अधिकारी उसे अन्य कर्मकारों से ठीक करा सकेगा और उसके खर्च की कटौती ऐसी किसी राशि में से जो उस समय या तत्पश्चात् किसी समय ठेकेदार को देय हो जाए या एस्फाल्ट के काम से संबंधित भाग के लिए जो खण्ड 35 के उप-पैरा (iii) द्वारा शासित होता है, छोड़कर उसके प्रतिभूति निक्षेप में से अथवा उसके या पर्याप्त भाग के विक्रय आगम में से कर सकेगा ठेकेदार का प्रतिभूति निक्षेप (उस भाग को छोड़कर जो एस्फाल्ट के काम से संबंधित है और जो खण्ड 35 के उप-पैरा (iii) द्वारा शासित होता है) कार्य पूरा होने के अंतिम या अन्यथा प्रमाण-पत्र के, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, दिए जाने के पश्चात् 6 मास (सड़क कार्य से भिन्न 40,000 रुपये और उससे कम लागत के किसी कार्य की दशा में तीन मास) की समाप्ति से पूर्व अथवा जब तक कि अंतिम बिल तैयार और पास न हो गया हो, लौटाया नहीं जाएगा । परन्तु सड़क कार्य की दशा में, यदि मंडल/शाखा अधिकारी की राय में प्रतिभूति निक्षेप का आधा भाग ठेकेदार के ठेके के अधीन दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है तो प्रतिभूति निक्षेप का आधा भाग कार्य पूरा होने के उक्त प्रमाण-पत्र के दिए जाने के तीन मास के पश्चात् और बाकी आधा भाग अंतिम बिल के तैयार और पास हो जाने के पश्चात् इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, उसके पश्चात् विदेय होगा ।

Contractor liable for damage done and for imperfection noticed within the prescribed maintenance period after the certificate.

CLAUSE 17.—If the contractor or his working people or servants shall break, deface, injure or destroy any part of the building in which they may be working, or any building, road, road curbs fence, enclosure, water pipe, cables, drains, electric or telephone post or wires, trees, grass or grassland, or cultivated ground contiguous to the premises on which the work or any part of it is being executed, while in progress, from any cause whatever or if any defect, shrinkage or other faults appear in the work within six months (3 months in the case of any work other than road work costing Rs. 40,000 and below) after a certificate final or otherwise of its completion shall have been given by the Circle/Branch Officer as aforesaid arising out of defective or improper materials or workmanship the contractor shall upon a receipt of a notice in writing on that behalf make the same good at his own expense, or in default the Circle/Branch Officer may cause the same to be made good by other workmen and deduct the expense from any sums that may be then, or at any time thereafter become due to the contractor, or from security deposit, except for the portion pertaining to asphaltic work which is governed by sub-para (iii) of Clause 35 or the proceeds of the sale thereof or of a sufficient portion thereof, the security deposit of the contractor, except the portion pertaining to asphaltic work which shall not be refunded before the expiry of six months (three months in the case of any work other than road work costing Rs. 40,000 and below) after the issue of the certificate final or otherwise, of completion of work, or till the final bill has been prepared and passed whichever is later. Provided that in the case of road work, if in the opinion of the Circle/Branch Officer, half of the security deposit is sufficient to meet all the liabilities of the contractor under this contract, after three months and the remaining half after six months of the issue of the said certificate of completion or bill after the final bill has been prepared and passed whichever is later.

ठेकेदार द्वारा सभी संयंत्र, सीढीयों, पाड़ों आदि का प्रदाय किया जाना।

खण्ड 18.—ठेकेदार कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपने व्यय पर सब सामग्रियों (ऐसी विशेष सामग्रियों के, यदि कोई हो, जिनका प्रदाय ठेके के अनुसार मंडल/शाखा अधिकारी के भंडारों से किया जा सकता हो), संयंत्र, औजारों, साधित्रों, उपकरणों, सीढियों, डोरियों, टेकल पाड तथा कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित या उचित अस्थायी संकर्मो का उपबंध करेगा चाहे वे मूल रूप में परिवर्तित अथवा प्रतिस्थापित हो और चाहे ठेके के भाग रूप में विनिर्देशों अथवा अन्य दस्तावेजों में सम्मिलित या इन शर्तों में निर्दिष्ट किए गए हों अथवा नहीं, या जो किसी ऐसे विषय के बारे में मंडल/शाखा अधिकारी की अपेक्षाओं को पूरा करने या उनका अनुपालन करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, जिनके बारे में वह इन शर्तो के अधीन इस बात का हकदार है कि उसका समाधान होना चाहिए या जिनकी वह कार्य स्थल तक और उससे उनके लाने ले जाने समेत अपेक्षा करने का हकदार है। ठेकेदार निःशुल्क साधनों और सामग्रियों सहित अपेक्षित व्यक्तियों को प्रदाय करेगा जो कार्यों का आरंभ करने और किसी भी समय और समय-समय पर कार्य अथवा सामग्री की गणना, तौल और माप या परीक्षा करने में सहायता देने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, उसके ऐसा करने में असफल रहने पर मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा ठेकेदार के व्यय पर उसकी व्यवस्था की जा सकेगी और जो व्यय होगा उसकी ठेके के अधीन ठेकेदार के शोध्य किसी धन से और या उसके प्रतिभूति निक्षेप या उसके विक्रय के आगमों से या उसके पर्याप्त भाग से कटौती की जा सकेगी।

खण्ड 18-क.—ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 12 की उप-धारा (i) के उपबंधों के आधार पर, सरकार ठेकेदार द्वारा कार्यों का निष्पादन करने के लिए बाध्य है, सरकार इस प्रकार संदत्त प्रतिकर की रकम ठेकेदार से वसूल कर लेगी और उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (ii) के अधीन सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार चाहे इस ठेके के अधीन या अन्यथा प्रतिभूति निक्षेप में से या सरकार द्वारा ठेकेदार को शोध्य किसी राशि में से कटौती करके ऐसी रकम या उसका कोई भाग वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगी। सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (i) के अधीन इसके खिलाफ किए गए किसी दावे का प्रतिवाद करने के लिए तभी बाध्य होगी, जब ठेकेदार ने लिखित प्रार्थना की हो और सरकार को उन सभी खर्चों के लिए जिनके लिए सरकार ऐसे दावे का प्रतिवाद करने के परिणामस्वरूप दायी होगी, पूर्ण प्रतिभूति दे दी हो, अन्यथा नहीं।

Contractor to supply all plant ladders, scaffoldings, etc.

CLAUSE 18.—The contractor shall provide at his own cost all materials (except such special materials, if any, as may in accordance with the contract be supplied from the Circle/Branch Officer's, stores), plant, tools, appliances, implements, ladders, cordage, tackle, scaffolding and temporary works requisite or proper for the proper execution of the work, whether included in the specification of other documents forming part of the contract or referred to in these conditions or not, or which may be necessary for the purpose of satisfying or complying with the requirements of the Circle/Branch Officer as to any matter as to whether included in the specification or other to be satisfied, or which he is entitled to require together with carriage therefor to and from the work. The contractor shall also supply without charge the requisite number of persons with the means and materials, necessary for the purpose of setting out works, and counting, weighing and assisting in measurement or examination at any time and from time to time of the work of materials. Failing his so doing the same may be provided by the Circle/Branch Officer at the expense of the contractor and the expenses may be deducted, from any money due to the contractor, under the contract and/or from his security deposit or the proceeds of sale thereof, or of a sufficient portion thereof.

CLAUSE 18-A.—In every case in which by virtue of the provisions of Section 12, sub-section (i) of the Workmen's Compensation Act, 1923, Government is obliged to pay compensation to a workman employed by the contractor, in execution of the works, Government will recover from the contractor the amount of the compensation so paid; and, without prejudice to the rights of the Government under Section 12, sub-section (ii) of the said Act, Government shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from the security deposit or from any sum due by Government to the contractor whether under this contract or otherwise Government shall not be bound to contest any claim made against it under Section 12, sub-section (i) of the said act, except on the written request of the contractor and upon his giving to Government full security for all costs for which Government might become liable in consequence of contesting such claim

खण्ड 18-ख.—उन सभी मामलों में जिनमें ठेका श्रम (नियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा ठेका श्रम (नियमन तथा उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971 के उपबन्धों के कारण यदि सरकार को निष्पादित कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा लगाये गये मजदूरों को मजदूरी की कोई भी राशि अदा करने की या उक्त अधिनियम और इसके खंड 19 ख० के अंतर्गत या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ठेका श्रम विनियमों के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ठेकेदारों द्वारा लगाये मजदूरों के लिए स्वास्थ्य की सुरक्षा या स्वच्छता संबंधी प्रबंधों के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों के अंतर्गत उपलब्ध की जाने वाली कल्याण तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें देने में किसी प्रकार के किये गये व्यय के लिए, सरकार द्वारा इस प्रकार अदा की गई मजदूरी की राशि को या इस प्रकार व्यय की गई राशि को ठेकेदार से वसूल करेगी तथा ठेका श्रम (नियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 20 की उप-धारा (2) तथा धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना सरकार को यह अधिकार होगा कि वे ऐसी राशि या इसके किसी भाग को, धरोहर राशि में से या ठेकेदार द्वारा सरकार को देय किसी भी राशि में से, चाहे वह इस इकरारनामे के अंतर्गत आती हो या किसी अन्य प्रकार से हो, काट ले। सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) तथा धारा 21 की उप-धारा (4) के अधीन किये गये किसी दावे के विरुद्ध लड़ने को बाध्य नहीं होगी सिवाय ठेकेदार के लिखित रूप में अनुरोध करने पर तथा वह सरकार को समस्त खर्च के लिए पूर्ण जमानत दे जिसके लिए सरकार ऐसे दावों के विरुद्ध लड़ने में उत्तरदायी हो सके।

श्रमिक

खण्ड 19.—निर्माण कार्य आरंभ होने से पूर्व ठेकेदार ठेका श्रम (नियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा ठेका श्रम (नियमन तथा उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971 के अधीन वैध लाइसेन्स प्राप्त करेगा तथा निर्माण कार्य के समाप्त होने तक वैध लाइसेंस अपने पास रखे रहेगा।

इस आवश्यकता को पूरा न करने की दशा में निर्माण कार्य का निष्पादन न होने से उत्पन्न इस ठेके के दंड विषयक उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

उचित मजदूरी खंड

खण्ड 19-अ.—18 वर्ष से कम आयु का कोई श्रमिक कार्य पर नियोजित नहीं किया जाएगा।

CLAUSE 18-B.—In every case in which by virtue of the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, Government is obliged to pay any amounts of wages to a workman employed by the contractor in execution of the works, or to incur any expenditure in providing welfare and health amenities to the labours employed by the contractors required to be provided under the above said Act and the Rules, under Clause 19H or under the A.S.I. Contract Labour Regulations, or under the Rules framed by Government from time to time for the protection of health and sanitary arrangements for workers employed by Archaeological Survey of India Contractors, the amount of wages so paid or the amount of expenditure so incurred by the Government shall be recovered from the contractors; and without prejudice to the rights of the Government under Section 20, sub-section (2) and Section 21, sub-section (4) of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, Government shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from the security deposit or from any sum due by Government to the contractor whether under the agreement or otherwise. The Government shall not be bound to contest any claim made against it under Section 20, sub-section (1) and Section 21, sub-section (4) of the said Act, except on the written request of the contractor and upon his giving to the Government full security for all costs for which Government might become liable in contesting such claim.

Labour

CLAUSE 19.—The Contractor shall obtain a valid licence under the Contract labour (R&A) Act, 1970 and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971 before the commencement of the work, and continue to have a valid licence until the completion of the work.

Any failure to fulfil this requirement shall attract the penal provision of this contract arising out of the resultant non-execution of the work.

Fair Wages Clauses

CLAUSE 19-A.—No labourer below the age of eighteen years shall be employed on the work.

खण्ड 19-आ.—मजदूरी का भुगतान.—(क) ठेकेदार उसके द्वारा लगाये गये मजदूरों को मजदूरी की अदायगी या तो सीधे या उप-ठेकेदार के माध्यम से सही मजदूरी से कम अदा नहीं करेगा जैसा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ठेका श्रम नियमावली में या ठेका श्रम (नियमन या उत्सादन) अधिनियम, 1970 और ठेका श्रम (नियमन तथा उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971 के उपबंधों में परिभाषित किये गये हैं, इनमें जो भी लागू हों ।

(ख) ठेकेदार, ठेके के विपरीत कोई उपबंध होने के बावजूद, निर्माण कार्य पर सीधे लगाये गये श्रमिकों को जिनमें उसके श्रमिक भी शामिल होंगे जो उक्त कार्य के संबंध में उसके उप-ठेकेदार द्वारा लगाये गये हों, सही मजदूरी अदा किये जाने की व्यवस्था करेगा, मानो कि मजदूर उसी द्वारा लगाये गये थे ।

(ग) इस इकरारनामे के ठेकेदार के भाग के निष्पादन के लिए निर्माण कार्यों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लगाये गये समस्त मजदूरों के बारे में ठेकेदार, मजदूरी की अदायगी, मजदूरी की अवधि, मजदूरी से कटोती, अदा नहीं की गई मजदूरी की वसूली तथा अनधिकृत रूप से की गई कटौतियां, मजदूरी पुस्तिका या मजदूरी की पर्चियों का अनुरक्षण, मजदूरी के वेतनमान तथा नौकरी की अन्य शर्तों का प्रकाशन, आवधिक विवरणों का निरीक्षण तथा उन्हें प्रस्तुत करना तथा इस प्रकार के अन्य मामलों के संबंध में या जहां ठेका श्रम (नियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 और ठेका श्रम (नियमन तथा उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971 लागू हों, वहां उनमें की हुई व्यवस्थाओं के अनुसार सरकार द्वारा समय समय पर बनाई गई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ठेका श्रम नियमावली का पालन करेगा या पालन कराने की व्यवस्था करेगा ।

(घ) संबंधित मंडल अधिकारी/उप-मंडल अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को देय राशि में से कोई भी राशि काट सकता है जो मजदूरों के लाभार्थ ठेके की शर्तों के अनुपालन, मजदूरियां अदा नहीं करने या उसकी अथवा उनकी मजदूरियों से ऐसी कटौतियां करने जो उनकी ठेके की शर्तों से न्यायसंगत नहीं हो या नियमों के अननुपालन के कारण मजदूर अथवा मजदूरों द्वारा उठाई गई क्षति को पूरा करने के लिए अपेक्षित हों अथवा जिसके अपेक्षित होने का अनुमान लगाया गया हो ।

(च) ठेकेदार, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, नियोजक दायित्व अधिनियम, 1938, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम,

CLAUSE 19-B.—Payment of wages.—(a) The contractor shall pay to labour employed by him either directly or through subcontratcors, wages not less than fair wages as defined in the Archaeological Survey of India Contract Labour Regulations or as per the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, wherever applicable.

(b) The contractor shall, notwithstanding the provisions of any contract to the contrary, cause to be paid fair wage to labour indirectly engaged on the work, including any labour engaged by his sub-contractors in connection with the said work, as if the labour had been immediately employed by him.

(c) In respect of all labour directly or indirectly employed in the works for performance of the contractor's part of agreement, the contractor shall comply with or cause to be complied with the Archaeological Survey of India Contract Labour Regulations made by Government from time to time in regard to payment of wages, wage period, deduction from wages, recovery of wages not paid and deductions unauthorizedly made, maintenance of wage books, wage slips, publication of scale of wages and other terms of employment, inspection and submission of periodical returns and all other matters of the like nature or as per the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, wherever applicable.

(d) The Circle Officer/Sub-Circle Officer concerned shall have the right to deduct from the moneys due to the contractor any sum required or estimated to be required for making good the loss suffered by a worker or workers by reasons of non-fulfilment of the conditionss of the contract for the benefit of the workers, non-payment of wages or of deductions made from his or their wages which are not justified by their terms of the contract or non-observance of the Regulations.

(e) The contractor shall comply with the provisions of the Payment of Wages Act, 1936, Minimum Wages Act, 1948, Employers' Liability Act, 1938, Workmen's Compensation Act,

1961 तथा ठेका श्रम (नियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 अथवा उनके संशोधनों अथवा उनसे संबंधित अन्य कानून तथा समय-समय पर उनके अधीन बने नियमों के उपबंधों का पालन करेगा।

(छ) ठेकेदार उपर्युक्त कानूनों तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ठेका श्रम विनियम के पालनार्थ तथा उनके अंतर्गत की जाने वाली अदायगीयों के लिए अपने उप-ठेकेदारों से क्षतिपूर्ति लेने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार की क्षतिपूर्ति करेगा।

(ज) उक्त नियम इस संविदा का एक भाग समझे जाएंगे तथा उनका कोई भी उल्लंघन इस संविदा का उल्लंघन समझा जाएगा।

खण्ड 19-इ.— इस करार में ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले काम को करने के लिए प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में ठेकेदार समय समय पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा विरचित सुरक्षा संहिता के अनुरूप अपने खर्च पर सुरक्षा प्रबंध की व्यवस्था करेगा और वह उनके संबंध में सभी सुविधाओं की व्यवस्था अपने खर्चे पर करेगा। यदि ठेकेदार यथा उपर्युक्त इंतजाम करने और आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध करने में असफल रहेगा तो वह हर व्यतिक्रम के लिए 50 रुपये की शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा और इसके अतिरिक्त मंडल/शाखा अधिकारी उपर्युक्त इंतजाम करने और सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए और इस संबंध में किए गए खर्चे को ठेकेदार से वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

खण्ड 19-ई.—ठेकेदार हर मास की चौथी और उन्नसवीं तारीख तक मंडल/शाखा अधिकारी को क्रमश: पूर्ववर्ती मास के उत्तरार्ध और चालू मास के पूर्वार्ध की बावत निम्नलिखित को दर्शाते हुए एक सही विवरण देगा :—

(1) उसके द्वारा कामपर नियोजित श्रमिकों की संख्या,
(2) उनके काम के घंटे,
(3) उनको संदत्त मजदूरी,
(4) उक्त पक्ष के दौरान हुई दुर्घटनाएं जिनमें उन परिस्थितियों को जिनके अधीन वे घटित हुई और उनके द्वारा कारित नुकसान और क्षति की सीमा को दर्शित किया जाएगा, और
(5) ऐसी स्त्री कर्मकारों की संख्या जिनको खण्ड 19-ऊ के अनुसार प्रसुति-प्रसूविधा अनुज्ञात की गई हो और उनको संदत्त रकम।

1923, Industrial Disputes Act 1947, Maternity Benefits Act 1961 and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970 or the modifications thereof or any other laws relating thereto and the rules made thereunder from time to time.

(f) The Contractor shall indemnify Government against payment to be made under and for the observance of the Laws aforesaid and the Archaeological Survey of India Contract Labour Regulations without prejudice to his right to claim indemnity from his subcontractors.

(g) The regulations aforesaid shall be deemed to be a part of this contract and any breach thereof shall be deemed to be a breach of this contract.

CLAUSE 19-C.—In respect of labour directly or indirectly employed in the work for the performance on the contractors' part of this agreement, the contractor shall at his own expense arrange for the safety provision as per Archaeological Survey of India Safety Code framed from time to time and shall at his expense provide all facilities in connection therewith. In case the contractor fails to make arrangement and provide necessary facilities as aforesaid he shall be liable to pay a penalty of Rs. 50 for each default and in addition the Circle/Branch Officer shall be at liberty to make arrangement and provide facilities as aforesaid and recover the costs incurred on that behalf from the contractor.

CLAUSE 19-D.—The Contractor shall submit by the 4th and 19th of every month, to the Circle/Branch Officer a true statement showing, in respect of the second half of the preceding month and the first half of the current month respectively : —

(1) the number of labourers employed by him on the work,
(2) their working hours,
(3) the wages paid to them,
(4) the accidents that occurred during the said fortnight showing the circumstances under which they happened and the extent of damage and injury caused by them, and
(5) the number of female workers who have been allowed Maternity Benefit according to Clause 19F and the amount paid to them.

ऐसा न करने पर ठेकेदार सरकार को प्रत्येक व्यतिक्रम या तात्विक रूप से अशुद्ध विवरण के लिए 50 रुपये से अनधिक राशि के संदाय का दायी होगा। मंडल/शाखा अधिकारी का ठेकेदार को शोध्य किसी बिल में से जुर्माने के रूप में उद्गृहीत रकम कटौती करने की बाबत विनिश्चय अंतिम होगा।

Failing which the contractor shall be liable to pay to Government a sum not exceeding Rs. 50 for each default of materially incorrect statement. The decision of the Circle/Branch Officer shall be final in deducting from any bill due to the contractor the amount levied as fine.

कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य और सफाई संबंधी इंतजाम

खण्ड 19-उ.—इस करार में ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले काम को करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में ठेकेदार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और उसके ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य, संरक्षण और सफाई संबंधी इंतजामों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा विरचित सभी विषयों का पालन करेगा या कराएगा।

Health and Sanitary Arrangement for workers.

CLAUSE 19-E.—In respect of all labour directly or indirectly employed in the works for the performance of the contractors' part of this agreement, the contractor shall comply with or cause to be compiled with all the rules framed by Government from time to time for the protection of health and sanitary arrangements for workers employed by the Archaeological Survey of India and its contractors.

ठेकेदारों द्वारा नियोजित स्त्री कर्मकारों के लिए प्रसूति प्रसुविधा नियम

खण्ड 19-ऊ.—छुट्टी के दौरान छुट्टी और वेतन निम्न प्रकार से विनियमित किए जाएंगे :—

1 **छुट्टी :**

(i) प्रसव की दशा में—8 सप्ताह से अनधिक की प्रसूति छुट्टी जिसमें 4 सप्ताह की छुट्टी प्रसव होने तक जिसके अंतर्गत प्रसव दिन भी है और 4 सप्ताह की छुट्टी उस दिन के पश्चात् होगी।

(ii) गर्भपात की दशा में—गर्भपात की तारीख से 3 सप्ताह तक।

2. **वेतन :**

(i) प्रसव की दशा में—प्रसूति छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन की दर उस तारीख से जिसको उस स्त्री ने इस बात की सूचना दी हो कि वह प्रसवावस्था में होने की आशा करती है ठीक पूर्व 3 मास की कालावधि के दौरान के ऐसे दिनों के लिए जिनको उसने पूर्ण कालिक कार्य किया हो कुल उपार्जित मजदूरी पर संगणित औसत दैनिक उपार्जन की दर से या एक रुपये प्रति दिन की दर से उनमें से जो भी अधिक हो, होगी।

(ii) गर्भपात की दशा में—छुट्टी वेतन की दर ऐसे गर्भपात की तारीख से ठीक पूर्व 3 मास की कालावधि के दौरान के ऐसे दिनों के लिए जिनको उसने पूर्णकालिक कार्य

Maternity Benefit Rules for female workers employed by contractors.

CLAUSE 19-F.—Leave and pay during leave shall be regulated as follows :—

1. **Leave :**

(i) In case of delivery, maternity leave not exceeding 8 weeks, 4 weeks upto and including the day of delivery and 4 weeks following that day.

(ii) In the case of miscarriage—upto 3 weeks from the date of miscarriage.

2. **Pay :**

(i) In the case of delivery—leave pay during materinity leave will be at the rate of the women's average daily earnings, calculated on the total wages earned on the days when full time work was done during a period of 3 months immediately preceding the date on which she gives notice that she expects to be confined or at the rate of Rupee one only a day whichever is greater.

(ii) In case of miscarriage—leave, pay at the rate of average daily earning calculated on the total wages earned on the day when

किया हो कुल उपार्जित मजदूरी पर संगणित औसत दैनिक उपार्जन की दर से होगी।

full time work was done during a period of 3 months immediately preceding the date of such miscarriage.

3. प्रसुति-छुट्टी की मंजूरी के लिए शर्त :

कोई प्रसुति-छुट्टी प्रसविधा किसी स्त्री को तब तक अनुज्ञेय न होगी जब तक कि वह उस तारीख से जिसको वह छुट्टी पर जा रही हो ठीक पूर्व छः मास से अन्यून की कुल कालावधि के लिए नियोजित न रह चुकी हो।

4. ठेकेदार प्रसुति (प्रसुविधा) का एक रजिस्टर नीचे दिखाए गए विहित प्ररुप में रखेगा और वह रजिस्टर कार्य के स्थान पर रखा जाएगा।

3. Conditions for the grant of Maternity Leave :

No maternity leave benefit shall be admissible to a woman unless she has been employed for a total period of not less than 6 months immediately preceding the date on which she proceeds on leave.

4. The Contractor shall maintain a Register of Maternity (Benefit) in the Prescribed Form as shown below and the same shall be kept at the place of work.

प्रसूति प्रसुविधाओं का रजिस्टर (ठेके की शर्तों का खण्ड 19-ऊ)

REGISTER OF MATERNITY BENEFITS (Clause 19F of the Conditions of Contract)

ठेकेदार (ठेकेदारों) का नाम और पता
Name and address of the contractor(s) ....

कार्य का नाम और स्थिति
Name and location of the work ....

कर्मचारी का नाम Name of the employee	पिता का/पति का नाम Father's/Husband's Name	नियोजन का स्वरुप Nature of employment	वास्तविक नियुक्ति की अवधि Period of actual appointment	तारीख जिसकी प्रसवावस्था की सूचना की Date on which notice of confinement given	प्रसव/गर्भपात अवधि की तारीख Date of delivery/ miscarriage
1	2	3	4	5	6

तारीख जिसको प्रसुती छुट्टी प्रारंभ हुई और समाप्त हुई Date on which maternity leave commenced and ended				कर्मचारी को संदत्त छुट्टी वेतन Leave pay paid to the employee				
प्रसव की दशा में In case of delivery		गर्भपात की दशा में In case of miscarriage		प्रसव की दशा में In case of delivery		गर्भपात की दशा में In case of miscarriage		टिप्पणियां Remarks
प्रारंभ हुई Commenced	समाप्त हुई Ended	प्रारंभ हुई Commenced	समाप्त हुई Ended	छुट्टी वेतन की दर Rate of leave pay	संदत्त रकम Amount paid	छुट्टी वेतन की दर Rate of leave pay	संदत्त रकम Amount paid	
7	8	9	10	11	12	13	14	15

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में ठेका श्रमिकों को अनुज्ञेय प्रसूति प्रसुविधा के बारे में रजिस्टर का नमूना प्रारूप

SPECIMEN FORM OF THE REGISTER, REGARDING MATERNITY BENEFIT ADMISSIBLE TO THE CONTRACT LABOUR IN ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

कार्य का नाम
Name of the work .... ठेकेदार का नाम
Name of the Contractor ....

1. स्त्री का नाम, उसके पति के नाम सहित :
   Name of the woman and her husband's name

2. पदनाम :
   Designation

3. नियुक्ति की तारीख :
   Date of appointment

4. मास और वर्ष सहित वह तारीख जिसको उसे नियोजित किया गया :
   Date with months and years in which she is employed

5. सेवोन्मुक्त/पदच्युत किए जाने की तारीख, यदि कोई हो
   Date of discharge/dismissed, if any

6. गर्भधारण की बाबत प्रमाण-पत्र पेश किए जाने की तारीख :
   Date of production of certificates in respect of pregnancy

7. वह तारीख जिसको स्त्री प्रत्याशित प्रसव के बारे में इत्तिला देती है :
   Date on which the woman informs about the expected delivery

8. प्रसव/गर्भपात/मृत्यु होने की तारीख :
   Date of delivery/miscarriage/death

9. प्रसव/गर्भपात संबंधी प्रमाण-पत्र पेश किए जाने की तारीख :
   Date of production of certificate in respect of delivery/miscarriage

10. प्रत्याशित प्रसव से पूर्व संदत्त प्रसूति/मृत्यु प्रसुविधा की रकम और उसकी तारीख :
    Date with the amount of maternity/death benefit paid in advance of expected delivery.

11. प्रसूति प्रसुविधा के पश्चात्वर्ती संदाय की रकम और उसकी तारीख :
    Date with the amount of subsequent payment of maternity benefit

12. स्त्री की मृत्यु के बाद उसकी प्रसूति प्रसुविधा का संदाय प्राप्त करने के लिए उस स्त्री द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति का नाम :
    Name of the person nominated by the woman to receive the payment of the maternity benefit after her death

13. यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु की तारीख, उस व्यक्ति का नाम जिसे प्रसूति प्रसुविधा की रकम संदत्त की गई, संदाय की तारीख और
    If the woman dies, the date of her death, the name of the person to whom maternity benefit amount was paid the month thereof and the date of payment.

14. रजिस्टर की प्रविष्टियों को अभिप्रमाणित करते हुए ठेकेदार के हस्ताक्षर :
    Signature of the contractor authenticating entries in the register,

15. निरीक्षक आफिसर के उपयोग के लिए टिप्पणी स्तम्भ :
    Remarks column for the use of inspecting officer

खण्ड 19-क.—यदि ठेकेदार कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य रक्षण एवं सफाई व्यवस्था संबंधी समय समय पर यथा संशोधित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ठेका श्रम विनियमों और आदर्श नियमों के उपबंधों में से किसी का व्यतिक्रम या भंग करेगा या उपयुक्त विनियमों या नियमों के उपबंधों के अधीन कोई ऐसी जानकारी देगा या ऐसा कोई विवरण देगा या फाइल करेगा जो तात्विक रूप से अशुद्ध हो तो वह/वे किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हर व्यतिक्रम भंग के लिए या तात्विक रूप से ऐसे अशुद्ध विवरणों के देने, बनाने, प्रस्तुत करने, फाइल करने के लिए सरकार को 50 रुपए से अनधिक की राशि संदत्त करेगा और इस बावत ठेकेदार द्वारा लगातार व्यतिक्रम करने की दशा में शास्ति को बढ़ाकर व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये किया जा सकेगा किंतु उसकी अधिकतम राशि निविदत्त कार्य की प्राक्कलित लागत की 5 प्रतिशत होगी। मंडल/शाखा अधिकारी का विनिश्चय अंतिम और पक्षकारों पर आवद्धकर होगा।

यदि मंडल/शाखा अधिकारी को यह प्रतीत हो कि ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा नियोजित कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य, रक्षा और सफाई संबंधी व्यवस्था के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ठेका श्रम विनियम के उपबंधों और आदर्श नियमों तथा ठेका मजदूर (नियंत्रण तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा ठेका मजदूर (नियंत्रण तथा उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के उपबंधों का (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) ठेकेदार उचित रूप से अनुपालन और अनुवर्तन नहीं कर रहा है तो मंडल/शाखा अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह ठेकेदार (ठेकेदारों) को लिखित सूचना देकर उससे/उनसे अपेक्षा करें कि उक्त नियमों का अनुपालन किया जाए और उसमें विहित सुख-सुविधाएं सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले उचित समय के भीतर कर्मकारों को दी जाए। यदि ठेकेदार सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त नियमों का अनुवर्तन और अनुपालन करने में और पूर्वोक्त कर्मकारों को सुख-सुविधाएं देने में असफल रहेगा तो मंडल/शाखा अधिकारी को ठेकेदार (ठेकेदारों) के व्यय पर इसमें इसके पूर्व वर्णित सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने की शक्ति होगी। ठेकेदार कार्य के निष्पादन के संबंध में कार्य-स्थल पर अपने कर्मकारों के लिए अपेक्षित आवश्यक झोपड़ियों का परिनिर्माण और सफाई व्यवस्था का इंतजाम अपने खर्च पर और अनुमोदित मानकों के अनुरूप करेगा और उन्हें बनाए रखेगा तथा यदि अनुमोदित मानकों के अनुसार उनका परिनिर्माण अथवा सन्निर्माण नहीं कराया गया तो मंडल/शाखा अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह

CLAUSE 19-G.—In the event of the contractor(s) committing a default or breach of any of the provisions of the Archaeological Survey of India Contract Labour Regulations and Model Rules for the protection of health and sanitary arrangements for the workers as amended from time to time or furnishing any information or submitting or filing any statement under the provisions of the above Regulations and Rules which is materially incorrect, he/they shall without prejudice to any other liability pay to the Government a sum not exceeding Rs. 50 for every default, breach or furnishing, making, submitting, filing such materially incorrect statements and in the event of the contractor(s) defaulting continuously in this respect, the penalty may be enhanced to Rs. 50 per day for each day of default subject to a maximum of 5 per cent of the estimated cost of the work put to tender. The decision of the Circle/Branch Officer shall be final and binding on the parties.

Should it appear to the Circle/Branch Officer that the contractor(s) is/are not properly observing and complying with the provisions of the Archaeological Survey of India Contract Labour Regulations and Model Rules and the provisions of the Contract. Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and the Contract Labour (R&A) Central Rules, 1971 for the protection of health and sanitary arrangements for work-people employed by the contractor(s) (hereinafter referred as "the said Rules") the Circle/Branch Officer shall have power to give notice in writing to the contractor(s) requiring that the said Rules be complied with and the amenities prescribed therein be provided to the work-people within a reasonable time to be specified in the notice. If the contractor(s) shall fail within the period specified in the notice to comply with and/observe the said Rules and to provide the amenities to the work-people as aforesaid, the Circle/Branch Officer shall have the power to provide the amenities hereinbefore mentioned at the cost of the contractor(s). The contractor(s) shall erect, make and maintain at his/their own expense according to approved standards all necessary huts and sanitary arrangements required for his/their work-people on the site in connection with the execution of the works, and if the same shall not have been erected or constructed, according to approved standards the Circle/Branch

ठेकेदार(ठेकेदारों) को लिखित सूचना देकर यह अपेक्षा करें कि अनुमोदित मानकों के अनुसार ऐसी झोपड़ियों और सफाई संबंधी व्यवस्थाओं का पुनः प्रतिरुपण और/या पुननिर्माण कराया जाए और यदि ठेकेदार सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुमोदित मानकों के अनुसार ऐसी झोपड़ियों और सफाई संबंधी व्यवस्थाओं का पुनः प्रतिरुपण अथवा पुननिर्माण करने में असफल रहेगा/रहेंगे तो मंडल/शाखा अधिकारी को ठेकेदार(ठेकेदारों) के व्यय पर अनुमोदित मानकों के अनुसार ऐसी झोपड़ियों और सफाई संबंधी व्यवस्थाओं का पुनः प्रतिरुपण अथवा पुर्ननिर्माण कराने की शक्ति होगी।

खण्ड 19-ख.—ठेकेदार अपने निर्माण श्रमिकों के लिए अपने खर्चे से भूमि के यथोचित प्लाट पर, जिसे मंडल/शाखा अधिकारी अनुमोदति करेगा, पर्याप्त संख्या में निम्नलिखित विनिर्देशनों वाले पूर्वनिर्मित रैंनबसेरों/क्वार्टरों की (जिसे इसमें इसके पश्चात् कैम्प कहा गया है) व्यवस्था करेगा/करेंगे :—

(1) (क) निर्माण श्रमिकों के प्रत्येक पूर्वनिर्मित रैनबसेरे क्वार्टर की औसत तल तक की ऊंचाई 7 फुट और फर्श का क्षेत्रफल श्रमिक के साथ रहने वाले श्रमिकों के परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए 30 वर्ग फुट के हिसाब से होगा।

(ख) ठेकेदार श्रमिकों के उपयोग के लिए शौचालयों तथा मूत्रालयों का निर्माण करायेगा जिनकी संख्या श्रमिकों की हर सौ पर चार से कम न होगी स्त्रियों के लिए अलग शौचालयों और मूत्रालयों की व्यवस्था होगी।

(घ) ठेकेदार यथोचित संख्या में स्नान गृहों तथा धुलाई स्थानों का निर्माण करायेगा जो कैंप के रहने वाले प्रत्येक पच्चीस व्यक्तियों पर एक यूनिट के हिसाब से होगा। इन स्नानगृहों और धुलाई स्थानों में आड़ की उचित व्यवस्था होगी।

(ग) ठेकेदार श्रमिकों के उपयोग के लिए शौचालयों तथा मूत्रालयों का निर्माण करायेगा जिनकी संख्या श्रमिकों की हर सौ पर चार से कम न होगी स्त्रियों के लिए अलग शौचालयों और मूत्रालयों की व्यवस्था होगी।

Officer shall have power to give notice to the contractor(s) requiring that the said huts and sanitary arrangements be remodelled and/or reconstructed according to approved standards, and if the contractor(s) shall fail to remodel or reconstruct such huts and sanitary arrangement according to approved standards within the period specified in the notice, the Circle/Branch Officer shall have the power to remodel or reconstruct such huts and sanitary arrangements according to approved standards at the cost of the contractor(s).

CLAUSE 19-H.—The contractor(s) shall at his/their own cost provide sufficient number of prefabricated dormitories/quarters for construction labour hereinafter referred to as the Camp of the following specifications on a suitable plot of land to be approved by the Circle/Branch Officer.

(1) (a) The minimum height of each prefabricated dormitory/quarter for construction labour at the cave level shall be 7′ and the floor area to be provided will be at the rate of 30 sq. ft. for each member of workers family staying with the labourer.

(b) The contractor(s) shall in addition, construct suitable cooking places having a minimum area of 6′ × 5′ adjacent to the prefabricated dormitories/quarters for construction labour for each family.

(c) The contractor(s) shall also construct latrines and urinals for the use of the labourers each on the scale of not less than four per each one hundred of the total strength, separate latrines and urinals being provided for women.

(d) The contractor(s) shall construct a sufficient number of bathing and washing places, one unit for every 25 persons residing in the camp. These bathing and washing places shall be suitably screened.

(2) (क) निर्माण श्रमिकों के पूर्वनिर्मित रैनबसेरों/क्वार्टरों की दीवारें पक्की ईंटों की होंगी जिसकी चिनाई मिट्टी के गारे या अन्य यथोचित स्थानीय सामग्री से की जाएगी जिसका अनुमोदन मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। दीवारों की बाहरी परत की टीपकारी सीमेंट के मसाले 1:6 (1भाग सीमेंट: 6भाग अच्छे किस्म के बालू) से की जाएगी। निर्माण श्रमिकों के लिए पूर्ण निर्मित रैनबसेरों/क्वाटरों की कुरसी सामान्यतया आस पास भूमि तल से 6" ऊपर होगी। पड़ी ईंटों को सुदृढ़ मिट्टी के आधार पर बिछाकर फर्श बनाया जाएगा। छप्परें ए० सी० शीटों और लकड़ी की कड़ियों/चारखानों से बनाई जाएंगी। ठेकेदार को ध्यान रखना होगा कि जब तक ये उनके कब्जे में रहेंगे। तब तक उनकी छप्परे जल रोधक बनी रहें।

(ख) ठेकेदार निर्माण श्रमिकों के प्रत्येक रैनबसेरों/क्वार्टरों में उचित संचालन की व्यवस्था करेगा/करेंगे जिसमें खिड़कियां या ईंटों से बने छोटे-छोटे रोशनदान की व्यवस्था छप्पर के नीचे की जाएगी।

(ग) सुरक्षा की दृष्टि से सभी दराजों, खिड़कियों और रोशनदानों को बंद करने की व्यवस्था होनी चाहिए इसके लिए उन्हें उचित तख्तेदार और पट्टीदार होनी चाहिए।

(घ) निर्माण श्रमिकों के रैनबसेरों/क्वार्टरों की पंक्तियों के बीच में 3 गज खुली जगह होनी चाहिए जिसे मंडल/शाखा अधिकारी के अनुमोदन से घटा कर 20 फुट की जा सकती है। इनके आगे पीछे निर्माण की आज्ञा दी जाती है।

(3) **जल पूर्ति**.—ठेकेदार श्रमिकों के उपयोग के लिए पर्याप्त जल पूर्ति की व्यवस्था करेगा/करेंगे। पीने के प्रयोजनों के लिए प्रति दिन प्रति व्यक्ति कम से कम 2 गैलन शुद्ध और स्वास्थ्य कर जल तथा स्नान तथा धुलाई के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 3 गैलन स्वच्छ जल की व्यवस्था होगी। जहां नल द्वारा जल की पूर्ति की जाती हो वहां जल-प्रदाय स्टैंड-

(2) (a) All the prefabricated dormitories/quarters for constructing labour shall have walls of burent bricks laid in mud mortar or other suitable local material as may be approved by the Circle/Branch Officer. The exterior surfaces of walls shall be pointed with cement mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand). The plinth of prefabricated dormitory/quarter for construction labour shall be at least 6" above the surounding ground. The flooring shall be, of flat bricks laid on well consolidated earth base. The roof shall be laid with A.C. sheets and wooden karries/tubular sections. The contractor shall ensure that throughout the period of their occupation the roofs remain water tight.

(b) The contractor(s) shall provide each prefabricated dormitory/quarter for construction labour with proper ventilation. Consisting of windows or honey comb brick work just below the roof projection.

(c) All doors,, windows, and ventilators shall be provided with suitable battended and braced shutters for security purposes.

(d) There shall be kept an open space of at least 8 yards between the rows of prefabricated dormitories/quarters for construction labour which may be reduced to 20' according to the availability of site with the approval of the Circle/Branch Officer, back to back construction will be allowed.

(3) Water Supply.—The contractor(s) shall provide adequate supply of water for the use of labourers. The provisions shall not be less than 2 gallons of pure and wholesome water per head per day for drinking purposes and 3 gallons of clean water per head per day for bathing and washing purposes. Where piped water supply

पोस्टों (नल खम्भों) पर होगा, जहां जल प्रदाय कुओं अथवा नदी से हो वहां टंकियों की व्यवस्था होगी जो धातु या चिनाई की होगी। ठेकेदार विद्यमान मेन लाइनों से, जहां कहीं वे उपलब्ध हों, अपने खर्च पर अपने श्रमिक कैंप को जल प्रदाय के पाइप बिछाने की व्यवस्था करेगा/करेंगे और इसके लिए सभी प्रकार की फीस और प्रभार का भुगतान करेगा/करेंगे।

(4) कैंप के लिए चुना गया स्थान जंगल से हटकर ऊँची भूमि पर होगा।

(5) **मल-मूत्र का निपटान.**—ठेकेदार शौचालयों के मल-मूत्र के निपटान के लिए खाईयां खोद कर अथवा भस्मीकरण द्वारा ऐसे आवश्यक इंतजाम करेगा/करेंगे जो स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार होंगे। यदि खाइयों को खोदना या भस्मीकरण अनुज्ञात न हो तो ठेकेदार नगरपालिका समिति/प्राधिकारी की मार्फत मल-मूत्र को हटवाने का इंतजाम करेगा/करेंगे और उसे नियोजित श्रमिकों की संख्या की बाबत जानकारी देगा/देंगे जिससे कि ऐसी समिति/प्राधिकारी द्वारा मल-मूत्र के हटवाने का इंतजाम किया जा सके। इस बाबत सभी प्रभार ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे और उनका संदाय उसके द्वारा सीधे नगरपालिका प्रभारी को किया जाएगा। शुष्क शौचालयों की दशा में ठेकेदार प्रति आठ कदमों के लिए एक झाड़ू कश की व्यवस्था करेगा।

(6) **जल निकास** : ठेकेदार गंदे पानी की निकासी के लिए कारगर इंतजाम करेगा ताकि कैम्प साफ-सुथरा रहे।

(7) ठेकेदार दुर्घटनाओं से कर्मकारों के बचाव के लिए कैम्प क्षेत्र में प्रकाश का पर्याप्त इंतजाम करेगा/करेंगे।

(8) **सफाई.**—ठेकेदार स्थानीय लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्राधिकारियों के नियमों के अनुसार श्रमिक कैम्पों में मल वहन और सफाई के लिए इंतजाम करेगा/करेंगे।

is available supply shall be at stand-post where the supply is from wells or river, tanks which may be of metal or masonry, shall be provided. The contractor(s) shall also at his/their own cost make arrangements for laying pipe lines for water supply to his/their labour camp from the existing mains whenever available, and shall pay all fees and charges therefor.

(4) The site selected for the camp shall be ground, removed from jungle.

(5) Disposal of Excreta.—The contractor(s) shall make necessary arrangements for the disposal of excreta from the latrines by trenching of incineration which shall be according to the requirements laid down by the Local Health Authorities. If trenching or incineration is not allowed, the contractor(s) shall make arrangements for the removal of the excreta through the Municipal Committee/Authority and inform it about the number of labourers employed so that arrangements may be made by such committee/authority for the removal of the excreta. All charges on this account shall be borne by the contractor and paid direct by him to the municipality/authority. The contractor shall make provision of sweeper for every 8 seats in case of dry system.

(6) Drainage.—The contractor(s) shall provide sufficient arrangements for draining away sulage water so as to keep the camp neat and tidy.

(7) The contractor(s) shall make necessary arrangements for keeping the camp area sufficiently lighted to avoid accidents to the workers.

(8) Sanitation.—The contratcor(s) shall make arrangements for conservancy and sanitation in the Labour camps according to the rules of the Local Public Health and Medical Authorites.

खण्ड 19-ग. मंडल/शाखा अधिकारी ठेकेदार से उसके द्वारा काम पर नियोजित ऐसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को, जो अक्षम हों अथवा कदाचार करते हों, पदच्युत करने या कार्य स्थल से हटाने की अपेक्षा कर सकेगा और ठेकेदार ऐसी अपेक्षाओं का तुरन्त अनुपालन करेगा ।

खण्ड 19-घ—ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह देखे कि भवन निर्माणाधीन है उस पर निर्माण के दौरान कोई अप्राधिकृत तौर पर कब्जा न कर ले और सम्पूर्ण भवन को पूर्ण करके मंडल/शाखा अधिकारी को सौंप दे । यदि ऐसे भवन यद्यपि पूर्ण हो गये हों, नाजायज तौर पर कोई कब्जा कर ले तो उस स्थिति में कथित भवन/भवनों को मंडल/शाखा अधिकारी, को स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है और इसे स्वीकार करने में हुए विलम्ब को पूर्ण होने में किया गया विलम्ब माना जाएगा और ऐसे विलम्ब के लिए निविदा में दी गई अनुमानित राशि 5 प्रतिशत की दर से प्रतिकर मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा लगाया जा सकेगा और जिसका निर्णय मात्रा और औचित्य की दृष्टि से अन्तिम और आबद्धकर होगा ।

तथापि मंडल/शाखा अधिकारी चाहे तो निर्माण कार्य पूरा होने और सौंपने से पूर्व किसी भी समय ठेकेदार को नोटिस के जरिये नाजायज कब्जे को हटाने के लिए कह सकते हैं ।

खण्ड 20.—ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 ठेका मजदूरी (नियन्त्रण तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम तथा ठेका मजदूरी को प्रभावित करने वाले अन्य श्रमिक कानून जिन्हें समय समय पर लागू किया जा सकता है ।

कार्यों का उप-पट्टे पर न दिया जाना । उप-पट्टे पर देने, रिश्वत देने के कारण या यदि ठेकेदार दिवालिया हो जाता है तो ठेके को विखंडित और प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत किया जा सकेगा

खण्ड 21.—वह ठेका मंडल/शाखा अधिकारी के लिखित अनुमोदन के बिना समनुदेशित नहीं किया जाएगा अथवा उप-पट्टे पर नहीं दिया जाएगा तथा ठेकेदार अपने ठेके को समनुदेशित करेगा या उप-पट्टे पद देगा अथवा ऐसा करने का प्रयत्न करेगा अथवा दिवालिया हो जाएगा या दिवाला विषयक कार्यवाहियां प्रारम्भ करेगा अथवा अपने लेनदारों से कोई प्रश्न करेगा या ऐसा करने का प्रयत्न करेगा अथवा यदि ठेकेदार या उसका कोई सेवक या अभिकर्ता किसी लोक आफिसर या सरकार के नियोजन में व्यक्ति को किसी भी रूप से उसके अथवा नियोजन के संबंध में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई रिश्वत उपदान

CLAUSE 19-I.—The Circle/Branch Officer may require the contractor to dismiss or remove from the site of the work any person or persons in the contractors' employ upon the work who may be incompetent or misconduct himself and the contractor shall forthwith comply with such requirements.

CLAUSE 19-J.—It shall be the responsibility of the contratcor to see that the building under construction is not occupied by anybody unauthorisedly during construction and to handover to the Circle/Branch Officer vacant possession of complete building. If such building though completed is occupied illegally, then the Circle/ Branch Officer will have the option to refuse to accept the said building/buildings in that position, and delay in acceptance on this account will be treated as delay in completion and for such delay a levy upto 50% of the estimated cost put to tender may be imposed by the Circle/Branch Officer whose decision shall be final both with regard to the justification and quantum.

However, the Circle/Branch Officer may require the contractor through a notice to remove the illegal occupation anytime on or before construction and delivery.

CLAUSE 20.—The Contractor shall comply with all the provisions of the Minimum wages Act, 1948, Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, and rules framed thereunder and other labour laws affecting contract labour that may be brought into force from time to time.

Work not to be subject to contract may be rescinded any security deposit forfeited for subletting, bribing, or if contractor becomes insolvent.

CLAUSE 21.—The contract shall not be assigned or sublet without the written approval of the Circle/Branch Officer. And if the contractor shall assign or sublet his contract, or attempt to do so or become insolvent or commence any insolvency proceedings or make any composition with his creditors or attempt to do so, or if any bribe, gratuity, gift, loan, prequisite, regard or advantage pecuniary or otherwise shall either/directly or indirectly, be given, promised or offered by the contractor or any of his servants or agent to any public officer or person in the employ

दान उधार, परिलब्धि इनाम या धनीय अथवा अन्यथा फायदा पहुंचाएगा, देने का वायदा करेगा या प्रस्थापना करेगा अथवा यदि ऐसा आफिसर या व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: ठेके में हितबद्ध होगा तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल/शाखा अधिकारी को खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट कोई भी कार्यवाही, जिसे वह सरकार के हित में सर्वोत्तम रूप से उपयुक्त समझे करने की शक्ति होगी और यदि इनमें से कोई भी कार्यवाही की जाती है तो उसके उक्त खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट परिणाम होंगे ।

प्रतिकर के तौर पर संदेय राशियों का वास्तविक हानि के प्रतिनिदेश के बिना उचित प्रतिकर के रूप में समझा जाना

खण्ड 22. इन शर्तों में से किसी के अधीन प्रतिकर के तौर पर संदेय सब राशियां वास्तविक रूप से हुई हानि या नुकसान के प्रति निर्देश के बिना और चाहे कोई नुकसान हुआ हो अथवा नहीं सरकार के उपयोग में लाए जाने के लिए उचित प्रतिकर समझी जाएंगी ।

फर्म के गठन में परिवर्तन

खण्ड 23. यदि ठेकेदार कोई भागीदारी फर्म है तो फर्म के गठन में कोई भी परिवर्तन करने से पूर्व मंडल/शाखा अधिकारी का लिखित पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा यदि ठेकेदार कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कारबारी समुत्थान हो तो इसी प्रकार से, ठेकेदार के किसी ऐसे भागीदारी करार को करने से पूर्व यथापूर्वोक्त अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा जिसके अधीन भागीदारी फर्म को उस कार्य को करने का अधिकार होगा जिसके करन का भार ठेकेदार ने एतत् द्वारा अपने ऊपर लिया हो । यदि यथापूर्वोक्त पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है तो ठेका इसके खण्ड 21 के उल्लंघन में अनुमोदित किया गया समझा जाएगा और उस पर वही कार्रवाई की जा सकेगी और उसके वही परिणाम होंगे जो उक्त खण्ड 21 में उपबंधित हैं ।

कार्यों का मंडल/शाखा अधिकारी के निदेशाधीन किया जाना

खण्ड 24.—ठेके के अधीन किया जाने वाला सब कार्य हर प्रकार से मंडल/शाखा अधिकारी के निदेशाधीन और उसके अनुमोदन के अधीन रहते हुए निष्पादित किया जाएगा और उस मंडल/शाखा अधिकारी को यह निदेश करने का हक होगा कि वे कार्य किस स्थान या किन स्थानों पर और किस प्रकार आरम्भ किये जाने और समय-समय पर चलाये जाने हैं ।

of Government in anyway relating to his office employment, or if any such officer or person shall become in any way directly or indirectly interested in the contract, the Circle/Branch Officer on behalf of the President of India shall have power to adopt any of the courses specified in Clause 3 as he may deem best suited to the interest of the Government and in the event of any of these courses being adopted the consequences specified in the said Clause 3 shall ensue.

Sum payable by way of compensation to be considered as reasonable compensation without reference to actual loss.

CLAUSE 22.—All sums payable by way of compensation under any of these conditions shall be considered as reasonable compensation to be applied to the use of Government without reference to the actual loss or damage sustained and whether or not any damage shall have been sustained.

Changes in constitution.

CLAUSE 23.—Where the contractor is a partnership firm, the previous approval in writing of the Circle/Branch Officer shall be obtained before any change is made in the constitution of the firm. Where the contractor is an individual or a Hindu undivided family business concern such approval as aforesaid shall likewise be obtained before the contractor enters into any partnership agreement whereunder the partnership firm would have the right to carry out the work hereby undertaken by the contractor. If previous approval as aforesaid is not obtained, the contract shall be deemed to have been assigned in contravention of Clause 21 hereof and the same action may be taken, and the same consequences shall ensue as provided in the said Clause 21.

Works to be under directions of Circle.

CLAUSE 24.—All works to be executed under the contract shall be executed under the direction and subject to the approval in all respects of the Circle/Branch Officer who shall be entitled to direct at what point or points and in what manner they are to be commenced, and from time to time carried on.

माध्यस्थम् द्वारा विवादों का निपटारा

खण्ड 25.—वहां के सिवाय जहां कि ठेके में अन्यथा उपबंधित हो इसमें इसके पूर्व वर्णित विनिर्देशों, डिजाइनों, आरेखनों और अनुदेशों के अर्थ से संबंधित और कार्य में युक्त कार्य-कौशल या सामग्री की क्वालिटी के संबंध में या किसी अन्य प्रश्न दावा अधिकार बात या चीज़ के संबंध में वह चाहे जो भी हो, जो ठेके, डिजाइनों, आरेखनों; विनिर्देशों, प्राक्कलनों, अनुदेशों या इन शर्तों के किसी प्रकार उद्भूत हुई हो या उससे सम्बद्ध हो या अन्यथा कार्यों के संबंध में हो अथवा उसके निष्पादन में असफलता से संपृक्त हो सभी प्रश्न और विवाद चाहे वे कार्य की प्रगति के दौरान या उसके पूरे हो जाने या परित्याग के पश्चात् उद्भूत हुए हों विवाद के समय कार्य के महा-निदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा या यदि महानिदेशक न हो तो ऐसी नियुक्ति के समय मौजूद उक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के शासनिक प्रधान द्वारा नियुक्त व्यक्ति के एक मात्र माध्यस्थम को निर्दिष्ट किए जाएंगे। ऐसी नियुक्ति के विरुद्ध यह आक्षेप नहीं होगा कि इस प्रकार नियुक्ति मध्यस्थ सरकारी सेवक है कि उसे उन बातों के संबंध में, जिनसे ठेका संबंध है, व्यवहार करना पड़ा था और यह कि सरकारी सेवक के रुप में अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में उसने विवाद या मतभेद वाले विषयों में से सभी पर या किन्हीं पर अपने विचार व्यक्त किए थे। उस मध्यस्थ के, जिसको विवाद मूलतः निर्दिष्ट किया गया है, अंतरित होने या अपना पद रिक्त करने पर या किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ होने पर ऐसे अंतरण पद रिक्त करने या कार्य करने में असमर्थ होने के समय यथोपूर्वोक्त महानिदेशक या प्रशासनिक प्रधान ठेके के निबन्धनों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रुप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। ऐसा व्यक्ति निर्देश के संबध में उस प्रक्रम से जिस पर उसके पूर्ववर्ती ने उसे छोड़ा था, आगे कार्यवाही करने के लिए हकदार होगा। इस ठेके का यह भी एक निबंधन है कि यथा पूर्वोक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महा-निदेशक या प्रशासनिक प्रधान द्वारा नियुक्त व्यक्ति से भिन्न अन्य किसी व्यक्ति को मध्यस्थ के रुप में कार्य नहीं करना चाहिए और यदि किसी कारण से ऐसा संभव न हो तो विवाद माध्यस्थम् को निर्दिष्ट किया ही नहीं जाएगा। ऐसी सभी दशाओं में जिनमें प्रश्नगत् दावे की रकम 50,000 रु० (पचास हजार रुपये) और उससे अधिक हो, मध्यस्थ अपने पंचाट का कारण देगा।

यथापूर्वोक्त के अधान रहत हुए माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 या उसके किसी कानूनी उपांतर या पुनराधि-

Settlement of disputes by Arbitration.

CLAUSE 25.—Except where otherwise provided in the contract all questions and disputes relating to the meaning of the specifications, designs, drawings and instructions hereinbefore mentioned and as to the quality of workmanship or materials used on the work or as to any other question, claim, right matter or thing whatsoever, in any way arising out of or relating to the contract, designs, drawings, specifications, estimates, instructions orders or these conditions or otherwise concerning the works, or the execution or failure to execute the same whether arising during the progress of work or after the completion or abandonment thereof shall be referred to the sole arbitration of the person appointed by the Director General, Archaeological Survey of India, in charge of the work at the time of dispute or if there be no Director General, the administrative head of the said Archaeological Survey of India available at the time of such appointment. It will bear no objection to any such appointment that the arbitrator so appointed is Government servant, that he had to deal with the matters to which the contract relates and that in the course of his duties as Government servant he had expressed views on all or any of the matters in dispute or difference. The arbitrator to whom the matter is originally referred being transferred or vacating his office or being unable to act for any reason, such Director General or administrative head as aforesaid at the time of such transfer, vacation of office or inability to act, shall appoint another person to act as arbitrator in accordance with the terms of the contract. Such persons shall be entitled to proceed with the reference from the stage at which it was left by his predecessor. It is also a term of this contract that no person other than a person appointed by such Director General or administrative head of the Archaeological Survey of India, as aforesaid should act as arbitrator and if for any reason, that is not possible, the matter is not to be referred to arbitration at all. In all cases where the amount of the claim in dispute is Rs. 50,000 (Rupees fifty thousand) and above, the arbitrator shall give reason for the award.

Subject as aforesaid the provisions of the Arbitration Act, 1940, or any statutory modi-

नियमित और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध जो तत्समय प्रवृत्त हों, इस खण्ड के अधीन माध्यस्थम् कार्रवाई को लागू होंगे ।

इस ठेके का एक निबन्धन यह भी है कि माध्यस्थम् की याचना करने वाला पक्षकार इस खण्ड के अधीन मध्यस्थम् को निर्दिष्ट किये जाने वाले विवाद या विवादों के साथ प्रत्येक ऐसे विवाद की बाबत दावा की गई रकम या रकमों को भी विनिर्दिष्ट करेगा ।

इस ठेके का यह भी एक निबन्धन है कि यदि ठेकेदार सरकार से यह सूचना मिलने के, कि बिल संदाय के लिए तैयार है, 90 दिन के भीतर लिखित रुप में किसी दावे (दावों) की बाबत माध्यस्थम् की कोई मांग नहीं करता है/करते हैं तो ठेकेदार (ठेकेदारों) का दावा अधित्यक्त और पूर्ण रुप से वर्जित माना जाएगा, और सरकार ठेके के अधीन उन दावों की बाबत सब दायित्वों से उन्मोचित और निर्मुक्त हो जाएगी ।

मध्यस्थ पक्षकारों की सम्पत्ति से, पंचाट देने या प्रकाशित करने के समय को समय समय पर विस्तारित कर सकेगा/कर सकेंगे । अवमानक स्तर के कार्यों की दरों के संबंध में उसे कम करने और उसके औचित्य के संबंध में मंडल।शाखा अधिकारी का निर्णय, जिसे मान लिये जाने के लिए लिया जाएगा, अंतिम होगा और पंचाट के लिए खुला नहीं होगा ।

पेटेन्ट अधिकार

खण्ड 26.—ठेकेदार पेटेन्ट या डिजाइन या किन्हीं अधिकथित पेटेन्ट या डिजाइन अधिकारों के उल्लंघन या उपयोग से सम्बद्ध किसी अनुयोग, दावा या कार्यवाही के विरुद्ध भारत के राष्ट्रपति की क्षतिपूर्ति करेगा और ऐसे किन्हीं स्वामित्वों का संदाय करेगा जो संविदा में सम्मिलित किसी वस्तु या उसके भाग की बाबत संदेय हो । यथापूर्वोक्त विषयों में से किसी की बाबत सरकार के अधीन किए गए किन्हीं दावों या उसके खिलाफ किए गए किसी अनुयोग की दशा में ठेकेदार को उसकी तुरन्त अधिसूचना दी जाएगी और ठेकेदार अपने खर्चे पर, कोई विवाद तय करने या उससे उत्पन्न होने वाली मुकद्मेबाजी का संचालन करने के लिए स्वतन्त्र होगा । परन्तु ठेकेदार भारत के राष्ट्रपति को क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी नहीं होगा, यदि पेटन्ट या डिजाइन अथवा अभिकथित पेटन्ट या डिजाइन अधिकार का अतिलंघन मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा इस निमित्त पारित किसी आदेश का सीधा परिणाम है।

fication or re-enactment thereof and the rules made thereunder and for the time being in force shall apply to the arbitration proceedings under this clause.

It is also a term of the contract that the party invoking arbitration shall specify the dispute or disputes to be referred to arbitration under this clause together with the amount or amounts claimed in respect of each such dispute.

It is also a term of the contract that if the contractor(s) do/does not make any demand for arbitration in respect of any claim(s) in writing within 90 days of receiving the intimation from the Govt. that the bill is ready for payment, the claim of the Contractor(s) will be deemed to have been waived and absolutely barred and the Govt. shall be discharged and released of all liabilities under the contract in respect of these claims.

The arbitrator(s) may from time to time with consent of the parties enlarge the time, for making and publishing the award. The decision of the Circle/Branch Officer regarding the quantity of reduction as well as justification thereof in respect of rates for substandard work, which may be decided to be accepted, will be final, and would not be open to arbitration.

Patent Rights.

CLAUSE 26.—The contractor shall fully indemnify the President of India against any action, claim or proceeding relating to infringement or use of any patent or design or any alleged patent or design rights and shall pay any royalties which may be payable in respect of any article or part thereof included in the contract. In the event of any claims made under or action brought against Government in respect of any such matters as aforesaid the contractor shall be immediately notified thereof and the contractor shall be at liberty, at his own expense, to settle any dispute or to conduct any litigation that may arise therefrom. Provided that the contractor shall not be liable to indemnify the President of India if the infringement of the patent or design or any alleged patent or design right is the direct result of an order passed by the Circle/Branch Officer in this behalf.

प्राक्कलनों में एकमुश्त राशियां

खण्ड 27.—जबकि उस प्राक्कलन के अंतर्गत जिस पर निविदा की जाती है, कार्य के भागों को बावत एकमुश्त राशियां हों तब ठेकेदार अन्तर्वलित कार्य या प्रश्नगत कार्य के भाग की मदों की बावत उन्हीं दरों पर संदाय के लिए हकदार होगा, जो ऐसी मदों के लिए इस ठेके के अधीन संदेय हों, और यदि प्रश्नगत कार्य का भाग मंडल/शाखा अधिकारी की राय में माप के योग्य न हो तो मंडल/शाखा अधिकारी प्राक्कलन में दर्ज एकमुश्त रकम स्वविवेक पर संदाय कर सकेगा और मंडल/शाखा अधिकारी का प्रमाण पत्र ठेकेदार के विरुद्ध इस खण्ड के उपबन्धों के अधीन उसे संदेय किसी राशि या राशियों को बावत अंतिम और निश्चायक होगा ।

वहां कार्रवाई जहां कोई विनिर्देश न हो

खण्ड 28.—किसी ऐसे कार्य वर्ग की दशा में, जिसके लिए नियम 1 में यथावर्णित कोई विनिर्देश नहीं है, ऐसा कार्य जिला विनिर्देश के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा और यदि कोई जिला विनिर्देश न हो तो ऐसी दशा में कार्य सब बातों में मंडल/शाखा अधिकारी के अनुदेशों और अपेक्षाओं के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा ।

खण्ड 29 (i)—दावा की गई धनराशि के संबंध में उसे रोक रखना और उसका पुनर्ग्रहणाधिकार.—जब कभी किसी राशि या धन के संदाय के लिए ठेकेदार के खिलाफ कोई दावा, ठेके से या उसके अधीन उद्भूत होता है तो मंडल/शाखा अधिकारी प्रतिभूति निक्षेप यदि ठेकेदार द्वारा जमा किया गया हो, को पूर्णतः या अंशतः रोक रखने और उसे पुनर्ग्रहण करने का अधिकार होगा और उक्त उद्देश्य से मंडल/शाखा अधिकारी या सरकार प्रतिभूति निक्षेप को यदि कोई दिया गया हो, के विनिश्चय या अधिनिर्णय होने तक यथास्थिति ऐसे किसी दावे को रोक रखने और उसे पुनर्ग्रहण करने का अधिकार होगा । यदि प्रतिभूति की राशि दावे की राशि या राशियों के मुकाबले में अपर्याप्त हो या यदि ठेकेदार से प्रतिभूति नहीं ली गई हो तो सरकार के प्रभारी इंजीनियर मंडल/शाखा अधिकारी या सरकार या मंडल/शाखा अधिकारी के द्वारा संविदा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किये गये किसी भी ठेके के अन्तर्गत देय हो या देय होने की संभावना हो तो ऐसी दावे की राशि या राशियों को जैसा कि ऊपर बताया गया है ऐसे किसी

Lump sum in estimates

CLAUSE 27.—When the estimate on which a tender is made includes lump sums in respect of parts of the work the contractor shall be entitled to payment in respect of the items of work involved or the part of the work in question at the same rates, as are payable under this contract for such items, or if the part of the work in question is not, in the opinion of the Circle/Branch Officer capable of measurement, the Circle/Branch Officer may at his discretion pay the lump sum amount entered in the estimate, and the certificate in writing of the Circle/Branch Officer shall be final and conclusive against the contractor with regard to any sum or sums payable to him under the provisions of the clause.

Action where no specification is available

CLAUSE 28.—In the case of any class of work for which there is no such specification as is mentioned in Rule 1, such work shall be carried out in accordance with the district specification and in the event of their being no district specification, then in such case the work shall be carried out in all respects in accordance with the instructions and requirements of the Circle/Branch Officer.

CLAUSE 29(i).—**Withholding and lien in respect of sums claimed.**—Whenever any claim or claims for payment of a sum of money arises out of or under the contract against the contractor, the Circle/Branch Officer, shall be entitled to withhold and also have a lien to retain such sums in whole or in part from the security, if any deposited by the contractor and for the purpose aforesaid, the Circle/Branch Officer or the Government shall be entitled to withhold the security deposit, if any, furnished as the case may be and also have a lien over the same pending finalisation or adjudication of any such claim. In the event of the security being insufficient to cover the claimed amount or amounts or if no security has been taken from the contractor, the Engineer-in-Charge of the Government shall be entitled to withhold and have a lien to retain to the extent of such claimed amount or amounts referred to above, from any sum or sums found payable or which at any time thereafter may become payable to the contractor under the same contract or any other contract with the Circle/Branch

दावे के विनिश्चय या अधिनिर्णय होने तक रोक रखने या उसे पुनः ग्रहण करने का अधिकार होगा ।

ठेके की यह एक मान्य शर्त है कि मंडल/शाखा अधिकारी या सरकार द्वारा यथा-पूर्वोक्त के अनुसार ठेकेदार की रोक कर रखी या पुनर्ग्रहणाधिकार के अधीन रखी ऐसी धन-राशि(यों) को ठेके या उसके अधीन उद्भूत दावे के यथा-स्थिति मध्यस्थ से (यदि ठेका मध्यस्थम खंड से शासित हो उसी प्रकार रोक कर सक्षम न्यायालय से अधिनिर्णीत होने तक मंडल/शाखा अधिकारी या सरकार द्वारा रखी जाएगी और यह कि ठेकेदार को जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है ऐसे रोकन या पुनर्ग्रहणाधिकार के अधीन रोके जाने के लिए ब्याज या क्षतिपूर्ति के लिए या जैसी स्थिति हो, दावा करने का हक नहीं होगा और इसकी सम्यक् रूप से सूचना ठेकेदार को दी जाएगी । इस खंड के प्रयोजन से जहां ठेकेदार एक भागीदार फर्म या एक लिमिटेड कम्पनी हो वहां मंडल/शाखा अधिकारी या सरकार को यथास्थिति किसी भागीदार/लिमिटड कम्पनी को चाहे व्यक्तिगत रूप में या अन्य रूप में देय होने वाली किसी धनराशि से ऐसी दावाकृत राशि या राशियों को पूर्णतः या अंशतः रोकने या पुनर्ग्रहणाधिकार के अन्तर्गत रोक कर रखने का अधिकार गा ।

खण्ड 29-क.—अन्य ठेकों में किये गये दावों के संबंध में पुनर्ग्रहणाधिकार.—मंडल/शाखा अधिकारी या सरकार या मंडल/शाखा अधिकारी के मार्फत संविदा करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को मंडल/शाखा अधिकारी या सरकार या एसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ ठेकेदार द्वारा की गई संविदा से या उसके अधीन उद्भूत किसी धनराशि को अदा करने के संबंध में ठेके के अधीन ठेकेदार की बकाया या देय किसी भी धनराशि को (इसमें उसकी प्रत्यावर्तनीय प्रतिभूति जमा राशि भी शामिल है) रोकने या पुनर्ग्रहणा-धिकार के रूप में रोककर रखने का अधिकार होगा ।

यह ठेके की एक मान्य शर्त है कि मंडल/शाखा अधिकारी या सरकार द्वारा इस खंड के अधीन रोकी या रोक कर रखी धनराशि मंडल/शाखा अधिकारी या सरकार द्वारा उसी ठेके से या किसी अन्य ठेके से उद्भूत उसका दावा आपसी समझौते के आधार पर तय किये जाने या मध्यस्थ या समकक्ष न्यायालय द्वारा अधिनिर्णय दिये जाने तक या जैसी स्थिति हो, उसी प्रकार से रोकने या रोक कर रखने का अधिकार होगा और ठेकेदार को इस आधार पर या किसी अन्य

Officer or the Government or any contracting person through the Circle/Branch Officer pending finalisation of adjudication of any such claim.

It is an agreed term of the contract that the sum of money or moneys so withheld or retained under the lien referred to above, by the Circle/Branch Officer or the Govt. will be kept withheld or retained as such by the Circle/Branch Officer or the Government till claim arising out of or under the contract is determined by the Arbitrator, (if the contract is governed by the arbitration clause) by the competent court, as the case may be and that the contractor will have no claim for interest or damages whatsoever or on any account in respect of such withholding or retention under the lien referred to above and duly notified as such to the contractor. For the purpose of this clause, where the contractor is a partnership firm or a limited company, the Circle/Branch Officer or the Government shall be entitled to withhold and also have a lien to retain towards such claimed amount or amounts in whole or in part from any sum found payable to any partner/limited company as the case may be, whether in his individual capacity or otherwise.

CLAUSE 29-A.—Lien in respect of claims in other Contracts.—Any sum of money due and payable to the contractor (including the security deposit returnable to him) under the contract may be withhold or retained by way of lien by the Circle/Branch Officer, or the Government or any other contracting person or persons through the Circle/Branch Officer against any claim of the Circle/Branch Officer or Government or such other person or persons in respect of payment of a sum of money arising out of or under any other contract made by the contractor with the Circle/Branch Officer or the Govt or with such other person or persons.

It is an agreed term of the contract that the sum of money withheld or retained under this clause by the Circle/Branch Officer or the Government will be kept withheld or retained as such by the Circle/Branch Officer or the Govt. or till his claim arising out of the same contract or any other contract is either mutually settled or determined by the arbitration clause or by the competent court,

आधार पर इस खंड के अधीन इस प्रकार रोकी या रोक कर रखी धनराशि के संबंध में जिस किसी प्रकार का ब्याज या क्षतिपूर्ति के लिए दावा करने का अधिकार नहीं होगा और इस बात की विधिवत् सूचना ठेकेदार को दी जाएगी ।

कोयला-खनन या नियंत्रित क्षेत्र श्रमिकों के नियोजन के विरुद्ध प्रतिषेध

खण्ड 30.—ठेकेदार किसी भी प्रवर्ग के अधीन आने वाले कोयला खनन या नियंत्रित क्षेत्र श्रमिकों को कार्य पर या उसके संसर्ग में नियोजित नहीं करेगा या नियंत्रित क्षेत्र की 32 किलोमीटर (20 मील) की त्रिज्या के भीतर के क्षेत्र से श्रमिकों की भर्ती नहीं करेगा । उपर्युक्त के अधीन रहते हुए ठेकेदार आयातित अर्थात् डिपो आयातित श्रमिकों या ऐसे क्षेत्रों से, जिससे आयात अनुज्ञात है, ठेकेदार द्वारा आयातित श्रमिकों को नियोजित करेगा ।

जहां आयातित श्रमिकों के लिए अधिकतम मजदूरी राज्य या प्रादेशिक श्रम समितियों द्वारा नियत कर दी गई है, वहां ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को अधिकतम मजदूरी से अधिक मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।

ठेकेदार किसी ऐसे श्रमिक को तुरन्त हटाएगा, जिसका कोयला खनन या नियंत्रित क्षेत्र श्रमिक होना मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा इंगित किया जाए । यदि ठेकेदार ऐसा करने में असफल रहेगा तो वह प्रतिदिन प्रति श्रमिक 10 रुपये की दर से संगणित राशि सरकार को संदत्त करने के लिए दायी होगा । कोयला खनन या नियंत्रित क्षेत्र श्रमिकों की संख्या और उन दिनों की संख्या के विषय में जब उन्होंने कार्य किया हो, मंडल/शाखा अधिकारी का प्रमाण पत्र अंतिम और इस ठेके के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

यह घोषित किया जाता है कि पक्षकारों के बीच इस संबंध में सहमति है कि इस खण्ड का पूर्वोक्त अनुबंध ऐसा है, जिसमें भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 74 के अपवाद के अर्थ के भीतर जनता हितबद्ध है ।

स्पष्टीकरण.— "नियंत्रित क्षेत्र" से निम्नलिखित क्षेत्र है :

बिहार

मानभूम, हजारीबाग जिले, संथाल परगना का जामताड़ा उपखण्ड ।

पश्चिम बंगाल

बांकुड़ा, वीरभूम, वर्दवान जिले ।

मध्य प्रदेश

बिलासपुर जिला

as the case may be and that the contractor shall have no claim for interest or damages whatsoever on this account or on any other ground in respect of any sum of money withheld or retained under this clause and duly notified as such to the contractor.

Prohibition against the employment of coal mining or controlled area labour.

CLAUSE 30.—The contractor shall not employ coal mining or controlled area labour falling under any category whatsoever on or in connection with the work or recruit labour from area within a radius of 32 km., (20 miles) of the controlled area. Subject as above the contractor shall employ imported labour only i.e., depot imported labour or labour imported by contractors from area, from which import is permitted.

Where ceiling price for imported labour has been fixed by State or Regional Labour Committees not more than that ceiling price shall be paid to the labour by the contractor.

The contractor shall immediately remove any labour who may be pointed out by the Circle/Branch Officer as being a coal mining or controlled area labourer. Failure to do so shall render the contractor liable to pay to Government a sum calculated at the rate of Rs. 10 per day per labourer. The certificate of the Circle/Branch Officer about the number of coal mining or controlled area labour and the number of days for which they worked shall be final and binding upon all parties to this contract.

It is declared and agreed between the parties that the aforesaid stipulation in this clause is one in which the public are interested within the meaning of the exception of Section 74 of Indian Contract Act, 1872.

Explanation.—"Controlled Area" means the following areas :

Bihar.

District of Manbhum, Hazaribagh, Jamtara Sub-Division of Santal Parganas.

West Bengal.

District of Bankura, Birbhum, Burdwan

Madhya Pradesh.

District of Bilaspur.

कोई अन्य क्षेत्र, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके अनुमोदन से "नियंत्रित क्षेत्र" घोषित किया जाए।

बिना फिल्टर किए हुए जल के प्रदाय के सम्बन्ध में

खण्ड 31.—ठेकेदार कार्य के लिए अपेक्षित बिना फिल्टर किए हुए जल के लिए अपना निजी इंतजाम करेगें/करेंगे और उसके लिए कुछ भी अतिरिक्त संदाय नहीं किया जाएगा। ऐसा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगा :

(i) ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल, निर्माण प्रयोजनों के लिए मंडल/शाखा अधिकारी के समाधानप्रद रूप में ठीक होगा।

(ii) यदि मंडल/शाखा अधिकारी की राय में ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा जल की प्राप्ति के लिए किया गया इंतजाम संतोषप्रद न हो तो मंडल/शाखा अधिकारी जल के प्रदाय के लिए ठेकेदार (ठेकेदारों) के जोखिम और व्यय पर अनुकल्पी इंतजाम करेगा।

खण्ड 32.—(i) जहां पाइप जल प्रदाय का कोई इंतजाम नहीं है और ठेकेदार सरकार द्वारा बनाए गए कूपों या हैंडपम्पों से जल लेता है, वहां उसके लिए ठेकेदार से कोई प्रभार वसूल नहीं किए जाएंगे। किन्तु ठेकेदार दिन के ऐसे घंटों में पानी लेगा कि उससे उस प्रसामान्य उपयोग में कोई विघ्न न पड़ें, जिसके लिए हैण्डपम्प और कुएं आशायित हैं, वह अपने उपयोग से उद्भूत होने वाले सभी नुकसानों और अप्रसामान्य मरम्मतों के लिए भी उत्तरदायी होगा, जिसकी लागत उससे वसूल की जा सकेगी। मंडल/शाखा अधिकारी इसके लिए ठेकेदार से वसूल की जा सकने वाली लागत अवधारित करने के लिए अंतिम प्राधिकारी होगा।

(ii) ठेकेदार को मंडल/शाखा अधिकारी ने लिखित अनुज्ञा प्राप्त कर लेने पर ही उसे निर्माण प्रयोजन हेतु जल लेने के लिए सरकारी भूमि पर अस्थायी कुओं का निर्माण करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। किन्तु ठेकेदार से इसके लिए कोई प्रभार नहीं वसूल किया जाएगा। किन्तु ठेकेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह दुर्घटनाएं न होने देने के लिए और पार्श्वस्थ भवनों, सड़कों और सेवा लाइनों को नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करें। वह कुओं के बनवाने और तत्पश्चात् उनके अनुरक्षण के कारण हुई दुर्घटनाओं या नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा और कार्य के पूर्ण

Any other area which may be declared as 'Controlled Area' by or with the approval of the Central Government.

Condition relating to the supply of unfiltered water.

CLAUSE 31.—The contractor(s) shall make his/their own arrangements for unfiltered water required for the work and nothing extra will be paid for the same. This will be subject to the following conditions :

(i) That the water used by the contractor(s) shall be fit for construction purposes to the satisfaction of the Circle/Branch Officer.

(ii) The Circle/Branch Officer shall make alternative arrangements for supply of water at the risk and cost of contractor(s) if the arrangements made by the Contractor(s) procurement of water are in the opinion of the Circle/Branch Officer, unsatisfactory. **(For Delhi works only).**

CLAUSE 32.—(i) Where there is no piped water supply arrangement and the water is taken by the contractor from the wells or hand pumps constructed by the Government no charge shall be recovered from the contractor on that account. The contractor shall, however, draw water at such hours of the day that it does not interfere with the normal use for which the hand pumps and wells are intended. He will also be responsible for all damage and abnormal repairs arising out of his use, the cost of which shall be recoverable from him. The Circle/Branch Officer shall be the final authority to determine the cost recoverable from the contractor on this account.

(ii) The contractor shall be allowed to construct temporary wells in Government land for taking water for construction purposes only after he has got permission of the Circle/Branch Officer in writing. No charges shall be recovered from the contractor on this account, but the contractor shall be required to provide necessary safety arrangements to avoid any accidents or damage to adjacent buildings, roads and service lines. He shall be responsible for any accidents or damage caused due to construction and subsequent maintenance of the wells and shall restore the

हो जाने पर कुओं को तोड़ने के पश्चात् भूमि को मूल दशा में वापस ले जाएगा ।

अधिशेष सामग्री का लौटाया जाना

खण्ड 33.—इस ठेके के किसी या सभी खण्डों में अन्तर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी जहां ठेके के निष्पादन के लिए सामग्री सरकार की सहायता से, चाहे वह सरकारी स्टाकों से जारी किए जाने से हो या चाहे सरकार द्वारा जारी किए आदेश, अनुज्ञा-पत्रों या अनुज्ञप्तियों के अधीन क्रय करने से हो, उपाप्त की जाए, वहां ठेकेदार उक्त सामग्री को किफायत से और एक मात्र ठेके के प्रयोजन के लिए ही भरण करेगा और सरकार को अनुज्ञा के बिना उसका व्यय नहीं करेगा और मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा यदि अपेक्षा की जाए तो ऐसी सभी अधिशेष या काम में न आ सकने वाली सामग्री को, जो ठेका पूरा होने के पश्चात् या उसके पर्यवसान पर, वह चाहे किसी भी कारणवश हो, उसके पास बच रहे, उसकी ऐसी कीमत जो मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा ऐसी सामग्री की दशा को ध्यान में रखते हुए, अवधारित की जाए, संदत्त कर दिए जाने या उसके खाते में जमा कर दिए जाने पर लौटा देगा । किन्तु ठेकेदार को अनुज्ञात कीमत उससे प्रभारित रकम से, भण्डारकरण के प्रभारों को छोड़कर, यदि कोई हों, अधिक न होगी । मंडल/शाखा अधिकारी का विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा । यदि पूर्वोक्त शर्त को भंग किया जाएगा तो ठेकेदार अनुज्ञप्तियों या अनुज्ञा-पत्रों के निबन्धनों के उल्लंघन और/या आपराधिक न्यास भंग के लिए की जाने वाली कार्यवाही के लिए दायी तो होगा किन्तु इसके अलावा वह सरकार को उन सभी धन, फायदे या लाभ के लिए भी दायित्वाधीन होगा जो ऐसे भंग के कारण उसे प्राप्त हुए हों या सामान्य अनुक्रम में प्राप्त होते ।

संयंत्र और मशीनरी का भाड़ा ।

खण्ड 34.—(क) कार्य के लिए अपेक्षित निम्नलिखित संयंत्र और मशीनें ठेकेदार को नीचे दी हुई शर्तों पर भाड़े पर जारी की जाएगी :

प्रतिदिन के लिए प्रभारित भाड़ा

क्र०सं०	विवरण
(i)	
(ii)	

मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा भरा जाए ।

(ख) प्रदाय करते समय संयंत्र और मशीनरी..... ....स्थित विभागीय उपस्कर शेड में ही सौंपी जाएगी और वहीं पर उसे वापस लिया जाएगा और ठेकेदार शेड से कार्यस्थल तक उनको लाने और वहां से वापस ले जाने का व्यय वहन करेगा । ठेकेदार संयंत्र और

ground to its original condition after the wells are dismantled on completion of the work.

Return of surplus material.

CLAUSE 33.—Notwithstanding anything contained to the contrary in any or all the clauses of this contract, where any materials for the execution of the contract are procured with the assistance of Government either by issue from Government stocks or purchases made under order or permits of licences issued by Government the contractor shall hold the said materials economically and solely for the purpose of the contract and not dispose them of without the permission of the Government and return, if required by the Circle/Branch Officer, all surplus or unserviceable materials that may be left with him after the completion of the contract or at its termination for any reason whatsoever on being paid or credited such price as the Circle/Branch Officer shall determine having due regard to the condition of the materials. The price allowed to the contractor however shall not exceed the amount charged to him excluding the element of storage charge. The decision of the Circle/Branch Officer shall be final and conclusive. In the event of breach of the aforesaid condition the contractor shall in addition to throwing himself open to action for contravention of the terms of the licences or permit and/or the criminal breach of trust, be liable to Government for all moneys, advantages or profits resulting or which in the usual course would have resulted to him by reason of such breach.

Hire of plant and machinery.

CLAUSE 34.—(a) The following plant and machinery required for the work will be issued to the contractor on hire on conditions given below :—

Hire charges per day

S. No.	Description

(To be filled in by the Circle/Branch Officer)

(b) Plant and machinery when supplied shall be made over and taken back at the departmental equipment shed at..............and the contractor shall bear the cost of their carriage from the shed to the site of work and back. The contractor shall be responsible to

मशीनरी को उसी दशा में जिसमें वे सुपुर्द की गई थी, लौटाने के लिए जिम्मेदार होगा और वह उक्त संयंत्र और मशीनरी को, कार्यस्थल पर अथवा अन्यत्र प्रचालन के समय या अन्यथा या अभिवहन के दौरान, कारित सभी नुकसान के लिए, जिसमें उसके पुर्जो का नुकसान या हानि भी सम्मिलित है, और उसकी (ठेकेदार की) असफलता के कारण हुई सभी हानियों के लिए उत्तरदायी होगा तथा उस कार्य के, जिसके लिए वह दी गई थी, पूर्ण हो जाने के तुरन्त पश्चात् उन्हें वापस करेगा। ठेकेदार के दायित्व और इस संबंध में उसकी सीमा को अवधारित करने के लिए मंडल/शाखा अधिकारी एक मात्र निर्णायक होगा और उसका विनिश्चय अंतिम और ठेकेदार पर आबद्धकर होगा।

(ग) यथा ऊपर अनुबद्ध संयंत्र और मशीनरी जैसे ही और जब उपलब्ध होगी और यदि ठेकेदार द्वारा अपेक्षा की जाएगी, तब वे दे दी जाएंगी। रोलरों की जब भी अपेक्षा हो, उन्हें विभाग से प्राप्त कर लेना चाहिए। ठेकेदार अपने कार्य के प्रोग्राम की व्यवस्था संयंत्र और मशीनरी की उपलब्धता के अनुसार करेगा और विभाग द्वारा प्रदाय में हुई किसी देरी के कारण उसका (ठेकेदार का) कोई दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(घ) भाड़ा प्रभार संयंत्र और मशीनरी के सुपुर्द किए जाने की तारीख से, जिसमें वह तारीख भी शामिल होगी, उसके लौटाए जाने की तारीख तक, जिसमें वह तारीख भी शामिल होगी, विहित दरों पर वसूल किया जाएगा चाहे वह किसी भारी टूट-फूट को छोड़ कर जो ठेकेदार की किसी गलती के कारण या संयंत्र को ठीक कराने में लगातार तीन दिनों तक (बीच में आने वाली रविवार की और अन्य छुट्टियां शामिल हैं) गलत उपयोग के कारण से कार्य न कर रही हो। ठेकेदार मंडल/शाखा अधिकारी को तुरंत यह बात तब लिखित रूप में देगा कोई संयंत्र मशीन इतना अधिक खराब हो जाए जिसमें उपर्युक्त तरीके से भारी मरम्मत की जरुरत हो। मंडल/शाखा अधिकारी संयंत्र या मशीन के लाग शीट में ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख और समय रिकार्ड करेगा। इसके मुताबिक यदि दोपहर के भोजन के समय से पहले इस प्रकार की खराबी आती है तो शिकायत लिखाने के दिन ऐसी खराबी को आधे दिन की खराबी के रूप में माना जाएगा यदि दोपहर के भोजन के समय के बाद इस प्रकार की खराबी आये तो ऐसी खराबी की अवधि की गणना अगले दिन से प्रारंभ होगी। इस खण्ड के अन्तर्गत होने वाले किसी भी विवाद के मामले में मंडल/शाखा अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(च) ऊपर दर्शाए गए भाड़े प्रभार 8 घंटे के (जिसमें एक घंटा बीच में लंच के लिए सम्मिलित है) प्रत्येक

return the plant and machinery in the same condition in which it was handed over to him, and he shall be responsible for all damage caused to the said plant and machinery at the site of work or elsewhere in operation and otherwise during transit including his failure to return the same soon after the completion of the work for which it was issued. The Director General, Archaeological Survey of India shall be the sole judge to determine the liability of the contractor and its extent in this regard and his decision shall be final and binding on the contractor.

(c) The plant and machinery as stipulated above will be issued as and when available and if required by the State or Central Public Works Department. The contractor shall arrange his programme of work according to the availability of the plant and machinery and no claim, whatsoever, will be entertained from him for any delay in supply by the Department.

(d) The hire charges shall be recovered at the prescribed rates and inclusive of the date the plant and machinery is made over upto and inclusive of the date of its return in good order even though the same may not have been working for any cause except for major breakdown due to no fault of the contractor or faulty use requiring more than 3 working days continuously (i.e. excluding intervening holidays and Sunday) for bringing the plant in order. The contractor shall immediately intimate in writing to the Circle/Branch Officer when any plant or machinery gets out of order requiring major repairs as aforesaid. The Circle/Branch Officer shall record the date and time of receipt of such intimation in the log sheet of the plant or machinery. Based on this if the breakdown occurs before lunch the period of major breakdown will be computed considering half a day's breakdown on the day of complaint. If the breakdown occurs in the post lunch period the period of major breakdown will be computed starting from the next working day. In case of any dispute under this clause the decision of the Circle/Branch Officers shall be final.

(e) The hire charges shown above are for each day of 8 hours (inclusive of one hour lunch break) or part thereof. In case of steam

दिन या उसके भाग के लिए है, वाष्पचालित सड़क रोलर की दशा में 8 घंटे की कालावधि के अंतर्गत वह समय भी होगा जो कार्य प्रारंभ करने से पूर्व बायलर में वाष्पदाब बनाने के लिए और कार्य समाप्त होने पर बायलर में वाष्पदाब कम करने के लिए आवश्यक होगा।

(छ) भाड़ा प्रभारों के अंतर्गत यथा अपेक्षित चालक स्टाफ की सेवाएं और स्नेहक तेल और सफाई के प्रयोजनों के लिए सामान का तथा जब वाष्पचालित सड़क रोलर में आग जलाने के लिए पत्थर का कोयला दिया जाए तो 1.25 क्विंटल से अनधिक ऐसा पत्थर का कोयला भी शामिल होगा। ठेकेदार जो संयंत्र और मशीनरी की हिफाजत और सुरक्षा के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा संयंत्र और मशीनरी को चलाने के लिए अनुमोदित प्रकार के शक्ति इंधन, जलाने की लकड़ी, मिट्टी के तेल आदि की तथा संयंत्र मशीनरी को हानि या नुकसान से बचाव करने के लिए पूर्णकालिक चौकीदार की भी व्यवस्था करेगा। संयंत्र और मशीनरी का प्रदाय किए जाने पर या उसके पूर्व ठेकेदार संयंत्र और मशीनरी को परिवहन के दौरान या कार्य स्थल पर होने वाली हानि या नुकसान के विरुद्ध विभाग की क्षतिपूर्ति के लिए एक करार पर हस्ताक्षर करेगा।

(ज) सामान्यतः कोई भी संयंत्र मशीनरी एक दिन में 8 घंटे से, जिसमें मध्याह्न भोजन के लिए एक घंटे का समय भी शामिल है, अधिक काम नहीं करेगी, किन्तु अति आवश्यक कार्य की दशा में मंडल/शाखा अधिकारी अपने विवेक से संयंत्र और मशीनरी को दिन में 8 घंटे की सामान्य कालावधि से अधिक चलाने की इजाजत दे सकेगा। उस दशा में ठेकेदार द्वारा वहन किया जाने वाला अतिकालका प्रति घंटा भाड़ा प्रभार सामान्य रूप से अनुपातिक प्रति-घंटा प्रभार (दैनिक प्रभार का आठवां भाग) से 50 प्रतिशत अधिक होगा किन्तु किसी विशिष्ट दिन का ऐसा प्रभार कम से कम उतना होगा जो आधे दिन का प्रसामान्य प्रभार होता है। अतिकाल का भाड़ा प्रभार निकालने के लिए आधा घंटा और उससे ऊपर की अवधि को एक घंटे के रूप में प्रभारित किया जाएगा और आधा घंटे से कम समय की उपेक्षा कर दी जाएगी।

(झ) ठेकेदार संयंत्र और मशीनरी को हर दसवें दिन नियतकालिक सफाई और/या धुलाई के लिए छोड़ देगा जिसमें लगभग तीन से चार घंटे तक का या अधिक समय लग सकेगा वह श्रमिक और जल की भी व्यवस्था करेगा जिसकी वाष्पचालित रोलरों को धोने के लिए अपेक्षा हो। इस बात का विचार किये बिना कि सफाई/धुलाई करने में कितना समय लगा है, ठेकेदार से सफाई/धुलाई करने वाले दिन के लिए पूरे दिन का भाड़ा प्रभार वसूल किया जाएगा।

road roller, the period of 8 hours will be inclusive of time required to make up the boiler pressure before start of work and to lower the boiler pressure at the close of work.

(f) Hire charges will include service of operating staff as required and also supply of lubricating oil, and stores for cleaning purposes and steam coal exceeding 1.25 quintals to light up the steam road roller when issued. Power fuel of approved type, fire wood, kerosene oil etc. for running the plant and machinery and also the full time chowkidar for guarding the plant and machinery against any loss or damage shall be arranged by the contractor who shall be fully responsible for the safeguard and security of plant and machinery. The contractor shall on or before the supply of plant and machinery sign an agreement indemnifying the Department against any loss or damage caused to the plant and machinery during transit or at site of work.

(g) Ordinarily, no plant and machinery shall work for more than 8 hours a day inclusive of one hour lunch break. In case of an urgent work however, the Circle/Branch Officer may, at his discretion, allow the plant and machinery to be worked for more than normal period of 8 hours a day. In that case the hourly hire charges for overtime to be borne by the contractor shall be 50% more than the normal proportionate hourly charges (1/8th of the daily charges) subject to a minimum of half day's normal charges on any particular day. For working out hire charges for overtime a period of half an hour and above will be charged as one hour and a period of less than half an hour will be ignored.

(h) The contractor shall release the plant and machinery every 10th day for periodical servicing and/or wash out which may take about three to four hours or more. He shall also provide for labour and water that may be required for wash out of steam rollers. Hire charges for full day shall be recovered from the contractor for the day of servicing/wash out irrespective of the period employed in servicing/wash out.

(ट) ठेकेदार को जो संयंत्र और मशीनरी एक बार जारी कर दी जाएगी उन्हें वह अपनी ओर से श्रमिक और सामग्री आदि की व्यवस्था में कमी होने के कारण वापस नहीं करेगा। उन्हें तभी वापस किया जाएगा जब कि या तो उनमें भारी मरम्मत की आवश्यकता से अथवा जब मंडल/शाखा अधिकारी की राय में वह कार्य या उसका वह भाग, जिसके लिए उन्हें जारी किया गया था, पूरा हो चुका हो।

(ठ) ठेकेदार को प्रदाय किए गए प्रत्येक संयंत्र और मशीनरी के दैनिक कार्य के समय का अभिलेख रखने के लिए विभाग द्वारा लाग-बुक रखी जाएगी और वह रोजाना ठेकेदार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी। यदि ठेकेदार यह आपत्ति करता है कि उसकी प्रविष्टियां सही नहीं हैं और/या लाग-बुक पर हस्ताक्षर करने में असफल रहता है तो मंडल/शाखा अधिकारी का विनिश्चय अंतिम और उस पर आबद्धकर होगा। लाग-बुक की प्रविष्टियों के अनुसार भाड़ा प्रभार परिकलित किया जाएगा और वह ठेकेदार पर आबद्धकर होगा। सड़क-रोलरों के भाड़े प्रभार के मद्दे वसूली न्यूनतम दिनों के लिए की जाएंगी जो इस धारणा के आधार पर निकलते हों कि एक रोलर प्रतिदिन उतनी अधिकतम सामग्री या आपृष्ठन क्षेत्र की कुटाई कर सकता है।

(ड) (1) यदि ठेकेदार द्वारा सुदृढ़ीकरण के लिए रोड रोलरों का उपयोग स्वतः किया जाए तो ऐसे रोलरों के लिए लाग बुक उसी तरह रखा जाएगा जिस प्रकार कि विभागीय रोलरों के संबंध में किया जाता है। प्रतिदिन प्रति रोलरों द्वारा किये गये सुदृढ़ीकरण की मात्रा भी वही होगी जैसा कि खंड 34 (ठ) में बताई गई है। यदि रोलरों का कम उपयोग किया गया हो तो उतने कम दिन के उपयोग के लिए निर्धारित दर से वसूली की जाएगी।

(ड) कंक्रीट मिश्रक की दशा में ठेकेदार प्रतिदिन या प्रत्येक अवसर पर काम की समाप्ति पर हापर को साफ कराने और ड्रम को धुलवाने की व्यवस्था करेगा।

(ढ) ठेकेदार संयंत्र और मशीनरी को उसी हालत में वापस करने के लिए जिम्मेदार है जिस हालत में वह उसे सौंपी गई थी और वह उन संयंत्र और मशीनरी के कार्यस्थल पर या अन्यत्र काम करते हुए या अन्य दशा में या लेते, ले जाते हुए जो कोई क्षति होगी उसके लिए जिसमें उसके किन्हीं अवयवों को हुई क्षति या उनका खो जाना भी शामिल है, और जिस काम के लिए वह दी गई थी उसके पूरे होने के तुरन्त बाद उसके वापस न करने के कारण होने वाली सभी हानियों के लिए जिम्मेदार होगा। इस संबंध में ठेकेदार की देनदारी और उसका परिमाण निश्चित करने के लिए मंडल/शाखा अधिकारी एक मात्र

(i) The plant and machinery once issued to a contractor shall not be returned by him on account of lack of arrangements of labour and materials etc. On his part, the same will be returned only when they required major repairs or when in the opinion of the Circle/Branch Officer the work or a portion of work for which the same was issued, is completed.

(j) Log Book for recording the hours of daily work for each of the plant and machinery supplied to the contractor will be maintained by the Department and will be attested by the contractor or his authorised agent daily. In case the contractor contests the correctness of the entries and/or fails to sign the Log Book the decision of the Circle/Branch Officer shall be final and binding on him. Hire charges will be calculated according to the entries in the Log Book and will be binding on the contractor. Recovery on account of hire charges for road rollers shall be made for the minimum number of days worked out on the assumption that a roller can consolidate per day and maximum quantity of material area of surfacing as noted against each.

(k) (1) In the case of rollers for consolidation are employed by the contractor himself, log book for such rollers shall be maintained in the same manner as is done in the case of department rollers, maximum quantity of any items to be consolidated for each roller, day shall be also the same as in the Annexure to Clause 34(J). For less use of roller recovery for the less roller days shall be made at the stipulated rates.

(k) (2) In the case of concrete mixers, the contractor shall arrange to get the hopper cleaned and drum washed at the close of the work each day or each occasion.

(l) The contractor shall be responsible to return the plant and machinery in the condition in which it was handed over to him and he shall be responsible for all damages caused to the said plant and machinery at the site of work or elsewhere when the operation or otherwise or during transit including damage to or loss of parts, and for all losses due to his failure and return the same soon after the completion of the work for which it was issued. The Circle/Branch Officer shall be the sole judge to determine the liability of the

निर्णायक होगा और उसका निर्णय अंतिम तथा ठेकेदार पर बाध्यकर होगा ।

contractor and its extent in this regard and his decision shall be final and binding on the contractor.

एस्फाल्टी सामग्री के उपयोग के संबंध में शर्तें

खण्ड 35.— (i) ठेकेदार उपयोग किए जाने वाले तार या बिटुमेन का प्रदाय करने वाली फर्म द्वारा कार्य के पर्यवेक्षण के लिए इंतजाम करने के लिए वचनबद्ध करता है।

(ii) ठेकेदार डामर लगाने की प्रक्रिया के प्रारम्भ से पूर्व मानक सूत्र के अनुसार कार्य करने के लिए अपेक्षित टार या बिटुमेन की कुल मात्रा संगृहीत करेगा और उसे मंडल/शाखा अधिकारी को आडमानित करेगा । यदि कार्य पूरा हो जाने पर विनिर्देश की प्राधिकृत तबदीलियों और कार्य प्रभाव के त्याग से भिन्न अन्य कारणों के लिए वास्तविक निष्पादन की सामग्री के कम उपयोग के कारण कोई बिटुमेन या टार बिना काम में आए बच रहता है तो मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा यथा अवधारित अप्रयुक्त, सामग्री की लागत के समतुल्य तत्सम कटौती की जाएगी और सामग्री ठेकेदार को वापस लौटा दी जाएगी । यद्यपि सामग्री सरकार को आडमानित की जाती है, तथापि ठेकेदार सभी जोखिमों व उनकी उचित रखवाली सुरक्षित अभिरक्षा और संरक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है । सामग्री मंडल/शाखा अधिकारी की लिखित सम्मति के बिना कार्यस्थल से नहीं हटाई जाएगी ।

(iii) ठेकेदार कार्य पूरा हो जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर पता चलने वाली त्रुटियों को ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा और एस्फाल्टी कार्य से संबंधित प्रतिभूति-निक्षेप के प्रभाव का इस कालावधि के अवसान के पश्चात् प्रतिदाय कर दिया जाएगा ।

खण्ड 36.—ठेकेदार इस कार्य के निष्पादन के दौरान निम्नलिखित तकनीकी कर्मचारीवृन्द को नियोजित करेगा :—

1. जब निष्पादन किए जाने वाले कार्य की लागत 5 लाख रुपये से अधिक हो—एक स्नातक इंजीनियर ।
2. जब निष्पादित किए जाने वाले कार्य की लागत 2 लाख रुपये से अधिक किन्तु 5 लाख रुपये से कम हो—एक अर्हित डिप्लोमा धारक (ओवरसीयर) ।

जब कभी मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाए तब तकनीकी स्टाफ को अनुदेश लेने के लिए कार्यस्थल पर उपलब्ध होना चाहिए ।

यदि ठेकेदार यथा पूर्वोक्त तकनीकी स्टाफ का नियोजन करने में असफल रहता है तो यह स्नातक

Conditions relating to use of Asphaltic material

CLAUSE 35.—(i) The contractor undertakes to make arrangements for the supervision of the work by the firm supplying the tar or bitumen to be used.

(ii) The contractor shall collect the total quantity of tar or bitumen required for the work as per standard formulae, before the process of painting is started and shall hypothecate it to the Circle/Branch Officer. If any bitumen or tar remains unused on completion of the work on account of lesser use of materials in actual execution for reasons other that authorised changes of specification and abandonment of portion of work, a corresponding deduction equivalent to the cost of unused materials as determined by the Circle/Branch Officer shall be made and the material returned to the contractors. Although the materials are hypothecated to Government the contractor undertakes the responsibility for their proper watch, safe custody and protection against all risks. The materials shall not be removed from site of work without the consent of the Circle/Branch Officer in writing.

(iii) The contractor shall be responsible for rectifying defects noticed within a year from the date of completion of the work and the portion of the security deposit relating to the asphaltic work shall be refunded after the expiry of this period.

CLAUSE 36.—The contractor shall employ the following technical staff during the execution of the work :—

1. One graduate engineer when the cost of work to be executed is more than Rs. 5 lakhs.
2. One qualified diploma holder (overseer) when the cost of work to be executed is more than Rs. 2 lakhs but less than Rs. 5 lakhs.

The technical staff should be available at site whenever, required by Circle/Branch Officer to take instructions.

In case the contractor fails to employ the technical staff as aforesaid, he shall be liable

इंजीनियरों की बात व्यतिक्रम के लिए प्रति मास 2000 रु० (केवल दो हजार रुपये) और डिप्लोमाधारक (ओवरसीयर) की बाबत व्यतिक्रम के लिए प्रति मास 1000 रु० (केवल एक हजार रुपये) की राशि का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

मंडल/शाखा अधिकारी का इस मामले में यह निर्णय कि ठेकेदार द्वारा कितनी अवधि तक अपेक्षित तकनीकी कर्मचारी नियोजित किये गये थे और यह की इस हेतु कितनी राशि की कटौती यथोचित है, अन्तिम होगा और ठेकेदार के लिए यह कथित राशि में कितनी राशि के भुगतान का दायित्व ठेकेदार पर होगा ।

स्वच्छता एवं जल प्रदाय कार्य हेतु

ठेकेदार इस कार्य के निष्पादन के लिए निम्नलिखित तकनीकी कर्मचारियों को नियोजित करेगा :—

1. एक अर्हित ओवरसीयर जिसका कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होगा और जिसमें कम से कम एक वर्ष स्वच्छता इंजीनियरी या जल प्रदाय कार्य में लगाना चाहिए जबकि किए जाने वाले निर्माण कार्य की निविदा लागत 25,000 रुपये से अधिक हो ।

तकनीकी कर्मचारी को हर वक्त मंडल/शाखा अधिकारी से अनुदेश लेने के लिए स्थल पर मौजूद रहना चाहिए ।

ठेकेदार यदि ऊपरिकथित निर्देश के अनुसार तकनीकी कर्मचारियों को नियोजित करने में असमर्थ रहता है तो इस प्रकार के हर विलंबित मास के लिए यथोचित राशि जो एक हजार रुपये से अधिक न होगी के भुगतान का दायित्व उस पर होगा ।

मंडल/शाखा अधिकारी का इस मामले में यह निर्णय कि ठेकेदार द्वारा कितनी अवधि तक अपेक्षित तकनीकी कर्मचारी नियोजित नहीं किये गए और यह कि इस कारण कितनी राशि की कटौती यथोचित है अन्तिम होगा तथा ठेकेदार के लिए यह आबद्धकर होगा कि कथित राशि में से कितनी राशि के भुगतान का दायित्व ठेकेदार पर होगा ।

विद्युत कार्य हेतु

ठेकेदार इस कार्य के निष्पादन के लिए निम्नलिखित तकनीकी कर्मचारियों को नियोजित करेगा :—

1. जब कि किये जाने वाले निर्माण कार्य की निविदत्त लागत एक लाख रु० से अधिक हो तो अर्हित इंजीनिअर जिसे विद्युत इंजीनियरी में विश्वविद्यालय की डिग्री हो और कम से कम तीन वर्ष का

to pay a sum of Rs. 2,000 (Rupees two thousand) only for each month of default in the case of graduate engineer and Rs. 1,000 (Rupees one thousand) only for each month of default in the case of diploma holder (overseer).

The decision of the Circle/Branch Officer as to the period for which the required technical staff was not employed by the contractor and as to the reasonableness of the amount to be deducted on this account shall be final and binding on the contractor as to the amount and the contractor's liability to pay the said amount.

For sanitary and water supply works

The contractor shall employ the following technical staff during the execution of the work :—

1. One qualified overseer with an experience of not less than 5 years out of which atleast one year should be in a sanitary engineering or water supply works, when the tendered cost of work to be executed is more than Rs. 25,000.

The technical staff should be available at site whenever required by Circle/Branch Officer to take instructions.

In case the contractor fails to employ the technical staff as aforesaid he shall be liable to pay reasonable amount exceeding Rupees one thousand only for each month of default.

The decision of the Circle/Branch Officer as to period for which the required technical staff was not employed by the contractor and as to the reasonableness of the amount to be deducted on this account shall be final and binding on the contractor as to the amount and the contractor's liability to pay the said amount.

For Electrical Works

The contractor shall employ the following technical staff during the execution of this work :—

1. The qualified engineer possessing a university degree in Electrical Engineering and having experience of not less than 3 years or a diploma holder with not less than seven years

अनुभव अथवा डिप्लोमा धारक के मामले में कम से कम सात वर्ष का अनुभव हो ।

2. यदि किये जाने वाले निर्माण कार्य को निविदत्त लागत 50,000 रु० हो तो एक अर्हित ओवरसियर जिसे विद्युत इंजीनियरी में डिप्लोमा हो और कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो या स्नातक इंजीनियर जिसे कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो ।

3. यदि किये जाने वाले निर्माण कार्य की निविदत्त लागत 25,000 रुपये से अधिक और 50,000 रुपये से कम हो तो अर्हित ओवरसियर जिसे विद्युत इंजीनियरी में डिप्लोमा हो और कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो ।

4. यदि किये जाने वाले निर्माण कार्य की निविदत्त लागत 5,000/– रुपये से अधिक और 25,000 रु० तक हो तो एक अनुज्ञप्ति धारक पर्यवेक्षक जिसे कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो ।

तकनीकी कर्मचारी को मंडल/शाखा अधिकारी से अनुदेश लेने के लिए हर वक्त स्थल पर उपस्थित होना चाहिए। ठेकेदार यदि उपरिकथित निर्देश के अनुसार तकनीकी कर्मचारियों को नियोजित करने में असफल हो तो इस प्रकार निलम्बित मास के लिए किसी भी यथोचित राशि या प्रत्येक समकक्ष निर्दिष्ट अधिकतम राशि के भुगतान का दायित्व होगा :—

1. उस मामले में जहां स्नातक इंजिनियर नियुक्ति अपेक्षित हो (विद्युत) की	2,000 रु०
2. उस मामले में जहां डिप्लोमा धारक (विद्युत) अर्हित ओवरसियर की नियुक्ति अपेक्षित हो	1,000 रु०
3. उस मामले में जहा अनुज्ञप्ति धारक नियुक्ति अपेक्षित हो पर्यवेक्षक की	500 रु०

मंडल/शाखा अधिकारी का इस मामले में यह निर्णय कि ठेकेदार द्वारा कितनी अवधि तक तकनीकी कर्मचारी नियोजित नहीं किये गए थे और यह कि इस हेतु कितनी राशि की कटौती यथोचित है, अन्तिम होगा और ठेकेदार के लिए यह आबद्धकर होगा कि कथित राशि में कितनी राशि के भुगतान का दायित्व ठेकेदार पर होगा ।

खण्ड 37.—अगर समयोचित समझा जाये तो संपूर्ण निर्माण कार्य को दो या अधिक ठेकेदारों में विभाजित किया जाय या उसे भाग-भाग में स्वीकार किया जाय न की संपूर्ण रूप में ।

experience, when the tendered cost of the work to be executed is more than Rupees one lakh.

2. One qualified overseer possessing a diploma in electrical engineering and having experience of not less than three years or a graduate Engineer with two years or a graduate engineer with two years' experience when the tendered cost of work to be executed is more than Rs. 50,000 and upto Rupees one lakh.

3. One qualified overseer possessing a diploma in electrical engineering and have experience of not less than three years, when the tendered cost of work to be executed is more than Rs. 25,000 and upto Rs. 50,000.

4. One licensed supervisor having experience of not less than three years when the tendered cost of work to be executed is more than Rs. 5,000 and upto Rs. 25,000.

The technical staff should be available at site whenever required by Circle/Branch Officer to take instructions. In case the contractor fails to employ the technical staff as aforesaid he shall be liable to pay reasonable amount not exceedings the amount shown against each for each month of default.

1. In case where graduate engineer (Elect) is required to be appointed.	Rs. 2000
2. In case where a qualified diploma-holder overseer (elect.) is required to be appointed.	Rs. 1000
3. In case where a lincensed supervisor is required to be appointed.	Rs. 500

The decision of the Circle/Branch Officer regarding the period for which the required technical staff was not employed by the contractor and the reasonableness of amount to be deducted on this account shall be final and binding on the contractor as to the amount and the contractor's liability to pay the said amount.

CLAUSE 37.—The whole work may be split up between two or more contractors or accepted in part and not in entirely, if considered expedient.

खण्ड 38.—(i) इस ठेके की बावत सामग्री पर विक्रय कर या कोई अन्य कर ठेकेदार द्वारा संदेय होगा और सरकार इस संबंध में कोई भी दावा ग्रहण नहीं करेगी ।

(ii) यदि किसी विधि इस प्रकार की अधिसूचना या आदेश के अनुसरण में या उसके अधीन कोई स्वामित्व उपकर फीस या इसी प्रकार कोई रकम संकर्मों में ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त किसी सामग्री के बारे में राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों को भारत सरकार द्वारा संदेय हो जाती है और किसी समय ठेकेदार द्वारा संदेय नहीं होती है तो ऐसी दशा में भारत सरकार के लिए यह विधियुक्त होगा और उसका अधिकार होगा तथा वह इस बात के लिए हकदार होगी कि यथा पूर्वोक्त परिस्थितियों में संदत्त की गई रकम ठेकेदार को देय राशि में से वसूल कर लें ।

खण्ड 39.— इस ठेके के अधीन अधिकारों या उपचारों में से किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार मर जाता है तो मंडल/शाखा अधिकारी को राष्ट्रपति की ओर से यह विकल्प होगा कि यह ठेकेदार को प्रतिकर दिए बिना ठेके को पर्यवसित कर दे ।

खण्ड 40.— ठेकेदार (ठेके दिए जाने और उनके निष्पादन के लिए उत्तरदायी) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में, जिसमें उसका निकट नातेदार उप अधीक्षक पुरातत्व इंजीनियर या सहायक अधीक्षक पुरातत्व इंजीनियर श्रेणियों के बीच या किसी हैसियत में कोई आफिसर, की है, कार्यों के लिए निविदा करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । यह ऐसे व्यक्तियों के नाम भी प्रज्ञापित करेगा जो उसके साथ किसी हैसियत से काम कर रहे हैं या उसके द्वारा तत्पश्चात् नियोजित किए जाते हैं और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में या शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के किसी राजपत्रित आफिसर के निकट के नातेदार हैं । ठेकेदार द्वारा इस शर्त का कोई भंग उसे इस विभाग के ठेकेदारों को अनुमोदित सूची से हटाए जाने के लिए दायी बनाएगा ।

टिप्पणी.—"निकट नातेदार" पद से पत्नी, पति, माता, पिता और पितामह-पितामही, संतति और पौत्र-पौत्रियां, भाई और बहनें, चाचा-चाची और चचेरे, ममेरे भाई तथा उनके तत्सम्बन्धी ससुराली नातेदार अभिप्रेत हैं ।

खण्ड 41.— भारत सरकार के इंजीनियर विभाग में इंजीनियरी या प्रशासनिक कर्त्तव्यों में नियोजित राजपत्रित ओहदे का कोई इंजीनियर या अन्य राजपत्रित आफिसर भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना

CLAUSE 38.—(i) Sales tax or any other tax on materials in respect of this contract shall be payable by contractor and Government shall not entertain any claim whatsoever in this respect.

(ii) If pursuant to or under any law such notification or order any royalty, cess, fee or the like becomes payable by the Government of India and does not at any time become payable by the contractor to the State Govt./ Local Authorities in respect of any material used by the contractor on the works, there is such a case, it shall be lawful to the Govt. of India who will have the right and be entitled to recover the amount paid in the circumstances as aforesaid from the dues of the contractor.

CLAUSE 39.—Without prejudice to any of the rights or remedies under this contract, if the contractor dies, the Circle/Branch Officer on behalf of the President of India shall have the option of terminating the contract without compensation to the contractor.

CLAUSE 40.—The contractor shall not be permitted to tender for works in the Archaeological Survey of India (responsible for award and execution of contracts) in which his near relative is posted as Jr. Accounts Officer or as an officer in any capacity between the grades of the Deputy Superintending Archaeological Engineer or Assistant Superintending Archaeological Engineer (both inclusive). He shall also intimate the names of persons who are working with him in any capacity or are subsequently employed by him and who are near relatives to any gazetted officer in the Archaeological Survey of India or in the Ministry of Education & Culture. Any breach of this condition by the contractor would render him liable to be removed from the approved list of contractors of this Department.

Note.—By the terms "near relative" is meant wife, husband, parents and grand parents, children and grand children, brothers and sisters, uncles, aunts and cousins and their corresponding in **laws.**

CLAUSE 41.—No Engineer of gazetted rank or other gazetted officer employed in Engineering or administrative duties in an Engineering Department of the Government

अपनी निवृत्ति से दो वर्ष की कालावधि तक ठेकेदार के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं है । वह ठेका रद्द किया जा सकता है यदि किसी समय यह पाया जाए कि ठेकेदार, या उसका कोई कर्मचारी ऐसा व्यक्ति है, जिसने, यथास्थिति निविदा या ठेकेदार की सेवा में लगने से पूर्व भारत सरकार से यथापूर्वोक्त अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं कर ली थी ।

of India is allowed to work as a contractor for a period of two years of his retirement from Government service without the previous permission of Government of India. This contract is liable to be cancelled if either the contractor or any one of his employees is found at any time to be such a person who had not obtained the permission of Government of India as aforesaid, before submission of the tender or engagement in the contractor's service as the case may be.

खण्ड 42.—(i) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की केवल अपेक्षित मात्रा ही ली जाए । कोई ऐसी सामग्री जो ठेके के पूरा होने या उसके पर्यवसान के समय अप्रयुक्त बची रहे और पूर्णतः अच्छी दशा में हो, मंडल/शाखा अधिकारी को, यदि वह अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा ऐसा अपेक्षित करे, ऐसे स्थान पर, जो वह निर्दिष्ट करे, वापस लौटा दी जाएगी । ऐसी सामग्री के लिए प्रत्यक्ष विद्यमान बाजार दर उधार पर दिया जाएगा जो उससे प्रभारित ऐसी रकम से अनधिक होगा जिसमें उसे सामग्री दिये जाने के समय उद्गृहीत भण्डारकरण प्रभार को अपवर्जित कर दी गई हो । ठेकेदार अधिशिष्ट सामग्री को भण्डारों से और जहां ये दी गई थी, वापस लौटाने के लिए ढुलाई और आनुषंगिक प्रभारों के लिए हकदार भी नहीं होगा ।

CLAUSE 42.—(i) The contractor shall see that only the required quantities of materials are got issued. Any such material remaining unused and in perfectly good condition at the time of completion or determination of the contract shall be returned to the Circle/Branch Officer at a place so directed by him, if by a notice in writing under his hands, he shall so require. Credit for such material will be given at the prevailing market rate not exceeding the amount charged from him, excluding the element of storage charges levied at the time of issue of materials to him. The contractor shall not be entitled to cartage and incidental charges for returning the surplus materials from and to the stores wherefrom they were issued.

(ii) निर्माण कार्य के समाप्त होने पर निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सीमेंट की अनुमानित मात्रा का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रकाशित "दिल्ली की दर सूची 1977" में विहित निर्माण कार्य के विभिन्न मदों में प्रयुक्त होने वाली सीमेंट की मात्रा को दर्शाने वाले विवरण के आधार पर संगणन किया जाएगा । सीमेंट की इस अनुगणित मात्रा पर ऐसे कार्यों के लिए जिनकी यथा निविदत्त प्राक्कलित लागत 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है, 5% धन/ऋण तक और ऐसे कार्यों के लिए जिनकी यथानिविदत्त प्राक्कलित लागत 2 लाख रु० से अधिक किन्तु 5 लाख रु० तक है, 4% धन/ऋण तक और ऐसे कार्यों के लिए जिनकी यथानिविदत्त प्राक्कलित लागत 5 लाख रु० से अधिक है, 3% धन/राशि तक फेरफार अनुज्ञात किया जाएगा । ठेकेदार को वस्तुतः दी गई सीमेंट की मात्रा और प्राधिकृत फेरफारों को सम्मिलित करते हुए अनुगणित मात्रा का अन्तर, यदि वह ठेकेदार द्वारा वापस नहीं कर दिया गया है जो सामग्रियों की वापसी के संबंध में ठेके को शासित करने वाली सुसंगत शर्तों के उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भण्डारकरण प्रभारों को सम्मिलित करते हुए निर्गम दर के दुगुने के हिसाब से वसूल किया जाएगा । यह पाए जाने की दशा में कि उपयोग में लाए गई सीमेंट की मात्रा इसमें पूर्वउपबन्धित (ऊपर अनुबन्ध ऋणात्मक फेरफारों को अनुज्ञात करके) अभिनिश्चित

(ii) After the completion of the work, theoretical quantity of cement to be used in the work shall be calculated on the basis of statement showing quantity of cement to be used in different items of work provided in "Delhi Schedule of Rates 1977" printed by C.P.W.D. In case any item is executed for which standard formula for the consumption of cement are not available in the above mentioned statement, the same shall be calculated on the basis of standard formula to be laid down by the S.E. of the Circle concerned. Over this theoretical quantity of cement shall be allowed a variation up to 5% plus/minus for works the estimated cost of which as put to tender is not more than Rs. 2 lakhs; upto 4% plus/minus for works the estimated cost of which put to tender is more than Rs. 2 lakhs but upto Rs. 5 lakhs and upto 3% plus/minus for works the estimated cost of which put to tender is above Rs. 5 lakhs. The difference in the quantity of cement actually issued to the contractor and the theoretical quantity including authorised variations, if not returned by the contractor shall be recovered at twice the issue rate including storage

मात्रा से कम है , इस प्रकार अप्रयुक्त सीमेंट की मात्रा की लागत अनुबद्ध निगम दर के, जिसमें भण्डारकरण प्रभार और कार्यस्थल तक ढुलाई सम्मिलित है, आधार पर ठेकेदार से वसूल की जाएगी ।

charges, without prejudice to the provision of the relevant conditions regarding return of materials governing the contract. In the event of its being discovered that the quantity of cement used is less than the quantity ascertained as hereinbefore provided (allowing variations on the minus side as stipulated above), the cost of the quantity of cement not so ascertained shall be recovered from the contractor on the basis of stipulated issue rate including storage charges and cartage to site.

(iii) पूर्वगामी उपखण्ड के उप-बन्ध इस्पात प्रबलन या संरचनात्मक इस्पात खण्डों की दशा में, इस बात को छोड़कर कि इस्पात की अनुमानित मात्रा प्राधिकृत लौज, धन (+) टुकड़ों में काटने के कारण 5% छीजन को सम्मिलित करते हुए ऐसी मात्रा के रूप में समझी जाएगी जैसी कि डिजाइन के अनुसार है या मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत है, लागू होंगे । इस अनुगणित मात्रा पर, धन 5% और ऋण 4% छीजन से अधिक या कम होने के कारण फेरफार के रूप में अनुज्ञात किए जाएंगे ।

(iii) The provisions of the foregoing sub-clause shall apply in the case of steel reinforcement or structural steel sections, except that the theoretical quantity of steel shall be taken as the quantity required as per design or as authorised by the Circle/Branch Officer, including authorised lappages, plus 5% wastage due to cutting into pieces. Over this theoretical quantity, plus 5% and minus 4% shall be allowed as variation due to wastage being more or less.

(iv) निर्माण कार्य की समाप्ति पर निर्माण कार्य पर प्रयुक्त होने वाली बिटुमेन की अनुगणित मात्रा का दिल्ली की दर सूची में विहित निर्माण कार्य की विभिन्न मदों में प्रयुक्त होने वाली बिटुमेन की मात्राओं को प्रदर्शित करने वाली के० लो० नि० वि० के विवरण के आधार पर संगणन किया जाएगा अथवा जिन करारों के सम्बन्ध में ये दिल्ली की दर सूची के लागू किये जाने का न तो उपबंध करते हैं और न प्राधिकार देते हैं, वहा निर्माण कार्य में बिटुमेन की अनुगणित मात्रा का के०लो०नि०वि० या संबन्धित मंडल द्वारा विहित मानक सूत्रों के आधार पर संगणन किया जाएगा । इस अनुगणित बिटुमेन की मात्रा पर, धन (+) 2½% (अधिक) तक फेरफार के रूप में अनुज्ञात किये जाएंगे ।

(iv) After the completion of the work, the theoritical quantity of bitumen to be used on works shall be calculated on the basis of C.P. W.D.'s statement showing quantities of bitumen to be used in different items of work provided in the Delhi Schedule of Rates or in respect of agreements which do not provide for or authorise application of Delhi Schedule of Rates the theoritical quantity of bitumen to be used in works shall be calculated on the basis of standard formulae as laid down by the CPWD of the concerned circle over the said theoritical quantity of bitumen, a variation upto (excess) 2½% shall be allowed.

जहां करार बिटुमेन की मुफ्त पूर्ति का उपबंध करते हैं, वहां ठेकेदार को वस्तुतः जारी की गई बिटुमेन की मात्रा और उक्त प्राधिकृत फेरफार सहित अनुगणित मात्रा के मध्य अन्तर को यदि ठेकेदार ने वापस न किया हो तो करारों में सामान को वापस करने से संबंधित आनुषंगिक शर्तों को प्रभावित किये बिना उसे जारी किये जाने की दर से दुगुना मूल्य या दाम वसूल किया जाएगा । यदि यह पता चले कि ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त बिटुमेन की मात्रा उक्त तरीके से संगणित मात्रा से कम है तो बिटुमेन की कम मात्रा की प्रयुक्ति के लिए उससे कुछ नहीं वसूल किया जाएगा ।

The agreements which provide for free supply of bitumen the value or price of the difference in the quantity of bitumen actually issued to the contractor and the theoritical quantity including the above mentioned authorised variation, if not returned by the contractor shall be recovered at twice the issue rate without prejudice to the relevant conditions in the agreements regarding return of materials. In the event of it being discovered that the quantity of bitumen used by the contractor is less than the quantity calculated in the manner aforesaid, there shall be no recovery for less use of bitumen.

जहां करार किसी नियत दर पर बिटुमेन की पूर्ति का उपबध करते हैं, वहां ठेकेदार को वस्तुतः जारी की गई बिटुमेन की मात्रा और उक्त प्राधिकृत फेरफार सहित अनुगणित मात्रा के मध्य के अन्तर को यदि ठेकेदार ने वापस न किया हो तो ठेके को शाशित करने वाली करारों में सामान वापस करने से संबंधित आनुषंगिक शर्तों को प्रभावित किये बिना बिटुमेन जारी करने की दर से दुगुना मूल्य या दाम वसूल किया जाएगा ।

यदि यह पता चले कि ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त बिटुमेन की मात्रा उक्त तरीके से संगणित मात्रा से कम हो तो इस प्रकार प्रयुक्त बिटुमेन की मात्रा के ऋण की ओर आने वाले अन्तर को ठेकेदार से उसे जारी करने की निर्धारित दर जमा स्थल तक के उसके ढुलाई प्रभार के आधार पर वसूल नहीं किया जाएगा ।

(v) निर्माण कार्य की समाप्ति पर प्रयुक्त होने वाले बिटुमेन की सैद्धान्तिक मात्रा का परिकलन दिल्ली की दर सूची में उपबंधित निर्माण कार्य का विभिन्न मदों में प्रयुक्त होने वाले बिटुमेन की मात्राओं को दर्शाने वाले के० लो नि० वि० की तालिका के आधार पर किया जाएगा अथवा अनुबंध के मामले में, जिसमें दिल्ली की दर सूची के लागू होने की बात या तो उपबंधित नहीं है या प्राधिकृत की गई है, निर्माण कार्य मे प्रयुक्त होने वाले बिटुमेन की सैध्दांतिक मात्रा का परिकलन संबंधित मंडल/शाखा कार्यालय के मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा बिटुमेन की उक्त सैद्धान्तिक मात्रा पर निर्धारित किये गये मानक सूत्र के आधार पर किया जाएगा और 2-1/2 प्रतिशत अधिक लगाकर विभिन्नता रखने की अनुमति दी जाएगी ।

जिन अनुबंधों में बिटुमेन की मफ्त पूर्ति की व्यवस्था की जाती है यहां ठेकेदार को जारी की गई बिटुमेन की वास्तविक मात्रा और सैद्धान्तिक मात्रा जिसमें उपर्युक्त प्राधिकृत विभिन्नता शामिल है की भिन्नता का मूल्य या कीमत यदि ठेकेदार द्वारा वापस न की गई हो तो अनुबंध की सामान वापस करने से संबंधित शर्तों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले जारी करने की दर से दुगुना वसूल की जाएगी । यदि इस बात का पता चल जाए कि ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त बिटुमेन की मात्रा उपरिलिखित तरीके से परिकलित मात्रा से कम है तो बिटुमेन की प्रयुक्ति की मात्रा के लिए किसी प्रकार की वसूली नहीं की जाएगी ।

जिन अनुबंधों में बिटुमेन की पूर्ति किसी नियत दर पर कराने की व्यवस्था की जाती है, तो ठेकेदार को जारी किये गये बिटुमेन की वास्तविक मात्रा और

The agreements which provide for supply of bitumen at a fixed rate, the value or price of the difference in the quantity of bitumen actually issued to the contractor and the theoritical quantity including the above mentioned authorised variation, if not returned by the contractor, shall be recovered at twice the issue rate of bitumen without prejudice to the relevant conditions in the agreements regarding return of materials governing the contract.

In the event of it being discovered that the quantity of bitumen used by the contractor is less than the quantity calculated in the manner aforesaid (no variation on the lower side of quantity of bitumen not so used) shall be recovered from the contractor on the basis of stipulated issue rate plus cartage thereof upto site.

(v) After the completion of the work the theoritical quantity of bitumen to be used on works shall be calculated on the basis of C.P. W.D.'s statement showing qualities of bitumen to be used in different items of work provided in the Delhi Schedule of Rates or in respect of agreement which do not provide for/or authorise application of Delhi Schedule of Rates the theoretical quantity of bitumen to be used in works shall be calculated on the basis of standard formula as laid down by Circle/Branch Officer of the concerned Circle/Branch over the said theoretical quantity of bitumen a variation upto plus (excess) 2½% shall be allowed.

The agreement which provide for free supply of bitumen, the value or price of the difference in the quantity of bitumen actually issued to the contractor and the theoretical quantity including the above mentioned authorised variation, if not returned by the contractor shall be recovered at twice the issue rate without prejudice to the relevant condition in the agreements regarding return of materials. In the event of it being discovered that the quantity of bitumen used by the contractor is less than the quantity calculated in the manner aforesaid, there shall be no recovery for less use of bitumen.

The agreement which provides for supply of bitumen at a fixed rate, the value or price of the difference in the quantity of bitumen ac-

सैद्धान्तिक मात्रा जिसमें उपरिलिखित प्राधिकृत विभिन्नता सम्मिलित है की भिन्नता का मूल्य या कीमत यदि ठेकेदार द्वारा वापस न की गई हो तो इस अनुबंध को नियमित करने वाले अनुबंध की सामान वापस करने की बाबत शर्तों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले बिटुमेन जारी करने की दर से दुगुना वसूल की जाएगी ।

tually issued to the contractor and the theoritical quantity including the above mentioned authorised variation, if not returned by the contractor, shall be recovered at twice the issue rate of bitumen without prejudice to the relevant conditions in the agreements regarding return of materials governing the contract.

इस बात का पता चलने पर कि ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त बिटुमेन की मात्रा उपरिलिखित तरीके से परिकलित मात्रा (जिसमें न्यूनता दर्शाने वाली विभिन्नता की अनुमति नहीं दी जाएगी) से कम होगी तो ठेकेदार से निर्धारित दर के आधार पर इस प्रकार से प्रयुक्त न की गई हो । बिटुमेन की मात्रा की कीमत और स्थल तक उसे पहुंचाने का गाड़ी भाड़ा वसूल किया जाएगा ।

In the event of it being discovered that the quantity of bitumen used by the contractor is less than the quantity calculations in the manner aforesaid (no variation on the lower side shall be allowed), the cost of the quantity of bitumen not so used shall be recovered from the contractor on the basis of stipulated issue rate and cartage thereof upto site.

(vi) ऊपर उपबंधित नियम सरकार के उस अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं जिसके अन्तर्गत निर्धारित विनिर्देशनों के अनुसार निर्माण कार्य न करने के कारण ठेके की शर्तों के अधीन ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है ।

(vi) The provisions made above are without prejudice to the right of the Government to take action against the contractor under the conditions of the contract for not doing the work according to the prescribed specifications.

संघर्षों या युद्ध जैसी संक्रियाओं के परिणामस्वरूप कार्यों को हुए नुकसान से संबंधित खण्ड

Clause pertaining to damage to works in consequence of hostilities or war-like operations.

खण्ड 43.—जब तक कार्य, मंडल/शाखा अधिकारी को परिदत्त नहीं कर दिया जाता और उससे उस प्रभाव का प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता तब तक कार्य (चाहे पूर्णत: निर्मित हो अथवा नहीं) और उससे संबंधित सब सामग्री, मशीनें, औजार और संयंत्र, पाड़, अस्थायी भवन और अन्य वस्तुएं ठेकेदार के जोखिम पर रहेंगी । कार्य या उसमें लगाने के लिए स्थल पर उचित रूप से लाई गई किसी सामग्री को संघर्षों या युद्ध जैसी संक्रियाओं के परिणामस्वरूप क्षति होने अथवा उसके नष्ट होने की दशा में ठेकेदार मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा लिखित आदेश दिए जाने पर कार्यस्थल से मलबे को हटाएगा और क्षतिग्रस्त कार्य से उद्धारित काम में आने लायक सारी सामग्री इकट्ठी करेगा और उसका उचित रूप से ढेर लगाएगा अथवा उसे भण्डार में ले जाएगा तथा मलबे को कार्यस्थल से साफ करने के काम में आने लायक सामग्री का ढेर लगाने या उसे हटाने के कार्य के लिए और मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा आदिष्ट समस्त कार्य को फिर से पूरा करने के लिए इस करार के उपबन्ध के अनुसार ठेके की दरों पर संदाय किया जाएगा और इस प्रकार का संदाय, किए हुए कार्य के मूल्य तक, क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगा ।

CLAUSE 43.—The work (whether fully constructed or not) and all materials, machines, tools and plants, scaffolding, temporary buildings and other things connected therewith shall be at the risk of the contractor until the work has been delivered to the Circle/Branch Officer and a certificate from him to that effect obtained. In the event of the work or any materials properly brought to the site for incorporation in the work being damaged or destroyed in consequence of hostilities, natural calamities, or war-like operations, the contractor shall, when ordered in writing by the Circle/Branch Officer, remove any debris from the site, collect and properly stack or remove in store all serviceable materials salvaged from the damaged work and shall be paid at the contract rates in accordance with the provisions of this agreement for the work of clearing the site of debris, stacking or removal of serviceable materials and for the construction of all works ordered by the Circle/

क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए ऐसे कार्यों की दशा में जिनकी माप न हो चुकी हो और जिनके लिए संदाय न किया गया हो, क्षतिपूर्ति का निर्धारण 5,000 रु० तक संबंधित शाखा अधिकारी द्वारा और उससे अधिक रकम के मंडल/शाखा अधिकारी अधिक्षक, पुरातत्वविद् इंजीनियर द्वारा या मंड़ल किया जायेगा। ठेकेदार कार्य में हुई नुकसान, उसके नष्ट हो जाने और सामग्रियों के प्रत्यास्थापन के लिए संदाय, इस करार के उपबंधों के अनुसार निविदत्त दरों के विश्लेषण पर आधारित दरों पर किया जाएगा। सामग्री की क्वालिटी और मात्रा और जिस प्रयोजन से उसे संगृहीत किया गया था उसके बारे में मंडल/शाखा अधिकारी का प्रमाण पत्र अंतिम और इस ठेके के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

Branch Officer, such payments being in addition to compensation upto the value of the work, originally executed before being damaged or destroyed and not paid for. In case of works damaged or destroyed but not already measured and paid for, the compensation shall be assessed by the Deputy Superintending Archaeological Engineer or any other officer so authorised by the Circle/Branch Officer upto Rs. 5000/- and by the Circle/Branch Officer concerned for a higher amount. The contractors shall be paid for the damage/destruction suffered and for the restoring the materials at the rates based on the analysis of rates tendered for in accordance with the provisions of this agreement. The certificate of the Circle/Branch Officer regarding the quality/quantity of materials, and the purpose for which they were collected shall be final and binding on all parties to this contract.

परन्तु सर्वदा यह कि संघर्षों या युद्ध जैसी संक्रियाओं के परिणामस्वरूप किसी हानि के लिए कोई भी क्षतिपूर्ति (क) तब तक संदेय नहीं होगी जब तक कि ठेकेदार ने हवाई हमले के विरुद्ध ऐसे सभी पूर्वोपाय न किए हों, जो हवाई हमला सुरक्षा अधिकारी या मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाते हों, और

Provided always that no compensation shall be payable for any loss in consequence of hostilities or war-like operations (a) unless the contractor had taken all such precautions against air raid as are deemed necessary by the A.R.P. Officers or the Circle/Branch Officer, and

(ख) किसी भी सामान आदि के लिए जो स्थल पर नहीं है या किसी औजारों या संयंत्र, मशीनों, पाड़, अस्थायी इमारतों और अन्य वस्तुओं के लिए जो निर्माण कार्य के लिए न हो।

(b) For any materials etc. not on the site of the work or for any tools and plant machinery, scaffolding, temporary buildings and other things not intended for the work.

यदि ठेकेदार को यथोक्त के अनुसार पुनर्निर्माण करना पड़ जाए तो उसके समापन के लिए उसे समय की उतनी बढ़त दी जाएगी जितनी कि मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा उचित समझी जाएगी।

In the event of the contractor having to carry out reconstruction as aforesaid, he shall be allowed such extension of time for its completion as is considered reasonable by the Circle/Branch Officer.

खण्ड 43-क.—निविदा के पृष्ठ (4) में निर्दिष्ट प्रतिशत तक किये गये निर्माण कार्य के बिल की सकल राशि में घटा कर या उसमें जोड़कर निकाली जाएगी।

CLAUSE 43-A.—The percentage referred to at page (4) of the tender will be deducted from/added to the gross amount of the bill for the work done.

खण्ड 44.—ठेकेदार को शिक्षु अधिनियम, 1961 के उपबंधों और समय-समय पर उसके अंतर्गत जारी नियमों और आदेशों का अनुपालन करना होगा। यदि वह ऐसा

CLAUSE 44.—The contractor shall comply with the provisions of the Apprentices Act, 1961 and the rules and orders issued there-

करने में असमर्थ होता है तो उसकी यह असफलता ठेके का भंग माना जाएगा और मंडल/शाखा अधिकारी अपने निर्णय से यदि चाहे तो रद्द कर सकता है। ठेकेदार उस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के फलस्वरूप होने वाली किसी भी धन सम्बन्धी देयता के लिए भी दायित्वाधीन होगा।

खण्ड 45.—ठेकेदार स्वत्व शुल्क जमा करेगा और स्थानीय प्राधिकारियों से लाल बजरी, पत्थर, कंकड आदि की पूर्ति करने के लिए आवश्यक परमिट प्राप्त करेगा।

खण्ड 46.—प्रतिभूति जमा जब तक ठेकेदार द्वारा समाशोधन प्रमाण पत्र न प्राप्त कर लिया जाए वापस नहीं किया जाएगा।

अतिरिक्त शर्तें

खण्ड 47.—(1) सामान सूची में उल्लिखित सुपुर्दगी स्थान ही ठेकेदार को दिये जाएंगे। यदि इनकी सुपुर्दगी किसी अन्य स्थल पर होती है तो ढुलाई प्रभार के अन्तर का समायोजन कर लिया जाएगा। ठेकेदार सामान को जैसे ही ये जारी किये जाएं अपने कार्य स्थल तक अपने खर्च से ढुलवायेगा। सामान कार्य काल में और समय-समय पर बने के० लो० नि० वि० के गोदामों के नियमों के अनुसार जारी किये जाएंगे।

(2) विकल्पतः सीमेंट की सप्लाई कार्य स्थल पर बिना बोरों के सिलोसाईट में की जाएगी। ठेकेदार को सिलोसाइट चलाने के लिए अपने मजदूर की व्यवस्था स्वंय करनी होगी और वह उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह सिलोसाइट की हुई किसी भी क्षति के लिए सामान्य टूट-फूट के अलावा क्षतिपूर्ति अदा करने के दायित्वाधीन होगा। वह सिलोसाइट का किराया प्रभार सिलोसाइट को कार्यस्थल पर लाने के दिन से कार्यस्थल से हटाने के दिन तक के लिए एक रुपया प्रतिदिन की दर से अदा करेगा।

(3) सिलोसाइट में सप्लाई की गई सीमेंट को जारी करने की दर के० लो० नि० वि० द्वारा उस स्थान पर अप्रत्यावर्तनीय बोरों के लिए निर्धारित भंडारण प्रभारों सहित जारी किये जाने की दर से रु० 2.45 और रु० 4.60 प्रतिटन होगी, यह तब होगी जब ओखला स्थित ए० सी० सी० थोक सप्लाई डिपों से कार्यस्थल की दूरी क्रमशः 11 कि० मी० या 7 मील और 23 कि० मी० या 14 मील तक होगी।

(4) सामान की ढुलाई, संग्रहण तथा सुरक्षा पर होने वाले आनुषंगिक व्यय की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

under from time to time. If he fails to do so, this failure will be a breach of the contract and the Circle/Branch Officer may, in his discretion, cancel the contract. The contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the provisions of the Act.

CLAUSE 45.—The contractor shall deposit royalty and obtain necessary permit for the supply of the red Bajri, stone, Kankar, etc. from local authorities.

CLAUSE 46.—Security deposit will not be refunded till clearance certificate is obtained by the contractor.

ADDITIONAL CONDITIONS

CLAUSE 47.—(1) The materials will be issued to the contractor at the place of delivery as mentioned in the Schedule of materials. If these are delivered at any other site the difference due to cartage will be adjusted accordingly. The contractor shall have to cart at his cost the materials to the site of work as soon as these are issued. The materials will be issued during the working hours and as per rules of the C.P.W.D. godowns from time to time.

(2) Alternatively the cement will be supplied without bags in silosite at the site of work. The contractor shall arrange his labour for operating the silosite and will be responsible for its safe custody. He shall be liable to pay the compensation for any damage done to the silosite over and above normal wear and tear. He shall pay the hire charges of silosite at the rate of Re. one per day from the day the silosite is brought on the site of work to the day silosite is removed from the site.

(3) The issue rate of the cement supplied in the silosite will be Rs. 2.45 and Rs. 4.60 per tonne, more than the issue rate including storage charges stipulated for the supply of cement in non returnable bags at the C.P.W.D. there, when the distance of the site from the A.C.C. bulk supply depot at Okhla is upto 11 km and 23 km or 14 miles respectively.

(4) The contractor shall bear all incidental charges for cartage, storage and safe custody of materials.

(5) गोदाम में उपलब्ध लंबाई के ही नर्म-इस्पाती सरिये (एम० एस० राडों) प्रदान किये जाएंगे । इस संबंध में किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(6) सूर्य, वर्षा, सीलन, आग, चोरी आदि से होने वाली क्षति से सामान को बचाने के लिए ठेकेदार, इनके संग्रहण हेतु एक गोदाम बनवाएगा । इसके लिए आवश्यक पहरा व निगरानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उसीकी होगी ।

(7) सीमेंट की बोरियां अलग गोदामों में रखी जाएंगी । इन गोदामों की छतें तथा दीवारें ऋतु सही होंगी । प्रत्येक गोदाम में एक-एक दरवाजा होगा और प्रत्येक दरवाजे पर दो-दो ताले लगाए जाएंगे । एक ताले की चाबियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुभागीय प्रभारी अधिकारी के पास रहेंगी और दूसरे ताले की चाबियां कार्य-स्थल पर नियुक्त, ठेकेदार के अधिकृत एजेंट के पास रहेंगी ताकि गोदाम से दोनों पक्षों के सामने प्रतिदिन की आवश्यकतानुसार सीमेंट निकाला जाए ।

(8) अच्छी तरह से पक्की की हुई जमीन पर बिछी, सुखी इंटों की दोहरी परत वाले तथा भूतल से कम से कम 30 सें. मी. या ऊपर बने फर्श पर सीमेंट की बोरियों का ढ़ेर लगाया जाएगा । प्रत्येक ढेर में दो पंक्तियां होंगी और एक के ऊपर एक दस बोरियां होंगी । प्रत्येक ढेर के आस-पास 60 सें. मी. या 2 और 3मी० खाली स्थान होगा । इसके साथ दिये रेखाचित्र के अनुरूप प्रत्येक पंक्ति में बोरियों को एक दूसरे के साथ जोड़कर क्षितिज रूप में रखा जाएगा ।

(9) निम्नलिखित प्रपत्र में सीमेंट की प्राप्ति तथा वितरण का प्रतिदिन का लेखा रखने की जिम्मेदारी प्रभारी की होगी और ठेकेदार अथवा उसका अधिकृत एजेंट प्रतिदिन इस पर हस्ताक्षर करेगा :--

(5) M.S. bars will be issued in lengths as available in the stores. No claim on this account shall be entertained.

(6) The contractor shall construct suitable godown at the site of work for storing the materials safe against damage due to sun, rain, dampness, fire, theft etc. He shall also employ necessary watch and ward establishment for the purpose.

(7) Cement bags shall be stored in separate godowns with pucca floor and weather proof roofs and walls. Each godown shall be provided with a single door with two locks. The keys of one lock shall remain with Archaeological Officer-in-charge of work and that the other lock with the authorised agent of the contractor at the site of work so that the cement is removed from the godown accordingly to the daily requirement with the knowledge of both the parties.

(8) The cement bags shall be stacked on proper floors consisting of two layers of dry bricks laid on well consolidated earth at a level at least 30 cm above ground level. These stacks shall be in rows of 2 and 3 m high with a minimum of 60 cm clear space alround. The bags should be placed horizontally continuous in each line as shown in the accompanying sketch.

(9) The day to day receipts and issue accounts of cement shall be maintained by the in-charge and signed daily by the contractor or his authorised agent, in the following proforma:—

सीमेंट रजिस्टर का प्रारूप

PROFORMA FOR THE CEMENT REGISTER

प्राप्ति की तारीख Date of Receipt	प्राप्ति से संबंधित ब्यौरा Particulars of Receipt		वितरण की तारीख Date of issue	वितरण का ब्यौरा Particulars of Issue			कुल वितरण Total issues	प्रति दिन का शेष Daily balance	ठेकेदार के हस्ताक्षर Contractor's Initials	टिप्पणी Remarks	सहायक इंजीनियर के हस्ताक्षर A.E.'s Initials	सहायक इंजीनियर/कार्यकारी इंजीनियर द्वारा समय-समय पर की गई जांच A.E.'s/E.E.'s periodical check
	प्राप्ति की मात्रा Quantity received	प्रगामी योग Progressive Total		वितरण की मात्रा Quantity issued	किस कार्य के लिए वितरण किया गया Item of work for which issued	दिवस अवसान पर लौटाई गई मात्रा Quantity returned at the end of the day						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

10. ठेकेदार को चाहिए कि वह निविदा देने से पूर्व निर्माण एवं अध्ययन हेतु विनिर्देश तथा शर्तें निश्चित करने के लिए स्थल को अच्छी प्रकार से देखभाल कर ले। प्रभारी इंजीनियर द्वारा बनाए गए कार्यक्रम के अनुसार कार्य किया जाएगा ।

(11) ठेकेदार को सौंपा गया कार्य करते समय उसके हाथों किसी वर्तमान निर्माण को क्षति पहुंचती है तो उसको अपने खर्चे पर सही करवायेगा ।

(12) ठेकेदार को जो निर्माण कार्य सौंपा जाएगा उसके निष्पादन को वे प्रारम्भ से उसके अन्त तक सभी निर्माण कार्यों को अच्छी दशा में बनाये रखेंगे ।

(13) कार्य समाप्ति की नियत तिथि से पहले पाड़ बांधने का रद्दी सामान स्थल से पूर्णतया साफ करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।

(14) कार्य के निष्पादन हेतु लिए गए गोला-पत्थर, धातु, तख्ते, रेत तथा बजरी आदि के लिए रायल्टी की अदायगी ठेकेदार, चल रही दरों पर, सीधे, सम्बन्धित राज्य सरकार के राजस्व-प्राधिकरण को करेगा ।

(15) हर तरह की दुर्घटना से बचने के उपाय ठेकेदार करेगा । इसके लिए वह दिन रात के लिए आवश्यक सतर्कता पट्ट, गति सीमा-पट्ट लाल झण्डे लाल रोशनी आदि लगवाएगा और अवरोध की व्यवस्था करेगा । उसके द्वारा की गई उपेक्षा के कारण हुई क्षति और दुर्घटना की जिम्मेदारी उसी की होगी । निर्माण कार्य करते समय यातायात में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़नी चाहिए ।

(16) ठेकेदार को विभाग के कार्यक्रम के अनुसार कार्य करना होगा । इस संबंध में किसी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(17) हर दृष्टि से नगर निगम की उपलब्धियों का पालन करते हुए कार्य किया जाएगा ।

(18) निर्माण कार्य से संबंधित मदों पर सम्बद्ध उपशीर्षों के अन्तर्गत दिये गए विनिर्देशों का पालन किया जाएगा ।

(19) **सीमेंट या सीमेंट चूना गारा** :—हाथ या बिजली से चलने वाले मशीनी मिश्रकों में गारे का मिश्रण किया जाएगा ।

(20) ढुलाई, संग्रहण, कटाई, अपव्यय आदि तथा हर प्रकार के अन्य प्रासंगिक व्यय का भार पूर्णतया ठेकेदार

(10) The contractor must get acquainted with the proposed site for the works and study specifications and conditions carefully before tendering. The work shall be executed as per programme drawn by the Engineer-in-charge.

(11) Any damage done by the contractor to any existing work during the course of execution of the work tendered for, shall be made good by him at his own cost.

(12) The contractor shall maintain in good condition all work during execution till completion of entire work allotted to him.

(13) He shall cause the site to be cleared thoroughly of rubbish, scaffolding materials etc. before the stipulated date of completion of work.

(14) Royalty at the prevalent rates shall have to be paid by the contractor on all the boulders, metal, shingle, sand and bajri etc. collected by him for the execution of the work direct to the Revenue Authority of the State Government concerned.

(15) The contractor shall take all precautions to avoid all accidents by exhibiting necessary caution boards day and night, speed limit boards, red flags, red lights, and providing barriers. He shall be responsible for all damages and accidents caused due to negligence on his part. No hindrance shall be caused to traffic during the execution of work.

(16) The contractor will have to work as per programme of the department. No claim whatsoever will be entertained on this account.

(17) The work shall be carried out in a manner complying in all respects with the requirements relevant to Municipal bye laws.

(18) For items pertaining to the building work the specifications detailed under relevant sub-heads for building work shall be followed.

(19) **Cement or cement lime mortars** :—The mixing of mortars shall be done in mechanical mixer operated manually or by power.

(20) All incidental charges of any kind whatsoever including cartage, storage, cutting and wastages etc. shall be borne exclusively

उठायेगा और इसके लिए उसे कोई अतिरिक्त राशि प्रदान नहीं की जाएगी ।

(21) गोदाम से कार्य स्थल पर सामान ले जाने के खर्च का भार ठेकेदार उठाए और इस संबंध में किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(22) सरकारी गोदाम अथवा अन्य कहीं से सामान की प्राप्ति के समय, स्थल पर प्रयोग से पहले, सामान की जांच अनुभागीय निर्माण प्रभारी अधिकारी करेगा ।

(23) प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह में ठेकेदार विभाग द्वारा दिए गए कार्य में प्रयुक्त सामान तथा शेष बचे सामान (अगर कोई हो) का सही लेखा तैयार करके प्रस्तुत करेगा । अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे और सामान नहीं दिया जाएगा और इस कारण से निर्माण कार्य के सम्पन्न होने से हुए विलम्ब की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।

(24) कार्य में कभी कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए । निर्माण कार्य में अगर उपेक्षा अथवा अन्य किसी कारण से हुई त्रुटियां पाई गई तो कार्य अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा इसके लिए ठेकेदार को कोई अदायगी नहीं की जाएगी ।

(25) निर्माण कार्य के दौरान, वर्षा अथवा अन्य किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण हुई क्षति के लिए ठेकेदार को अदायगी नहीं की जायेगी । इस संबंध में किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(26) नक्शे अथवा प्रभारी इंजीनियर के विनिर्देशों के बिल्कुल अनुरूप, इमारत के आवश्यकतानुसार पाड़ लगाने और आवश्यक, पीठ प्रक्षेपण, कटाई दन्तुरण, किंगरी, रद्दे, तारों को लिए सुराख, निशान लगाने तथा खड़ी ईंट की व्यवस्था पर हुई लागत, ठेकेदार को ईंट की चिनाई के लिए दी जाने वाली दर से सम्मिलित होगी ।

(27) निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाला केन्द्रण तथा किवाड़ वन्दी का विस्तृत नक्शा प्रदान करने की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी जिसे प्रारम्भ करने से पहले इस नक्शे पर लिखित रूप में प्रभारी इंजीनियर का अनुमोदन प्राप्त करना होगा । परन्तु कार्य के दौरान प्रयुक्त केन्द्रण तथा किवाड़वन्दी की मजबूती और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।

(28) इमारत को हुई किसी प्रकार की क्षति को इंजीनियर, तीन दिन का नोटिस देकर ठेकेदार से ठीक करवाएगा । ऐसा न किया जाने पर ठेकेदार के जोखिम

by the contractor and nothing extra shall be paid to him on this account.

(21) Cartage of materials from store to the site of the work shall be borne by the contractor and no claim on this account will be entertained.

(22) All materials obtained from Government Stores or otherwise shall be got checked by the Sectional Officer-in-charge of the works on receipt of the same at site before use.

(23) The contractor shall maintain and render proper account of all materials issued to him by the department, consumed by him on the work, balance, if any, in the first week of every month. If he fails to do so, no further quantity of materials shall be issued to him and he shall be wholly responsible if any delay occurs in the completion of the work on this account.

(24) No defect shall ever be allowed in the work, and if due to negligence or other reasons any defects are found in the work, the whole of the work shall be rejected and no payment will be made to the contractor.

(25) No payment will be made to the contractor, for damage caused by rains or other natural calamities during the execution of the works and no such claim on this account will be entertained.

(26) The contractor's rate for brick work shall include cost of all scaffolding during execution and providing necessary set back projection, cutting, toothing, string course, holes for cables, markings and brick on edge wherever required in the building in strict conformity with drawings or as directed by the Engineer-in-charge.

(27) The Contractor shall be fully responsible for the supply of detailed design of centring and shuttering to be used in construction which shall be got approved by the Engineer-in-charge in writing before execution of work. However, the contractor shall be fully responsible for the soundness and safety of centring and shuttering used for works during execution.

(28) Any damage caused to the building shall be got rectified by the contractor(s) within three days of notice by the Engineer-

पर यह काम करवाया जाएगा । इस संबंध में प्र**भारी** इंजीनियर का निर्णय अन्तिम होगा ।

(29) यह सारा कार्य इमारत में काम कर रही अन्य एजेंसियों के सहयोग से किया जाएगा । अन्य निर्माण कार्यों की वजह से थोड़ी देर के लिए कार्य रुक जाने पर ठेकेदार मुआवजे का हकदार नहीं होगा । ठेकेदार को चाहिए कि निविदा देने से पहले वह स्थल स्थिति से अपने आप को भली प्रकार से परिचित करा लें ।

(30) कार्य के भिन्न-भिन्न मदों की दर एक ही होगी चाहे ऊंचाई कितनी ही हो और आवश्यकतानुसार ऊंचे पाड़ लगाने आदि के लिए अतिरिक्त अदायगी नहीं की जाएगी ।

(31) दीवारों में सुराख करने टंगनी (सस्पेंडर) और ढांचा लगाने के लिए प्रयुक्त प्रचलित कंक्रीट सीमेंट (आर० सी० सी०) के घटकों और इमारत की मूल सतह की मरम्मत करने के लिए अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी ।

(32) चूने का गारा तैयार करने के लिए मशीन गारे की मिलों का प्रबन्ध करना ठेकेदार के लिए आवश्यक होगा । जब तक, किन्हीं विशेष अवसरों पर मंडल/शाखा अधिकारी अन्यथा अनुमति न दे दें, केवल ऐसी मिलों के प्रयोग से ही चूने का गारा तैयार किया जाएगा ।

(33) आर० सी० सी० के कार्यों में प्रयोग करने के लिए जल की जांच इस की उपयुक्तता की दृष्टि से की जाएगी और इस खाते में अतिरिक्त कुछ नहीं दिया जाएगा ।

(34) प्रभारी इंजीनियर द्वारा अनुमोदित नमूनों की जांच के सभी प्रभारों और खर्चों के साथ नमूने को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के ढलाई खर्च का उद्वहन भी ठेकेदार द्वारा किया जाएगा । इस खाते में अतिरिक्त कुछ भी नही दिया जायगा ।

(35) नगर पालिका विभाग/नई दिल्ली नगर निगम के हाल के अनुदेश के अनुसार कार्य स्थल पर ठेकेदार द्वारा मजदूरों के लिए झुग्गियां नहीं बनवाई जाएंगी । ठेकेदारों से अपेक्षा की जाती है कि वे मजदूरों के लिए नलयुक्त सी० जी० आई०/अस्बैस्टो शीट की छत वाली पूलों की संरचना या तम्बू आवास की व्यवस्था करेंगे । इस खाते में अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिया जाएगा ।

विनिर्देश तथा विशेष शर्तें

खंड 48.—संबंधित स्थिति के लिए, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विनिर्देशों तथा इनके अभाव में राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों का अनुसरण किया जाएगा ।

in-Charge failing which same shall be got done at the risk of the contractor(s). Decision of the Engineer-in-charge shall be final.

(29) The entire work shall be carried out in close co-ordination with all other agencies working in the building. The contrator(s) shall not be entitled for any compensation on account of temporary stoppage of work due to other construction activities. Before tendering the constractor(s) should acquaint himself with site conditions.

(30) The rate for different items of work shall be same for all heights and nothing extra on account of any special type of the high scaffolding etc. as required shall be payable.

(31) Nothing extra shall be paid for making holes in walls/R.C.C. members etc. for fixing suspenders and frame work, and making good to restore the original surface of the building.

(32) It shall be incumbent on the contractor to arrange for mechanical mortar mill(s) for preparation of lime mortar, unless otherwise permitted by the Engineer-in-charge on specific occasions, preparation of lime mortar, shall be allowed only by use of such mill(s).

(33) The water shall be tested with regard to its suitability for use in R.C.C. works and nothing extra shall be paid on this accord.

(34) All testing charges and the cost of samples, approved by Engineer-in-Charge, will be borne by the contractor including to and fro cost of carriage of the sample. Nothing will be paid extra on this account.

(35) As per recent direction of MCD/NDMC the huts for labours are not to be errected at the site of works by the contractor. The contractors are required to provide tubular truss structure with C.G.I./Asbestos sheet roofing or tented accommodation for the labour. Nothing extra shall be paid on this account.

SPECIFICATIONS AND SPECIAL CONDITIONS

CLAUSE 48.—The specifications laid down by the C.P.W.D. for the relevant state and in it absence, the specifications approved by the P.W.D. of the State will be followed.

(1) निर्माण कार्यों के लिए भारतीय मानक संस्थान के संबंधित मानकों को अपनाया जाएगा । यदि भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणीकरण चिह्न वाली वस्तुएं बाजार में उपलब्ध नहीं हैं तो ठेकेदार द्वारा लाए गए सामान की मात्रा का निर्धारण संबंधित भारतीय मानक विनिर्देशों यदि वे उपलब्ध है, द्वारा किया जाएगा । विनिर्देशों के निर्वचन जैसे विवाद के मामले में अधीक्षक पुरातत्वविद् का निर्णय अंतिम माना जाएगा और वह निर्णय ठेकेदार पर आवद्धकर होगा ।

(1) Relevant ISI Standards for works will be used. In case articles bearing I.S.I. Certifications marks are not available in the market, the quality of materials brought by the contractor shall be judged by the relevant Indian standard specifications, if available. In case of dispute as to the interpretation of the Specifications, the decision of the Superintending Archaeologist shall be final and binding on the contractor.

(2) (क) ठेकेदार, स्थानीय नगर निगम अथवा संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित स्वच्छता तथा जल संभरण संस्थापना कार्य के लिए लाइसेंस प्राप्त जलसाजों को नियोजित करेगा और इस संबंध में दिल्ली नगर निगम की सभी अपेक्षाओं को पूरा करेगा ।

(2) (a) The contractor shall employ licensed plumbers for sanitary and water supply installation work approved by local municipal corporation or relevant Local Authority and shall satisfy all the requirements of the Local Municipal Corporation in respect of the same.

(ख) ए० सी० आई० पाइप तथा फिटिंग, स्थानीय विनिर्माताओं की होगी तथा सामान्यतः वे भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुरूप होगी ।

(b) H.C.I. Pipe and fittings may be of local manufacture and shall generally conform to the relevant Indian Standard Specifications.

(3) जब तक कि मात्राओं की अनुसूची में अन्यथा उपबंधित न हो, ठेकेदार द्वारा दी गई दरें सर्वसमावेशी होंगी और इमारत की सभी ऊंचाईयों तथा गहराइयों के संबंध में लागू होंगी । इस संबंध में ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान भी नहीं किया जाएगा ।

(3) Unless otherwise provided in the Schedule of quantities, the rates tendered by the Contractor shall be all inclusive and shall apply to all heights and depths of the building and nothing extra shall be payable to him on this account.

(4) हर बार, किसी भी कार्य के निष्पादन से पहले, संरचनात्मक तथा स्थापत्य संबंधी आरेखनों में समुचित सामंजस्य होगा । वास्तुविद् की सभी अपेक्षाओं को पूर्णतः पूरा किया जाएगा विशेषकर उन कार्यों में जहां विशेष उल्लेख किया गया हो । इसके साथ-साथ परिष्करण कार्यों के लिए वास्तुविद् का अनुमोदन" आदि भी आवश्यक होंगे तथा नमूने कार्य आरंभ करने से पहले पूर्व-अनुमोदन के लिए तैयार किए जाएंगे ।

(4) The structural and architectural drawings, shall, at all times, be properly correlated before executing any work. Architect's requirements shall be fully satisfied specially in those items, where specific mention is made. "Architect's Drawings", "Architect's Design", "Architect's Approval" etc. in addition would be necessary for finishing items, and samples shall be prepared for prior approval, before starting the work.

(5) ठेकेदार सारे निष्पादित निर्माण को तब तक अच्छी स्थिति में रखेगा जब तक कि उसे आबंटित संपूर्ण कार्य पूरा नहीं हो जाता ।

(5) The contractor shall maintain in good condition all work executed till the completion of entire work allotted to the contractor.

(6) ठेकेदार विभिन्न भागों में कार्य को यथासंभव साथ-साथ आगे बढ़ाएगा ताकि कम से कम तोड़-फोड़ तथा मरम्मत करनी पड़े । संपूर्ण निर्माण कार्य संतोषप्रद परिष्कृत स्थिति में सौंपा जाएगा ।

(6) The contractor shall progress on the different parts simultaneously as far as possible so that minimum breakage and repairs are involved. The entire work shall be handed over in satisfactory finished state.

(7) मंडल/शाखा अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ठेकेदार को सारे इमारती सामान तथा फिटिंग के पर्याप्त नमूने पहले से पेश करने होंगे । बाद में, कार्य के

(7) The contractor shall be required to produce samples of all building materials and fittings sufficiently in advance to obtain appro-

वास्तविक निष्पादन में प्रयुक्त सामान तथा फिटिंग, अनुमोदित नमूनों की क्वालिटी से मेलखानी चाहिए। अंतर होने की दशा में प्रयुक्त सामान तथा फिटिंग अस्वीकार किए जा सकेंगे।

val of the Circle/Branch Officer. Subsequently, the material and fittings used in the actual execution of the work shall strictly conform to the quality of samples approved. In case of variation the materials and fittings used shall be liable to rejection.

(8) ठेकेदार द्वारा लाई गई ईंटों का वर्गीकरण उस परमिट (यदि परमिट प्रणाली है) पर बताए गए वर्गीकरण का विचार किए बिना, जिसके अंतर्गत ठेकेदार ने सामान प्राप्त किया हो, ऊपर संदर्भित के० लो० नि० वि० के मुद्रित विनिर्देशों के सवर्था अनुरुप होगा। ठेकेदार आपूर्ति विभाग द्वारा उसे जारी किए गए परमिट के आधार पर ईंटों की क्वालिटी के संबंध में कोई दावा नहीं कर सकेगा।

(8) The classification of bricks brought by the contractor shall strictly conform to the printed C.P.W.D. specifications referred to above irrespective of the classifications shown on the permit (if there is a permit system) under which the contractor might have obtained the materials. The contractor shall have no claim as to the quality of bricks on the basis of permits issued to him by the supply department.

(9) यदि विद्युत कनेक्शन अपेक्षित हो तो ठेकेदार स्वयं उसे प्राप्त करने का प्रबन्ध करेगा तथा आवश्यक भुगतान सीधे संबंधित विभाग को करेगा। जल-संभरण के संबंध में संविदा के खंड 31 से 32 तक का हवाला दिया जाए।

(9) The contractor shall make his own arrangements for obtaining electric connections, if required and make necessary payments directly to the department concerned. Regarding supply of water, reference may be made to clause 31 to 32 of the contract.

10) कंक्रीट और प्रबलित कंक्रीट कार्य की दशा में ठेकेदार को अपनी ही लागत पर संपीडन प्रबलन परीक्षण करने होंगे। वह क्यूब तैयार करने में उसकी सुरक्षित अभिरक्षा, उचित संसाधन में तथा उसे प्रयोगशाला तक (जहां परीक्षण किया जाना है) ले जाने में पूरी सहायता करेगा। क्यूब परीक्षण, मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी भी प्रयोगशाला में किया जा सकता है।

(10) In case of concrete and reinforced concrete work, the contractor shall be required to make arrangements for carrying out compression strength tests at his own cost. He shall render all assistance for the preparation of cubes, safe custody of the same, proper curing and carriage upto the laboratory where the test is to be performed. The cube tests can be performed at any laboratory approved by the Circle/Branch Officer.

(11) ठेकेदार से अपेक्षा की जाती है कि वह तराजू अंशाकित सिलेंडर, क्लैंप आदि जैसे उपकरण कार्य स्थल पर उपलब्ध कराएगा ताकि मंडल/शाखा कार्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए पुनरीक्षण कर सके कि कंक्रीट की क्वालिटी विहित विनिर्देशों के समनुरुप हो।

(11) The contractor shall be required to provide appliances at site, such as weighing scale, graduated cylinder, standard stoves clump cones etc., in order to enable the Circle/Branch Officer to conduct field tests to ensure that the quality of concrete is consistent with the prescribed specifications.

(12) रिसन से बचने के लिए फर्श में लगाए गए पाइपों के जोड़ों तथा फ्लोर ट्रेपों के चारों और 1:2:4 (1 भाग सीमेंट :2 भाग मोटी रेत: 4 भाग दिल्ली क्वार्ट-जाइट की 3/4" तथा कम मोटी रोड़ी) के अनुपात का सघट कंक्रीट का मिश्रण लगाया जाएगा। (कंक्रीट का तोल तथा उसके लिए भुगतान अलग से किया जाएगा।)

(12) The floor traps and joints of pipes embedded in floor shall be surrounded by well compacted concrete 1:2:4 mix (1 cement : 2 coarse sand : 4 Q. stone ballast 3"/4" and down guage) to prevant any further leakage. (Concrete shall be measured and paid for separately).

(13) दरवाजों, खिड़कियों, रोशनदानों में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी किसी अनुमोदित भट्टे पर बिछाई जाएंगी और इसका संतोषप्रद प्रमाण मंडल/शाखा अधिकारी की मांग पर ठेकेदार द्वारा पेश किया जाना चाहिए।

(13) All the timber to be used for doors, window ventilators shall be kiln seasoned at an approved kiln, satisfactory proof of which should be produced by the contractor on demand by the Circle/Branch Officer.

(14) **फ्लश डोर :** फ्लश डोरों की क्वालिटी मात्राओं की अनुसूची में कार्य मद के विवरण को दृष्टि में रखते हुए, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राज्य लोक निर्माण विभाग अथवा अन्य संबंधित राज्यों के विनिर्देशों तथा "दिल्ली के कार्यों के लिए विनिर्देश, 1967" के अनुरूप होगी। के० लो० नि० वि० के निर्माण कार्यों में प्रयोग के लिए अनुमोदित हुए फ्लश डोर शटर ही लगाए जाएंगे।

(14) **Flush Doors :** The quality of the flush doors shall be as per Central P.W.D. or of other concerned states, "Specifications for works at Delhi 1967" according to the description of item of the work in the Schedule of quantities. Flush door shutters approved for use on C.P.W.D. works will be provided.

(15) **दिल्ली/नई दिल्ली में होने वाले निर्माण कार्य, के लिए :** "यदि भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913" कम्पनी अधिनियम, 1957 के अधीन निगमित सरकारी कम्पनी "हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड" जिसका जंगपुरा, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है, ठेके से संबंधित सारा लकड़ी का सामान उन निबंधनों तथा शर्तों पर करने के लिए तैयार और रजामंद है जो प्रतियोगी हैं और किसी अन्य पृथक पृथक फार्मों अथवा कम्पनियों द्वारा इस प्रयोग से कोट किए गए निबंधनों तथा शर्तों की अपेक्षा अथवा मुकाबले कम अनुकूल नहीं है, तो उस दशा में संविदा से संबंधित सारा लकड़ी का उक्त कार्य ठेकेदार द्वारा हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड की एजंसी के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा और इस प्रयोजन से ठेकेदार, भारत सरकार तथा उसके बीच निष्पादित संविदा की तारीख से सात दिन के अंदर अथवा ठेकेदार द्वारा अवधि बढ़ाने के लिए की गई प्रार्थना पर भारत सरकार द्वारा बढ़ाई गई अवधि के अन्दर, उक्त हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड के साथ एक करार करेगा।

(15) **For works at Delhi/New Delhi**--"If the Hindustan Housing Factory Ltd., a Govt. company incorporated under the Indian Companies Act, 1913/the Companies Act, 1957 having its registered office at Jangpura, New Delhi is ready and willing to do and execute all wood work relating to or in connection with the contract on terms and conditions which are competetive and not less favourable to the contractor than or as compared to the terms and conditions quoted for the purpose by any other individual firms or company than in issue, in case all the said wood work relating to or in connection with the contract shall be done and executed by the Contractor through the agency of Hindustan Housing Factory Ltd,. and for that purpose, the contractor shall enter into an agreement in writing with the said Hindustan Housing Factory Ltd., within seven days from the date of the contract executed between the Government of India and the contractor or within such extended period as the Government of India may agree to on a request made in that behalf by the contractor.

(16) अनावृत्त चिनाई के काम में गहरी ढलवा तथा आयताकार संधियां होंगी जिनका परिष्करण सीमेंट के मसाले से किया जाएगा। अनावृत्त चिनाई में ईंटे, विशेष रूप से चुनी जाएंगी और समान माप, आकार तथा रंग की होंगी। ये ईंटे संधियों की समान चौड़ाई और मोटाई वाले स्तरों में लगाई जाएंगी। मसाला "एल" (L) और "टी" (T) आकार की और अपेक्षित मोटाई तथा ऊंचाई वाली पट्टियां रखने के बाद बिछाया जाएगा। ये पट्टियां चिनाई की अनुप्रस्थ तथा खड़ी संधियों में से पार्श्व से तथा लंबमान रूप से हटा दी जाएगी ताकि ईंटों की सतह तथा कोरों से मसाला अपेक्षित अपरिष्कृत गहराई तक हटाया जा सके और पीछे गहरी ढलवां संधियाँ रह जाएं। इस प्रकार की संधियों पर की गई टीपकारी की सफाई भी इसी ढंग से तुरंत कर दी जाएंगी ताकि सतह पर फालतू मसाला न लगा रह जाए और ईंटों तथा संधियों की कोरें समान गहराई तथा चौड़ाई वाली बने। चिनाई में अनुप्रस्थ संधियों के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं

(16) Exposed brick works shall have deep struck, rectangular joints finished with cement mortar. The bricks in exposed brick work shall be specially picked and of uniform size, shape and colour. These shall be laid in proper horizontal courses of uniform width and thickness of joints. The mortar shall be laid after keeping an L-shaped and of T-shaped wooden edge of required thickness and depth. Those edges shall be moved laterally and longitudinally in the horizontal and vertical joints of the masonary so as to clear all the mortar from the face and edges of the bricks upto required uniform depth, leaving deep struck joints, pointing done on such joints shall also be cleaned immediately in the same way, so that no mortar sticks to the faces and edges of bricks and joints are uniformly deep and wide. Nothing extra shall be paid for horizontal joints in the brick

किया जाएगा । तथा टीपकारी के लिए बताई गई दर में ये सभी क्रियाएं सम्मिलित होंगी ।

(17) **विभिन्न तलों पर काम के लिए भुगतान** :—विभिन्न तल स्तरों से ऊपर आर० सी० सी० कार्य, चिनाई, कंक्रीट के कार्य तथा पत्थर की चिनाई के कार्य संबंधी मदों के लिए अतिरिक्त भुगतान इन कार्य-मदों के लिए बनाई गई दरों पर किया जाएगा । इन दरों के परिचालन के लिए तल-स्तर, उस तल में मुख्य संरचनात्मक आर० सी० सी० पट्टियों का सबसे ऊपरी भाग माना जाएगा अर्थात यह स्तर मुख्य कमरे में आर० सी० सी० पट्टियों का सबसे ऊपरी भाग होगा न कि शौचालय के दबे हुए अथवा अवगत फर्श की पट्टियों का ऊपरी भाग ।

(18) **मुलायम इस्पात के मामले में यदि इनका प्रबन्ध ठेकेदार द्वारा आर० सी० सी० कार्य में सुदृढ़ीकरण हेतु किया जाता है तो निम्नलिखित शर्तें और विनिर्देशन लागू होंगे.**—भारतीय मानक 432—1966 की छड़े या श्रेणी I के लिए यथा संशोधित छड़े तब तक इस्तेमाल की जाएगी जब तक कि अन्यथा इनका विनिर्देशन न किया जाए । यदि श्रेणी I के लोहे उपलब्ध न हो तो मंडल/शाखा अधिकारी उस विशेष परिस्थिति में श्रेणी II के लोहे के इस्तेमाल की अनुमति देंगे जिस मामले में 10% अधिक लोहे का इस्तेमाल होगा और जिसके लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाएगा ।

सभी परिष्कृत छड़े विनिर्देशन के मुताबिक परिमाप और वजन को ध्यान में रखते हुए रोल की जाएगी । ये ठोस होंगी तथा इनमें चटकेपन चपटे तल परतदार बनने, तथा रुखड़े एवं दांतेदार और अपूर्ण नोक के दोष न हों तथा कर्मशाला जैसी परिष्कृत की गयी हों । श्रेणी I तथा श्रेणी II के लोहे का रासायनिक संघटन भारतीय मानक 226—1962 और भारतीय मानक 1977—1962 की इस्पाती परिभाषा एस० टी० 44—0 की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा ।

ठेकेदार से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल पर लाये श्रेणी I के समर्थन में जांच प्रमाण पत्र पेश करें और जब भी 20 टन या इससे अधिक लोहे की छड़े आवश्यक हों तब मंडल/शाखा अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह ढालने के विश्लेषण को दर्शाने वाले लोहा उत्पादक के प्रमाण पत्र की जांच और परीक्षा पूर्तिकर्ता के स्थल पर ही कर सकेगा और ठेकेदार को चाहिए कि वह ऐसी जांच के लिए जब भी कहीं जाए तुरंत व्यवस्था करे । मंडल/शाखा अधिकारी हर दस बंडल या उसके किसी अंश में से दो नमूनों की दरों के नमूने का चयन करेगा । एक नमूने को विधिवत् टैंग करके और उस पर संस्था

work and the tendered rate of pointing work shall be inclusive of all such operations.

(17) **Payment for work in different floors :**—Extra payment for items of R.C.C. work, brick work, concrete work and stone masonry above different floors levels shall be made at rates provided for these items. For operation of these rates the floor level shall be considered as the top of main structural R.C.C. slab in that floor viz. top of R.C.C. slab in main room and not the top of any sunk or depressed floor slab for lavatory slabs.

(18) **The following additional conditions and specifications shall apply to mild steel if arranged by the contractor for reinforcement in R.C.C. work.**—The bars conforming of I.S. 432-1966 or as revised for grade I steel shall be used unless otherwise specified. If Grade I steel is not available, the Circle/Branch Officer may in special case permit the use of Grade II steel in which case 10% more steel shall be used for which no extra payment shall be made.

All finished bars shall be cleanly rolled to dimensions and weights specified. They shall be sound and free from cracks, surface flaws, laminations and rough, jagged and imperfect edges and all other defects and shall be finished in a workmanlike manner. The chemical composition of Grade I and Grade II steel will, however, conform to the requirement of IS 226-1962 and steel designation ST-44-0 of IS-1977-1962.

The contractor shall be required to produce a test certificate in support of the Grade I steel brought to site and wherever 20 tonnes or more steel bars are required, then Circle/Branch Officer shall be at liberty to inspect and verify the steel makers certificate of cast analysis at the premises of supplier and contractor shall arrange for such inspection immediately when asked for. The Circle/Branch Officer shall select the samples of the rates of two samples from every ten bundle or part thereof. One sample shall be duly tagged, numbered and kept with Circle/

लिखकर मंडल/शाखा अधिकारी अपने पास रखेगा तथा उसी का अनुवर्ती नमूना के० लो० नि० वि० के प्रयोग शाला या अन्य किसी सरकारी परीक्षणशाला में भेजा जाएगा। लोहे की कीमत तथा अन्य आनुषंगिक प्रभारों तथा परीक्षणशाला तक ले जाने और संभालने के खर्च का भार ठेकेदार को वहन करनाप ड़ेगा। यदि ऐसा कोई परीक्षण किया जाता है तो इसका भार विभाग को वहन करना पड़ेगा।

लोहे के नमूनों का निम्नप्रकार से परिक्षण किया जाएगा :—

(I) अन्तिम तनन बल—

(क) श्रेणी I के लोहे के लिए	42 कि० ग्रा०/मिमि²
(ख) श्रेणी II के लोहे के लिए	श्रेणी I के लोहे के लिए निर्दिष्ट से 10% कम भी हो सकता है।

(II) प्रसरण की न्यूनतम प्रतिशत :

(क) 20 मि० मी० से कम की छड़ों के लिए	22
(ख) 19 मि० मी० या उससे अधिक छडों के के लिए	23

मानक नमूने के टुकडे को खंडित नहीं होना चाहिए जब उसे दुगुना करते वक्त दाब के जरिये या हथोड़े के लगातार अघातों से तब तक पीटा जाए जब तक कि उस टुकड़े के दोनों पार्श्व समानांतर न हो जाए। इसी प्रकार, छड़ों के मामले में इसकी मोटाई, करीब 1 इंच (व्यास 25 मि० मी०) अन्दरुनी त्रिज्या छड़ों के व्याज या मोटाई से डेढ़ गुने से अधिक न हो और यदि इसकी मोटाई का भीतरी व्यास 1" (25 मि० मी०) हो तो इसके नमुने की अन्दरुनी त्रिज्या छड़ के व्यास या मोटाई से अधिक न हो।

खंड 49—टार-स्टील के इस्तेमाल के संबंध में विशिष्ट शर्तें.—यदि ठेकेदार मान्यता प्राप्त उत्पादकों से टार स्टील का प्रबन्ध कर लेता है तो टार स्टील अध्यतन तथा संशोधित भारतीय मानक 1786–1966 और भारतीय मानक 456–1964 के अनुरुप होंगे। ठेकेदार को उत्पादकों से उन छड़ों के समर्थन में प्रमाण पत्र पेश करना होगा जो यथा स्थिति भारतीय मानक 432 (खंड 1), 1966 या भारतीय मानक 1139–1966 के अनुरुप होंगी। ठेकेदार द्वारा स्थल पर लाये गये इमारती सामान को वास्तव में इस्तेमाल करने से पूर्व विभाग द्वारा चुनिन्दे नमूने के अनुसार ठेकेदार इन छड़ों का परीक्षण करायेगा और

Branch Officer and corresponding sample shall be sent to CPWD laboratory or any other Govt. Test House. The cost of steel and other incidental charges such as handling and carriage to the testing laboratory etc. shall be borne by the contractor, testing if any shall be borne by the department.

The samples of steel shall withstand the following tests :—

(i) Ultimate tensile strength :

(a) For Grade I Steel	42 kg/mm²
(b) For Grade II Steel	May be 10% less than that specified above for Grade I Steel.

(ii) Minimum percentage elongtion :

(a) For bars under 20mm	22
(b) For bars 19mm and above	23

The standard test piece shall stand without fracture being done over either by Pressures or any steady blows from hammer until the two sides of the piece are parallel. Further in the case of bars, about 1" (25 mm) in diameter of thickness, the internal radius is not greater than 1½ times the diameter or thickness of bars and in case of 1" (25mm) or under diameter of thickness the internal radius of bend is not greater than diameter or thickness of bar.

CLAUSE 49.—Special condition regarding use of Tor-Steel.—In case the tor-steel is arranged by the contractor from recognised manufacturers, the tor-steel shall conform to I.S. 1786-1966 and I.S. 456-1964 as amended upto date. The contractor shall produce certificates from the manufacturers in support of bars being in conformity with IS 432 (Part I) 1966 or IS. 1139-1966 as the case may be. Tests on such bars shall be carried out by contractor in advance of its actual use according to sample selected by the

परीक्षण का नमूना-खंड मुफ्त दिये जाएंगे । यह परीक्षण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की प्रयोगशाला की असमर्थता की स्थिति में अन्य मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के कराया जाएगा और केन्द्रीय निर्माण विभाग की प्रयोगशाला से बाहर परीक्षण कराने से उस पर होने वाले खर्च का भार ठेकेदार उठायेगा ।

खंड 50.—पुरातत्वीय स्थलों/संस्मारकों पर निर्माण कार्यों के निष्पादन के संबंध में विशिष्ट शर्तें. (1) जिस/जिन ठेकेदार (रों) को निर्माण कार्य दिया जाता है वह/वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई इमारत, संरक्षित संस्मारक या संरक्षित संस्मारक के किसी अंग को निर्माण कार्य के निष्पादन या सामान के परिवहन के दौरान या ठेकेदार/ठेकेदारों के द्वारा नियोजित मजदूरों द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए न तो नष्ट किया जाता है और नहीं क्षतिग्रस्त किया जाता है ।

(2) यदि किसी संस्मारक को निर्माण कार्य के निष्पादन के दौरान किसी प्रकार की क्षति या नुकसान पहुंचाने की आशंका या संभावना हो तो यह बात मंडल/शाखा अधिकारी के ध्यान में लाई जानी चाहिए और मंडल /शाखा अधिकारी से लिखित आदेश मिलने तक कार्यों का निष्पादन नहीं किया जाना चाहिए ।

(3) ठेकेदार पुनः यह भी ध्यान रखेगा कि परिरक्षित संस्मारकों पर निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 और पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के आनुषंगिक उपबंधों का उनके कर्मचारियों, मजदूरों, उनके मिलने वालों, मित्रों या परिचितों द्वारा किसी भी रूप में किसी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जाता है । इसके उल्लंघन किये जाने पर इन अधिनियमों के उपबन्धों अनुसार संबंधित व्यक्तियों के विरुध्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यदि उक्त अधिनियमों का उल्लंघन गंभीर प्रकृति का होगा तो मंडल/शाखा अधिकारी संबंधित व्यक्तियों के विरुध्द कानूनी कार्रवाई करने के अतिरिक्त ठेके को स्वेच्छानुसार रद्द कर देगा । इस संबंध में मंडल/शाखा अधिकारी का निर्णय अंतिम और आबध्दकारी होगा ।

(4) जिन स्थल/संस्मारकों में प्रवेश हेतु शुल्क लिया जाता है वहां ठेकेदारों के मजदूरों, नियोजितों और निर्माण कार्य से संबंध्द सभी व्यक्तियों का प्रवेश दर्शन काल तक और निर्माण कार्य के लिए वस्तुतः आवश्यक कामगारों की संख्या तक ही सिमित होगा । इस प्रयोजन के लिए ठेकेदार या उसके अभिकर्ता को अपने कामगारों की सूची के कार्य स्थल/संस्मारक के प्रभारी को देनी होगी जहाँ कार्य के निष्पादन के लिए उन्हें नियोजित किया गया है ।

Departments, from the materials brought by contractor at site and test pieces shall be supplied free of cost. Testing shall be got done in ASI Lab. or C.P.W.D. Laboratory or other recognised Lab. in the case of inability of ASI/C.P.W.D. Lab. and cost of such testing outside the A.S.I. Lab. shall be borne by the contractor.

CLAUSE 50.—SPECIAL CONDITION CONCERNING THE EXECUTION OF WORKS AT ARCHAEOLOGICAL SITES/ MONUMENTS:—(1) The contractor/ contractors to whom the work is awarded shall ensure that no edifice, protected monument or any part of protected monument is destroyed or injured during the execution of work or the transport of material or by the labour employed by the contractor/contractors for the execution of work.

(2) In case any injury or damage to a monument during the execution of work is anticipated or foreseen the facts should be brought to the notice of Circle/Branch Officer and the work should not be executed till the permission in writing is received from the Circle/Branch Officer concerned.

(3) The contractors will further ensure that during the execution of works at the protected monuments, the relative provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, and the Antiquities and Art Treasure Act 1972, are in no way infringed or violated by their staff, labourers,— their associates, friends or acquintances, in anyway. Violation of this will render the concerned persons liable to penal action as per provisions of these Acts, and if the violations of the above facts are of serious nature, the Circle/Branch Officer, besides the penal action against the concerned individuals, will at his discretion, rescind the contract. The decision of the Circle/Branch Officer in this regard will be final and binding.

(4) The sites/monuments where the entry fee is charged by the Survey, the entry of the contractor's labourers, employee and those associated with work will be restricted only to visiting hours, and the number of workers actually needed for the work. For this purpose the contractor or his agent will have to furnish a list of workers to the Officer-in-Charge of the site/monument, where they are employed for the execution of work.

(5) ठकेदार, उसके मजदूर या उसके नियोजित व्यक्ति निर्माण कार्य के समाप्त होने के बाद संरक्षित क्षेत्र/संस्मारक में प्रवेश के लिए अधिकार की मांग नहीं कर सकेगा ।

(5) The contractor, his labourers, or employees, will not claim free access to the protected area/monument after the work is completed.

निष्पादित किए जाने के लिए संविदाकृत कार्य के लिए ठेके की शर्तों के खण्ड 10 के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रदत्त सामग्री की लगभग मात्रा तथा उन दरों को, जिन पर वे प्रभारित की जाने वाली है प्रदर्शित करने वाली अनुसूची

Schedule showing approximate quantity of materials to be supplied by the Archaeological Survey of India under Clause 10 of the conditions of contract for work, contracted to be executed and the rates at which they are to be charged for.

विवरण Particulars	दरें जों सामग्री के लिए ठेकेदार पर प्रभारित की जाएंगी Rates at which the material will be charged to the contractor		परिदान का स्थान Place of delivery
	Unit	Rs. P.	

टिप्पणी:—निविदा देने वाले व्यक्ति या फर्म को यह देखना चाहिए कि उपर्युक्त अनुसूची में दरें प्रपत्र के दिए जाने पर, निविदा के प्रस्तुत किए जाने से पूर्व मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा भर दी गई हैं।

Note:—The person or firm submitting the tender should see that the rates in the above schedule are filled up by Circle/Branch Office on the issue of the form prior to the submission of the tender.

ठेकेदार के हस्ताक्षर
Signature of the Contractor

मंडल/शाखा अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Circle/Branch Officer

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से
For and on behalf of the President of India

सुरक्षा संहिता :

(i) कर्मकारों के लिए ऐसी छोटी कालावधि वाले कार्यों को छोड़कर जिनको सीढ़ियों से निरापद रूप से किया जा सकता हो उन सभी कार्यों के लिए, जिनको जमीन से या ठोस निर्माण के निरापद रूप से नहीं किया जा सकता हो, यथोचित पाड़ का उपबन्ध करना चाहिए। जब सीढ़ी उपयोग में लाई जाये तो एक अतिरिक्त श्रमिक सीढ़ी को पकड़ने के लिए नियुक्त किया जाएगा और यदि सीढ़ी सामग्री ले जाने के लिए भी उपयोग में लाई जाए तो सीढ़ी पर यथोचित पायदानों और हाथ के लिए सहारों की व्यवस्था होगी और सीढ़ी की आनिति 1 पर 1/4 के अनुपात (1/4 क्षितिज और 1 उर्ध्वाधं) से अधिक ढाल न होगी।

(ii) भूमि से फर्श से 3.6 मीटर (12 फुट) से अधिक ऊंची पाड़ या मंच पर जो उर्ध्वस्थ आधार से झूलता हुआ या लटकता हुआ हो, या स्थिर आधार से खड़ा किया गया हो, समुचित रूप से संबध्द, बोल्टयुक्त, कसी हुई अन्यथा मजबूती से बंधी हुई बचाव रोक होगी, जो ऐसे पाड़ या मंच के फर्श या प्लेटफार्म से कम से कम 90 सें० मी० (3 फुट) ऊंची होगी और उसके बाहर और सिरों पर सम्पूर्ण लम्बाई पर लगी होगी और जिसमें ऐसे द्वार होंगे जो सामग्री के परिदान के लिए आवश्यक हो, ऐसे पाड़ या मंच को ऐसे बांधा जाएगा कि वह भवन या संरचना से झूले नहीं।

(iii) कार्य-प्लेटफार्मों, गलियारों और जीनों को ऐसे सन्निर्मित किया जाना चाहिए कि उन पर अनावश्यक या असमान रूप से झोल न पड़ें और यदि प्लेटफार्म, गलियारा या जीना, भूमि या फर्श स्तर से 36 मीटर (12 फुट) से अधिक ऊंचा हो तो उसमें तख्ते पास पास लगे होने चाहिए, उसकी पर्याप्त चौडाई होनी चाहिए और उसको ऊपर पैरा (ii) में वर्णित यथोचित रूप से बांधा जाना चाहिए।

(iv) भवन या कार्य-प्लेटफार्म में हर द्वार को व्यक्तियों या सामग्री को गिरने से बचाने के लिए यथोचित बाड़े द्वारा या जंगले द्वारा, जिसकी न्यूनतम ऊंचाई 90 सें०मी० (3 फुट) होगी, यथोचित रूप से घिरा होना चाहिए।

(v) सभी कार्य-प्लेटफार्मों और अन्य कार्यस्थानों तक पहुंचने के लिए निरापद साधनों का उपबंध होगा।

Safety Code :

(i) Suitable scaffolds should be provided for workmen for all works that cannot safely be done from the ground, or from solid construction except such short period work as can be done safely from ladders. When a ladder is used an extra mazdoor shall be engaged for holding the ladder and if the ladder is used for carrying materials as well, suitable footholds and handholds shall be provided on the ladder and the ladder shall be given an inclination not steeper than 1/4 to 1 (1/4 horizontal and 1 vertical).

(ii) Scaffolding or staging more than 3.6 m (12 feet) above the ground or floor, swing or suspended from an overhead support or erected with stationary support shall have a guard rail properly attached bolted, braced and otherwise secured at least 90 cm (3 feet) high above the floor or platform of such scaffolding or staging and extending along the entire length of the outside and ends thereof with only such opening as may be necessary for the delivery of materials. Such scaffolding or staging shall be so fastened as to prevent it from swaying from the building or structure.

(iii) Working platform, gangway, and stairways should be so constructed that they should not sag unduly or unequally, and if the height of the platform or the gangway or the stairway is more than 3.6 m (12 feet) above ground level or floor level, they should be closely boarded, should have adequate width and should be suitably fastened as described in (ii) above.

(iv) Every opening in the floor of a building or in a working platform should be provided with suitable means to prevent the fall of persons or materials by providing suitable fencing or railing whose minimum height shall be 90 cm. (3 feet).

(v) Safe means of access shall be provided to all working platforms and other working

हर सीढ़ी मजबूती से लगी होनी चाहिए । कोई सुवाह्य अकेली सीढ़ी लम्बाई में 9 मीटर (30 फुट) से अधिक न होगी जबकि डण्डों वाली सीढ़ी में खड़ी रेलों के बीच चौडाई 3 मीटर (10 फुट) तक लम्बी सीढ़ी में किसी भी दशा में 29 सें० मी० (11½") से कम न होगी । अधिक लम्बी सीढ़ियों में इस चौड़ाई में लंबाई के हर एक अतिरिक्त 30 सें० मी० (1 फुट) के 1/4" की वृध्दि होनी चाहिए । इकसार पौड़ियों के मध्य जगह 30 सें० मी० (12 इंच) से अधिक न होगी । विद्युत उपस्कर से होने वाले खतरे के निवारण के लिए यथायोग्य पूर्वावधानियां रखी जाएंगी । किसी भी कार्यस्थल पर कोई भी सामग्री इस प्रकार नहीं जमा की या रखी जाएगी कि वह किसी व्यक्ति या जनता के लिए खतरा या असुविधा उत्पन्न करें । जनता को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए ठेकेदार सभी आवश्यक बाड़ों और प्रकाश की व्यवस्था करेगा और उक्त पूर्वावधानियों की उपेक्षा के कारण हुई क्षति के लिए किन्ही व्यक्तियों द्वारा विधि के अधीन लाए गए हर वाद, अनुयोग या अन्य कार्यवाहियों में प्रतिरक्षा के व्ययों का भार उठाने के लिए और ऐसी किसी नुकसानी या खर्चों का संदाय करने के लिए आवध्द होगा जो ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को ऐसे किसी वाद, अनुयोग या कार्यवाही में अधिनिर्णित किये जाए या जो, ठेकेदार की सहमति से, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे किसी दावे में समझौता करने के लिए संदत्त किया जाए ।

(vi) उत्खनन और खाई खोदना—1.2 मीटर (4 फुट) या अधिक गहरी सभी खाइयों के लिए सभी समयों पर लम्बाई के हर एक 30 मीटर (100 फुट) या उसके किसी भाग के लिए कम से कम एक सीढ़ी प्रदाय की जाएगी । सीढ़ी खाई की तली से लेकर भूमि की सतह से कम से कम 90 सें० मी० (3 फुट) ऊपर तक की होगी । 1.5 मीटर (5 फुट) या अधिक गहरी खाइयों की दीवारें यथोचित ढलान देने के लिए समतल (पक्की) होंगी या उन पर काष्ठ के तख्तों की मजबूत रोक लगी होंगी ताकि दीवारों के ढहने का खतरा न रहे । खोदी गई सामग्री खाई के किनारों से 1.5 मीटर (5 फुट) के भीतर या खाई की गहराई के आधे के बराबर दूरी के भीतर, उनमें जो भी अधिक हो, नहीं रखी जाएगी । कटाई शीर्ष से तली तक की जाएगी । किन्हीं भी परिस्थितियों में तलोच्छेदन या कम कटाई न की जाएगी ।

(vii) ढाना—ढाने का कोई कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व और कार्य की प्रक्रिया के दौरान भी :—

(क) कार्यस्थल के पार्श्वस्थ सभी मार्ग और खुले क्षेत्र या तो बंद कर दिए जाएंगे या उनमें बचाव की उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी ।

places. Every ladder shall be securely fixed. No portable single ladder shall be over 9 m (30 feet) in length while the width between side rails in rung ladder shall in no case be less than 28 cm (11½") for ladder upto and including 3 m (10 feet) in length. For longer ladders this width should be increased at least (¼") 6 mm for each additional 30 cm (1 foot) of length. Uniform step spacing shall not exceed 30 cm (12"). Adequate precaution shall be taken to prevent danger from electrical equipment. No materials on any of the sites of work shall be so stacked or placed as to cause danger of inconvenience to any person or the public. The contractor shall provide all necessary fencing and lights to protect the public from accident, and shall be bound to bear the expenses of defence of every suit, action or other proceedings at law that may be brought by any persons for injury sustained owing to neglect of the above precautions and to pay any damages and cost which may be awarded in any such suit, action or proceedings to any such persons or which may, with the consent of the contractor, be paid to compromise any claim by any such person.

(vi) Excavation and Trenching—All trenches, 1.2 m (4 feet) or more in depth, shall at all times be supplied with at least one ladder for each 30 m (100 feet) in length or fraction thereof. Ladder shall be extended from bottom of the trench to at least 90 cm (3 feet) above the surface of the ground. The site of the trenches which are 1.5 m (5 feet) or more in depth shall be stopped back to give suitable slope or securely held by timber bracing, so as to avoid the danger of sides to collapse. The excavated materials shall not be placed with 1.5 m (5 feet) of the edges of the trench or half of the depth of the trench whichever is more. Cutting shall be done from top to bottom. Never under any circumstances undermining or undercutting shall be done.

(vii) Demolition—Before any demolition work is commenced and also during the process of the work :—

(i) All roads and open areas adjacent to the work site shall either be closed or suitably protected.

(ख) ऐसा कोई भी विद्युत केबिल या साधित्र जिसमें खतरा उत्पन्न हो सकता हो या आपरेटर द्वारा प्रयुक्त होने वाला केबिल या साधित्र विद्युत आवेशित नहीं होगा ।

(ग) नियोजित व्यक्तियों को अग्नि या विस्फोट या बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए भी व्यावहारिक कदम उठाए जाएंगे । भवन के किसी भी फर्श, छत या भाग को मलबे या सामग्री से इतना अतिभारित न किया जाएगा कि वह असुरक्षित हो जाए ।

(viii) कार्यस्थल पर नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए ऐसी आवश्यकता वैयक्तिक सुरक्षा उपस्कर उपलब्ध रखे जाने चाहिए जो मंडल/शाखा अधिकारी पर्याप्त समझे और उनको ऐसी हालत में अनुरक्षित रखा जाना चाहिए कि वे तुरन्त उपयोग के लिए उपयुक्त हों, तथा ठेकेदार संबंधित व्यक्तियों द्वारा उनके समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए यथायोग्य कदम उठाएगा :—

(क) ऐसफाल्टिक सामग्री, सीमेन्ट और चूने का मसाला मिलाने के लिए नियोजित कर्मकारों को बचाव जूते और बचाव चश्मे दिये जाएंगे ।

(ख) सफेदी करने और सीमेन्ट के बोरों को या ऐसी सामग्री मिलाने के लिए या उनके ढेर लगाने के काम में नियोजित व्यक्तियों को बचाव चश्मे दिए जाएंगे ।

(ग) झलाई कार्य में नियोजित व्यक्तियों को झलाईदारों की आंखों की रोशनी के बचाव के लिए काम में आने वाले ढक्कन दिये जाएंगे ।

(घ) पत्थर तोडने वालों के लिए बचाव चश्मे और बचाव वस्त्रों और पर्याप्त रूप से सुरक्षित दूरी पर बैठाने की व्यवस्था होगी ।

(ङ) जब कर्मकार ऐसी मल-नालियों और मेन-होलों में नियोजित किये जाएं, जो काम में लाए जा रहे हों, तब ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि मेन-होलों में कर्मकारों के प्रवेश करने के कम से कम एक घंटे पूर्व उनके ढक्कन खोल दिये जाएं और उन्हें संचालित कर दिया जाए तथा ऐसे खोले गये मेन-होलों को, जनता को खतरे से बचाने के लिए यथोचित जंगलों से घेर दिया जाना चाहिए और उनपर चेतावनी सिग्नल या बोर्ड लगा दिये जाने चाहिए ।

(छ) ठेकेदार 18 वर्ष से कम आयु वाले पुरुषों और स्त्रियों को ऐसे उत्पादन द्वारा रंगने के कार्य पर, जिनमें किसी भी रूप में सीसा अन्तर्विष्ट हो

(b) No electric cable or apparatus which is liable to be a source of danger over a cable or apparatus used by the operater shall remain electricity charged.

(c) All practical steps shall be taken to prevent danger to persons employed from risk of fire or explosion or flooding. No floor, roof or other part of the building shall be so overloaded with debris or materials as to render it unsafe.

(viii) All necessary personal safety equipment as considered adequate by the Circle/Branch Officer should be kept available for the use of the persons employed on the site and maintained in a condition suitable for immediate use, and the contractor should take adequate steps to ensure proper use of equipment by those concerned :—

(a) Workers employed on mixing asphaltic materials, cement and lime mortars shall be provided with protective footwear and protective goggles.

(b) Those engaged in white washing and mixing or stacking of cement bags or any material which is injurious to the eyes shall be provided with protective goggles.

(c) Those engaged in welding works shall be provided with welder's protective eye shields.

(d) Stone breakers shall be provided with protective goggles and protective clothing and seated at sufficiently safe intervals.

(e) When workers are employed in sewers and manholes, which are in use, the contractors shall ensure that the manhole covers are opened and are ventilated at least for an hour before the workers are allowed to get into the manholes and manholes so opened shall be cordoned off with suitable railing and provided with warning signals or boards to prevent accident to the public.

(f) The contractor shall not employ men below the age of 18 years and women on the work of painting with products

नियोजित नहीं करेगा । जहां कहीं 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्ति सीसा द्वारा के कार्य पर नियोजित किये जाए, वहां निम्नलिखित पूर्वावधानियां रखी जाएंगी :—

(i) सीसा या सीसा उत्पादों को अन्तर्विष्ट करने वाला कोई भी पेंट जब तक कि पेस्ट या तैयार पेंट के रूप में न हो, उपयोग में नहीं लाया जाएगा ।

(ii) ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र ठेकेदार द्वारा कर्मकारों को प्रदत्त किये जाएंगे और कार्य करने वाले पेंटरों के लिए ऐसी यथायोग्य सुविधाओं का उपबंध होना चाहिए कि वे उन वस्त्रों को कार्य बंद रहने के समय धो सकें ।

(iii) जब पेंट फुहार या ऐसी जगह पर किया जाना हो जिस पर से सीसे का पेंट शुष्क रगड़ा या खुरचा गया हो, कर्मचारी के उपयोग के लिए यथोचित मुखपट का प्रदाय किया जाना चाहिए ।

(iv) ठेकेदार महिलाओं या 18 वर्ष से कम आयु के पुरुषों को किसी भी स्थिति में चित्रकारी के वैसे कार्य पर नहीं लगायेगा जिसमें सीसा युक्त पदार्थ अन्तर्विष्ट होते हैं । जहां भी 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले पुरुष चित्रकारी कार्य पर नियोजित किये जाते हैं वहां इसके इस्तेमाल के लिए निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन किया जाना चाहिए ।

I. (क) लेई या पेंट के रूप में पहले से ही इस्तेमाल के लिए तैयार पदार्थ के अलावा ह्वाइटलेड, लेड के सल्फेट या रंग द्रव्य वाले पदार्थों का इस्तेमाल चित्रकारी कार्य के लिए नहीं दिया जाएगा ।

(ख) स्प्रे के रूप में पेंट को इस्तेमाल करने से उत्पन्न खतरे से बचने के लिए उपाय किये जाएंगे ।

(ग) शुष्क घर्षण क्रिया या खुरचन के फलस्वरूप उड़ने वाली धूली से उत्पन्न खतरें से यथा-संभव बचाव के उपाय किये जाएंगे ।

II. (क) कार्य के दौरान या समाप्त होने पर कामगार पेंटरों को धुलाई की सुचित सुविधा देने का प्रबंध किया जाएगा ।

containing lead in any form. Wherever men (above the age of 18) are employed on the work or lead painting, the following precautions should be taken :—

(i) No paint containing lead or lead products shall be used except in the form of paste or readymade paint.

(ii) Overalls shall be supplied by the Contractors to the workmen and adequate facilities shall be provided to enable the working painters to wash during the cessation of work.

(iii) Suitable face masks should be supplied for use by the workers when paint is applied in the form of spray or a surface having lead paint dry rubbed and scrapped.

(iv) The contractor shall not employ women and men below the age of 18 on the work of painting with products containing lead, in any form. Wherever men above the age of 18 are employed on the work of lead painting the following principles must be observed for use.

I. (a) Whitelead, sulphate of lead, or products containing these pigments shall not be used in painting operation except in the form of paste or of paint ready for use.

(b) Measure shall be taken in order to prevent danger arising from application of paint in the form of spray.

(c) Measures shall be taken, whenever practicable, to prevent danger arising from dust caused by dry rubbing down and scrapping.

II. (a) Adequate facilities shall be provided to enable working painters to wash during and on cessation of work.

(ख) कामगार पेंटर अपने सम्पूर्ण कायकाल के दौरान समावेशक वस्त्र पहने रहेंगे ।

(ग) कार्यकाल के दौरान रंगद्रकों से कपड़ो को गंदा होनेसे बचाने के लिए समुचित प्रबंध किया जाएगा ।

III. (क) सीसा विषाक्तिकरण के संदिग्ध मामलों की सूचना दी जाएगी और साथ ही साथ इसकी जांच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जब आवश्यक समझे कामगारों का डाक्टरी परीक्षा करा भी सकता है ।

(ग) चित्रकारी कार्य से सम्बन्धित अपनाये जाने वाले विशेष स्वास्थ पूर्वोपाय संबंधी अनुदेशों कामगार पेंटरों में बांटे जाएंगे ।

ठेकेदार को चाहिए कि वह हर श्रेणी का नमूना क्वार्टर बनवायेगा जो निर्माण दिये जाने की तारीख से डेढ़ मास के भीतर मंडल/शाखा अधिकारी के निर्देश के अनुसार सभी तरह से पूर्ण होगा । तदनुसार आगे का कार्य कराया जाएगा अथवा जैसा मंडल/शाखा चाहेंगे, परन्तु यह कार्य केवल मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा नमूने को लिखित रुप में अनुमोदित किये जाने के बाद ही होगा ।

कराये जाने वाले निर्माण कार्य की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि इन अपेक्षाओं का अनुपालन और इनकी पूर्ति निर्माण कार्य की सामान्य प्रगति में बाधा पहुंचाये बिना की जाए । अन्य शब्दों में, निर्माण कार्य की सामान्य प्रगति अथवा संविदा की किसी शर्त को किसी प्रकार प्रभावित नहीं होने दिया जायेगा । इस शर्त को समाविष्ट किये जाने के फलस्वरूप किसी भी प्रकार के दावे पर चाहे वह समय बढ़ाने के लिए ही क्यों न हो विचार नहीं किया जाएगा ।

मंडल।शाखा अधिकारी के आदेशानुसार आवृत्ति मूलक किस्म के निर्माण कार्य के विशिष्ट भाग के नमूने को यथा विशिष्ट कमरे, शौचालय, जीने बरामदे,

(b) Overalls shall be worn by working painters during the whole of the working period.

(c) Suitable arrangements shall be made to prevent clothing put off during working hours being soiled by painting materials.

III. (a) Cases of lead poisoning and of suspected lead poisoning shall be notified and subsequently verified by a medical man appointed by the competent authorities of the Archaeological Survey of India.

(b) The Archaeological Survey of India may require, when necessary a medical examination of workers.

(c) Instructions with regard to the special hygenic precautions to be taken in the painting work shall be distributed to working painters.

The contractor shall put up one sample quarter of each type complete in all respect according to the directions of the Circle/ Branch Officer within a month and a half from the date of award of work. Further work shall be carried out accordingly or as desired by the Circle/Branch Officer only after the samples have been approved in writing by the Circle/Branch Officer.

The work shall be so arranged and carried out that these requirements are observed and fulfilled without any detriment to the general progress of work. In other words, this will not be allowed to have any effect on the general progress of work or on any of the terms and conditions of the contract. No claims of any kind whatsoever including the claim of extension of time will be entertained due to incorporation of this requirement.

Samples of typical portions of work of repetitive nature such as typical room, toilet room, staircase, corridor, lobby and entrance

लॉबी, तथा प्रवेश कक्ष अथवा अन्य कार्य मंडल/शाखा अधिकारी के निर्देश के अनुसार ठेकेदार द्वारा तैयार कराया जाएगा तथा उनको संतुष्ट किया जाएगा तथा संपूर्ण निर्माण कार्य के उन मदों पर कार्य आरंभ कराने से पूर्व मंडल/शाखा अधिकारी से लिखित रूप में उन्हें अनुमोदित करा लिया जाएगा ।

कराये जाने वाले निर्माण कार्य की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि इन अपेक्षाओं का अनुपालन और इनकी पूर्ति निर्माण कार्य की सामान्य प्रगति में बाधा पहुंचाए बिना की जाए । अन्य शब्दों में निर्माण कार्य की सामान्य प्रगति अथवा संविदा की किसी शर्त को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा । इस शर्त को समाविष्ट किये जाने के फलस्वरूप किसी प्रकार के दावे पर चाहे वह समय बढ़ाने के लिए हो क्यों न हो, विचार नहीं किया जाएगा ।

(ix) जब काम किसी ऐसे स्थान के पास किया जाना हो, जहां डूबने के जोखिम हो तो सभी आवश्यक उपस्करों का उपबंध होना चाहिए और उपयोग के लिए तैयार रहने चाहिए और खतरे में पड़े व्यक्ति के तत्पर बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्यवाहियां की जानी चाहिए और कार्य के अनुक्रम में उठाई जा सकने वाली संभाव्य सभी क्षतियों के सत्वर प्राथमिक उपचार के लिए यथायोग्य उपबंध किया जाना चाहिए ।

(x) होइस्टिंग मशीन और टेकल का जिसके अंतर्गत उनकी संलग्नक जेकड़ और अवलम्ब भी आते है, का उपयोग निम्नलिखित मान या शर्त के अनुरुप होगा :—

1. (क) यह अच्छी यांत्रिक सन्निर्मिति के, सुसामग्रीयुक्त और यथायोग्य दृढ़तावान और प्रत्यक्ष त्रुटियों से मुक्त होगी और अच्छी तरह मरम्मत की हुई तथा चालू हालत में रखी जाएगी ।

   (ख) हर रस्सी, जिसको सामग्रियों को ऊपर उठाने या नीचे, लाने या निलम्बन के रुप में उपयोग में लाया जाए । मजबूत क्वालिटी और यथायोग्य दृढ़ता की तथा प्रत्यक्ष त्रुटियों से मुक्त होगी ।

2. हर क्रेन चालन या होइस्टिंग साधित्र आपरेटर समुचित रुप से अर्हित होगा और 21 वर्ष से कम आयु वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी होइस्टिंग मशीन का, जिसके अंतर्गत पाड़ विंच आता है भारसाधक न होगा या आपरेटर को सिगनल न देगा ।

3. हर होइस्टिंग मशीन और हर चेन रिंग हुक में ऊपर उठाने या नीचे लाने के लिए या निलम्बन के साधन स्वरुप उपयुक्त शैकल, स्विवेल और पुली ब्लाक के

hall or any other work desired by Circle/Branch Officer shall be prepared by the contractor under the directions and to the satisfaction of the Circle/Branch Officer and got approved by the Circle/Branch Officer in writing before the commencement of those items for the entire work.

The work shall be so arranged to be carried out that these requirements are observed and fulfilled wihout any detriment to the general progress of work. In other works, this will not be allowed to have any effect on the general progress of work or on any of the terms and conditions of the contract. No claims of any kind whatsoever including the claim of extension of time will be entertained due to the incorporation of this requirement.

(ix) When the work is done near any place where there is risk of drowning, all necessary equipments should be provided and kept ready for use and all necessary steps taken for prompt rescue of any person in danger and adequate provision should be made for prompt first aid treatment of all injuries likely to be sustained during the course the work.

(x) Use of hoisting machines and tackle including their attachments, anchorage and supports shall conform to the following standards or conditions :—

1. (a) These shall be of good mechanical construction, sound material and adequate strength and free from patent defects and shall be kept in good working order.

   (b) Every rope used in hoisting or lowering materials or as a means of suspension shall be of durable quality and adequate strength and free from patent defects.

2. Every crane driver or hoisting appliance operator shall be properly qualified and no person under the age of 21 years should be incharge of any hoisting machine including any scaffolding, winch or give signals to operator.

3. In case of every hoisting machine and of every chain, ring, hook, shackle,

सुरक्षित कार्यकरण बोझ को यथायोग्य साधनों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा ऊपरनिर्दिष्ट होइस्टिंग मशीन पर और सभी गियरों पर सुरक्षित कार्यकरण बोझ साफ-साफ चिह्नित होगा । ऐसी होइस्टिंग मशीन की दशा में, जिसका सुरक्षित कार्यकरण बोझ परिवर्तनशील हो, हर एक सुरक्षित कार्यकरण बोझ, स्पष्ट रुप से उपदर्शित होगा । इस पैरा में ऊपर निर्दिष्ट मशीन या किसी गीयर के किसी भी भाग को सुरक्षित कार्यकरण बोझ से, अधिक परीक्षण के प्रयोजन पर के सिवाए भारित नहीं किया जाएगा ।

swivel and pulley block used in hoisting or as means of suspension the safe working load shall be ascertained by adequate means. Every hoisting machine and all gear referred to above shall be plainly marked with the safe working load. In case of a hoisting machine having a variable safe working load each safe working load and the conditions under which it is applicable shall be clearly indicated. No part of any machine or any gear referred to above in this paragraph shall be loaded beyond the safe working load except for the purpose of testing.

4. विभागीय मशीनों की दशा में सुरक्षित कार्यकरण बोझ को भारसाधक विद्युत इंजीनियर द्वारा अधिसूचित किया जाएगा । जहां तक ठेकेदारों की मशीनों का संबंध है, ठेकेदार जब कभी वह कार्यस्थल पर कोई मशीनरी लाए, मशीन के सुरक्षित कार्यकरण बोझ को मंडल/शाखा अधिकारी को अधिसूचित करेगा और सम्पृक्त विद्युत इंजीनियर से उसका सत्यापन करवाएगा ।

4. In case of departmental machines, the safe working load shall be notified by the Electrical Officer incharge. As regards contractors' machines the contractors shall notify the safe working load of the machine to the Circle/ Branch Officer whenever he brings any machinery to site of work and get it verified by the Engineer concerned.

(xi) होइस्टिंग साधित्रों के मोटर, गियरिंग, पारेषण, विद्युत वायरिंग और खतरनाक भागों को निरापद रखने के लिए दक्ष उपबंध करना चाहिए । हाइस्टिंग साधित्रों में ऐसे साधनों का उपबंध होना चाहिए जिससे लदान के अकस्मात नीचे आ जाने की दशा में जोखिम न्यूनतम हो जाए । निलम्बित लदान के किसी भी भाग के अकस्मात विस्थापित हो जाने की दशा में जोखिम न्यूनतम हो जाए । निलम्बित लदान के किसी भी भाग के अकस्मात विस्थापित हो जाने की दशा में जोखिम को न्यूनतम करने के लिए यथायोग्य पूर्वविधानियां बरती जाएं । जबकि कर्मकार ऐसे विद्युत संस्थापन पर नियोजित हों जो पहले से ही उर्जित हो तो उनके लिए आवश्यकतानुसार विसंवाही चटाइयां, पहनने वाले वस्त्र अर्थात् मोजे, बाहें और बूटों का उपबंध होना चाहिए । कर्मकारोंको अंगुठियां और घड़ियां धारण नहीं करनी चाहिए और चाबियां या अन्य ऐसी सामग्री नहीं ले जानी चाहिए जो विद्युत की सुसंवाहक हो ।

(xi) Motors, gearing, transmission, electric wiring and other dangerous parts of hoisting appliances should be provided with efficient safeguards. Hoisting appliances should be provided with such means as will reduce to the minimum the risk of accidental descent of the load. Adequate precautions should be taken to reduce to the minimum the risk of any part of a suspended load becoming accidentally displaced. When workers employed on electrical installations which are already energised, insulating mats, wearing apparel, such as gloves, sleeves and boots as may be necessary should be provided. The workers should not wear any rings, watches and carry keys or other materials which are good conductors of electricity.

(xii) सभी पाड़ सीढ़ियां और अन्य सुरक्षा युक्तियों को, जिनको इसमें उल्लिखित या वर्णित कियां गया है, सुरक्षित अवस्था में रखा जाना चाहिए और किसी भी पाड़ सीढ़ी या उपस्कर को, जब कि वह उपयोग में हो, परिवर्तित न किया जाएगा या हटाया न जाएगा । कार्यस्थलों पर या उनके निकट यथायोग्य धुलाई सुख-सुविधाओं का उपबंध होना चाहिए ।

(xii) All scaffolds, ladders and other safety devices mentioned or described herein shall be maintained in safe condition and no scaffold, ladder or equipment shall be altered or removed while it is in use. Adequate washing facilities should be provided at or near places of work.

(xiii) सुरक्षा उपबंधों को सभी संबंधियों की सूचना के लिए कार्यस्थल किसी प्रमुख स्थान पर लगे सूचना पट्टों पर प्रदर्शित करना चाहिए। सुरक्षा संहिता के अनुपालन के लिए ठेकेदार द्वारा उत्तरदायी व्यक्ति का नाम उसमें दिया जाएगा।

(xiv) सुरक्षा पूर्वविधानियों से संबंधित नियमों और विनियमों के प्रभावकारी, प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए इंतजाम श्रम अधिकारी मंडल/शाखा अधिका ी या उसके प्रतिनिधियों के निरोक्षण के लिए खुले रहेंगे।

(xv) उक्त खण्ड (i) से लेकर (xiv) तक के ोते हुए भी उनमें की कोई बात ठेकेदार को भारत गणराज्य में प्रवत्त किसी अन्य अधिनियम या नियम के प्रवर्त्तन से छूट नहीं देता।

(xiii) These safety provisions should be brought to the notice of all concerned by display on a notice board at a prominent place at work spot. The person responsible for compliance of the safety code shall be named therein by the contractor.

(xiv) To ensure effective enforcement of the rules and regulations relating to safety precautions the arrangements made by the contractor shall be open to inspection by the Labour Officer, Circle/Branch Officer or their representatives.

(xv) Notwithstanding the above clauses from (i) to (xiv) there is nothing in these to exempt the contractor from the operations of any other Act or Rule in force in the Republic of India.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या उसके ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्थाओं के संरक्षण के लिए आदर्श नियम

MODEL RULES FOR THE PROTECTION OF HEALTH AND SANITARY ARRANGEMENTS FOR WORKERS EMPLOYED IN THE ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA OR BY ITS CONTRACTORS

1. लागू होना :

ये नियम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियन्त्रणाधीन सभी भवन और निर्माण कार्यों पर लागू होंगे जिनमें ठेके पर चल रहे कार्य दिवसों में किसी भी दिन समान्यतया 20 या इससे अधिक मजदूर नियोजित किए गये हों अथवा करने का प्रस्ताव हो ।

2. परिभाषा :

कार्यस्थल का तात्पर्य उस स्थान से है जहां पर निर्माण कार्य के लिए ठेके पर चल रहे कार्य दिवसों में किसी भी दिन 20 या इससे अधिक मजदूर नियोजित हों अथवा करने का प्रस्ताव हो ।

3. प्राथमिक उपचार सुविधाएं :

(1) प्रत्येक कार्यस्थल में, कार्य दिवसों में सुगमता से पहुंचने योग्य किसी स्थान पर प्राथमिक उपचार के बक्स रखे जायेंगे जो सामान्य तथा नियोजित 150 ठेके के मजदूरों अथवा उनके किसी भाग के लिए कम से कम एक बक्से से कम न हों ।

(2) प्राथमिक उपचार बक्सें पर स्पष्ट रूप से सफेद के ऊपर रेड क्रास का निशान होना चाहिए जिसमें निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए जैसे :—

(क) ऐसे कार्यस्थलों पर नियोजित ठेके के मजदूरों की संख्या 50 से अधिक नहीं है—

प्रत्येक प्राथमिक उपचार बक्से में निम्नलिखित उपकरण होंगे :—

(i) 6 छोटी विसंक्रमित पट्टियां ।

(ii) 3 मध्यम आकार की विसंक्रमित पट्टियां ।

(iii) 3 बड़े आकार की विसंक्रमित पट्टियां ।

(iv) 3 बड़े आकार की जले पर लगाने की पट्टियां ।

(v) 1 (30 मि० लि०) की बोतल जिसमें आयोडिन का 2 प्रतिशत अलकोहल के साथ घुला हो ।

1. Application :

These rules shall apply to all building and construction works in charge of Archaeological Survey of India in which twenty or more workers are ordinarily employed or are proposed to be employed on any day during the period during which the contract work is in progress.

2. Definition :

Work place means a place where twenty or more workers are ordinarily employed or are proposed to be employed in connection with construction work on any day during the period during which the contract work is in progress.

3. First-Aid Facilities :

(1) At every work place there shall be provided and maintained, so as to be easily accessible during working hours, first aid boxes at the rate of not less than one box for 150 contract labourers or part thereof ordinarily employed.

(2) The first aid box shall be distinctly marked with a red cross on white ground and shall contain the following equipment, namely :—

(a) For work places in which the number of contract labour employed does not exceed 50.

Each first aid box shall contain the following equipments :—

(i) 6 small sterilised dressings.

(ii) 3 medium size sterilised dressings.

(iii) 3 large size sterilised dressings.

(iv) 6 large size sterilised burn dressings.

(v) 1 (30 ml) bottle containing a two per cent alcoholic solution of iodine.

(vi) 1 (30 मि०ली०) की बोतल जिसमें साल्वोलेटाइल का घोल हो तथा उसके ऊपर मात्रा तथा औषधि सेवन की विधि लिखी हो ।

(vii) सर्पदंश की एक छुरी ।

(viii) पोटाशियम पर्मेगनेट क्रिस्टल (30 ग्राम) की एक बोतल ।

(ix) एक कैंची ।

(x) महानिदेशक,फैक्टरी परामर्श सेवा तथा श्रम संस्थापन भारत सरकार द्वारा जारी प्राथमिक उपचार के सम्बन्ध में एक पर्चा ।

(xi) एक शीशी जिसमें एस्पिरिन (प्रत्येक 5 ग्राम) की 100 टिकियां हो ।

(xii) जले पर लगाने के लिए मरहम ।

(xiii) शल्यकर्म के लिए उपयुक्त कृमिनाशक घोल की एक शीशी ।

(ख) ऐसे कार्य स्थलों पर जहां ठेके के मजदूरों की संख्या 50 से अधिक हो—

प्रत्येक प्राथमिक उपचार बक्से में निम्नलिखित उपकरण होंगे—

(i) 12 छोटी विसंक्रमित पट्टियां ।

(ii) 6 मध्यम आकार की विसंक्रमित पट्टियां ।

(iii) 6 बड़े आकार की विसंक्रमित पट्टियां ।

(iv) 6 बड़े आकार की विसंक्रमित जले पर लगने की पट्टियां ।

(v) विसंक्रमित रुई 6 (15 ग्राम) पैकेट ।

(vi) आयोडीन की 2 प्र० श० अल्कोहल घोल की (60 मि० लि०) शीशी ।

(vii) साल्वोलेटाइल की एक शीशी (60 मि० लि०) जिसके लेवल पर मात्रा और सेवन विधि लिखी हो ।

(viii) चिपकाने वाला प्लास्टर का एक रोल ।

(ix) सर्प दंश की एक छुरी ।

(x) पोटाशियम पर्मेगनेट क्रिस्टल की 1 शीशी (30 ग्राम) ।

(xi) एक कैंची ।

(xii) महानिदेशक, फैक्टरी परामर्श सेवा तथा श्रम संस्थान, भारत सरकार द्वारा जारी प्राथमिक उपचार का एक पर्चा ।

(xiii) एस्पिरिन की 100 टिकियाँ (प्रत्येक 5 ग्राम) की एक शीशी ।

(vi) 1 (30 ml) bottle containing salvolatile having the dose and mode of administration indicated on the label.

(vii) 1 snake-bite lancet.

(viii) 1 (30 gm) bottle of pottasium permanganate crystals.

(ix) 1 pair scissors.

(x) 1 copy of the first aid leaflet issued by the Director General, Factory Advice Service and labour Institutes, Government of India.

(xi) 1 bottle containing 100 tablets (each of 5 grams) of aspirin.

(xii) Ointment for burns.

(xiii) A bottle of suitable surgical antiseptic solution.

(b) For work places in which the number of contract labour exceed 50—

Each first aid box shall contain the following equipments :—

(i) 12 small sterilised dressings.

(ii) 6 medium size sterilised dressings.

(iii) 6 large size sterilised burn dressings.

(iv) 6 large size sterilised dressings.

(v) 6 (15 gm) packets sterilised cotton wool.

(vi) 1 (60 ml) bottle containing a two per cent alcoholic solution iodine.

(vii) 1 (60 ml) bottle containing salvolatile having the dose and mode of administration indicated on the label.

(viii) 1 roll of adhesive plaster.

(ix) 1 snake-bite lancet.

(x) 1 (30 gm) bottle of potassium permanganate crystals.

(xi) 1 pair scissors.

(xii) 1 copy of the first aid leaflet issued by the Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes, Government of India.

(xiii) A bottle containing 100 tablets (each of 5 gram) of aspirin.

(xi) जले पर लगाने का मरहम ।

(xii) शल्य कर्म के लिए उपयुक्त कृमिनाशक घोल की एक शीशी ।

(3) वस्तुओं को पुनः भरने की, जब कभी आवश्यकता हो, उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए ।

(4) प्राथमिक-उपचार बक्से में सिवाय निर्धारित वस्तुओं के कुछ भी नहीं रखा जाएगा ।

(5) प्राथमिक उपचार का बक्सा किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास रखा जायेगा जो कि कार्यस्थल पर कार्यसमय के दौरान हमेशा हाजिर रहेगा ।

(6) जिस कार्यस्थल पर नियोजित ठेके के मजदूरों की संख्या 150 से अधिक होगी वहां पर प्राथमिक उपचार के बक्से का प्रभारी व्यक्ति प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित व्यक्ति होगा ।

(7) ऐसे कार्यस्थलों पर जहां नियोजित ठेके के मजदूरों की संख्या 500 या इससे अधिक हो तथा अस्पताल कार्यस्थल के नजदीक नहीं हो, तो एक प्रशिक्षित कम्पाउन्डर की देखरेख में एक प्राथमिक उपचार केन्द्र खोला जाएगा । कम्पाउन्डर ड्यूटी पर रहेगा तथा जब मजदूर काम पर होंगे तो उसकी सेवाएं हर समय उपलब्ध रहेंगी ।

(8) यदि कार्यस्थल किसी शहर या कस्बे में नहीं है तो घायल व्यक्तियों अथवा अकस्मात बीमार पड़े व्यक्तियों को समीपवर्ती अस्पताल में ले जाने के लिए उपयुक्त परिवहन व्यवस्था तुरन्त उपलब्ध रहेगी ।

4. पेय जल :

(क) प्रत्येक कार्यस्थल में मजदूरों द्वारा सुगमता से पहुंचने योग्य उपयुक्त स्थानों पर पीने योग्य ठण्डे पानी की पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था की जायेगी और उसे बनाये रखा जाएगा ।

(ख) जहां पेय जल किसी अन्तर्विरामी सार्वजनिक जल व्यवस्था से प्राप्त किया जाता है वहां प्रत्येक कार्यस्थल पर संचय की व्यवस्था की जाएगी जहां ऐसे पेय जल को संग्रह किया जाएगा ।

(ग) संचयन की प्रत्येक जल व्यवस्था किसी शौचालय, नाली या प्रदुषण के अन्य स्त्रोत से 50 फुट से कम दूर नहीं होगी । जहां जल किसी ऐसे विद्यमान कुए से लिया जाना हो जो शौचालय, नाली या प्रदूषण के किसी अन्य स्त्रोत के काफी निकट हो तो ऐसी स्थिति में कुएं से पीने के लिए जल निकालने से पूर्व उसका उचित रुप से क्लोरीकरण किया जायेगा । ऐसे सभी कूप पूर्णतः ढके हुए होंगे और उनमें धूल और जल-रोधी छत द्वार की व्यवस्था की जाएगी ।

(xi) Ointmen for burns.

(xii) A bottle of suitable surgical antiseptic. solution.

(3) Adequate arrangements shall be made for immediate recoupment of the equipment when necessary.

(4) Nothing except the prescribed contents shall be kept in the First Aid box.

(5) The First Aid box shall be kept in charge of a responsible person who shall always be readily available during the working hours of the work place.

(6) A person in charge of the First Aid Box shall be a person trained in First Aid treatment, in work places where the number of contract labour employed is 150 or more.

(7) In work places where the number of contract labour employed is 500 or more and hospital facilities are not available within easy distance of the works First aid posts shall be established and run by a trained compounder. The compounder shall be on duty and shall be available at all hours when the workers are at work.

(8) Where work places are situated in places which are not towns or cities, a suitable motor transport shall be kept readily available to convey injured person or persons suddenly taken ill to the nearest hospital.

4. Drinking Water :

(a) In every work place, there shall be provided and maintained at suitable places, easily accessible to labour, a sufficient supply of cold water fit for drinking.

(b) Where drinking water is obtained from an intermittent public water supply, each work place shall be provided with storage where such drinking water shall be stored.

(c) Every water supply of storage shall be at a distance of not less than 15 m or 50 feet from any latrine, drain or other source of pollution. Where water has to be drawn from an existing well which is within such proximity of latrine, drain or any other source of pollution, the well shall be properly, chlorinated before water is drawn from it for drinking. All such wells shall be entirely closed in and provided with a trap-door which shall be dust and water-proof.

(घ) प्रत्येक ढके कुएं में एक विश्वसनीय पम्प फिट किया जाएगा। छत द्वार को ताला लगाकर रखा जाएगा और केवल सफाई या निरीक्षण करने के लिए मास में कम से कम एक बार खोला जाएगा।

(d) A reliable pump shall be fitted to each covered well, the trap-door shall be kept locked and opened only for cleaning or inspection which shall be done at least once a month.

5. कपड़े धोने की सुविधाएं :

(i) प्रत्येक कार्यस्थल पर कपड़े धोने की सुविधा का प्रबन्ध किया जायेगा तथा उसे वहां नियोजित ठेके के मजदूरों के प्रयोग के लिए बना रखा जायेगा।

(ii) स्त्री और पुरुष मजदूरों के प्रयोग के लिए उपयुक्त पर्दे की अलग-अलग और पर्याप्त व्यवस्था होगी।

(iii) ऐसी सुविधाएं आसानी से सुलभ होंगी और इन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से साफ सुथरा रखा जायेगा।

5. Washing Facilities :

(i) In every work place adequate and suitable facilities for washing shall be provided and maintained for the use of contract labour employed therein.

(ii) Separate and adequate screening facilities shall be provided for the use of male and female workers.

(iii) Such facilities shall be conveniently accessible and shall be kept in clean and hygienic condition.

6. शौचालय तथा मूत्रालय :

(i) प्रत्येक कार्यस्थल पर निम्नलिखित मानदण्ड के आधार पर शौचालयों की व्यवस्था की जायेगी उदाहरणार्थ :—

(क) जहां पर महिलाएं नियोजित की गई है वहां पर प्रति 25 महिलाओं के लिए कम से कम एक शौचालय हो।

(ख) जहां पुरुष नियोजित है वहां प्रति 25 पुरुषों के लिए कम से कम एक शौचालय हो :

बशर्ते कि जहां पर पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या 100 से अधिक है वहां 100 की संख्या तक प्रत्येक पुरुषों अथवा महिलाओं के लिए एक शौचालय तत्पश्चात् प्रत्येक 50 की संख्या के लिए एक शौचालय हो।

(ii) प्रत्येक शौचालय ढका हुआ होना चाहिए तथा उनका इस प्रकार व्यवधान हो कि निजी गोपनीयता सुरक्षित रहे तथा शौचालय में दरवाजे तथा चटखनियों की उचित व्यवस्था हो।

(iii) शौचालयों का निर्माण भीतरी दीवारें चिनाई या किसी उपयुक्त ताप रोधी जलवशोधी पदार्थ द्वारा निर्मित की जाएगी और उनमें वर्ष में कम से कम एक बार भीतर और बाहर सीमेंट की पुताई की जाएगी। यह शौचालय "बोरहल" तरीके के शौचालयों के मानक से घटिया नहीं होंगे।

(iv) (क) जहां पर "महिलाएं" व "पुरुष" काम पर लगाये जाएं वहां पर अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाने वाली भाषा से शौचालय और मूत्रालयों में केवल "पुरुषों" के लिए 'केवल'

6. Latrines and Urinals :

(i) Latrines shall be provided in every work place on the following scale, namely :—

(a) Where females are employed there shall be at least one latrine for every 25 females.

(b) Where males are employed, there shall be at least one latrine for every 25 males :

Provided that where the number of males or females exceeds 100, it shall be sufficient if there is one latrine for 25 males or females, as the case may be, upto the first 100, and one for every 50 thereafter.

(ii) Every latrine shall be under cover and so partitioned off as to secure privacy, and shall have a proper door and fastenings.

(iii) Construction of Latrines : The inside walls shall be constructed of masonary or some suitable heat-resisting non-absorbent materials and shall be cement washed inside and outside at least once a year. Latrines shall not be of a standard lower than bore-hole system.

(iv) (a) Where workers of both sexes are employed, there shall be displayed outside each block of latrine and urinals, a notice in the language

"महिलाओं के लिए" । जैसी भी स्थिति हो इस प्रकार का एक नोटिस बोर्ड लगाया जाय ।

(ख) इस नोटिस बोर्ड में पुरुष या महिला का जैसी भी स्थिति हो एक चित्र भी बना हो ।

(v) एक ही अवसर पर नियोजित 50 पुरुषों तथा 50 महिलाओं के लिए कम से कम एक मूत्रालय होगा । बशत कि जहां पर पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या 500 से अधिक हो, वहां पर 500 तक प्रत्येक 50 पुरुषों अथवा महिलाओं के लिए एक पेशाबघर तथा शेष प्रत्येक 100 के लिए एक पेशाबघर उपयुक्त होगा ।

(vi) (क) शौचालयों तथा मूत्रालय में उपयुक्त प्रकाश की व्यवस्था होगी तथा इनको हर समय साफ सुथरी हालत में रखा जायेगा ।

(ख) जो शौचालय तथा मूत्रालय भूमिगत नालियों से जुड़े नहीं होंगे उनके संबंध में लोक स्वास्थ्य प्राधिकरणों को अपेक्षताओं को पूर्ण करना होगा।

(vii) पानी टूटी द्वारा सप्लाई किया जायेगा अथवा पानी ऐसे स्थान पर होगा जो शौचालय तथा पेशाबघर के नजदीक ही होगा ।

(viii) **मल-मूत्र का निपटान.**—जब तक स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अन्यथा प्रबन्ध न किया जाय, कार्य स्थल पर भस्मीकरण द्वारा मल-मूत्र के उचित निपटान का प्रबन्ध उचित भस्मक के द्वारा किया जाय । इसके विकल्प के रूप में मल-मूत्र का निपटान इस प्रयोजन के लिए तैयार किए गए पक्के टेंक के नल पर विष्ठा की एक परत रख कर और उसे रद्दी या कूड़े की 15 सें० मी० परत से ढकने के उपरान्त उसके ऊपर एक ड़ेपखवा तक मिट्टी की परत बिछाकर (जबकि वह खाद में परिवर्तित हो जायेगा) किया जा सकेगा ।

(ix) कार्यस्थल पर नियोजित ठेकेदार के कर्मकारों तथा काम पर लगाए गये आदमियों के सम्बन्ध में सफाई कार्य तथा विष्ठा के उचित रूप से निपटान के संबंध में मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा जारी किए गये निर्देशों का पालन ठेकेदार अपने ही खर्चे पर करेगा । ठेकेदार की ओर से नगरपालिका अथवा केन्टोनमेन्ट प्राधिकरण द्वारा निष्पादित इस प्रकार के कार्य के लिए उनके द्वारा लगाये गये प्रभारों के भुगतान का उत्तरदायित्व ठेकेदार पर रहेगा ।

understood by the majority of the workers "For Men only" or "For Women only" as the case may.

(b) The notice shall also bear the figure of a man or of a woman, as the case may be.

(v) There shall be at least one urinal for male workers upto 50 and one for female workers upto fifty employed at a time. Provided that where the number of male or female workers, as the case may be exceeds 500, it shall be sufficient if there is one urinal for every 50 males or females upto the first 500 and one for every 100 or part thereof, thereafter.

(vi) (a) The latrines and urinals shall be adequately lighted and shall be maintained in a clean and sanitary condition at all times.

(b) Latrines and urinals other than those connected with a flush sewerage system shall comply with the requirements of the Public Health Authorities.

(vii) Water shall be provided by means of a tap or otherwise so as to be conveniently accessible in or near the latrines and urinals.

(viii) Disposal of excreta : Unless otherwise arranged for by the local sanitary authority, arrangements for proper disposal of excreta by incineration at the work place shall be made by means of a suitable incinerator. Alternately excreta may be disposed of by putting a layer of night soil at the bottom of a pucca tank prepared for the purpose and covering it with a 15 cm layer of waste or refuse and then covering it with a layer of earth for a fortnight (when it will turn into manure).

(ix) The contractor shall, at his own expense, carry out all instructions issued to him by the Circle/Branch Office to effect proper disposal of soil and other conservancy work in respect of the contractors' workmen or employees on the site. The contractor shall be responsible for payment of any charges which may be levied by Municipal or Cantonment Authority for execution of such work on his behalf.

7. विश्राम के लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था :

प्रत्येक कार्यस्थल पर पुरुष तथा महिला श्रमिकों के विश्राम के लिए निःशुल्क चार उपयुक्त शेडों का प्रबन्ध होगा, दो पुरुषों के लिए तथा दो महिलाओं के लिए अलग-अलग। इन आश्रय-स्थल की फर्श से छत के नीचे भाग की ऊंचाई 3 मीटर से कम नहीं होगी, ये स्थान प्रति व्यक्ति 0.6 वर्ग-मीटर के हिसाब से बनाए जायेंगे और उन्हें साफ-सुथरा रखा जायेगा।

इस प्रयोजन के लिए निर्माणाधीन भवन का एक भाग तथा अन्य वैकल्पिक स्थान का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि मंडल/शाखा अधिका ी इस बात से संतुष्ट हो और इसके लिए अनुमति दे दें।

8. शिशु कक्ष :

(क) प्रत्येक कार्यस्थल पर जहां पर सामान्यतः 20 या इससे अधिक महिला श्रमिक कार्यरत है जहां पर उनके 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त आकार के दो कमरों की व्यवस्था की जाएगी एक कमरा बच्चों के रखने के लिए होगा तथा दूसरा कमरा उनके सोने के लिए, ये कमरे मानक के आधार पर बनाए जायेंगे जो निम्नलिखित से कम स्तर के नहीं होंगे :—

(i) घास फूस की छत।

(ii) मिट्टी की दीवारे तथा फर्श।

(iii) मिट्टी के फर्श पर तख्ते बिछे हों और चटाई से ढके हो।

(ख) कमरों में उपयुक्त प्रकाश तथा रोशनदान की व्यवस्था होगी। इन स्थानों को साफ रखने के लिए मेहतरों का भी प्रबन्ध होना चाहिए।

(ग) ठेकेदार खेल के कमरे में उचित संख्या में खिलौने तथा सोने के कमरे में उपयुक्त चारपाई बिस्तर का प्रबन्ध करेगा।

(घ) 50 महिला श्रमिकों की संख्या तक-बच्चों की देखरेख के लिए ठेकेदार एक दाई रखेगा तथा 50 से अधिक संख्या पर 2 दाई रखेगा।

(ङ) शिशु कक्ष के लिए निर्धारित कमरों में केवल बच्चे, उनके रखवाले तथा उनकी माताएं ही आ जा सकेंगी।

9. कैंटीन :

(1) ऐसे कार्यस्थलों में, जहां पर नियुक्त ठेके-श्रमिकों को छह मास तक रहने की सम्भावना हो तथा जहां पर ठेके

7. Shelter for rest :

At every place there shall be provided, free of cost, four suitable sheds, two for males and the other two for females for rest separately for the use of men and women labour. The height of each shelter shall not be less than 3 metres from the floor level to the lowest part of the roof. These shall be kept clean and the space provided shall on the basis of 0.6 sq. m. per head.

Provided that the Circle/Branch Officer may permit, subject to his satisfaction, a portion of the building under construction or other alternative accommodation to be used for the purpose.

8. Creches :

(a) at every work place, at which 20 or more women workers are ordinarily employed, there shall be provided two rooms of reasonable dimensions for the use of their children under the age of six years. One room shall be used as a play room for the children and the other as their bed-room. The rooms shall be constructed on a standard not lower than the following :—

(i) thatched roof.

(ii) mud floors and walls.

(iii) planks spread over the mud floor and covered with matting.

(b) The rooms shall be provided with suitable and sufficient openings for light and ventilation. There shall be adequate provision of sweepers to keep the places clean.

(c) The contractors shall supply adequate number of toys and games in the play-room and sufficient number of cots and beddings in the bed room.

(d) The contractor shall provide one Dai to look after the children in a creche when the number of women workers does not exceed 50 and two Dais when the number of women workers exceed 50.

(e) The use of the rooms earmarked as creches shall be restricted to children, their attendants and mothers of the children.

9. Canteens :

(1) In every work place where the work regarding the employment of contract labour

के श्रमिकों की संख्या सामान्यतया 100 या उससे अधिक हो, वहां पर ऐसे श्रमिकों के लिए ठेकेदार एक उपयुक्त कैन्टीन की व्यवस्था करेगा ।

(2) इस कैंन्टीन को ठेकेदार भलीभांति चलाएगा ।

(3) इस कैंन्टीन में कम से कम एक खाना खाने का हाल, रसोई, स्टोर होगा तथा वर्तनों को साफ करने और कर्मकारों के नहाने के लिए अलग-अलग स्थान होगा ।

(4) जब कभी कोई कैंन्टीन में आए तो इसमें उपयुक्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए ।

(5) इसका फर्श चिकना हो तथा दुर्भेद्य सामग्री से निर्मित होना चाहिए तथा कम से कम एक वर्ष अन्दर की दीवारों का चूना अथवा रंग से पुताई होनी चाहिए ।

शर्त यह है कि रसोई की दीवारों पर भीतर की ओर हर महीने में एक बार चूने से पुताई की जाएगी ।

(6) कैंन्टीन के स्थान को साफ-सुथरा हाल में रखा जाय ।

(7) गन्दे पानी को एक ढकी हुई नाली के द्वारा बहाया जायेगा तथा इसे एक स्थान पर एकत्र नहीं होने दिया जायेगा जिससे गन्दगी हो ।

(8) कूड़ा करकट को एकत्र करने तथा उसको उठाने के लिए उचित प्रबन्ध होगा ।

(9) खाना खाने के हाल में एक समय में ठेके के श्रमिकों की कुल संख्या के 30 प्रतिशत आदमियों के बैठने का स्थान होना चाहिए ।

(10) खाना खाने के हाल में, जिसमें सर्विस काउन्टर तथा फर्नीचर को छोड़ कर, जिसमें मेज, कुर्सी शामिल नहीं है, प्रत्येक भोजन खाने वाले के लिए उप-नियम 9 में निर्धारित के अनुसार एक वर्ग मीटर से कम स्थान नहीं होना चाहिए ।

(11) (i) खाना खाने के हाल तथा सर्विस काउन्टर को महिला श्रमिको के अनुपात के अनुसार विभाजित कर महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाय ।

(ii) महिलाओं के लिए नहाने, कपड़े धोने का स्थान अलग होना चाहिए तथा उनकी गोपनीयता के बचाव के लिए ओट होनी चाहिए ।

is likely to continue for six months and wherein contract labour numbering one hundred or more are ordinarily employed, an adequate canteen shall be provided by the contratcor for the use of such contract labour.

(2) The canteen shall be maintained by the Contractor in an efficient manner.

(3) The canteen shall consist of at least a dining hall, kitchen, store room, pantry and washing places separately for workers and utensils.

(4) The canteen shall be sufficiently lighted at all times when any person has access to it.

(5) The floor shall be made of smooth and impervious material and inside walls shall be lime washed or colour washed at least once in each year.

Provided that the inside walls of the kitchen shall be lime-washed every four months.

(6) The precints of the canteen shall be maintained in a clean and sanitary condition.

(7) Waste water shall be carried away in suitable covered drains and shall not be allowed to accumulate so as to cause a nuisance.

(8) Suitable arrangements shall be made for the collection and disposal of garbages.

(9) The dining hall shall accommodate at any time 30 per cent of the contract labour working at a time.

(10) The floor area of the dining hall, excluding the area occupied by the service counter and any furniture except tables and chairs shall not be less than one square meter per diner to be accommodated as prescribed in sub-Rule 9.

(11) (i) A portion of the dining hall and service counter shall be partioned off and reserved for women workers, in proportion to their number.

(ii) Washing places for women shall be separate and screened to secure privacy.

(12) उप-नियम 9 में निर्दिष्ट खाना खाने वालों के लिए मेज़, कुर्सी, स्टूल अथवा बच उपयुक्त संख्या में विद्यमान रहने चाहिए ।

(13) (क) (i) कैंटीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयुक्त मात्रा में बर्तन, क्रोकरी, फर्नीचर तथा उसके आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ii) फर्नीचर, बर्तन तथा अन्य उपकरण साफ होने चाहिए तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हों ।

(ख) (i) कैंटीन में काम करने वालों को साफ कपड़े दिए जायें तथा उन कपड़ों को साफ रखा जाय ।

(ii) सर्विस काउन्टर यदि कोई हो तो उसके ऊपर का भाग साफ सुथरा तथा अभेद्य सामग्री का बना हो ।

(iii) बर्तनों तथा उपकरणों को धोने के लिए गम पानी के साथ-साथ उपयुक्त सुविधा देने की व्यवस्था होगी ।

(14) कैंटीन में दिया जाने वाला खाना तथा अन्य वस्तुएं ठेके के मजदूरों की सामान्य पसन्द के अनुसार होंगी ।

(15) भोजन की कीमत अन्य वस्तुओं की कीमत जो कि कटीन में परोसी या रखी जाए "लाभ हानि" रहित आधार पर रखा जाय तथा उन्ह प्रत्यक्ष रूप से कैंन्टीन में रखा जाय ।

(16) कैन्टीन में रखे खाद्य पदार्थ का तथा अन्य पदार्थों का मुख्य निर्धारण करते समय निम्नलिखित मदों को खर्चे की मद न समझी जाए, जैसे कि :—

(क) भूमि तथा भवन का किराया,

(ख) भवन का तथा कैंटीन में रखे गये उपकरणों का ह्रास तथा अनुरक्षण प्रभार,

(ग) उपकरणों जिसमें, फर्नीचर, क्रोकरी, चम्मच तथा बर्तन शामिल हैं, खरीद, मरम्मत तथा बदलाव की कीमत ,

(घ) पानी के प्रभार तथा प्रकाश और हवा के लिए खर्च किए गये प्रभार,

(12) Sufficient tables. stool, chairs or benches shall be available for the number of diners to be accommodated as prescribed in Sub-rule 9.

(13) (a) (i) There shall be provided and maintained sufficient utensils, crockery, furniture and any other equipments necessary for the efficient running of the canteen.

(ii) The furniture, utensils and other equipments shall be maintained in a clean and hygienic condition.

(b) (i) Suitable clean clothes for the employees serving in the canteen shall be provided and maintained.

(ii) A service counter, if provided, shall have top of smooth and impervious material.

(iii) Suitable facilities including adequate supply of hot water shall be provided for the cleaning of utensils and equipments.

(14) The food stuffs and other items to be served in the canteen shall be in conformity with the normal habits of the contract labour.

(15) The charges for food stuffs, beverages and any other items served in the canteen shall be based on 'No profit, No loss' and be conspicuously displayed in the canteen.

(16) In arriving at the price of food stuffs, and other articles served in the canteen, the following items shall not be taken into consideration as expenditure, namely :—

(a) The rent of land and building;

(b) The depreciation and maintenace charge for the building and equipments provided for the canteen;

(c) The cost of purchase, repairs and replacement of equipments including furniture, crockery, cutlery and utensils ;

(d) The water charges and other charges incurred for lighting and ventilation ;

(ङ) कैंटीन के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने उनके अनुरक्षण करने में खर्च की गई राशि तथा उसका ब्याज ।

(17) कैंटीन से सम्बन्धित लेखे की लेखा परीक्षा प्रत्येक 12 महीने में एक बार व पंजीकृत लेखकार तथा लेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा ।

10. मलरिया उन्मूलन के लिए उपाय :

मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा मलेरिया उन्मूलन के बारे में दी गई हिदायतों के अनुसरण के साथ-साथ ठेकेदार अपने ही खर्च पर ऐसे गड्ढो को भी भरेगा जिन्हें उसने खुदवाया हो ।

11. उपयुक्त नियमों को निविदा तथा निविदा आमन्त्रण सूचना में शामिल किया जायेगा तथा वह ठेके का एक अंगभूत माना जाएगा ।

12. संशोधन :

सरकार समय-समय पर इन नियमों में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकती है तथा इन नियमों के लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से उपयुक्त निर्देशन जारी कर सकती है ।

(c) The interest and amounts spent on the provision and maintenance and equipments provided for in the canteen.

(17) The accounts pertaining to the canteen shall be audited once every 12 months by registered accountants and auditors.

10. Anti-Malarial Precautions :

The contractor shall at his own expense, conform to all anti-malaria instructions given to him by the Circle/Branch Officer including the filling up of any narrow pits which may have been dug by him.

11. The above rules shall be incorporated in the contracts and in notices inviting tenders and shall form an integral part of the contracts.

12. Amendments :

Government may, from time to time, add to or amend these rules and issue such directions as it may consider necessary for the purpose of removing any difficulty which may arise in the administration thereof.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ठेका श्रम विनियम

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA CONTRACT LABOUR REGULATIONS

1. संक्षिप्त नाम :

इन विनियमों को "भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ठेका श्रम विनियम" कहा जायेगा ।

2. (i) परिभाषाएं :

"कर्मकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निर्माण विभाग द्वारा या उसके ठेकेदार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी उप-ठेकेदार द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ज्ञान या बिना ज्ञान के, किराया या इनाम पर किसी कुशल, अर्धकुशल श्रमिक, पर्यवेक्षक, तकनीकी या लिपिकीय कार्य करने के लिये नियोजित किया गया हो चाहे नियोजन की शर्तें लिखित हों या अन्तर्निहित लेकिन इसमें निम्नलिखित ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं होगा :—

(क) जो मुख्यतया प्रबन्धकीय या प्रशासनिक तौर पर लगाया गया हो, या

(ख) वह जिसे पर्यवेक्षक के तौर पर लगाया गया हो और 500 रुपये से अधिक मजदूरी प्रति मास ले रहा हो या मुख्यतया प्रबन्धकीय प्रकार का कार्य या तो कार्यालय में ड्यूटी के प्रकार के कारण या उसे दी गई शक्तियों के कारण करता हो,

(ग) जो बाहरी कर्मकार, हो अर्थात् वह व्यक्ति जिसे मुख्य नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से किसी प्रकार की वस्तुएं या सामग्री बनाने के लिए, साफ करने के लिए, धोने के लिए, बदलने के लिए, पालिश कराने के लिए, मरम्मत के लिए या मुख्य नियोक्ता के व्यापार के उद्देश्य से बिक्री के लिए अन्यथा संसाधन करने के लिए दी गई हो और संसाधन प्रक्रिया या तो बाहर के कर्मकार के घर में या किसी और स्थान पर किया जाना हो जो केन्द्रीय या मुख्य नियोक्ता के प्रबन्ध में परिसर न हो ।

(ii) "उचित मजदूरी" से वह मजदूरी चाहे वह कालानुपाती काम के अथवा मात्रानुपाती काम के लिए हो जो समय समय पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत निश्चित या अधिसूचित की गई हो ।

(iii) "ठेकेदार" में प्रत्येक व्यक्ति शामिल होगा जो ठेका मजदूरों द्वारा वस्तुओं या उत्पादन की वस्तुओं के

1. Short Title :

These regulations may be called the "Archaeological Survey of India Contractors' labour Regulations".

2. (i) Definitions :

"Workman" means any person employed by the Archaeological Survey of India or its contractor directly or indirectly through a sub-contractor, with or without the knowledge of the Archaeological Survey of India, to do any skilled, semi-skilled or unskilled manual, supervisory, technical or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment are expressed or implied but does not include any persons:—

(a) Who being employed mainly in a managerial or administrative capacity; or

(b) Who being employed in a supervisory capacity draws wages exceeding five hundred rupees per mensum or exercises either by the nature of the duties attached to the office or by reason of power vested in him, functioning mainly of managerial nature ;

(c) Who is an out worker, that is to say, a person to whom any articles or materials are given out by or on behalf of the principal employer to be made up cleaned, washed, altered, ornamental finished, repaired, adopted or otherwise processed for sale for the purposes of the trade or business of the principal employer and the process is to be carried out either in the home of the out worker or in some other premises, not being premises under the central and management of the principal employer.

(ii) "Fair Wages" means wages for time or piece work fixed and notified under the provisions of the Minimum Wages Act from time to time.

(iii) "Contractors" shall include every person who undertakes to produce a given

अतिरिक्त दिये गये कार्य को परिणामार्थ हाथ में ले या जो किसी कार्य के लिए ठेके पर मजदूर सप्लाई करे तथा इसमें उप-ठेकेदार शामिल है ।

(iv) "मजदूरी" का वही अर्थ होगा जो मजदूरी संदाय अधिनियम में परिभाषित है ।

(2) (क) प्रसामान्यतः किसी वयस्क कर्मचारी के काम का समय दिन में 9 घंटे और बच्चे के लिए 41/2 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए । कार्य दिवस की व्यवस्था इस प्रकार से की जाएगी कि विश्राम का मध्य-अवकाश, यदि कोई हो, मिला कर उसका विस्तार किसी भी दिन 12 घंटे से अधिक न हो ।

(2) (ख) यदि किसी वयस्क कर्मकार से किसी दिन 9 घंटे या किसी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम कराया जाए तो उसे कार्य के अतिरिक्त समय के लिए मजदूरी की साधारण दर की दुगुनी दर से समयोपरि मजदूरी संदत्त की जाएगी । बच्चे से अतिरिक्त समय में काम नहीं कराया जाएगा ।

(2) (ग) (i) प्रत्येक कर्मकार को इस बात का विचार किए बिना कि वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा शामिल होता है, अथवा नहीं समय-समय पर यथा संशोधित न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियमावली, 1960 के उपबन्धों के अनुसार सामान्यतः रविवार को साप्ताहिक छुट्टी दी जाएगी ।

(ii) यहां न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में साप्ताहिक विश्राम के दिन की तिन मजदूरी शामिल नहीं है वहां कर्मकार पिछले दिन को देय मजदूरी की दर पर विश्राम दिवस की मजदूरी का पात्र होगा । बशर्तें उसने उसी ठकेदार के अधीन निरन्तर 6 दिन से कम की अवधि तक कार्य न किया हो ।

(iii) यदि मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा ठेकेदार को किसी कर्मकार से सामान्य अवकाश वाले दिन कार्य करवाने की अनुमति दी जाती है तो वह उसको सामान्य साप्ताहिक अवकाश के फौरन पांच दिन पूर्व अथवा पश्चात् के किसी भी दिन को सारे दिन का प्रतिपूर्ति अवकाश देगा तथा ऐसे कर्मकार को सामान्य साप्ताहिक

result other than a mere supply of goods or articles of manufacture through contract labour or who supplies contract labour for any work and includes a sub-contractor.

(iv) "wages" shall have the same meaning as defined in the Payment of Wages Act.

(2) (a) Normally working hours of an adult employee should not exceed 9 hours a day and in case of a child 4½ hours a day. The working day shall be so arranged that inclusive of interval for rest, if any, it shall not spread over more than 12 hours on any day.

(2) (b) When an adult worker is made to work for more than 9 hours on any day or for more than 48 hours in any week he shall be paid overtime for the extra hours put in by him at double the ordinary rates of wages. Children shall not be made to work extra hours.

(2) (c) (i) Every worker shall be given a weekly holiday normally on a Sunday, in accordance with the provisions of the Minimum Wages (Central) Rules 1960 as amended from time to time, whether such worker is governed by the Minimum Wages Act or not.

(ii) Where the Minimum Wages prescribed by the Government under the Minimum Wages Act are not inclusive of the wages for the weekly day of rest, the worker shall be entitled to rest day wages at the rate applicable to next preceding day, provided he has worked under the same contractor for a continuous period of not less than 6 days.

(iii) Where a contractor is permitted by the Circle/Branch Officer to allow a worker to work on a normal weekly holiday, he shall grant substituted holiday to him for the whole day or one of the five days immediately before or after the normal weekly holiday and pay wages to such worker

अवकाश के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए समयोपरि दर पर भुगतान करेगा ।

3. मजदूरी आदि के संबंध में नोटिस लगाना :

ठेकेदार अपने ठेके का काम प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यस्थल के सहज द्रष्टव्य स्थानों पर अंग्रेजी में और अधिकांश कर्मकारों द्वारा बोली जाने वाली स्थानीय भारतीय भाषा में स्वच्छ और सुवाच्य अक्षरों में ऐसा नोटिस लगाएगा और लगाता रहेगा और सही-सही लगाता रहेगा जिन में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निश्चित मजदूरी की न्यूनतम दरें दी जा रही वास्तविक मजदूरी, ऐसी अर्जित की जाने वाली मजदूरी के कार्य के घंटे मजदूरी की अवधि, मजदूरी भुगतान की तिथियां तथा परिशिष्ट "क" के अनुसार अन्य सम्बन्धित सूचनाओं का उल्लेख होगा ।

4. मजदूरी का भुगतान :

(i) ठेकेदार ऐसी मजदूरी कालावधियां, जिनके बारे में मजदूरी देय होगी, नियत करेगा ।

(ii) किसी भी मजदूरी की कालावधि एक मास से अधिक नहीं होगी ।

(iii) ऐसी स्थापनाओ में ठेके पर नियोजित अथवा ठेकेदार द्वारा नियोजित प्रत्येक कर्मकार को जहां ऐसे कर्मकारों की संख्या 1,000 से कम है मजदूरी संदाय की मजदूरी कालावधि की समाप्ति अन्तिम दिन के पश्चात् मजदूरी 7 वे दिन से पूर्व तथा अन्य मामलों में 10 वे दिन की समाप्ति से पूर्व की जाएगी ।

(iv) जब ठेकेदार द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी कर्मकार का नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा, तो उसके द्वारा अर्जित मजदूरी की अदायगी उसके नियोजन के समाप्त होने के दूसरे दिन की समाप्ति से पूर्व ही कर दिया जाएगा ।

(v) मजदूरी की सारी अदायगी काम के दिन कार्यस्थल पर तथा कालावधि में और पूर्व अधिसूचित तिथि पर की जायेगी और यदि कार्य मजदूरी अवधि की समाप्ति से पूर्व पूर्ण हो जाता है, अन्तिम अदायगी काम के अन्तिम दिन के पश्चात् 48 घन्टों में की जाएगी ।

(vi) प्रत्येक कर्मकार का देय मजदूरी का भुगतान उसको सीधे अथवा इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए अन्य व्यक्ति को दिया जायेगा ।

(vii) सभी मजदूरी का भुगतान प्रचलित सिक्कों अथवा नोटों अथवा दोनों में किया जाएगा ।

for the work performed on the normal weekly holdiday at overtime rate.

3. Display of notice regarding wages, etc. :

The contractor shall before he commences his work on contract, display and correctly maintain and continue to display and correctly maintain in clean and legible condition in conspicuous places on the work, notices in English and in the local Indian languages spoken by the majority of the workers, giving the minimum rates of wages fixed under the Minimum Wages Act, the actual wages being paid, the hours of work for which such wages are earned, wage periods, dates of payment of wages and other relevant information as per Appendix 'A'.

4. Payment of wages :

(i) The contractor shall fix wage periods in respect of which wages shall be payable.

(ii) No wage period shall exceed one month.

(iii) The wages of every person, employed as contract labour by a contractor in an establishment where less than one thousand such persons are employed shall be paid before the expiry of the seventh day and in other cases before the expiry of tenth day after the last day of the wages period in respect of which the wages are payable.

(iv) Where the employment of any worker is terminated by on on behalf of the contractor the wages earned by him shall be paid before the expiry of the second working day from the date on which his employment is terminated.

(v) All payments of wages shall be made on a working day at the work premises and during the working time on a date notified in advance and in case the work is completed before the expiry of the wage period, final payment shall be made within 48 hours of the last working day.

(vi) Wages due to every worker shall be paid to him direct or to other person authorised by him in his behalf.

(vii) All wages shall be paid in current coin or currency or in both.

(viii) मजदूरी का भुगतान किसी प्रकार की कटौती के बिना किया जायेगा सिवाय उनके जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में सामान्य अथवा विशेष आदेशों में निर्दिष्ट की गई हों अथवा जो मजदूरी संदाय अधिनियम में ग्राह्य हैं ।

(ix) मजदूरी अवधि तथा मजदूरी वितरण का स्थान और समय की सूचना कार्यस्थल पर प्रदर्शित की जाएगी तथा ठेकेदार उनकी एक प्रति मंडल/शाखा अधिकारी को प्राप्ति स्वीकृति के अधीन भेजेगा ।

(x) ठकेदार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उपाधीक्षक पुरातत्वविद् या मंडल/शाखा अधिकारी को किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसका ठेकेदार द्वारा कर्मकारों को मजदूरी भुगतान के स्थान तथा समय पर उपस्थित रहना अपेक्षित हो, की उपस्थिति में भुगतान करना सुनिश्चित करे ।

(xi) ठेकेदार, उपाधीक्षक पुरातत्वविद् या मंडल/शाखा अधिकारी का प्राधिकृत प्रतिनिधि से जो भी हो, उसके हस्ताक्षरों सहित "मजदूरी रजिस्टर" अथवा "मजदूरी तथा मास्टर रोल" में जो भी हो, प्रविष्टियों के अंत में प्रमाण पत्र निम्नलिखित रुप में लेगा :

"यह प्रमाणित किया जाता है कि स्तम्भ नं०....... में दिखाई गई राशि का भुगतान सम्बन्धित कर्मकारों को दिनांक ....को.......... में पर मेरी उपस्थिति में किया गया है ।"

5. जुर्माने तथा कटौतियां जो मजदूरी से की जा सकेंगी :—

(i) निम्नलिखित को छोड़कर कर्मकार की मजदूरी किसी प्रकार की कटौती किये बिना ही उसको अदा की जाएगी :—

(क) जुर्माना ।

(ख) काम से अर्थात् उस स्थान या स्थानों से जहां उसके नियोजन की शर्तो द्वारा उससे कार्य करने की अपेक्षा की गई है, अनुपस्थित रहने के लिए कटौती की राशि उसकी अनुपस्थिति की अवधि के अनुपात में होगी ।

(ग) नियोजित व्यक्ति को स्पष्ट रुप से अधिरक्षा के लिए सौंपे गये माल को हुए नुकसान या हानि या धन की हानि या कोई अन्य कटौती जिसके लिए उससे हिसाब देने की अपेक्षा की जाती है, जहां

(viii) Wages shall be paid without any deductions of any kind except those specified by the Central Government by general or special order in this behalf or permissible under Payment of Wages Act 1956.

(ix) A notice showing the wage period and the place and time of disbursement of wages shall be displayed at the place of work and a copy sent by the contractor to the Circle/Branch Officer under acknowledgement.

(x) It shall be the duty of the contractor to ensure the disbursement of wages in the presence of the Dy. Superintending Archaeologist or any other authorised representative of the Circle/Branch Officer who will be required to be present at the place and time of disbursement of wages by the contractor to workmen.

(xi) The contractor shall obtain from the Dy. Superintending Archaeologist or any other authorised representative of the Circle/Branch Officer as the case may be, a certificate under his signature at the end of the entries in the "Register of wages" or the "Wages-*cum*-Muster Roll" as the case may be in the following form :

"Certified that the amount shown in column No. .... has been paid to the workman concerned in my presence on .... at ....".

5. Fines and deductions which may be made from wages :

(i) The wages of a worker shall be paid to him without any deductions of any kind except the following :—

(a) Fines.

(b) Deductions for absence from duty i.e. from the place or the places where by the terms of his employment he is required to work. The amount of deduction shall be in proportion to the period for which he was absent.

(c) Deduction for damage to or loss of goods expressly entrusted to the employed person for custody, or for loss of money or any other deduction which he is required to account,

इस प्रकार का नुकसान या हानि प्रत्यक्षत: उसके द्वारा उपेक्षा या व्यतिक्रम करने के फलस्वरूप मानी गई हो ।

(घ) अग्रिम धन की वसूली के लिए या मजदूरी की अधिक अदायगी का समायोजन करने के लिए कटौती, दिये गये अग्रिम धन की रजिस्टर में इन्दराज किया जाएगा ।

(ङ) कोई अन्य कटौती जिसे समय समय पर केन्द्रीय सरकार करने की अनुज्ञा दे ।

(ii) किसी कर्मकार पर उसकी ओर से ऐसे कृत्यों और भूलों की बावत किए गए जुर्माने को छोड़कर, जो मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो, कोई जुर्माना नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी.—कृत्यों तथा भूलों जिनके लिए जुर्माना किया जा सकता है, की अनुमोदित सूची परिशिष्ट I में दी गई है ।

(iii) कर्मकार पर तब तक कोई जुर्माना नहीं किया जाएगा और न उसकी मजदूरी में से नुकसान या हानि के लिए कोई कटौती ही की जाएगी जब तक कि उसे ऐसे जुर्माने या कटौतियों के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दिया जाए ।

(iv) किसी कर्मकार पर किसी एक मजदूरी के समय में किए गए जुर्माने की कुल रकम उस मजदूरी की कालावधि की बावत उसको देय मजदूरी में एक रुपये पर तीन पैसे से अधिक नहीं होगी ।

(v) किसी कर्मकार पर किया गया कोई जुर्माना उससे, किश्तों में, या जुर्माना किए जाने की तारीख से 60 दिन बीतने के बाद वसूल नहीं किया जाएगा ।

(vi) प्रत्येक जुर्माना उस दिन अधिरोपित किया गया समझा जाएगा, जिस दिन वह कृत्य या भूल की गई हो जिसके निमित्त जुर्माना किया गया है ।

6. श्रम संबंधी अभिलेख :

(i) ठेकेदार, ठेके के काम पर "नियोजित व्यक्तियों का रजिस्टर ठेका श्रम (नियमन तथा उत्सादन) (केन्द्रीय) नियमावली, 1971 (परिशिष्ट "ख") के प्रपत्र 13 में रखेगा ।

(ii) ठेकेदार उसके द्वारा ठेके के काम पर नियोजित सभी कर्मकारों के संबंध में ठेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उत्सादन) (केन्द्रीय) नियम, 1971 के परिपत्र 16 (परिशिष्ट–"ग") में मस्टर रोल रखेगा ।

where such damage or loss is directly attributable to neglect or defualt.

(d) Deduction for recovery of advances or adjustment of over-payment of wages, advances granted shall be entered in a register.

(e) Any other deduction which the Central Government may from time to time allow.

(ii) No fines should be imposed on any worker save in respect of such acts and omissions on his part as have been approved of by the Chief Labour Commissioner.

NOTE.—An approved list of acts and omissions for which fines can be imposed is enclosed in Appendix-I.

(iii) No fine shall be imposed on a worker and no deduction for damage or loss shall be made from his wages until the worker has been given an opportunity of showing cause against such fines or deductions.

(iv) The total amount of fine which may be imposed in any one wage period on a worker shall not exceed an amount equal to three paise in a rupee of the total wages payable to him in respect of that wage period.

(v) No fine imposed on any worker shall be recovered from him by instalment, or after the expiry of sixty days from the date on which it was imposed.

(vi) Every fine shall be deemed to have been imposed on the day of the act or omission in respect of which it was imposed.

6. Labour Records :

(i) The contractor shall maintain a "Register of persons employed" work on contract in Form XIII of the CL(R&A) (Central) Rules 1971 (Appendix B).

(ii) The contractor shall maintain a "Muster Roll" register in respect of all workmen employed by him on the work under contract in Form XVI of the CL(R&A) Central Rules 1971 (Appendix C).

(iii) ठेकेदार उसके द्वारा ठेके के काम पर नियोजित सभी कर्मकारों के संबंध में (नियमन तथा उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 (परिशिष्ट "घ") के परिपत्र 17 में एक मजदूरी रजिस्टर रखेगा ।

(iv) दुर्घटनाओं का रजिस्टर—ठेकेदार ऐसे प्रपत्र में जो कार्यस्थल पर सुविधाजनक हो, दुर्घटनाओं का एक रजिस्टर रखेगा, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित बातें होंगी :—

(क) उन श्रमिकों के पूरे ब्यौरे जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हों

(ख) मजदूरी की दर

(ग) लिंग

(घ) आयु

(च) दुर्घटना की प्रकृति और उसका कारण

(छ) दुर्घटना का समय और तारीख

(ज) अस्पताल में दाखिल होने की तारीख और समय

(झ) अस्पताल छोड़ने की तारीख

(ट) उपचार की अवधि और उसका परिणाम

(ठ) चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमानित सामर्थ्य की हानि और निःशक्तता की प्रतिशतता

(ड) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन दिया जाने वाला अपेक्षित दावा

(ढ) क्षतिपूर्ति की अदायगी की तारीख

(त) संदत्त रकम और उस व्यक्ति का ब्यौरा जिसे वह रकम संदत्त की गई ।

(थ) प्राधिकारी जिसके द्वारा प्रतिकर निर्धारित किया गया

(द) टिप्पणियां ।

(v) जुर्माने का रजिस्टर—ठेकेदार, ठेका श्रम (नियमन तथा उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के प्रारूप 12 में एक जुर्माने का रजिस्टर रखेगा (परिशिष्ट "ज") ।

ठेकेदार जिन कृत्यों तथा भूलों के लिए जुर्माना किया जा सकता है की अनुमोदित सूची कार्यस्थल के सहज द्रष्टव्य स्थान पर अच्छी हालत में प्रदर्शित करेगा (परिशिष्ट "ट") ।

(vi) कटौतियों का रजिस्टर—ठेकेदार, ठेके का श्रम (नियमन तथा उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के

(iii) The contractor shall maintain a "Wages Register" in respect of all workmen employed by him on the work under contract in Form XVII of the CL (R&A) Central Rules, 1971 (Appendix-D).

(iv) Register of accidents.—The contractor shall maintain a register of accidents in such form as may be convenient at the work place but the same shall include the following particulars :

(a) Full particulars of the labourers who met with accident.

(b) Rate of wages.

(c) Sex.

(d) Age.

(e) Nature of accident and cause of accident.

(f) Time and date of accident.

(g) Date and time when admitted in hospital.

(h) Date of discharge from the Hospital.

(i) Period of treatment and result of treatment.

(j) Percentage of loss of earning capacity and disability as assessed by Medical Officer.

(k) Claim required to be paid under Workmen's Compensation Act.

(l) Date of payment of compensation.

(m) Amount paid with details of the person to whom the same was paid.

(n) Authority by whom the compensation was assessed.

(o) Remarks.

(v) Register of Fines—The contractor shall maintain a "Register of Fines" in the Form XII of the CL(B&A) Central Rules, 1971 (Appendix-H).

The contractor shall display in a good condition and in a conspicuous place of work the approved list of acts and omissions for which fines can be imposed (Appendix-I).

(vi) Register of Deductions—The contractor shall maintain a "Register of deductions

प्रारूप 20 (परिशिष्ट "ठ") में नुकसान तथा हानियों के लिए कटौतियों का एक रजिस्टर रखेगा ।

(vii) अग्रिम रजिस्टर—ठेकेदार, ठेका श्रम (नियमन तथा उत्सादन) (केन्द्रीय) नियम, 1971 के प्रारूप 22 (परिशिष्ट "ड") में एक अग्रिम रजिस्टर रखेगा ।

(viii) समयोपरि रजिस्टर—ठेकेदार, ठेका श्रम (नियमन तथा उत्सादन) (केन्द्रीय) नियम, 1971 के प्रारूप 23 (परिशिष्ट "ढ") में एक "समयोपरि रजिस्टर" रखेगा ।

7. उपस्थिति कार्ड तथा मजदूरी पर्ची :

(i) ठेकेदार उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक कर्मकार को ठेका श्रम (नि.उ.) के.नि. 1971 परिशिष्ट "च" पर दिये गये नमूना-प्रारूप के अनुसार एक उपस्थिति कार्ड तथा मजदूरी पर्ची देगा ।

(ii) यह कार्ड प्रत्येक मजदूरी कालावधि के लिए वैध होगा ।

(iii) ठेकेदार कार्ड पर प्रत्येक कर्मकार को प्रतिदिन दो बार कार्य आरम्भ पर तथा विश्राम मध्यांतर के पश्चात् उपस्थिति लगायेगा ।

(iv) यह कार्ड संबंधित मजदूरी कालावधि के दौरा कर्मकार के कब्जे में रहेगा ।

(v) ठेकेदार संबंधित मजदूरी कालावधि की मजदूरी देने से पूर्व कार्ड के पीछे के मजदूरी पर्ची के भाग को पूर्ण करेगा ।

(vi) ठेकेदार मजदूरी देते समय मजदूरी पर्ची पर कर्मकार के हस्ताक्षर लेगा अथवा अंगूठे का निशान लगाएगा तथा कार्ड को स्वयं अपने पास रखेगा ।

8. नियोजन कार्ड :

ठेकेदार प्रत्येक कर्मकार को उसके नियोजन किए जाने के तीन दिन के अन्दर ठेका श्रम (नियोमन तथा उत्सादन) (केन्द्रीय) नियम, 1971 के प्रारूप 14 में (परिशिष्ट "छ") एक नियोजन कार्ड देगा ।

9. सेवा प्रमाण-पत्र :

किसी भी कारण से नियोजन के समाप्त होने पर ठेकेदार उस कर्मकार को जिसकी सेवाएं समाप्त की गई है ठेका श्रम (नियमन तथा उत्सादन) (केन्द्रीय) नियम, 1971 के प्रारूप 15 में (परिशिष्ट "ज") एक सेवा प्रमाण-पत्र देगा ।

10. श्रम अभिलेखों को सुरक्षित रखना :

विनियमन सं० 6 तथा 7 के अधीन रखे जाने वाले अपेक्षित सभी अभिलेखों को उनमें की गई अन्तिम प्रविष्टि

for damage of loss" in Form XX of the CL(R&A) Central Rules, 1971 (Appendix-J).

(vii) Register of Advances— The Contractor shall maintain a "Register of Advances" in Form XXII of the CL(R&A) (Central) Rules, 1971 (Appendix-K).

(viii) Register of Overtime—The contractor shall maintain a "Register of Overtime" in Form XXIII of the CL(R&A) Central Rules, 1971 (Appendix-L).

7. Attendance Card-cum-wage slip :

(i) The contractor shall issue an attendance card-cum-wage slip to each workman employed by him as per the specimen form at (Appendix-E) of the CL(R&A) (Central) Rules, 1971.

(ii) The card shall be valid for each wage period.

(iii) The contractor shall mark the attendance of each workman on the card twice each day, once at the commencement of the day and again after the rest interval, before he actually starts work.

(iv) The card shall remain in possession of the worker during the wage period under reference.

(v) The contractor shall complete the wage slip portion on the reverse of the card at least a day prior to the disbursement of wages in respect of the wage period under reference.

(vi) The contractor shall obtain the signature or thumb impression of the worker on the wage slip at the time of disbursement of wages and retain the card himself.

8. Employment Card :

The contractor shall issue an Employment Card in Form XIV of the CL(R&A) (Central) Rules 1971 to each worker within three days of the employment of the worker (Appendix-F).

9. Service Certificate :

On termination of employment for any reason whatsoever the contractor shall issue to the workman whose services have been terminated, a service certificate in Form XV of the CL(R&A) (Central) Rules, 1971 (Appendix-G).

10. Preservation of Labour Records :

All records required to be maintained under Regulation Nos. 6 & 7 shall be pre-

की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए मूल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा तथा ये मंडल/शाखा अधिकारी, श्रम अधिकारी अथवा भा० पु० स० द्वारा संबंध में प्राधिकृत इस अन्य अधिकारियों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध किए जाएंगे ।

11. श्रम अधिकारियों को अन्वेषण या जांच करने संबंधी शक्तियां :

श्रम अधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को यह शक्ति होगी कि वह उचित मजदूरी खण्डों और विनियमों के उपबंधों का सम्यक् और उचित अनुपालन अभिनिश्चित करने और प्रवर्तित कराने की दृष्टि से जांच करे । यह ठेकेदार या उप-ठेकेदार द्वारा ऐसे उपबंधों के बारे में हुई व्यतिक्रम संबंधी किसी शिकायत का अन्वेषण करेगा ।

12. श्रम अधिकारी की रिपोर्ट :

श्रम अधिकारी या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति अपने अन्वेषण या जांच के परिणाम की एक रिपोर्ट संबंधित मंडल/शाखा अधिकारी को भेजेगा जिसमें वह व्यतिक्रम की जाने वाली सीमा यदि कोई हो उपदर्शित करेगा और साथ ही एक टिप्पण भी देगा कि ठेकेदार के बिल में से आवश्यक कटौतियों कर ली जाए और संबंधित श्रमिकों को मजदूरी और अन्य देय रकमों का भुगतान कर दिया जाए । इन विनियमों के खंड 12 के अधीन ठेकेदार द्वारा अपील किए जाने की दशा में ऐसी अपील पर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा निर्णय दे देने के बाद मंडल/शाखा अधिकारी श्रमिकों को वास्तविक रूप से भुगतान करेगा ।

(क) मंडल/शाखा अधिकारी संबंधित श्रमिकों को श्रम अधिकारी जैसी भी स्थिति हो से रिपोर्ट के प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर भुगतान की व्यवस्था करेगा ।

13. श्रम अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील :

श्रम अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विनिश्चय और सिफारिशों से कथित कोई व्यक्ति ऐसे निर्णय के विरुद्ध विनिश्चय की तारीख से 30 दिन के भीतर संबंधित मंडल/शाखा अधिकारी को अपील कर सकेगा और इसके साथ ही अपनी अपील की एक प्रति संबंधित मंडल/शाखा अधिकारी को भेजेगा किन्तु ऐसी अपील के अधीन अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा ।

served in original for a period of three years from the date of the last entries made in them and shall be made available for inspection by the Circle/Branch Officer, Labour Officer or any other officers authorised by the Archaeological Survey of India in this behalf.

11. Power of Labour Officers to make investigations or enquiry :

The Labour Officer or any other person authorised by Central Government on their behalf shall have power to make enquiries with a view to ascertaining and enforcing due and proper observance of the Fair Wages clauses and the provisions of Regulations. He shall investigate into any complaint regarding the default made by the contractor or sub-contractor in regard to such provision.

12. Report of Labour Officer :

The Labour Officer or other persons authorised as aforesaid shall submit a report of result of his investigation of enquiry to the Circle/Branch Officer concerned indicating the extent, if any to which the default has been committed with a note that necessary deductions from the contractor's bill be made and the wages and other dues be paid to the labourers concerned. In case an appeal is made by the contractor under clause 12 of these regulations, actual payment to Labourers will be made by the Circle/Branch Officer after the Director General, A.S.I., has given his decision on such appeal.

(a) The Circle/Branch Officer shall arrange payments to the labour concerned within 45 days from the receipt of the report from the Labour Officer or any other Officer so authorised by him as the case may be.

13. Appeal against the decision of Labour Officer :

Any person aggrieved by the decision and recommendations of the Labour Officer or other Officer so authorised may appeal against such decision to the Circle/Branch Officer concerned within 30 days from the date of decision, forwarding simultaneoulsy a copy of his appeal to the Director General concerned but subject to such appeal, the decision of the officer shall be final and binding upon the contractor.

14. वकील के मार्फत अभ्यावेदन के बारे में निषेध :

(i) कर्मकार इन विनियमों के अधीन किसी अन्वेषण या जांच में निम्नलिखित द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार होगा :—

(क) किसी ऐसे पंजीकृत व्यवसाय संघ का अधिकारी जिसका वह सदस्य है।

(ख) व्यवसाय संघों के ऐसे परिसंघ का अधिकारी जिससे खण्ड (क) में निर्दिष्ट व्यवसाय संघ संबद्ध है।

(ग) जहां नियोजक किसी पंजीकृत व्यवसाय संघ का सदस्य नहीं है वहां जिस उद्योग में कर्मकार नियोजित है उससे संबंधित व्यवसाय के किसी अधिकारी द्वारा अथवा किसी अन्य कर्मकार द्वारा।

(ii) नियोजक इन विनियमों के अधीन किसी अन्वेषण या जांच में निम्नलिखित द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार होगा—

(क) नियोजकों के किसी ऐसे संगठन का कोई अधिकारी जिसका वह सदस्य है।

(ख) नियोजकों के संगठन या किसी ऐसे परिसंघ का कोई अधिकारी जिससे खण्ड (क) में निर्दिष्ट संगठन संबद्ध है।

(ग) जहाँ नियोजक, नियोजकों के किसी समय का सदस्य नही है वहां जिस उद्योग में नियोजक लगा हुआ है उससे संबंधित नियोजक के किसी अधिकारी द्वारा या उस उद्योग में लगे किसी अन्य नियोजक द्वारा।

(iii) इन विनियमों के अधीन किसी अन्वेषण या जांच में कोई भी पक्षकार किसी विधिक व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए हकदार नहीं होगा।

15. बहियों और स्लिपों का निरीक्षण :

ठेकेदार अपने किसी भी कर्मकार से सम्बन्धित सभी श्रम विलेखों को उसके अभिकर्ता को सम्यक सूचना प्राप्त होने पर किसी सुविधाजनक समय और स्थान पर अनुज्ञात करेगा या श्रम अधिकारी या उसकी ओर से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को भी निरीक्षण करने देगा।

16. विवरणियों को प्रस्तुत करना :

ठेकेदार समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट सामयिकी विवरणियां प्रस्तुत करेगा।

14. Prohibition regarding representation through lawyer :

(i) A Workman shall be entitled to be represented in any investigation or enquiry under these regulations by :—

(a) An officer of a registered trade union of which he is a member.

(b) An officer of a federation of trade unions referred to in clause (a) is affiliated.

(c) Where the employer is not a member of any registered trade union, by an officer of a registered trade union, connected with, or by any other workman employed in the industry in which the worker is employed.

(ii) An employer shall be entitled to be represented in any investigation or enquiry under these regulations by—

(a) An officer of an association of employers of which he is a member.

(b) An officer of a federation or associations of employers to which association referred to in clause (a) is affiliated.

(c) Where the employer is not a member of any association of employers, by an officer of association of employers, connected with, or by any other employer, engaged in the industry in which the employer is engaged.

(iii) No party shall be entitled to be represented by a legal practioner in any investigation or enquiry under these regulations.

15. Inspection of Books and Slips :

The contractor shall allow inspection of all the prescribed labour records to any of his workers or to his agent at a convenient time and place after due notice is received or to the Labour Officer or any other person, authorised by the Central Government on his behalf.

16. Submission of Returns :

The contractor shall submit periodical returns as may be specified from time to time.

17. संशोधन :

केन्द्रीय सरकार समय समय पर विनियमों का परिवर्धन या संशोधन कर सकेगी और उन विनियमों के लागू होने, निर्वचन या प्रभावी होने के बारे में किसी प्रश्न पर संबंधित मंडल/शाखा अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

17. Amendments :

The Central Government may, from time to time, add to or amend the regulations and on any question as the application, interpretation or effect of these regulations, the decision of the Circle/Branch officer concerned in that behalf shall be final.

परिशिष्ट "क"
APPENDIX 'A'

श्रम बोर्ड
LABOUR BOARD

कार्य का नाम
Name of work . . . .

ठेकेदार का नाम
Name of Contractor . . . .

ठेकेदार का पता
Address of Contractor . . . .

मंडल/शाखा अधिकारी का नाम व पता
Name and address of Circle/Branch Officer . . . .

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के श्रम अधिकारी का नाम
Name of Archl. Survey of India Labour Officer . . . .

कार्यान्वियन अधिकारी का नाम
Name of Labour Enforcement Officer. . . . .

कार्यान्वियन अधिकारी का पता]
Address of labour enforcement officer . . . .

दिनांक :
Date ....

सं० S.No.	श्रेणी Category	न्यूनतम निर्धारित मजदूरी Minimum wage fixed	भुगतान की गई वास्तविक Actual wage paid	वर्तमान संख्या Number present	टिप्पणी Remarks

साप्ताहिक छुट्टी
Weekly holiday . . . .

मजदूरी की अवधि
Wage period . . . .

मजदूरी के भुगतान की तारीख
Date of payment of wages . . . .

काम के घंटे
Working hours . . . .

आराम का मध्यान्तर
Rest Interval . . . .

परिशिष्ट "ख"
APPENDIX 'B'

ठेकेदार द्वारा लगाए गए मजदूरों का रजिस्टर
REGISTER OF WORKERS EMPLOYED BY CONTRACTOR

ठेकेदार का नाम व पता
Name and address of contractor ....

कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है
Name and address of establishment in/under which contract is carried on ....

कार्य का स्वरूप व स्थान
Nature and location of work ....

मुख्य नियोक्ता का नाम व पता
Name and address of Principal Employer ....

क्रम संख्या Sl. No.	मजदूर का नाम और उपनाम Name and Surname of workman	आयु तथा लिंग Age and Sex	पिता/पति का नाम Father's/Husband's Name	कार्य का स्वरूप/पद का नाम Nature of employment/designation	मजदूर का स्थायी गृहपता (गांव व तहसील, तालुक और जिला) Permanent home address of the workman (Village and Tehsil, Taluk and District)	स्थानीय पता Local address	नौकरी आरंभ करने की तारीख Date of commencement of employment	मजदूर के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान Signature or thumb impression of the worker	नौकरी से बरखास्त करने की तारीख Date of termination of employment	बरखास्त करने के कारण Reasons for termination	टिप्पणी Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

परिशिष्ट "ग"

APPENDIX 'C'

मस्टर रोल
MUSTER ROLL

1. ठेकेदार का नाम व पता
Name and address of contractor . . . .

2. कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है
Name and address of establishment in/under which contract is carried on . .

3. कार्य का स्वरुप व स्थान
Nature and location of work . . . .

4. मुख्य नियोक्ता का नाम व पता
Name and address of Principal Employer . . . .

5. महीने/पक्ष के लिए
For the month of/Fortnight . . . .

क्रम सं० S.No.	मजदूर का नाम Name of workman	पिता/पति का नाम Father's/Husband's name	लिंग Sex	दिनांक Dates					टिप्पणी Remarks
1	2	3	4	5					6
				1	2	3	4	5	

परिशिष्ट "घ"
APPENDIX 'D'

मजदूरी का रजिस्टर
REGISTER OF WAGES

ठेकेदार का नाम व पता
Name and address of contractor

कार्य का स्वरूप का स्थान
Nature and location of work

कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है
Name and address of establishment in/under which contract is carried on

मुख्य नियोक्ता का नाम व पता
Name and address of principal Employer

मजदूरी की अवधि, मासिक/पाक्षिक
Wage period : Monthly/Fortnightly

क्रम संख्या	मजदूर का नाम	मजदूरों के रजिस्टर में क्र० सं०	किए गए कार्य का स्वरूप/पद नाम	जितने दिन कार्य किया	किए गए कार्य के एकक	मजदूरी की दर पीस रेट	की गई मजदूरी की रकम Amount of wages earned					वसूली, यदि कोई हो (वसूली का स्वरूप)	भुगतान गई की शुद्ध राशि	मजदूर के हस्ताक्षर/अंगूठ का निशान	ठेकेदार व अथवा उस के प्रतिनिधि
							मूल मजदूरी	मंहगाई भत्ता	समयोपरि भत्ता	अन्य नकद	जोड़				
Sl.No.	Name of workman	Serial No. in the register of workmen	Designation/nature of work done	No. of days worked	Units of work done	Daily rate of wages/piece rate	Basic Wages	Dearness allce.	Over time	Other cash payments	Total	Deduction if any (indicative nature)	Net amount paid	Signature thumb impression of workman	Initial of contractor or his representative
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

परिशिष्ट "ङ"
APPENDIX 'E'

मजदूरी कार्ड
WAGE CARD

1. मजदूरी कार्ड संख्या Wage Card No.	5. मजदूर की दर Rate of wages ....
2. ठेकेदार का नाम व पता Name and address of contractor	6. जारी करने की तारीख Date of issue ....
3. कार्य का नाम व स्थान Name of work with location	7. पद Designation ....
4. मजदूर का नाम Name of workman	8. मास/पक्ष Month/Fortnight ....

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
प्रातः Morning																																दर Rate
सायं Evening																																रकम Amount
आद्याक्षर Initial																																

से अपनी मजदूरी के .... रुपये प्राप्त किए ।
Received from......................the sum of Rs.............. ....on account of my wages.

यह मजदूरी कार्ड जारी होने की तारीख से एक मास के लिए वैध है ।
The wage card is valid for one month from the date of issue.

हस्ताक्षर/*Signature*

परिशिष्ट "ङ"
APPENDIX 'E'

मजदूरी कार्ड
WAGE SLIP

1. मजदूर का नाम व पता
Name and address of contractor . . . .

2. मजदूर का नाम तथा उसके पिता/पति का नाम
Name of workman and father's/husband's name . . . . . .

3. कार्य का स्वरूप तथा स्थान का नाम
Nature and location of work . . . .

4. सप्ताह/पक्ष/मास के लिए
For the week/fortnight /month ending . . . .

5. जितने दिन कार्य किया
No. of days worked . . . .

6. किए गए कार्य के एककों की संख्या (पीस रेट मजदूरों के बारे में)
No. of units worked in case of piece rate workers . . . . . .

7. दैनिक मजदूरी की दर/पीस रेट
Rate of daily wages/piece rate . . . .

8. समयोपरि मजदूरी की रकम
Amount of overtime wages . . . .

9. दी जाने वाली कुल रकम
Gross wages payable . . . .

10. वसूलियां यदि कोई हो
Deductions if any ; . . . .

11. दी गई मजदूरी की शुद्ध रकम
Net amount of wages paid . . . .

. . . .

ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

Initials of the Contractor or his representative.

परिशिष्ट "छ"
APPENDIX 'F'

रोजगार कार्ड
EMPLOYMENT CARD

1. ठेकेदार का नाम व पता
Name and address of contractor . . . .

2. कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है
Name and address of establishment in/under which contract is carried on . .

3. मुख्य नियोक्ता का नाम व पता
Name and address of Principal Employer . . . .

4. कार्य का नाम व स्थान
Name of work and location of work . . . .

5. मजदूर का नाम
Name of workman . . . .

6. लगाए गए मजदूरों के रजिस्टर में क्रम संख्या
Sl. No. in the register of workmen employed . . . .

7. रोजगार/पद का नाम
Nature of employment/designation . . . .

8. मजदूरी दर (पीस वर्क के बारे में एकक के ब्यौरों सहित)
Wage rate (with particulars of unit in case of piece work) . . . . .

9. मजदूरी की अवधि
Wage period . . . .

10. रोजगार की अवधि
Tenure of employment . . . .

11. टिप्पणी :
Remarks: . . . .

....

ठेकेदार के हस्ताक्षर
Signature of contractor

परिशिष्ट "ज"
APPENDIX 'G'

सेवा प्रमाण-पत्र
SERVICE CERTIFICATE

1. ठेकेदार का नाम व पता
Name and address of contractor . . . .

2. कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है
Name and address of establishment in/under which contract is carried on

3. कार्य का स्वरूप व स्थान
Nature of location of work . . . .

4. मजदूर का नाम व पता
Name and address of workman . . . .

5. मुख्य नियोक्ता का नाम व पता
Name and address of principal employer . . . .

6. आयु अथवा जन्मतिथि
Age and date of birth . . . .

7. पहचान चिह्न
Identification marks . . . .

8. पिता/पति का नाम
Father's/Husband's name . . . .

क्रम सं० Sl.No.	रोजगार की कुल अवधि Total period for which employed		किए गए कार्य का स्वरूप Nature of work done	मजदूरी दर (पीस वर्क के मामले में एकक के ब्यौरे सहित) Rate of wage (with particulars of unit in case of piece work)	टिप्पणी Remarks
	से From	तक To			

हस्ताक्षर
Signature

परिशिष्ट "ज"
APPENDIX 'H'

जुर्मानों का रजिस्टर
REGISTER OF FINES

1. ठेकेदार का नाम तथा पता
Name and address of contractor . . . . . .

2. जिस स्थापना के अधीन ठेका लिया गया उसका नाम तथा पता
Name and address of establishment in/under which contract is carried on . . . . .

3. निर्माण कार्य का स्वरूप तथा कार्यस्थल
Name and location of work . . . .

4. मुख्य नियोक्ता का नाम तथा पता
Name and address of principal employer . . . .

क्रम संख्या Sl. No.	कर्मकार का नाम Name of workman	पिता/पति का नाम Father's/Husband's name	पदनाम/नौकरी का स्वरूप Designation/nature of employment	वह कार्य/भूल जिसके लिए जुर्माना लगाया गया Act/Omission for which fine imposed	अपराध की तिथि Date of offence	क्या कर्मकार ने इस जुर्माने के विरुद्ध कोई कारण बताया है Whether workman showed cause against fine	उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में कर्मचारी की आज्ञा सुनी गई Name of person in whose presence employee's explanation was heard	मजदूरी की अवधि तथा देय मजदूरी Wage period and wages payable	जुर्माने की गई राशि Amount of fine imposed	जुर्माना जिस तिथि को समाप्त हुआ Date on which fine realised	टिप्पणी Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

परिशिष्ट "ट"

ऐसे कृत्यों तथा भूलों की सूची जिसके लिए जुर्माने किए जा सकते हैं

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का ठेकेदार श्रमिक विनियमों के नियम (घ) के अनुसार, कार्यस्थल पर अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा दोनों में अच्छी प्रकार से प्रदर्शित किया जाना ।

1. जान बूझ कर अकेले या अन्य के साथ मिल कर अवज्ञा या उल्लंघन ।
2. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्य या सम्पत्ति के अतिरिक्त ठेकों के संबंध में चोरी, धोखाबाजी, बेईमानी करना ।
3. घूस या अन्य गैर कानूनी परितोषण लेना या देना ।
4. नित्य देर में काम पर आना ।
5. शराब पीकर लड़ना, उपद्रवी या बेढंगा या अन्यमनस्क व्यवहार ।
6. नित्य लापरवाही ।
7. उस क्षेत्र के आस-पास बीड़ी-सिगरेट पीना जहां आग पकड़ने वाली या अन्य सामग्री रखी हो ।
8. नित्य अनुशासनहीनता ।
9. चालू कार्य में अथवा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ठेकेदार की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना ।
10. ड्यूटी पर सोना ।
11. कामचोरी या कार्य को धीरे करना ।
12. नाम, आयु, पिता का नाम आदि के बारे में गलत सूचना देना ।
13. नियोक्ता द्वारा दिये गये मजदूरी कार्ड को नित्य खो देना ।
14. मालिक की उत्पादन की सम्पत्ति का अनधिकृत उपयोग या कार्यस्थल पर अनधिकृत वस्तुएं बनाना ।
15. कुशल कामगरों द्वारा निर्माण तथा अनुरक्षण में कुशल कारीगरी दिखाना जिसे विभाग स्वीकार नहीं करता जिसके संशोधन के लिए ठेकेदार को बाध्य किया जाता है ।
16. गलत शिकायतें लगाना और/या श्रमिक विवरण देना ।

APPENDIX 'T'

LIST OF ACTS AND OMISSIONS FOR WHICH FINES CAN BE IMPOSED

In accordance with rule 8(d) of the Archaeological Survey of India Contract Labour Regulations to be displayed prominently at the site of work in both English and local Language.

1. Wilful insubordination or disobedience, whether alone or in combination with other·
2. Theft, fraud or dishonesty in connection with the contractors beside a business or property of Archaeological survey of India.
3. Taking or giving bribes or any illegal gratifications.
4. Habitual late attendance.
5. Drunkeness fighting, riotous or disorderly of indifferent behaviour.
6. Habitual negligence.
7. Smoking near or around the area where combustible or other materials are locked.
8. Habitual indiscipline.
9. Causing damage to work in the progress or the property of the Archaeological Survey of India or the Contractor.
10. Sleeping on duty.
11. Malingering or bowing down work.
12. Giving of false information regarding name, age father's name, etc.
13. Habitual loss of wage cards supplied by the employers.
14. Unauthorised use of employer's property or manufacture or making of unauthorised articles at the work place.
15. Badworkmanship in construction and maintenance by skilled workers which is not approved by the Deptt. and for which the contractors are compelled to undertake rectifications.
16. Making also complaints and/or misleading statements.

17. स्थापना के परिसर के भीतर कोई व्यापार चलाना ।

18. कर्मचारियों का अनधिकृत व्यापार कार्य करना ।

19. स्थापना के परिसर के भीतर किसी प्रकार का धन एकत्र करना या उसके लिए प्रचार करना जब तक कि मालिक द्वारा अधिकारी न दिया गया हो ।

20. मालिकों की पूर्व अनुमति के बिना परिसर के भीतर बैठकें बुलाना ।

21. परिसर के भीतर कार्य समय के दौरान किसी कामगर या कर्मचारी को डराना या धमकाना ।

17. Engaging in trade within the premises of the establishments.

18. Any unauthorised indulgence of business affairs of the employees.

19. Collection or canvassing for the collection of any money within the premises of an establishment unless authorised by the employer.

20. Holding meeting inside the premises without previous sanction of the employers.

21. Threatening or intimadating any workman or employees during the working hours within the premises.

परिशिष्ट "ठ"
APPENDIX 'J'

क्षति/हानि के लिए कटौती का रजिस्टर
REGISTER OF DEDUCTIONS FOR DAMAGE OR LOSS

1. ठेकेदार का नाम तथा पता
Name and address of contractor

2 उस स्थापना का नाम तथा पता जिसके अधीन ठेके का कार्य किया जा रहा है
Name and address of establishment in/under which contract is carried on

3. निर्माण कार्य का स्वरूप तथा कार्यस्थल
Nature and location of work

4. मुख्य नियोक्ता का नाम व पता
Name and address of Principal Employer

क्रम संख्या	कर्मकार का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम/कार्य का स्वरूप	क्षति अथवा हानि का ब्यौरा	क्षति अथवा हानि की तिथि	क्या कर्मकार ने इस कटौती के विरुद्ध कारण बताया है	उस व्यक्ति का नाम जिसके समक्ष कर्मचारी की आख्या सुनी गई	लगाई गई कटौती की राशि	किस्तों की संख्या	वसूली की तिथि: प्रथम किस्त	अन्तिम किस्त	टिप्पणियां
Sl. No.	Name of Workman	Father's/ Husband's name	Designation/ nature of employment	Particulars of damage or loss	Date of damage or loss	Whether workman showed cause against deduction	Name of person in whose presence employee's explanation was heard	Amount of deduction imposed	No. of instalments	Date of Recovery: first instalments	Last instalments	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

परिशिष्ट "ड"
APPENDIX 'K'

अग्रिम का रजिस्टर
REGISTER OF ADVANCES

1. ठेकेदार का नाम तथा पता
Name and address of contractor ....

2. उस स्थापना का नाम तथा पता जिसके अधीन ठेका लिया गया
Name and address of establishment in/under which contract is carried on ....

3. कार्य का स्वरूप तथा कार्यस्थल
Nature and location of work ....

4. मुख्य नियोक्ता का नाम तथा पता
Name and address of principal employer ....

क्रम संख्या Sl. No.	नाम Name	पिता/पति का नाम Father's/Husband's name	पदनाम तथा नौकरी का स्वरूप Designation nature of employment	मजदूरी की अवधि तथा देय मजदूरी Wage period and wage payable	दिये गये अग्रिम की तिथि तथा राशि Date and amount of advance given	वह प्रयोजन जिस के लिए अग्रिम दिया गया Purpose(s) for which advance made	किस्तों की संख्या जिनके द्वारा अग्रिम लौटाया जाना है No. of Instalments by which advance to be repaid	लौटाई गई प्रत्येक किस्त की तिथी तथा राशि Date and amount of each instalment repaid	वह तिथि जब कि किस्त लौटाई गई Date on which last instalment was repaid	टिप्पणियां Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

परिशिष्ट "ट"
APPENDIX 'L'

समयोपरि रजिस्टर
REGISTER OF OVERTIME

1. ठेकेदार का नाम व पता
Name and address of contractor

2. स्थापना का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है
Name and address of establishment in/under which contract is carried on

3. कार्य का स्वरूप तथा कार्यस्थल
Nature and location of work

4. मुख्य नियोक्ता का नाम तथा पता
Name and address of principal employer

क्रम संख्या Sl.No.	मजदूर का नाम Name of workman	पिता/पति का नाम Father's/Husband's name	लिंग Sex	पदनाम/नौकरी का स्वरूप Designation/nature of employment	जिन तारीखों को समयोपरि कार्य किया Date on which overtime worked	कुल समयोपरि कार्य अथवा पीस रेट के मामले में उत्पादन Total overtime worked or production in case of piece rates	मजदूरी की सामान्य दर Normal rates of wages	समयोपरि मजदूरी की दर Overtime rate of wages	समयोपरि कमाई Overtime earnings	जिस दर पर समयोपरि मजदूरी दी गई Rate on which overtime wages paid	टिप्पणी Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

TYPE DESIGN OF 30 TONNES CEMENT GODOWN AT SITE OF WORK

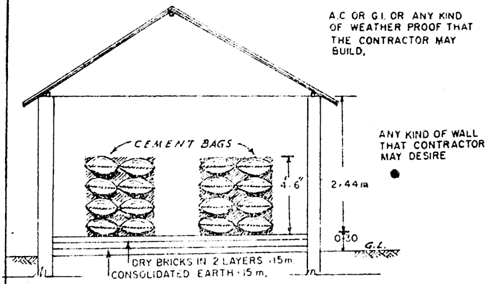

SECTION ON A-B

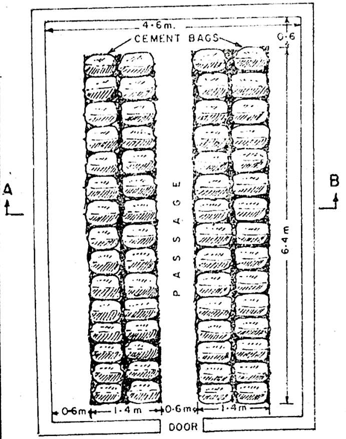

PLAN

CIRCLE/BRANCH OFFICER

भा० पु० स० नि० का०–30(क)
A.S.I.W.—30(a)

निविदा एवं संविदा
TENDER AND CONTRACT

हेतु
FOR

निर्माण सामग्री की पूर्ति
SUPPLY OF MATERIALS

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
A. S. I.

प्रत्नकीर्तिमपावृणु

अनुबन्ध फार्म भा० पु० स० नि० 30 (ए)
AGREEMENT FORM A. S. I. W.—30 (a)

निर्माण कार्य का नाम
Name of work

अनुमानित खर्च :—रुपये
Estimated cost :— Rs.

बयाना की राशि :—रुपये
Earnest Money :— Rs.

प्रतिभूति जमा :—रुपये
Security deposit :— Rs.

स्वीकृत समय   माह
Time allowed   Months

प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा अभिलेख में..............से............तक पृष्ठ है ।
Certified that this contract document contains pages from Serial no.   to   only.

उप अधीक्षक पुरातत्व इंजीनियर
Dy. Supdtg. Archl. Engineer.

मंडल/शाखा अधिकारी
Circle/Branch Officer

विषय-सामग्री

CONTENTS

1. मंडल/शाखा कार्यालय के लिए अनुदेश
Instructions to Circle/Branch Office. 313

2. प्रेस अधिसूचना
Press Notification 314

3. निविदा आमंत्रित करने वाली सूचना
Notice Inviting Tenders. 316

4. सामग्री की पूर्ति के लिए करार ।
Agreement for supply of material. 322

21—112 D. G. Arch/Survey/ND/83

मंडल/शाखा अधिकारियों के लिए संविदा अभिलेख भरने के संबंध में अनुदेश

निर्माण कार्य का नाम :-

मंडल/शाखा अधिकारी अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें :

1. अनुबन्ध पत्र के पृष्ठ ....एवं....पर ठेकेदार/ठेकेदारों तथा मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा शेष पृष्ठों पर दोनों अपना-अपना आद्यक्षर करेंगे ।

2. पृष्ठ संख्या के रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाए।

3. पृष्ठ.... पर कार्य स्थल का नाम देते हुए सीमेंट एवं स्टील की दरें जारी की हुई दरों के अनुसार भरी जाएंगी। गोदाम भाड़ा एवं सुपुर्दगी का स्थान "इमारती सामान जारी करने की शर्तों" में भरा जाएगा।

यदि विभागीय तौर पर कोई अन्य इमारती सामान उन्हें जारी किये जाने का प्रस्ताव हो तो उन्हें भी मंडल/शाखा अधिकारी के आदेश से पृष्ठ....में शामिल किया जाए ।

4. आवर्ती/विशिष्ट किस्म के नमूनों का अनुमोदन निर्माण कार्य कराने से पूर्व ही पृष्ठ संख्या....में दी गई अनुसूची-II के अनुसार होना चाहिए ।

5. यदि विभागीय तौर पर अन्य इमारती सामान जारी किये जाने का प्रस्ताव हो तो ....की क्रम संख्या में यथावश्यक शुद्धियां की जाएं।

6. यथोचित मजदूरी अनुसूची निविदा प्रलेखों के साथ संलग्न नहीं की गई है और न संलग्न की जानी चाहिए।

7. कार्यस्थल की उपलब्धता से संबंधित शर्तें (पृष्ठ ....में) यथोचित ढंग से भरी जाएं तथा पृष्ठ....के पैरा 2 के जो अंश लागू न हों उन्हें काट दिया जाए।

8. मंडल/शाखा अधिकारी के नवीनतम ज्ञापन के अनुसार जल की पूर्ति से संबंधित शर्तों में यथोचित परिवर्तन किया जा सकता है, चाहे उसकी पूर्ति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जानी हो या नहीं (पृष्ठ , खण्ड)।

9. मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा निविदा आमंत्रित की जाने वाली इस सूचना के अनुमोदन की तारीख के बाद निविदा आमंत्रित करने से पूर्व मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा जारी किये गये सभी अनुदेशों पर विचार किया जाए।

INSTRUCTIONS TO CIRCLE/BRANCH OFFICES FOR FILLING UP OF THE CONTRACT DOCUMENTS

Name of Work :

The Circle/Branch Officer will please attend to the following points before signing Agreement from :—

1. Agreement has to be signed by the contractor/contractors and the Circle/Branch Officer on pages———and———and the rest of the pages are to be initialled by both of them.

2. Blanks may be filled in on page ....

3. On page——the rates for cement and steel may be filled in as per the issue rates giving the name of site. The storage charges and the place of delivery may also be filled in the "Conditions for issue of materials".

Any other material if proposed to be issued departmentally may also be included in page ———under orders of Circle/Branch Officer.

4. Approval of sample of repetitive/typical nature of items, prior to execution of work should be as per Annexure-II at page———.

5. Necessary corrections may be made in Serial No. 5 on page———if other materials are proposed to be issued departmentally.

6. Schedule of fair wages has not been attached and is not to be attached with the tender documents.

7. Conditions regarding availability of site may be suitably filled in ( ) and portions not applicable may be deleted in para 2 of ( ).

8. Conditions regarding supply of water may be suitably altered according to Circle/Branch Officers' latest Memo, whether the same is to be supplied by the Archaeological Survey of India or not (Page Cl.).

9. Any instructions issued by the Circle/Branch Officer, after the date of approval of this N.I.T. by the Circle/Branch Officer may be attached to before the call of tenders.

10. खास इलाकों से संबंधित अतिरिक्त विनिर्देशनों के जारी करने से पूर्व उन्हें निविदा आमंत्रित करने वाली सूचना में शामिल किया जाना चाहिए। ईंट, बालू और मिलावे के विनिर्देशनों के संबंध में मंडल/शाखा अधिकारी पृष्ठ. . . .का टिप्पण देखें।

11. कार्यस्थल की शर्तों पर आश्रित होकर मंडल/शाखा अधिकारी यह निर्णय करेंगे कि क्या खोदी हुई मिट्टी आवश्यकता से अधिक है या नहीं या उसकी आवश्यकता किसी अन्य सरकारी विभाग या पास के किसी इलाके में होने वाले किसी सरकारी निर्माण कार्य के लिए उसकी आवश्यकता तो नहीं है और यदि किसी सरकारी निर्माण के लिए आवश्यकता न हो और उस मिट्टी के यथोचित निपटान के लिए ठेकेदार को अपनी इच्छानुसार निपटान करने की इजाजत दी जाए परन्तु, उसे ढुलाई भाड़ा आदि के रूप में कुछ भी न दिया जाए। तथापि यदि मंडल/शाखा अधिकारी यह समझे कि वह रुई के पैदावार के लिए उपयुक्त काली मिट्टी है या अन्य कोई ऐसी मिट्टी है जिसका बाजार मूल्य है तो वह निर्णय ले सकता है कि मिट्टी को कहां इकट्ठा किया जाए और वे अनुबन्ध पत्र में वास्तविक दूरी सहित ढुलाई से संबंधित यथोचित शर्त जोड़ सकते हैं।

संयुक्त विज्ञापन के रूप में जारी किए जाने वाले अनुबंध पत्र से संबंधित प्रेस सूचना के नमूने का प्रारूप

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल/शाखा अधिकारी . . . . (नाम और पदनाम), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण. . . . . में निर्माण कार्य कराने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सिविल अंग के अनुमोदित एवं योग्य ठेकेदारों एवं के० लो० नि० वि०/सै०ई०से/जो नि०वि०/रेलवे के अनुमोदित ठेकेदारों की सूची से. . . . . तारीख तक मुहरबंद मद दर/निविदा आमंत्रित करते हैं जो. . . . . . को

. . . . खोला जाएगा।

अनुमानित राशि. . . . .

. . . .

बयाने की राशि. . . . . रुपये भारतीय स्टेट बैंक या खजाने में चालान के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई गारंटी वाले किसी अनुसूचित बैंक के रसीदी मांग पत्र के रूप में जमा किये जाने चाहिए और उसकी रसीदी चालान निविदा के साथ भेजी जानी चाहिए। निर्माण कार्य पूरा करने का समय. . . . . है।

उस ठेकेदार की निविदा को संक्षिप्ततः अस्वीकार कर दिया जाएगा जो निर्धारित फार्म में मंडल/शाखा अधिकारी के नाम बयाने की राशि जमा नहीं करेंगे।

10. Any additional specifications particular to the locality may be included in N.I.T. before issuing the same. Circle/Branch Officer may see note on page——regarding specifications for brick, sand and aggregate.

11. Circle/Branch Officer may decide depending on site condition whether the excavated earth is surplus to requirement or will be required by any other Government Department or any Govt. work in the neighbouring locality and in case the same is not required for Govt. works and the soil has got some marketable value. The contractor may be allowed to dispose of the earth at his own but he should not be paid for carriage charges etc. However, in case Circle/Branch Officer feels that the soil is black cotton soil or any such soil, which has market value, he may decide where to dump the soil and may insert a suitable condition in the agreement for carriage with exact distance.

DRAFT SPECIMEN OF PRESS NOTICE FOR ISSUE OF A COMPOSITE ADVERTISEMENT

The Circle/Branch Officer, Archaeological Survey of India———on behalf of the President of India, invites Item Rate/Tender in sealed cover for the work————from the approved and eligible contractors of civil Wing of Archaeological Survey of India approved list of C.P.W.D./MES/PWD/Railways upto which will be opened at——————

——————

——————

Estimated Cost——————

——————

Earnest money for Rs.——————should be deposited in the State Bank of India or through Treasury Challan or in the shape of deposit call receipt of any Scheduled Bank guaranteed by the Reserve Bank of India and receipted challan sent with the tender. Time allowed for completion of work is————.

Tenders of the contractor who do not deposit earnest money in favour of the Circle/Branch Officer in the prescribed form, are liable to be summarily rejected.

12. निविदाओं के विक्री प्राप्ति और उसे खोलने के संबंध में समय और तारीख पृष्ठ....में तत्संबंधी रिक्त स्थानों में भरी जाएं ।

शर्तें एवं निविदा प्रपत्र......रु० (......रु०) हर प्रति की दर से भुगतान के आधार पर कार्यालय से सभी कार्य दिवसों में.........तारीख तक प्राप्त किये जा सकते है (जिसकी कीमत....... तारीख तक वापस नहीं की जाएगी) ।

नाम और

पदनाम.................

(भारत के राष्ट्रपति के निमित्त और उसकी ओर से)

12. Time and date for sale, receipt and opening of tenders may be filled in the relevant blanks on pages———.

Conditions and tender forms can be had from this office before————on all working days on payment of Rs.————(Rupees ————) each (non-refundable).

Name &

Designation——————

(for and on behalf of the President of India)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

मंडल/शाखा CIRCLE/BRANCH	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA	उप मंडल/शाखा SUB-CIRCLE/BRANCH

निविदा आमंत्रण सूचना
NOTICE INVITING TENDERS

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता, पैरा)
(Archaeological Works Code, Paragraphs)

1. (क) भारत के राष्ट्रपति की ओर से...... के निर्माण कार्य के लिए जिसकी अनुमानित लागत..... रुपये है निर्धारित प्रपत्र भा०पु०स०नि०सं०......... पर एतदद्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

(ख) निविदाओं के छपे हुए प्रपत्र जिनमें ब्यौरेवार रेखांक, पूर्ण विनिर्देशन, किए जाने वाले विभिन्न वर्गों की कार्य की मात्राओं की अनुसूची और ठेके की शर्तों का सेट जिसका अनुपालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसकी निविदा स्वीकार हो सकती है, सन्निहित है, रविवार और सरकारी छुट्टियों के अतिरिक्त प्रतिदिन 11.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक मंडल/शाखा कार्यालय/उपमंडल/उपशाखा कार्यालय से......... ....रुपये नगद देकर खरीदे जा सकते हैं।

2. निर्माण कार्य का स्थल उपलब्ध है/या निर्माण कार्य के लिए स्थल निम्नलिखित विनिर्दिष्ट रुप में आंशिक तौर पर उपलब्ध कर दिया जाएगा :—
स्थल की उपलब्धता की जांच मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा की जाए और तदनुसार शर्त उपबंधित की जाए।

3. निविदाएं, जो हमेशा वैसे मुहरबंद लिफाफों में रखी जानी चाहिएं जिनपर निर्माण कार्य का नाम लिखा हो, मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा......तारीख.... ....बज तक प्राप्त की जाएगी और उनके द्वारा कार्यालय में उसी दिन......... बजे खोली जाएंगी।

4. निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अनुज्ञात समय निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए दिए गए लिखित आदेशों की तारीख के पंद्रहवे दिन से.........तक का होगा।

5. ठेकेदारों को अपने द्वारा दी गई निविदा की दर और रकम को अंको और शब्दों दोनों में लिखना चाहिए। हर मद की राशि का परिकलन किया जाना चाहिए और अपेक्षित ड़ दिया जाना चाहिए।

1.(a) Tenders in the prescribed form ASIW No.———are hereby invited on behalf of the President of India for——————— estimated cost of Rs.———————

(b) Printed forms of tenders consisting of the detailed plans, complete specifications, the schedule of quantities of the various classes of work to be done and the set of conditions of contract to complaied with by the person whose tender may be accepted, can be purchased at the Circle/Branch Office/Sub-Circle/Sub-Branch office between 11 A.M. to 4 P.M. every day except on sunday and public holidays on payment of Rs. ——— in cash.

2. The site for the work is availabe/or the site for the work shall be made available in parts as specified below :—

Availability of site is to be verified by the Circle/Branch Officer and conditions provided accordingly.

3. Tenders, which should always be placed in sealed covers, with the name of the work written on the envelopes will be received by the Circle/Branch Officer, upto———and will be opened by him in his office on the same day at————.

4. The time allowed for the carrying out of the work will be————from the fifteenth day after the date of written orders to commence work.

5. The contractors should quote in figures as well as in words the rate, and amount tendered by them. The amount for each item should be worked out and the requisite totals given.

6. यदि कोई ठेकेदार निविदा पर किसी भारतीय भाषा में हस्ताक्षर करता है तो उस मामले में प्रतिशतता की कमी व वेशी और भा०पु०स०नि० फार्म सं०...... के मामले में दी गई निविदा की राशि उसी भारतीय भाषा में लिखी जानी चाहिए। निरक्षर ठेकेदारों के मामले में दी गई निविदा की राशियों का सत्यापन किसी साक्षी से करा लेना चाहिए।

7. निविदा खोलने के लिए निश्चित की गई तारीख से दो दिन पहले निविदा फार्मों को जारी करना बंद कर दिया जाएगा।

8. बयाने की राशि......रुपये (यदि छूट दी गई हो) खजाने के रसीदी चालान/किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक (भारतीय बैंक द्वारा गारंटी प्राप्त) में मांग पत्र के रुप में जमा कराने की रसीद निविदा के साथ अवश्य संलग्न की जानी चाहिए। सभी निविदा मुहरबंद लिफाफे में रखी जाएंगी तथा उन पर "..............के लिए निविदा" लिखा होगा और वह मंडल/शाखा अधिकारी को संबोधित होगा।

9. जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकार हो जाएगी उसे ठेके के विधिवत् संपादन के लिए (यदि छूट न दी गई हो) प्रतिभूति जमा के रुप में ऐसी रकम जमा करनी होगी जो इस प्रकार है :

(i) 1,00,000 रुपये तक की लागत के निर्माण कार्यों के मामले में निविदा में दी गई कुल अनुमानित लागत के 10% के बराबर,

(ii) 1,00,000 रुपये से अधिक और 2,00,000 रुपये तक की लागत के निर्माण कार्यों के मामले में पहले 1,00,000 रुपये पर 10% और शेष पर 7½% के बराबर, तथा

(iii) 2,00,000 रुपये से अधिक लागत के निर्माण कार्यों के मामले में पहले 1,00,000 रुपये पर 10% दूसरे 1,00,000 रुपये पर 7½% तथा शेष राशि पर 5% के बराबर, बशर्ते कि यह राशि 1,00,000 रुपये से अधिक न हो।

प्रतिभूति जमा उपर्युक्त दरों से ठेकेदारों के चालू बिल से काट कर वसूल की जाएगी तथा निविदा के समय बयाने के रुप में जमा किया हुआ धन प्रतिभूति जमा का एक स्वरुप समझा जाएगा। प्रतिभूति की धनराशि नगद या सरकारी प्रतिभूतियों के रुप में भी स्वीकार की जाएगी/आवधिक जमा की रसीदें तथा अनुसूचित बैंकों तथा भारतीय स्टेट बैंक के गारंटी बांड भी स्वीकार किये जाएंगे बशर्ते कि

6. When a contractor signs a tender in an Indian Language, the percentage above or below and the tendered amount in the case of ASIW form No.————and the total amount tendered in case the ASIW Form Nos.........should also be written in the same language. In the case of illiterate contractors the rates of his amounts tendered should be attested by a witness.

7. Issue of tender form will be stopped two days before the date fixed for the opening of tenders————

8. Earnest money, amounting to Rs. ——— (unless exempted) in receipted Treasury Challan/Deposit call receipt of a Public Sector Bank (Guaranteed by the Reserve Bank of India) must accompany each tender and each tender is to be in a sealed cover superscribed "Tender for————" and addressed to the Circle/Branch Officer.

9. The contractor, whose tender is accepted will be required to furnish (unless exempted) by way of security deposit for the due fulfilment of his contract, such sum as will amount :

(i) in the case of works costing upto Rs. 1,00,000/- to 10% of the estimated cost of the work put to tender.

(ii) in the case of works costing more than Rs. 1,00,000/- and upto Rs. 2,00,000/- to 10% on the first Rs. 1,00,000/- and 7½% on the balance and

(iii) in the case of works costing more than Rs. 2,00,000/- to 10% on the first Rs. 1,00,000/- 7½% on the next Rs. 1,00,000/- and 5% on the balance, subject to a maximum of Rs. 1,00,000/-

The security deposit will be collected by the deductions from the running bill of the contractor at the rates mentioned above and the earnest money deposited at the time of tenders will be treated as a part of the security deposit. The Security amount will also be accepted in the shape of Government Securities, Fixed Deposit Receipt and Guarantee Bonds of Scheduled Banks and State Bank of

भारतीय रिजर्व बैंक से उसकी पुष्टि की सूचना प्राप्त हो जाए।

10. निविदा स्वीकार करना शाखा/मंडल अधीक्षक/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक की इच्छा पर निर्भर है और वह निम्नतम निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य भी नहीं है। उसे निविदाओं में से किसी एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। सभी निविदाएं जिनमें विहित शर्तें पूरी न होती हों या वे किसी दृष्टि से अपूर्ण हों तो उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है।

11. निविदाओं के सिलसिले में पैरवी करने की सख्त मनाही है और यदि निविदा प्रस्तुत करने वाला कोई ठेकेदार अपनी निविदा के वास्ते पैरवी करता हुआ पाया जाएगा तो उसकी निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

12. सभी दरें उपरिनिर्दिष्ट उचित निविदा प्रपत्र पर ही दी जाएंगी।

13. मद दर निविदा जिसमें प्रतिशतता की कमी/बेशी सन्निहित होगी, संक्षिप्ततः अस्वीकार कर दी जाएगी। तथापि यदि निविदाकार स्वयं-निश्चित समय के अंतर्गत दाय किए जाने के लिए छूट देना चाहता है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

14. निविदा स्वीकार कर लिये जाने पर ठेकेदार के उस/उन प्रत्यायित प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों का/के नाम मंडल/शाखा अधिकारी को भेजा जाएगा/भेजे जाएंगे, जो मंडल/शाखा अधिकारी से अनुदेश प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।

15. इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि दरें अंकों तथा शब्दों दोनों में लिखी जाएं और धनराशि केवल अंकों में इस प्रकार लिखी जाए कि उनमें अन्तर्वेशन की संभावना न रहे। कुल धन अंकों तथा शब्दों दोनों में लिखे जाएं। अंकों के मामले में अंकों से पूर्व (रुपये) शब्द लिखा जाए और पै० को दशमलव अंकों के बाद लिखा जाए और शब्दों में लिखने के मामले में रुपये के बाद शब्द रुपये और पैसों के बाद पैसे लिखे जाएं। जब तक कि दरें पूरे रुपयों में न हों और उसके बाद मात्र शब्द न लिखा हो, तब तक वह हमेशा दशमलव के दो अंकों तक होनी चाहिए। मात्राओं की अनुसूची में दरों को बताते समय रकम के ठीक बाद "मात्र" शब्द लिखा जाना चाहिए और इसे दूसरी पंक्ति में नहीं लिखा जाना चाहिए।

16. भारत के राष्ट्रपति न्यूनतम या अन्य निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और अपने पास पूरी

India will also be accepted for the purpose provided confirmatory advice is forthcoming from the Reserve Bank of India.

10. The discretion of acceptance of a tender, will rest with the Circle/Branch Officer/Director General, Archaeological Survey of India, who does not bind himself to accept the lowest tender, and reserve to himself the authority to reject any or all of the tenders received, without the assignment of a reason. All tenders in which any of the prescribed conditions are not fulfilled or are imcomplete in any respect are liable to be rejected.

11. Canvassing in connection with tenders is strictly prohibited and the tenders submitted by the contractors who resort to canvassing are liable to rejection.

12. All rates shall be quoted on the proper form of the tender as given above.

13. An item rate tender containing percentage below above will be summarily rejected. However, whereas a tenderer voluntarily offers rebate for payment within a stipulated period, this may be considered.

14. On acceptance of the tender, the name of the accredited representative(s) of the contractor who would be responsible for taking instructions from the Circle/Branch Officer shall be communicated to the Circle/Branch Officer.

15. Special care should be taken to write the rates in figures as well as in words, and the amounts in figures only, in such a way that interpolation is not possible. The total amount should be written both in figures and in words. In case of figures the word Rs. should be written before the figures of rupees and word 'P' after the decimal figures and in case of words the word Rs. proceeds and the word paise should be written at the end. Unless the rate is in whole rupees and followed by the word 'ONLY' it should invariably be upto two decimal placed while quoting the rates in the schedule of quantities the word only should be written closely following the amount and it would not be written in the next line.

16. The President of India does not bind himself to accept the lowest or any tender and

निविदा या उसका कोई भाग स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं और निविदाकार दी हुई दर पर उसे करने के लिए आबद्ध होगा।

reserves to himself the right of accepting the whole or any part of the tender and the tenderer shall be bound to perform the same at the rate quoted.

17. इस ठेके के संबंध में इमारती सामग्री पर बिक्री कर या अन्य कर ठेकेदार द्वारा देय होगा और इस संबंध में सरकार किसी प्रकार के वाद को स्वीकार नहीं करेगी।

17. Sales tax or any other tax on material in respect of this contract shall be payable by the contractor and Government will not entertain any claim whatsoever in this regard.

18. ठेकेदार को उसे निविदा कागजातों को बेचे जाने से पूर्व वित्त मंत्रालय के द्वारा सं० ज्ञापन सं० 67/30/69-आय०टी० ए०ई० तारीख 2-7-70 के अंतर्गत अधिसूचित संशोधित फार्म पर अपना आय कर शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

18. The contractor must produce income-tax clearance certificate in the revised form as notified under Min. of Finance O.M. No. 67/30/69/ITAE, dated 2nd July, 1970 before the tender can be sold to him.

19. ठेकेदार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उस मंडल/शाखा में (जो ठेके देने और निष्पादित कराने के लिए जिम्मेदार है) जिसमें उसके नजदीकी रिश्तेदार किसी अधिकारी की हैसियत से कार्य कर रहे हों, निर्माण कार्य कराने के लिए निविदा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसे उन व्यक्तियों की सूची बतानी होगी जो उनके साथ किसी भी हैसियत से कार्य कर रहे हों या बाद में उसके द्वारा नौकरी पर रख लिए जाएं और जो भा०पु०स० या शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय के किसी राजपत्रित अधिकारी के नजदीकी रिश्तेदार है। यदि कोई ठेकेदार इस शर्त को तोड़ेगा तो उसका नाम इस विभाग की अनुमोदित सूची से हटा दिया जाएगा।

19. The contractor shall not be permitted to tender for works in the Archaeological Survey of India, Circle/Branch Office (Responsible for award and execution of contracts) in which his near relative is posted as an officer in any capacity. He shall also intimate the names of persons who are working with him in any capacity or are subsequently employed by him and who are near relatives to any officer in the Archaeological Survey of India in the Ministry of Education and Culture. Any breach of this condition by the contractor would render him liable to be removed from the approved list of contractors of this department.

20. ठेकेदार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में अराजपत्रित कर्मचारी के रुप में कार्यरत अपने रिश्तेदारों की सूची देनी होगी।

20. The contractor shall give a list of non-gazetted Archaeological Survey of India employees related to him.

21. भारत सरकार के किसी इंजीनियरी विभाग में इंजीनियरी या प्रशासनिक कार्यों में लगे हुए राजपत्रित रैंक के किसी इंजीनियर को या अन्य किसी राजपत्रित अधिकारी को सरकारी सेवा से मुक्त होने पर दो साल तक भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना ठकेदार की हैसियत से काम करने की आज्ञा नहीं है। यदि किसी समय यह पाया जाए कि ठेकेदार या उसका कोई कर्मचारी ऐसा व्यक्ति है जिसने निविदा देने से पहले या ठेकेदार की सेवा में लगने से पहले भारत सरकार से उपर्युक्त अनुमति नहीं ली थी तो यह ठेका रद्द कर दिया जाएगा।

21. No Engineer of Gazetted rank or other Gazetted Officer employed in Engineering or Administrative duties in an Engineering Department of the Government of India is allowed to work as a contractor for a period of two years of his retirement from Government service, without the previous permission of the Government of India. This contract is liable to be cancelled if either the contractor or any of his employees is found at any time to be such a person who had not obtained the permission of the Government of India as aforesaid before submission of the tender or engagement in the contractor's service.

22. निर्माण कार्यों के लिए निविदा, निविदाओं के खुलने की तारीख से.........दिन की अवधि तक स्वीकृति के लिए खुली रहेगी यदि कोई ठेकेदार उक्त अवधि से पहले अपनी निविदा वापस ले लेता है या निविदा

22. The tender for the work shall remain open for acceptance for a period of —— days from the date of opening the tenders. If any tenderer withdraws his tender before the

को किसी शर्त में कोई ऐसा संशोधन करता है जो विभाग को स्वीकार्य न हो तो भारत सरकार किसी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त अग्रिम धन से 10% (दस प्रतिशत) की दर से जब्त कर लेने के लिए स्वतन्त्र होगी ।

23. जिन ठेकेदारों को किसी विशेष मामले में अग्रिम धन/प्रतिभूति निक्षेप देने से छूट दी गई हो उन्हें मंडल/शाखा अधिकारी के उस पत्र की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी चाहिए जिसके अंतर्गत उन्हें अग्रिम धन और प्रतिभूति निक्षेप देने से छूट मिली हो और जब कभी उनसे मूल प्रति मांगी जाए उन्हें पेश करनी चाहिए ।

24. कार्य की निविदा में कोई भी ठेकेदार या ऐसा ठेकेदार या ऐसे ठेकेदार साक्षी नहीं होगा/होंगे जिसने/जिन्होंने स्वयं उसी काम के लिए निविदा दी हो या उसी काम के लिए निविदा दे सकते हों । इस शर्त के पालन न किये जाने पर निविदा देने वाले या निविदा के साक्षी होने वाले ठेकेदारों की निविदाएं संक्षिप्ततः नामंजूर कर दी जाएंगी ।

25. संयुक्त निर्माण कार्य की निविदा में भवन निर्माण, स्वच्छता, जल प्रदाय एवं जल निकास संस्थापनाएं, विद्युत साजसामान लगाने के कार्य और उद्यान कृषि कार्य सम्मिलित हैं ।

26. निविदाकार को वर्ग II (भवन तथा मार्ग) के ठेकेदार होने के अतिरिक्त स्वयं समुचित वर्ग के उप अभिकरणों के साथ संपर्क रखना चाहिए जो स्वच्छता, जल प्रदाय एवं जल निकास संबंधी संस्थापनाओं के लिए निविदा दे सकें ।

27. ठेकेदार निम्नलिखित प्ररूप में अपने हाथ में लिये गये (चालू हालत में) कार्यों की सूची प्रस्तुत करेंगे :

निर्माण कार्य का नाम	मंडल/शाखा का नाम तथा विवरण जहां निर्माण कार्य किया जा रहा है	निर्माण कार्य की रकम	चालू निर्माण की स्थिति	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5

28. ठेकेदार द्वारा मद दर निविदा में दी गई दरें अंकों और शब्दों में शुद्धतापूर्वक इस प्रकार भरी जाएं ताकि अंकों और शब्दों में लिखी गई दरों में किसी प्रकार की भिन्नता न हो । यदि कोई भिन्नता पाई जाए तो वह दर सही मानी जाएगी जो ठेकेदार द्वारा किए गए कलन के अनुरूप होगी ।

said period or makes any modification in the terms and conditions of the tender which are not acceptable to the department, then the Government of India shall without prejudice to any other right or remedy, be at liberty to forfeit 10% (ten percent) of the said earnest money.

23. The contractors exempted from payment of earnest money/security deposit in individual cases should attach with the tender an attested copy of the Circle/Branch Officer letter exempting them from the payment of earnest money and security deposit and should produce the original whenever called upon to do so.

24. The tender for the work shall not be witnessed by a contractor or contractors who himself/themselves/has/have tendered or who may tender for the same work. Contractor's failure to observe this condition and tenders of the contractors tendering as well as witnessing the tender are liable to summary rejection.

25. The tender for the composite work includes the building work, sanitary and water supply and drainage installations, electrical works and horticultural works.

26. The tenderer apart from being a class II (B&R) contractor must associate himself with agencies of the appropriate class which are eligible to tender for sanitary and water supply and drainage installations.

27. The contractor shall submit a list of works in hand (progress) in the following form:—

Name of work	Name and particulars of Circle/Branch where work is being executed	Amount of work	Position of work in progress	Remarks
1	2	3	4	5

28. Rates quoted by the Contractor in item rate tender in figures and words shall be accurately filled in so that there is no discrepancy in the rates written in figures and words. However, if a discrepancy is found, the rates which correspond with the amount worked out by the contractor shall be taken as correct.

29. यदि, ठेकेदार द्वारा किसी मद की राशि का कलन न किया गया हो अथवा उसके द्वारा किया गया कलन अंकों या शब्दों में लिखित दर के समनुरुप न हो तो ठेकेदार द्वारा शब्दों में दी गई दर सही मानी जाएगी।

30. जहां ठेकेदार द्वारा अंकों और शब्दों में दी गई दरें समान होती हैं, किन्तु कलित धनराशि शुध्दतापूर्वक न निकली गई हो वहां, ठेकेदार द्वारा दी गई दर को शुद्ध माना जाए न कि राशि को।

31. ठेकेदार को अंप्रेटिस अधिनियम, 1961 के उपबंधों और उसके अंतर्गत समय समय पर जारी नियमों और आदेशों का अनुपालन करना होगा। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ होता है, तो उसकी यह असमर्थता संविदा भंग मानी जाएगी और मंडल/शाखा अधिकारी स्वविवेक से उस ठेके को रद्द कर सकता है। ठेकेदार इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के परिणामस्वरुप होने वाली किसी प्रकार की आर्थिक देयता के लिए भी उत्तर-दायी होगा।

मंडल/शाखा अधिकारी के हस्ताक्षर
भारत के राष्ट्रपति के निमित्त और उस की ओर से

29. If the amount of an item is not worked out by the contractor or it does not correspond with the rate written either in figures or in words then the rate quoted by the contractor in words shall be taken as correct.

30. Where the rates quoted by the Contractor in figures and in words tally but the amount is not worked out correctly, the rate quoted by the contractor will be taken as correct and not the amount.

31. The contractor shall comply with the provisions of the Apprentices Act, 1961, and the rules and orders issued there under from time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of the contract and the Circle/Branch Officer may in his discretion cancel the contract. The contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the provisions of the Act.

Signature of Circle/Branch Officer for and on behalf of the President of India.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

भा० पु० स० नि० का० 30(क)
ASIW 30 (a)
मंडल
Circle
उप-मंडल
Sub-Circle

निर्माण सामग्री की पूर्ति हेतु निविदा एवं संविदा
TENDER FOR CONTRACT FOR SUPPLY OF MATERIALS

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता का पैरा)
(Archaeological Works Code Paragraph)

संविदाकारों के मार्गदर्शन हेतु सामान्य नियम एवं निदेश

खण्ड 1.— संविदा के आधार पर जिन पूर्तियों का प्रस्ताव है, उनकी सूचनाएं निविदा आमंत्रण सूचना के रूप में होंगी, इन पर मंडल/शाखा अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे तथा इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाया जाएगा ।

इस प्रपत्र पर पूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के अतिरिक्त निविदा पेश करने तथा खोलने की तारीख, निर्माण कार्य पूरा करने के लिए स्वीकृत समय, सफल निविदाकारों द्वारा जमा की जाने वाली बयाने की राशि तथा प्रतिशत जो बिल से काट लिया जाएगा विनिर्देशनों की प्रतियां तथा निर्माण कार्य में संबंधित आवश्यक अन्य दस्तावेजों का उल्लेख होगा, शिनाख्त करने की दृष्टि से इन पर मंडल/शाखा अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेगा और वह मंडल/शाखा अधिकारी के कार्यालय में कार्य दिवसों के दौरान ठेकेदारों द्वारा जांच हेतु उपलब्ध रहेगा ।

(2) यदि किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत की जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके हर सदस्य द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, यदि कोई भागीदार अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में उस पर उसकी ओर से ऐसे व्यक्ति से हस्ताक्षर कराया जाना चाहिए जिसे ऐसे कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत करते हुए मुख्तारनामा प्राप्त हो, ऐसे मुख्तारनामा को निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा उससे यह प्रकट होना चाहिए कि वह फर्म भारतीय भागीदारी अधिनियम के अन्तर्गत विधिवत् पंजीकृत है ।

(3) फर्म को दिये गए भुगतान की रसीदों पर भी अनेक भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए सिवाय उन मामलों के जहां उनकी निविदा प्रपत्रों में संविदाकारों का ब्यौरा फर्म के रूप में दिया गया हो, जिस मामले में रसीद पर किसी एक भागीदार के द्वारा हस्ताक्षर होना आवश्यक हो, अथवा किसी एक व्यक्ति द्वारा जिसे फर्म की ओर से मान्य रसीद देने का प्राधिकार हो ।

GENERAL RULES AND DIRECTIONS FOR THE GUIDANCE OF CONTRACTORS

CLAUSE 1.—All supplies proposed to be obtained by contract will be notified in a form of invitation of tender posted in public places and signed by the Circle/Branch Officer.

This form will state the supplies to be made as well as the date for submitting and opening tenders and the time allowed for carrying out the work, also the amount of the earnest money to be deposited by the successful tenderer and the percentages to be deducted from the bills. Copies of the specifications and any other documents required in connection with the work, signed for the purpose of identification by the Circle/Branch Officer, shall also be open for inspection by the contractor at the office of the Circle/Branch Officer during office hours.

(2) In the event of the tender being submitted by a firm, it must be signed separately by each member thereof, or in the event of the absence of any partner, it must be signed on his behalf by a person holding a power-of-attorney authorising him to do so, such power-of-attorney to be produced with the tender and it must disclose that the firm is duly registered under the Indian Partnership Act.

(3) Receipts for payments made to a firm, must also be signed by the several partners except where the contractors are described in their tender as a firm, in which case the receipt must be signed in the name of the firm by one of the partners, or by some other person having authority to give effectual receipt for the firm.

(4) निविदा देने वाले सभी व्यक्तियों को साधारण मुद्रित प्रपत्र भरना होगा, जिसमें उसे बताना होगा कि निर्माण-कार्य की प्रत्येक मद को किस दर पर पूरा करने के लिए तैयार है उस निविदा को जिसमें कथित निविदा आमंत्रण सूचना प्रपत्र में विनिर्दिष्ट निर्माण कार्य में या निर्माण कार्य पूरा करने के लिए स्वीकृत समय में किसी प्रकार के हेरफेर करने का प्रस्ताव हो या किसी प्रकार की अन्य शर्त अन्तर्विष्ट की गई हो, रद्द कर दिया जाएगा ।

किसी एक निविदा में एक से अधिक निर्माण कार्य शामिल नहीं किया जायेगा, किन्तु यदि कोई ठेकेदार दो या दो से अधिक निर्माण कार्य लेना चाहता है तो उसे हरेक के लिए अलग निविदा देनी होगी । निविदा जिस निर्माण कार्य से संबंधित होगी उसका नाम तथा उसकी संख्या उसके लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ होगा ।

(4)क. दरें और/अथवा राशि(यां) दशमलव सिक्कों में ही लिखी जाएं ।

(5) निविदाएं मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा या उसका विधिवत् प्राधिकृत किसी भी इच्छुक ठेकेदार के समक्ष जो उस समय उपस्थित होगा, निविदा खोली जाएगी और निविदाओं की राशियों का यथोचित प्रपत्र पर एक तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाएगा । स्वीकृत हो जाने की स्थिति में उसके साथ भेजी गई बयाने की राशि की रसीद ठेकेदार को दी जाएगी जो शिनाख्त के उद्देश्य से विनिर्देशनों तथा नियम 1 में उल्लिखित अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा । यदि निविदा अस्वीकार हो जाती है तो इस प्रकार अस्वीकृत निविदा के साथ प्रेषित बयाने की राशि निविदा प्रस्तुत करने वाले ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी ।

(6) निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी को सभी या किसी एक निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार होगा और वह निम्नतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

(7) ठेकेदार द्वारा किये गये धनराशि के भुगतान के विरुद्ध किसी लेखापाल या लिपिक द्वारा दी गई रसीद को मंडल/शाखा अधिकारी को दिये गये भुगतान की किसी पावती के रूप में नहीं माना जाएगा और ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह मंडल/शाखा अधिकारी या किसी विधिवत् प्राधिकृत खजांची आहरण तथा संवितरण अधिकारी से हस्ताक्षरित रसीद प्राप्त कर लें ।

खंड 2—जिस/जिन व्यक्ति/व्यक्तियों की निविदा/निविदाएं स्वीकार हो जाएंगी (आगे जिसे ठेकेदार कहा जाएगा) वे संविदा के अन्तर्गत किये गये निर्माण कार्य के लिए किसी प्रकार का भुगतान करते वक्त सरकार को ऐसी

(4) Any person who submits a tender shall fill up the usual printed form, stating at what rate he is willing to undertake each item of the work. Tenders which propose any alteration in the work specified in the said form of invitation to tender or in the time allowed for carrying out the work, or which contain any other conditions of any sort, will be liable to rejection.

No single tender shall include more than one work, but contractors who wish to tender for two or more works shall submit a separate tender for each. Tenders shall have the name and number of the work to which they refer, written outside the envelope.

(4) A. The rate(s) and/or amount(s) must be quoted in decimal coinage.

(5) The Circle/Branch Officer will open tenders in the presence of any intending contractors who may be present at the time, and will enter the amounts of the several tenders in a Comparative statement in a suitable form. In the event of a tender being accepted a receipt for the earneast money forwarded therewith shall thereupon be given to the contractor who shall thereupon for the purpose of identification sign copies of the specifications and other documents mentioned in Rule 1. In the event of a tender being rejected the earnest money forwarded with such unaccepted under shall thereupon be returned to the contractor remitting the same.

(6) The Officer inviting tenders shall have the right of rejecting all or any of the tenders and will not be bound to accept the lowest tender, if he has reasons to decide otherwise.

(7) The receipt of an accountant or clerk for any money paid by the contractor will not be considered as an acknowledgement of payment to the Circle/Branch Officer and the contractor shall be responsible for seeing that he procures a receipt signed by the Circle/Branch Officer or a duly authorised cashier or the D. D. O.

CLAUSE 2.—The person/persons, whose tender(s) may be accepted (herein after called the contractor) shall permit the Government at the time of making any payment to him for work done under the contract to deduct such

कोई भी रकम काट लेने की अनुमति देंगे जो बयाने की राशि के रूप में पहले ही जमा की गई हो, जो इस प्रकार होगी--

(i) यदि निर्माण कार्य की लागत 1,00,000/ रुपए हो तो निविदा में दी गई अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत ।

(ii) यदि निर्माण कार्य की लागत 1,00,000/- रुपए हो और 2,00,000/- रुपए तक हो तो प्रथम 1,00,000/-रुपए पर 10 प्रतिशत और शेष राशि पर 7½ प्रतिशत ।

(iii) यदि निर्माण कार्य की लागत 2,00,000/- रुपए से अधिक हो तो प्रथम 1,00,000/- रुपए पर 10 प्रतिशत, दूसरे एक लाख रुपए पर 7½ प्रतिशत और शेष राशि पर 5 प्रतिशत, परन्तु शर्त है कि यह मात्र 1,00,000 रुपए से अधिक न हो जब तक उसको/उनको व्यक्तिगत रूप में प्रतिभूति जमा अदा करने से छूट न मिल गई हो अथवा उपरिलिखित दर पर प्रतिभूति नकद या सरकारी प्रतिभूति या किसी अनुसूचित बैंक या भारतीय स्टेट बैंक में सावधिक जमा की रसीद या गारंटी बांडों के रूप में जमा करायेगा, किन्तु यदि ठेकेदार किसी बैंक की सावधिक जमा रसीद के रूप में सरकार को प्रतिभूति जमा देता है और उस बैंक की परिसमाप्ति हो जाती है या वह बैंक किसी कारणवश कथित सावधिक जमा रसीद के विरुद्ध भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है, तो इस प्रकार ठेकेदार द्वारा कराये गये नुकसान का दायित्व ठेकेदार पर होगा और वह ठेकेदार सरकार के घाटे की पूर्ति की मांग किये जाने पर तुरंत अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप जमा करेगा । सरकार प्रतिभूति निक्षेप के रूप में इस प्रकार की कटौतियां करेगी बशर्ते कि सरकार इस प्रयोजन से हमेशा प्रत्येक चालू बिल की राशि से उतने प्रतिशत की कटौती के लिए हकदार होगी जितने तक में प्रतिभूति निक्षेप की शेष धनराशि व यदि वसूल की जा रही हो, पूरी न हो जाए । इस संविदा के अधीन ठेकेदार द्वारा अदा की जाने वाली क्षतिपूर्ति या अन्य प्रकार की धनराशि उसके प्रतिभूति निक्षेप से अथवा उसके किसी अंश से अथवा उस पर आने वाले ब्याज से या किसी भी प्रकार की धनराशि से जो किसी लेखे के माध्यम से ठेकेदार को सरकार से प्राप्त होती हो या होनी हो, काट ली जाए । उपरिकथित ठेकेदार को चाहिए कि वह जैसी भी स्थिति वह हो, प्रतिभूति निक्षेप में से इस प्रकार की कटौती या विक्रय के कारण अपने प्रतिभूति निक्षेप में होने वाले ह्रास को 10 दिन

sum, as along with sum already deposited as earnest money, will amount—

(i) In the case of works costing upto Rs. 1,00,000 to 10% of the estimated cost of the work put to tender.

(ii) In the case of works costing more than Rs. 1,00,000, and upto Rs. 2,00,000 10% on the first 1,00,000, 7½% on the balance.

(iii) In the case of works costing more than Rs. 2,00,000, 10% on the first Rs. 1,00,000, 7½% on the next Rs. 1 lakh and 5% on the balance, subject to a maximum of Rs. 1,00,000 only, unless he is/they are exempted from payment of Security Deposit in individual cases or has/have deposited the amount of security at the rate mentioned above in cash or in the form of Government Securities or Fixed Deposit Receipts or Guarantee Bonds of any scheduled bank or the State Bank of India. In case a fixed deposit receipt of any bank is furnished by the contractor to the Government as part of the security deposit and the bank goes into liquidation or for any reason is unable to make payment against the said fixed deposit receipt, the loss caused thereby shall fall on the contractor and the contractor shall forthwith on demand furnish additional security to the Govt. to make good the deficit. Such deductions are to be held by the Government by way of security deposit, provided always that the Government for this purpose shall be entitled to recover 10% of the amount of each running bill till the balance of the amount of security deposit if realised. All compensation or other sums of money payable by the contractor under the terms of this contract may be deducted from or paid by the sale of a sufficient part of his security deposit or from the interest arising therefrom, or from any sums which may be due to or may become due to the contractor by Government on any account whatsoever and in the event of his security deposit being reduced by

के भीतर नकद जमा करके या भारत के राष्ट्रपति के नाम गारंटी बांड भरकर या भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा दी गयी सावधिक जमा रसीद जमा कर के पूरा करें (अनुसूचित बैंकों द्वारा दी गई गारंटी के मामले में उक्त धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति के रूप में निर्धारित की गई वित्तीय सीमा से अधिक न हो) या सरकारी प्रतिभूतियां (जो कम से कम 12 महीने तक जमा रखी गई हों) मंडल/शाखा अधिकारी के पक्ष में वह धनराशि पृष्ठांकित करे जो उनके प्रतिभूति निक्षेप से काट ली गई हो या उसे या उसके किसी अंश को बेचकर चुका ली गई हो। प्रतिभूति निक्षेप का समाहरण ठेकेदार के चालू बिल से उपरिकथित दरों से किया जाएगा और बयाने की राशि यदि निविदा के समय नकद जमा की गई हो तो उसे प्रतिभूति निक्षेप का एक अंग माना जाएगा ।

reasons of any such deductions or sale as aforesaid, the contractor shall within 10 days make good in cash or guarantee bonds in favour of the President of India or fixed deposit receipt tendered by State Bank of India or by scheduled banks (in case of guarantee offered by scheduled bank, the amounts shall be within financial limits prescribed by Reserve Bank of India) or Government securities (if deposited for more than 12 months) endorsed in favour of the Circle/Branch Officer any sum or sums which may have been deducted from or realised by sale of his security deposit or any part thereof. The security deposit shall be collected from the running bills of the contractor at the rates mentioned above and the earnest money if deposited in cash at the time of tender will be treated as part of security deposit.

टिप्पणी 1— प्रतिभूति के रूप में दिये गये सरकारी प्रमाण पत्रों का मूल्य उसके बाजार मूल्य अथवा उसके शुद्ध मूल्य उन दोनों में से जो भी अपेक्षाकृत कम होगा से 5 प्रतिशत कम होगा। सरकारी प्रमाण पत्र का मूल्य मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा उस पर ब्याज समाहरण के समय लगाया जाएगा तथा यदि सरकारी प्रमाण-पत्रों का मूल्य में ह्रास पाया जाएगा तो ब्याज की राशि यथावश्यक होने पर रोक ली जाएगी। सरकारी प्रमाणपत्रों में निष्ठा बांड को छोड़कर केन्द्रीय वित्तीय विनियम के नियम 274 में उल्लिखित सभी प्रकार की प्रतिभूतियां सम्मिलित होंगी। इस हेतु प्रतिभूति के प्रत्येक प्रकार के लिए निर्दिष्ट सभी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा ।

Note 1.—Govt. papers tendered as security will be at 5% below its market value or its face value whichever is less. The market price or Govt. papers would be ascertained by the Circle/Branch Officer at the time of collection of interest and the amount of interest to the extent of the deficiency in value of Government papers will be withheld if necessary, Government securities will include all forms of securities mentioned in rule 274 of G. F. R., except fidelity bonds. This will be subject to the observance of conditions under the rule against each form of security.

टिप्पणी 2.— ठेकेदार को निविदा में उल्लिखित तारीख को या उससे पूर्व इमारती सामान सुपुर्द करना होगा। ऐसा न कर सकने पर उसे संविदा की कुल राशि का एक प्रतिशत प्रतिदिन कम से कम दस दिनों के लिए के हिसाब से क्षतिपूर्ति होगी या उसे काट लेने की अनुमति देनी होगी।

परन्तु हमेशा यह कि इस खंड के उपबंधों के अधीन संदत्त की जाने वाली प्रतिपूर्ति की जानेवाली पूर्ति की अनुमानित लागत के दस प्रतिशत से अधिक न हो, जैसा कि दस दिनों में दर्शाया गया है।

Note 2.—The contractor is to deliver the materials on or before the date mentioned in the tender. Failing which he shall be subject to pay an amount equivalent to one per cent on the total amount of the contract, as compensation for every day not exceeding ten days.

Provided always that the entire amount of compensation to be paid under the provisions of this clause shall not exceed ten per cent on the estimated cost of supplies to be made, as shown in the ten days.

खंड 3.—वैसे हर मामले में, खंड 2 में उल्लिखित अदायगी अथवा भत्ते लगाकर दस दिनों के लिए बकाया हो चुके होंगे । मंडल।शाखा अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह संविदा को रद्द कर दे और उसे फिर बिना नोटिस दिए ठेकेदार के जोखिम और खर्च पर सामग्री की पूर्ति को पूर्ण करा ले और ठेकेदार को क्षति के बदले क्षतिपूर्ति का दावा करने का हक नहीं होगा, चाहे उसे किसी प्रकार की क्षति भी क्यों न हुई हो ।

खंड 4.—यदि ठेकेदार को सामान की पूर्ति करने में किसी प्रकार की बाधा हो जाए और इस निविदा में स्वीकृत समय को बढ़ाने की आवश्यकता उपस्थित हो जाए तो वह लिखित रूप से मंडल/शाखा अधिकारी को आवेदन करेगा जो उचित आधार के दर्शाये जाने पर उसे लिखित रूप से स्वीकार करेगा । मंडल/शाखा अधिकारी के लिखित प्राधिकार के बिना ठेकेदार खंड 2 के अधीन आरोप्य जुर्माने से छूट पाने के लिए दावा नहीं कर सकता है । शेष निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए ठेकेदार उतने ही की बढ़ोतरी का हकदार होगा जितने के लिए प्रभारी इंजीनियर द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

खंड 5.—ठेकेदार मंडल/शाखा अधिकारी को (आगे जिसे प्रभारी इंजीनियर) कहा जाएगा, सामान की सुपुर्दगी के बारे में अपना अभिप्राय बताएगा और सामान के अनुमोदित हो जाने पर उसे मंडल/शाखा अधिकारी अथवा उसके सहायक द्वारा एक रसीद दी जाएगी तथा जब तक वह सामान अनुमोदित न हो जाएं, सामान को सुपुर्द किया हुआ न समझा जाएगा ।

खंड 6.—सामान पूर्ति कार्य के पूर्ण हो जाने पर मंडल/शाखा अधिकारी (आगे जिसे प्रभारी इंजीनियर कहा जाएगा) ठेकेदार को इस आशय का एक प्रमाण-पत्र देगा, किन्तु सुपुर्दगी कार्य को तब तक पूर्ण नहीं समझा जाएगा जब तक ठेकेदार उसे जैसा निर्देश दिया जाए, उसके मुताबिक अस्वीकृत सामान को हटा न दे और अनुमोदित सामान को जमा न कर दे या उस स्थिति में रख दे ।

खंड 6-क.—पूर्ति कार्य के प्रारम्भ हो जाने पर भारत के राष्ट्रपति यदि किसी भी अवसर पर किसी भी कारण से उसकी संपूर्ण मात्रा जिसकी पूर्ति निविदा में विनिदिष्ट की गई हो, न चाहे तो मंडल/शाखा अधिकारी को, ठेकेदार की ओर से विलम्ब हो जाने पर संविदा को भंग करने के अधिकार के अतिरिक्त, उसके तहत राष्ट्रपति को सभी प्रकार की उसकी देयता से विमुक्त करने का अधिकार होगा जिसके लिए वह ठेकेदार को ऐसा करने की अपनी मंशा बताते हुए लिखित रूप में विधितः नोटिस देगा, यदि इस प्रकार की नोटिस दी जा रही हो, तो

CLAUSE 3.—In every case in which the delay mentioned in clause 2 shall have occurred for ten consecutive days, the Circle/Branch Officer shall have the power to annul the contract and to have the supply completed at the contractor's risk and expenses without any further notice to him and the contractor shall have no claim to compensation for any loss that he may incur in any case.

CLAUSE 4.—If the contractor shall be hindered in the supply of the materials so as to necessitate an extension of the time allowed in this tender he shall apply in writing to the Circle/Branch Officer, who shall grant it in writing if reasonable ground be shown for it, and without such written authority of the Circle/Branch Officer, the contractor shall not claim exemption from the fine leviable under clause 2. For the completion of the rest of the works the contractor shall be entitled to such extension of time as may be determined by the Engineer-in-charge.

CLAUSE 5.—The contractor shall notify to the Circle/Branch Officer (hereinafter called the Engineer-in-charge) of his intention of making delivery of materials and, on the materials being approved, a receipt shall be granted to him by the Circle/Branch Officer or his assistant and no material will be considered as delivered until so approved.

CLAUSE 6.—On the completion of the delivery of materials, the contractor shall be furnished with a certificate to that effect by the Engineer-in-charge but the delivery will not be considered as complete, until the contractor shall have removed all rejected materials and shall have the approved materials stocked or placed in such position as pointed out to him.

CLAUSE 6-A.—If at any time after the commencement of the supplies the President of India shall, for any reason whatsoever not require the whole of the quantity thereof as specified in the tender to be supplied, the Circle/Branch Officer shall, in addition to his power to annul the contract in case of default on the part of the contractor, have power to terminate all liability of the President thereunder at any time after giving due notice in writing to the contractor of his desire to do so, in the event of such a notice being given.

(क) मंडल/शाखा अधिकारी को ठेकेदार की नोटिस की अवधि समाप्त होने तक उस सामान के पूर्ति कार्य को पूर्ण कराने तथा उसके बाद पूर्ति कार्य को बंद कराने का अधिकार होगा; उस तारीख तक और स्वीकृत प्राप्त सभी सामानों या पूर्तियों के लिए निविदत्त दर पर संदाय करेगा; और

(a) the Circle/Branch Officer shall be entitled to direct the contractor to complete the supply of the material which are ready for delivery upto the expiry of the notice and thereafter to cease their supply; all the articles or supplies received and accepted and upto that date shall be paid for at the tendered rate; and

(ख) ठेकेदार वैसे किसी प्रकार की धनराशि के भुगतान अथवा क्षतिपूर्ति के लिए दावा नहीं करेगा जो संविदा को पूरी तरह समाप्त कराने के फलस्वरूप लाभ या फायदे के रूप में उसे मिलता, किन्तु जो कालपूर्व परिसमाप्त होने के कारण उसे न मिला अथवा इसके फलस्वरूप हुए किसी प्रकार के नुकसान के रूप में उठाना पड़ा हो।

(b) the contractor shall have no claim to any payment or compensation whatsoever on account of any profit or advantage which he might have derived in consequence of the full execution of the contract but which he did not obtain owing to its premature termination, or for any loss which he might have sustained on this account.

खंड 7.—जिस निर्माण कार्य की अनुमानित लागत पांच हजार रुपये या इससे कम हो, उसकी अदायगी तब तक नहीं की जाएगी जब तक की सम्पूर्ण निर्माण कार्य समाप्त हो जाने के बाद समापन प्रमाण पत्र दे नहीं दिया जाता है। किन्तु जिस निर्माण कार्य की अनुमानित लागत पांच हजार रुपये से अधिक हो, बिल प्रस्तुत करने पर कि ठेकेदार उस मंडल/शाखा अधिकारी की संतुष्टि तक किये गये निर्माण कार्य के अनुपात में मासिक भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा। जिसका प्रमाणपत्र ठेकेदार को दिए जाने वाले भुगतान की राशि के हेतु अन्तिम तथा निर्णायक होगा।

CLAUSE 7.—No payment should be made for a work estimated to cost rupees five thousand or less till after the whole of the work shall have been completed and certificate of completion given. But in the case of work estimated to cost more than rupees five thousand, the contractor shall, on submitting the bill be entitled to receive a monthly payment proportionate to the part thereof then executed to the satisfaction of the Circle/Branch Officer whose certificate of the sum payable shall be final and conclusive against the contractor.

ठेकेदार को देय भुगतान, यदि उसकी इच्छा हो, तो प्रत्यक्षतः उसे करने के बजाय बैंक को की जा सकती है बशर्ते ठेकेदार मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा बैंक को भुगतान द्वारा किये गये दावे के लेखे के समझौते से पूर्व मंडल/शाखा अधिकारी को (1) बैंक के नाम भुगतान प्राप्त करने का प्राधिकार प्रदान करते हुए वकालतनामा जैसी विधि-मान्य दस्तावेज के रूप में अनुज्ञप्ति और (2) सरकार को दिए गये लेखे के शुद्धिकरण संबंधी अपनी स्वीकृति दे जब कि ऐसे बैंक की रसीद भुगतान का पूर्ण तथा समुचित उन्मोचन माना जाएगा। ठेकेदार को चाहिए कि वह यथासंभव बैंक वालों से विधिवत् प्राप्त किये हुए एवं उन्मोचित बिल प्रस्तुत करे;

Payments due to the contractor may, if so desired by him be made to his bank instead of direct to him, provided that the contractor furnishes to the Circle/Branch Officer (1) an authorisation in the form of a legally valid document such as a power-of-attorney conferring authority on the bank to receive payment, and (2) his own acceptance of the correctness of the account preferred against Government before settlement by the Circle/Branch Officer of the account of claim by payment to the bank while the receipt given by such bank shall constitute a full and sufficient discharge for the payment, the contractor should, wherever possible, present his bills duly receipted and discharged through his bankers.

इसमें जो कुछ भी अन्तर्विष्ट है वह भारत के राष्ट्रपति की तुलना में बैंक के पक्ष में किसी प्रकार के अधिकार अथवा औचित्य का सृजन नहीं करेगा।

Nothing herein contained shall operate to create in favour of the bank any rights or equities vis-a-vis the President of India.

खंड 8.—सामग्री उत्कृष्ट किस्म की और विनिर्देशन के अनुसार ही होंगी तथा ठेकेदार उतनी ही राशि का भुगतान प्राप्त करेगा जितनी कि मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा अनुमोदित एवं पास की जाएगी।

खंड 9.—यदि मंडल/शाखा अधिकारी किसी सामान को विनिर्देशन के ब्यौरे की तुलना में घटिया किस्म का समझता है तो ठेकेदार को लिखित रूप में कहे जाने पर उसे अपने प्रभार और खर्च पर हटाना पड़ेगा तथा मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अवधि के अन्दर उसके द्वारा ऐसा करने में लापरवाही बरते जाने पर वह अधिकारी ठेकेदार की जोखिम पर उस सामान को हटा सकता है और इस पर हुए व्यय को ठेकेदार को देय या देय होने वाले किसी भी रकम से काट सकता है।

खंड 9-अ.—ठेकेदार/विक्रेता एतद्द्वारा यहां घोषणा करते है कि इस संविदा के अन्तर्गत सरकार को बेची गई या बेचे जाने वाले माल/भंडार सामग्री उत्कृष्ट किस्म (और कारीगरी) की होगी और यह पूर्णतया विनिर्देशन और इसके खंड 8 में अन्तर्विष्ट/उल्लिखित विवरणों के अनुरूप होगी और वह ठेकेदार/विक्रेता एतद्द्वारा इस बात का गारेंटी देगा कि कथित माल/भंडार/सामग्री मंडल/शाखा अधिकारी के सुपुर्द किये गये उक्त माल/भंडार/सामग्री की सुपुर्दगीकृत तारीख से तीन महीने की अवधि तक के लिए उपरिकथित ब्यौरे और किस्म की ही मानी जाती रहेगी और यह कि इस बात के बावजूद कि मंडल/शाखा अधिकारी ने निरीक्षण और/अथवा अनुमोदन किया हो, उक्त माल/सामग्री उपरिकथित ब्यौरे तथा किस्म की नहीं है, अथवा उसका गुणाह्रास होगया है, ऐसा पता लगने पर) इस मामले में मंडल/शाखा अधिकारी का निर्णय अन्तिम और निर्णायक होगा तथा पार्टियों के लिए आबद्धकारी होगा) मंडल/शाखा अधिकारी को यह हक होगा कि वह कथित माल/सामान/सामग्री अथवा उसके किसी अंश को जिसके बारे में ऐसा पता लगे और वह कथित ब्यौरे और किस्म की नहीं है, अस्वीकार कर सकता है। इस प्रकार अस्वीकार कर दिये जाने पर वह माल/सामान/सामग्री विक्रेता के जोखिम पर होगा और इसके खंड 9 में अन्तर्विष्ट इस खंड के अन्तर्गत अस्वीकृत माल/सामान/सामग्री को हटाने से संबंधित व्यवस्थाएं आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगी। यदि ठेकेदार विक्रेता को उक्त माल/सामान/सामग्री को या उसके किसी अंश को बदलने के लिए कहा जाए जिसे मंडल/शाखा अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया है तो वह उसे बदल देगा अन्यथा ठेकेदार/विक्रेता को ऐसे इसमें अन्तर्विष्ट शर्तों को भंग करने के फलस्वरूप सरकार को होने वाली क्षति की पूर्ति करना होगा।

CLAUSE 8.—The materials shall be of the best description and strictly in accordance with the specification, and the contractor shall receive payment for such materials only as are approved and passed by the Circle/Branch Officer.

CLAUSE 9.—In the event of the material being considered by the Circle/Branch Officer to be inferior to that described in the specifications, the contractor shall on demand in writing forthwith remove the same at his own charge and cost and in the event of his neglecting to do so within such period as may be determined by the Circle/Branch Officer that officer may have such rejected material removed at the contractor's risk and the expenses incurred being liable to be deducted from any sums due or which may become due to the contractor.

CLAUSE 9A.—The contractor/seller hereby declares that the goods/stores articles sold or to be sold to the Government under this contract shall be of the best quality (and workmanship) and shall be strictly in accordance with the specifications and particulars contained/mentioned in clause 8 hereof and the contractor/seller hereby guarantees that the said goods/stores/articles shall continue to conform to the description and quality aforesaid for a period of three months from the date of delivery of the said goods/stores/articles to the Circle/Branch Officer and that notwithstanding the fact that the Circle/Branch Officer may have inspected and/or approved the said goods/articles and has discovered not conform to the description and quality aforesaid or to have deteriorated (and the decision of the Circle/Branch Officer in that behalf will be final and conclusive and binding on the parties) the Circle/Branch Officer will be entitled to reject the said goods/stores/articles or such portion thereof as may be discovered as not to conform to the said description and quality. On such rejection the goods/articles/stores will be at the seller's risk and the provisions contained in the clause 9 hereof shall *mutatis mutandis* apply to the removal of the goods/stores/articles rejected under this clause. The contractor/seller shall if called upon to replace the said goods/stores/articles, or such portion thereof as has been rejected by the Circle/Branch Officer or otherwise the contractor/seller shall pay to the

इसमें जो कुछ भी अन्तर्विष्ट है उससे इस संविदा के अंतर्गत अथवा सरकार के किसी भी अधिकार पर अन्यथा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

खंड 10. यदि ठेकेदार अथवा उसके कामगार या नौकर उस स्थान से संलग्न किसी इमारत, सड़क पर लगे डंडे वाड़े, घेरे, पानी के नलों, बिजली के तारों, नालियों, बिजली या टेलीफोनों के खंभों या तारों, पेड़ों घास या लगाई गई घास वाले स्थान को खंडित या विरूपित करते है, या क्षति पहुंचाते या उसे नष्ट करते है जहां सामान की पूर्ति की जा रही हो, तो वह अपने खर्च पर उसकी क्षति-पूर्ति करेगा और उसके द्वारा ऐसा करने से इंकार करने या/उसके असफल होने पर यह मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा उसके खर्चे पर कराई जाएगी, जिस व्यय को वह ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी राशि से काट कर पूरा करेगा ।

खंड 11. ठेकेदार अपने व्यय पर उन सभी औजारों, संयंत्र और उपकरणों की पूर्ति करेगा जो संविदा की पूर्ति के लिए आवश्यक होगा और वे सामान अन्तिम रूप से सुपुर्द किये जाने की तारीख तक उसके जोखिम पर रहेंगे, जब तक कि इस बीच में उपयोग हेतु मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा इसे हटाया न जाए ।

खंड 12. मंडल/शाखा अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना सुपुर्दगी स्थल पर कोई सामान हेतु रविवार को नहीं लाए जाएंगे ।

खंड 13.—मंडल/शाखा अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना संविदा शिकमी पर नहीं दी जाएगी । ऐसी अनुमति के बिना यदि ठेकेदार अपनी संविदा शिकमी पर देगा तो इस आधार पर यह समझा जाएगा कि ठेकेदार ने संविदा भंग कर दी है और उसका प्रतिभूति निक्षेप जब्त कर लिया जाएगा और किसी प्रकार की वैसी क्षतिपूर्ति के लिए वह दावा नहीं कर सकेगा जो संगृहित किया गया हो या जिसके लिए प्रतिज्ञा की गई हो ।

खंड 13-अ.—मंडल/शाखा अधिकारी को मौलिक विनिर्देशनों, नक्शों, रूपरेखाओं और अनुदेशों में किसी भी प्रकार के फेरबदल, विलोपन, नवीन परिवर्धन या स्थानापत्ति का अधिकार होगा जो सामान के पूर्ति कार्य के दौरान उसे आवश्यक या उचित प्रतित हो सकता है और ठेकेदार को उन अनुदेशों के अनुसार सामान की पूर्ति करनी होगी जो मंडल/शाखा अधिकारी के हस्ताक्षर से उसे लिखित रूप में दिये जाएंगे, और ऐसे फेर-बदल, विलोपन, परिवर्धन या स्थानापत्ति से संविदा अमान्य नहीं की जा सकेगी

Govt. such damages as may arise by reason of the breach of the condition herein contained. Nothing herein contained shall prejudice any other right of the Govt. in that behalf under this contract or otherwise.

CLAUSE 10.—If the contractor or his work people or servants shall break, deface, injure or destroy any building, road, road clubs, fence, enclosure, water pipes cables drains, electric or telephone posts or wires, trees, grass or grass land of cultivated ground contiguous to the place where the materials are being supplied, he shall make good the same at his own expense and in the event of his refusing or failing to do so the same shall be required to be done at his expense by the Circle/Branch Officer, who shall deduct the cost from any sums due or which may become due to the contractor.

CLAUSE 11.—The contractor shall supply at his own expense all tools, plant and implements required for the due fulfilment of his contract, and the material shall remain at his risk till the date for final delivery unless it shall have been in the mean time removed for use by the Circle/Branch Officer.

CLAUSE 12.—No material shall be brought to site for delivery on Sunday without the written permission of the Circle/Branch Officer.

CLAUSE 13.—The contractor shall not sublet the contract without the written permission of the Circle/Branch Officer. In the event of the contractor subletting his contract without such permission he shall be considered to have thereby committed a breach of contract, and shall forfeit his security deposit and shall have no claim for any compensation for any loss for the material/stores that he may have collected or agreement entered into.

CLAUSE 13A.—The Circle/Branch Officer shall have power to make any alterations, ommissions, fresh additions to or substitutions for the original specifications drawings, designs and instructions, that may appear to him to be necessary or advisable during the course of supply of the materials and the contractor shall be bound to supply the materials in accordance with any instructions which may be given to him in writing signed by the Circle/Branch Officer, and such

और पहले से ही परिवर्धित अथवा स्थानापन्न सामान जिसकी उपरिनिर्दिष्ट तरीके से पूर्ति के लिए, जो उक्त कार्य का एक अंग होगा, ठेकेदार को निदेश दिया जाएगा कि ठेकेदार को उसकी पूर्ति यथोक्त परिस्थितियों में सर्वतः करनी होगी जिसके आधार पर मुख्य पूर्ति कार्य करने के लिए वह सहमत हुआ था, और जो मुख्य कार्य हेतु निविदा में विनिर्दिष्ट की गयी है। पूर्ति कार्य के समापन के समय को मौलिक सामान की परिवर्तन, परिवर्धन अथवा स्थानापत्ति की मात्रा के अनुपात को ध्यान में रखकर बढ़ाया जाएगा और इस अनुपात के मामले में मंडल/शाखा अधिकारी का प्रमाणपत्र ही निर्णायक होगा। यदि परिवर्तित, परिवर्धित अथवा स्थानापन्न सामान में सामान की वह श्रेणी शामिल हो जिसके आधार पर उसकी संविदा में दर विनिर्दिष्ट की गई हो तो सामान की ऐसी श्रेणी की पूर्ति उस .... जिले की दर-अनुसूची में दी गई दरों पर की जाएगी जो निविदा के पृष्ठ संख्या 2 में दर्शायी गई अनुमानित लागत पर आधृत हो और यदि एक श्रेणी उक्त दर अनुसूची में लिपिबद्ध न की गई हो तो ठेकेदार सामान की पूर्ति करने के आदेश की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर मंडल/शाखा अधिकारी को उस दर के बारे में सूचित करेगा, जिस पर सामान की ऐसी श्रेणी की कीमत वह लेना चाहता है और यदि मंडल/शाखा अधिकारी उस दर को स्वीकार नहीं करता है तो उसे लिखित रूप में नोटिस देकर सामान की ऐसी श्रेणी की पूर्ति के अपने आदेश को रद्द करने का अधिकार होगा और उसकी पूर्ति का प्रबन्ध उस तरीके से करायेगा जिसे वह उचित समझे परन्तु शर्त यह है कि यदि ठेकेदार इसमें उल्लिखित करते हुए अन्तिम रूप से दर निर्धारण किये जाने से पूर्व पूर्ति कार्य प्रारंभ कर देता है अथवा इस पर किसी प्रकार का व्यय कर देता है तो इस मामले में उस उपरिकथित दर से निर्धारण किये जाने की तारीख से पूर्व की गई पूर्ति अथवा किये गये व्यय के बदले उतनी ही दर पर भुगतान पाने का हकदार होगा जितनी कि मंडल/शाखा अधिकारी निश्चित करेंगे। किसी प्रकार के विवाद के मामले में मंडल/शाखा अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

खंड 13–आ०–यदि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 12, उपधारा (1) के उपबन्धों के आधार पर सभी मामलों में यदि सरकार को कार्य संपादन हेतु ठेकेदार द्वारा लगाये गये कामगारों को क्षतिपूर्ति के लिए भुगतान देना पड़ता है तो सरकार इस प्रकार भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि को ठेकेदार से वसूल करेगी और उक्त अधिनियम की धारा 12, उपधारा (2) के अधीन सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव

alterations, ommissions, additions or substitution shall not invalidate the contract, and already additional or substituted materials which the contractor may be directed to supply in the manner above specified as part of the work shall be supplied by the contractor on the some conditions in all respect, on which he agreed to do to the main work, and at the same rates, as are specified in the tender for the main work. The time for the completion of the supply shall be extended in the proportion that the altered, additional or substituted quantity of materials bears to the original quantity and the certificate of the Circle/Branch Officer shall be conclusive as to such proportion. And if the altered, additional or substituted materials include any class of materials, for which the rate is specified on his contract then such class of materials shall be supplied at the rates entered in the schedule of rate of the —— district on which the estimated cost shown on page 2 of the tender is based, and if such class of materials are not entered in the said schedule of rates, than the contractor shall within seven days of the date or his receipt of the order to supply the materials inform the Circle/Branch Officer of the rate, which it is his intention to charge for such class of materials and if the Circle/Branch Officer does not agree to his rate he shall by notice in writing be at liberty to cancel supply such class of materials and arrange the supply thereof in such manner as he may consider advisable provided always that if the contractor shall commence supply or incur any expenditure in regard thereto before the rates shall have been determined as lastly herein before mentioned then and in such case he shall only be entitled to be paid in respect of the supply made or expenditure incurred by him prior to the date of the determination of the rate of aforesaid according to such rate or rates shall be fixed by the Circle/Branch Officer. In the event of a dispute the decision of the Circle/Branch Officer shall be final.

CLAUSE 13-B. In every case in which by virtue of the provisions of Section 12 sub-Section (1) of the workman's compensation Act, 1923, if Government is obliged to pay compensation to a worker employed by the contractor in execution of the works, Government will recover from the contractor the amount of the compensation so paid, and, without prejudice to the rights of Government

डाले बिना सरकार को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार के प्रतिभूति निक्षेप या ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी अन्य धनराशि से वसूल कर ले, सरकार उक्त अधिनियम की धारा (12) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार के किसी दावे के लिए संविदा करने के लिए बाध्य नहीं होगी सिवाय उन मामलों के जहां ठेकेदार लिखित रूप से निवेदन करके सभी खर्चों के लिए सरकार के पास प्रतिभूति की पूरी राशि जमा करता है, उसके लिए ही दावा किए जाने पर ही सरकार जिम्मेदार होगी बशर्ते कि ऐसी देयता संविदा निष्पादन की अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा की गई उपेक्षा के कारण उपस्थित हो।

under Section 12. Sub-section (2) of the said Act, Government shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting from the Security deposit or from any sums due, or which may become due to the contractor, Government shall not be bound by the contractor any claim made against it, under Section (12) Sub-Section (1) of the said Act except on the written request of the contractor upon his giving to the Government full security for all costs for which Government might become liable in consequence of contesting such claim provided such a liability is caused by negligence on the part of contractor during the period of execution of the contract.

खंड 13-इ(क).—ठेकेदार कार्य पर लगाये गये श्रमिकों को उचित मजदूरी से कम मजदूरी नहीं देगा।

CLAUSE 13-C.—(a) the contractor shall pay not less than fair wage to labourers engaged by him on the work.

स्पष्टीकरण.—"उचित मजदूरी" का अर्थ उस मजदूरी से है जो कार्य के लिए निविदा आमंत्रित करते वक्त चाहे समय और मात्रानुपाती कार्य के लिए अधिसूचित की गई हो और जहां इस प्रकार की मजदूरी अधिसूचित न की गई हो, उस स्थिति में उस जिले के लिए के०लो०नि०वि० द्वारा निर्धारित मजदूरी से है जहां कार्य हो रहा है।

Explanation.—"Fair Wages" mean wages whether for time or piece work notified at the time of inviting tenders for the work and where such wages have not been so notified the wages prescribed by the C. P. W. D. for the district in which the work is done.

(ख) ठेकेदार को किसी संविदा में प्रतिकूल उपबन्धों के होते हुए भी कार्य पर अप्रत्यक्ष रूप से लगाये गये मजदूरों को, जिनमें कार्य के संबंध में उसके अधीनस्थ ठेकेदार द्वारा लगाये गये मजदूर शामिल हैं, उचित मजदूरी का भुगतान कराना होगा, मानो उन्होंने प्रत्यक्षतः मजदूरों को कार्य पर लगाया हो।

(b) The contractor shall notwithstanding the provisions of any contract to the contrary cause to be paid a fair wage to labourers indirectly engaged on the work including any labour engaged by his sub-contractors in connection with the said work, as if the labourers had been immediately employed by him.

(ग) ठेकेदार को इस करार के ठेकेदार के हिस्से के संपादन के लिए कार्य पर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्ष रूप से लगाये गये मजदूरों के संबंध में समय समय पर ठेकेदार को सरकार द्वारा निर्मित उन "मा० पु० स० के ठेका श्रम विनियम" का दृढ़ता से पालन करना होगा। अथवा पालन करवाना होगा। जो मजदूरी के भुगतान, मजदूरी अवधि, मजदूरी से कटौतियां, मजदूरी की वसूली जिसकी अदायगी नहीं हुई है और उन की अप्राधिकृत तौर पर कटौती की जा चुकी है, मजदूरी रजिस्टर, मजदूरी कार्ड रखने, मजदूरी के मान तथा रोजगार की अन्य शर्तों के प्रकाशन, आवधिक विवरणियों की जांच और उसके प्रस्तुतीकरण तथा इस किस्म के अन्य सभी मामलों से संबंधित हैं।

(c) In respect of all labour directly or indirectly employed in the works for the performance on the contractor's part of this agreement the contractor shall comply with or cause to be complied with the A.S.I. Contract Labour Regulations made by the Government from time to time in regard to payment of wages, wage period, deductions from wages, recovery of wages not paid and deductions unauthorisedly made, maintenance of wage register, wage cards, publication of scale of wages and other terms of employment, inspection and submission of periodical returns and all other matters of a like nature.

(घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम 1950 के उपबन्धों के अन्तर्गत ठेकेदार कार्य में प्रत्यक्षत अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित किये गये मजदूरों को छ: दिनों तक लगातार काम कराने पर एक दिन का विश्राम देना होगा और उस दिन के लिए कार्य दिवस की दर से ही मजदूरी का भुगतान करना होगा या करवाना होगा। यदि इसमें किसी प्रकार का व्यतिक्रम हो तो संबंधित मंडल/शाखा अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि से किसी मजदूर को अदा न की गई राशि से काट ले और इसके हकदार व्यक्ति को अदा कर दे।

(d) Under the provisions of the Minimum Wages Act, 1948 and the Minimum Wages (Central) Rules 1950, the contractor is bound to allow or cause to be allowed to the Labourers directly or indirectly employed in the works one days rest for six days continuous work and pay wages at the same rate as for duty; in the event of default the Circle/Branch Officer concerned shall have the right to deduct the sum or sums not paid on account of wages for weekly holiday to any labourers and pay the same to the persons entitled thereto, from any money due to the contractor.

(च) निविदा स्वीकार करने के समय ठेकेदार को इस आशय का एक प्रमाण पत्र देगा कि उचित मजदूरी और श्रम विनियमों का भंग किए जाने पर उसके विरुद्ध संविदा पर हस्ताक्षर करने के समय प्रवृत्त भारत सरकार के तत्संबंधित नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार कारवाई की जाए।

(e) The contractor shall at the time of acceptance of the tender give a certificate to the effect that any breach of the fair wage and labour regulations on his part will be dealt with in accordance with the provisions of the relevant Rules and Regulations of the Government of India in force at the time of signing of the contract.

खंड 13-झ.—इस करार के मुताबिक ठेकेदारों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित किये गये मजदूरों के मामले में ठेकेदार को सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये गये उन नियमों का अनुपालन करना होगा या अनुपालन करवाना होगा जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और इसके ठेकेदारों द्वारा नियोजित कामगारों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता प्रबन्ध से संबंध रखते हैं।

CLAUSE 13-D.—In respect of all labour directly or indirectly employed in the works for the performance on the contractor's part of this agreement, the contractor shall comply with or cause to be complied with all rules framed by Government from time to time for the protection of health and sanitary arrangements for workers employed by the Archeological Survey of India and its contractors.

खंड 13-ट.— ठेकेदार भारत सरकार के मौजूदा विनियमों के अनुसार मजदूरों के लिए अन्य सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने खर्चे पर प्रबंध करेगा और मंडल/शाखा अधिकारी इस संबंध में किसी प्रकार के भंग के लिए दायी नहीं होगा।

CLAUSE 13-E.—The contractor shall make at his own arrangement according to the existing Government of India regulations for providing facilities for labour and the Circle/Branch officer will not be liable for any breach thereof in this regard.

खंड 13-ठ.—मजदूरों के लिए झोपड़ी निर्माण.— ठेकेदार को अपने खर्चे से मजदूरों के लिए पर्याप्त संख्या में झुग्गियां (इन्हें इसके बाद शिविर कहा जाएगा) बनवानी होंगी जो भूमि के उपयुक्त प्लाट पर निम्नलिखित विनिर्देशनों की होंगी और इन्हें प्रभारी इंजीनियर से अनुमोदन कराया जाएगा।

CLAUSE 13-F—Huts for Labour.—The contractor(s) shall at his/their own cost provide his/their labour with a sufficient number of huts (hereinafter referred to as the camp) of the following specification on a suitable plot of land to be approved by the Arch. Engineer-in-charge.

(1) (क)—प्रत्येक झुग्गी की लिंटल स्तर पर ऊंचाई 2.1 मी० या 7 फुट होगी और फर्श का क्षेत्रफल श्रमिक

(1) (a)—The minimum height of each hut at the lintel level shall be 2.1 m or 7 ft. and

के साथ रहने वाले कामगारों के परिवार के प्रति सदस्य के लिए 36 वर्ग फुट हिसाब से होगा ।

(ख) इसके अतिरिक्त ठेकेदार झुग्गी के पास ही कम से कम 1.8 × 1.5मीटर या 6′ × 5′क्षेत्र वाला एक उपयुक्त रसोईघर बनाएगा/बनाएंगे ।

(ग) ठेकेदार/ठेकेदारों को मजदूरों के प्रयोग के लिए कुल संख्या में प्रति सौ मजदूरों पर चार-चार पाखाने और पेशाबघर के हिसाब से अस्थायी पाखाना (संडास) और पेशाबघर बनवाने होंगे, महिलाओं के लिए अलग से पाखाना और पेशाबघरों की व्यवस्था की जाएगी ।

(घ) ठेकेदार/ठेकेदारों को इस शिविर में रहने वाले प्रत्येक 25 व्यक्तियों की एक यूनिट के लिए एक-एक स्नानघर एवं कपड़े धोने के घाट यथोचित संख्या में बनवाने होंगे । स्नानघर एवं कपड़े धोने के घाटों में अच्छी तरह से ओट लगवानी होगी ।

(2) (क) सभी झुग्गियों की दीवारें धूप में सुखाई या आग में पकाई ईंटों की बनी होंगी जिसकी चिनाई मिट्टी के गारे या मसाले या अन्य उपयुक्त स्थानीय सामग्री से जैसा कि प्रभारी इंजीनियर द्वारा अनुमोदित होगा, की जाएगी । यदि धूप में सुखाई गई ईंटों का उपयोग किया गया हो तो उसकी दीवार के दोनों ओर मिट्टी और गोबर से लेवा लगाया जाना चाहिए । फर्श कच्चा भी हो सकता है, लेकिन उस पर गोबर से लेवा कराया जाना चाहिए और इसे आसपास की भूमि से 6″ ऊंचा होना चाहिए । छप्पर फूस या अन्य ऐसी किसी भी वस्तु से बिछायी जानी चाहिए कि जिसे प्रभारी इंजीनियर अनुमोदित करें और ठेकेदार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक इनमें मजदूर रहे तब तक इन छप्पर जलरोधी बने रहें ।

(ख) ठेकेदार को चाहिए कि प्रत्येक झुग्गी में वातायन की समुचित व्यवस्था हो ।

(ग) सुरक्षा की दृष्टि से सभी द्वारों, खिड़कियों और वातायनों में किवाड़ों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ।

(घ) झुग्गियों की पंक्तियों के बीच कम से कम आठ गज की दूरी होनी चाहिए और स्थल उपलब्धता और प्रभारी इंजीनियर के अनुमोदन से इसकी दूरी कम करके 20 फूट तक की जा सकती है तथा इसे एक दूसरे के पीछे भी बनाया जा सकता है ।

the floor area to be provided with shall be at the rate of 36 sq. ft. for each member of the worker's family staying with labours.

(b) The contractor(s) shall in addition construct suitable cooking places having a minimum area of 1.8 × 1.5 m or 6′ × 5′ adjacent to the hut for each family.

(c) The contractor(s) also shall construct temporary latrines and urinals for the use of the labourers each on the scale of not less than four for one hundred of the total strength separate latrines and urinals being provided for women.

(d) The contractor(s) shall construct sufficient number of bathing and washing places one unit for every 25 persons residing in the camp, these bathing and washing places shall be suitably screened.

(2) (a) All the huts shall have walls of sun dried or burnt bricks laid in mud or mortar or other suitable local materials as may be approved by the Engineer-in-charge. In case of sundried bricks the walls should be plastered with mud gobri on both sides. The floor may be Kutcha but plastered with gobri and shall be at least 15 cm or 6″ above the surrounding ground. The roofs shall be laid with thatched or any other materials as may be approved by the Engineer-in-charge and the contractor shall ensure that throughout the period of their occupation the roofs remain water tight.

(b) The contractor(s) shall provide each hut with proper ventilation.

(c) All doors, widows and ventilators shall be provided with suitable leaves for security purposes.

(d) There shall be kept an open space of at least 7.2 m or 8 yards between the rows of huts which may be reduced to 6 m or 20 ft. according to the availability of site with the approval of the Engineer-in-charge, back to back construction will be allowed.

(3) जल-प्रदाय.—ठेकेदार/ठेकेदारों की मजदूरी के इस्तेमाल के लिए जल पूर्ति की समुचित व्यवस्था करनी होगी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीने के लिए 2 गैलन शुद्ध एवं स्वास्थ्य कर पानी तथा नहाने और कपड़े धोने के लिए 3 गैलन साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए । जहां नल द्वारा पानी देने की व्यवस्था की जाती है, वहां स्टेंड पोस्ट के आधार पर पानी देने की व्यवस्था की जाए और जहां कुएं अथवा नदी, तालाब से पानी देने की व्यवस्था हो वहां पक्के घाट की व्यवस्था की जानी चाहिए । ठेकेदार/ठेकेदारों को अपने खर्चे से जल प्रदाय हेतु विद्यमान मुख्य स्थान से चाहे वह कहीं भी उपलब्ध हो, शिविर तक लाने के लिए नल बिछाने की व्यवस्था करनी होगी और इसके लिए उसे/उन्हें सभी प्रकार के शुल्क और प्रभार देने होंगे ।

(4) शिविर हेतु चुने गए स्थल की सतह ऊंची होनी चाहिए और वहां की जंगली वनस्पतियां हटा दी जानी चाहिए ।

(5) मल व्ययन.— ठेकेदारों/ठेकेदारों को चाहिए कि वह/वे संडास के मल का व्ययन खाई जलाकर करें जो स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों की अपेक्षाओं के अनुसार किया जाए, यदि खाई बनाने और भस्मीकरण की अनुमति न हो तो ठेकेदार/ठेकादारों को मल व्ययन की व्यवस्था नगर पालिका/नगर प्राधिकरण के माध्यम से करायी जाए और उसे यह बताया जाए कि नियोजित मजदूरों की संख्या क्या है ताकि ऐसी व्यवस्था की जाए कि ऐसी नगर पालिका/प्राधिकरण द्वारा मल व्ययन की व्यवस्था की जा सके । इस पर होने वाले खर्च का भार ठेकेदार को वहन करना होगा और नगर पालिका/प्राधिकरण को स्वयं अदा करना होगा । जहां शुष्क प्रणाली हो, वहां प्रति 8 बैठने के स्थानों पर एक मेहतर की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी ।

(6) जलनिकास.—शिविर को स्वच्छ और सुन्दर रखने के लिए ठेकेदार/ठेकेदारों को चाहिए कि वह/वे जमा पानी को निकालने के लिए अच्छी व्यवस्था करे/करें ।

(7) शिविर क्षेत्र में कामगारों को दुर्घटना से बचाने के लिए समुचित प्रकाश के लिए आवश्यक व्यस्था करनी होगी ।

(8) स्वच्छता.—ठेकेदार/ठेकेदारों को मजदूरों के शिविरों में सफाई और स्वच्छता की व्यवस्था स्थानीय राजकीय स्वास्थ्य और चिकित्सा प्राधिकारियों के नियमों के अनुसार करनी होगी ।

(3) **Water supply.**—The contractor(s) shall provide adequate supply of water for the use of labourers. The provisions shall not be less than 2 gallons of pure and wholesome water per head per day for drinking purposes and 3 gallons of clean water per head per day for bathing and washing purposes. Where piped water supply is available, supply shall be at stand posts and where the supply is from wells or river, tanks which may be of metal or masonary shall be provided. The contractor(s) shall also at his/their own cost make arrangements for laying pipe lines for water supply to his/their labour camp from the existing mains wherever available, and shall pay all fees and charges therefor.

(4) The site selected for the camp shall be high ground, free from jungle.

(5) **Disposal of Excreta.**—The contractor(s) shall make necessary arrangements for the disposal of excreta from the latrines by trenching or incineration which shall be according to the requirements laid down by the Local Health Authorities, if trenching or incineration is not allowed, the contractor(s) shall make arrangements for the removal of excreta through the Municipal Committee/authority and inform it about the number of labourer employed so that arrangements may be made with such committee/authority for the removal of the excreta. All charges on this account shall be born by the contractor and paid direct by him to the Municipality/Authority. The contractor shall provide one sweeper for every 8 seats in case of dry system.

(6) **Drainage.**—The contractor(s) shall provide efficient arrangements for draining away sullage water so as to keep the camp neat and tidy.

(7) The contractor(s) shall make necessary arrangements for keeping the camp area sufficiently lighted in order to avoid accidents to the worker.

(8) **Sanitation.**—The contractor(s) shall make arrangements for conservancy and sanitation in the labour camps according to the rules of the Local Public Health and Medical Authorities.

खंड 13- क.--इस अनुबन्ध में ठेकेदार के जिम्मे सौंपे गये कार्य के सम्पादन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगाए गए मजदूरों के संबंध में ठेकेदार को अपने खर्चे से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा समय-समय पर बनाई गई सुरक्षा संहिता के उपबन्धों के अनुरूप सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी और तत्संबंधी सभी सुविधाओं का प्रबंध अपने खर्चे से करना होगा । यदि ठेकेदार उपर्युक्त यथोचित सुविधाओं के प्रबंध करने या व्यवस्था करने में असफल हो जाता है तो उसे प्रति व्यक्तिक्रम 50 रुपए जुर्माने के रूप में अदा करना होगा इसके अतिरिक्त प्रभारी इंजीनियर को यह अधिकार होगा कि वह उपरिकथित सुविधाओं का प्रबंध करे और उसकी व्यवस्था करे तथा इस पर होने वाले खर्च को ठेकेदार से वसूल करे ।

खंड 14.—संविदा में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, इसमें उल्लिखित विनिर्देशनों, रूप-रेखाओं, नक्शों और अनुदेशों के अर्थ के संबंध में उठने वाले सभी प्रश्नों और विवादों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मंडल/शाखा अधिकारी द्वारा नियुक्त एक मात्र व्यक्ति के माध्यस्थ को भेजा जाएगा जिसके लिए सिफारिश इस प्रकार की नियुक्ति के समय मौजूद कार्यप्रभारी द्वारा भी किया जाएगा । ये विवाद कारीगरी या कार्य में लगी सामग्री या किसी अन्य वस्तु से संबंधित किसी अन्य प्रश्न, दावे, अधिकार, तथ्य या वस्तु आदि के संबंध में हो सकते हैं जो संविदा, रूपरेखाओं, नक्शों, विनिर्देशनों, प्राक्कलनों इन, शर्तों पर जारी अनुदेशों, आदेशों या अन्य बातों से संबंधित हो सकता है, यह निर्माण कार्य या उसके संपादन या उसे संपादित न कर पाने से संबंधित हो सकता है, यह निर्माण कार्य के चालू रहने, समाप्त हो जाने या उसके परित्याग करने के बाद किसी भी समय उठ सकता है । ऐसी नियुक्ति के संबंध में ऐसी आपत्ति न की जाएगी कि इस प्रकार नियुक्त माध्यस्थ सरकारी सेवा में है, यह कि उसे संविदा से संबंधित मामलों पर ही विचार करना था और सरकारी सेवा के दौरान उसके सभी विवादास्पद अथवा मतभेद वाले मामलों या किसी एक मामले पर अपना मनतव्य स्पष्ट किया था । वह मामला जिस मध्यस्थ को मूल रूप से भेजा गया हो, उसके स्थानांतरण या स्थान छोड़ने या किसी कारणवश इस नियुक्ति पर कार्य करने में असमर्थ हो तो यथोक्त उस मंडल/शाखा अधिकारी या प्रशासन अधिकारी द्वारा, जो ऐसी नियुक्ति के अनुसार कार्यालय छोड़ने या कार्य करने में असमर्थ मध्यस्थ के समय मौजूद होगा, संविदा की शर्तों के अनुरूप किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के तौर पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाएगा, ऐसा व्यक्ति प्रसंग को उस अवस्था से आगे बढ़ाने का हकदार होगा जहां पर उसके पूर्वाधिकारी ने उसे छोड़ा होगा । संविदा की यह भी शर्त है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मंडल/शाखा अधिकारी अथवा प्रशासनिक

CLAUSE 13-G.—In respect of all labour directly or indirectly employed in the work for the performance of the contratcor's part of this agreement, the contractor shall at his own expense arrange for the safety provision as per Archaeological Survey of India Safety Code framed from time to time and shall at his own expense provide for all facilities in connection therewith. In case the contractor fails to make arrangement and provide necessary facilities as aforesaid he shall be liable to pay a penalty of Rs. 50 for each default and in addition the Engineer-in-charge shall be at liberty to make arrangement and provido facilities as aforesaid and recover the cost incurred in that behalf from the contractors.

CLAUSE 14.—Except where otherwise provided in the contract all questions and disputes relating to the meaning of the specifications, designs, drawing and instructions herein mentioned as to the quality of workmanship or materials used on the work or as to any other question, claim, right matter or thing whatsoever, in any way arising out of or relating to the contract, designs, drawings, specifications, estimates, instructions orders on these conditions or otherwise concerning the works or the execution therefor failure to execute the same whether arising during the progress of the work or after the completion or abandonment thereof shall be referred to the sole arbitration of the person appointed by the Director General, Archaeological Survey of India, as recommended by the officer-in-charge of tho work at the time of such appointment. There will be no objection to any such appointment that the arbitrator so appointed is a Government servant, that he had to deal with the matters to which the contract relates and that in the course of his duties as Government Servant he had expressed views on all or any of the matters in disputes or difference. The arbitrator to whom the matter is originally referred to being transferred or vacating his office or being unable to act for any reason, such Circle/Branch Officer or any other Officer as aforesaid at the time of such transfer vacation of office or inability to act shall appoint an other person to act the arbitrator in accordance with the terms of the contract. Such person shall be entitled to proceed with the reference from

प्रधान द्वारा नियुक्त व्यक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा और यदि किसी कारणवश यह संभव न हो तो यह मामला माध्यस्थ में हर्गिज न भेजा जाए, किन्तु शर्त यह है कि जैसा ऊपर कहा गया है, इस खंड के अंतर्गत माध्यस्थम अधिनियम, 1940 के उपबन्धों अथवा सांविधिक संशोधन या उसके संकलन या उसके अंतर्गत बने हैं या कुछ अवधि के लिए लागू नियमों के अंतर्गत माध्यस्थ कार्यवाहियों पर लागू होगा ।

the stage at which it was left by his predecessor. It is also a terms of this contract that no person other than a person appointed by such Circle/Branch Officer or administrative head of the Achaeological Survey of India as aforesaid should act as arbitrator and if for any reason, that is not possible, the matter is not to be referred to arbitration at all subject to as aforesaid the provisions of the Arbitration Act, 1940, or any statutory modification or re-enforcement thereof and the rule made thereunder and for time being in force shall apply to the arbitration proceeding under the clause.

संविदा की एक शर्त यह भी है की माध्यस्थम का अवलंब लेने वाली पार्टी को इस खंड के अन्तर्गत माध्यस्थम को भेजे जाने वाले विवाद/विवादों को विनिर्दिष्ट करना होगा जिसके साथ ही ऐसे विवाद के संबंध में दावे की धनराशि धनराशियोंके बारे मे भी बताना होगा ।

It is a term of the contract that the party invoking arbitration shall specify the dispute or disputes to be referred to arbitration under this clause together with the amount or amounts claimed in respect of such dispute.

माध्यस्थम समय समय पर पार्टियों की सहमति से अधि-निर्णय तैयार करने और प्रकाशित करने के लिए समय को बढ़ा सकता है/सकते हैं ।

The arbitrators may from time to time with the consent of the parties enlarge the time, for making and publishing the award.

15. ठेकेदार द्वारा इस संविदा की किसी शर्त के भंग किये जाने पर भारत के कथित राष्ट्रपति को वह अधिकार होगा कि वह प्रतिभूति निक्षेप या उसके अधिशेष जो उस समय बचा होगा, को जब्त कर ले और उस भंग की क्षतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल कर ले या रख ले, परन्तु उक्त राष्ट्रपति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो आगे की किसी धनराशि को ऐसी क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल करने से संबंधित होगा, जो सरकार की ओर से या अन्यथा ठेकेदार को देय होगा या देय होगी ।

15. On the breach of any terms or condition, of this contract by the contractor, the said President of India shall be entitled to forfeit the security deposit, or the balance thereof that may at that time be remaining, and to realise and retain the same as damages and compensation for the said breach, but without prejudice to the right of the said President to recover any further sums as damage from any sums due or which may become due to the contractor by the Government or otherwise however.

निर्वचन खंड

राष्ट्रपति का अर्थ भारत के राष्ट्रपति और उसके उत्तराधिकार से होगा ।

मंडल/शाखा अधिकारी का अर्थ शाखा के या मंडल के प्रधान से होगा ।

केवल एकवचन का अर्थ बोध कराने वाले शब्द में बहुवचन और इसके विपर्यय के रूप में एकवचन अर्थ सम्मिलित होंगे ।

Interpretation clause

The President means the President of India and his successors.

The Circle/Branch Officer means the Heads of the Branch or Circle.

World imparting the singular number only includes the plural number and vice-versa.

मृत्यु के बाद संविदा की समाप्ति

खंड 16.—यदि ठेकेदार की मृत्यु हो जाती है, तो इस संविदा के अंतर्गत किसी भी अधिकार अथवा उपचारों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले मंडल/शाखा अधिकारी को राष्ट्रपति की ओर से यह धरणाधिकार होगा कि वह ठेकेदार को हर्जाना दिये बिना संविदा को समाप्त कर सकता है।

खंड 17.—(1) यदि संविदा के फलस्वरूप या अंतर्गत किसी राशि या धनराशि के भुगतान के लिए ठेकेदार के विरुद्ध कोई दावा प्रस्तुत किया जाता है तो सरकार को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार के प्रतिभूति निक्षेप को अंशत: या पूर्णतया जब्त करके वसूल कर ले और ऐसी प्रतिभूति के एकांश या पूर्णांश की सृष्टि करते हुए सरकारी प्रतिज्ञा पत्र आदि वेच दे। यदि प्रतिभूति की राशि अपर्याप्त हो या ठेकेदार से कोई प्रतिभूति न ली गई हो तो उद्ग्राह्य कुल राशि का शेष यथास्थिति किसी भी धनराशि से काट ली जाएगी जो इसके अंतर्गत या सरकार के साथ हुई किसी अन्य संविदा के अंतर्गत उस समय के बाद उसे देय हो या होगी। यदि उद्ग्राह्य समस्त राशि अपर्याप्त हो तो शेष बची राशि को अदा करने के लिए मांग किये जाने पर ठेकेदार सरकार को अदा करेगा।

(2) सरकार को अधिकार होगा कि वह लेखा संपरीक्षा या प्राविधिक परीक्षा करवायें ठेकेदारों को उन निर्माण कार्यों और अंतिम विल का जिसमें इसके समर्थन में प्रस्तुत वाउचर या सारांश आदि में शामिल है जो अंतिम विल के भुगतान के वाद अदा की जानी हो और यदि ऐसी संपरीक्षा तथा प्राविधिक परीक्षा के फलस्वरूप यह पाया जाए कि उसे ठेकेदार द्वारा इस संविदा के अंतर्गत कराये गये निर्माण कार्य या उस संविदा के अंतर्गत किसी अन्य निर्माण कार्य को कराने का दावा वह करता हो, जिसके वदले उसे अधिक भुगतान किया गया हो तो सरकार के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह इस खंड के उपखंड (1) में निर्धारित तरीके से या स्वीकार्य किसी अन्य विधिमान्य तरीके से उससे वसूल कर लें और यदि संपरीक्षा और प्राविधिक परीक्षा के फलस्वरूप यह पाया गया कि उसके अन्तर्गत कराये गये किसी निर्माण कार्य के वदले एक राशि अदा की गई हो तो सरकार ठेकेदार को कम अदा की गई राशि का विधिवत् भुगतान करेगी।

Termination of contract on death.

CLAUSE 16.—Without prejudice to any of the right or remedies under this contract, if the contractor dies, the Circle/Branch Officer on behalf of the President of India shall have the option of terminating the contract without compensation to the contractor.

CLAUSE 17.—(1) Whenever any claim against the contractor for the payment of a sum or money arises out or under the contract Government shall be entitled to recover such sum by appropriating, in part or whole, the security deposit of the contractor and to sell any Government Promissory Notes etc. forming the whole or part of such security. In the event of the security being insufficient or if no security has been taken from the contractor, then the balance of the total sum recoverable as the case may be, shall be deducted from any sum hence due or which at any time thereafter may become due from the contractor under this or any other contract with the Government. Should this sum be not sufficient to cover the full amount recoverable, the contractor shall pay to Government on demand the balance remaining due.

(2) Government shall have the right to cause an audit and technical examination of the works and the final bill of the contractor including all supporting vouchers, abstracts etc. to be made after payment of final bill and if as a result of such audit and technical examination any sum is found to have been overpaid in respect of any work done by the contractor under the contract or any work claimed by him to have been done by him under contract and found not to have been executed, the contractor shall be liable to refund the amount of the overpayment and it shall be lawfull for the Government to recover the same from him in the manner prescribed in sub-clause (1) of this clause or in any other manner legally permissible and if as a result of audit and technical examination it is found that the contractor was paid less than what was due to him under the contract in respect of any work executed by him under it, the amount of such under payment shall be duly paid by Government to the contractor.

इसके लिए शर्त यह है कि यदि एक ओर अधीक्षक इंजीनियर अथवा कार्य प्रभारी इंजीनियर और दूसरी ओर ठेकेदार के मध्य संविदा की किसी शर्त के अंतर्गत जो अधीक्षक इंजीनियर अथवा कार्यपालक इंजीनियर के द्वारा निर्माण कार्य के निर्धारण के उपरान्त अनुभव हो, ऐसे भुगतान के प्रति एकमत से स्वीकृत हो जाए तो सरकार द्वारा किए गए अधिक भुगतान के विरूद्ध उसे वसूली का अधिकार नहीं होगा और न ठेकेदार को हुए कम भुगतान के लिए भुगतान पाने का अधिकार होगा।

ठेकेदार को जब तक कि पूर्ति कार्य के समाप्त होने पर अन्तिम अथवा अन्य प्रकार के प्रमाण-पत्र के जारी किए जाने के बाद तीन महीने पूरे न हो जाएं अथवा अब तक की अन्तिम बिल तैयार हो कर पास हो न जाये, इन दोनों में से जो भी परवर्ती हो, प्रतिभूति निक्षेप नहीं लौटाया जाएगा।

खंड 18.—यदि संविदा के अन्तर्गत कुल भुगतान 5,000.00 (पाच हजार रुपये) से अधिक होने वाली हो तो ठेकेदार से 2% और उप ठेकेदार से 1% से आय कर कटौती की जाएगी।

खंड 19.—पुरातत्वीय स्थलों/स्मारकों पर निर्माण कराने के संबंध में विशेष शर्त.—(1) जिस/जिन ठेकेदार/ठेकेदारों को कार्य सौंपा जाए, वह/वे ध्यान में रखेगा/रखेंगे कि निर्माण कार्य को कराने के दौरान अथवा निर्माण सामग्री को पूर्तिकार्य के दौरान अथवा निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार/ठेकेदारों द्वारा लगाये गये मजदुरों द्वारा किसी इमारत, संरक्षित स्मारक अथवा संरक्षित स्मारक के किसी भाग को न तो नष्ट किया जाए, न क्षति पहुंचाई जाए।

(2) यदि कार्य संपादन के दौरान किसी स्मारक को क्षति पहुंचाने या नष्ट होने की संभावना या आशंका हो तो इस तथ्य को मंडल/शाखा अधिकारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए और जब तक संबंधित मंडल/शाखा अधिकारी से लिखित रूप में अनुमति न मिल जाए, कार्य नहीं कराया जाना चाहिए।

PROVIDED that the Government shall not be entitled to recover any sum overpaid, not the contractor shall be entitled to payment of any sum paid short where such payment has been agreed upon between the Circle/Branch Officer on the one hand and the contractor on the other under any term of the contract permitting payment for work after assessment by the Superintending Archaeological Engineer.

The Security Deposits of contractors shall not be refunded before the expiry of three months after the issue of certificate, final or otherwise of completion of supply or till the final bill has been prepared and passed, whichever is later.

CLAUSE 18.—2% Income Tax will be deducted from the contractors & 1% from the sub-contractors if the total payments under the contract is likely to exceed Rs. 5000.00 (Rupees five thousand only).

CLAUSE 19.—**Special condition concerning the execution of works at archaeological sites/monuments.**—(1) The contractor/contractors to whom the work is awarded shall ensure that no edifice, protected monument or any part of protected monument is destroyed or injured during the execution of work or the transport of material or by the labour employed by the contractor/contractors for the execution of work.

(2) In case any injury or damage to a monument during the execution of work is anticipated or foreseen the facts should be brought to the notice of Circle/Branch Officer and the work should not be executed till the permission in writing is received from the Circle/Branch Officer concerned.

(3) ठेकेदार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि संरक्षित स्मारकों में कार्य कराने के दौरान उनके कर्मचारी, मजदूरों उनके सहयुक्तों, मित्रों अथवा परिचितों द्वारा किसी भी स्थिति में प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के संबधित उपबंधों का अतिलंघन अथवा अतिक्रमण न किया जाए । इसके अतिलंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध इन अधिनियमों के अधीन दण्डात्मक कारवाई की जाएगी और यदि उपयुक्त अधिनियमों का अतिलंघन गंभीर किस्म का होगा तो मंडल/शाखा अधिकारी स्वविवेक से हुई क्षति का हर्जाना प्राप्त करने के अतिरिक्त संविदा को रद्द कर देंगे इस संबंध में मंडल/शाखा अधिकारी का निर्णय अन्तिम और आबद्धकारी होगा ।

(4) जिन स्थलों/स्मारकों पर सर्वेक्षण द्वारा शुल्क लिया जाता है, वहां ठेकेदारों के मजदुरों, कर्मचारियों और कार्य से संबंध अन्य व्यक्तियों का प्रवेश केवल दर्शन काल तक और कार्य के लिए वास्तव में आवश्यक मजदूरों की संख्या तक ही सीमित रखा जाएगा । इस प्रयोजन से ठेकेदार या इसके अभिकर्ता को जहां कार्य चल रहा हो उस स्थल/स्मारक के प्रभारी अधिकारी को अपने कामगारों की सूची देनी होगी ।

(5) कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात् ठेकेदार उसके मजदूर या कर्मचारी संरक्षित क्षेत्र/स्मारक मे निःशुल्क प्रवेश करने के अधिकार की मांग नहीं करेंगे ।

मंडल/शाखा अधिकारी

ठेकेदार

(3) The contractor will further ensure that during the execution of works at the protected monuments, the relative provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, and the Antiquities and Art Treasure Act, 1972, are in no way infringed or violated by their staff, labourers, —their associates, friends or acquaintances, in any way. Violation of this will render the concerned persons liable to penal action as per provisions of these Acts, and if the violations of the above acts of are serious in nature, the Circle/Branch Officer, besides the penal action against the concerned individuals, will at his discretion, rescind the contract besides receiving the cost of such damage from the contractor. The decision of the Circle/Branch Officer in this regard will be final and binding.

(4) The sites/monuments where the entry fee is charged by the Survey, the entry of the contractor's labourers, employees and those associated with the work will be restricted only to visiting hours, and the number of workers actually needed for the work. For this purpose the contractor or his agent will have to furnish a list of workers to the Officer-in-charge of the site/monument, where such works are executed.

(5) The contractor, his labourers, or employees, will not claim free access to the protected area/monument after the work is completed.

Circle/Branch Officer.

Contractor :—

भा०पु०स०नि०-31
ASIW-31

सामान का सर्वेक्षण प्रतिवेदन
SURVEY REPORT OF STORES

उन सामानों के सर्वेक्षण का प्रतिवेदन जो अनुपयोगी हो चुका हैं
REPORT OF SURVEY OF STORES WHICH HAVE BECOME UNSERVICEABLE

(पु० नि० का० संहिता के पैरा 8.8.1 निर्दिष्ट)
(Referred to in para 8.8.1 of the AW Code)

मंडल/शाखा
Circle/Branch

उपमंडल
Sub-Circle

संख्या या मात्रा Number or Quantity	वस्तुओं का विवरण Description of Articles	खाता मूल्य Value on the books				प्राप्त होने की तारीख Date of receipt	वस्तुओं के अनुपयोगी होने का कारण बताते हुए प्रभारी अधिकारी की अभ्युक्तियां Remarks by the officer-in-charge explaining the cause of the articles becoming unserviceable	मंडल अधिकारी का आदेश या अभ्युक्तियां Remarks or orders of the Sr. C. A. or the next Foreman	अधीक्षक इंजीनियर का आदेश Order of the Circle/Branch Officer
		दर Rate		राशि Amount					
1	2	3		4		5	6	7	8
		रु० Rs.	पै० P.	रु० Rs.	पै० P.				

संख्या..................दिनांक..................
No..........Dated, the..........19

अधीक्षक पुरातत्वविद् को आदेशार्थ प्रस्तुत

Submitted to Superintending Archaeologist for orders

....
मंडल/अधिकारी
Circle/Branch Officer

संख्या..................तारीख..................
No.........., dated, the..........19

उपरिलिखित आदेशों के अनुसार उप मंडल अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु वापस किया जाए

Returned to the Sub-circle Officer, for necessary action as per orders noted above.

....
अधीक्षक पुरातत्वविद्
Superintending Archaeologist

भा० पु० स० नि०—31(क)
ASIW—31(A)

बोली की विक्रय प्राप्ति का लेखा
BID SALE PROCEED ACCOUNT

मंडल/शाखा
Circle/Branch........

मंडल/शाखा/प्रशाखा
Circle/Branch/Division................

क्रम सं० S.No.	नीलामी की तारीख Date of Auction	बेचने का प्राधिकार Authority for Sale / स्वीकृति की संख्या और तारीख सर्वेक्षण रिपोर्ट ढेर संख्या No. & Date of Sanct. Survey Report Lot No.	नीलाम किये जाने वाले सामान का विवरण Particulars of Materials put to Auction	मात्रा Qnty.	आरक्षित मूल्य Reserve Price	अधिकतम बोलीदाता का नाम Name of Highest Bidder	बोली की राशि Amount of Bid	बोली दाता द्वारा जमा की गई राशि Amount Deposited by Bidder	अभ्युक्तियां Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

भा० पु० स० नि०—32
ASIW—32

भुगतान एवं लेखा कार्यालय को लेखा सूची भेजना
LIST OF ACCOUNTS SUBMITTED TO PAY & ACCOUNTS OFFICE FOR THE MONTH OF............

(पु० नि० संहिता के पैरा 14.26.1 में निर्दिष्ट)

(Referred to in paragraph 14.26.1 of AW Code)

फार्म सं० Form No.	प्रलेख का नाम Name of Document	प्रलेखों की संख्या No. of documents	अभ्युक्तियां Remarks
	1. अग्रिमों के समायोजन का ज्ञापन Memorandum of adjustment of advances (ASI-W-33)		
	2. विभिन्न लेखाशीर्षों के अधीन अग्रिमों की निकासी का विवरण Statement of withdrawal of advances under various heads of account. (ASIW-34)		
	3. निम्नलिखित के संबंध में निर्माण कार्य व्यय की अनुसूची :— Schedule of Works expenditure (ASIW-35) in respect of :		
	(i) विशेष मरम्मत कार्य (i) S. R. Works		
	(ii) वार्षिक रख-रखाव तथा अनुरक्षण कार्य (ii) A. M. & U. K. Works		
	(iii) निर्माण कार्य ए 1 (4) (iii) A.1(4) Works		
	4. व्यय का वर्गीकृत सार Classified abstract of expenditure. (ASIW-38)		
	(i) विशेष मरम्मत कार्य (i) S. R. Works		
	(ii) वार्षिक रख-रखाव तथा अनुरक्षण कार्य (ii) A. M. & U. K. Works		
	(iii) निर्माण कार्य ए 1 (4) (iii) A.1(4) Works		
	5. सीड्यूल डाकेट Schedule Dockets. (ASIW-37)		
	(i) विशेष मरम्मत कार्य (i) S. R. Works		
	(ii) वार्षिक रख-रखाव तथा अनुरक्षण कार्य (ii) A. M. & U. K. Works		
	(iii) निर्माण कार्य ए1 (4) (iii) A.1(4) Works.		
	6. निर्माण कार्य संहिता के उपबंधों के अनुसार निविदा आमंत्रित करके निर्माण सामग्री के क्रय के संबंध में प्रमाण पत्र Certificate for purchase of material by inviting tenders as per provision of A. W. Code.		

फार्म सं० Form No.	प्रलेख का नाम Name of Document	प्रलेखों की संख्या No. of documents	अभ्युक्तियां Remarks
	7. निविदा तथा क्रय के रजिस्टर का सार भा०पु०स०नि० 40 Abstract of register of T. & P. (ASIW-40)		
	8. ब्यौरेवार समापन विवरण भा०पु०स०नि० 41 भा०पु०स०नि० 42 Detailed completion statement (ASIW-41) (ASIW-42) :		
	(i) वार्षिक रख-रखाव तथा अनुरक्षण कार्य (i) A. M. & U. K. Works		
	(ii) विशेष मरम्मत कार्य (ii) S. R. Works		
	(iii) ए. 1 (4) निर्माण कार्य (iii) A.1(4) Works.		
	9. ठेकेदार के लेजर का सार भा०पु०स०नि० 39 Abstract from contractor's ledger (ASIW-39)		
	10. निम्नलिखित उपशीर्षों के संबंध में लेखों का समायोजन Adjustment accounts in respect of the following sub-heads :		
	(क) ए. 1 (2) (4) कार्यालयीन व्यय (a) A.1(2) (4) Office Expenses		
	(ख) ए. 1 (3) (3) कार्यालयीन व्यय (b) A.1(3) (3) Office expenses		
	(ग) ए. 1 (3) (4) अन्य प्रभार (c) A.1(3) (4) Other Charges		
	(घ) अन्य शीर्ष (d) Other heads.		
	11. स्वीकृत प्राक्कलनों की सूची भा०पु०स०नि० 43 List of sanctioned estimates (ASIW-43)		
	12 जमा कार्य की अनुसूची भा०पु०स०नि० 44 Schedule of Deposit Works (ASIW-44)		

....

उपयुक्त प्राधिकारी का हस्ताक्षर
Signature of Appropriate Authority

भा० पु० स० नि०-33
ASIW-33

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

अग्रिमों के समायोजन का ज्ञापन
MEMORANDUM OF ADJUSTMENT OF ADVANCES

उप-शीर्ष
SUB HEADS

मंडल/शाखा का नाम
Name of Circle/Branch..................

मास के लिए
For the month of ....

पु० नि० संहिता के परा 14.26.1. (i) में निर्दिष्ट
(Referred to in para 14.26.1 (i) of the A.W.Code)

विवरण Particulars	वार्षिक रख-रखाव तथा अनुरक्षण कार्य A.M.& U. K. Works A.1(2) (3)(1)	विशेष मरम्मत कार्य S.R. works A.1(2) (3)(2)	मौलिक निर्माण कार्य A.1(4) Original Works	निर्माण कार्य संबंधी अग्रिमों का योग ए1 (3) (4) Total of Works Advances	निर्माण कार्य/ संबंधी/अन्य प्रभार/ कार्यालयीन खर्च/ अन्य प्रभार Works Contingencies/ Other Charges/ Office Expenses/ Other Charges ए1 (3) (4) A.1(3) (4)	ए1 (2) (4) A.1(2) (4)	ए1 (3) (4) A.1(3) (4)	अन्य उप-शीर्ष Other Sub-head	जोड़ Total	सभी अग्रिमों का कुल योग (निर्माण कार्य के अतिरिक्त फुटकर तथा अन्य प्रभार कालम 5+10) Total of all advances (Works as well as contingencies & O. C. Cols. 5+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. आदि शेष Opening balance										
2. विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत मास के दौरान निकाले गए अग्रिम Advances drawn during the month under various heads										
3. मास के दौरान किया गया व्यय Expenditure during the month										
4. अनखर्चा शेष जो बैंक में वापस किया गया Refund of unspent balance in the bank										
5. मास के अन्त में निवल शेष Net balance at the end of the month										

भा० पु० स० नि०-34
ASIW-34

मंडल/शाखा का नाम
Name of Circle/Branch...............

मास के दौरान निर्माण कार्य संबंधी अग्रिम दर्शाने वाला विवरण
STATEMENT SHOWING THE WORKS ADVANCES DRAWN DURING THE MONTH OF......

पु० नि० संहिता के पैरा 14.26.1 में निर्दिष्ट
(Referred to in para 14.26.1 of the A.W. Code)

बिल की सं० और तारीख Bill No. & Date	चैक नं० Cheque No.	निकासियों का ब्यौरा Details of withdrawals								
		वार्षिक रख-रखाव अनुरक्षण कार्य A.M.& U.K. Works	वार्षिक मरम्मत कार्य A. R. Works	मौलिक निर्माण कार्य Original Works	कुल योग Total	फुटकर तथा अन्य प्रभार Contingent and other charges			कुल योग Total	कालम 6 तथा 10 का अनुक्रमिक जोड़ Progressive total of Col. 6 & 10
						ए1 (2) (4) A.1(2)4	ए1 (3) (3) A.1(3)(3)	ए1 (3) (4) A.1(3)(4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

भा० पु० स० नि०—35
ASIW—35

निर्माण कार्य व्यय की अनुसूची
SCHEDULE OF WORKS EXPENDITURE

[पुरातत्व निर्माण कार्य संहित पैरा 14–26–1 (II) में निर्दिष्ट]
[Referred to in paragraphs 14.26.1(II)]

मुख्य शीर्ष प्रेषण या अन्य लेखा ....
Major Head, Remittance of other accounts............

मंडल/शाखा
Circle/Branch............

मास
Month..........19

क्रम संख्या Sl. No.	वर्गीकरण के लघु और विवरण शीर्ष Minor & detailed heads of classification	अनुसूची डाकेट संख्या Schedule docket No.	निर्माण कार्य का नाम (पूरा नाम जैसा कि अनुमान में दिखाया गया है) विशेष कार्य को पहली बार दर्ज किया जाए तो प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय संस्वीकृति लाल स्याही से दर्ज की जाए। Name of work (i. e. full name as given in the estimate) N. B.—Administrative approval and financial sanction may be noted in red ink, when a work is entered for the first time :	मास के कुल प्रभार Total Charges of the month	कुल प्रगामी व्यय (पिछली बार किसी मास में व्यय दर्ज किया गया) Total progressive expenditure (month in which expenditure last appeared)	वर्ष के कुल प्रभार Total charges of the year	आवंटन Allotment आधिक्य Excess	संस्वीकृत अनुमान Sanction of estimate आधिक्य Excess	आधिक्य को नियमित करने के लिए की गई कारवाई के विषय में अभ्युक्तियां और यदि निर्माण कार्य के लिए अभी तक तकनीकी अनुमान स्वीकृत न हुए हों तो देयता की लगभग राशि यदि निर्माण कार्य पूरा हो गया हो तो उसके समापन की तारीख लिखें। Remarks regarding action taken to regularise the excess and the approximate amount of liability in the case of works for which technical estimates are not yet sanctioned; if this work is completed indicate the date of completion.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

टिप्पणी : सामान्यतः केवल वही निर्माण कार्य शामिल किए जाएं जिन पर मास के दौरान व्यय किया गया हो। सितम्बर और मार्च (अनुपूरक) के मासिक लेखों के साथ जानेवाली अनुसूची में सभी निर्माणकार्यों को (उन्हें भी जिनके लिए इन मासो के दौरान कोई नया लेन देन न हुआ हो) शामिल कर लेना चाहिए।

NOTE :—Normally only those works should be included on which expenditure has been incurred during the month. In the schedule accompanying the monthly Accounts for Sept. and March (Supplementary) however, all the works (including those relating to works where there are no fresh transactions during the months) should be included.

ऐसे लघु निर्माण कार्यों मरम्मत और अनुरक्षण निर्माणकार्यों के संबंध में जिसके लिए एक मुश्त राशि आवंटित हो, खाना 8 सितम्बर और मार्च (अनुपूरक) के मासिक लेखों के साथ जाने वाली व्यापक अनुसूची में ही भरना चाहिए।

In respect of minor works and repairs maintenance works for which there is a lump allotment, column 8 may be filled in only in the comprehensive schedule accompanying the monthly Accounts for Sept. and March supplementary).

खाना 8 और 9 में आवंटित राशि संस्वीकृत अनुमानों की राशि की सूचना का निर्देश उस पहले मास में देना चाहिए, जिसमें व्यय दर्ज किया गया हो या संशोधित संस्वीकृति जारी की गई हो।

In columns 8 and 9 the reference to the communication intimating the amount of allotment sanctioned estimate should also be quoted in the first month in which the expenditure appears or a revised sanction is issued.

किसी एक परियोजना से संबंधित निर्माण कार्यों को एक स्थान पर ही शामिल कर लेना चाहिए और शीर्ष में परियोजना का नाम ऊपर लिख देना चाहिए।

The works relating to a particular project should be included at one place with the name of the project, as the heading.

जून, सितम्बर, दिसम्बर और मार्च मास की अनुसूचियों में मंडल/शाखा द्वारा निष्पादित केन्द्रीय सड़क निधि और राष्ट्रीय मुख्य मार्गों से संबंधित सभी निर्माण कार्यों का उल्लेख करना चाहिए चाहे उन पर किसी मास में कोई व्यय हुआ हो अथवा नहीं।

The schedules for the months of June, September, December and March should include all works relating to national Highways and Central Road Fund executed by the Circle Branch irrespective of whether any expenditure has been carried during the particular month or not.

कनिष्ठ लेखा अधिकारी
Jr. Accounts Officer

भा० पु० स० नि०-31(1)
ASIW-31(i)

निर्माण कार्यसार—क
WORKS ABSTRACT—A

(पैरा 14.20.1 से 14.20.6 तक में निर्दिष्ट)
(Referred to in paragraphs 14.20.1 to 14.20.6)

अद्यतन प्रगति का ब्यौरा *
Detail of up-to-date Progress*

निर्माण कार्य का नाम :
Name of work

किस स्त्रोत से प्रगति दर्ज की गई है (माप पुस्तक की संख्या और पृष्ठ लिखें) Source from which progress is taken (quoting page and book No. of measurement Book)	पिछले चल लेखा बिल या अन्य वाउचर का निर्देश Reference to last Running Account Bill or Voucher		मजदूर का वेतन Wages of Labour	उपशीर्ष SUB HEADS					
				सामग्री की किमत COST OF MATERIAL					
	संख्या No.	तारीख Date		सीमेंट Cement	रेत Sand	पत्थर Stone	चूना Lime	दूसरे मद Other items	जोड़ Total

*इस विवरण में केवल उन्हीं मात्राओं को लेना चाहिए जो वास्तव में मापी जा चुकी है और जिनके अदायगी के बिल लेखा बद्ध हो चुके है।
*Only quantities which have been actually measured and paid for on bills included in the account should be taken into statement.

(इसका उपयोग तब किया जाए जब परिचय उप-शीर्षवार दर्ज किया जाय)
(*To be used when out-lay is recorded by sub-heads*)

निर्माण कार्यसार—क
WORKS ABSTRACT—A

(पैरा 14.20.1 से 14.20.6 तक में निर्दिष्ट)
(Referred to in paragraph 14.20.1 to 14.20.6)

निर्माण कार्य का नाम
Name of work

प्राधिकारी
Authority

किस स्रोत से दर्ज किया गया From what source posted		उप-शीर्ष (क) SUB-HEADS (A)							सामग्री	उचंत लेखे SUSPENSE ACCOUNTS				
										ठेकेदार Contractors				
संक्षिप्त विवरण Brief Particulars	रोकड़ वही वाऊचर या समायोजन इंदराज वली संख्या Cash Book voucher or transfer entry Book item No.	1	2	3	4	5	6	7	Materials	पेशगी अदायगियां * Advance payments	रक्षित पेशगियां : Secured advances	अन्य लेन-देन ‡ Other transactions	मजदूर † Labourers	कुल लागत Total Cost
		रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.
अनुमान संख्या Estimate No.														
........तक व्यय Expenditure to end of........														
मास के लेन-देन Month's transactions.														
स्टाक Stock														
मास का जोड़ Total of month														

मास के अन्त में जोड़ Total at the end of month	
प्रगति (अद्यतन) Progress (up-to date)	
लागत दर Rate of Cost	

(क) अधिकारी के आदेशों के अधीन लागत का उप शीर्ष
Circle/Branch Officer's orders a sub-head costing

टिप्पणी : उपमंडल कार्यालय में की गई प्रविष्टियों को काली स्याही से तथा मंडल/शाखा कार्यालय में सभी संशोधनों की प्रविष्टियों को लाल स्याही से दर्ज किया जाए।
NOTE.—Posting made in the sub-circle office should be in black ink and all postings of corrections made in the divisional office in red ink.

*इस खाने में प्रविष्टियों को चल लेखा बिल के अदायगियों के ज्ञापन के खाना 2 (क)–जोड़ (घ) से की जाएं।
*Entries in this column should be made from column 2(b)—Total (D) of the Memorandum of Payments of the running Account Bill.

:इस खाने में रक्षित पेशगियों के लेखा फार्म 26–के खाना 8 को जोड़ (ड) के सामने दिखाई गई राशि को दर्ज करें।
: In this column should be posed the amount shown against total (E) of column 8 of the Account of Secured Advances.

‡यह खाना ठेकेदारों के उन विविध डेबिटों को क्रेडिटों के लिए अभिप्रेत है जिनका परिशोधन होना बाकी है। साधारणतः डेबिट निम्न लिखित के कारण होते हैं।
‡ This column is intended for miscellaneous debits and credits to contractors awaiting settlements. The debits will usually consist of.

1 रक्षित पेशगियों के अतिरिक्त पेशगियां
1. Advances other than secured advances.

2. ठेकेदार की ओर से तथा उसके लेखा को प्रभारित करके मजदूरों और अन्य लोगों को (उचित प्राधिकार से) की गई अदायगियां।
2. Payment made (under proper authority) to labourers and others on behalf of and by charge to the account of contractors.

3. ठेकेदारों को दिया गया स्टाक और अन्य सामग्रियां जैसे ही लेन देन हों ये लेखाओं या वाउचरों से धन (+) प्रविष्टियों के रूप में दर्ज की जाएं/ किए गए निर्माण कार्य के लिए चल लेखा बिलों में से आगे के भुगतान के लिए रोकी हुई राशियां साधारणतया क्रेडिट होंगी। ऐसे क्रेडिट व रोकी हुई राशियों की वापसी और उपयुक्त (1) (2) तथा (3) के डेबिटों की वसूली चल लेखा बिल में अदायगियों के ज्ञापन की प्रविष्टि (क) के रूप में प्रकट होती है जिसे अगर वह ऋण (—) प्रविष्टि हो तो धन (+) के रूप में और विलोमतः इस खाने में दर्ज करना चाहिए।

3. Issues of stock and other materials to contractors. These should be posted as plus entries from the vouchers or accounts as transacteins take place. The credits will ordinarily be on account of amount withheld for further payment from Running Account Bills or work done. Such credits as well as repayments, of amounts withheld and recoveries of debits (1), (2) and (3) above appear in Running Accounts Bills as Entry (G) of Memorandum of Payments, which should be posted in this column as a plus entry if minus and vice-versa.

†इस खाने में उपस्थिति नामावली की अदत्त राशियों को ऋण (—) प्रविष्टियों के रूप में लिखना चाहिए, न बकाया राशियों के बाद में किए गए भुगतान को धन (+) के रूप में दिखाना चाहिए।
†Unpaid amounts of muster rolls should be posed in this column as minus entries. Subsequent payments of these arrears should be shown as plus.

किए गए निर्माण कार्य के चल लेखा बिलों के मामले में इस खाते के आंकड़ों का अदायगियों के ज्ञापन की (ज) प्रविष्टि के साथ मिलान करना चाहिए।
In the case of Running Account Bills for work done the figure in this column should agree with entry (H) in the Memorandum of Payments.

ठेकेदारों के अंतशेषों का ब्यौरा
Detail of Contractors' Closing balances

ठेकेदार का नाम Name of Contractor	पिछले चल लेखा बिल का निर्देश Reference to last Running Account Bill वाउचर संख्या Voucher No.	तारीख Date	अंत शेष CLOSING BALANCES पेशगी अदायगियां Advance Payments		रक्षित अदायगियां Secured Advance		अन्य लेन देन Other transactions		समायोजन न होने के लिए स्पष्टीकरण* *Explanation of non-adjustment
			रु० Rs.	पै० P.	रु० Rs.	पै० P.	रु० Rs.	पै० P.	
जोड़ TOTAL									

उचंत शीर्ष "मजदूर" के अंतर्गत निकाले गए अंत शेष का इस निर्माण कार्य की अदत्त मजदूरियों से संबंधित अभिलेख के साथ मिलान कर लिया गया है और सही पाया गया है।

The closing balance under the suspense head "Labourers" as arrived at within has been compared with the connected record of unpaid wages for this work and found correct.

*निर्माण कार्य अभी जारी है।

*The work is still in progress.

वरिष्ठ संरक्षण सहायक/संरक्षण सहायक के तारीख युक्त आद्याक्षर

Dated initials of Sr. C. A./C.A.

*यदि कोई मद तीन मास के अन्दर समाशोधित न हो तो देरी के कारणों को नियमत: दर्ज अवश्य कर लेना चाहिए।

*As a rule, reasons for delay should be recorded if an item is not earned within three months.

यदि निर्माण कार्य मास के दौरान ही पूरा हो गया हो तो निर्माण कार्य के लेखे को बन्द करने के लिए की गई कार्यवाही का स्पष्टीकरण देते हुए ऐसा उल्लेख करना चाहिए।

If the work was completed during the month, the fact should be stated with an explanation of the steps taken to close the accounts of the work.

कनिष्ठ लेखा अधिकारी का प्रमाण पत्र
CERTIFICATE BY THE JR. ACCOUNTS OFFICER

इस सार तथा प्रगति विवरण की जांच मेरे पर्यवेक्षण में की गई है। मैंने व्यक्तिगत रूप से "ठेकेदारों को अंतशेषों" में दी गई सभी मदों का मिलान ठेकेदारी के खाते से किया है और उन्हें सही पाया है।

This Abstract and the statement of progress have been checked under my supervision. I have personally compared all the items in the "Detail of Contractors' Closing Balances" with the contractors' ledger and found them correct.

कनिष्ठ लेखा अधिकारी के तारीख युक्त अद्याक्षर
Dated Initials of Jr. Accounts Officer

मंडल/शाखा अधिकारी की अभ्युक्तियां
REMARKS BY CIRCLE/BRANCH OFFICE

मंडल/शाखा अधिकारी यहां यह उल्लेख करेगा कि उसने निर्माण कार्य का परीक्षण कर दिया है सामग्रियों को गिन लिया है या मापो की जांच कर ली है अथवा नहीं और यदि यह आवश्यक समझे तो निर्माण कार्य के निष्पादन या लेखे की स्थिति के सबंद्ध में अपनी टिप्पणी लिख सकता है।

The Divisional officer will note here whether he has examined the work counted materials or checked measurements and make any other remarks in respect of the execution of the work or of the state of account as he may consider necessary.

मंडल/शाखा अधिकारी के तारीख युक्त अद्याक्षर
Dated Initials of Circle/Branch Officer

भा० पु० स० नि०-36(II)
ASIW-36(II)

निर्माण कार्य सार—क
WORKS ABSTRACT—B

(पैरा 14.20.1 से 14.20.6 तक में निदिष्ट)
(Referred to in paragraphs 14.20.1 to 14.20.6.)

निर्माण कार्य का नाम
Name of work..........................

प्राधिकार
Authority...............................

किस स्त्रोत से दर्ज किया गया From what source Posted — संक्षिप्त विवरण Brief Particulars	रोकड़ बही वाउचर या अन्तरण प्रविष्टि पुस्तक मद सं० Cash Book Voucher or Transfer entry Book item No.	अंतिम प्रभार Final Charges	उचंत लेखे SUSPENSE ACCOUNT — ठेकेदार CON-TRA-CTORS — पेशगी अदायगियां Advance payment *	रक्षित पेशगियां Secured Advances †	अन्य लेन देन Other Transactions ‡	मजदूर Labourers	कुल लागत Total Cost
		रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.		रु० पै० Rs. P.
अनुमान संख्या Estimate No.							
...... व्यय Expenditure at the end of							
मास के लेन देन Month's transactions							
स्टाक Stock							
मास का जोड़ Total of the Month							
मास के अन्त जोड़ Total at the end of							

टिप्पणी : उप मंडल कार्यालय में की गई प्रविष्टियों को काली स्याही से तथा मंडल/शाखा कार्यालय में गयी संशोधनों की प्रविष्टियों को लाल स्याही से दर्ज किया जाए।

NOTE : Postings made in the Sub-Circle office should be in black ink and corrections made in the Circle/Branch Office should be in red ink.

*इस खाने में प्रविष्टियाँ चल लेखा बिल के अदायगियों के ज्ञापन के खाना 2(क)–जोड़ (घ) से की जाएं।

*Entries in this column should be made from column 2(a)-Total (d) of Memorandum of payment of the Running Account Bill.

† इस खाने में रक्षित पेशगियों के लेखा फार्म (ङ) के सामने दिखाई गई राशि को दर्ज करें।

†In this column should be posted the amount shown against the total (E) of column 8 of the Account of Secured Advances.

‡ यह खाना ठेकेदारों के उन विविध डेबिटों और क्रेडिटों के लिए अभिप्रेत है जिनका परिशोधन होना बाकी है। साधारणत: डेबिट निम्न के लिखित कारण होते है (1) रक्षित पेशगियों के अतिरिक्त पेशगियां (2) ठेकेदार की ओर से तथा उसके लेखा को प्रभारित करके मजदूरों और अन्य लोगों को (उचित प्राधिकार से) की गई अदायगियाँ (3) ठेकेदारों को दिया गया स्टाक और अन्य सामग्रिया जैसे ही लेन देन हों ये लेखों या वाउचरों से धन (+) प्रविष्टियों के रूप में दर्ज की जाय। किये गए निर्माण कार्य के लिए चल लेखा बिलों से में आगे के भुगतान के लिए रोकी हुई राशियां साधारणतया क्रेडिट होंगी। ऐसे क्रेडिट व रोकी हुई राशियों की वापसी और उपयुक्त (1) (2) तथा (3) के डेबिटों की वसूली चल लेखा बिल में अदायगियों के ज्ञापन की प्रविष्टि (क) के रूप में प्रकट होती है जिसे अगर वह ऋण (—) प्रविष्ट होता (+) के रूप में और विलोमता इस खाने में दर्ज करनी चाहिए।

‡ This column is intended for all miscellaneous debits and credits to contractors, awaiting settlement. The debit will usually consist of :

Advances other than Secured Advances, (2)Payments made (under proper authority) to labourers and others on behalf of and by charge to the Account of contractors and (3) Issues of stock and other materials to contractors. These should be posted as plus entries from the vouchers of accounts as transactions take place. The credits will ordinarily be on account of amounts withheld, for further payment from running Accounts Bill for work done. Such credits, as well as repayments of amounts withheld, and recoveries of debits (1), (2) and (3) above, appear in Running Account's Bill as Entry (G) of Memorandum of Payments which should be posted in this column as a plus entry if minus of vice versa.

‡इस खाते में उपस्थिति नामावली की अदत्त राशियों को ऋण (—) प्रविष्टियों के रूप में लिखना चाहिए, इस बकाया राशियों के बाद में किये गए भुगतान की धन (+) के रूप में दिखाना चाहिए।

‡ Unpaid accounts of muster rolls should be posted in this column as minus entries. Subsequent payment of these arrears should be shown as plus.

‡किए गए निर्माण कार्य के चल लेखा बिलों के मामले में इस खाने के आंकड़ों का अदायगियों के ज्ञापन की (ख) प्रविष्टि के साथ मिलान करना चाहिए।

‡ In the case or Running Account Bills for work done by figure in the column should agree with Entry (R) in the Memorandum of payments.

(क) ठेकेदारों को दिये गये सामग्रियों के लिए अतिरिक्त प्रभार।

(a) Additional charges for materials issued to contractors.

मापों का संदर्भ
REFERENCE TO MEASUREMENTS

(दर्ज किए गए प्रत्येक माप का निर्देश यहाँ दिया जाए)
(A reference to any recorded measurements should be entered here)

ठेकेदारों के अंतशेषों का ब्यौरा
DETAILS OF CONTRACTOR'S CLOSING BALANCES

ठेकेदार का नाम Name of Contractor	पिछले चल लेखा बिल का निर्देश Reference to last running Account Bill		अंत शेष Closing Balances			समायोजन न होने के लिए स्पष्टिकरण* Explanation of non-adjustment *
	वाउचर संख्या Voucher No.	तारीख Date	पेशगी अदायगियां Advance payment	रक्षित अदायगियां Secured Advances	अन्य लेन देन Other transactions	
			रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.	
	जोड़ Total					

*उचंत शीर्ष "मजदूर" के अन्तर्गत निकाले गए अंत शेष का इस निर्माण कार्य की अदत्त मजदूरियों से संबंधित अभिलेख के साथ मिलान कर लिया गया है और सही पाया गया है ।

*The closing balance under the suspense head "Labourers" as arrived at overleaf has been compared with the connected record of unpaid wages for work and found correct.

* निर्माण कार्य अभी जारी है ।

*Works still continuing.

वरिष्ठ संरक्षण सहायक/संरक्षण सहायक के तारीख युक्त हस्ताक्षर
Dated signature of the Senior Conservation Assistant/Conservation Assistant

भा० पु० स० नि०-37
ASIW-37

शाखा
Circle/Branch

सीड्यूल डाकेट संख्या
Schedule Docket No.

निर्माण कार्य का नाम
1. Name of work

स्वीकृत प्राक्कलन की राशि रु०
2. Amount of sanctioned Estimate. Rs.

स्वीकृति देनेवाला प्राधिकारी
3. Sanctioning Authority.

स्वीकृति संख्या और तारीख
4. Sanction No. & date

(संदर्भ-ए डब्लु कोड पैरा 14.26.1 (V) देखिए)
(Referred to in para 14.26.1(v) of the A.W. Code)

क्र०सं० Sl. No.	प्रत्येक वाउचर की संख्या No. of each voucher	प्रभार का विवरण Particulars of charges	राशि Amount	भुगताया गया वाउचर संलग्न किया गया है या नहीं Paid voucher attached or not
जोड़ TOTAL				

*निर्माण कार्य व्यय अनुसूची, फार्म या जमा निर्माण कार्य, तकावी निर्माण कार्य या स्टाक को डेबिट की अनुसूची फार्म ▭ और ▭ में शामिल प्रत्येक निर्माण कार्य के मामले में उस निर्माण कार्य का पूरा नाम, जैसा की अनुमान में दिया गया है यहां लिखना चाहिए। अन्य मामलों में अनुसूची का नाम लिखना चाहिए।

*Full Name of work as given in the estimate should be entered here in the case of each work included in the Schedule of works Expenditure, form ▭ in the Schedule of deposit works, Takavi Works or Debits to Stock, ▭. In all other cases, the name of the Schedule should be given.

† केवल ऐसे विवरणों को दर्ज किया जाए जो अनुसूची डाकेटों में प्रभारों के लिखने के गलती न होने देने के लिए आवश्यक है।

†Only such particulars need be entered as are necessary to avoid errors in the posting of charges in Schedule Docket.

‡ अंतरण प्रविष्टि डेबिट के मामले में प्रत्येक 250 रुपये से अधिक के वाउचर को भी संलग्न कर देना चाहिए। इनके विवरण का उल्लेख प्रत्येक प्रविष्टि के नीचे करना चाहिए और छोटे वाउचरों की राशि का उल्लेख प्रत्येक प्रविष्ट के नीचे करना चाहिए। अंतरण प्रविष्टि क्रेडिटों के मामले में उसी खाने में इस अनुसूची डाकेटों का निर्देश करना चाहिए जिससे संगत डेबिटों की रकम दिखाई गई है।

‡In the case of transfer Entry debits the supporting vouchers, if exceeding Rs. 240/- each should also be attached their particulars being quoted below each entry and the amount of the petty vouchers, being specified in the column for remarks. In the case of Transfer Entry Credits a referencet o the schedule docket in which the corresponding debits are shown should be given in the same column.

भा० पु० स० नि०-38
ASIW-38

वर्गीकृत व्यय का सार
CLASSIFIED ABSTRACT OF EXPENDITURE

मंडल/शाखा
Circle/Branch....................

मास
Month..............

[संदर्भ-ए० डब्ल्यु० कोड पैरा 14.26.1 (vi) देखिए]
[Referred to in para 14.26.1(vi) of AW Code]

सीडयल डाकेट संख्या Schedule Docket No.	निर्माण कार्य का नाम Name of work	मास का कुल प्रभार TOTAL CHARGES FOR THE MONTH		जोड़ Total
		बड़े निर्माण कार्य Major works	लघु निर्माण कार्य Minor works	

व्यय का वर्गीकृत सार
CLASSIFIED ABSTRACT OF EXPENDITURE

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता पैराग्राफ 14.26.1 (vi))
(Archaeological Works Code Paragraph 14.26.1(vi))

मंडल / शाखा
Circle/Branch

मास 19
Month 19

अनुसूची, अनुसूची डाकेट या वित्त का निर्देश Reference to schedule, schedule Docket or Bill	मुख्य या लघुशीर्ष और विनियोजन यूनिट Major or minor Heads and Units of Appropriation	मौलिक निर्माण कार्य Original Works				मरम्मत Repairs	
		मुख्य निर्माण कार्य Major Works		लघु निर्माण कार्य Minor Works			
		मास के कुल प्रभार Total Charges of the month	वर्ष के कुल प्रभार Total Charges of the year	मास के कुल प्रभार Total Charges of the month	वर्ष के कुल प्रभार Total Charges of the year	मास के कुल प्रभार Total Charges of the month	वर्ष के कुल प्रभार Total Charges of the year
1	2	3	4	5	6	7	8
		रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.

भाग II—मास के दौरान अप्रभारित जमा निर्माण कार्यों का लेखा
PART II—ACCOUNT OF DEPOSIT WORKS NOT AFFECTED DURING THE MONTH OF 19

क्रम संख्या Serial No.	जमाकर्ता के नाम सहित निर्माण कार्य का नाम Name of work, with name of depositor	जमा अद्यतन जोड़ Total deposits up-to-date		व्यय अद्यतन जोड़ Total Expenditure up-to-date		विविध पुरातत्व निर्माण कार्य पेशगियों को प्रभारित व्यय अद्यतन जोड़ Expenditure debited to Misc. P. W. Advances up-to-date		मास जिसमें निर्माण कार्य पूरा हुआ Month in which work was completed	सम्पूरित निर्माण कार्यों के बिना व्यय शेषों और विविध पुरातत्व निर्माण कार्य पेशगियों को प्रभारित व्यय समायोजन के लिए की गई कार्रवाई Step taken to adjust (1) unexpended balance of completed works, and (2) expenditure debited to Miscellaneous P. W. Advances
1	2	3		4		5		6	7
		रु० Rs.	पै० P.	रु० Rs.	पै० P.	रु० Rs.	पै० P.		
	भाग I को अंतरित जोड़ Total transferred to Part I								

कनिष्ठ लेखा अधिकारी
Jr. Accounts Officer

भा० पु० स० नि०-39
ASIW-39

ठेकेदार के लेजर का सार
EXTRACT FROM CONTRACTORS LEDGER

[संदर्भ-ए० ड० कु० कोड पैरा 14.26.1 (iii) देखिए]
(Referred to in Para 14.26.1(iii) of the A.W. Code)

ठेकेदार का नाम ....
Name of Contractor

बिल या वाउचर का विवरण Particulars of Bill or Voucher			सस्पेंस शीर्ष से निवल संव्यवहार Net transactions detailed by Suspense Head				कुल संव्यवहार Gross Transaction			
तारीख Date	संख्या No.	यदि चालू लेखा बिल हो तो क्रम संख्या Serial No. if a running A/c Bill	अग्रिम भुगतान + = नामे — = जमा Advance payments + = Debits — = Credits	सुरक्षित अग्रिम + = नामे — = जमा Secured Advances + = Debits — = Credits	संव्यवहार, + = नामे — = जमा Transaction + = Debits — = Credits	निर्माण कार्य या लेखा का नाम (लाल स्याही में) संव्यवहारों का विवरण Name of Work or Account (in red ink) Particulars of transaction	नामे Debit	जमा Credits	निर्माण कार्य या पूर्ति का कुल मूल्य Total value of Work or Supplies	अभ्युक्तियां Remarks
1	2	3	4D	5ङ E	6 G	7	8ज H	9च F	10क	11 A

शेष का ब्यौरा
Details of
Balance

संडल/शाखा अधिकारी
Circle/Branch Officer

24—112 D. G. Arch/Survey/ND/83

भा० पु० स० नि०-40
ASIW-40

औजार और संयंत्र का मांगपत्र
TOOLS AND PLANT INDENT

(पु० नि० का० सं० पैरा 14.6.1 (iv) के संदर्भ में)
(Referred to in paragraph 14.6.1(iv) A.W.C.)

मंडल/उप-मंडल का औजार और संयंत्र का मांगपत्र
Tools and Plant Indent of Circle/Sub-circle

सं०/No. ....,
तारीख/Date ....
मंडल/Circle ....
उपमंडल / मंडल
Sub-Circle/Circle ....

मूल/दूसरी/तीसरी प्रति
ORIGINAL/DUPLICATE/TRIPLICATE

क्रम सं० Serial No.	*वस्तु का नाम *Name of Articles	मात्रा Quantity: मांगी गई Indented	मात्रा Quantity: जारी की गई Issued	मद/Unit	दर/Rate	राशि/Amount	लेखा शीर्ष/Head of Account	कार्य/जॉब का नाम सहित ठेकेदार का नाम जिससे वसूली की जाएगी Name of work/job with name of contractor from whom value is recoverable	उस व्यक्ति का नाम जिसे वस्तु सौंपी जाएगी और उसका हस्ताक्षर Name of person to whom the articles are to be delivered and his signature: नाम Name	हस्ताक्षर Signature	मांग पत्र भेजने वाले अधिकारी का नाम Signature of Indenting Officer: उप-मंडल अधिकारी Sub-divisional Officer	मंडल अधिकारी Divisional Officer	जारी करने की तारीख Issued on.........	पूर्ति अधिकारी Supply Officer	प्राप्त किया/Received	दिनांकित Dated.........हस्ताक्षर Signature	औ०औ संं० खाता पत्रा सं० T. & P. Ledger Folio No....	खाता अनुरक्षक Ledger Keeper मंडल लेखापाल Divisional Accountant	अभ्युक्तियां **/**Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13		14		15
					रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.													

*स्तंभ 6 में दर्ज की जाने वाली वस्तुएं वर्गीकरण के उपशीर्ष के अनुसार निर्धारित वर्गों में रखा जाए (देखिए पैरा 7.3.7)।
*The articles to be entered in column 6 should be grouped by the prescribed sub-heads of classification vide paragraph 7.3.7.

**दी गई या भेजी गई वस्तुओं को वापस प्राप्त करने से संबंधित प्रविष्टियों का अन्तर इस स्तंभ में उचित अभ्युक्तियां देकर बताएं (देखिए पैरा 7.3.7)
**The entries in respect of receipt back of articles lent or sent out (vide paragraph 7.3.3) should be distinguished from others by a suitable remark in this column.

भा० पु० स० नि०-41
ASIW-41

ब्यौरेवार कार्य समापन रिपोर्ट
DETAILED COMPLETION REPORT

(पु० नि० संहिता के पैरा 12.4.1 और 12.3.2 में निर्दिष्ट)
(Referred to in paragraph 12.4.1 and 12.3.2 of A.W. Code)

मंडल / शाखा कार्यालय
Circle/Branch Office

निर्माण का नाम
Name of work

अनुमान की राशि — रु०
Amount of estimate — Rs.

व्यय — रु०
Expenditure — Rs.

आधिक्य — रु०
Excesses — Rs.

आधिक्य की प्रतिशतता — रु०
Percentage of excesses — Rs.

कार्यारम्भ की तारीख
Date of commencement

कार्य समापन की तारीख
Date of completion

आधिक्य का स्पष्टीकरण
Explanation of excesses

निर्माण कार्य का नाम
Name of Work

मुख्य शीर्ष
Major head

लघु शीर्ष
Minor head

वर्गीकरण का विवरण शीर्ष
Detailed head of classification

प्रस्तुत किए गए पिछले अनुसूची डाकेट का निर्देश..........................मास की संख्या ....
Reference to last schedule docket submitted..................................No. for the month of ....

प्राधिकार :
Authority :

अनुमान का उपशीर्ष Sub-head of estimate	अनुमान के अनुसार As estimated			निष्पादन के अनुसार As executed			अन्तर Difference			अगले पृष्ठ पर आधिक्य* के स्पष्टीकरण देते हुए पैराग्राफ का निर्देश Reference to paragraph overleaf explaining excesses*
	मात्रा Quantity	दर Rate	राशि Amount	मात्रा Quantity	दर Rate	राशि Amount	मात्रा Quantity	दर Rate	राशि Amount	
			रु० पै० Rs. P.			रु० पै० Rs. P.			रु० पै० Rs. P.	
जोड़ Total	रु० Rs.			रु० Rs.			रु० Rs.			

*आधिक्य को लाल स्याही से तथा बचत को काली स्याही से दर्ज करें।
*Excesses to be entered in red ink, Savings in black ink.

तारीख ....
Dated

वरिष्ठ संरक्षक सहायक
Sr. C. A.

विशेष टिप्पणी. :—मूल निर्माण कार्य और विशेष मरम्मतों के मामले यदि अनुमोदित रूप रेखा में व्यतिक्रम हो तो जिस फार्म में अनुमान मंजूर हुआ हो उसी फार्म में वास्तव में किए गए कार्य की रिपोर्ट, रेखाचित्र और मापों के ब्यौरे समापन रिपोर्ट के साथ संलग्न करने चाहिए।

N. B.—In the case of original works special repairs, if any, considerable deviations from the sanctioned design have occurred, the report, specification on drawings and details of measurement of the work actually done in the same form as the estimate should accompany the completion Report.

भा० पु० स० नि०-42
ASIW-42

निर्माण कार्य और मरम्मतों का कार्य समापन विवरण
COMPLETION STATEMENT OF WORKS AND REPAIRS

(पैरा 12.4.1 और 12.3.2 में निर्दिष्ट)
(Referred to in paragraph 12.4.1 and 12.3.2)

ऐसे निर्माण कार्य और मरम्मती कार्य का समापन विवरण जो महीने के दौरान पूरे हो गये किन्तु जिनका परिव्यय उप-शीर्षों-वार नहीं किया गया तथा जिनका वास्तविक व्यय संस्वीकृत अनुमान से इतना अधिक है कि मंडल/शाखा अधिकारी को उसे पारित करने का अधिकार नहीं है।

Completion Statement of Works and Repairs completed during the month of the outlay but which has not been recorded by sub-head and the actual expenditure on which is in excess of the sanctioned estimate by an amount greater than that which the Circle/Branch Officer is empowered to pass.

मद संख्या Item No.	वर्गीकरण के मुख्य लघु और विवरण समहित किए गए निर्माण कार्यों के नाम Name of works grouped under major, minor and detailed heads of classification	संस्वीकृत Sanctioned			अनुमान की राशि Amount of Estimate	व्यय की राशि Expended	आधिक्य* Excess*	आधिक्य की प्रतिशतता % of excesses	अभ्युक्तियां Remarks
		प्राधिकार Authority	संख्या No.	तारीख Date					
					रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.		

*ऐसे मामलों में जिनमें नि० का० सं० पैरा के अधीन संशोधित अनुमान के स्थान पर कार्य समापन विवरण प्रयोग में लाया जाए और आधिक्य आदि 5% अधिक हो तब पर्याप्त ब्यौरे देने चाहिए।

*In cases in which the Completion Statement is utilised instead of a revised estimate under paragraph of the A. W. C. sufficient details must be given if the excesses is more than 5 per cent.

वरिष्ठ संरक्षक सहायक
Sr. C. A.

मंडल/शाखा
..............*Circle/Branch*

भा० पु० स० नि०-43
ASIW-43

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

राज्य
State

मंडल / शाखा
Circle/Branch

शाखा
Branch

महीना
Month

बृहत् और लघु निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य और औजार तथा संयंत्र आदि के प्राक्कलन का विवरण जो प्राधिकृत अधिकारी ने मंजर किया हो

Statement of estimates for Major and Minor works, repairs and Tools and Plant, etc. sanctioned by the competent authority

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता पैरा 14.26.1)

(Archl. Works Code paragraph 14.26.1)

मद संख्या Item No.	स्वीकृत प्राक्कलन का पूरा नाम Full name of the estimate as sanctioned	स्वीकृत राशि Amount sanctioned	प्राधिकार Authority			वर्गीकरण Classification			परियोजना का नाम (यदि ब्यौरेवार प्राक्कलन का संबंध किसी एक से हो) Name of the project (in case the detailed estimate relates to one)
			पदनाम Designation	संख्या No.	तारीख Date	मुख्य शीर्ष Major Head	लघु शीर्ष Minor Head	ब्यौरेवार शीर्ष Detailed Head	

मंडल/शाखा अधिकारी
Circle/Branch Officer

भा० पु० स० नि०-44
ASIW-44

जमा निर्माण कार्य अनुसूची

SCHEDULE OF DEPOSIT WORKS

(पैरा 12.6.2 में निदिष्ट)
(Referred to in Paragraph 12.6.2)

मंडल / शाखा
Circle/Branch..................

भाग I—......मास के दौरान प्रभावित जमा निर्माण कार्यों का लेखा
Part I—Account of Deposit works affected during the month of........19

क्रम संख्या	अनुमान का ब्यौरेवार वर्गीकरण	जमाकर्ता के नाम सहित सम्पूर्ण कार्य का नाम	जमा DEPOSITS			अनुसूची डाकेट संख्या	व्यय EXPENDITURE		विविध पुरातत्व लोक निर्माण कार्य पेशगियों को प्रभारित व्यय, यदि कोई हो Expenditure if any charged to miscellaneous works-Advances		अभ्युक्तियां यदि निर्माण कार्य समाप्त हो गया हो, तो लिखें	मास के दौरान पुरातत्व निर्माण जमा को निवल प्रभार्य राशि
			पिछले मास के अंत तक	मास के दौरान	अद्यतन जोड़		मास के कुल प्रभार	अद्यतन जोड़	अद्यतन	मास के दौरान		
Sl. No.	Detailed classification of Estimate	Name of the work with name of depositor	To end of previous month	During month	Total up to date	Schedule Docket No.	Total Charges of the month	Total up-to-date	Up-to-date	During the month	Remarks, if the work completed, say so	Net chargeable amount during the month to P.W. Deposits.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			रु०पै० Rs. P.	रु०पै० Rs. P.	रु०पै० Rs. P.	रु०पै० Rs. P.	रु०पै० Rs. P.	रु०पै० Rs. P.	रु०पै० Rs. P.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मास में लेन देनों से प्रभावित लेखाओं के जोड़ Total for Account affected by the month's transactions			क A								
जोड़े भाग II के अनुसार मास के लेन देनों से अप्रभावित लेखाओं के जोड़ Addl. total for accounts not affected by the month's transactions as per Part II											
						ख B				*ग घ (-ख-ग) C **D(—B—C)	
						ञ K					
कुल जोड़ Grand Total			ङ E			च H		छ T	च-छज(F—G)	--ट जठ(K—H)	

घटाएं-मदों के अनुसार मास के दौरान समेकित लेखाओं के अद्यतन जोड़

Deduct-"Up-to-date" totals of Accounts closing during the month as per items

प्राप्तिवार चालू लेखाओं के मास का निवल अद्यतन जोड़

Net "Up-to-date" totals of accounts remaining open at the close of the month

*जब किसी निर्माण कार्य को हफ्ता वार अनुसूची में शामिल किया जाय तो संस्वीकृति के खाना 3 में लाल स्याही से दर्ज होना चाहिए।

*When a work is included for the first time in the schedule, the sanction should be entered in red ink in column 3.

**क और घ प्रविष्टियों की राशियां जमा अनुसूची (फार्म) में खाना 6 और 8 अर्थात् "मास के दौरान क्रेडिट" और "मास के दौरान डेबिट" में दर्ज करनी चाहिए।

**The amounts as per entries A and D (Form) should be entered in columns 6 and 8 *i. e.* "Credits during the month" and "Debits during the month" of the Schedule of Deposits.

†अंतरण प्रविष्टि ग द्वारा न प्रविष्टि की राशि विविध पुरातत्व नि० पेशगियों की एक मुश्त राशि के रूप में प्रभावित की जानी चाहिए।

†The amount as per entry C should be a transfer entry, be charged in lump sum to miscellaneous A. S. I. Advances.

क. प्रविष्टि को राशि की मास की अनुसूची की प्रविष्टि से मेल खाना चाहिए। किए जाने वाले निर्माण कार्य के अन्त शेष (जमा अनुसूची फार्म के खाना 9 (के अनुसार) सेट प्रविष्टि की राशि को मेल खाना चाहिए।

E. The amount as per entry L, should agree with the closing balance of deposit for works to be done as per column 9 of the schedule of Deposit.

भाग II—मास.......... 19...........के दौरान अप्रभावित जमा निर्माण कार्यों का लेखा

Part II—Accounts of Deposit Works not affected during the m3nth of..........19

क्रम संख्या	जमाकर्ता के नाम सहित निर्माण कार्य का नाम	जमा अद्यतन जोड़	व्यय अद्यतन जोड़	विविध लोक निर्माण कार्य पेशगियों को प्रभावित व्यय अद्यतन जोड़	मास जिसमें निर्माण कार्य पूरा हुआ	सम्पूरित निर्माण कार्यों के बिना व्यय शेषों के और विविध लोक निर्माण कार्य पेशगियों को प्रभारित व्यय समायोजनके लिए की गई कार्रवाई
Sl. No.	Name of work with name of Depositor	Total deposits up-to-date	Total Expenditure up-to-date	Expenditure debited to Miscellaneous P. W. Advances up-to-date	Month in which work was completed	Steps taken to adjust (1) unexpended balances of completed work and (2) expenditure debited to Miscellaneous P. W. Advances
1	2	3	4	5	6	7
		रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.		
	भाग I को अंतरित जोड़ Total transferred to Part I.					

कनिष्ठ लेखा अधिकारी
Jr. Accounts Officer

भा० पु० स० नि०-45
ASIW-45

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

प्राक्कलन संख्या
ESTIMATE NO.

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता पैरा 11.1.1)
(Archaeological Works Code, Paragraph 11.1.1)

राज्य
State

मंडल/शाखा
Circle/Branch

निर्माण कार्य का नाम
Name of work

निधि
Fund

मुख्य शीर्ष
Major Head

लघु शीर्ष
Minor Head

तफसीली शीर्ष
Detailed Head

टिप्पणी : प्रत्येक के सामने की प्रविष्टियां परिशिष्ट सं०................ पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता के अन्तर्गत विहित वर्गीकरण के अनुसार की जाएं।

Note : The entries against each of the above should be made in accordance with the classification prescribed in Appendix No.................. Archl. Works Code.

किसके द्वारा प्राक्कलन तैयार किया गया
Estimate framed by

अभियन्ता
Engineer

अनुमानित लागत
probable cost of

संदर्भ में :
Ref.

1. निरीक्षण प्रतिवेदन :
Insp. report

2. संरक्षण से फोटोग्राफ :

विनिर्देशन
Specification

भा० पु० स० नि०-46
ASIW-46

राज्य
STATE

लागत सार—मूल प्राक्कलन
ABSTRACT OF COST—ORIGINAL ESTIMATE

(पु० नि० का० संहिता पैरा 11.1.1)
(A.W. Code Para 11.1.1)

मंडल शाखा
Circle/Branch

निर्माण कार्य का नाम
Name of work

उप-मंडल
Sub-circle

मद संख्या Item No.	उपशीर्ष और कार्य की मद्दे Sub-heads and items of work	मात्रा या संख्या Quantity or No.	दर Rate	प्रति Per	राशि Amount	जोड़ Total
			रु० पै० Rs. P.		रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.
	आगे ले जाया गया Carried over					

मद संख्या Item No.	उपशीर्ष और कार्य की मद्दे Sub-heads and items of work	मात्रा या संख्या Quantity or No.	दर Rate	प्रति Per	राशि Amount	जोड़ Total
	आगे ले लिया गया Brought forward		रु० पै० Rs. P.		रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.
		जोड़ Total				

रु०.........................की मंजूरी की गई
Sanctioned for Rupees....................

संयुक्त महानिदेशक
Joint Director General

स० अ० पु० अभियंता | उप अ० पु० अभियंता | अ० पुरातत्वविद् मंडल | निदेशक (संरक्षण) *Director (C)* | अपर महानिदेशक

महानिदेशक
Director General

भा० पु० स० नि०-47
ASIW-47

माप प्रपत्र का ब्योरा
DETAILS OF MEASUREMENT FORM

निर्माण कार्य का नाम
Name of Work

(पु० नि० संहिता के पैरा 11.1.1 में निर्दिष्ट)
(Referred to in para 11.1.1 of the AW Code)

पृष्ठ संख्या
Page No.

दिनांक
Date

मद संख्या Item No.	विशेषताएं/विवरण PARTICULARS/ DESCRIPTION	संख्या N	लम्बाई L	चौड़ाई B	ऊंचाई H	मात्रा/वस्तुएं QTY./ CONTENTS

फार्म 2
FORM 2

माप प्रपत्र का ब्योरा
DETAILS OF MEASUREMENT FORM

निर्माण कार्य का नाम
Name of Work

पृष्ठ संख्या
Page No.

दिनांक
Date

मद संख्या Item No.	विशेषताएं/विवरण PARTICULARS/ DESCRIPTION	संख्या N	लम्बाई L	चौड़ाई B	ऊंचाई H	मात्रा/वस्तुएं QTY./ CONTENTS

मा० प० स० नि०-48
ASIW-48

अग्रदायी रोकड़ बही
IMPREST CASH BOOK

[पु० नि० संहिता के पेरा 14.3.1 से 14.4.1 तक में निर्दिष्ट]
[*Referred to in paras* 14-3-1 *to* 14-4-1 *of AW code*]

1. जिन सरकारी कर्मचारियों को निश्चित अग्रदाय या अस्थायी पेशगियां सौंपी गयी हों उनको इस फार्म में अपने संवितरणों के लेखे रखने और प्रस्तुत करने चाहिए।

2. पूर्व राशि जिससे अग्रदाय रोकड़ लेखा खोला जाता है, तत्काल स्तंभ संख्या 5 "जोड़" में लाल-स्याही से दर्ज कर देना चाहिए। प्रेषक की तारीख और तरीका, और यदि चैक द्वारा उसकी आपूर्ति की गई हो तो उस चैक तथा चैक पुस्तक की संख्या को भी दर्ज कर लेना चाहिए। खाना 3 इस प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। अग्रदाय में से किये गए संवितरणों को उनके होते ही नित्यप्रति स्पष्ट रूप में और पूरे ब्योरों सहित दर्ज कर लेना चाहिए और समय समय पर जब भी अग्रदायधारी आवश्यक समझे और संवितरण अधिकारी जिससे अग्रदाय लिया गया हो की रोकड़ बही के मासिक संवरण की नियत तारीख से कुछ दिन पहले ही लेखा को संवरण करके शेष निकालना चाहिए, दायि तरफ का आधा पृष्ठ काट कर संवितरण अधिकारी को भेज देना चाहिए और प्रतिपूर्ण अग्रदायधारी अपने पास रख लेना चाहिए। प्रत्येक अदायगी के लिए लेख के समर्थक उचित फार्म में एक वाउचर भी होना चाहिए। जिस पर संख्या डाली जाए और लेखे के साथ नत्थी किया जाय ताकि वह खाना 2 "वाउचर संख्या में दी गई प्रविष्टियों की क्रम संख्या के अनुरूप हो। समय समय पर अग्रदाय के आपूर्ति के लिए प्राप्त रकम को खाना 5 में लाल स्याही के नियत राशि के रूप में उसी तरह दर्ज करना चाहिए जिस प्रकार अग्रदाय लेखा उस राशि से प्रथम बार खोला गया था।

3. लेखे में निश्चित अग्रदाय को आरंभिक प्रविष्टि और बाद में व्यय की आपूर्तियों के अतिरिक्त प्राप्तियों की कोई अन्य प्रविष्ट नहीं होनी चाहिए और न हो अग्रदायधारी द्वारा अपने अग्रदाय में प्रदत्त राशि के अतिरिक्त किसी व्यय को प्रविष्टियां होनी चाहिए।

4. सरकार की ओर से अग्रदायधारियों द्वारा प्राप्त रकम को अग्रदाय रोकड़ के साथ मिश्रण या अग्रदाय रोकड़ बहीं में दर्ज नही करना चाहिए, बल्कि उस पर संहिता के परा में निर्धारित ढंग से कार्रवाई करनी चाहिए।

5. आपूर्ति संवितरण अधिकारी द्वारा प्रभारों के सार तैयार करने को सुविधाजनक बनाने के लिए अग्रदायधारी को खाना में अदायगी के अन्य विवरणों के साथ निर्माण कार्य का नाम इत्यादि, जिसकी अदायगी डेबिट योग्य

1. Government servants entrusted with fixed imprests or temporary advance should maintain and render accounts of their disbursements in this form.

2. The round sum with which an Imprest cash account is opened should be entered at once in red ink in column 5, "Total" The date and manner of the remittance, and if recouped by cheque, the cheque and cheque book number should also be entered, column 3 being utilised for the latter purpose. The disbursement from this imprest should be entered daily as they are made clearly and in full detail, and from time to time as the imprest holder finds it necessary, as also a few days before the due date for the monthly closing of the cash book of the disbursing officer, from whom the imprest is held, the accounts should be closed and balanced, the right-hand half page being cut of and sent to the disbursing officer, and the counterfoil retained by the imprest-holder. The account should be supported by a voucher in proper form, for each payment, numbered and attached to the account so as to correspond with the order of the entries in column 2, "Voucher No." The sums received, from time to time, in recoupment of the imprest should be entered in column 5 in red ink in the same way at the fixed amount with which the account was first opened.

3. The account should contain no entries of receipts other than the opening entry of the fixed imprest and the subsequent recoupments of expenditure nor any entries of expenditure other than those paid directly by the imprest-holder himself from the amount of his imprest.

4. Money received by imprest-holders on behalf of Government is not to be mixed up with their imprest cash, or brought into the imprest cash book, but should be disposed of in the manner prescribed in paragraph of the Code.

5. To calculate the abstracting of charges by the recouping disbursing officer in the imprest-holder must invariably enter in column 3, along with other particulars of payment the

है तथा ठेकेदार या अन्य व्यक्ति का नाम, यदि कोई हो जिससे प्रदत्त राशि वसूल योग्य है, अवश्य दर्ज कर लेनी चाहिए। खाना उस लेखा शीर्ष के लिए नियत है जिसका संबंध प्रत्येक अदायगी से है। अग्रदायधारी को उसे खाली छोड देना चाहिए। आपूर्ति संवितरण अधिकारी को उसके द्वारा निपटाये गए प्रत्येक अग्रदाय लेखे पर आपूर्ति की तारीख और ढंग और यदि चैक द्वारा आपूर्ति की गई हो तो चैक और चैक पुस्तक संख्या दर्ज कर देनी चाहिए, साथ ही जब कभी बृध्दि-कमी या आहरण हो तो उसकी टिप्पणी देनी चाहिए। जब लेखा उसकी अपनी रोकड़ वही में शामिल किया जाए तब उसको रोकड़ वही में उद्धृत वाउचर संख्या के अनुरूप संख्या दी जानी चाहिए, ताकि उसका तत्काल पता लगाया जा सके।

6. अस्थायी पेशगियों को भी इसी फार्म में लेखा बद्ध किया जाना चाहिए किन्तु इन पेशगियां के लेखे बिल्कुल अलग होना चाहिए।

name of the work, etc., to which each payment is debitable and also the name of the contractor or other person, if any, from whom the amount paid is recoverable. Column 6 is intended for the head of account to which each payment relates and should be left blank by the imprest-holder. The date and manner of recoupment and, if recouped by cheque, the cheque book number should be entered by the recouping disbursing officer on every imprest account disposed of by him, also a note of increase, reduction, or withdrawal when such occur. When the account is incorporated in his own cash book, it should be numbered to correspond with the voucher number quoted in the cash book, so as to be readily traceable from it.

6. Temporary advances should also be accounted for in this form, but the account of these advances should be quite distinct from those for permanent advances.

मा० पु० स० नि०-48
ASIW-48

......का अग्रदाय रोकड़ बही
IMPREST CASH ACCOUNT

(पैरा 14.3.1 से 14.4.1 तक में निर्दिष्ट)
(Referred to in paragraphs 14.3.1 to 14.4.1)

........................को अग्रदाय रोकड़ बही
Imprest cash book of......................

मास और तारीख Month and Date	वाउचर संख्या Voucher No.	लेन देन का विवरण Transaction	प्रत्येक अदायगी की राशि Amount of cash payment		जोड़ Total		लेखा शीर्ष Head of account
1	2	3	4		5		6
			रु० Rs.	पै० P.	रु० Rs.	पै० P.	
		आदि शेष Opening balance					

प्रभारों का सार
ABSTRACT OF CHARGES

निर्माण-कार्यों के नाम Name of works												
अवधि.........से Period .... To................	रु० Rs.	पै० P.	रु० Rs.	पै० P.	रु० Rs.	पै० P.	रु० Rs.	पै० P.	रु० Rs.	पै० P.	रु० Rs.	पै० P.
जोड़ TOTAL												

विशेष टिप्पणी :—यह सार प्रत्येक फार्म के पीछे मुद्रित होगा तथा इसे उपमंडल अधिकारी द्वारा उस समय भरा जाना चाहिए जब अग्रदायधारी उससे धन प्राप्त करता है । अन्य मामलों में यह मंडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा ।

N. B.—This abstract will be printed at the back of the each form and should be filled in by the Sub-divisional Officer when the imprest-holder receives funds from him and in other cases by the Divisional Officer.

भा० पु० स० नि०-49
ASIW-49

मस्टर रोल
MUSTER ROLL

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता पैरा 14.7.2 में निर्दिष्ट)
(Referred to in paragraph 14.7.2 of A. W. Code)

रोकड़ बही वाउचर संख्या.....................तारीख
Cash Book Voucher No............Dated

भाग I—वैयक्तिक नामावली
PART I—NOMINAL ROLL

निर्माण का कार्य नाम
Name of work

विवरण Descri-ption	सं० No.	वर्गानुसार सामूहिक नाम Names grouped according to classes	पिता का नाम Father's Name	घर का पता Residential address	तारीख DATES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	जोड़ Total	दर Rate रु० पै० Rs. P.	राशि Amount रु० पै० Rs. P.	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान तथा अंशदायी के समय आदाता के तारीख सहित और अभ्युक्तियां Signature or thumb impression of payee and dated initials and remarks of paying officer made at the time of payment
		दैनिक जोड़ DAILY TOTAL																					
		दनिक हाजिरी लगाने वाले व्यक्ति के आद्यक्षर Initials of persons marking the daily attendance																					
		निरीक्षक अधिकारी के आद्यक्षर Initials of inspecting officer																					

इस उपस्थिति नामावली का कुल जोड़
Grand total of the muster roll

घटाएं—अदायगी नहीं की गई अदत्त मजदूरी रजिस्टर में अंतरित किए गए ब्यौरो के अनुसार डी०जी०ए०डब्ल्यू०–5
Deduct—Payment not made, as per details transferred to register of unpaid wages DGAM-5

रु० पै०
Rs. P.

शेष अदा की गई
Balance paid

पिछली उपस्थित नामावली में बकाया राशि जो अदा कर दी गई अदत्त मजदूरी के ब्यौरे के अनुसार
Arrears of previous muster roll now paid off, as per details of unpaid wages.

अदा की गई रकम (शब्दों में)
Total Amount paid (in words)

तारीख.....................................
Dated

तारीख..................
Dated

..............................रुपये के लिए पारित
Passed for Rs. (   ) Rupees ....

इस रोल में................. आन्तरिक पन्ने (क)....... आन्तरिक पन्ने (ख) जिनमें सभी पर मैंने आज की तारीख में अपना दिनांकित आद्यक्षर किया है।

This roll contains.......... inner sheets (a) ....inner sheets (b) all of which have been initialled and dated by me to day.

रुपये.............................
Rupees

हस्ताक्षर..........................
Signature

तारीख..................
Dated

पद........................
Ranks

25—112 D. G. Arch/Survey/ND/83

भाग II—कामगारों का बकाया मजदूरी का रजिस्टर

PART II—REGISTER OF ARREARS OF WAGES DUE TO WORKERS

(बकाया लिपिबद्ध करने की इस विधि को अपनाना वरिष्ठ संरक्षण सहायक पर छोड़ दिया गया है)

(The adoption of this method of recording arrears is left optional with Sr. Conservation Assistant)

मास एवं अवधि जिससे बकाया संबंधित है Month and period to which the arrears relate	उपस्थिति नामावली के अनुसार क्रम संख्या Serial No. as per nominal muster roll	नाम Name	पिता का नाम Father's name	बकाया राशि Amount due	भुगतान की गई राशि Amount paid	पाने वाले का दिनांकित हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान Dated signature or thumb impression of the payee	भुगतान करने वाले अधिकारी का दिनांकित आद्यक्षर तथा अभ्युक्तियां Dated initials and remarks of the paying officer	उपस्थिति नामावली के अनुसार विशिष्ट क्रम संख्या Special number as per nominal muster roll	नाम Names	पिता का नाम Father's Name	बकाया राशि Amount due
	पिछले उपस्थित नामावली की बकाया अग्रेनीत Arrears of previous muster rolls brought forward			रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.				अग्रनीत Brought forward		रु० पै० Rs. P.
								इस उपस्थिति नामावली के अनुसार बकाया Arrears as per this muster roll			
										जोड़ Total	
										कुल जोड़ GRAND TOTAL	
								घटाएं—पिछली उपस्थिति नामावली की बकाया में से भुगतायी गई राशि *Deduct*—Amount paid out of arears of previous muster roll.			
			जोड़ Total					शेष—अगली नामावली उपस्थिति नामावली में लाई गई बकाया राशि **Balance—Arrears carried to next Muster roll**			
			अग्रेनीत Carried over								

भाग III—इस नामिक उपस्थिति नामावली के अनुसार लगाये गये मजदूरों द्वारा किये गये निर्माण कार्य की माप का ब्यौरा, उन मामले में, जहां निर्माण कार्य को माप लेने की संभावना हो

PART III—DETAILS OF THE MEASUREMENT OF WORK DONE BY THE LABOUR EMPLOYED AS PER THIS NOMINAL MUSTER ROLL IN CASE IN WHICH THE WORK IS SUSCEPTIBLE OF MEASUREMENT

निर्माण कार्य का विवरण (प्रत्येक विशिष्ट निर्माण कार्य की मद जो यथावश्यक स्वीकृत उपशीर्षों में समूहित की गई हो) Description of work (each distinct item of work, grouped by sanctioned sub-heads where necessary)	मात्रा Quantity	अन्तिम उपस्थिति नामावली में दर्शायी गई राशि घटा दें Deduct as shown in the last muster roll	शेष BALANCE

.....................19 को माप ली गई
Measurement taken on

मापपुस्तिका की संख्या
Measurement Book No.

पृष्ठ सं० 9
Page No. 9

तारीख
Dated

हस्ताक्षर ....
Signature

पद ....
Rank

*यदि निर्माण कार्य की माप लिये जाने की संभावना न हो तो इस आशय की अभ्युक्ति अंकित करें।
*If the work is not susceptible of measurements, a remark to this effect should be recorded.

*यदि अपेक्षित हो, तो यथासंभव, दरें अंकित की जाए और इस कालम में बतायी गई मात्राओं के ठीक नीचे लाल स्याही से दर्शायी जाएं।
*If desired, rates may be struck where possible and shown in red ink just below the quantities in this column.

भा० पु० स० नि०-50
ASIW-50

नैमित्तिक मजदूर नामावली
CASUAL LABOUR ROLL

(पु० नि० संहिता के पैरा 14.8.2 में निर्दिष्ट)
(Referred to in paragraph 14.8.2 of AW Code)

रोकड़ बही वाउचर संख्या..................तारीख............19
Cash Book Voucher No..................dated..............19

................(तारीख) को नियुक्त किए गए नैमित्तिक मजदूर
Casual Labour employed on dated.........................

.................से.............तक
From................to................

क्रम संख्या S.No.	नाम Name	पिता का नाम Father's Name	निवास स्थान का पता Residential Address	मजदूर का वर्ग Class of Labour	अवधि Period	दर Rate	राशि Amount	अदाता अधिकारी के तारीख युक्त आद्यक्षर तथा अभ्युक्तियां Dated initials and remarks of paying officer	दर्ज किए गए माप यदि कोई हो के संदर्भ में किए गए निर्माण कार्य की मात्रा Quantity of work done, with reference to recorded measurement, if any	किस निर्माण कार्य के प्रभार्य Work to which chargeable
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.			

मेजरमेंट बुक संख्या.......
Measurement No.

पष्ठ सं०.....
Page No.

.......................की लागत
for

जोड़
Total

घटाएं अदत्त
Minus unpaid

निवल प्रदत्त
Net amount paid

तारीख.................................कुल प्रदत्त राशि (शब्दों में)
Total unpaid amount (in words) ....on dated.............

†अदत्त राशियों का आवश्यक विवरणों के साथ उल्लेख करें।
†Unpaid amount should be recorded with neccessary details.

हस्ताक्षर (कार्यालय या पद)
Signature (Office/Rank)

भा० पु० स० नि०-51
ASIW-51

प्रथम तथा अंतिम बिल
FIRST AND FINAL BILL

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता पैरा 14.16.1 और परिशिष्ट 19)
(Archaeological Works Code paragraph 14.16.1 and Appendix XIX)

मंडल / शाखा
Circle/Branch

उप-मंडल/उप-कार्यालय
Sub-Circle/Sub-Office

(ठेकेदारों तथा पूर्तिकर्ताओं के लिए*:—इस फार्म का उपयोग तब किया जाए जब एक जाब या ठेके के लिए एक ही अदायगी की जाती है अर्थात उसके समापन पर एक ही कार्य का उपयोग अनेक ठेकेदारों या पूर्तिकर्ताओं को अदायगियां करने के लिए किया जा सकता है यदि उनका संबंध उसी निर्माण कार्य से है या पूर्तिकर्ताओं के मामले में उसी लेखा शीर्ष से है तथा उसी समय बिल बनाया जाता है)

(For Contractors and Suppliers* — To be used when a single payment is made in a job or contract *i. e.*, only on its completion. A single form may be used for making payment to several contractors or suppliers, if they relate to the same work or to the same head of account in the case of suppliers and are billed for at the same time).

वही वाउचर संख्या..........तारीख.........
Note book voucher No...... ...Date.....

निर्माण कार्य का नाम (निष्पादित निर्माण कार्य के बिलों के विषय में)..........
Name of work (in the case of bills for work done).......................

ठेकेदार या पूर्तिकर्ता का नाम तथा करार का निदेश Name of Contractor or supplier and reference to Agreement	निर्माण कार्य या पूर्तियों की मदें (अनुमान के उप-शीर्षों तथा उप-निर्माण कार्य के अंतर्गत समाहित किए हुए) Item of work or supplies (grouped under "Sub-heads" and "Sub-works" of Estimate)	दर्ज किए गए मापों का निर्देश और तारीख Reference to recorded measurements and date	**निम्न की तारीख **Date of: निर्माण कार्यारम्भ के लिए लिखित आदेश Written-order to commence work	**निम्न की तारीख **Date of: निर्माण कार्य की वास्तविक पूर्ति Actual completion of work	मात्रा Quantity	दर Rate	यूनिट Unit	राशि Amount	ठेकेदार या पूर्तिकर्ता को कुल देय — अंकों में Total amount payable to the contractor or supplier — In Figures	ठेकेदार या पूर्तिकर्ता को कुल देय — शब्दों में Total amount payable to the contractor or supplier — In Words	1. बिल की स्वीकृति तथा 2. अदायगी की पावती के लिए प्राप्तकर्ता के तारीख सहित हस्ताक्षर Payee's dated signature in token of (1) acceptance of bill & (2) acknowledgement of payment	गवाह के तारीख सहित हस्ताक्षर Dated signature of witness	संवितरणों की तारीख सहित प्रमाणपत्र / Dated certificate of disbursement — अदायगी—रोकड़ या चेक क्रमांक और तारीख Payment—Cash or Cheque Number and date	मेरे द्वारा अदा की गई Paid by me
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		पुस्तक सं० / Book No. — पृष्ठ सं० / Page No.	तारीख / Date											

तारीख
Dated ....

(रु०..........).....रु० नकद तथा रु० (.......) चेक द्वारा अदा करें
Pay Rs. (........) in cash and Rs. (........) by cheque

हस्ताक्षर
...................Signature

पद
...................Designation

बिल बनाने वाला अधिकारी
Officer preparing the bill

तारीख 19
Dated 19

हस्ताक्षर
...................Signature

पद
...................Designation

अदायगी प्राधिकृत करने वाला अधिकारी
Officer authorising payment

---

*निम्नलिखित फार्मों से जो उस मामले में लागू होता हो उस पर पूर्तिकर्ताओं को अदायगी करते समय पृष्ठ के आर पार तत्संबंधी प्रविष्टियों के ऊपर लाल स्याही से प्रविष्टि की जाय (1) "स्टाक", (2) "खरीदी-लक्ष स्टाक के लिए" (3) "निर्माणकार्य को सीधे जारी करने के लिए खरीद" (4) "......................निर्माण कार्य के लिए...........ठेकेदार को देने के लिए खरीद"।

*In the case of payment to suppliers a red ink entry should be made across the page above the entries relating thereto, in one of the following forms, applicable to the case (1) "Stock", (2) "Purchase—For Stock", (3) "Purchases for direct issue to work....................", (4) "Purchase for the work...........for issue to contractor......"

**जिन मामलों में उक्त काम के अनुबंध के अन्तर्गत निर्माण कार्य किया गया हो तो पूर्ति की गई हो, वहां आवश्यकता नहीं है।

**Not required in the case of work done or supplies made under a piece-work agreement.

†जिन निर्माण कार्यों के लेख उपशीर्षवार रखे जाते हैं, उन कार्यों की एक ही उप शीर्ष के अन्तर्गत आने वाली सभी मदों की राशियों का जोड़ लाल स्याही से करना चाहिए।

†In the case of works the accounts of which are kept by sub-heads the amounts relating to all items of work falling under the same "Sub-heads" should be totalled in red ink.

††जब प्राप्तकर्ता की पावती किसी चिह्न मोहर या अंगूठे के निशान द्वारा की जाए, तब अदायगी को किसी जाने पहचाने व्यक्ति साक्षरित करवाना चाहिए।

††Payment should be attested by some known person when the payee's acknowledgement is given by a mark, seal or thumb impression.

£वास्तव में अदायगी करने वाले व्यक्ति को इस खाने में प्रत्येक अदायगी के सामने तारीख सहित अपने अद्याक्षर करने चाहिए।

£The person actually making the payment should initial and date in this column against each payment.

यह हस्ताक्षर तभी आवश्यक है जब अदायगी को प्राधिकृत करने वाला अधिकारी, बिल तैयार करने वाला अधिकारी न हो।

This signature is necessary only when the officer authorising payment is not the officer who prepares the bill.

मंडल/शाखा कार्यालय में उपयोग के लिए
For use in Circle/Branch Office.............

महालेखाकार के कार्यालय में उपयोग के लिए
For use in P. A. O.'s Office.

जांच कर ली गई
Checked

लेखा लिपिक	लेखा अधिकारी	लेखापरीक्षा कर ली गयी	सहायक अधीक्षण पुरातत्व अभियन्ता	उपाधीक्षक पुरातत्व अभियन्ता	अधीक्षण पुरातत्वविद्	समीक्षा की गई
Accounts Clerk	Jr. A. O.	Audited	A. S. A. E.	Dy. S. A. E.	Supdg. Archaeologist	Reviewed

भा० पु० स० नि०-52
ASIW-52

चल लेखा बिल
RUNNING ACCOUNT BILL

(पु० नि० संहिता के पैरा 14.16.1 में तथा परिशिष्ट XIX)
(Referred to in paragraph 14.16.1 and Appendix XIX of AW Code)

(एक मुश्त ठेकों पर ठेकेदारों की अंतःकालीन अदायगी के लिए)
(To be used for "intermediate payments" to contractors in lump-sum contracts)

रोकड़ वही वाउचर संख्या — तारीख
Cash Book Voucher No. — Date

ठेकेदार का नाम
Name of Contractor

निर्माण कार्य का नाम
Name of Work

बिल की क्रम संख्या
Serial No. of the Bill

इस निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार के पिछले बिल की संख्या और तारीख
No. and date of his previous bill for this work

अनुबंध का निर्देश
Reference to agreement

निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए लिखित आदेश की तारीख
Date of written order to commence work

I. निष्पन्न निर्माण का लेखा
I. Accounts of work executed

निर्माण कार्य की मदें (उपशीर्ष और "उप-अनुमान" के अन्तर्गत समूहों में) Items of work (grouped under "Sub-head" and "Sub-Estimate")	यूनिट Unit	दर Rate	माप पुस्तक के अनुसार अद्यतन निष्पन्न निर्माण कार्य की मात्रा Quantity executed up-to-date as per measurement book	वास्तविक मापों के आधार पर अदायगियां Payment on the basis of actual measurements		अभ्युक्तियां REMARKS
				अद्यतन Up-to-date	पिछले बिल के बाद Since previous bill	
1	2	3	4	5	6	7
		रु० पै० Rs. P.		रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.	
आगे लाया गया Brought forward						

1	2	3	4	5	6	7
आज तक किए गए कार्य का कुल मूल्य (क) Total value of work done to date (A)						
घटाएं :--पिछले बिल में दिखाए गए कार्य का मूल्य Deduct value of work shown on previous bill						
पिछले बिल के बाद हुए कार्य का निवल मूल्य (च) Net value of work since previous bill (F)						
अंक (च) रुपये शब्दों में Figure (F) in words rupees......						

विशेष टिप्पणी :--जब खाना 6 में अनुमान के प्रत्येक उपशीर्ष से संबंधित दो या दो से अधिक प्रविष्टियां हो तो ऐसे निर्माण कार्य के विषय में जहां लेख उपशीर्षो वार रखे जाते हो तो उन्हें जोड़ देना चाहिए तथा निर्माण कार्य के सार में दर्ज करने के लिए जोड़ को खाता 7 में दर्ज कर लेना चाहिए ।

N. B.--When there are two or more entries in columns 6 relating to each sub-head of estimate they should be in case of works the accounts of which are kept by sub-heads, be totalled and the total recorded in column 7 for posting the Work-Abstract.

II--प्रमाणपत्र तथा हस्ताक्षर
II. Cetificates and signature

1. माप जिस पर लेखा I के खाना 1 से 6 तक की प्रविष्टियां आधारित है............................के द्वारा......................(तारीख) को की गई, तथा माप पुस्तक संख्या.........के.........पृष्ठ में दर्ज की गई ।

1. The measurements on which are based the entries in columns 1 to 6 of Account I, were made ....on........, and are recorded at page........of Measurement Book No.........

*प्रमाणित किया जाता है कि लेखा I में खाना 4 में दर्शित वास्तव में निष्पन्न कार्य की मात्रा के अतिरिक्त और अलग अनेक मदों से संबद्ध कुछ कार्य वास्तव में किया गया है तथा ऐसे कार्य की पेशगियों का (उसमें प्रयुक्त सामग्रियों की मात्राओं के प्रतिरक्षित पेशगियों को वसूली योग्य अनुपातिक राशि को घटा कर) मूल्य..................................ब्यौरे वार भागों को प्रत्याशा और उनके परिणामों के अध्यधीन ठेकेदार की सुविधा के लिए अदायगियों के ज्ञापन की मद 2 के अनुसार प्रस्तावित या की जा रही पेशगी अदायगियों से किसी भी तरह कम नहीं है । तथापि प्रत्याशि ब्यौरेवार माप यथा संभव शीघ्रता से दर्ज किये जाएंगे ।

*2. Certified that in addition to and quite a part from the quantity of work actually executed as shown in column 4 of Account I, some work has actually been done in connection with several items and the value of such work (after deducting therefrom the proportionate amount of recurred advances, if any) ultimatily recoverable on account of the quantities as per item 2 of the memorandum if payments made or proposed to be made, for the convenience of the contractor, in anticipation of and subject to the result detailed measurements, which will be made as soon as possible.

*इस प्रमाणपत्र पर उप-मंडल या अधीक्षण पुरातत्वविद् के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए ।

*This certificate must be signed by the Sub-Circle or Supdg. Archaeologist.

बिल बनाने वाले अधिकारी के तारीख सहित हस्ताक्षर
Dated signature of officer preparing the bill

पद
Rank ....

†अदायगी प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के तारीख सहित हस्ताक्षर
Dated signature of officer authorising payment

पद
Rank ....

ठेकेदार के तारीख सहित हस्ताक्षर
Dated signature of contractor

---

†इस हस्ताक्षर की तभी आवश्यकता है जब बिल बनाने वाला अधिकारी अदायगी को प्राधिकृत करने वाला अधिकारी न हो । ऐसे मामले में दो हस्ताक्षर आवश्यक हैं ।

†This signature is necessary only when the officer who prepares the bill is not the officer who authorises the payment. In such a case the two signatures are essential.

III—अदायगियों का ज्ञापन
III—Memorandum of payments

	रु० Rs.	पै० P.
1. लेखा 1, खाना 5, प्रविष्टि (क) के अनुसार वास्तविक मापे गए कार्य का कुल मूल्य Total value of work actually measured, as per Acct. 1, Col. 5, Entry (A)		
2. निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार अब तक न मापे गए कार्य के लिए कुल अद्यतन पेशगी अदायगियां :— Total "up-to-date" advance payments for work not yet measured, as per details given below :—		
(क) पिछले बिल के अनुसार जोड़ .... (a) Total as per previous bill		
(ख) माप पुस्तक संख्या.......के पृष्ठ.......के अनुसार पिछले बिल के बाद अब तक (b) Since previous bill............as per page............of M. B. No.........		
3. अनुबंध (फार्म) खाना 8, प्रविष्टि (ग) के अनुसार सामग्रियों की जमानत पर कुल अद्यतन रक्षित पेशगियां Total "up-to-date" secured advances on security of materials as per Annexure (Form) Col. 8, Entry (c)		
4. जोड़ (मद 1+2+3) Total (Items 1+2+3)		

5. घटाएं :—रोकी हुई राशि—
Deduct :— Amount withheld——

निर्माण कार्यसार के आंकड़ Figures for Works Abstract रु० पै० Rs. P.		रु० पै० Rs. P.
	(क) पिछले चल लेखा बिल के अनुसार पिछले बिल से (a) From previous bill as per last Running Account Bill.	
	(ख) इस बिल से (b) From this bill	
	6. शेष : अर्थात् "अद्यतन अदायगियां" (मद 4–5) Balance *i. e.*, "up-to-date" payments (Items 4–5)	
	7. ....19........के लेखाओं के साथ अग्रेषित अंतिम चल लेखा बिल संख्या.......की प्रविष्टि (ट) के अनुसार पहले से की गई अदायगियों की कुल राशि Total amount of payments already made as per Entry (K) of last Running Account Bill No. .... of......forwarded with accounts for.......19......	
	8. निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार अब की जाने वाली अदायगियां :— Payments now to be made, as detailed below :—	
	(क) इस निर्माण कार्य को क्रेडिट की जानेवाली राशियों की वसूली द्वारा :— (a) By recovery of amounts creditable to this work :—	
	जोड़—5 (ख)+8(क) Total—5 (b)+8(a)	
	(ख) अन्य निर्माणकार्यों या लेखा शीर्षों को क्रेडिट की जाने वाली राशि की वसूली द्वारा (b) By recovery of amount creditable to other works of heads of account	
	(ग) चेक द्वारा (c) By cheque	
	जोड़—8 (ख)+(ग) TOTAL—8 (b)+(c)	

†चेक द्वारा रु०.....................अदा करें‡.......................................

Pay Rs. ‡(.......................) ....†(by cheque)

संवितरण अधिकारी के तारीख सहित हस्ताक्षर

Dated initials of Disbursing Officer

ऊपर लिखित ज्ञापन के अनुसार, इस निर्माण कार्य के लिए रु० (...............).......... प्राप्त हुए

Received Rs. (..............)..................................as per above memorandum on account of this work.

तारीख...............19...........

Dated..................19..........

रसीदी टिकट

Stamp

गवाह

Witness...........

ठेकेदार के हस्ताक्षर

Signature of Contractor

*चेक संख्या...............तारीख.........19....के अनुसार मेरे द्वारा भुगतान किया गया।

*Paid by me, vide cheque No........., dated........19........

वास्तव में अदायगी करने वाले व्यक्ति के तारीख सहित आद्यक्षर

Dated initials of person actually making the payment

---

*इन आंकड़ों की मद 7 और 8 के जोड़ से मिलान करने के लिए जांच करनी चाहिए।

*This figure should be tested to see that it agrees with the total of items 7 and 8.

†यदि भुगतान की निवल राशि 10 रुपये से कम हो और उसे चेक में शामिल न किया जा सके तो अदायगी नकदी में की जानी चाहिए तथा इस प्रविष्टि में उचित परिवर्तन कर इस परिवर्तन को तारीख सहित आद्यक्षरों द्वारा साक्ष्यांकित करना चाहिए।

†If the net amount to be paid is less than Rs. 10 and it cannot be included in a cheque, the payment should be made in cash, this entry being altered suitably and the alteration attested by dated intials.

‡यहां अदा की जानेवाली निवल राशि का स्पष्ट उल्लेख करें, देखें मद 8 (ग)

‡Here specify the net amount payable, vide item 8(c)

£'प्राप्तकर्ता' की पावती मद 8 (अर्थात क+ख+ग) के अनुसार प्रदत्त सकल राशि के लिए होनी चाहिए।

£The payees' akcnowledgement should be for the gross amount paid as per item 8 (*i. e.* a+b+c)

जब प्राप्तकर्ता की पावती किसी चिह्न, मोहर या अंगूठा के निशान द्वारा दी गई हो तो अदायगी को किसी जाने पहचाने व्यक्ति से सांक्ष्यांकित कर लेना चाहिए।

Payment should be attested by some known person when the payee's acknowledgement given by a mark, seal or thumb mpression.

अभ्युक्तियाँ
REMARKS

(यह स्थान ऐसी अभ्युक्तियों के लिए सुरक्षित है जिसमें संवितरण अधिकारी या अधीक्षण पुरातत्वविद् निर्माण कार्य के निष्पादन, मापों की जांच या ठेकेदार के लेखे के संबंध में यदि कुछ लिखना चाहे तो लिख सकता है।)

(This space is reserved for any remarks which the Disbursing Officer or the Superintending Archaeologist may wish to record in respect of the execution of the work, check of measurements or the state of contractor's amount).

मंडल/शाखा कार्यालय में प्रयोगार्थ
FOR USE IN CIRCLE/BRANCH OFFICE

जांच कर ली गई है
Checked

लेखा लिपिक
Accounts Clerk

कनिष्ठ लेखा अधिकारी
Jr. Accounts Officer

भुगतान एवं लेखा कार्यालय में प्रयोगार्थ
FOR USE IN PAY AND ACCOUNTS OFFICE

लेखा परीक्षा की गई
Audited

समीक्षा की गई
Reviewed

लेखा परीक्षक
Auditor.

अधीक्षक
Superintendent

भा० पु० स० नि०-53
ASIW-53

चल लेखा बिल
RUNNING ACCOUNT BILL

(पु० नि० संहिता के पैरा 14.16.1 में निर्दिष्ट तथा परिशिष्ट XIX)
(Referred to in paragraph 14.16.1 and Appendix XIX of AW Code)

(अंतिम अदायगियां सदैव पीले कागज पर मुद्रित फार्म पर की जानी चाहिए। फार्मों को अंतःकालीन अदायगियों के लिये प्रयोग में नहीं लाना चाहिए।)

(Final payment must invariably be made on forms printed on yellow paper which should not be used for intermediate payments.)

(ठेकेदारों के लिए—यह फार्म (1) पेशगी अदायगियों तथा (2) मापे हुए निर्माण कार्यों की अदायगियों के लिए है। रक्षित पेशगियों के लेखे के फार्म जो अलग से मुद्रित हुए हैं, जहां आवश्यक हो संलग्न कर देना चाहिए।)

(For Contractors—This form provides for (1) Advance payments and (2) Payments for Measured works. The form of Account Secured advances, which has been printed separately should be attached where necessary.)

मंडल/शाखा कार्यालय
Circle/Branch Office

उप-मंडल
........Sub-Circle

रोकड़ बही वाउचर संख्या तारीख
Cash Book Voucher No.........................dated ....

ठेकेदार का नाम
Name of Contractor ....

निर्माण कार्य का नाम
Name of Work ....

इस बिल की क्रम संख्या
Serial No. of this bill ....

इस निर्माण कार्य के पिछले बिल की संख्या और तारीख
No. and date of previous bill for this work..

करार संख्या का निर्देश
Reference to Agreement No..

निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए लिखित आदेश की तारीख
Date of written order to commence work ....

निर्माण कार्य के वास्तविक समापन की तारीख
Date of actual completion of work ....

I—निर्माण कार्य लेखा
I—Account of Work

	रु० Rs.	पै० P.
1. मापे गए परिवर्तनों और परिवर्धनों को छोड़कर अद्यतन किए गए निर्माण कार्य का अनुमानित मूल्य Approximate value of work done upto date excluding the measured up additions and alterations.		
2. मापे गए परिवर्धनों और परिवर्तनों का मूल्य Value of measured up additions and alterations.		
3. घटाएं—रोकी जाने वाली राशि **Deduct** amount to be withheld.		
4. शेष अर्थात् अद्यतन अन्त:कालीन अदायगियां (मद 1+2+3) ट Balance *i. e.* "up-to-date" intermediate payments (Item 1+2+3) K.	————	
5. घटाएं—पिछले चल लेखा बिल की प्रविष्टि "ट" **Deduct** intermediate payment already made as per entry "K" of the last running Bill.		
6. अन्त:कालीन अदायगी जो अब की जानी है (मद 4—5) ड Intermediate payment now to be made (item 4—5). D	————	
7. लेखा II की प्रविष्टि "ड" के अनुसार 'रक्षित' पेशगियों की राशि Amount of 'Secured' advances as per entry "E" of Account II.	————	
8. निम्न ब्यौरों के अनुसार अब की जाने वाली कुल अदायगी* :— Total payments now to be made as detailed below* :—		
(क) इस निर्माण कार्य को क्रेडिट होने वाली राशि की वसूली द्वारा छ (a) By recovery of amounts creditable to this work G		
(ख) अन्य निर्माण कार्यों या लेखाशीर्षों को क्रेडिट होने वाली राशियों की वसूली द्वारा ज (b) By recovery of amounts creditable to other works or heads of account H		
(ग) चैक द्वारा (c) By Cheque		

*मद 8 के सामने जोड़ के कुल आंकड़ों को यह देखने के लिए जांच लेनी चाहिए कि वे मद 6 व 7 के जोड़ में मेल खाते हैं।
*The total figure against item 8 should be tested to see that it agrees with the total of items 6 and 7.

II.—कार्यस्थल पर लाई गई सामग्री की जमानत पर दी गई "रक्षित" पेशगियों का लेखा
II.—Account of "Secured" advances allowed on the Security of Materials brought to site

पिछले बिल से बकाया मात्रा Quantity outstanding from previous bill	घटाएं—पिछले बिल से अब तक मापे गए निर्माण कार्य में प्रयुक्त मात्रा Deduct quantity utilised in work measured since previous bill	बकाया मात्रा* से कार्यस्थल पर पिछले बिल से अब तक लाई गई मात्रा Quantity outstanding* (including quantity brought to site since previous bill)	वरिष्ठ संरक्षण सहायक द्वारा निर्धारित पूरी मात्रा Full rate as assessed by the Sr. C.A.	सामग्री का विवरण Description of materials	यूनिट Unit	घटी दर ** जिस पर पेशगी दी गई है Reduced rate** on which advance is made	पेशगी की अद्यतन राशि Up to date amount of advance	पेशगी मंजूर करने वाली स० ई० जो० पु. स. के आदेश का संदर्भ Reference to ASAE written order authorising the advance	तीन महीने से अधिक रहने वाली पेशगियों का शोधन न होने का कारण Reasons for non-clearance of advance when outstanding more than three months
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							रु० पै० Rs. P.		

इस लेख के अनुसार कुल बकाया राशि
Total amount outstanding as per this account (ग) (C)

घटाएं :—पिछले बिल के अनुबन्ध की प्रविष्टि (ग) के अनुसार बकाया राशि
Deduct :—Amount outstanding as per entry (c) of previous bill.

पिछले बिल के बाद से अब तक की निवल राशि (शब्दों में) रु०
Net amount since previous bill (in words) rupees (ङ) (E)

* सामग्री के प्रत्येक विवरण से संबंधित प्रविष्टियों को खाना 3 में इस प्रकार दर्ज करना चाहिए। सर्व प्रथम खाना 1 तथा 2 की मात्राओं के अन्तर को दर्ज करें। तत्पश्चात् इस प्रविष्टि के नीचे, यदि कार्यस्थल पर कोई सामग्री लाई गई हो जिसके लिए अतिरिक्त पेशगी प्राधिकृत हुई हो उसे दर्ज करें, इस प्रविष्टि से पूर्व + चिह्न लगाए। अन्त में दोनों प्रविष्टियों का जोड़ कर दें। यह बकाया मात्रा के जोड़ को सूचित करेगा।

*Entries relating to each description of materials should be posted in column 3. First enter the difference between the quantities in columns 1 and 2, then show this entry the quantities if any brought to site against which a further advance has been authorised, this entry being prefixed by the plus sign. Finally, strike the total of the two entries which will represent the total quantities outstanding.

**खाना 8 की प्रविष्टियां खाना 3 के अनुसार कुल बकाया मात्राओं के मूल्यों को सूचित करती है।

**Entries in column 8 show the money values of the total quantities outstanding as in column 3.

प्रमाणित किया जाता है कि (1) ऊपरिलिखित लेखे के खाना 3 में दिखाई गई सामग्री की मात्रा वास्तव में ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य के स्थल पर लाई गई है तथा ठेकेदार को उनकी जमानत पर पहले से कोई पेशगी नहीं प्राप्त हुई है (2) कि यह सारी सामग्री खराब न होने वाली है तथा निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा ऐसी मदों में उपयोग के लिए है जिनकी तैयार कार्य के लिए दरें नियत हो चुकी हैं, कि पुरातत्व निर्माण कार्य लेखा संहिता के पैरा के अनुसार फार्म में ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित तथा निष्पन्न औपचारिक करार मंडल कार्यालय में रखा हुआ है।

Bill made by
बिल बनाने वाले

प्रमाण पत्र और हस्ताक्षर
CERTIFICATES AND SIGNATURES

मैंने ....*के द्वारा स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि मापे जा चुके परिवर्धनों और परिवर्तनों को निकालकर अद्यतन किये गए निर्माण कार्य का मूल्य ठेकेदार के अनुबंध के अनुसार ....रु० से कम नहीं है, तथा प्राधिकृत परिवर्धनों के अनुसार किया गया है।

I have satisfied myself by* ....

that the value of work done upto date excluding the measured up additions and alterationsis not less than Rs...........conformably with the contractor's agreement and that with the exception of authorised additions and alterations the work has been done according to the prescribed drawings and specification.

2. अद्यतन प्राधिकृत परिवर्धनों और परिवर्तनों की ब्यौरेवार माप ....तारीख को .... द्वारा किये गए थे जो माप पुस्तक संख्या ....के पृष्ठ ....पर दर्ज है।

The detailed measurements of authorised additions and alterations up to date were made by me and are recorded at page ....of Measurement Book No..................

3. प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर के लेखा II के खाता 3 में दिखाए सामग्रियों की धन (1) मात्राएं वास्तव में ठेकेदार द्वारा निर्माणकार्य के स्थान पर लाई गई, तथा ठेकेदार ने उनकी प्रतिभूति पर पहले कभी कोई पेशगी प्राप्त नहीं की है, (2) कि ये सामग्री खराब न होने वाली है तथा वे सभी निर्माण कार्य के उपयोग के लिए है जिसके लिए तैयार निर्माण कार्य के लिए एक मुश्त राशि निर्धारित कि गई है तथा (3) पुरातत्व निर्माण कार्य लेखा संहिता के पैरा के अनुसार ठेकेदार के द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् निष्पन्न औपचारिक अनुबंध मंडल/शाखा कार्यालय में सुरक्षित है।

Certified that the plus quantities of materials shown in column 3 Account II above have actually been brought by the contractor to the site of the work and the contractor has not previously received any advance on their security (2) that those materials are of im perishable nature and are all acquired for use on the work for which a lump sum for finished work has been agreed upon and (3) that a formal agreement signed and executed by the contractor in accordance with paragraph 14.16.1 of the Archaeological Works code is recorded in the Circle/Branch Office.

ठेकेदार के हस्ताक्षर
Signature of Contractor.............

बिल बनाने वाले अधिकारी के तारीख सहित हस्ताक्षर — पद..........................

Dated signature of officer preparing the bill. — Rank ....

---

†केवल..................रुपये अदा करे
Pay (Rs...........only)

अदायगी प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के तारीख सहित हस्ताक्षर — पद..........................

Dated signature of the officer authorising the payment — Rank ....

IV—पावती
IV—Acquittance

†ऊपर निर्दिष्ट ठेके के संबंध में (रु०..............) अंतःकालीन अदायगी के रूप में प्राप्त किए

Received† (Rs...................) as an intermediate payment in connection with the contract referred to above.

रसीदी टिकट Stamp

**गवाह
**Witness

ठेकेदार के पूरे हस्ताक्षर
Full Signature of Contractor

नकद
मैंने————————————————————————तारीख के द्वारा भुगतान किया।
चैक संख्या

Cash
Paid by me by ———————————————————— dated
Cheque No.

वास्तव में अदायगी करने वाले व्यक्ति के तारीख सहित हस्ताक्षर पद

Dated initials of the person Rank ....

actually making the payment

*यहां निर्माण कार्य के मूल्य का अनुमान लगाने के लिए किए गए तरीके का विशेष उल्लेख करें।
*Here specify the method employed for estimating the value of work.

†यहां लेखा I की मद 8 (ग) के अनुसार दी जाने वाली निवल राशि का विशेष उल्लेख करें।
†Here specify the net amount payable vide item 8(c) of Account I.

लेखा I की मद 8 (क+ख+ग) के अनुसार प्राप्तकर्ता की पावती सकल प्रदत्त राशि के लिए होनी चाहिए।
The Payee's acknowledgement should be for the gross amount paid as per item 8 (a+b+c)

**जब प्राप्तकर्ता किसी चिह्न, मोहर या अंगूठे के निशान द्वारा पावती दे तब अदायगी की जाने पहचाने व्यक्ति द्वारा साक्ष्यांकित होनी चाहिए।
**Payment should be attested by some known person when the payee's acknowledgement is given by mark, seal or thumb impression.

V—अभ्युक्तियाँ
V—Remarks

(यह स्थान ऐसी अभ्युक्तियों के लिए सुरक्षित है जिसमें संवितरण वरिष्ठ संरक्षण सहायक निर्माण कार्य के निष्पादन, मापों की जांच या ठेकेदार के लेखाओं के संबंध में यदि कोई कुछ लिखना चाहे तो लिख सकता है।)

(This space is reserved for any remark which the Disbursing Officer or Sr. Conservation Asstts. may wish to record in respect of the execution of work/check of measurements or the state of contractor's account).

मंडल/शाखा कार्यालय में प्रयोगार्थ
FOR USE IN CIRCLE/BRANCH OFFICE

जांच कर ली गई
Checked

लेखा लिपिक
A/C Clerk

कनिष्ठ लेखा अधिकारी
Jr. Accounts Officer

भुगतान एवं लेखा कार्यालय में प्रयोगार्थ
FOR USE IN PAY & ACCOUNTS OFFICE

लेखापरीक्षा की गई
Audited

समीक्षा की गई
Reviewed

लेखापरीक्षक
Auditor

भुगतान एवं लेखा अधिकारी
Pay & A/C Officer

भा० पु० स० नि०—54
ASIW—54

अंतिम बिल
FINAL BILL

(पु० नि० संहिता के पैरा 14.16.1 परिशिष्ट XIX में निर्दिष्ट)
(Referred to in paragraph 14.16.1 Appendix XIX of A.W. Code)

(ठेकेदारों को एक मुश्त ठेकों को "अंतिम अदायगी" के लिए इसका प्रयोग किया जाए)
(To be used for "final payments" to contractors on lump sum contracts)

रोकड़ बही वाउचर संख्या
Cash Book Voucher No.

तारीख
Dated

ठेकेदार का नाम
Name of Contractor

निर्माण कार्य का नाम
Name of work

इस बिल की क्रम संख्या
Serial No. of this Bill

इस निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार के पिछले बिल की संख्या और तारीख
No. and date of his previous Bill for this work—

अनुबन्ध का निर्देश
Reference to Agreement

निर्माण कार्यारंभ के लिए लिखित आदेश की तारीख
Date of written order to commence work

निर्माण कार्य के समापन की वास्तविक तारीख
Date of actual completion of work—

I.—निष्पन्न निर्माण कार्य का लेखा
I.—Account of Work Executed

उपनिर्माण कार्य, उपशीर्ष या निर्माण कार्य की मद Sub-work, Sub-head or item of work	दर Rate	यूनिट Unit	अद्यतन Up to date		अभ्युक्तियां Remarks
			मात्रा Quantity	राशि Amount	
	रु० Rs.	प्रत्येक के लिए एक मुश्त Lump sum for each			

जोड़ आगे ले जाया गया
Total carried over

IV पावती
IV. Acquittance

*इस ठेके की सभी मांगों के पूरे निपटारे की बाबत उपरिलिखित (रु०..............)..............रुपये प्राप्त किए

*Received (Rs........) Rupees.......................................as above in full settlement of all demands on account of the contract.

राशि शब्दों में
Amount in vernacular

रसीदी टिकट
Stamp

‡गवाह
†Witness

ठेकेदार के पूरे हस्ताक्षर
Full signature of Contractor

मैंने नकद / चैक संख्या ....तारीख..................द्वारा भुगतान किया।

Paid by me Cash Dated

Cheque No.

वास्तव में अदायगी करने वाले व्यक्ति के तारीख सहित आद्यक्षर
Dated initials of person actually making payment

पद..................................
Rank ....

*लेखा (III) की मद 3 (क+ख+ग) के अनुसार प्राप्तकर्ता की पावती सकल राशि के लिए होना चाहिए।
*The Payee's acknowledgement should be for the gross amount as per item 3 (a+b+c) of Account III.

**जब प्राप्तकर्ता किसी चिह्न या अंगूठे के निशान द्वारा पावती दे तब अदायगी किसी जाने पहचाने व्यक्ति द्वारा साक्ष्यांकित होनी चाहिए।
**Payment should be attested by some known person when the payee's acknowledgement is given by a mark, seal or thumb impression.

V अभ्युक्तियाँ
V. Remarks

(यह स्थान ऐसी अभ्युक्तियों के लिए सुरक्षित है जिसमें संवितरण अधिकारी या मंडल/शाखा अधिकारी निर्माण कार्य के निष्पादन मापों की जांच या ठेकेदार के लेखे के संबंध में यदि कुछ लिखना चाहे तो लिख सकता है।)

(This space is reserved for any remarks which the Disbursing Officer or the Sr. Conservation Asstt. may wish to record in respect of the execution of the work, check of measurements or the state of contractor's account).

मंडल/शाखा कार्यालय में प्रयोगार्थ
FOR USE IN CIRCLE/BRANCH OFFICE

जांच कर ली गई
Checked

लेखा लिपिक
A/C Clerk

कनिष्ठ लेखा अधिकारी
Jr. Accounts Officer

भुगतान एवं लेखा कार्यालय में प्रयोगार्थ
FOR USE IN PAY & ACCOUNTS OFFICE

लेखा परीक्षा की गई
Audited

समीक्षा की गयी
Reviewed

लेखा परीक्षक
Auditor

भुगतान एवं लेखा अधिकारी
Pay & Accounts Officer

भा० पु० स० नि०—55
ASIW—55

माप पुस्तक
MEASUREMENT BOOK

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता पैरा 14.9.1 में निर्दिष्ट)
(Referred to in paragraphs 14.9.1 of Archl. Works Code)

विवरण Particulars	वास्तविक माप का ब्यौरा Details of actual measurement				अंतर्वस्तु या क्षेत्र Contents or Area
	संख्या No.	लम्बाई L	चौड़ाई B	गहराई D	

टिप्पणी : विवरण में ब्यौरे पैरा 14.9.1 (ग) के अनुसार होने चाहिए ।

NOTE : Particulars should indicate details as per para 14.9.1.

भा० पु० स० नि०—56
ASIW—56

मानक माप पुस्तक
STANDARD MEASUREMENT BOOK

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता के पैरा 14.9.1 में निर्दिष्ट)
(Referred to in paragraph 14.9.1 of Archl. Works Code)

मानक माप पुस्तक के अनुदेश
Instructions of Standard Measurement Book

I. मंडल/शाखा में फार्म स्टोर से प्राप्त होने पर मानक माप पुस्तक में निम्नलिखित प्रमाण दर्ज किया जाए ।

I. Certificate to be recorded when the Standard Measurement Book is received from the forms stores Circle/Branch.

प्रमाणित किया जाता है कि इस माप पुस्तक के पृष्ठों की गणना कर ली गई है और इसमें . . . . पृष्ठ है । कोई भी पृष्ठ फाड़कर निकाला नहीं गया है ।

Certified that the pages in this measurement book have been counted and found to be........ No page has been torn out.

मुख्य लिपिक
Head Clerk

II. मानक माप पुस्तक को जारी करते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र को दर्ज किया जाये ।

Certificate to be recorded when the Standard Measurement Book is issued.

प्रमाणित किया जाता है कि इस माप पुस्तक के पृष्ठों की गणना कर ली गई है । इसमें . . . . पृष्ठ हैं । कोई भी पृष्ठ फाड़कर निकाला नहीं गया है ।

Certified that the pages in this measurement book have been counted and found to be.......... No page has been torn out.

अधीक्षक पुरातत्वविद्
Supdg. Archaeologist

सहायक अधीक्षक पुरातत्व अभियंता
Asstt. Spudg. Archl. Engineer

कार्यपालक अधीनस्थ कर्मचारी
Executive Subordinate

III. मानक माप पुस्तक के पूरा हो जाने पर प्रमाण पत्र

III. Certificate on completion of the Standard Measurement Book

प्रमाणित किया जाता है कि इस मानक माप पुस्तक सं०............. की जांच कर ली गयी है और यह देखा गया है कि :—

Certified that this Standard Measurement Book No...........have been checked and it is found that :—

(क) कोई भी पृष्ठ फाड़कर नहीं निकाला गया है और न गुम है और सभी कोरे पृष्ठों को रद्द किए बिना खाली नहीं छोड़ा गया है।

(a) No page torn out and missing and blank pages have not been left out uncancelled.

(ख) शुद्धियां ठीक तरह की गई हैं और उन पर उत्तरदायी अधिकारी के आद्यक्षर हैं।

(b) Corrections are properly made and initialled by a responsible officer.

(ग) मापों की प्रविष्टियां (और उनके सार) स्याही से स्पष्ट रूप में दर्ज की गई हैं।

(c) Entries of Measurements (and abstracts thereof) have been recorded legibly in ink.

(घ) प्रत्येक वाउचर को जिसमें अदायगी के लिए मात्राएं दर्ज की गई हैं, संख्या और तारीख दर्ज कर ली गई हैं।

(d) The number and date of each voucher in which the quantities are entered for payment are noted.

(ङ) अन्तर्विषय को सार में लिख लेने के बाद प्रविष्टियों को काट दिया गया है।

(e) The entries are crossed off after carrying over the contents to abstracts.

(च) मापों के मामले में रद्द करने के कारण दिए गए हैं और रद्द किया जाना माप करने वाले व्यक्ति और वरिष्ठ संरक्षण सहायक द्वारा हस्ताक्षरित है।

(f) In the case of cancelled measurements the reason for cancellation has been given and cancellation signed by the person who made the measurements and by the Sr. C. A.

(छ) सूची पूरी है।

(g) The Index is complete.

(ज) मापों के प्रत्येक सेट पर वास्तव में माप दर्ज करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

(h) Each set of measurements is signed by the officer by whom they were actually made.

(झ) मापों के प्रत्येक सेट पर माप दर्ज करने वाले अधिकारी या अधीनस्थ कर्मचारी के हस्ताक्षर के अतिरिक्त गणना की जांच करने वाले लिपिक और माप को पारित करने वाले वरिष्ठ संरक्षण सहायक के हस्ताक्षर मौजूद है।

(i) Each set of measurements bears in addition to the signatures of the officer or the subordinate who made measurement, the signature of clerk who checked the cancellations and signature of Sr. C. A. who passed the measurements.

(ञ) विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मापों की नमूना जांच कर ली गयी और समीक्षा टिप्पणी में प्रविष्टियां की है।

(j) Measurements have been test checked by the superior officer of the department and entries made in the review notes.

(ट) पुस्तक में मशीन से पृष्ठांक छपे .... पन्ने हैं।

(k) The book contains..................machine numbered leaves.

हस्ताक्षर
Signature

कनिष्ठ लेखा अधिकारी
Jr. Accounts Officer

मंडल/शाखा
Circle/Branch

हस्ताक्षर
Signature

अधिशासी अभियंता
Ex. Engineer

मंडल/शाखा
Circle/Branch

वार्षिक निरीक्षणों के प्रमाण पत्र (वर्ष . . . .)
Certificates of yearly inspections (Year........)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस मानक माप पुस्तक का निरीक्षण किया है। इसमें की गई प्रविष्टियों में कहीं हेर-फेर नहीं किया गया है और इमारतों में किये गये परिवर्धनों तथा परिवर्तनों के कारण हुई सभी शुद्धियों को समाविष्ट कर लिया गया है और ये अद्यतन और विश्वसनीय अभिलेख हैं।

Certified that this Standard measurement book has been inspected by me and that entries therein have not been tampered with and that all corrections due to additions and alterations in the buildings have been made and the latter are up-to-date and reliable record.

हस्ताक्षर Signature	हस्ताक्षर Signature
कनिष्ठ लेखा अधिकारी *Jr. Accounts Officer*	**अधिशासी अभियंता** *Ex. Engineer*
मंडल/शाखा Circle/Branch	मंडल/शाखा Circle/Branch

वार्षिक निरीक्षणों के प्रमाण पत्र के (वर्ष . . . .)
Certificate of yearly inspections (Year. . .)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस मानक माप पुस्तक का निरीक्षण किया है, इसमें की गई प्रविष्टियों में कहीं हेर-फेर नहीं किया गया है और इमारतों में किए गए परिवर्धनों तथा परिवर्तनों के कारण हुई सभी शुद्धियों को समाविष्ट कर लिया गया है और वे अद्यतन और विश्वसनीय अभिलेख हैं।

Certified that this Standard measurement book has been inspected by me and that entries therein have not been tampered with and that all corrections due to additions and alterations in the buildings have been made and the latter are up-to-date and reliable record.

हस्ताक्षर Signature..........	हस्ताक्षर Signature ....
लेखाकार *Accountant..........*	**अधिशासी अभियंता** *Ex. Engineer*
मंडल/शाखा **Circle/Branch**	मंडल/शाखा Circle/Branch

माप पुस्तक

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता के पैरा 14.9.1 में निर्दिष्ट)

सामान्य अनुदेश

1. मानक माप पुस्तकों पर वर्णक्रमानुसार संख्या दी जानी चाहिए ताकि उन्हें सामान्य माप पुस्तकों पर दी गई संख्या से अलग पहचाना जा सके।

2. इमारतों की मानक माप पुस्तकें आवधिक मरम्मतों के अनुमानों को तैयार करने तथा ठेकेदारों या विभागीय तौर से की गई ऐसी मरम्मतों के बिलों को बनाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए रखी जाती है।

3. जब कभी अदायगी मानक माप पुस्तक के आधार पर हो तो उसका संदर्भ माप पुस्तक में जहां अदायगी की गई हो दर्ज करना चाहिए और अदायगी के लिए बिल तैयार करने वाले राजपत्रित अथवा अधीनस्थ कर्मचारी को यह प्रमाणित करना चाहिए कि समस्त निर्माण कार्य वास्तविक (या यथास्थिति पिछले चालू बिल से किया गया कार्य) मानक मापों के अनुसार किया गया है और इसके लिए पहले किसी तरह का बिल तैयार नहीं किया गया है।

4. मानक माप पुस्तकें लेखों के बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख समझे जाने चाहिए और उनका अनुरक्षण बड़ी सावधानी से और सही-सही होना चाहिए क्योंकि उन्हें साक्ष्य के रूप में अदालत में पेश किया जा सकता है।

5. मानक माप पुस्तकों में मापों की प्रविष्टियां (और उनके सार) को स्याही से साफ-साफ दर्ज किया जाना चाहिए तथा उत्तरदायी अधिकारी द्वारा उनके सही होने को प्रमाणित किया जाना चाहिए।

6. मंडल अधिकारी को वर्ष में एक बार यह प्रमाणित करना चाहिए कि उसके द्वारा मंडल की सभी मानक माप पुस्तकों का निरीक्षण किया गया है उनकी प्रविष्टियों में हेर-फेर नहीं किया गया है और इमारतों के परिवर्धनों तथा परिवर्तनों के कारण हुई सभी शुद्धियों को पुस्तकों में समाविष्ट कर लिया गया है और वे विश्वसनीय और अद्यतन हैं।

7. सभी मापों को निर्माण कार्य स्थल पर सीधे मानक माप पुस्तकों में साफ-साफ दर्ज किया जाना चाहिए। मापों को अन्यत्र दर्ज करना और बाद में मानक माप पुस्तक में नकल करना मना है। माप को दर्ज करने वाले व्यक्ति को तारीख सहित यह प्रमाण पत्र कि "मेरे द्वारा मापा गया है" दर्ज करना चाहिए और अपने पूरे हस्ताक्षर करने

MEASUREMENT BOOK

(Referred to in paragraph 14.9.1 of A.W.C.)

General Instructions

1. The Standard Measurement Book should be numbered in alphabetical series so that they may be readily distinguished from as assigned to ordinary measurement book.

2. The Standard Measurement Books of buildings are maintained in order to facilitate the preparation of estimates for periodical repairs preparing bills for such repairs done by contract or departmentally.

3. When a payment is based on Standard Measurement Book reference to which should be recorded in the Measurement Book where payment is made, the gazetted officer or subordinate preparing the bill for payment should certify that the whole of the real works (or works since previous running bill, as the case may be) as per standard measurements has been done and that it has not previously been billed for in any shape.

4. The Standard Measurement Books should be considered as very important accounts records and maintained very carefully and accurately as they may have to be produced as evidence in court or law.

5. The entries of measurements (and abstract thereof) in the Standard Measurement Books should be recorded legibly in ink and certified and corrected by a responsible officer.

6. The Divisional Officer should certify once a year that all the Standard Measurement Books of the division have been inspected by him, and that entries therein have not been tampered with and that all corrections due to additions and alterations in the buildings have been made in the books and the later are reliable and up-to-date.

7. All the measurements should be recorded neatly and directly in Standard Measurement Book at the site of work. The recording of measurement elsewhere and copying them in Standard Measurement Books is forbidden. The person recording the measurement will also record a dated certificate "Measured by

चाहिए। मांप अधिकारी अभियन्ता/सहायक अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता या किसीकार्यपालक अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा दर्ज किए जाए और सहायक अभियन्ता द्वारा उनकी शत-प्रतिशत और मंडल अधिकारियों द्वारा 10 प्रतिशत जांच की जाए।

8. मापों के प्रत्येक सेट के आरम्भ में निम्नलिखित प्रविष्टियां होनी चाहिए :

(क) इमारत का पूरा नाम जैसा कि इमारत रजिस्टर में दिया गया हो।

(ख) इमारत का पता, और

(ग) माप की तारीख

9. स्थानान्तरण होने पर अधिकारी या अधीनस्थ कर्मचारी को चाहिए कि मानक माप पुस्तकों को अपने उत्तराधिकारी को सौंप दे और संचलन रजिस्टर में आवश्यक संचलन दिखाया जाए, अर्थात् मानक माप पुस्तकें भार मुक्त अधिकारी से प्राप्त हुई और भारग्राही अधिकारी को जारी की गई दिखाई जानी चाहिए। प्रत्येक पुस्तक में अंतिम प्रविष्टि के बाद अंतरण को भी दर्ज किया जाए और उस पर भारमुक्त और भारग्राही अधिकारी या अधीनस्थ कर्मचारी के तारीख सहित हस्ताक्षर होने चाहिए।

ब्यौरे	विवरण				अंतर्वस्तु या क्षेत्रफल
	सं०	लंबाई	चौड़ाई	गहराई	

me" and sign his full name. Measurements should be recorded by Ex. Engineer/Assistants. Ex. Engineer/Assistant Engineer/or by any executive subordinate which should be checked cent per cent by Assistant Engineer and 10% by the Divisional Officer.

8. Each set of measurements should commence with entries stating :

(a) Full name of building as per given in the building register.

(b) Situation of building, and

(c) Date of measurement.

9. On transfer, an officer or a subordinate should make over Standard Measurement Books issued to his successor and necessary movement should be shown in the movement register (i.e.) the S.M.Bs. should be shown as received from the relieved officer and issued to the relieving officer. The transfer should also be recorded after the last entry in each book and signed and dated by the relieving officer or subordinate.

Particulars	Details				Contents or Area
	No.	L.	B.	D.	

भा० पु० स० नि०—57
ASIW—57

स्थल आदेश पुस्तिका का नमूना प्रपत्र
SAMPLE FORM FOR SITE ORDER BOOK

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता पैरा 14.13.2)
(Para 14.13.2 of Archaeological Works Code)

निर्माण कार्य का नाम..................प्रारम्भ करने की अवधि
Name of work........................Date of commencement/

समापन की तारीख..............................
Period of completion..............................

क्रम संख्या S. No.	निरीक्षण अधिकारी अथवा ठेकेदार की अभ्युक्तियां Remarks of the Inspecting Officer or Contractor	किसके द्वारा कार्रवाई की गयी Action taken and by whom	अभ्युक्तियां Remarks
1	2	3	4

भा० पु० स० नि०—58
ASIW—58

दस्ती रसीद
HAND RECEIPT

(पु० नि० संहिता के पैरा 14.16.1 परिशिष्ट XIX में निर्दिष्ट)
(Referred to in Paragraphs 14.16.1 Appendix XIX of A.W. Code)

(यह उन सभी विविध अदायगियों तथा पेशगियों के लिए साधारण वाउचर के रूप में प्रयोग में लाई जानी चाहिए जिनके लिए विशेष फार्म उपयुक्त नहीं है)

To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special forms are suitable)

रोकड़ वही वाउचर संख्या .... तारीख ....

1. .... को .... रु० .... नकद / चैक द्वारा अदा करें

1. Pay by Cheque* / Cash* Rupees to

मैंने अदायगी कर दी†
2. Paid by me†

उप मंडल/शाखा अधिकारी से.................... रु० प्राप्त हुए।
Received from the Sr. Conservation Asstt. in charge of..............the sum of Rs...........

निर्माण कार्य का नाम † या जिस प्रयोजन के लिए अदायगी की गई है—
Name† of work & or purpose for which payment is made—

राशि शब्दों में
(Amount in vernacular)

£गवाह
£Witness

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
Signature of payee

रसीदी टिकट
Stamp

---

*अदायगी प्राधिकृत करने वाले अधिकारी को यथास्थिति अदायगी आदेश पर चैक या नकद शब्द को काटकर आद्यक्षर करके तारीख डालनी चाहिए।
*The officer authorising payment should initial and date the pay order after scoring out the work, 'Cheque' or 'Cash' as the case may be.

†वास्तव में अदायगी करने वाले व्यक्ति को अदायगी प्रमाण पत्र (2) पर तारीख सहित आद्यक्षर करने चाहिए।
†The person actually making the payment should initial and date payment certificate (2).

‡ऐसे निर्माण कार्यों के बचत में जिनके लेखे उपशीर्षों के अनुसार रखे जाते हैं; प्रत्येक उपशीर्ष को प्रभार्य राशि संवितरण अधिकारी द्वारा उल्लिखित की जानी चाहिए।
‡ In the case of works the account of which are kept by sub-heads the amount chargeable to each sub-head should be specified by the disbursing officer.

जब प्राप्तकर्ता की पावती किसी चिह्न, मोहर या अंगूठे के निशान द्वारा प्राप्त हो तब अदायगी किसी जाने-पहचाने व्यक्ति द्वारा साक्ष्यांकित होनी चाहिए।
Payment should be attested by some known person when the payee's acknowledgement is given by a mark, seal or thumb impression.

मंडल/शाखा कार्यालय में प्रयोगार्थ

FOR USE IN CIRCLE/BRANCH OFFICE

जांच कर ली गई है

Checked

लेखा लिपिक

A/C Clerk

कनिष्ठ लेखा अधिकारी

Jr. Accounts Officer

भुगतान एवं लेखा कार्यालय में प्रयोगार्थ

FOR USE IN PAY & ACCOUNTS OFFICE

लेखा परीक्षा की गई

Audited

समीक्षा की गई

Reviewed

लेखा परीक्षक

Auditor

भुगतान एवं लेखा अधिकारी

Pay & Accounts Officer

भा० पु० स० नि०-59
ASIW-59
DGAW-4

कार्य स्थल सामग्री लेखा रजिस्टर
REGISTER OF MATERIAL AT SITE ACCOUNTS

(पु० नि० संहिता के पैरा 14.13.1 में निर्दिष्ट)
(Referred to in paragraph 14.13.1 of A.W. Code)

1. अनुभाग
Section ....
अनुमानित/आवश्यकता
Estimated/Requirement ....

2. निर्माण कार्य का नाम
Name of work ....
निर्गम दर
Issue Rate ....

3. वस्तु का नाम
Name of article ....

क्रम संख्या Sl. No.	प्राप्ति/निर्गम की तारीख Date of Receipts/Issues	से प्राप्त हुई/को दी गई Received from/ Issued to	प्राप्तियां Receipts	निर्गम Issues	शेष Balance	अभ्युक्तियां Remarks

मा० पु० स० नि०-60
ASIW-60

प्राप्त औजार तथा संयंत्र शीट
TOOLS AND PLANT-RECEIVED SHEET

(पु० नि० संहिता के पैरा 8.5.1 में निर्दिष्ट)
(Referred to in paragraph 8.5.1 of A. W. Code)

मंडल
Division ....

उप मंडल
Sub-Division ....

क्रम संख्या Sl. No.	तारीख Date	आदि शेष Opening Balance	बीजक/रेल रसीद सं० Invoice R. R. No. Bill No.	खरीद/पूर्ति आदेश या मांग पत्र Purchase/Supply order or Indent संख्या No.	तारीख Date	प्राप्ति स्रोत Source of Receipt	वस्तु का नाम Name of Article	मात्रा Quantity	यूनिट Unit	दर Rate
1	2	2क	3	4क	4ख	5	6	7	8	9
										रु० पै Rs. P

राशि Amount	प्रासंगिक प्रभार Incidental Charges	प्रासंगिक प्रभारों सहित राशि Amount including Incidental charges	औजार तथा संयंत्र खाता पृष्ठ Tools and Plant Ledger Folio	अदायगी वाउचर या डेबिट के समायोजन का संदर्भ Reference to payment voucher or adjustment of debit संख्या No.	तारीख Date	अंत शेष Closing Balance	वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई नमूना जांच के परिणामों सहित अभ्युक्तियां Remarks including Results of test check by Superior Officers
10	11	12	13	14क	14ख	15	16
रु० पै० Rs. P.	रु० पै० Rs. P.						

*खाना 6 से दर्ज की जाने वाली वस्तुओं को वर्गीकरण के निर्धारित उपशीर्षों के अनुसार समूहित किया जाना चाहिए, देखिए पैरा 8.5.1

*The articles to be entered in column 6 should be grouped by the prescribed Sub-heads of classification, vide paragraph 8.5.1.

उधार पर या बाहर भेजी गई वस्तुओं की वापसी के संबंध में प्रविष्टियों को (देखिए पैरा   ) औजार तथा संयंत्र मांगपत्र के खाना 15 में उचित अभ्युक्ति देकर अन्य प्रविष्टी भिन्न रखनी चाहिए।

The entries in respect of receipt back of articles lent or sent out (vide paragraph   ) should be distinguished from others by quoting reference to the original entries in the Tools and Plant Indent in Col. 15.

हस्ताक्षर
Signature ....

पद
Designation ....

भा० पु० स० नि०-61
ASIW-6
DGIW-20

ठेकेदारों को दी गई सामग्रियों का लेखा
ACCOUNT OF MATERIAL ISSUED TO CONTRACTORS

(पु० नि० संहिता के पैरा 14.14.1 में निर्दिष्ट)
(Referred to in paragraph 14.14.1 of A. W. Code)

मंडल/शाखा
Circle/Branch ....

उप मंडल
Sub-Circle ....

निर्माण कार्य का नाम
Name of work ....

सामग्रियों का विवरण Description of Materials	निर्माण कार्य के लिए दी गई कुल सामग्रियां Total materials issued to the works	वरिष्ठ संरक्षण सहायक के/तारीख युक्त आद्यक्षर Dated initials of Sr. C.A.	जांच के प्रमाण कनिष्ठ लेखा अधिकारी के तारीख युक्त आद्यक्षर Dated initials of Jr. A. O. in token of check	युनिट Unit	अनुमान Estimates	मार्च के अंत तक पिछले पृष्ठ का शेष Balance B/F to the end of March
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल, 19 April, 19						
प्रगामी Progressive						

वरिष्ठ संरक्षण सहायक
Sr. Conservation Assistant

भा० पु० स० नि०-62
ASIW-62

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA
(पुरातत्व निर्माण कार्यसंहिता के पैरा 12.1.3 में निर्दिष्ट)
(Referred to in para 12.1.3 of the A.W. Code)

राज्य
State

राज्य
State

शाखा
Branch

उप-मंडल
Sub-Circle

निर्माण का कार्य नाम
Name of Work

दैनिक प्रतिवेदन तारीख........................19 .
Daily report for the day of 19 .

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता पैरा)
(Archaeological Works Code, paragraph)

मजदूर Labour		लगभग कितनी मात्रा तक कार्य किया गया Approximate quantity of work done
निर्माण कार्य के लिए उपशीर्ष पर लगाया गया Sub-head of work on which employed		

अधीनस्थ कर्मचारी का हस्ताक्षर
Signature of Subordinate

27—112 D. G. Arch/Survey/ND/83

भा० पु० स० नि०-63
ASIW-63

प्रकाशनों का स्टाक रजिस्टर
STOCK REGISTER OF PUBLICATIONS

प्रकाशन का शीर्षक
TITLE OF PUBLICATION

पी० पी० कार्ड
PP Cards ______________

प्रत्येक सेट/यूनिट/प्रति का विक्रय मूल्य
Sale Price per Set/Unit/Copy ______________

(पु० नि० संहिता के टिप्पणी 1 के पैरा 4.2.1 में निर्दिष्ट)
(Referred to in Note 1 of para 4.2.1 of the A.W. Code)

क्रम संख्या	तारीख	आदि शेष Opening balance		महीने के दौरान प्राप्त सप्लाई Supply received during the month				हस्तगत कुल स्टाक Total Stockin hand		बेचा गया/जारी किया गया स्टाक Stock Sold/Issued				बिक्री प्राप्ति को बैंक में जमा करने की तारीख	चालान की संख्या एवं तारीख	अन्तशेष Closing balance		अभ्युक्तियाँ
		संख्या	कुल लागत	संख्या	दर	कुल लागत	प्राप्ति के स्रोत	संख्या (3+5) कालम का जोड़	लागत	किसे जारी किया गया/बेचा गया	प्रापक के हस्ताक्षर	संख्या	लागत			संख्या	लागत	
S. No.	Date	No.	Total Cost	No.	Rate	Total Cost	Source of Receipt	No. (3+5) Cols.	Cost	To whom issued/sold	Signature of Recipient	No.	Cost	Date of deposit of sale into the bank	Challan No. & Date	No.	Cost	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	13	19

भा० पु० स० नि०—64
ASIW-64

प्रवेश पत्रों के दैनिक विक्रय का विवरण प्रपत्र

FORM OF DAILY SALE OF ADMISSION TICKETS

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता पैरा 4.4.2)
(Para 4.4.2 of Archaeological Works Code)

	आदि शेष OPENING BALANCE					उस दिन बेचे गये प्रवेश पत्र TICKETS SOLD DURING THE DAY					अन्त शेष CLOSING BALANCE					
विक्रय की तारीख Date of Sale	पुस्तक संख्या Book No.	से क्रम] From S.No.	क्रम संख्या तक To S.No.	प्रवेश पत्रों की कुल संख्या Total No. of tickets	राशि Am-ount	पुस्तक संख्या Book No.	क्रम संख्या से From S.No.	क्रम संख्या तक To S.No.	बेचे गये प्रवेश पत्रों की कुल] संख्या Total No. of tickets Sold	राशि Am-ount	पुस्तक संख्या Book No.	क्रम संख्या से From S.No.	क्रम संख्या तक To S.No.	प्रवेश पत्रों की कुल संख्या Total No. of tickets	राशि Am-ount	विक्रय आगम जमा कराने के संदर्भ में हवाला दें Reference to Deposit to sale proceeds
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

भा० पु० स० नि०—65
ASIW-65

प्रकाशनों एवं चित्र पोस्टकार्डों के दैनिक विक्रय का रजिस्टर
REGISTER FOR DAILY SALE OF PUBLICATIONS AND PICTURE POST CARDS

(पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता का पैरा 4.2.1)
(Para 4.2.1 of Archaelogical works Code)

प्रकाशनों/चित्र पोस्टकार्डों का शीर्षक TITLE OF PUBLICATIONS/PICTURE POST CARDS														
विक्रय दर SALE PRICE													कुल दैनिक बिक्री TOTAL DAILY SALE	
	सं० No.	राशि Amount	सं० No.	राशि Amount	सं० No.	राशि Amount	सं० No.	राशि Amount	सं० No.	राशि Amount	सं० No.	राशि Amount	सं० No.	राशि Amount
(क) आदि शेष (A) Opening Balance														
(ख) महीने के दौरान प्राप्त नवीन सप्लाई (B) Fresh Supply received during the month														
ऊपर "क" एवं "ख" का जोड़ Total of 'A' & 'B' above														
क्रम सं० बिक्री की तारीख Sl. No. Date of sale														
महीने भर की कुल बिक्री Total Sale for the month														
अन्त शेष Closing Balance														

खजाने में विक्रय आगम को जमा कराने का संक्षिप्त विवरण
ABSTRACT OF SALE PROCEEDS CREDITED INTO THE TREASURY

(क)	क्रम संख्या S.No.	चालान संख्या Challan No.	जमा कराने की तारीख Date of deposit	बैंक का नाम Name of Bank	चालान की निवल राशि Net amount of challan	ऊपरिदर्शित विक्रय बताने वाली राशि Amount representing the sale shown above
(क) स्टाक रजिस्टर में महीने के दौरान किये हुए प्रकाशनों की प्रविष्टि की तारीख (a) Date of entry of the publication sold during the month into the stock register.	————	————	————	————	————	————
(ख) पृष्ठ संख्या (b) Page No.						

हस्ताक्षर
Signature :

पदनाम,
Designation :

भा० पु० स० नि०—66
ASIW—66

पुरावशेषों के अवाप्ति रजिस्टर का प्रपत्र
FORM OF ACCESSION REGISTER OF ANTIQUITIES

[पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता का पैरा 8. 4. 2 (ii)]
[Para 8.4.2 (ii) of A.W. Code]

तारीख Date	अवाप्ति संख्या Accession No.	वस्तु का विवरण Description of the object	सामग्री Material	माप Measurements	अवधि या तारीख Period or date	उद्गम स्थान अथवा प्राप्ति स्थान Provenance or Find out	अर्जन का स्रोत Source of Acquisition	वर्गीकरण Classification	लगभग मूल्य Approx. Value	अभ्युक्तियां Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

भा० पु० स० नि०—67
ASIW-67
म०नि०पु०सर्व-19
D. G. A. S.-19

केन्द्रीय पुरातत्व पुस्तकालय, नई दिल्ली
THE CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY, NEW DELHI

[पुरातत्व निर्माण कार्य संहिता का पैरा 8. 4. 4(i)]
[Para 8.4.4 (i) of A. W. Code]

अवाप्ति संख्या	तारीख	शीर्षक	लेखक का नाम	निर्देश संख्या	प्रकाशक का नाम और पता	प्रकाशन का स्थान और तारीख	पृष्ठ संख्या	फलक संख्या	आकार	जिल्द की बनावट	स्रोत	मूल्य	बीजक संख्या और तारीख	खण्ड संख्या	प्रतियों की संख्या	अभ्युक्तियां
Accession No.	Date	Title	Author	Call No.	Publisher's name and address	Place of Publication and Date	No. of pages	No. of plates	Size	Style of Binding	Source	Price	Bill No. & Date	Volume No.	No. of copies	Remarks

भा० पु० स० नि०-68
ASIW-68

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

मंडल/शाखा
Circle/Branch

पर्यटक बही
VISITOR'S BOOK

(पु०नि० संहिता के परिशिष्ट XXXII में निर्दिष्ट)
(Referred to in Appendix XXXII of A.W. code)

राज्य
State :

शाखा
Branch :

उप मंडल
Sub-Circle

............के विश्राम गृह में ठहरने वाले अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के नाम आदि दर्शाने वाला रजिस्टर

Register showing the names of officers and others who occupied the Rest House

(टिप्पणी)—अधिकारियों और गैर सरकारी अधिकारियों के मामले में जो हकदार तो नहीं है परन्तु जिन्हें विश्रामगृह में रहने की अनुमति दी गई है। इस बंगले का निर्धारित प्रभार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन........रुपये है, बावजूद इसके कि संपूर्ण निरीक्षण बंगला या उसका एक कमरा या एक से अधिक कमरें रहने के लिए उपलब्ध है।

(Note)—In the case of officers and non-officials not entitled but permitted to occupy a rest-house, the charge fixed for this bunglow is Rs.——— per head per diem irrespective of the fact that the whole inspection house or only one or more rooms are available for occupation.

मद संख्या Item No.	ठहरने वाले का नाम Name of Occupant	ठहरने वाले का पद नाम या पता Rank or address of occupant	ड्यूटी या बिना ड्यूटी वाले हैं Whether on duty or not	कितने तारीख और कितने बजे पहुंचे Date and hour of arrival	किस तारीख को और कितने बजे विदा हुए Date and hour of departure	चौकीदार को दी गई राशि Amount paid to the Chowkidar		पर्यटक के दिनांकित आद्यक्षर Dated initials of the visitor	अभ्युक्तियां Remarks
						विवरण Particulars	राशि Amount		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							रु० पै० Rs. P.		

आ० पु० स० नि०—69
ASIW-69

अप्रयोज्य वस्तुओं का रजिस्टर
REGISTER OF DEAD STOCK ARTICLES

(पु०नि० संहिता का पैरा 8. 4. 1)
(Para 8.4.1 of A.W. code)

				प्राप्त वस्तुएं ARTICLES RECEIVED					निर्गम वस्तुएं ARTICLES ISSUED				
तारीख Date	आदि शेष Opening Balance	भंडार/वस्तुओं का विवरण Description of stores/articles	पूर्तिकार का नाम Name of suppliers	वस्तुओं की संख्या No.of Articles	बिल की संख्या और तारीख Bill No. & date	राशि Amount	कॉलम 2 और 5 का जोड़ Total of Col. 2 & 5	साक्ष्यांकन Attestation	निर्गमित कर्मचारी का नाम Name of official to whom issued	निर्गमित वस्तुओं की संख्या No. of articles issued	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर Signature of Recipients	अंत शेष Closing Balance	साक्ष्यांकन Attestation
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

भा० पु० स० नि०-70
ASIW-70

उपभोज्य वस्तुओं का रजिस्टर
REGISTER OF CONSUMABLE ARTICLES

(पु० नि० संहिता के पैरा 8.2.5 में निर्दिष्ट)

(Referred to in para 8.2.5 of the A.W. Code)

तारीख	आदि शेष	भंडार/वस्तुओं का विवरण	पूतिकार का नाम	प्राप्त वस्तुएं ARTICLES RECEIVED					निर्गम वस्तुएं ARTICLES ISSUED				
				वस्तुओं की संख्या	बिल की संख्या और तारीख	राशि	कॉलम 2 और 5 का जोड़	साक्ष्यांकन	निर्गमित कर्मचारी का नाम	निर्गमित वस्तुओं की संख्या	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर	अंत शेष	साक्ष्यांकन
Date	Opening Balance	Description of stores/articles	Name of suppliers	No. of Articles	Bill No. & date	Amount	Total of Col. 2 & 5	Attestation	Name of official to whom issued	No. of articles issued	Signature of Recipient	Closing Balance	Attestation
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्ररूप सं० मं० नि० प्र० नि०-71
FORM NO. DGAW-71

प्रयोगशाला में पुरावशेषों के उपचार का रजिस्टर
REGISTER OF TREATMENT OF ANTIQUITIES IN THE LABORATORY

क्रम सं० Sl. No.	वस्तु की प्राप्ति की तारीख Date of receipt of the objects	प्राप्ति के स्रोत Source of receipts	वस्तु की किस्म Type of object	आकार Size	वजन Weight	पदार्थ Material	प्राप्त वस्तुओं की संख्या No. of objects received	दिए गए उपचार की किस्म Type of treatment extended	उपचार का परिणाम Result of the treatment	वास्तविक रासायनिक उपचार में लिया गया समय Time taken in actual chemical treatment	रासायनिक उपचार का महत्व यदि कोई हो Significance if any of the Chemical treatment	जिस संस्थान कार्यालय से वह प्राप्त हुई उन्हें वापिस करने की तारीख Date of return to the institute/office from which the objects were received	अभ्युक्तियाँ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रयोगशाला के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर. . . .

Signature of Officer
Incharge of Laboratory......................

प्रपत्र सं० मं० नि० प्र० नि०—72
FORM NO. DGAW-72

..........प्रयोगशाला के विश्लेषणात्मक परिणामों का रजिस्टर
REGISTER OF ANALYTICAL RESULTS OF..........LABORATORY

क्रम० सं० Sl. No.	तारीख Date	क्षेत्रों से लिये गये नमूनों का ब्योरा और उनकी विशिष्टियां Details of samples taken from areas with specifications	नमूनों की किस्म Nature of samples	प्रयोगों के ब्यौरे और उनकी कार्य विधि Details and methodology of experiments	प्रयुक्त उपस्करों/उपकरणों का ब्योरा Details of equipments/ Apparatus used	प्राप्त परिणाम Results achieved	व्याख्याएं Interpretations	अभ्युक्तियां Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रयोगशाला के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर ....
Signature of Officer
Incharge of Laboratory..............................

प्रारूप सं० मं० नि० प्र० नि०–73
FORM NO. DGAW-73

प्रयोगशाला का नाम :
NAME OF LABORATORY:

वस्त्रों का उपचार प्रतिवेदन
TREATMENT REPORT OF TEXTILES

प्राप्त होने की तारीख :
Date of Receipt:

परीक्षक :
Examiner :

स्वामी :
Owner :

लौटने की तारीख :
Date of Return :

आवाप्ति सं० :
Acc. No.

संक्षिप्त ब्यौरा :
Brief Description :

मूल स्थान :
Provenance :

काल :
Period :

पदार्थ :
Material :

आकार :
Size

पेंट किये हुए/पेंट न किये हुए/रंग किये हुए :
Painted/Unpainted/Dyed :

दिखाई पड़ने वाला रंग :
Colours visible :

अलंकरण :
Ornamentation :

दशा :
Condition :

(क) भौतिक :
(a) Physical

(ख) कीट :
(b) Insect

(ग) अम्लता
(c) Acidity

(घ) क्या इसे अन्य अवलंब की आवश्यकता है ?
(d) Does it require another support?

(ङ) क्या इसमें सूई और धागा डाला जा सकता है ?
(e) Can it take needle and thread?

(च) धब्बे :
(f) Stains :

(छ) रंगों का फीका पड़ना :
(g) Fading of dyes :

(ज) क्या रंगों की धुलाई हो सकती है :
(h) Are the dyes washing :

अलंकरणों की दशा :
Condition of ornamentation :

फोटो चित्रात्मक अभिलेख :
Photographic record

(क) निगेटिव की संख्या :
(a) Negative Nos.

(ख) फोटोचित्रों का ब्यौरा :
(b) Details of Photographs.

उपचार :
Treatment :

प्रयोगशाला के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर ....

Signature of Officer
Incharge of Laboratory...................

प्रेरूप सं० मं० नि० प्रं० नि०-74
FORM NO. DGAW-74

प्रयोगशाला का नाम :
NAME OF LABORATORY :

धातु की वस्तुओं का उपचार प्रतिवेदन
TREATMENT REPORT OF METAL OBJECTS

क्रम सं :
Sl. No. :

परीक्षक :
Examiner :

प्राप्त होने की तारीख :
Date of receipt

समापन की तारीख:
Date of completion :

लौटने की तारीख :
Date of return :

स्वामी :
Owner :

आवाप्ति संख्या :
Acc. No.

संक्षिप्त ब्यौरा :
Brief Description :

मूल स्थान :
Provenance :

काल :
Period :

आकार और आकृति (यदि आवश्यक हो तो रेखाचित्र भी दे):
Shape and size : (diagram if necessary)

संक्षिप्त इतिहास :
Brief History

धातु का नाम :
Name of metal :

भौतिक दशा :
Physical condition :

संक्षारण के प्रकार :
Nature of Corrosion :

(क) विद्यमान/अविद्यमान।
(a) Present/absent

(ख) रंग :
(b) Colour :

(ग) मोटाई :
(c) Thickness :

(घ) कोड़ की यात्रा :
(d) Extent of core ;

(ङ) रचना :
(e) Composition

(चं) बाहरी अलंकरणं :
(f) Extraneous incrustations :

छायाचित्रात्मक अभिलेख :
Photographic record :

(क) निगेटिव की संख्या :
(a) Negative No. :

(ख) प्रकाश स्रोत :
(b) Light source : दृश्य प्रकाश/परावैगनी किरण/एक्सरे :
Visible Light/U.V./X-ray

(ग) रिपोर्ट सहित प्रिंटों की संख्या :
(c) Number of prints with the report :

उपचार :
Treatment :

तारीख Date	की गई कारवाई Action taken	अभ्युक्तियां Remarks

प्रयोगशाला के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर ....
Signature of Officer
Incharge of Laboratory.................

प्ररूप सं० सं० नि० प्र० नि०—75
FORM NO. DGAW-75

प्रयोगशाला का नाम :
NAME OF LABORATORY :

विभिन्न वस्तुओं की उपचार रिपोर्ट
TREATMENT REPORT OF MISCELLANEOUS OBJECTS

(धातु, वस्त्र, काष्ठ, कागज तथा रंगचित्रों को छोड़कर)
(Other than metal, textile, wood, paper and paintings)

प्राप्त होने की तारीख :
Date of receipt :

परीक्षक :
Examiner

स्वामी :
Owner :

लौटाने की तारीख :
Date of Return :

आवाप्ति संख्या :
Acc. No.

संक्षिप्त ब्यौरा :
Brief Description :

काल :
Period :

मूल स्थान :
Provenance :

वस्तु का पदार्थ :
Material of the object :

आकृति और आकार :
Shape and size :

दशा :
Condition :

(क) भौतिक :
(a) Physical :

(ख) कीट :
(b) Insects :

(ग) लवण :
(c) Salts :

(घ) अन्य :
(d) Other :

छायाचित्रात्मक अभिलेख :
Photographic record :

(क.) निगटिव की संख्या :
(a) Negative Nos. :

(ख.) छायाचित्र का ब्यौरा :
(b) Details of Photographs :

कोई अन्य टिप्पणी :
Any other observation :

उपचार :
Treatment :

प्रयोगशाला के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर ....
Signature of Officer
Incharge of Laboratory..................

प्रारूप सं० मं० नि० प्र० नि०-76
FORM NO. DGAW-76

प्रयोगशाला का नाम :
NAME OF LABORATORY :

काष्ठीय वस्तुओं की उपचार रिपोर्ट
TREATMENT REPORT OF WOODEN OBJECTS

क्रम सं० :
S. No. :

परीक्षक :
Examiner :

प्राप्त होने की तारीख
Date of Receipt :

लौटाने की तारीख :
Date of Return :

स्वामी :
Owner :

आवाप्ति सं० :
Acc. No. :

संक्षिप्त ब्यौरा :
Brief Description :

मूल स्थान :
Provenance :

काल :
Period :

आकृति और आकार :
Shape and size :

तख्तों अथवा कलात्मक वस्तुओं की संख्या :
Number of boards or pieces :

काष्ठ की किस्म :
Species of wood :

दशा :
Condition :

(क) क्षमता :
(a) Strength :

(ख) आधार में विरूपण
(b) Distortion in plane :

(ग) दरारें :
(c) Splits

(घ) जैविक वृद्धि :
(d) Biological growths :

पेंट किये हुए/पेंट न किये हुए :
Painted/Unpainted

पेंट की किस्म :
Nature of Paints :

रंग चित्रों की दशा :
Condition of Painting :

छायाचित्रात्मक अभिलेख :
Photographic records :

(क) निगेटिव की संख्या :
(a) Negative No. :

(ख) सूक्ष्म छायाचित्र :
(b) Photomicrograph :

(ग) एक्स रे छायाचित्र :
(c) X-ray photograph :

(घ) छायाचित्रों का ब्यौरा :
(d) Details of photographs :

कोई अन्य टिप्पणियां :
Any other observations :

उपचार किया गया :
Treatment given :

प्रयोगशाला के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर ....
Signature of Officer
Incharge of Laboratory...................

प्रपत्र सं० म० नि० प्र० नि०-77
FORM NO. DGAW-77

प्रयोगशाला का नाम :
NAME OF LABORATORY :

रंगचित्रों की उपचार रिपोर्ट
TREATMENT REPORT OF PAINTINGS

क्रम सं०
S. No.

प्राप्त होने की तारीख :
Date of receipt :

स्वामी :
Owner :

लौटाने की तारीख :
Date of return :

आवाप्ति संख्या :
Acc. No. :

परीक्षक :
Examiner :

संक्षिप्त ब्यौरा :
Biref Description :

आकृति और आकार :
Shape and size :

संरचना :
Structure :

(क) अवलंब : कागज/कूट/रचना/काष्ठ की
(a) Support : paper/card board/fabric/wood

प्रौद्योगिकी विशिष्टताएं :
Technological peculiarities :

तकनीकी :
Technique :

दशा :
Condition :

(क) चौखटा :
(a) Frame :

(ख) तख्ता / आधार :
(b) Stretcher/mount :

(ग) आलंबन :
(c) Support :

(घ) पृष्ठभूमि :
(d) Ground :

(ङ) पेंट की परत :
(e) Paint Layer :

(च) उपरी परत का चित्र :
(f) Surface film :

अन्य टिप्पणियां :
Other observations :

छायाचित्रात्मक अभिलेख :
Photographic record :

निगेटिव की संख्या :
Negative numbers :

(क) काला और सफेद
(a) Black and White

(ख) रंग
(b) Colour

(ग) एक्स रे
(c) X-ray

(घ) अन्य
(d) Others

(ङ) प्रिंट की संख्या और रिपोर्ट
(e) Number of prints with the report :

उपचार :
Treatment :

प्रयोगशाला के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर ....

Signature of Officer
Incharge of Laboratory....................

प्रारूप सं० मं० नि० प्र० नि०—78
FORM NO. DGAW-78

प्रयोगशाला का नाम :
NAME OF LABORATORY :

प्रस्तरीय वस्तुओं की उपचार रिपोर्ट
TREATMENT REPORT OF STONE OBJECTS

क्र० सं० :
S.No. :

परीक्षक :
Examiner :

प्राप्त होने की तारीख :
Date of receipt :

लौटाने की तारीख :
Date of return :

स्वामी :
Owner :

अवाप्ति संख्या :
Accession Number :

संक्षिप्त ब्यौरा :
Brief Description :

आकृति और आकार :
Shape and size :

पदार्थ :
Material :

दशा :
Condition :

(क) भूस्तर और पपड़ी जमना :
(a) Surface and encrustations

(ख) क्षमता :
(b) Strength

(ग) लवणता :
(c) Salts

(घ) चटकन
(d) Cracks

(ङ) धब्बे :
(e) Stains

(च) क्षति :
(f) Damage

(छ) दरारे :
(g) Splints

छायाचित्रात्मक अभिलेख :
Photographic records :

निगेटिव की संख्या :
Negative Numbers :

(i) काला और सफेद :
(i) Black and White

(ii) रंगीन :
(ii) Colour :

(iii) अन्य :
(iii) Others :

उपचार :
Treatment :

प्रयोगशाला के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर ....
Signature of Officer
Incharge of Laboratory....................

प्रारूप सं० मं० नि० प्र० नि०-79
FORM NO. DGAW-79

प्रयोगशाला का नाम :
NAME OF LABORATORY :

पलस्तर, मसाला, मृण्मूर्ति, ठीकरे और तत्संबंधित पदार्थों का उपचार प्रतिवेदन
REPORT ON PLASTER, MORTAR, TERRACOTTA, SHERDS AND ALLIED MATERIAL

1. एक्स-रे विवर्तन द्वारा मृतिका विखण्डन की पहचान :
1. Identification of clay fraction by x-ray diffraction.
w/r

जल से जल के प्रतिरोध के आचरण के संदर्भ में :
Behaviour water resistance to water

2. जल प्रतिरोध सूक्ष्मरंध्रता :
2. Water resistance porosity

3. केशिकत्व :
3. Capillarities

(i) संकुचन सीमा :
(i) Shrinkage limit :

(ii) सुघट्य सीमा :
(ii) Plastic Limit :

(iii) तन्तुओं की विद्यमानता अथवा अविद्यमानता, यदि हां, तो उसकी तादात्म्यता :
(iii) Fibres present or absent if yes then Identification :

4. अकार्बनिक पदार्थ :
4. Inorganic Material :

(i) मृतिका ठीकरे :
(i) Ceramic sherds :

(ii) आश्मिक पदार्थ :
(ii) Lithic material :

(iii) कोयला :
(iii) Coal :

(iv) कोई अन्य पदार्थ :
(iv) Any other Material :

5. भवन निर्माण प्रौद्योगिकी :
5. Building Technology :

(i) पदार्थों का भूवैज्ञानिक ब्यौरा :
(i) Geological description of the material :

(ii) दीवारों में पलस्तर करना :
(ii) Plastering of the wall :

(iii) पलस्तर की किस्म :
(iii) Type of the plaster :

6. पंक की चिरोड़ी :
6. Mud gypsum :

7. चूना और सीमेंट :
7. Lime & cement :

8. घुलनशील लवण की प्रतिशतता :
8. Percentage of Soluble salts :

प्रयोगशाला के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर ....
Signatures of the Officer
Incharge of Laboratory...............

भा०स०मु०ना० वि० 5——112 डी०जी०आर्क० सर्वे०(एन०डी०)/83—21-6-86—2000
GIPN—Sec. 5—112 D. G. Arch. Survey (N.D.)/83—21-6-86—2000.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NASIK-422 006
1985